बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अनुसार
30 जून 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की
प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2009-10

भारतीय रिज़र्व बैंक

बिक्री मूल्य:

भारत में – 200 रु. (सामान्य)
– 250 रु. (डाक प्रभार सहित)
– 150 रु. (रियायती – काउंटर पर)
– 200 रु. (रियायती – डाक प्रभार सहित)

विदेश में – 27 अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2010
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा एल्को कोर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई 400 013 में अभिकल्पित एवं मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण पत्र

संदर्भ सं आनीअवि.बीआरडी.4552/13.01.01/2010-11 8 नवंबर 2010
17 कार्तिक 1932 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय सचिव महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

(डी. सुब्बाराव)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

विषय-सूची

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
अध्याय I : संभावनाएं		
1.	भूमिका	1
2.	वैश्विक प्रवृत्ति से उभरती संभावनाएं	2
3.	भारतीय बैंकिंग का परिदृश्य	8
4.	निष्कर्ष	14
अध्याय II: वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां		
1.	परिचय	15
2.	वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य	16
3.	वैश्विक वित्तीय बाजार	16
4.	वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां	22
5.	समापन	27
अध्याय III:नीतिगत वातावरण		
1.	प्रस्तावना	29
2.	मौद्रिक नीति	30
3.	कर्ज की सुपुर्दगी	30
4.	वित्तीय समावेशन	33
5.	विवेकपूर्ण विनियमन	35
6.	पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षणात्मक नीति	39
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41
8.	सहकारी बैंक	43
9.	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	45
10.	वित्तीय बाजार	49
11.	बैंकों में ग्राहक सेवा	51
12.	भुगतान और निपटान प्रणालियां	53
13.	प्रौद्योगिकीय गतिविधियां	56
14.	विधिक सुधार	56
15.	निष्कर्ष	58
अध्याय IV:वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और उनका निष्पादन		
1.	परिचय	59
2.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलनपत्र परिचालन	60
3.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	69
4.	सुदृढ़ता संकेतक	72

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
5.	बैंक कर्ज का सेक्टर-वार संवितरण	80
6.	पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन	85
7.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	87
8.	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय गतिविधियां	87
9.	ग्राहक सेवाएं	91
10.	वित्तीय समावेशन	92
11.	बैंकिंग सेवाओं का स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण	94
12.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	98
13.	स्थानीय क्षेत्र बैंक	100
14.	निष्कर्ष	102
अध्याय V:सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां		
1.	परिचय	103
2.	शहरी सहकारी बैंक	104
3.	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	116
4.	ग्रामीण कर्ज़ में नाबार्ड की भूमिका	129
5.	निष्कर्ष	135
अध्याय VI: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं		
1.	भूमिका	136
2.	वित्तीय संस्थाएं	138
3.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया (एनबीएफसी)	143
4.	प्राथमिक व्यापारी	156
5.	निष्कर्ष	159

बॉक्स सूची

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
I.1	पूंजी तथा चलनिधि सुधार पैकेज, जुलाई 2010-प्रमुख विशेषताएं	2
II.1	वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचे का विकास	28
III.1	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति की हाल की गतिविधियां- चलनिधि जोखिम	36
III.2	आरआरबी के पुनःपूंजीकरण पर बनी समिति की सिफारिशें	42
III.3	हरित आइटी	57
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और म्यूच्युअल फंड के बीच अंतर सह-बद्धताएं	64
IV.2	ब्याज दरों की आधार दर प्रणाली - विशेषताएं और मुद्दे	71
IV.3	बैंकिंग क्षेत्र में स्वचलित डेटा प्रवाहः प्रभावी डेटा संचारण और प्रबंधन का भविष्य	89
IV.4	आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली : परिचालनों के पैमाने का एक तुलनात्मक विश्लेषण	90
V.1	यूसीबी क्षेत्र का समेकन और उनका सुदृढ़ीकरण	105
V.2	संभावित आरओए की तुलना में वास्तविक आरओए -अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का विश्लेषण	111
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का तरलता विश्लेषण	114
V.4	भारत में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (पीएसीएस) के कार्यकलाप- कुछ कमजोरियां	130
VI.1	बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां (आइएफसी) - आइएफसी के लिए भिन्न वर्गीकरण और मानदंड की आवश्यकता	137

सारणी सूची

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
I.1	सुदृढ़ीकृत पूंजीगत ढांचा: बासेल II से उन्नत बासेल II	3
I.2	चरणबद्ध व्यवस्था	4
I.3	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण	10
II.1	वैश्विक आर्थिक संभावना (डब्ल्यूईओ) अनुमानों का विहंगावलोकन	17
II.2	निजी क्षेत्र को बैंक उधार में वृद्धि	21
II.3	इक्विटी पर बैंकों के प्रतिलाभ	23
II.4	कुल उधार के प्रति बैंकों के गैर-निष्पादक उधार का अनुपात	23
II.5	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति बैंकों की विनियामक पूंजी	24
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र	60
IV.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि	61
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश	63
IV.4	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देनदारियां - प्रकार से	65
IV.5	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकार से	65
IV.6	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार	66
IV.7	भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	66
IV.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चुनिंदा देयताओं / आस्तियों का बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल	68
IV.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान	69
IV.10	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार	72
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार	72
IV.12	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार	73
IV.13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता	73
IV.14	अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार	75
IV.15	उधार संबंधी आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार	76
IV.16	देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए	77
IV.17	विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए	78
IV.18	एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियां	78
IV.19	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूहवार	80
IV.20	सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन : प्रवाह	81
IV.21	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	83
IV.22	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	83
IV.23	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो	84
IV.24	बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम	85
IV.25	यूरो निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाना	85
IV.26	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	86
IV.27	जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, कारोबार और बैंक के स्टॉकों का पूंजीकरण	86

क्रम सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.28	निजी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	87
IV.29	विदेशी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक	87
IV.30	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण	88
IV.31	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या	89
IV.32	बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली क्षेत्र-वार शिकायतें	91
IV.33	बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली बैंक समूह-वार शिकायतें - 2009-10	92
IV.34	वित्तीय पहुँच और गहनता के संकेतक, भारत की एशिया के चुनिंदा समकक्ष समूह देशों और ओइसीडी देशों के साथ तुलना	93
IV.35	सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रमों की प्रगति	94
IV.36	टियर 3-6 केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं की संख्या	96
IV.37	विभिन्न केंद्रों में स्थित एटीएम की संख्या	96
IV.38	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन	98
IV.39	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलन-पत्र	99
IV.40	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन	100
IV.41	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कर्ज का प्रयोजन-वार वितरण	100
IV.42	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन	101
IV.43	स्थानीय क्षेत्र बैंकों के प्रोफ़ाइल	101
V.I	शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिम राशियों का ग्रेडवार वितरण (मार्च 2010 के अंत में)	106
V.2	जमाराशियों और अग्रिम राशियों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का संवितरण (मार्च 2010 के अंत में)	107
V.3	शहरी सहकारी बैंकों का प्रोफाइल (मार्च 2010 के अंत में)	108
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां (मार्च के अंत में)	109
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश	110
V.6	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश का संयोजन	110
V.7	अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन (मार्च के अंत में)	112
V.8	शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां	113
V.9	सीआरएआर के अनुसार लिवरेज अनुपात (एलआर) और यूसीबी का संवितरण	113
V.10	यूसीबी की जमाराशियां और उधारियों के खातों संबंधी ब्यौरे (मार्च 2010 के अंत में)	115
V.11	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम (मार्च 2010 के अंत में)	115
V.12	शहरी सहकारी बैंकों के राज्य-वार और केंद्र-वार ब्यौरे (मार्च 2010 के अंत में)	117
V.13	ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरू प (मार्च 2009 के अंत में)	118
V.14	अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड (31 मार्च 2009 की स्थिति)	119
V.15	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	119
V.16	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक	120
V.17	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	120

सारणी सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.18	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	121
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	122
V.20	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	122
V.21	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	123
V.22	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - तुलनपत्र के चुनिंदा संकेतक	123
V.23	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	125
V.24	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	125
V.25	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	126
V.26	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	126
V.27	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	127
V.28	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सुदृढता के सूचक	127
V.29	एसटीसीबी और डीसीसीबी का कर्ज-जमाराशियां अनुपात	128
V.30	ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्रति शाखा कारोबार	129
V.31	राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का कर्ज	131
V.32	आरआइडीएफ का ट्रांसवार विवरण (मार्च 2010 के अंत में)	133
V.33	जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्याः एजेंसीवार और वर्षवार (मार्च 2010 के अंत में)	134
VI.1	वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप	138
VI.2	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	138
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां (मार्च के अंत में)	139
VI.4	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	139
VI.5	वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन	140
VI.6	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों ओर नियोजन की प्रवृत्ति	141
VI.7	चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रु पया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता.	141
VI.8	चयनित वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना	141
VI.9	चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन	141
VI.10	वित्तीय संस्थाओं के चयनित वित्तीय मानदंड (मार्च के अंत में)	142
VI.11	निवल अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)	142
VI.12	वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण (मार्च के अंत में)	143
VI.13	चयनित वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) औसत की तुलना में पूंजी अनुपात (मार्च के अंत में)	143
VI.14	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप	143
VI.15	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा	144
VI.16	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र	145
VI.17	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी देयता के मुख्य घटक	146
VI.18	जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग-वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशियों का दायरा	146
VI.19	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि - क्षेत्रवार	147

सारणी सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.20	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि पर ब्याज दर- दायरा-वार	147
VI.21	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता प्रोफाइल	148
VI.22	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत	148
VI.23	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक	149
VI.24	आस्ति आकार के दायरे के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां	149
VI.25	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां कार्यकलापवार	150
VI.26	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	150
VI.27	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति-अनुपात	151
VI.28	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां	151
VI.29	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वर्गीकरण	151
VI.30	गैर बैंकिंग वित्तीय -डी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात	152
VI.31	एनबीएफसी के वर्गीकरण-वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशि की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि	152
VI.32	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	153
VI.33	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल	153
VI.34	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां-क्षेत्र वार	154
VI.35	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप	154
VI.36	एनबीएफसी-एनडी-एसआइ का समेकित तुलनपत्र	155
VI.37	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रू प से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां - क्षेत्र वार	156
VI.38	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रू प से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	156
VI.39	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एनडी-एसआइ के अनर्जक आस्ति अनुपात	156
VI.40	सार्वजनिक निधियों पर निर्भरता (मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)	156
VI.41	एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की बैंक एक्सपोजर (मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)	157
VI.42	प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन	157
VI.43	द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन	158
VI.44	प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	158
VI.45	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	159
VI.46	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	159
VI.47	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक (मार्च के अंत में)	159

चार्ट सूची

चार्ट सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
II.1	वैश्विक मुद्रा बाजार	18
II.2	यूरो क्षेत्र के संकट वाले देशों की सरकारी सीडीएस स्प्रेड	19
II.3	वैश्विक शेयर बाजार	19
II.4	वैश्विक बैंकिंग शेयर सूचकांक	20
II.5	बैंकों की सीडीएस स्प्रेड	20
II.6	अमरीकी कंपनी और सरकारी बांड प्रतिफल	22
II.7	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में परिवर्तन	22
II.8	अमरीकी ऋण चूक दर	25
IV.1	बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा	61
IV.2	वृद्धिशील जमाओं में सीएएसए का प्रतिशत अंशदान	62
IV.3	वृद्धिशील निवेशों से लगाकर अनुमोदित और गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का प्रतिशत अंशदान	63
IV.4	बैंकों के गैर एसएलआर निवेश की संरचना	64
IV.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील कर्ज और निवेश-जमा अनुपात	67
IV.6	बैंक समूह-वार कर्ज - जमा अनुपात (बकाया)	67
IV.7	प्रत्येक बैंक समूह की कुल देयताओं में तुलनपत्र बाह्य (आनुमानिक) और तुलनपत्र वाली देयताओं का प्रतिशत हिस्सा, मार्च 2010 के अंत में	69
IV.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ की प्रवृत्तियां	69
IV.9	निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिफल की प्रवृत्तियां	70
IV.10	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दरें	70
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों और सकल एनपीए की वृद्धि की प्रवृत्तियां	74
IV.12	आस्ति के प्रकार के अनुसार एनपीए का प्रतिशत संवितरण	76
IV.13	देशी बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए अनुपात	76
IV.14	देशी बैंकों का कमजोर वर्ग के लिए अग्रिमों की तुलना में एनपीए अनुपात	77
IV.15	विभिन्न वसूली चैनलों द्वारा शामिल एनपीए के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई एनपीए की राशि	78
IV.16	एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों में विभिन्न एजेंसियों का प्रतिशत हिस्सा	79
IV.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कवरेज और सकल एनपीए की प्रवृत्तियां	79
IV.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लीवरेज अनुपात और सीआरएआर की प्रवृत्तियां	80
IV.19	आइआइपी और ऋण वृद्धि की प्रवृत्तियां	81
IV.20	वृद्धिशील बैंक कर्ज में विविध सेक्टरों का प्रतिशत योगदान	82
IV.21	सेक्टर-वार जीडीपी की तुलना में सेक्टर-वार कर्ज का अनुपात	82
IV.22	इनफ्रास्ट्रक्चर संबंधी ऋण की प्रवृत्तियां	83
IV.23	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा कर्ज की वृद्धि दर और प्रतिशत हिस्सा	84
IV.24	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संवेदनशील क्षेत्र कर्ज की वृद्धि दर और प्रतिशत हिस्सा	85

चार्ट सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.25	सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थानन के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा जुटाए गए संसाधन	86
IV.26	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या में वृद्धि	89
IV.27	जीडीपी की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के टर्नओवर का अनुपात	90
IV.28	शिकायतों की कुल संख्या में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा	91
IV.29	प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत हिस्सा	92
IV.30	बकाया कर्ज की राशि और प्रति एसएचजी बचत	94
IV.31	प्रति बैंक शाखा जनसंख्या	95
IV.32	क्षेत्र के अनुसार प्रति बैंक शाखा जनसंख्या	95
IV.33	प्रति एटीएम जनसंसख्या	96
IV.34	विभिन्न क्षेत्रों में स्थित एटीएम का प्रतिशत हिस्सा	96
IV.35	जमाराशियों और बैंक कर्ज की कुल राशियों में शीर्ष 100 केंद्रों का हिस्सा	97
IV.36	प्रति व्यक्ति कर्ज और जमाओं की क्षेत्र-वार राशि, मार्च 2010 के अंत में	97
IV.37	भारत में विदेशी बैंकों और विदेश में भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या	99
IV.38	स्थानीय क्षेत्र बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल और निवल ब्याज मार्जिन	101
V.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना	104
V.2	शहरी सहकारी बैंकों का आस्ति आकार-वार वितरण	106
V.3	अनूसचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ	112
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का अनुपात	113
V.5	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर	113
V.6	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को यूसीबी के अग्रिमों का संयोजन	116
V.7	शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का संवितरण	116
V.8	राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन	121
V.9	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन	123
V.10	आरआइडीएफ की कुल निधियों के प्रतिशत के रू प में स्वीकृत तथा संवितरित उधार	133
V.11	जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या में बैंक समूहों का हिस्सा और किसान क्रेडिट कार्डों के अंतर्गत स्वीकृत राशि	134
VI.1	निवल अनर्जक आस्तियां / निवल ऋण (मार्च के अन्त में)	142
VI.2	भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या	144
VI.3	व्यापक चलनिधि (एल 3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात	144
VI.4	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - जमाराशियों का दायरा	146
VI.5	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - क्षेत्र-वार	147
VI.6	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां -जमाराशि पर ब्याज-दर - दायरा-वार	147
VI.7	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप	148
VI.8	एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	150

परिशिष्ट सारणियों की सूची

सारणी सं.	ब्यौरे	पृष्ठ सं.
IV.1	भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर	160
IV.2(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	161
IV.2(आ)	निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	162
IV.2(इ)	विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार	163
IV.3(अ)	कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक	164
IV.3(आ)	कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक	165
IV.4(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम	166
IV.4(आ)	विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम	167
IV.4(इ)	विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम	168
IV.5(अ)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	169
IV.5(आ)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य	170
IV.5(इ)	विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य	171
IV.6	संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार	172
IV.7	बीएसई में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य / अर्जन अनुपात	173
IV.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप	174
IV.9	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण	176
IV.10	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय	177
IV.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम	178
IV.12	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	181
IV.13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज -जमा राशि अनुपात और निवेश + कर्ज -जमा राशि अनुपात-क्षेत्र/राज्यवार	184
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	185
V.2	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	186
V.3	राज्य सहकारी बैंकों के कार्यकारी परिणाम - क्षेत्रवार और राज्यवार	188
V.4	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाममार्च के अंत में	189
V.5	प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार	190
V.6	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाममार्च के अंत में	192
V.7	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम	193
V.8	ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (ग्राबुसुविनि) के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार	194
V.9	किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति	197
VI.1	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	198
VI.2	प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन	199
VI.3	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	200

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर सूची

एबीएस	आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां
एसीएच	स्वचालित समाशोधन गृह
एएसीएस	सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य
एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनी
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनी
एएमएल	धन शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एआरसी	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरसीआइएल.	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	कारोबारी संपर्की
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसीएसबीआइ	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफ	बैंकिंग सुकरकर्ता
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओ	बैंकिंग लोकपाल
बीपीएलआर	बेंचमार्क मूल उधार दर
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार
बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी
सीएएमईएलएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन,चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण
सीएआर	क्षमता आकलन रेटिंग
सीबीएलओ	संपार्श्विकीकृत उधार लेने-देने संबंधी दायित्व
सीबीएस	कोर बैंकिंग प्रणाली
सीसीएफ	ऋण परिवर्तन कारक
सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लि.
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडीबीएमएस	केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली
सीडीआर	कंपनी ऋण पुनर्संरचना
सीडीआरएम	कंपनी ऋण पुनर्संरचना तंत्र
सीडीएस	ऋण-चूक स्वैप
सीईओबीएसई	ऋण समतुल्य राशि - तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति
सीएफएसआर	वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति
सिबिल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड
सीआइसी	ऋण सूचना कंपनी
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोजर
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात
सीआरई	वाणिज्यिक स्थावर संपदा
सीआरआइएसआइएल	भारतीय ऋण रेटिंग सूचना सेवा लि.
सीआरआर	आरक्षित नकदी/निधि अनुपात
सीएसडी	ग्राहक सेवा विभाग
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीएसआर	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीटीआर	नकद लेनदेन रिपोर्ट
सीटीएस	चेक ट्रंकेशन प्रणाली
डीएपी	विकास कार्य योजना
डीसीसीबी	ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

डीएलआइसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति
डीओटी	संचार विभाग
डीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआरआइ	विभेदक ब्याज दर
डीआरटी	ऋण वसूली ट्रिब्यूनल
डीटीएल	मांग और मीयादी देयता
डीवीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
ईबीटी	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं
ईईएफसी	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था
ईडब्लूएस	पूर्व चेतावनी प्रणाली
एक्जिम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफएक्यू	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
एफबीटी	अनुषंगी लाभ कर
एफसी	वित्तीय संगुट
एफसीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफडीआइ	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआइसी	फेडरल डिपाज़िट इंश्योरेंस कार्पोरेशन
एफइडीएआइ (फेडाई)	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफईएमए (फेमा)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफआइ	वित्तीय संस्था
एफआइएफ	वित्तीय समावेशन निधि
एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेश
एफआइएमएमडीए	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ
एफआइपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफआइटीएफ	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि
एफआइयू-आइएनडी	वित्तीय आसूचना इकाई-भारत
एफएमडी	वित्तीय बाज़ार विभाग
एफआरए	वायदा दर करार
एफआरबी	अस्थिर दर बांड
एफआरबीएम अधिनियम	राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसएफ	वित्तीय स्थिरता मंच
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जी 20	20 देशों का समूह
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी)रसीद
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीआइसी	भारतीय साधारण बीमा निगम
जीएलसी	ऋण की सामान्य व्यवस्था
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
आइसीआइसीआइ	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
आइएफसीआइ	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.
आइएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आइएफसी	इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
आइआइबीआइ	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
आइआइएफसीएल	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आइएनएफआइएनईटी	इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क
आइओएससीओ	इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन आफ सिक्योरिटीज़ कमीशन
आइपीडीआइ	नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत
आइपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आइआरएसी	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण
आइआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आइआरडीपी	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

आइआरएफ	ब्याज दर फ्यूचर्स
आइआरएस	ब्याज दर स्वैप
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवीआइबी	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
केवायसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलआइबीओआर	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एलआइसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलओएलआर	अंतिम ऋणदाता
एलटीसीसीएस	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा
एलटीवी	लोन-टू-वैल्यू
$एम_3$	व्यापक मुद्रा
एमएफआइ	व्यष्टि वित्त संस्थान
एमआइबीओआर	मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एमआइसीआर	चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान
एमआइएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसएमई	व्यष्टि ,लघु और मझौले उद्यम
एमएसएस	बाज़ार स्थिरीकरण योजना
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनबीसी	निवल बैंक ऋण
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमाराशियां लेनेवाली
एनबीएफसी-एनडी-	जमाराशियां न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी-एसआइ	जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से एसआइ महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनसीएएफ	नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा
एनडीएस	वार्तातय लेनदेन प्रणाली
एनडीएस - ओएम	एनडीएस ऑर्डर मैचिंग
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयता
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनईडीएफसी	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम
एनईएफआइएस	देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय समावेशन प्रणाली
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनएफजीबीसी	खाद्येतर सकल बैंक ऋण
एनएफएस	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
एनपीए	अनर्जक आस्तिया
एनपीएल	अनर्जक ऋण
एनआर(ई)आरए	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता
एनआरई	अनिवासी -बाह्य
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओबीएस	तुलनपत्रेतर
ओबीयू	अपतटीय बैंकिंग इकाइयां
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएलटीएएस	ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
ओआरएफएस	ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
ओएसएमओएस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटीसी	ओवर द काउंटर
ओटीएस	एक बारगी निपटान
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीपीएस	सतत संचयी अधिमान शेयर
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीडीआइ	स्थायी ऋण लिखत
पीडीओ	लोक ऋण कार्यालय
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

पीकेआइ	प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी सुविधा
पीएलआर	मूल उधार दर
पीएनसीपीएस	स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीपीपी	क्रय शक्ति समता
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
पीएसएलसी	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र
पीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली
आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरसीपीएस	प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर
आरसीएस	सहकारी समिति पंजीयक
आरआइडीएफ	ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां
आरएनसीपीएस	प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
एसएए	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण
एसएसीपी	विशेष कृषि ऋण योजना
एसएओ	मौसमी कृषि कार्य
एसएआरएफएई	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और एसआइपुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एसबीएलपी	स्वयं-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम
एससी	अनुसूचित जाति
एनसीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसईबीआइ	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफसी	राज्य वित्त निगम
एसजीएल	सहायक सामान्य खाता बही
एसजीएसवाइ	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचपीआइ	स्व-सहायता संवर्धक सस्थाएं
एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआइडीसी	राज्य औद्योगिक विकास निगम
एसआइपीएस	प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
एसजेएसआरवाइ	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समितियां
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसपीवी	विशेष प्रयोजन के साधन
एसआर	प्रतिभूति रसीद
एसआरईपी	पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीसीएस	अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा
एसटीआरआइपीएस	प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग ट्रेडिंग
एसडब्ल्यूआइएफटी	विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट)
टीएएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीएफसीआइ	भारतीय पर्यटन वित्त निगम
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
वीएआर	जोखिम -मूल्य
वीसीएफ	उद्यम पूंजी निधि
डब्ल्यूएडीआर	भारित औसत बट्टा दर
डब्ल्यूसीटीएल	कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
वाइटीएम	परिपक्वता प्रतिफल

अध्याय-I

संभावनाएं

केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों द्वारा किए गए अभूतपूर्व उपायों से आर्थिक बहाली को समर्थन देने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। तथापि, राजकोषीय प्रोत्साहन का असर कम होते जाने, भावी मौद्रिक उपायों की सीमाओं तथा वर्तमान जारी डिलीवरेजिंग एवं तुलनपत्रों को ठीक करने के प्रयासों के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहाली की प्रक्रिया में बाधाएं आ रही हैं। इस बीच मानक निर्धारक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय प्रणाली के विनियामक ढांचे में सुधार हेतु बहुआयामी पहलें की गई हैं जिनमें वर्धित पूंजी निर्धारण तथा विनियामक परिसीमा से लेकर बेहतर निगरानी तथा पर्यवेक्षी प्रथाओं और वित्तीय संस्थाओं के व्यवधानरहित समाधान तक के क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा वित्तीय बाजारों में आबंटन संबंधी कुशलता में सुधार हेतु विनियामक तथा लेखांकन ढांचे को सुदृढ़ करना विनियामक प्राधिकारियों का मुख्य एजेंडा होगा। बैंकों को कारोबार प्रोसेसिंग के पुनर्गठन के जरिए ग्राहक सेवा में सुधार लाने के अलावा अनर्जक आस्तियों तथा चलनिधि के प्रबंधन हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभों का दोहन करने के लिए सभी हितधारकों को समन्वित रूप में प्रयास करने चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को बैंकिंग की परिधि में लाया जा सके।

1. भूमिका

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था महामंदी के बाद के सबसे बड़े वित्तीय संकट से उबर रही है। वित्तीय संकट से कई सारे सबक मिले हैं। तथापि, बहाली की प्रक्रिया कमजोर तथा असमान रही है। पहला, वित्तीय विनियमन को आगे रहने की जरूरत है ताकि वे वित्तीय नवोन्मेषों तथा उभरते नए कारोबारी मॉडलों से पीछे न रहें। इसके लिए पर्यवेक्षी कौशल तथा लिखतों में निरंतर आधार पर सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में अंतर-एजेंसी समन्वय की जरूरत है जिसके लिए केंद्रीय बैंकों, विनियामकों, पर्यवेक्षकों तथा राजकोषीय प्राधिकारियों की आपसी भूमिका को समझने की जरूरत है। एजेंसियों को सूचनाओं/आंकड़ों को बांटना चाहिए तथा एकाधिक विनियामकों से जुड़े समरूपी मुद्दों को साथ बैठकर निपटाना चाहिए। तीसरा सबक वित्तीय प्रणाली के विनियामक ढांचे तथा देश की राजकोषीय स्थिति के लिए बड़ी राशि के समर्थन पैकेजों के निहितार्थों के अध्ययन की जरूरत की ओर इंगित करता है। किसी एक देश के बचाव पैकेजों का वित्तीय चैनलों के माध्यम से विश्वव्यापी असर हो सकता है जिससे समष्टि आर्थिक प्रबंधन की लागत में वृद्धि होती है चाहे वे देश संकट वाले देश से काफी दूर क्यों न हो। संक्रमण तथा देशी वित्तीय प्रणाली में इसके प्रभाव को कम करने के लिए जमा बीमा की प्रणाली तथा व्याप्ति संबंधी मुद्दों एवं वित्तीय संस्थाओं को गारंटी प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए। चौथा सबक कर्ज बाजारों में संरचित उत्पादों तथा व्युत्पन्नियों की कमज़ोरियों की बेहतर समझ की अपेक्षा करता है जिसका वित्तीय स्थिरता हेतु निहितार्थ है। इस संबंध में 'ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रिब्यूट' मॉडलों से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए कारोबार तथा निपटान प्रथाओं के विभिन्न मॉडलों के सापेक्षिक बेहतरी का विस्तृत मूल्यांकन करने की जरूरत है। अंत में, विनियामकों को जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में कमी लाने तथा आर्थिक वृद्धि के बीच सही संतुलन बनाते समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बाजारों तथा संस्थाओं की कई बार आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति होती है।

1.2 हाल की वैश्विक तथा भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए खंड 2 में वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों की उभरती संभावनाओं की चर्चा की गई है। खंड 3 में वित्तीय स्थिरता संबंधी

मुद्दों सहित भारतीय बैंकिंग की उभरती संभावनाओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है।

2. वैश्विक प्रवृत्ति से उभरती संभावनाएं

1.3 संकट के दौरान देखी गयी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने के लिए मानक निर्धारण करने वाली संस्थाओं तथा नए विनियामक प्राधिकारों द्वारा नए प्रतिमानों का निर्धारण किए जाने के चलते वैश्विक बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली में हाल में ढांचागत परिवर्तन हो रहा है।

वित्तीय बाजारों का विनियमन - वैश्विक पहलें

1.4 'बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन को सुदृढ़ करना' विषय पर बीसीबीएस द्वारा दिसम्बर 2009 में जारी परामर्शी दस्तावेज में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता में सुधार लाने हेतु प्रस्तावों के एक पैकेज पर चर्चा की गयी। समिति के सुधार प्रस्ताव वित्तीय विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा थे जिसका समर्थन एफएसबी और जी-20 के देशों द्वारा किया गया। इस सुधार पैकेज के जरिए समिति का लक्ष्य बैंक की पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन तथा अभिशासन को सुदृढ़ करना है।

1.5 दिसम्बर 2009 के बीसीबीएस प्रस्तावों के आधार पर गवर्नरों तथा पर्यवेक्षण के प्रमुखों का समूह, जो कि बीसीबीएस की निगरानी संस्था है, जुलाई 2010 में पूंजी की परिभाषा, प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम का व्यवहार, लीवरेज अनुपात तथा वैश्विक चलनिधि मानक के संबंध में मोटे तौर पर सहमत हुआ। जुलाई 2010 की सहमति की प्रमुख विशेषताएं बॉक्स I.1 में दी गयी हैं।

बॉक्स I.1 : पूंजी तथा चलनिधि सुधार पैकेज, जुलाई 2010 - प्रमुख विशेषताएं

(1) ***पूंजी की परिभाषा***

(i) अल्पमत हितों की विवेकपूर्ण पहचान।

(ii) वित्तीय संस्थाओं के निवेशों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर प्रतिपक्षी कर्ज प्रतिबंध को समाप्त करना।

(iii) टियर-I पूंजी के साधारण इक्विटी हिस्से की गणना करने के लिए साधारण शेयरों में निवेशों, बंधक चुकौती अधिकारों तथा आस्थगित कर आस्तियों को सीमित रूप में हिसाब में लेना।

(2) ***प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम***

(i) हेजिंग के समाधान के लिए बाण्ड समतुल्य दृष्टिकोण में संशोधन।

(ii) जोखिम मूल्यांकन समायोजन के अत्यधिक अंशांकन को समाप्त करना।

(iii) बैंकों के केंद्रीय प्रतिपक्षियों के प्रति बाजार दर पर अंकित तथा संपार्श्विक एक्सपोज़रों को 1-3 प्रतिशत के दायरे में सामान्य स्तर का जोखिम भार लगाना।

(3) ***लीवरेज अनुपात***

(i) तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़रों के लिए एकसमान कर्ज परिवर्तन कारक (सीसीएफ) निर्धारित करना।

(ii) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के मानकीकृत कारक के अनुसार बासल II नेटिंग तथा संभावित भावी एक्सपोज़र का सरल मापन।

(iii) समान्तर परिचालन के दौरान 3 प्रतिशत के न्यूनतम टियर-I लीवरेज अनुपात के प्रस्ताव का परीक्षण।

(4) ***विनियामक बफर, न्यूनतम आवश्यकता की चक्रीयता तथा प्रावधानन***

(i) पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बफरों का 2010 के अंत तक निर्धारण किया जाना।

(ii) बैंकों के पूंजी बफरों की पर्याप्तता के आकलन हेतु पर्यवेक्षी साधनों के एक सेट के विकास हेतु न्यूनतम अपेक्षाओं की चक्रीयता के परिणामों को मात्रात्मक प्रभाव के साथ संगत बनाना।

(iii) प्रावधानन हेतु प्रत्याशित हानि दृष्टिकोण के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) के साथ विचार-विमर्श करना।

(5) ***वैश्विक चलनिधि मानक***

(i) चलनिधि की परिभाषा में संशोधन ताकि वे तनाव की अवधि के दौरान भी उनकी उपलब्धता बनी रहे।

(ii) नकदी प्रबंधन संबंधी चुनिंदा कार्यकलापों के साथ-साथ समाशोधन संबंधी कार्यों की अभिरक्षा हेतु 25.0 प्रतिशत के बहिर्वाह बकेट की शुरुआत।

(iii) बेजमानती निधीयन के लिए सभी सरकारों, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को 100 प्रतिशत रोल-ऑफ दर वाली कंपनियों के समकक्ष मानना।

स्रोत : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

1.6 7 सितम्बर 2009 को जारी प्रेस प्रकाशनी में केंद्रीय बैंक गवर्नरों तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह की सहमति में अनुचक्रीयता से निपटने के लिए न्यूनतम बफर के ऊपर प्रतिचक्रीय पूंजी बफर ढांचे की शुरुआत करने की बात कही गयी है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य, जैसा कि बीसीबीएस के दिसम्बर 2009 के 'बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता को सुदृढ़ करना' में उल्लेख किया गया है, इस प्रकार हैं: (i) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की अत्यधिक अनुचक्रीयता को सीमित करना, (ii) अधिक दूरदर्शी प्रावधाननों को प्रोत्साहित करना तथा (iii) पूंजी बफरों को बढ़ाना ताकि वे अत्यधिक कर्ज-वृद्धि की अवधियों में बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा कर सके। जुलाई 2010 में बीसीबीएस ने प्रतिचक्रीय पूंजी बफर व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जिसके अनुसार पूंजी का स्तर निर्देशक दायरे से बाहर होने पर बैंकों पर पूंजी वितरण प्रतिबंध लगाया जाएगा। समिति का विचार था कि पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता के सूक्ष्म निर्धारण हेतु उपयोग में लाए जा सकने वाले विभिन्न परिवर्तियों में से सबसे बेहतर संकेतक जीडीपी की तुलना में कर्ज का अंतर है।

1.7 प्रतिचक्रीय प्रावधान तथा बफर के निर्माण की धारणा में तात्कालिक आकर्षण के बावजूद इसके परिचालनों में कई चुनौतियां हैं, जैसे (i) उस परिवर्तन बिन्दु की पहचान करना जहां से पूंजी का निर्माण तथा उपयोग किया जाना है, (ii) अच्छे तथा बुरे समय के लिए आर्थिक संकेतक का चुनाव, (iii) वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक चक्र को परिभाषित करने की कठिनाई क्योंकि आर्थिक चक्र वैश्विक स्तर पर एकसमान नहीं होते, (iv) आपदा के त्वरित गति से उत्पन्न होने तथा पूंजी के अकस्मात निर्गम के निहितार्थ, (v) पूंजी के सही आकार का निर्धारण, तथा (vi) यह सुनिश्चित करना कि पूंजी बफर योजना सरल तथा पारदर्शी हो, उसका कार्यान्वयन लागत कम हो तथा यह यथासंभव नियम आधारित हो।

उन्नत बासेल II व्यवस्था

1.8 गवर्नर तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह ने सितम्बर 2010 में हुई बैठक में वर्तमान पूंजी आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु उपायों की घोषणा की जिन्हें सारणी I.1 में दिया गया है।

1.9 संशोधित पूंजी मानक का कार्यान्वयन लम्बी संक्रमण अवधि की अनुमति देते हुए चरणबद्ध रूप में किया जाएगा। दिसम्बर 2012 के अंत तक पर्यवेक्षी निगरानी अवधि के साथ इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ होगा (सारणी I.2)। वैश्विक चलनिधि मानकों के साथ-साथ इन सुधारों को नवम्बर 2010 में सीओल में होने वाली जी-20 नेताओं की शिखर बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिनसे आशा है कि वैश्विक

सारणी I.1: सुदृढ़ीकृत पूंजीगत ढांचा: बासेल II से उन्नत बासेल II

जोखिम भारित आस्तियों का प्रतिशत	पूंजी आवश्यकताएं							अतिरिक्त समष्टि विवेकपूर्ण आवरण
	साधारण इक्विटी			टियर 1 पूंजी		कुल पूंजी		प्रतिचक्रीय बफर
	न्यूनतम	संरक्षण बफर	आवश्यकता	न्यूनतम	आवश्यकता	न्यूनतम	आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बासेल II	2			4		8		
उन्नत बासेल II परिभाषा और अंशांकन	4.5	2.5	7.0	6	8.5	8	10.5	0-2.5

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

सारणी I.2: चरणबद्ध व्यवस्था (बोल्ड में दिए गए आंकड़े संक्रमण अवधि को दर्शाते हैं)
(सभी तिथियां 1 जनवरी की हैं)

लीवरेज अनुपात	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 जनवरी 2019 को
	पर्यवेक्षी निगरानी		समानांतर परिचालन 1 जनवरी 2013 - 1 जनवरी 2017 प्रकटीकरण की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से					स्तंभ 1 में अंतरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
न्यूनतम साझा इक्विटी पूंजी अनुपात			**3.5%**	**4.0%**	**4.5%**	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
पूंजी संरक्षण बफर						**0.625%**	**1.25%**	**1.875%**	2.50%
न्यूनतम सामान्य इक्विटी और पूंजी संरक्षण बफर			**3.5%**	**4.0%**	**4.5%**	**5.125%**	**5.75%**	**6.375%**	7.0%
सीईटी1 से चरणबद्ध कटौती (डीटीए, एमएसआर तथा फिनांशियल की सीमा से अधिक की राशि सहित)				**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	100%	100%
न्यूनतम टियर 1 पूंजी			**4.5%**	**5.5%**	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
न्यूनतम कुल पूंजी			8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
न्यूनतम कुल पूंजी तथा संरक्षण बफर			8.0%	8.0%	8.0%	**8.625%**	**9.25%**	**9.875%**	10.5%
ऐसे पूंजीगत लिखतें जो गैर-कोर टियर 1 तथा टियर 2 पूंजी के लिए पात्र नहीं हैं			2013 से 10 वर्षों के दौरान समाप्त किया जाना है						
तरलता कवरेज अनुपात	प्रेक्षण अवधि शुरू होती है				न्यूनतम मानक शुरू करें				
शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात		प्रेक्षण अवधि शुरू होती है						न्यूनतम मानक शुरू करें	

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

वित्तीय सुधार एजेंडा की मूल अपेक्षाओं का पूर्णतः पालन हो जाएगा। मध्यावधि में, कोरिया गणराज्य के ग्योनजिउ में सितंबर 2010 में हुई जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की विज्ञप्ति में नए पूंजी और चलनिधि ढांचे को सहमत समय-सीमा के भीतर पूर्णतः लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है।

उन्नत बासेल II पूंजी मानक के समष्टि आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन

1.10 नये पूंजी नियमों के समष्टि आर्थिक प्रभाव का आकलन मॉडलों की अवधारणाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न है। एफएसबी-बीसीबीएस समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह का निष्कर्ष था कि यदि उच्चतर अपेक्षाएं चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध कर दी जाती हैं तो बैंक के जोखिम भारित आस्तियों के प्रति गोचर साधारण इक्विटी के वास्तविक अनुपात में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से इसके कार्यान्वयन के बाद आधार पथ की तुलना में जीडीपी के स्तर में लगभग 0.20 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसका अर्थ यह होगा कि साढ़े चार वर्ष की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर में औसतन 0.04 प्रतिशत अंक की गिरावट आएगी और परिणामों का दायरा इन अनुमानित बिन्दुओं के आसपास होगा। दूसरी ओर, चलनिधि आस्तियों की धारिताओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि से उत्पादन में आधे से कम प्रभावित होगा जितना कि पूंजी अनुपात

में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से होता। इसका जो प्रभाव पड़ सकता है वह मुख्यतः यह है कि बैंक उच्चतर लागत उधारकर्ताओं को अंतरित कर देंगे जिसका परिणाम निवेश में गिरावट के रूप में होगा। तथापि, जीडीपी परवर्ती वर्षों में इसके आधार स्तर पर आ जाता है।

1.11 अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आइआइएफ) की जून 2010 में जारी प्रारंभिक 'बैंकिंग विनियामक ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संचयी प्रभाव संबंधी अंतरिम रिपोर्ट' ने आकलन किया है कि नयी विनियामक व्यवस्था का असर काफी अधिक होगा। विनियामक सुधार के पूर्ण कार्यान्वयन से 2011-15 की 5 वर्ष की अवधि में जीडीपी वृद्धि के पथ में औसतन 0.6 प्रतिशत अंक की तथा 2011-2020 की 10 वर्ष की पूरी अवधि में जीडीपी के वृद्धि पथ में औसतन 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट आएगी। इससे यूरो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, जापान पर इसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग प्रणाली के महत्व, ऋण मध्यस्थन प्रवाह की प्रवृत्ति तथा नयी अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रणाली द्वारा किए जाने वाले समायोजन की जरूरत के अनुसार अमरीका पर असर मिला-जुला होगा। सकारात्मक पक्ष में, आइआइएफ अध्ययन हेतु उपयोग किए गए मॉडल में मात्रात्मक रूप दिए जा सकने वाले अधिकांश सुधारों को शामिल करने की गुंजाइश है। नकारात्मक पक्ष में, मॉडल में आचरणगत प्रतिसूचना की अपेक्षाकृत कम गुंजाइश है और यह कार्य कर्ज संचरण चैनल पर काफी अधिक निर्भर करता है।

1.12 उच्च पूंजी आवश्यकता से जीडीपी पर पड़ने वाले असर का प्रारंभिक आकलन रिज़र्व बैंक द्वारा समष्टि आर्थिक समुच्चयों तथा बैंकिंग क्षेत्र के वार्षिक तुलनपत्रों तथा लाभ-हानि लेखा के आंकड़े निविष्टि के रूप में लेकर लघु विश्लेषणात्मक स्थिर मैक्रो मॉडल के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में बीआइएस द्वारा अपनायी गयी अनुरूपण की संकेंद्रित प्रवृत्ति के विपरीत इसमें एकबारगी प्रभाव का आकलन किया गया है। इस मॉडल से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग विभिन्न नीतिगत उपायों के लिए किया जाएगा। रिज़र्व बैंक नए पूंजी मानकों का निर्धारण स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्नत बासेल II मानदण्डों के अनुरूप निर्धारित करेगा।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं

1.13 बीसीबीएस कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआइएफआइ) से व्यवहार करने के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, यथा (i) एसआइएफआइ की पहचान करना, (ii) पूंजी और चलनिधि अधिभार तथा उन्नत पर्यवेक्षण के जरिए एसआइएफआइ हेतु भिन्न प्रकार की प्रणालियां, (iii) करदाताओं की धनराशि का उपयोग किए बिना एसआइएफआइ की समस्याओं के समाधान हेतु क्षमता में सुधार करना, (iv) एसआइएफआइ की विफलताओं की संभावना और प्रभाव को कम करना तथा (v) एसआइएफआइ की निगरानी में सुधार लाना। एसआइएफआइ के संबंध में बीसीबीएस तथा एफएसबी अच्छी तरह एकीकृत दृष्टिकोण का विकास कर रहे हैं जिसमें पूंजी अधिभार, आकस्मिक पूंजी तथा आपाती ऋण व्यवस्था शामिल हो सकती है। इसके अलावा, समाधान संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य जारी है। एफएसबी एसआइएफआइ पर्यवेक्षण की प्रभाविता में वृद्धि हेतु उपायों पर भी विचार कर रहा है।

सीमा पार सहयोग

1.14 सीमा पार समस्याओं, जिनके कारण संकट के समय विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय के अभाव में हितधारकों के सामने भारी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, के समाधान हेतु एक फ्रेमवर्क के गठन का प्रयास किया जा रहा है। एफएसबी ने 'संकट प्रबंधन पर सीमा पार सहयोग' हेतु सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। बीसीबीएस द्वारा मार्च 2010 में जारी 'सीमा पार बैंक समाधान समूह' की रिपोर्ट जो कि एफएसबी के कार्यों के पूरक के रूप में है, में सीमा पार सहयोग के संबंध में एफएसबी के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में विस्तृत दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है और इसमें निम्नलिखित बातों की अपेक्षा की गयी है : (i) महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप, (ii) दबाव के दौरान आघात-सहनीयता में वृद्धि हेतु तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए बैंकों द्वारा योजनाएं तैयार किया जाना, (iii) निपटान संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सीसीपी को सुदृढ़ करना, (iv) समाधान व्यवस्थाओं

को समरूप बनाना तथा उनका समन्वयन करना, (v) प्रणालीगत रूप महत्वपूर्ण बैंकों और समूहों की संरक्षा तथा / अथवा उनके शीघ्र समाधान हेतु आयोजना करना तथा (vi) जटिल समूह वाले ढांचों के समाधान को सुकर बनाने के लिए समाधान प्राधिकारियों तथा देश और विदेश के पर्यवेक्षकों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना।

पर्यवेक्षी परिषद

1.15 हाल के वैश्विक संकट ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूहों के लिए पर्यवेक्षी प्रथाओं की प्रभाविता को सुदृढ़ करने के एक माध्यम के रूप में पर्यवेक्षी परिषदों के महत्व को रेखांकित किया। इसके आलोक में बीसीबीएस ने अक्तूबर 2010 में पर्यवेक्षी परिषद के संबंध में उचित प्रथा संबंधी सिद्धांतों का एक सेट प्रकाशित किया। ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा जानकारी के आदान-प्रदान संबंधी पूर्व के दिशानिर्देश के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। ये सिद्धांत पर्यवेक्षी परिषदों के लक्ष्यों, पर्यवेक्षी परिषदों के ढांचे, प्रमुख जोखिमों तथा बैंकिंग समूहों की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में परिषद के सदस्यों द्वारा जानकारी के समुचित आदान-प्रदान, सूचना के आदान-प्रदान की सत्यनिष्ठा एवं गोपनीयता, सदस्यों के बीच सहयोगपूर्ण कार्य को बढ़ावा देने, संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने, संकट प्रबंधन ढांचे को समर्थन देने तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बड़े वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण विधि में उनके प्रणालीगत महत्व के अनुसार संशोधन करने से संबंधित है।

वित्तीय कार्यकलाप कर

1.16 'वित्तीय स्थिरता अंशदान' हेतु वित्तीय क्षेत्र द्वारा उचित तथा उल्लेखनीय अंशदान संबंधी जी-20 की अप्रैल 2010 की अंतरिम रिपोर्ट में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा 'वित्तीय कार्यकलाप कर' पर एकसमान दर पर लाभ तथा पारिश्रमिक लेवी लगाए जाने का प्रस्ताव किया है। इन करों का निर्धारण वित्तीय क्षेत्र के आकार को संकुचित करके भविष्य की वित्तीय विसंगतियों को ठीक करने तथा प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रस्ताव पर जून 2010 में कोरिया गणराज्य के बुसान में हुई जी-20 की बैठक में चर्चा हुई जिसमें प्रत्येक देश की 'परिस्थितियों तथा विकल्पों' को ध्यान में रखते हुए लेवी लगाए जाने का उल्लेख है। भारत का विचार था कि बैंक के तुलनपत्र पर लेवी लगाने के बजाए बेहतर तथा समुचित विनियमन की जरूरत है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए लेखाविधि मानक

1.17 जी-20 के देशों द्वारा की गयी पहलों के चलते लगभग सभी एफएसबी सदस्य देशों ने या तो अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड को अंगीकार किया अथवा वे 2012 तक इसे अंगीकार करने की प्रक्रिया में हैं। एफएसबी ने चार क्षेत्रों में नये संकेंद्रित लेखांकन मानक को अपनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, यथा (i) वित्तीय आस्तियों की हानि, (ii) पुनर्खरीद करारों को तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के रूप में स्वीकार न किया जाना, (iii) उचित मूल्य मापन दिशानिर्देश में मूल्यांकन की अनिश्चितता तथा (iv) वित्तीय लिखतों की नेटिंग। लेखांकन मानक निर्धारित करने वाली संस्थाएं यथा वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएएसबी) तथा आइएएसबी इस बारे में चर्चा कर रही हैं तथा एकल उच्च गुणवत्तापूर्ण वैश्विक लेखांकन मानक के गठन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रही हैं तथा जून 2011 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में सुधार

1.18 ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में सुधार वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभव की पृष्ठभूमि में वित्तीय प्रणाली की आपसी संबद्धता की जटिलताओं के कारण उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। बीआइएस के अनुसार, 2009 के अंत में बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का मूल्य 6,63,870 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें से केवल 3.4 प्रतिशत एक्सचेंजों में ट्रेड किए गए थे जबकि शेष संविदाओं की ट्रेडिंग खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपस में तय हुई शर्तों के अनुसार ओटीसी बाजारों में की गयी। मई 2010 में भुगतान तथा निपटान प्रणाली संबंधी समिति (सीपीएसएस) तथा प्रतिभूति कमीशनों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएससीओ) ने केन्द्रीय प्रतिपक्षियों (सीसीपी) के संबंध में मानक जारी किए ताकि ओटीसी डेरिवेटिव से जुड़ी जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। सीपीएसएस, आइओएससीओ तथा यूरोपीयन कमीशन को लेकर गठित एक कार्यदल समाशोधन तथा विनिमय अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अपेक्षाओं को सभी देशों में

समान रूप से लागू करने के बारे में नीतिगत विकल्पों का अध्ययन कर रहा है। अमरीका के वित्तीय विनियमन बिल में व्यापक रूप से ट्रेड किए जाने वाले ओटीसी डेरिवेटिवों को समाशोधन गृहों में अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि प्रतिपक्षी तथा प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का सुधार

1.19 वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रमुख एजेंडा में से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के स्तर पर हितों के टकराव को कम करना तथा निवेशकों के स्तर पर उचित सत्प्रयास को प्रोत्साहन देना है। तदनुसार, जी-20 के सदस्य देश आइओएससीओ के सीआरए संबंधी आचरण विधि के अनुरूप सीआरए के लिए विनियामक पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करने हेतु सहमत हुए। प्रस्तावित सुधार उपायों में रेटिंग एजेंसियों को ढांचा संबंधी सुझाव देने पर प्रतिबंध लगाना, जारीकर्ता द्वारा भुगतान मॉडल के स्थान पर निवेशक द्वारा भुगतान मॉडल को स्थापित करना, निष्पादन हेतु भुगतान तथा वेट-टू-रेट मॉडलों की शुरुआत करना तथा विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रेटिंग पर निर्भरता को कम करना शामिल हैं। बीसीबीएस विनियामक ढांचे में बाहरी रेटिंग के उपयोग के कारण मिलने वाले अनुपयुक्त प्रोत्साहनों से जुड़े मुद्दे का समाधान भी कर रहा है।

कार्यपालक क्षतिपूर्ति नीति

1.20 बैंकों में प्रचलित कार्यपालक क्षतिपूर्ति संबंधी नीतियां और प्रथाएं ऐसी होनी चाहिए जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप तथा ग्राहकों के प्रति अनुकूल हों एवं बाजारों के दुरुपयोग को रोके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एफएसबी द्वारा निर्धारित सिद्धांत तथा मानकों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को भुगतान बैंक द्वारा वास्तव में तथा पूर्णतः प्राप्त किए गए मूल्य के आधार पर किया जाए तथा अदा की गयी क्षतिपूर्ति पर्याप्त पूंजी तथा चलनिधि सहित बैंक को सुदृढ़ स्थिति में बनाए रखने के अनुरूप हो।

1.21 कर्मचारियों के पारिश्रमिक पैकेजों के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को सीमित करने के उद्देश्य से अक्तूबर 2010 में बीसीबीएस ने एक परामर्शी पेपर का प्रकाशन किया जिसमें पारिश्रमिक पैकेजों को जोखिमों के साथ जोड़ने हेतु क्रियाविधि का विकास करते समय बैंकों द्वारा विचार किए जानेवाले कतिपय प्रारंभिक पर्यवेक्षी विचारणीय विषयों तथा कारकों का ब्योरा दिया गया है।

प्रतिभूतिकरण बाजारों में सुधार

1.22 संकट के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकृत उत्पादों के मूल्यन की प्रक्रिया बाधित होने से यह बाजार वस्तुतः बंद हो गया। आइएमएफ ने विशेष रूप से परिवारों तथा लघु और मध्यम आकार वाले उद्यमों के कर्ज की जरूरतों को समर्थन देने के लिए सुरक्षित आधार पर प्रतिभूतिकरण को पुनः प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। आइओएससीओ ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के लिए प्रकटीकरण संबंधी सिद्धांतों का अप्रैल 2010 में प्रकाशन किया। बीसीबीएस तथा आइओएससीओ का संयुक्त फोरम इस बात का अध्ययन कर रहा है कि प्रतिभूतिकरण हेतु बाजार में उपलब्ध प्रोत्साहन समरूप है या नहीं।

जमाराशि बीमा

1.23 वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विश्वसनीय तथा पारदर्शी जमाराशि बीमा प्रणाली की जरूरत को रेखांकित किया। अंतरराष्ट्रीय जमाराशि बीमा संगठन (आइएडीआइ) तथा बीसीबीएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रभावी जमाराशि बीमा संबंधी मूल सिद्धांतों का प्रकाशन जून 2009 में किया गया। इसमें श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन अथवा नई जमाराशि बीमा प्रणाली की स्थापना के संबंध में परिवर्तन हेतु एक स्वैच्छिक ढांचागत रूप शामिल है। मूल सिद्धांतों में, जमाराशि बीमाकर्ता के लिए परिचालनात्मक स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की जरूरतें शामिल हैं तथा इसमें विभिन्न देशों से जुड़े मुद्दों, सदस्यता तथा व्याप्ति, निधीयन, जन जागरूकता, कानूनी मुद्दों, असफलता समाधान, जमाकर्ताओं को राशि की प्रतिपूर्ति तथा वसूलियों के संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए सुरक्षा-तंत्र के अन्य भागीदारों के साथ प्रभावी संबंध की अपेक्षा की गयी है।

पर्यवेक्षी / विनियामक सुधार - क्षेत्रीय / राष्ट्रीय पहलें

1.24 यूरोपीयन यूनियन बचाव व्यवस्था संबंधी निधियों, निजी इक्विटी फंडों तथा अन्य वैकल्पिक निधियों के लिए निधि प्रबंधकों के वैकल्पिक निदेशों को लागू कर रहा है। इसके मूल में, निदेशों के जरिए उन 'शैडो' बैंकिंग प्रणाली के बहुत बड़े हिस्सों पर मानक तथा विनियामक निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है जो कमोबेश पर्यवेक्षण से मुक्त थे। यूरोपीयन कमीशन भी यूरोपीय बाजार ढांचा संबंधी विधान का प्रस्ताव कर रहा है जिसके आधार पर केन्द्रीय प्रतिपक्षियों तथा व्यापार निधियों के लिए यूरोपीयन यूनियन विधान ढांचे का गठन होगा।

1.25 अमरीकी सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा ने ''2010 का अमरीकी वित्तीय स्थिरता बहाली अधिनियम'' पारित किया तथा इसे कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति ने जुलाई 2010 में इस पर हस्ताक्षर किए। विधान के प्रमुख लक्ष्य ''वित्तीय प्रणाली में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता में सुधार करके अमरीका की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, 'इतने बड़े कि फेल होने नहीं दिया जा सकता' की धारणा को समाप्त करना, बेलआउट को समाप्त करके अमरीकी करदाताओं की रक्षा करना तथा गलत वित्तीय सेवा प्रथाओं से ग्राहकों / निवेशकों की रक्षा करना'' है।

1.26 यूके का वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए), विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए, बीसीबीएस द्वारा प्रस्तावित निर्धारणों से भी कठोर पूंजी नियम निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। एफएसए वित्तीय रिपोर्टिंग काउंसिल (एफआरसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से, विशेष रूप से संमिश्र वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के लेखा परीक्षकों और बैंक के बीच के संबंधों की विनियामक जांच का प्रस्ताव कर रहा है। वित्तीय रिपोर्टिंग काउंसिल द्वारा विकसित यूके स्टिवार्डशीप कोड संस्थागत निवेशकों को कंपनियों के साथ जोड़ने के संबंध में अच्छी परिपाटी की शुरुआत करने वाला इस प्रकार का पहला कोड है।

सरकारी ऋण संकट

1.27 यूरो क्षेत्र के कई देशों में बड़ी मात्रा की राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाओं, वित्तीय बचाव पैकेजों तथा घटते कर राजस्व के कारण उत्पन्न हुए सरकारी ऋण की समस्या के उदय ने कई उन्नत देशों में अवहनीय सरकारी बजट घाटे तथा सरकारी ऋण की समस्या को उजागर किया है जिससे वैश्विक वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइएमएफ के अनुसार जी-7 के देशों में जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 2010 में 113 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है जो एक ऐसा स्तर है जिसे 1950 के बाद नहीं देखा गया था। बिगड़ती राजकोषीय स्थितियों का असर ग्रीस, पुर्तगाल तथा स्पेन ने सरकारी सीडीएस स्प्रेड में तेज वृद्धि के रूप में दिखायी दिया और ऐसे स्प्रेड में परिवर्तन का स्तर बजट घाटे के अनुरूप था। सरकारी ऋण की समस्या के समाधान हेतु बजट घाटों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने, डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया को व्यवधान रहित तरीके से पूरा करने, ओवरहीटिंग को रोकने के लिए विवेकपूर्ण समष्टि विनियमन तथा विवेकपूर्ण विनियमन को लागू करने, बैंकों में विनियामक सुधार अपनाने तथा प्रणालीगत विफलताओं की लागत को कम करने की जरूरत है।

3. भारतीय बैंकिंग का परिदृश्य

1.28 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के तुलनपत्र में गिरावट आयी तथा उनकी आस्तियों की गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में थोड़ी कमी हुई। 2009-10 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा दिए गए कर्ज में 16.6 प्रतिशत की कम दर पर वृद्धि हुई, परंतु अक्तूबर 2009 से आर्थिक स्थिति में सुधार प्रारंभ होने से बेहतरी के लक्षण दिखाई दिए। एससीबी के सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) समग्र रूप में 2008-09 के 2.25 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2009-10 में 2.39 प्रतिशत हो गयीं। आस्तियों की गुणवत्ता में कुछ कमी आने के बावजूद भारतीय बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात, बासेल II मानदंड के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में 14.5 प्रतिशत रहा जो विनियामक निर्धारण से काफी अधिक है। तथापि, भारतीय बैंकों की 2009-10 की लाभप्रदता, जैसा कि आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) से ज्ञात होता है, पिछले वर्ष के 1.13 प्रतिशत से कम अर्थात 1.05 रही।

1.29 वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के बावजूद भारतीय बैंक झटकों को सहने में समर्थ रहे तथा संकट के बाद की

अवधि में सुस्थिर तथा सुदृढ़ बने रहे। अब भारतीय बैंक इस क्षेत्र के बैंकों के बीच वृद्धि, लाभप्रदता तथा ऋण चूक अनुपात के मानदंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। आम तौर पर बैंकों का नवोन्मेष, वृद्धि तथा मूल्य सृजन का अच्छा रिकार्ड रहा है। तथापि, बैंकिंग विकास की इस प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन की बृहत्तर जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अन्य बाजारों की तुलना में इस क्षेत्र में बैंक सुविधा का विस्तार कम है।

विनियामक ढांचा

1.30 रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर पहलें करता रहा है कि वित्तीय प्रणाली की नयी गतिविधियों के अनुरूप बैंकिंग उद्योग के विनियामक ढांचे का अद्यतन नियमित आधार पर होता रहे, विनियामक / पर्यवेक्षी अंतरपणन तथा अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम बनी रहे। उच्चतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) के रूप में सांविधिक चलनिधि बफरों की आवश्यकता के अतिरिक्त, बैंकों को संकेंद्रण जोखिम, पूंजी बाजार एक्सपोज़र, अंतर-बैंक एक्सपोज़र तथा बाह्य ऋण मध्यस्थन के संबंध में विनियामक मानदण्डों के अंतर्गत लाया गया है। डेरिवेटिवों में बैंकों के एक्सपोज़र को भी ब्याज दर तथा विनिमय दर संविदाओं की परिपक्वता से संबद्ध क्रेडिट परिवर्तन कारक के उपयोग के निर्धारण के जरिए पूंजी पर्याप्तता व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय संगुटों के अंदर 'संक्रमण जोखिम' का पता लगाने के लिए, साथ ही संगुट की विभिन्न संकेंद्रण जोखिम की दृष्टि से इसके बाहरी संस्थाओं, क्षेत्रों तथा बाजार खंडों के प्रति संचयी एक्सपोज़र का पता लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था स्थापित की है।

संस्थागत विकास

1.31 अधिक से अधिक बैंकों की सहायता से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, विशाखीकृत स्वामित्व के माध्यम से प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर अभिशासन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2010 को नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रतिसूचना मांगी गयी है :

- नए बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा प्रवर्तकों का अंशदान
- प्रवर्तक की न्यूनतम तथा अधिकतम शेयर धारिता की सीमा तथा अन्य शेयर धारक
- नए बैंकों में विदेशी शेयर धारिता
- औद्योगिक तथा व्यापारी घरानों को बैंक स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए अथवा नहीं
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में परिवर्तन की अनुमति दी जाए अथवा एक बैंक को प्रवर्तित करने की अनुमति दी जाए
- नए बैंक के लिए कारोबारी मॉडल

1.32 कोर निवेश कंपनियां, मुख्यत: उन वित्तीय लिखतों का धारण करने वाली कंपनियां, बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील होती हैं, अत: उनके विफल होने के कारण वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले असर को रोकने के लिए उन पर समुचित विनियमन होना चाहिए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2010 में समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों, ऋण अथवा कर्ज के रूप में कम-से-कम अपनी 90 प्रतिशत आस्तियां धारित करनेवाली कंपनियों के लिए विनियामक मानदण्डों की घोषणा की। बड़े व्यापारी घरानों की 100 करोड़ अथवा अधिक की आस्ति वाली इन होल्डिंग कंपनियों तथा निवेश फर्मों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना आवश्यक है, साथ ही उन्हें पूंजी के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना तथा लीवरेजिंग संबंधी उपयुक्त मानदण्डों का पालन भी आवश्यक है।

1.33 नये कंपनी बिल, 2009 जिसे पहले के कंपनी बिल, 1956 के स्थान पर लाया जाएगा, में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को 'क्लास ऐक्शन' सूट के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, चूंकि लोकपाल योजना की संशोधित प्रणाली बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु त्वरित तथा कम खर्चीला शिकायत निवारण तंत्र के रूप में अच्छी तरह कार्य कर रही है, अत:

सारणी I.3: सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण

राशि करोड़ रुपए में स्थिति	जुलाई 2010 तक पहले ही पूरा कर लिया गया	2009-10 पूरा किया गया	2008-09 पूरा किया गया
1	2	3	4
यूको बैंक	673	450	450
विजया बैंक	700	-	500
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	250	300	250
सेंट्रल बैंक @	250	450	700
आइडीबीआइ बैंक	3,119	-	-
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	588	-	-
यूनियन बैंक	111	-	-
कुल	5,691	1,200	1,900

@ प्रस्तावित राइट निर्गम में सहभागिता के जरिए
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार

बैंकों को बिल के इस प्रावधान के अंतर्गत लाने का आधार पर्याप्त नहीं लगता।

बैंकों का पुन:पूंजीकरण

1.34 पूंजी बैंकों को अपने तुलनपत्र में विस्तार करने हेतु आधार के रूप में कार्य करती है। अतः बैंकों को उल्लेखनीय रूप से उच्चतर स्तर पर पूंजी जुटानी होगी ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरत के अनुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। 2010-11 के बजट में सरकार ने 8 प्रतिशत से अधिक का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने में बैंकों की मदद करने हेतु 16,500 करोड़ रुपए के पुन:पूंजीकरण का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जुलाई 2010 के अंत तक 5,691 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं (सारणी I.3)। डाली गयी पूंजी शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों सहित प्रत्यक्ष इक्विटी तथा संकर टियर I पूंजी के रूप में थी।

उन्नत बासेल II पूंजी व्यवस्था के निहितार्थ

1.35 केन्द्र सरकार द्वारा पुन:पूंजीकरण के अतिरिक्त, बैंकों को अल्पावधि में अपने पूंजी आधार में बढ़ोतरी करते रहना होगा ताकि उच्चतर ऋण वृद्धि को समर्थन दिया जा सके। वर्तमान में, प्रस्तावित नये पूंजी नियमों से बैंकों के उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। मार्च 2010 के अंत में 10.1 प्रतिशत की टियर I पूंजी सहित 14.5 प्रतिशत के सीआरएआर की तुलना में उन्नत पूंजी मानदंड कम है। तथापि, कतिपय कटौतियों के टियर I तथा टियर II पूंजी से साधारण इक्विटी में अंतरित किए जाने से थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा, प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम ढांचा संबंधी परिवर्तनों का बड़ी मात्रा में ओटीसी द्विपक्षीय डेरिवेटिव पोजीशन वाले कुछ भारतीय बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी निहितार्थ हो सकता है।

1.36 इस बीच, चूंकि बीसीबीएस ने सिद्धांत के रूप में यह स्थिति ली है कि नकदी सहित किसी भी आस्तियों पर लीवरेज अनुपात के मापन हेतु छूट प्राप्त नहीं होगी, अतः लीवरेज की गणना हेतु एसएलआर को नहीं छोड़ा जाएगा। तथापि, प्रस्तावित विनयमन से वर्तमान के निम्नतर लीवरेज अनुपात तथा पर्याप्त टियर I पूंजी एवं सीमित डेरिवेटिव पोजिशन के चलते बैंकों पर दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, प्रणालीगत जोखिम पूंजी तथा चलनिधि को कवर करने के लिए कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूंजी तथा चलनिधि प्रभार बनाये रखने के लिए कहा जा सकता है। अग्रदर्शी प्रतिचक्रीय बफरों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में उपलब्ध राष्ट्रीय विवेकाधिकार के चलते विनियमन के प्रभाव को समग्र ऋण वृद्धि पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा, हालांकि चक्रीय उत्थान के समय बैंकों को ऐसे बफरों का निर्माण करना अधिक कठिन नहीं होगा। भारत के संदर्भ में प्रतिचक्रीय नीतियों के प्रति क्षेत्रगत दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा और इस दृष्टिकोण ने अब तक बेहतर कार्य किया है। इस बीच, मानक निर्धारण करने वाली संस्थाओं से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्धारित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया जाना है।

दीर्घावधि वित्तीयन

1.37 बैंकिंग प्रणाली की देयताओं की परिपक्वता के संबंध में अड़चने इसलिए आती हैं कि ये मुख्यतः खुदरा जमाराशियों की और अल्पावधि की होती हैं जिसके कारण बैंकों को ढांचागत जैसे क्षेत्रों की दीर्घावधि वित्तीयन जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है, क्योंकि हाल की प्रवृत्ति से देखा गया है कि ढांचागत क्षेत्र के प्रति बैंकों के उधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दीर्घावधि वित्तीयन के पक्ष में बैंकों के कर्ज की बदलती संरचना से बैंकिंग प्रणाली में आस्ति

देयता संबंधी असंतुलन की समस्या तीव्र होने की संभावना है। ढांचागत वित्तीयन के लिए व्यक्तिगत तथा समूह एक्सपोजर मानदंडों को और बढ़ाना समुचित नहीं होगा क्योंकि इन्हें पहले ही शिथिल किए गए हैं। आगे, अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण अथवा अन्य नवोन्मेषी कर्ज प्रोत्साहन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए ताकि दीर्घावधि निधियों की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके।

1.38 भारत के बैंकों ने भी जोखिम पूंजी निधि तथा बुनियादी ढांचा निधि जैसे निधियों के निजी स्त्रोतों को प्रायोजित करने तथा उनके प्रबंधन में रुचि दिखाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2010 में बैंकों द्वारा इस प्रकार के तुलनपत्र से इतर कार्यों को प्रारंभ करके उनका प्रबंधन करने के संबंध में विवेकपूर्ण मुद्दों पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2010 में रिज़र्व बैंक ने बंदरगाह, हवाई-पत्तन, पूल सहित सड़क तथा पावर क्षेत्रों द्वारा नई परियोजनाओं के विकास हेतु देशी बैंकों से लिए गए रुपया मुद्रा ऋणों के पुनर्वित्त हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत टेक-आउट वित्तपोषण व्यवस्था की अनुमति दी।

1.39 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2010 में हितधारकों से प्रतिसूचना प्राप्त करने हेतु क्रेडिट चूक स्वैप(सीडीएस) के दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। सीडीएस के लागू हो जाने से बैंकों को एकल उधारकर्ता सकल एक्सपोजर सीमा संबंधी वर्तमान के विनियामक निर्धारण से प्रभावित हुए बिना ऋण का विस्तार करते हुए तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों तथा बड़े फर्मों को कर्ज प्रदान करते हुए अपने एक्सपोजर का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। कंपनियों की दीर्घावधि जरूरतों के निधीयन से विकसित हो रहे कंपनी ऋण बाजार के विकास में मदद मिलेगी। इस बाजार के विकास हेतु रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2010 से कंपनी बांडों में रिपो की अनुमति दी।

उधार का पुनर्गठन

1.40 अल्पावधि में अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन हेतु उधार के पुनर्गठन का सहारा ऐसे क्रेडिट पात्रता वाले उधारकर्ताओं के संबंध में लिया जाता है जो अप्रत्याशित तथा प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। बैंकों द्वारा 2009 में किए गए उधार खातों के पुनर्गठन से हानि की जोखिम उत्पन्न हो सकती है जो ब्याज दर में कमी के कारण तथा / अथवा मूल राशि के भुगतान के पुन:सूचीकरण के कारण अग्रिमों के उचित मूल्य में होने वाली आरंभिक कमी के अतिरिक्त होगी। तथापि, देशी तथा वैश्विक आर्थिक स्थिति में हुए सुधार से भविष्य में होने वाली हानियों को सीमित करने में मदद मिलेगी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों की सुदृढ़ता को बढ़ाने तथा वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की दृष्टि से दिसम्बर 2009 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि चल प्रावधान सहित उनका कुल प्रावधान कवरेज अनुपात 70 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि, प्रावधान संबंधी मानदण्ड आस्तियों की हानियों के लिए कुशन का कार्य करते हैं, तथापि इससे बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है

1.41 सभी वित्तीय संस्थाओं के समुचित रूप से कार्य करने के लिए चलनिधि का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। सुदृढ़ चलनिधि प्रबंधन में आर्थिक, विनियामक अथवा अन्य परिचालनात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि आयोजना की एक प्रक्रिया द्वारा समर्थित आस्तियों और देयताओं (तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्रेतर) का विवेकपूर्ण प्रबंधन शामिल है। बैंकों को विशेष रूप से स्थिर खुदरा जमाराशियों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें बनाए रखने के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन की एक सुदृढ़ योजना स्थापित करनी होगी।

1.42 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन बैंकों के प्रमुख कारोबारी उद्देश्यों में से एक है जिसके लिए दिए गए उधारों का समुचित मूल्यांकन, उनकी निगरानी तथा प्रबंधन आवश्यक है। 2009-10 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि हुई। इसके अलावा आस्तियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आयी है, जैसा कि बैंकों के 2009-10 की एनपीए प्रोफाइल में संदिग्ध तथा हानि वाली आस्तियों के अनुपात में हुई वृद्धि से ज्ञात होता है। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए मध्यावधि तथा दीर्घावधि में वित्तीय तनाव के लक्षण चिंता के महत्वपूर्ण विषय हैं।

ब्याज दरें

1.43 आशा है कि 1 जुलाई 2010 से प्रारंभ की गयी कर्ज के मूल्यन की आधार दर प्रणाली से कर्ज मूल्यन की पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। चूंकि उधार दरें तय करने के लिए बैंकों को अधिक छूट दी

गयी है, अतः उदारीकृत प्रणाली में उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करना होगा। जहां उधार दरों में कम बदलाव की प्रवृत्ति रही है, यह आशा की जाती है कि आधार दर प्रणाली से, जो कि निधि की लागत से जुड़ी है, अधिक लचीलापन आएगा तथा मौद्रिक संचरण के ब्याज दर तथा कर्ज के दोनों चैनलों को सुदृढ़ करेगा। रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों में की गयी वृद्धि से संकेत लेते हुए दिसंबर 2009 से जमाराशियों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। आगे चलकर बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसी ब्याज दरों पर जमाराशि संग्रहण पर ध्यान देंगे जो खुदरा जमाराशि को बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रतिभूतिकरण

1.44 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2006 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में प्रवर्तक को प्रतिभूतिकरण के समय पहले ही लाभ कमाने की मनाही है। दो अन्य विशेषताएं हैं जो ऋण में की गयी वृद्धि पर न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूंजी बनाए रखने तथा कर्ज-वर्धित लेनदेनों की अवधि के दौरान ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी न करने से संबंधित हैं। इस प्रकार, भारत में अनियंत्रित प्रतिभूतिकरण हेतु प्रोत्साहन नहीं है जैसा कि अन्य देशों के 'ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट' तथा 'एक्वायर एंड आर्बिट्रेज' मॉडलों में देखा गया है। वित्तीय संकट के अंतरराष्ट्रीय अनुभव, विशेष रूप से प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्र से इतर लीवरेजिंग के जरिए जोखिमों की अत्यधिक वृद्धि को रोकने में विनियमों की असमर्थता के आलोक में रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए क्रमशः अप्रैल 2010 तथा जून 2010 में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया ताकि उसपर टिप्पणी प्राप्त की जा सके। दिशानिर्देशों के प्रारूप में शामिल दो महत्वपूर्ण विशेषताओं में विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को आस्ति की बिक्री करने से पहले न्यूनतम धारिता अवधि का निर्धारण तथा प्रतिभूतिकरण से पहले कर्ज के एक न्यूनतम हिस्से का धारण करना शामिल है।

लेखाविधि मानक

1.45 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए समुचित रूप से तैयार की गयी लेखाविधि प्रथाओं का होना आवश्यक है। तदनुसार, सुदृढ़ विनियमन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधी जी-20 समूह ने सिफारिश की है कि लेखाविधि मानक निर्धारकों तथा विवेकपूर्ण पर्यवेक्षकों को मिलकर ऐसे समाधानों की पहचान करनी चाहिए जो वित्तीय स्थिरता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के समर्थनकारी लक्ष्य के अनुरूप हों। 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गयी है कि भारतीय लेखाविधि मानकों (आइएएस) का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आइएफआरएस) के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 1 अप्रैल 2013 की स्थिति का अपना प्रारंभिक तुलनपत्र आइएएस की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तित करना होगा जो आइएफआरएस का अनुपालन करता हो। आइएफआरएस की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण बैंकों के लिए एक चुनौती होगा। वर्तमान में अनुसरण किए जा रहे लेखाविधि सिद्धांतों अर्थात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से आइएफआरएस द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की ओर अग्रसर होने का बैंकों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से ऋण हानियों के प्रावधान तथा निवेशों की हानि जैसे उन क्षेत्रों में इसका असर काफी होगा जहां उच्च स्तर के सुविचारित निर्णय तथा अगोचर निविष्टियों तथा अवधारणाओं का व्यापक उपयोग जरूरी हो। इसके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन की जरूरत होगी। विशेष रूप से रिज़र्व बैंक के लेखाविधि नियमों के अंतर्गत जहां ऋण हानियों का प्रावधान प्रावधानन दर पर पारम्परिक तरीके से किया जाता है, वहीं इसके विपरीत आइएफआरएस के अंतर्गत प्रत्याशित हानियों का उचित तथा पूर्व आकलन एवं ऋण हानियों के लिए पूर्व प्रावधान की आवश्यकता होती है।

1.46 तथापि, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के संबंध में निवल मालियत के आकार के अनुसार अनुसूची के चरणबद्ध कार्यान्वयन को उचित समझा गया। एकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि बैंक तथा अन्य संस्थाएं अपने कौशल, प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं का उन्नयन करने हेतु उचित उपाय करेंगे ताकि आइएफआरएस की जटिलताओं तथा चुनौतियों का प्रबंधन किया जा सके।

वित्तीय समावेशन

1.47 वित्तीय समावेशन को सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और यह नीतिगत एजेंडा का एक केंद्रीय हिस्सा है जिसे विशेष रूप से प्रौद्योगिकीय समाधानों के प्रभावी उपयोग द्वारा उचित लागत पर आगे बढ़ाया जाना है। गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उन्हें अपनी बचत को बढ़ाने, कर्ज प्राप्त करने, निवेश करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में समर्थ बनाता है। विशेष रूप से ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्रों में ऐसी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए, जो लोगों के लिए किफायती हो, एक साथ कई सारे उपायों का सहारा लिया गया है जिनमें विनियामक निदेश, कम लागत वाला प्रौद्योगिकीय समाधान तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रोत्साहन एवं नैतिक आग्रह शामिल हैं।

1.48 देश के 600,000 आबादी समूह में से केवल 5 प्रतिशत के पास वाणिज्य बैंक की एक शाखा है। देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते हैं और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में यह अनुपात और कम हो जाता है। 13 प्रतिशत लोगों के पास डेबिट कार्ड हैं तथा केवल 2 प्रतिशत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। जैसा कि अध्याय IV में चर्चा की गई है, ओईसीडी के देशों तथा एशिया के चुनिंदा समकक्ष देश समूह की तुलना में वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भारत का स्थान नीचे है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में नई संभावनाओं का ऐसे किफायती प्रौद्योगिकीय समाधानों तथा उपयुक्त कारोबारी मॉडलों का उपयोग करके लाभ उठाया जाना चाहिए कि कम राशि के लेनदेन भी अर्थक्षम हो सके।

1.49 रिज़र्व बैंक के प्लैटिनम जयंती वर्ष के दौरान 2009-10 की मुख्य कार्य-योजना विस्तार कार्यक्रम थी जिसका केंद्र बिंदु वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय शिक्षण थी। रिज़र्व बैंक ने दूर-दराज के 160 बैंक सुविधा रहित गांवों का शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु चुनाव किया जिनके हरेक परिवार को कम-से-कम एक कर्ज सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही वहां प्रभावी शिकायत निवारण तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु तंत्र होगा।

वित्तीय स्थिरता

1.50 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना भारत की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में से एक है। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 में अपनी पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जिसका निष्कर्ष था कि वैश्विक वित्तीय संकट से भारत अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ, क्योंकि यहां की सुदृढ़ विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र की आघात-सहनीयता को सुनिश्चित किया था। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता के निरंतर आधार पर आकलन के लिए बाजार संकेतकों पर आधारित एक वित्तीय तनाव संकेतक का विकास किया गया है।

1.51 भारत में वित्तीय संस्थाएं बीमा, प्रतिभूति तथा उधार देने, पट्टादायी तथा किराया खरीद आदि जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के रूप में विभाजित हैं। रिज़र्व बैंक ने अत्यधिक लीवरेज अथवा डबल गियरिंग, विनियामक अंतरपणन, 'इतने बड़े कि इन्हें फेल होने नहीं दिया जा सकता' श्रेणी की संस्थाओं से जुड़ी नैतिक जोखिम, तथा कंपनी समूह की विफलता के जरिए संक्रमण के विस्तार संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु एक निगरानी प्रणाली की स्थापना की है। वित्तीय संगुटों के उन्नत पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचा पहले से उपलब्ध है, परंतु एसआइएफआइ के लिए समुचित नीतिगत ढांचे के उभरकर आने को ध्यान में रखते हुए इसे परिष्कृत करने की जरूरत है। विशेष रूप से, जहां एसआइएफआइ की स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है वहीं अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में विवेकाधिकारपूर्ण निर्णयों को रोकने के लिए विनियामक प्रावधानों में समुचित रूप से बदलाव किए जाने चाहिए। एसआइएफआइ को 'लिविंग विल' को पूरा करना होगा तथा आकस्मिक निधीयन तथा जोखिम कम करने के उपायों के संबंध में अग्रिम रूप में योजनाएं बनाने की जरूरत होगी। बैंकों की अपने देश की सीमाओं से बाहर बढ़ती उपस्थिति विद्यमान विधिक ढांचे के अंतर्गत जानकारी के आदान-प्रदान सहित प्रभावी सीमा पार पर्यवेक्षण की अपेक्षा रखती है।

1.52 वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में अंतर-संबद्धता तथा प्रणालीगत जोखिम संबंधी चिंता के मुद्दे उभरकर आए हैं। इस संबंध में, 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद(एफएसडीसी) की स्थापना का लक्ष्य वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता हेतु संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। जहां सरकार तथा वित्तीय विनियामकों के बीच समन्वय का होना जरूरी है वहीं विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों के बीच उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण भी होना चाहिए, जिससे निर्धारित क्षेत्र में संकट से बचाव के उपाय शीघ्रता से तथा

प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी। वैश्विक संकट के बाद विश्व भर में प्रणालीगत निगरानी तथा समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन दोनों के लिए केंद्रीय बैंक पर अधिक दायित्व सौंपने के पक्ष में क्रमशः माहौल बन रहा है। अन्य विनियामकों की तुलना में केंद्रीय बैंक को अधिक उत्तरदायित्व दिया जाना अपेक्षित कार्य करने में उसके सामर्थ्य की वजह से है। तथापि, इस प्रकार के दायित्वों के प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वतंत्रता और स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। इस संदर्भ में, प्रतिभूति और बीमा नियम(संशोधन और वैधीकरण) बिल 2010 के हाल के अधिनियमन ने कतिपय चिंताओं को जन्म दिया है। बिल के अंतर्गत परिकल्पित व्यवस्था को परिचालनात्मक रूप देते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विनियामकों की स्वायत्तता से कोई समझौता न हो चाहे वह वस्तुतः हो अथवा वैचारिक।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

1.53 भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखते हुए कौशल तथा लाभप्रदता में वृद्धि करना है। इन लक्ष्यों के अनुरूप अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ने अब तक कई कार्यों को आगे बढ़ाया है जिनमें विदेशी बैंकों की सहभागिता, बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण, शाखा प्राधिकरण नीति का उदारीकरण, वित्तीय समावेशन हेतु नवोन्मेषी नीतिगत उपायों का अंगीकरण तथा प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण उपायों को लागू करना शामिल हैं। आगे चलकर, वित्तीय क्षेत्र सुधार का फोकस बैंक समेकन, बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय क्षेत्र के अन्य घटकों के साथ आपसी संबद्धता से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम की रोकथाम और विदेशी बैंकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए भावी मार्ग के निर्धारण पर होगा। विदेशी बैंकों की सहभागिता संबंधी भावी मार्ग के बारे में समीक्षा 2009 में की जानी थी, परंतु वित्तीय संकट के कारण इसे स्थगित रखा गया। भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के तौर-तरीकों के बारे में एक चर्चा पत्र तैयार किया जा रहा है।

4. निष्कर्ष

1.54 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सामना की गई समस्याओं के बाद विश्व भर की वित्तीय प्रणाली का विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढांचा रूपात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस संबंध में पहुपक्षीय तथा मानक निर्धारक संस्थाएं, जैसे कि जी-20, आइएमएफ, बीआइएस तथा एफएसबी, इस प्रकार के संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्नत विनियामक ढांचे की डिजाइन करने में सबसे आगे रहे हैं। विशेष रूप से, बीसीबीएस द्वारा सितंबर 2010 में घोषित उन्नत बासेल II पूंजी व्यवस्था का यहां उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि, इस व्यवस्था से अल्पावधि में प्रतिकूल समष्टि आर्थिक असर हो सकता है, आशा है कि इससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि होगी जिसका परिणाम सुदृढ़ वृद्धि हेतु दीर्घावधि लाभ के रूप में मिलेगा। भारत में रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से संकेत ग्रहण करते हुए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु कई उपाय कर रहा है। आशा है कि जहां आधार दर प्रणाली की शुरुआत करने जैसे महत्वपूर्ण विनियामक उपायों से ऋण उत्पादों का पारदर्शी व प्रभावी मूल्यन हो सकेगा, वहीं नये बैंक खोलने की अनुमति अनुमति देने के विचार से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और वित्तीय समावेशन की गति तेज होगी। प्रौद्योगिकीय पहलों से बैंक रहित क्षेत्रों में कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन का कार्य, विशेष रूप से पुन:संरचित अग्रिमों की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना के कारण, चिंता का विषय बना हुआ है। आगे चलकर, बैंकों के लिए चलनिधि के प्रबंधन का कार्य महत्वपूर्ण होगा क्योंकि समष्टि आर्थिक गतिविधियों से मौद्रिक नीतिगत रुख निर्देशित होता है।

अध्याय-II

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां

वैश्विक बैंकिंग उद्योग ने 2008-09 में वैश्विक संकट की पृष्ठभूमि में व्यापक आय हानि और अवलेखनों की हलचलयुक्त अवधि के बाद 2009-10 के दौरान कार्यनिष्पादन में कुछ सुधार दर्शाया। यद्यपि, व्यापक पैमाने के मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों से आर्थिक रिकवरी आई और इक्विटी बाजारों में सुधार से वैश्विक बैंकिंग उद्योग को पूंजी और चलनिधि मजबूत करने और लाभप्रदता सुधारने में सहायता मिली, पर इसके बावजूद, बैंकों की आस्तियों और लाभप्रदता के संबंध में वैश्विक बैंकिंग उद्योग में अधोमुखी जोखिम संबंधी विभिन्न चिंताएं बनी रहीं। विस्तारित बासेल II ढांचे के तहत उच्च पूंजी प्रभार प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्रों में ,वैश्विक बैंकिंग उद्योग को आगामी वर्षों में पुन:पूंजीकरण का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि निजी क्षेत्र का निधीयन अवधिपूर्ण हो रहा है और असाधारण सरकारी समर्थन वापस लिया जा रहा है।

1. परिचय

2.1 वैश्विक बैंकिंग उद्योग ने 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण व्यापक आय हानि और अवलेखनों के संदर्भ में भारी हानि के बाद 2009 के दौरान कार्यनिष्पादन में कुछ सुधार दर्शाया। वैश्विक संकट के बाद हुआ एक प्रमुख सकारात्मक कार्य यह था कि 2010 के प्रथम तीन महीनों के दौरान वैश्विक बैंकिंग उद्योग के अंतरराष्ट्रीय दावे 2008 की तीसरी तिमाही के बाद पहली बार बढ़े थे। जहां केंद्रीय बैंकों और राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों ने बैंकिंग उद्योग को पूंजी और चलनिधि की स्थिति सुधारने में मदद की, वहीं 2009 की पहली छमाही में आर्थिक सुधार के बाद आस्ति-मूल्यों में हुई वृद्धि से बैंकिंग उद्योग को लाभप्रदता की स्थिति में आने में सहायता मिली। किंतु, लाभ की गुणवत्ता के संबंध में चिंता बनी रही जो कि मुद्रा-व्यापार और स्थिर-आय लिखतों से प्रेरित थी।

2.2 वैश्विक बैंकिंग कारोबार उसकी संकट के समय की स्थिति से काफी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद, जोखिम-मुक्ति के लिए पूंजी के लिए और सामान्य उधार लेने और उधार देने के परिचालन में शामिल होने के लिए व्यापक राशि जुटाने की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। आइएमएफ की विश्व आर्थिक संभावना (डब्ल्यूईओ), जुलाई 2010 के अनुसार, अनुमानित उधार हानि में कमी आने के बावजूद, भावी चूकों की आशंका संबंधी अनिश्चितता संदेह उत्पन्न करती है कि उधार हानि समाप्त हो गई है या नहीं। आगे बढ़ते हुए, निधीयन पक्ष पर दबाव डिलीवरेजिंग के कारण बैंक उधार को बाधित कर सकते हैं जिससे पूंजी और चलनिधि बफर को सुदृढ़ करने की जरूरत रेखांकित होती है। 2009 में वैश्विक बैंकिंग उद्योग की आय में देखी गई वृद्धि सरकारी ऋण संकट के यूरो क्षेत्र तक फैलने से और बैंकों की आय का प्रभावित होना जारी रहने के भय के परिणामस्वरूप 2010 की दूसरी तिमाही में रुक गई।

2.3 बैंक ऑफ इंग्लैड वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर), जून 2010 के अनुसार, निजी क्षेत्र का निधीयन अवधिपूर्ण होने और असाधारण सार्वजनिक समर्थन वापस लिए जाने के कारण आगामी वर्षों में बैंक व्यापक पुन:पूंजीकरण की चुनौतियों का सामना करेंगे। वैश्विक रूप से, अनुमान है कि बैंकों के पास अगले तीन वर्षों में अवधिपूर्ण हो रही मध्य से दीर्घावधि की कम-से-कम 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की निधि है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) की वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 के अनुसार, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली भावी हानियों के प्रति भेद्य है और निधीयन बाजारों में विचलन से रुख प्रतिकूल होने की स्थिति में पुनर्वित्तीयन माध्यमों में रुकावट आ सकती है। उसी समय, विस्तारित बासेल II पूंजी व्यवस्था के संबंध में विचारित समवर्ती सुधार और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे अन्य विनियामक कदमों का भी बैंकिंग उद्योग पर प्रभाव होगा जिसमें चलनिधि और उधारकर्ताओं के

लिए महंगे कर्ज़ में कमी आएगी। इन सुधारों के प्रभावों का विनिर्णय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया गया है जो कि छोड़ दी गई उत्पादन वृद्धि के विभिन्न अनुमान देते हैं (आइआइएफ, 2010; बीआइएस, 2010)।

2.4 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में बैंकिंग प्रणाली संकट के दौरान आघात-सहनीय बनी रही जिसका अपवाद व्यापार और वित्तीय चैनलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव था जिससे निर्यात मांग कम हो जाने और विदेशी वित्तीयन की संभावनाएं कम हो जाने से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई। संकट का प्रभाव क्रमश: कम हो जाने से ईएमई में तेजी से सुधार हुआ और वृद्धि में फिर से तेजी आ गई और वैश्विक मांग को सहारा मिला। ईएमई में पूंजी अंतर्वाह पुन: शुरू हो गए जिससे 2009 के प्रारंभ से इक्विटी बाजारों में काफी सुधार हुआ। अधिकांश ईएमई में बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीबद्ध और लाभदायक बनी रही।

2.5 भारत में, आर्थिक सुधार को रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न मौद्रिक नीतिगत उपायों और सरकार के राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों, जिनका उद्देश्य कुल मांग को प्रेरित करना था, से मजबूती मिली। किंतु, आगे यह दिखता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार दुर्बलता से अधोमुखी जोखिम, विशेष रूप से व्यापार और वित्तीयन चैनलों पर विपरीत प्रभाव के माध्यम से, सामने आती है।

2. वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

2.6 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2009 में 0.6 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2010 की पहली छमाही के दौरान काफी सुधार हुआ। आइएमएफ (डब्ल्यूईओ, अक्तूबर 2010) ने 2010 के लिए वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को अप्रैल 2010 के 4.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत और जुलाई 2010 में 4.6 प्रतिशत किया और 2011 के लिए 4.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया जिसमें 2010 की दूसरी छमाही और 2011 की पहली छमाही के दौरान अस्थायी मंदी रहेगी (सारणी II.1)। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। आइएमएफ के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद, अधोमुखी जोखिम बढ़ी हुई ही है क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं और कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाएं अभी भी प्रमुख समायोजनों का सामना कर रही हैं जिसमें घरेलू तुलनपत्रों को मजबूत करने, उच्च सरकारी ऋण को स्थिर करने और बाद में कम करने तथा उनके वित्तीय क्षेत्रों को दुरुस्त करने और सुधारने की आवश्यकता शामिल है। इनमें से अनेक अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय क्षेत्र आघातों के प्रति अभी भी संवेदनशील हैं और नीतिगत प्रोत्साहन समाप्त होने के कारण वृद्धि कम हो रही है। अधिक सामान्य रूप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिर और मजबूत सुधार दो पुन:संतुलनकारी कार्यों पर निर्भर करता है: राजकोषीय समेकन को अनुमति देते हुए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निजी मांग को सुदृढ़ करके आंतरिक पुन:संतुलन तथा घाटे वाले देशों में निवल निर्यात में वृद्धि और अधिशेष देशों में, विशेष रूप से उभरते एशिया में, निवल निर्यात में कमी के जरिए बाह्य पुन:संतुलन। इन पुन:संतुलन कार्यों की सहायता के लिए अनेक नीतियों की आवश्यकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय क्षेत्र की दुरुस्ती और सुधार आवश्यक है ताकि सुदृढ़ कर्ज़ वृद्धि की बहाली हो सके और राजकोषीय समायोजन 2011 में शुरू होना जरूरी है जिसमें राजकोषीय नीतिगत प्रयासों के लिए नई संभावनाएं तैयार करने के लिए भावी बजट घाटा कम करने की विशिष्ट योजनाएं होंगी। ईएमई में नीतियों द्वारा वृद्धि के देशी स्रोतों को और विकसित करके, ढांचागत सुधारों और कुछ मामलों में विनिमय दर में अधिक लोच के माध्यम से वैश्विक मांग को पुन:संतुलित किए जाने में मदद मिलनी चाहिए।

3. वैश्विक वित्तीय बाजार

2.7 मौद्रिक स्थिति सुगम बनी रही, जिसमें केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर अपेक्षाएं निम्न स्तर पर बनी रहीं। अप्रैल 2010 तक, उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों ने अच्छा सुधार दर्शाया। अंतर-बैंक उधार दर और विकासशील देशों की बांड-स्प्रेड लगभग सामान्य स्तर पर लौट आई। उच्च आय और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में शेयर

सारणी II.1: वैश्विक आर्थिक संभावना (डब्ल्यूईओ) के पूर्वानुमानों का विहंगावलोकन

(प्रतिशत)

	साल-दर-साल					ति4 की तुलना में ति4		
	वास्तविक	पूर्वानुमान (अक्तूबर 2010)		जुलाई 2010 के डब्ल्यूईओ पूर्वानुमान से अंतर		अनुमान	पूर्वानुमान	
	2009	2010	2011	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वैश्विक उत्पादन [1]	**-0.6**	**4.8**	**4.2**	**0.2**	**-0.1**	**2.0**	**4.3**	**4.4**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	**-3.2**	**2.7**	**2.2**	**0.1**	**-0.2**	**-0.4**	**2.4**	**2.5**
अमरीका	-2.6	2.6	2.3	**-0.7**	**-0.6**	0.2	2.2	2.7
यूरो क्षेत्र	-4.1	1.7	1.5	**0.7**	**0.2**	-2.0	1.9	1.4
इंग्लैंड	-4.9	1.7	2.0	**0.5**	**-0.1**	-2.9	2.8	1.6
अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-1.2	5.4	3.7	**0.8**	**0.0**	3.2	4.2	4.7
नई औद्योगीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाएं	-0.9	7.8	4.5	**1.1**	**-0.2**	6.1	5.2	6.6
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं[2]	**2.5**	**7.1**	**6.4**	**0.3**	**0.0**	**5.6**	**7.0**	**7.0**
मध्य और पूर्वी यूरोप	-3.6	3.7	3.1	**0.5**	**-0.3**	1.8	2.9	4.3
ब्राजील	-0.2	7.5	4.1	**0.4**	**-0.1**	4.4	5.6	4.5
रूस	-7.9	4.0	4.3	**-0.3**	**0.2**	-2.9	3.2	5.0
भारत	5.7	9.7	8.4	**0.3**	**0.0**	7.3	10.3	7.9
चीन	9.1	10.5	9.6	**0.0**	**0.0**	11.4	9.9	9.6
एशियन-5[3]	1.7	6.6	5.4	**0.2**	**-0.1**	5.1	5.0	6.8
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	2.0	4.1	5.1	**-0.4**	**0.2**	...	...	...
मेक्सिको	-6.5	5.0	3.9	**0.5**	**-0.5**	-2.3	3.1	4.5

'...' : अनुपलब्ध

टिप्पणी: 1. तिमाही अनुमान और पूर्वानुमान वैश्विक क्रय-शक्ति-समता भारांक के 90 प्रतिशत हैं।
2. तिमाही अनुमान और पूर्वानुमान उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लगभग 79 प्रतिशत हैं।
3. इंडोनेशिया,मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैंड और वियतनाम।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2010), वैश्विक आर्थिक संभावना अपडेट, अक्तूबर।

बाजारों ने हानि का अधिकतर भाग कवर कर लिया और अधिकांश विकासशील देशों की मुद्राओं ने डॉलर के प्रति उनका संकट-पूर्व स्तर प्राप्त कर लिया, जिनमें से कुछ में मूल्यवृद्धि भी हुई थी। जहां अत्यधिक बाजार तनाव कम हो गए, वहीं बाजार विश्वास 2010 के मध्य तक कम हो गया क्योंकि सरकारी ऋण संकट के कारण नवींकृत निधीयन बाधाएं उभरी थीं। आइएमएफ का एकीकृत अस्थिरता सूचकांक, जिसमें विभिन्न शेयर बाजारों के सूचकांकों पर ऑप्शन, ब्याज दर और विनिमय दर से आई निहित अस्थिरता शामिल होती है, मई 2010 में तेजी से बढ़ गया। जुलाई 2010 तक, बाजार तनाव कुछ कम हो गया था और अमरीकी खजाना, जर्मन बांड जैसी सुरक्षित आस्तियों और सोने का मूल्य बढ़ गया जिससे मुद्रा बाजार में मात्रा कम हो गई। 2010 के शुरुआती भाग में यूरो क्षेत्र में सरकारी जोखिम की गहनता ने भी मई 2010 के अंत तक कुछ कमी के चिह्न दिखाए जिसमें यूरोपीय स्थिरता निधि और ईसीबी के चलनिधि सहायता कार्यक्रम की घोषणा शामिल थी। किंतु, स्पेन और इटली जैसे व्यापक रोलओवर की आवश्यकता वाले देशों की सरकारी स्प्रेड लगातार काफी ऊंचे स्तर पर बनी रही।

मुद्रा बाजार

2.8 जबकि 2008 में मुद्रा बाजार की मात्रा में गिरावट चलनिधि की जमाखोरी, और प्रतिपक्षी तथा संपार्श्विक चिंताओं के कारण हुई थी, वहीं 2009 के दौरान विश्व भर में केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा की गई अपूर्व नीतिगत कार्रवाई से निधीयन दबाव और प्रतिपक्षी चिंताएं कम होकर मुद्रा बाजार की स्थिति स्थिर करने में सफलता मिली। अंतर-बैंक बाजार 2010 की पहली तिमाही में सक्रिय हो गए जैसा कि लिबोर और ओवर नाइट इंडेक्स स्वैप के बीच स्प्रेड कम होने से पता

चार्ट II.1: वैश्विक मुद्रा बाजार

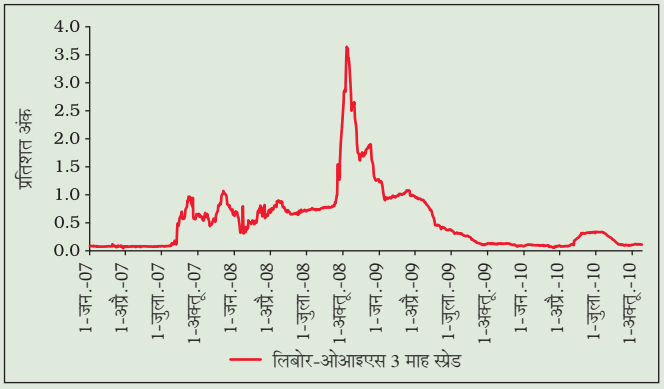

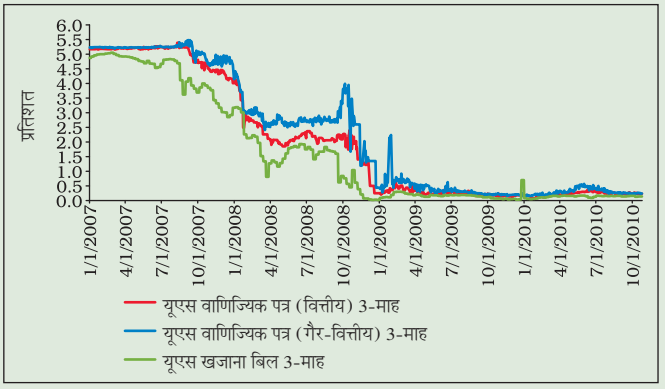

चला था (चार्ट II.1)। लगातार मात्रात्मक कर्ज़-सुगमता, चलनिधि सहायक उपाय और सरकारी गारंटीयुक्त निधीयन कार्यक्रमों ने अल्पावधि मुद्रा बाजारों के कार्यों में सुधार के लिए सहायता की और प्रतिभूतिकृत बाजार में कुछ सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, पहले देखी गई स्प्रेड की तेज कड़ाई को उलटते हुए मौद्रिक और वित्तीय स्थिति सुगम हुई। इसके साथ-साथ, आस्ति-मूल्यों में आस्ति श्रेणियों के दायरे में लगातार सुधार होने से बाजार और चलनिधि की जोखिमें भी कम हो गई थीं। लिबोर-ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआइएस) स्प्रेड अप्रैल 2010 के अंत तक कम हो जाने के बावजूद, ऐसे संकेत दिख रहे थे कि मुद्रा बाजार अब तक सामान्य कार्य-स्थिति में नहीं आ पाया था। यह इस बात से स्पष्ट था कि लिबोर और यूरीबोर पैनल बैंकों के योगदान से उनके संबंधित बेंचमार्क संकट पूर्व स्थिति से अधिक विस्तारित बने हुए थे। बाद में, 2010 के मध्य के आसपास सरकारी ऋण संकट के विस्तार से बढ़ी हुई प्रतिपक्षी चिंताओं के कारण गंभीर अंतर-बैंक निधीयन तनाव उत्पन्न हुआ जिससे दीर्घावधि लिबोर-ओवर नाइट इंडेक्स स्वैप (ओआइएस) स्प्रेड बढ़ गया।

सरकारी स्प्रेड

2.9 व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन, वित्तीय बचाव पैकेज और कर राजस्व में गिरावट के संयुक्त प्रभाव से ऐतिहासिक व्यापक सरकारी बजट घाटा हुआ और अधिकांश औद्योगिक देशों में, विशेष रूप से यूरोजोन में वास्तविक और अनुमानित सरकारी ऋण के स्तर बढ़ गए। चिंताएं ग्रीस की राजकोषीय स्थिति पर केंद्रित हो गईं किंतु पुर्तगाल और स्पेन जैसे अन्य देशों तक फैल गईं जो उच्च राजकोषीय घाटे और स्पर्धात्मकता की कमी का सामना कर रहे थे। ग्रीक सरकारी बांड आय और सीडीएस स्प्रेड दिसंबर 2009 में बढ़ने लगे और अप्रैल 2010 के अंत में चरम पर पहुंच गई जब स्टैंडर्ड और पूअर्स ने ग्रीक ऋण का दर्जा घटाकर उसे 'जंक' स्टेटस प्रदान की। उसी सप्ताह में, उक्त एजेंसी ने पुर्तगाल और स्पेन संबंधी अपनी रेटिंग कम कर दी जिससे उनके सीडीएस स्प्रेड में तेज वृद्धि हुई। ऊंचे बांडों और सीडीएस स्प्रेड के प्रतिसाद में, ईयू और आइएमएफ ने 750 बिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त राजकोषीय स्थिरीकरण पैकेज की घोषणा की। इस घोषणा और ग्रीस, स्पेन तथा पुर्तगाल द्वारा प्रस्तावित किफायत के उपायों के कारण सरकारी बांड और सीडीएस स्प्रेड अपने ऊंचे स्तर से नीचे आ गए। अगस्त 2010 के अंत तक, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी कर्ज़ की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं फिर से उभरी प्रतीत हो रही हैं। कमजोर सरकारी बांडों के स्प्रेड उनके बेंचमार्क के प्रति उनके 7 मई 2010, अर्थात यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा की घोषणा से एक दिन पहले, के स्तर तक और स्पेन और आयरलैंड के मामले में रेकार्ड स्तर तक बढ़ गए (चार्ट II.2)।

इक्विटी बाजार

2.10 विकसित देशों और उभरते बाजारों के इक्विटी बाजार लगभग एक समान बढ़े जो अधिक एकात्मता दर्शाते हैं (चार्ट II.3)। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक

चार्ट II.2: यूरो क्षेत्र के संकट वाले देशों के सरकारी सीडीएस स्प्रेड

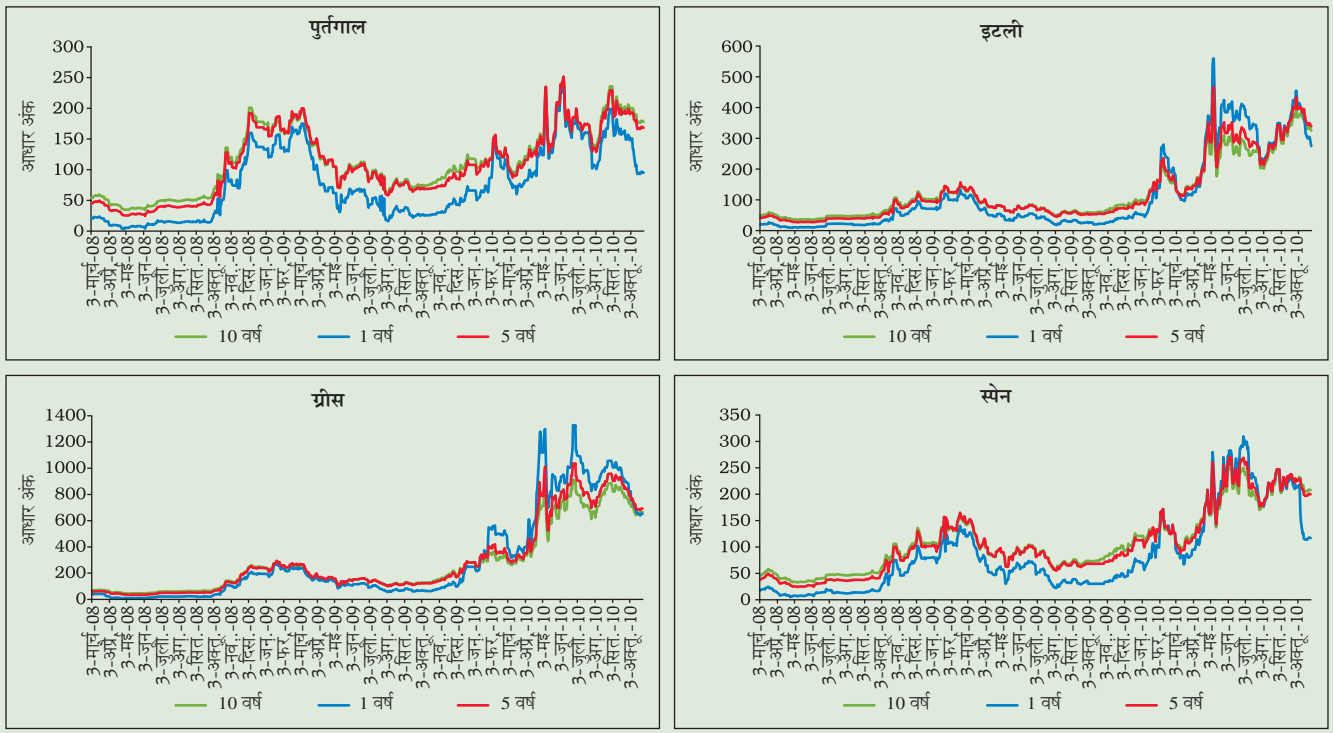

सुधार के पोषण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए असाधारण प्रोत्साहन उपायों से वैश्विक शेयर बाजारों को 2009 में हानियों की भरपाई करने में मदद मिली। किंतु, मार्च 2010 तक सामने आए सरकारी ऋण संकट की गहराई और प्रभाव दिखने से वैश्विक शेयर बाजारों में पुन: दुर्बलता आ गई। भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों ने आंतरिक मांग की शक्ति के बल पर आर्थिक संभावनाओं में तेज सुधार के परिणामस्वरूप 2010 की पहली छमाही के दौरान पूंजी अंतर्वाहों और शेयर मूल्यों में तेजी देखी। 2010 की पहली छमाही के अंत तक, विकसित विश्व में सरकारी संकट और आर्थिक सुधार में लगातार कमजोरी के प्रभाव से समग्र वैश्विक अधोप्रवृत्ति आई, हालांकि चुनिंदा बाजारों विशेष रूप से ईएमई में, अब भी मध्यवर्ती ऊर्ध्वप्रवृत्ति थी।

चार्ट II.3: वैश्विक शेयर बाजार

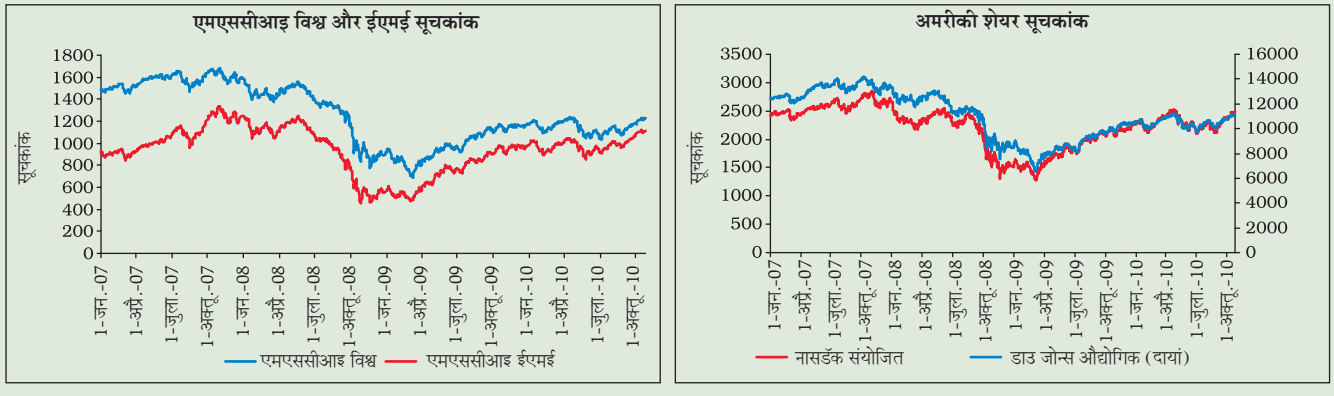

2.11 2009-10 में बैंकिंग शेयरों की प्रवृत्ति ने वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण की शक्ति और वित्तीय प्रणाली की चुनौतियां दर्शाई (चार्ट II.4)। यूरो क्षेत्र और अमरीका सहित उन्नत अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग शेयर अपनी संकट पूर्व की स्थिति पर नहीं पहुंच पाए। किंतु, ईएमई में और विशेष रूप से एशिया में, बैंक शेयरों ने मजबूत तुलन पत्रों और वृद्धि की संभावना के कारण तेज सुधार दर्शाया और वे संकट-पूर्व स्थिति के करीब पहुंच गए।

चार्ट II.4: वैश्विक बैंकिंग शेयर सूचकांक
(अमरीकी डॉलर में)

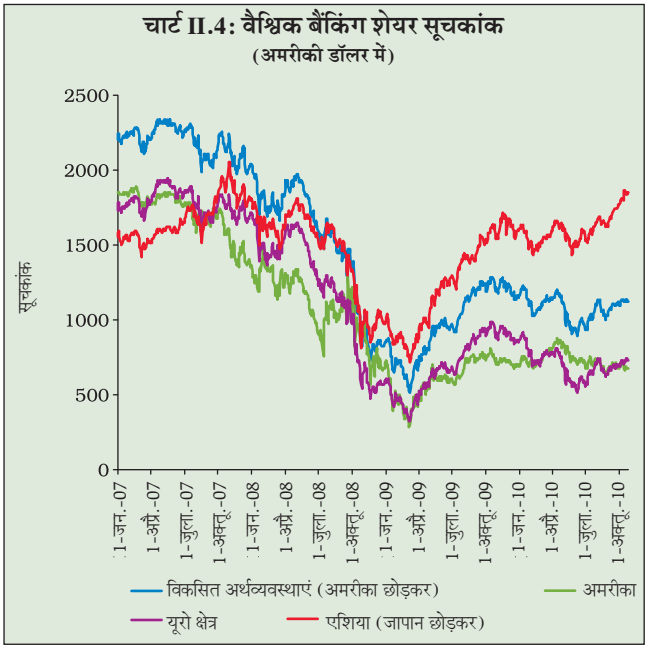

बैंक सीडीएस बाजार

2.12 औसत बैंक कर्ज़ चूक स्प्रेड अप्रैल 2009 के प्रारंभ में अमरीका, यूके और यूरो क्षेत्र के बैंकों के संबंध में तेजी से बढ़ी किंतु बाद में 2009 की अधिकतर अवधि के दौरान लगातार कम हुई (चार्ट II.5)। अमरीकी बैंकों के लिए सीडीएस स्प्रेड 2010 में लगातार कम बने रहे। यूरो क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सीडीएस स्प्रेड अप्रैल 2010 के आरंभ से तेजी से बढ़े जो सरकारी ऋण संकट यूरोप तक पहुंच जाने के प्रभाव संबंधी अनिश्चय और संकटयुक्त देशों में यूरो क्षेत्र के बैंकों के एक्सपोजर की पहचान होना दर्शाता है। सर्वाधिक प्रभाव उन बैंकों की कर्ज़ का स्प्रेड पर पड़ा जिनके मुख्यालय उन देशों में और विशेष रूप से ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन में थे जिनकी मानी हुई कर्ज़ क्षमता अत्यधिक प्रभावित हुई थी। भारत में, 2008 में दवाब में आए कुछ बैंकों के सीडीएस स्प्रेड ने 2009-10 के दौरान काफी कमी की प्रवृत्ति दर्शाई।

कर्ज़ बाजार

2.13 वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में, निजी क्षेत्र को बैंक कर्ज़ की वृद्धि में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई, सरकारी क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त उनके बाहर के प्रतिभूतिकरण बाजार कमजोर बने रहे और कम गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं की पहुंच पूंजी बाजार के निधीयन में बंद हो गई। अपारंपरिक नीतियों का लक्ष्य अंतिम उधारकर्ताओं को कर्ज़ देने को पुनरुज्जीवित करना होने के बावजूद, बैंक उधार सीमित बने रहे (सारणी II.2)। कर्ज़ और मात्रात्मक सुगमता की नीतियों के बावजूद, उधार दरों के प्रतिनिधित्व वाले वैश्विक वास्तविक निजी उधार और

चार्ट II.5: बैंकों का सीडीएस स्प्रेड

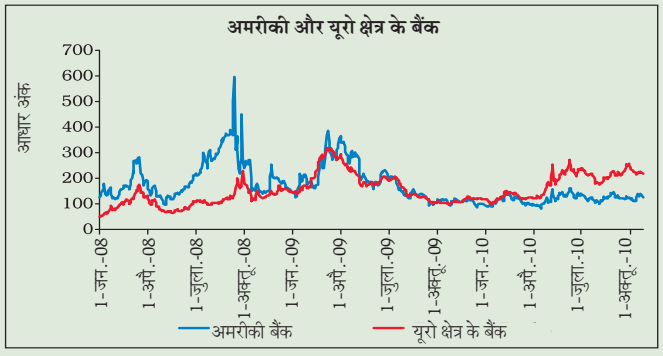

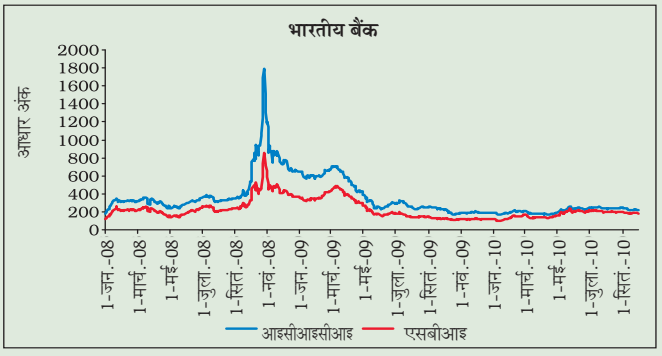

सारणी II.2: निजी क्षेत्र को बैंक उधार में वृद्धि

(प्रतिशत)

तिमाही	अमरीका	यूके	फ्रांस	जर्मनी	जापान	इटली	ग्रीस	स्पेन	चीन	रूस	ब्राजील	मेक्सिको	भारत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ति1 2007	11.8	13.0	10.0	0.5	1.0	12.9	16.8	24.0	16.3	51.0	34.4	29.1	25.7
ति2 2007	10.3	11.1	11.7	-0.5	0.7	12.3	20.6	22.4	17.6	53.2	33.7	28.4	23.3
ति3 2007	11.3	13.1	13.4	-0.8	0.7	10.6	15.2	20.2	19.5	54.5	40.9	30.5	20.1
ति4 2007	11.2	12.9	13.4	0.8	0.1	19.7	21.8	16.7	19.3	50.9	36.6	27.3	20.4
ति1 2008	12.4	12.2	13.8	1.4	1.2	18.4	26.1	14.3	17.7	49.9	33.8	18.8	21.6
ति2 2008	10.6	13.4	11.3	2.6	2.0	17.9	18.2	11.3	15.4	45.5	30.5	14.7	25.1
ति3 2008	8.2	12.0	8.5	4.2	1.8	18.1	13.1	8.6	14.1	41.3	27.5	6.1	24.5
ति4 2008	8.1	13.1	6.2	5.1	4.1	7.5	25.3	6.4	14.0	35.9	30.1	5.5	22.3
ति1 2009	3.3	13.7	2.5	4.7	3.6	7.6	9.6	4.0	23.6	29.3	18.2	8.6	16.7
ति2 2009	2.1	7.9	0.5	4.7	2.5	5.4	1.6	1.5	30.2	16.5	16.3	4.2	14.3
ति3 2009	-2.2	5.1	-1.0	1.9	1.6	2.5	-3.4	-0.1	32.1	8.3	7.7	4.7	11.9
ति4 2009	-7.8	2.8	-0.7	0.4	-1.2	2.3	-19.5	-1.6	33.1	1.9	5.3	-0.2	12.1
ति1 2010	-8.0	5.0	1.2	-1.2	-2.0	0.3	-15.8	-1.7	24.8	-1.1	8.5	-0.6	17.1
ति2 2010	-2.7	5.9		-1.2	-2.1	3.7	4.2	-0.6	20.1	5.9	14.9	3.0	

टिप्पणी : वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व की संबंधित तिमाही की तुलना में है।
स्रोत: डाटास्ट्रीम, आइएमएफ, आइएफएस।

आवास, उपभोक्ता और कंपनी कर्ज़ और प्रतिभूतियां, बकाया कर्ज़ के संबंधित हिस्से से भारांकित, अप्रैल 2009 से स्थिर बने रहे। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप, जिससे निजी क्षेत्र की जोखिम कम हो गई थी, से सरकारी क्षेत्र की ऋणग्रस्तता और राजकोषीय विफलता बढ़ गई। किंतु, अक्तूबर 2009 तक, बाजार और चलनिधि जोखिम कम हो गई क्योंकि अंतरबैंक बाजारों और निजी थोक निधीयन बाजारों के कुछ चैनल फिर से खुल गए थे और प्रणालीगत बिखराव की चिंताएं और आर्थिक विफलता कम हो जाने से बाजार अस्थिरता कम हो गई। वित्तीय संस्थाएं निधीयन के लिए सरकार पर पूर्णत: निर्भर नहीं थीं और वरिष्ठ गैर-जमानती कर्ज़ निधीयन जुटाने में समर्थ थीं। सुदृढ़ बैंकों को किसी भी प्रमुख मुद्रा में मध्यावधि से दीर्घावधि निधीयन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। किंतु, कुछ दुर्बल बैंक अंतरबैंक या पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाने में कम समर्थ थे, उनके लिए मात्र दंडात्मक दर थी।

2.14 आगे, कर्ज़ में सुधार का प्रतिसाद धीमा होगा क्योंकि बैंक अब भी अपने तुलन पत्रों को ठीक करने में लगे हुए थे। निजी कर्ज़ मांग में कुछ सुधार के चिह्न दिखने के बावजूद, सरकारी निधीयन में तेज वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि क्षमता बाधा को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय तेजी से किए जाएं। आगामी अवधि में निजी कर्ज़ में वृद्धि लगातार कमजोर बनी रह सकती है क्योंकि वित्तीयन बाधाओं और सरकारी मांग से उधार अतिभारित हो गए हैं। बैंकेतर वित्त बैंक वित्त का मात्र आंशिक विकल्प कोने के कारण सामान्यत: बैंक उधार पर निर्भर रहने वाले हाउसहोल्ड और एसएमई को कर्ज़ बाधा का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय बैंकों ने उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता की क्रमिक वापसी शुरू करने के कारण कर्ज़ की समग्र स्थिति कमजोर होने की आशंका है।

कंपनी बांड बाजार

2.15 कंपनी बांड बाजार 2010 में अपनी सामान्य कार्यस्थिति में लौटे (आइएमएफ, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) जुलाई 2010)। किंतु, बैंक कर्ज़ बाजार कड़ा हो जाने के कारण, कंपनी कर्ज़ और आस्ति समर्थित प्रतिभूति स्प्रेड कड़ी हो गई और बैंक कर्ज़ में कमी आने के कारण फर्मों द्वारा विकल्प ढूंढने के कारण निर्गम बढ़ गए। उच्च प्रतिफल वाले निर्गम भी बढ़े किंतु वे उच्च गुणवत्ता के कर्ज़ तक सीमित थे और स्प्रेड ऐतिहासिक रूप से व्यापक था। अल्पावधि ब्याज दरों और निजी उधार दरों के बीच का अंतर संकट की शुरुआत से अपने व्यापकतम स्तर पर होने के बावजूद, कंपनी ऋण और

प्रतिभूतियों की वैश्विक वास्तविक निजी उधार दरें वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में स्थिर हो जाने से निवेशक विश्वास में सुधार होने और प्रतिपक्षी जोखिम कम हो जाने से जोखिम लेने की तैयारी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी। किंतु, सरकारी ऋण के प्रसार की जोखिम, जिससे अप्रैल 2010 के दौरान बाजार अस्थिर हो गए थे, से कर्ज़ स्प्रेड का विस्तार गैर-वित्तीय कंपनी बांडों तक हो गया जिससे विशेष रूप से यूरोपीय फर्मों द्वारा बांड निर्गम लगभग बंद हो गया। 2010 की पहली छमाही के दौरान अमरीका में सुधार के चिह्न दिखने से, कंपनी बांड स्प्रेड कुछ कम हो गया (चार्ट II.6)। एशिया, लैटिन अमरीका,यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के उभरते बाजार के देशों में भी मई 2010 से कड़ी वित्तीय स्थिति देखी गई क्योंकि यूरो क्षेत्र में जोखिम बढ़ गई थी जिससे कंपनी बांडों और इक्विटी का निर्गम वास्तव में बंद हो गया था, हालांकि कुछ क्षेत्र अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित हुए थे। ये कड़ी स्थितियां जारी रहने से निजी फर्मों को कर्ज़ की उपलब्धता प्रभावित होनी शुरू हुई होती।

4. वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां

2.16 वैश्विक बैंकिंग उद्योग संबंधी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक गतिविधि यह थी कि 2008 की चौथी तिमाही में शुरू हुई बीआइएस सूचनादाता बैंकों के अंतरराष्ट्रीय तुलनपत्रों का संकुचन 2010 के पहले तीन महीनों के दौरान रुक गया (चार्ट II.7)। बीआइएस (तिमाही समीक्षा, सितंबर 2010) के अनुसार, सुधार यूके और अमरीका के निवासियों पर अंतरराष्ट्रीय दावों में काफी वृद्धि से प्रेरित था। इसे एशिया-पैसिफिक और लैटिन अमरीका तथा कैरिबियन,ऐसे पहले दो क्षेत्र जहां 2009 की दूसरी तिमाही में अंतरराष्ट्रीय उधार में सकारात्मक संकटोत्तर वृद्धि देखी गई थी, पर सीमा पारीय दावों में लगातार वृद्धि से भी सहायता मिली थी। यूरो क्षेत्रों और उभरते यूरोप पर दावे लगातार कम होते रहे। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों ने ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन के प्रति अपना एक्सपोजर बढ़ाया जो कि मुख्यत: बढ़ते तुलनपत्रेतर मदों का परिणाम था।

2.17 सामान्यत: सुधर चुकी आर्थिक स्थिति और लेहमन ब्रदर्स की विफलता के बाद संभलने की दीर्घावधि के बावजूद, यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण तनाव उभरने के कारण अप्रैल और मई 2010 में वैश्विक वित्तीय स्थिरता में बाधा उत्पन्न हुई। आइएमएफ ने संकेत दिया कि पीआइआइजीएस (पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन) देशों में अवधिपूर्ण हो रहे बांडों के लिए लगभग 300 बिलियन यूरो की व्यापक पुनर्वित्त की आवश्यकता में अन्य क्षेत्रों तक फैल जाने तथा अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालने की शक्ति है। इस प्रकार, पहले ही किए गए व्यापक राष्ट्रीय और उससे अधिक नीतिगत

चार्ट II.6: अमरीकी कंपनी और सरकारी बांड प्रतिफल

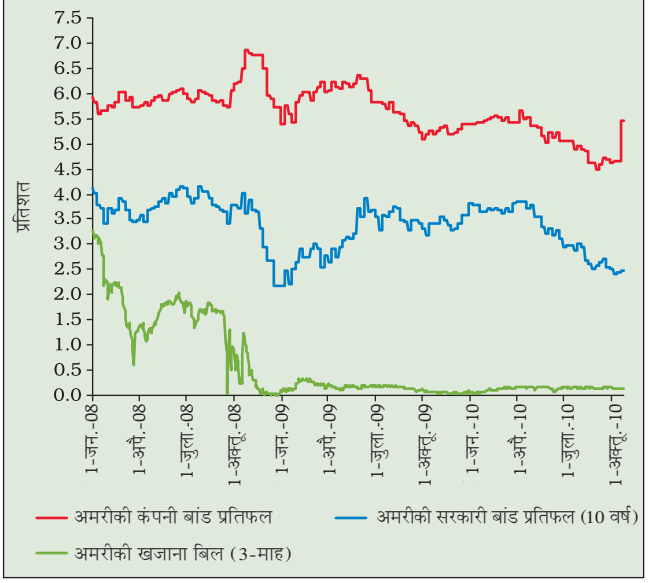

चार्ट II.7: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में परिवर्तन

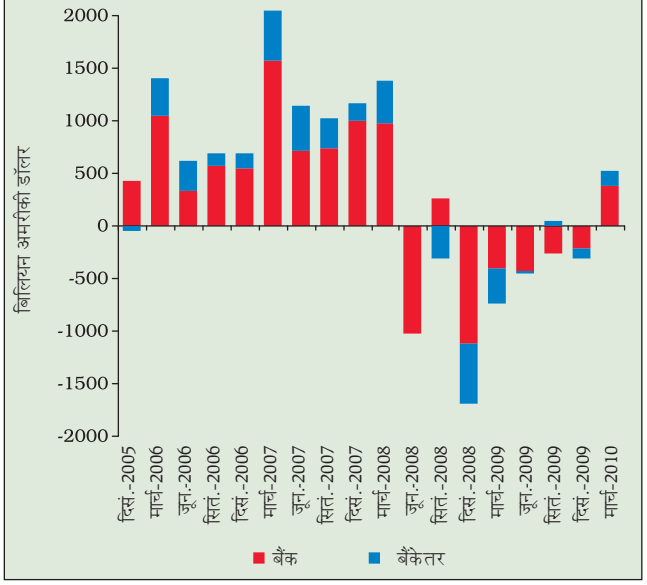

प्रतिसादों के और निर्णायक अनुपालन को मजबूत करना आवश्यक होगा ताकि वित्तीय प्रणाली में विश्वास भरा जा सके और आर्थिक सुधार की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। आगे बढ़ते हुए, पीआइआइजीएस में व्यापक रोलओवर की आवश्यकता से बांड बाजार पर अलंघनीय दबाव आ जाएगा क्योंकि तीसरी और चौथी तिमाही में शोधन के लिए देय हो रहे बांडों के लिए लगभग 4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के निधीयन की आवश्यकता अमरीका, यूके, जापान और यूरोझोन के सामने आ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि विशेष रूप से यूरोजोन के बैंकों को संविभागीय जोखिम संभालने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और संभाव्य अस्थिरता ने वित्तीय संस्थाओं के बांडों के प्राथमिक बाजार को पहले ही मंद कर दिया है।

2.18 बीआइएस वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 में उल्लेख किया गया है कि बैंकों द्वारा लाभप्रदता पर वापस पहुंचकर 2009 में अपना पूंजी अनुपात मजबूत किया गया (सारणी II.3)। किंतु, बैंकों के लाभ लगातार मुख्यतह निर्धारित आय और मुद्रा परिचालनों से प्राप्त कम गुणवत्ता के राजस्व पर निर्भर बने रहे। आगे, बैंकों को तीन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नामत: उनकी देयताओं के बड़े भाग का पुनर्वित्तीयन, सरकारी बैंकों द्वारा आपातकालीन सहायता उपायों पर निर्भरता की समाप्ति और तुलन पत्रीय कमजोरियों को दूर करना और परिचालन लागत घटाना।

2.19 आइएमएफ की अक्तूबर 2009 की जीएसएफआर के अनुमान के अनुसार 2007-10 की अवधि के लिए वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कुल अवलेखन और उधार-प्रावधान उधार-हानियों की समस्या के कारण लगभग 2.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होंगे (सारणी II.4)। अमरीकी बैंकों के लिए अवलेखन और उधार-प्रावधान की आवश्यकता 1.025 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ सर्वाधिक थी जिसके बाद 0.814 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ यूरो क्षेत्र के बैंकों और 0.604 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ यूके के बैंकों का स्थान था। किंतु, निहित कुल हानि दर 5.0 प्रतिशत से कम होकर 4.1 प्रतिशत रह जाने की अनुमानित गिरावट के कारण अप्रैल 2010 के जीएसएफआर ने अनुमानित वैश्विक अवलेखन और उधार-प्रावधान की मात्रा को 2.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से कम करके 2.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया। इस कमी के बावजूद, इस बात के कम संकेत हैं कि लेखांकन प्रक्रिया में अंतर, क्षेत्रों के बीच सूचना

सारणी II.3: इक्विटी पर बैंकों के प्रतिलाभ

(प्रतिशत)

देश	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
अमरीका	12.3	7.8	0.4	0.9
यूके	8.9	6.2	-10.3	2.6
यूरो क्षेत्र*	13.6	11.9	-8.0	1.2
जापान	8.5	6.1	-6.9	4.7
स्विटजरलैंड	17.7	15.4	5.4	8.2
बेल्जियम	22.4	13.2	-36.5	-2.7
फ्रांस	14.0	9.8	-1.0	8.2
जर्मनी	9.4	6.6	-7.7	-
पुर्तगाल	17.0	16.6	5.7	6.6
इटली	14.3	12.8	4.5	3.6
ग्रीस	12.7	14.8	3.2	-1.5
स्पेन	19.7	20.9	12.6	9.3
ब्राजील	27.3	28.8	15.3	20.4
रूस	26.3	22.7	13.3	4.9
भारत	12.7	13.2	12.5	12.3
चीन	14.9	16.7	17.1	15.1
इंडोनेशिया	22.4	23.2	15.5	18.4
मलेशिया	16.2	19.7	18.5	16.1
फिलीपीन्स	3.2	8.7	6.9	10.8
थाईलैंड	8.5	1.2	10.3	9.5
मेक्सिको	25.9	19.9	15.5	12.8

* यूरो क्षेत्र के बड़े और जटिल बैंकिंग समूहों से संबंधित हैं जैसा कि ईसीबी के एफएसआर, जून 2010 में सूचित किया गया है।

स्रोत: आइएमएफ; ईसीबी।

सारणी II.4: कुल उधार के प्रति बैंकों के गैर-निष्पादक उधार का अनुपात

(प्रतिशत)

देश	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
अमरीका	0.8	1.4	2.9	5.4
यूके	0.9	0.9	1.6	3.5
फ्रांस	3.0	2.7	2.8	3.6
जर्मनी	3.4	2.6	2.8	3.3
पुर्तगाल	1.3	1.5	2.0	3.2
इटली	4.9	4.6	4.9	7.0
ग्रीस	5.4	4.5	5.0	7.7
स्पेन	0.7	0.9	3.4	5.1
आयरलैंड	0.7	0.8	2.6	9.0
ब्राजील	3.5	3	3.1	4.2
रूस	2.4	2.5	3.8	9.7
भारत	3.3	2.5	2.3	2.3
चीन	7.1	6.2	2.4	1.6
मेक्सिको	2.0	2.7	3.2	3.1
इंडोनेशिया	6.0	4.1	3.2	3.3
मलेशिया	8.5	6.5	4.8	3.7
पाकिस्तान	6.9	7.6	10.5	12.2
फिलीपीन्स	7.5	5.8	4.5	4.1
थाईलैंड	8.1	7.9	5.7	5.3

स्रोत: आइएमएफ।

देने में विलंब, भावी कमियों का अनिश्चित पथ और बैंकों द्वारा बेचे गए ऋणों की अवधिपूर्णता के विस्तार से हानियों के गुप्त छिपाव के परिणाम स्वरूप कमियों के अनुमानों को घेरती अनिश्चितता के कारण हानियां अंतिम रूप से समाप्त हो गई हैं।

2.20 केंद्रीय बैंक की सहायता और सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की आपूर्ति से बढ़ते आस्ति मूल्यों और व्यापार आय से बैंकों को 2009 में संकट से बाहर निकलने और लाभप्रदता की स्थिति में आने में सहायता मिली। बैंक 1,236 बिलियन अमरीकी डॉलर की पूंजी जुटाने में भी समर्थ हुए जिससे 2010 के मध्य तक हुई 1,306 बिलियन अमरीकी डॉलर की वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति हुई। 2009 के अंत तक और बैंकों द्वारा जुटाई गई नई पूंजी के साथ, अमरीकी और यूरोपीय बैंकों की पूंजी संरचना में गुणात्मक सुधार देखा गया क्योंकि निजी कर्ज़ में धीमी वृद्धि और सरकारी प्रतिभूति तथा अन्य चलनिधि आस्तियों में अंतरण के कारण टियर I पूंजी 15 वर्ष के अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी (सारणी II.5)। किंतु, वैश्विक स्तर पर, बैंकिंग प्रणाली को जोखिम हटाने के लिए अब भी व्यापक पूंजी की आवश्यकता है। इस स्थिति में, बासेल II के तहत विस्तारित पूंजी प्रस्तावों का बैंकों के तुलन पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे चलनिधि और कर्ज़ की उपलब्धता कम हो सकती है जो बैंक केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है।

सारणी II.5: जोखिम भारित आस्तियों के प्रति बैंकों की विनियामक पूंजी

(प्रतिशत)

देश	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
अमरीका	12.9	13.0	12.8	12.8	14.3
यूके	12.8	12.9	12.6	12.9	14.8
जापान	12.2	13.1	12.3	12.4	15.8
फ्रांस	11.3	10.9	10.2	10.5	12.4
जर्मनी	12.2	12.5	12.9	13.6	14.8
पुर्तगाल	11.3	10.9	10.4	9.4	10.5
इटली	10.6	10.7	10.4	10.8	12.1
ग्रीस	13.2	12.2	11.2	9.4	11.7
स्पेन	11.0	11.2	10.6	11.3	12.2
ब्राजील	17.9	18.9	18.7	18.3	18.8
रूस	16.0	14.9	15.5	16.8	20.9
भारत	12.8	12.3	12.3	13.0	13.2
चीन	2.5	4.9	8.4	12.0	11.4
इंडोनेशिया	19.9	20.6	19.2	17.0	17.6
मलेशिया	13.7	13.5	13.2	12.6	15.4
फिलीपीन्स	17.6	18.1	15.7	15.5	15.8
थाईलैंड	13.2	13.6	14.8	13.9	15.8
मेक्सिको	14.3	16.1	15.9	15.3	15.9

स्रोत: आइएमएफ।

अमरीकी बैंकिंग प्रणाली

2.21 अमरीकी वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र 2009 में काफी दबाव में रहा, हालांकि 2009 की पहली तिमाही में ट्रेजरी द्वारा आयोजित तनाव जांच ने निवेशक भावना को जारी रखने और बाजार की अस्थिरता तथा अनिश्चय कम करने में मदद की। फेडरल रिज़र्व और अन्य अमरीकी पर्यवेक्षकों ने मई 2009 में पर्यवेक्षी पूंजी आकलन कार्यक्रम (एससीएपी) संचालित किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रत्येक बैंकिंग संस्था को उस समय स्वयं को मजबूत रखने के लिए कितना अतिरिक्त पूंजी बफर, यदि कोई हो, आवश्यक होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था के आशंका से अधिक दुर्बल हो जाने की स्थिति में बैंक के पास पर्याप्त पूंजी होगी। फेडरल रिज़र्व द्वारा अन्य बैंक पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर मई 2009 में कंपनियों के धारक 19 बड़े अमरीकी बैंकों की तनाव जांच की गई थी जिसके परिणामों से पता चला कि वित्तीय प्रणाली में विश्वास की पुनर्बहाली के लिए 75 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता थी।

2.22 मंद कर्ज़ बाजार के बावजूद, अमरीकी बैंकों की लाभप्रदता 2010 की पहली तिमाही में सुधर गई जैसा कि अनेक बैंकों ने कर्ज़ गुणवत्ता में अस्थायी सुधार दर्शाया था। अमरीकी बैंकों में सभी मुख्य उधार श्रेणियों के लिए आस्ति गुणवत्ता ने 2010 में सामान्य प्रवृत्ति दर्शाई (चार्ट II.8)। विशेष रूप से, सबसे बड़ी बैंक धारक चार कंपनियों ने 2010 की पहली तिमाही में लाभ दर्ज किया क्योंकि व्यापारी राजस्व और कम हानि प्रावधानीकरण से आय में वृद्धि हुई थी। किंतु, क्षेत्रीय और छोटे बैंक लाभप्रदता के संबंध में लगातार संघर्ष करते रहे क्योंकि कोर उधार परिचालनों पर कर्ज़ हानि लगातार अधिक बनी रही। इसके अलावा, छोटे बैंकों की विफलता 2010 में भी लगभग 2009 की गति पर ही बनी रही जो कि मुख्यत: वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार पर कर्ज़ हानियों से प्रेरित थी।

यूरोजोन बैंकिंग प्रणाली

2.23 यूरो क्षेत्र के अनेक बड़े और जटिल बैंकिंग समूह (एलसीबीजी) का वित्तीय निष्पादन उनके तुलन पत्रों को मजबूत

चार्ट II.8: अमरीकी ऋण चूक दर

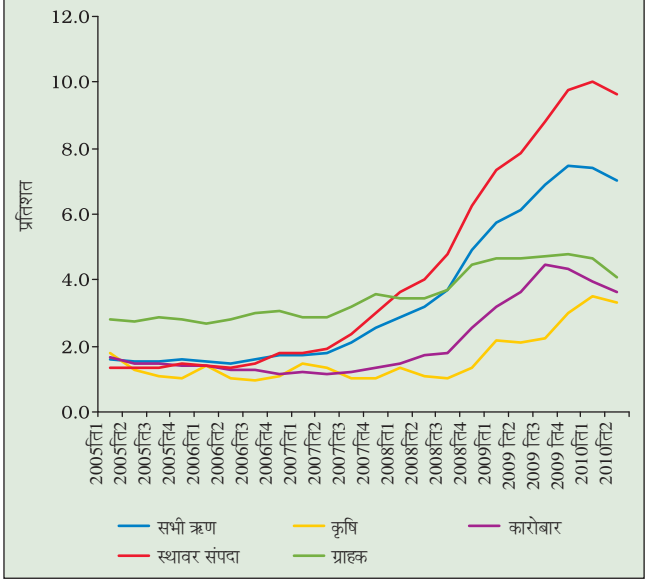

बनाने के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर 2010 की पहली तिमाही में मजबूत हो गया। यूरो क्षेत्र के एलसीबीजी का पूंजी अनुपात भी रखी गई आय की सहायता और सरकारी तथा निजी स्त्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण 2009 के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 2010 की पहली तिमाही में 10.6 प्रतिशत हो गया। ईसीबी की जून 2010 की एफएसआर द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार, यूरो 515 बिलियन पर 2007 से 2010 की अवधि के लिए यूरो क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिभूतियों और ऋणों पर संभाव्य संचयी अवलेखन दिसंबर 2009 एफएसआर में सूचित यूरो 553 बिलियन से कम था। किंतु, 2010 के प्रारंभिक महीनों में यूरो क्षेत्र में सरकारी कर्ज़ जोखिम संबंधी बाजार चिंता की बढ़ती गहनता ने अनेक जोखिमयुक्त संक्रामक चैनल खोल दिए हैं जिससे मई 2010 तक प्रतिकूल बाजार डायनामिक्स ने आस्ति बाजारों के दायरे को अपने वश में कर लिया। जून 2010 के ईसीबी एफएसआर के अनुसार, वित्तीय प्रणाली के लिए विद्यमान महत्वपूर्ण जोखिमों में निम्न बातें शामिल हैं: (i) निजी निवेश निकल जाने संबंधी मौजूदा या बढ़ते सरकारी वित्त की दीर्घकालिकता संबंधी चिंता, (ii) वित्तीय क्षेत्र और सरकारी वित्त के बीच प्रतिकूल प्रतिसूचना की निरंतरता, (iii) एलसीबीजी की लाभप्रदता में सुधार में विफलता और अर्थव्यवस्था को कर्ज़ के प्रावधानके प्रति प्रतिकूल प्रतिसूचना, (iv) वाणिज्यिक संपत्ति बाजारों और केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोपीय देशों के प्रति उधार संबंधी एक्सपोजर पर संकेंद्रण से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं की संवेदनशीलता और, (v) समष्टि आर्थिक परिणाम अपेक्षाओं पर खरे उतरने में विफल होने की स्थिति में वित्तीय बाजार अस्थिरता में वृद्धि। बीआइएस वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 के अनुसार, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक पूंजी की जरूरत है, भले ही विस्तारित बासेल II व्यवस्था के तहत विनियामक पूंजी आवश्यकता में वृद्धि न हुई हो।

यूके बैंकिंग उद्योग

2.24 बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक्सचेकर द्वारा विशेष चलनिधि योजना, इक्विटी आपूर्ति, बैंक देयताओं के प्रति कर्ज़ गारंटी योजना और दूषित आस्तियों के लिए आस्ति सुरक्षा योजना के रूप में किए गए अनेक उपायों से यूके के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार होने में मदद मिली। यूके के बैंकों की बैंकिंग पुस्तकों में उनकी निहित मार्क-टू-मार्केट हानियां मार्च 2009 में आकलन से लगभग पचास प्रतिशत घट गई। यूके की बैंकिंग प्रणाली के लिए उधार हानि प्रावधान अप्रैल 2010 तक 99 बिलियन अमरीकी डॉलर कम होकर 398 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गए जो निवासी बंधक पर अपेक्षित हानि में सुधार दर्शाते हैं। तदनुसार, 2009 की पहली छमाही के लिए अनुमानित हानि प्रावधान दर को आइएमएफ ने अप्रैल 2010 में संशोधित करके कम कर दिया। यूके की बैंकिंग प्रणाली ने 2009 में मजबूत लाभप्रदता और निवेशकों की जोखिम उठाने की तैयारी में सुधार का लाभ लेकर अपनी पूंजी की स्थिति मजबूत कर ली। यूके के प्रमुख बैंकों ने 2009 की दूसरी तिमाही के दौरान अतिरिक्त कोर टियर 1 पूंजी के अतिरिक्त 50 बिलियन पाउंड से अधिक की राशि जुटाई जिससे संकट के प्रारंभ के समय से कुल राशि 127 बिलियन पाउंड हो गई। 2009 के अंत का 9.6 प्रतिशत का कोर टियर 1 पूंजी अनुपात संकट-पूर्व के स्तर से अधिक हो गया किंतु ऐतिहासिक स्तर की तुलना में कम रहा।

2.25 बैंक ऑफ इंग्लैंड, एफएसआर, जून 2010 के अनुसार, पूंजी और चलनिधि बफर के बावजूद, यूके बैंकों को आगामी समय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यूके बैंकों को निधीयन की व्यापक राशि का पुनर्वित्तीयन करते समय कठिन

स्थिति में आघात-सहनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है। आर्थिक सुधार को सहायता करने के लिए पर्याप्त उधार देने में उनका सामूहिक हित है और अधिक मांग करने वाली भावी विनियामक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे भविष्य में पूंजी और चलनिधि के व्यापक बफर निर्माण करें। नया स्वतंत्र बैंकिंग आयोग 2011 में विनियामक और प्रतिस्पर्धा नीति की सिफारिश करेगा जो बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धी उधार को बढ़ावा देगा और छोटे कारोबारियों की उधार तक पहुंच में सुधार करेगा। यूके बैंकों के लिए भविष्य में यह आवश्यक होगा कि वे अधिक मांग करने वाली भावी विनियामक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूंजी और चलनिधि के व्यापक बफर निर्माण करें।

उभरते बाजार

2.26 लाभ, टियर I पूंजी, लाभांश और बाजार मूल्य के संदर्भ में, उभरते बाजारों के बैंक वैश्विक बैंकिंग उद्योग का लगभग 25 प्रतिशत भाग हैं। उभरते बाजारों के बैंक बचत जुटाने में कुशल होते हैं जबकि पश्चिमी बैंकों ने कारोबारों के वित्तपोषण के लिए काफी उधार लिया था और वित्तीय संकट के समय उन्हें काफी हानि हुई थी। उभरते एशिया के बैंकों ने कम लागत के वित्तपोषण की स्थिति लाने वाली देशी बचतों में तेज वृद्धि और सुगम मौद्रिक नीतियों जैसी समष्टि आर्थिक स्थिति अनुकूल मिश्रण का काफी लाभ लिया। किंतु, भावी उधार और सरकारी बांडों के प्रति एक्सपोजर के कारण भविष्य में उधार और बाजार के जोखिम बढ़ सकती है।

2.27 उभरते बाजार समूह में बृहत्तम अर्थव्यवस्था, चीन में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों के बावजूद बैंक उधारों में तेजी देखी जा रही है। विनियामकों की इस चेतावनी के बावजूद कि उधार के बड़े भाग का उपयोग बुनियादी ढांचागत व्यय पर किया जाता है और संपत्ति बाजार की स्थिति बुरी हो सकती है, चीनी बैंकों ने 2008 में जारी नए ऋणों के दुगुने से भी अधिक अर्थात 1,415 बिलियन अमरीकी डॉलर के रेकार्ड उधार 2009 में जारी किए। रेटिंग ऐजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर के अनुसार, यदि स्थानीय सरकारी वित्तीयन के माध्यमों को दिया गया 30 प्रतिशत उधार अशोध्य हो जाता है तो यह बैंकों के समग्र गैर-निष्पादक उधार अनुपात में 4 से 6 प्रतिशत अंक जोड़ता है जो कि इस समय सम्मानजनक स्तर पर है। चूकों से स्थावर संपदा एक्सपोजर भी प्रभावित हो जाए तो हानि बढ़ सकती है। ऋण उधार देने का कोटा लागू करके बैंक उधार कम करने के विनियामक उपाय का कुछ प्रभाव चीनी अर्थव्यवस्था पर हुआ था और उसकी जीडीपी वृद्धि 2010 की पहली तिमाही के 11.9 प्रतिशत से कम होकर दूसरी तिमाही में 10.3 प्रतिशत रह गई थी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने संकेत दिया है कि वह 2010 के लिए अपना कर्ज़ का लक्ष्य 1,127 बिलियन अमरीकी डॉलर बनाए रखेगा। बैंकों से यह भी कहा गया है कि कम कड़ाई से विनियमित न्यासों को बेचे या अंतरित किए गए सभी उधार वापस अपनी पुस्तकों पर लें और 'अनौपचारिक प्रतिभूतिकरण' से दूर रहें। इस उपाय से यह अपेक्षित है कि कुछ बैंक भारी दबाव में आ जाएंगे और भारी मात्रा में कर्ज़ तुलन पत्र से बाहर रहने से उनके लिए पूंजीकरण का एक और दौर आवश्यक होगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा 2008 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, चीन में बैंकों के लिए आगे यह आवश्यक होगा कि वे कंपनी संचालन स्थापित करके उसमें सुधार करें, पैमाना नियंत्रण और जोखिम नियंत्रण बढ़ाएं, जोखिम मुआवजा प्रणाली को स्पष्ट करें और मानक बाह्य विनियमन और आकलन प्रणाली स्थापित करें ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका और भी सुदृढ़ हो जाए।

2.28 ब्राजील और रूस जैसे उभरते बाजारों में बैंकों ने अपने बाजार हिस्से में काफी सुधार किया है। बैंकों सेंट्रल डू ब्राजील द्वारा अप्रैल 2010 में जारी एफएसआर के अनुसार, ब्राजील में 2009 के अंत तक आर्थिक सुधार में मजबूती का देशी बैंकिंग प्रणाली में ऋण, चलनिधि, शोधन क्षमता और लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों को बड़ी मात्रा में धारण करने के कारण ब्राजील की बैंकिंग संस्थाओं की शोधन क्षमता का स्तर 2009 के अंत में ऊंचा बना रहा। बढ़ाई गई पूंजी और अपने पास रखे गए लाभ से बासेल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि होने और लीवरेज में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आने में मदद मिली। दबावयुक्त समष्टि आर्थिक वेरिएबल पर आधारित परिदृश्य विश्लेषण ने सूचित किया कि ब्राजील की

बैंकिंग प्रणाली की शोधन क्षमता संगत तरीके से प्रभावित नहीं होगी। इस परिदृश्य में, समग्र प्रणाली सीएआर जून 2011 में 15.0 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है जो कि 11 प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम से काफी अधिक है। बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता लगातार संतोषप्रद बनी हुई है जो मुख्यत: कारोबार की बढ़ी हुई मात्रा और राजद्व के स्त्रोतों की विविधता का परिणाम है। आय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जिसका कारण लाभ के संयोजन में गैर-परिचालनीय आय की सहभागिता पिछली तिमाहियों में से प्रत्येक में साक्ष्यांकित की तुलना में कम थी।

2.29 रूसी बैंकों ने परंपरागत रूप से जमा राशि जुटाने, कर्ज़ प्रस्तावित करने, लाभ कमाने के लिए जोखिम का प्रबंध करने जैसे कुछ ही कोर कार्य किए हैं और प्रभावी रूप से कार्य किया है ताकि लाभ बढ़ सके। किंतु, चालू संकट ने दर्शाया कि अनेक रूसी बैंकों ने चलनिधि जमा की थी और अपने कोर कार्य ठीक से नहीं किए थे। किंतु, चालू संकट के बावजूद, रूसी बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि की मजबूत संभावना निरंतर बनी रही। बैंकिंग सेवाओं के लिए रूसी बाजार व्यापक रूप से प्रतिकूल बना रहा और 2020 तक यह 15 से 20 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। आस्ति प्रबंधन, पट्टे पर देना और बंधक रखना ऐसे कुछ मुख्य वित्तीय उत्पाद हैं जो अगले कुछ वर्षों में रूसी बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि के प्रेरक होंगे।

2.30 सामान्य रूप से अन्य उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भी अगले दो वर्षों में वृद्धि की संभावना में सुधार के साथ सुधार हुआ, हालांकि धीमी वैश्विक वृद्धि, प्रोत्साहन उपायों की वापसी, अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों में तेज वृद्धि और खराब होती राजकोषीय स्थिति ने वृद्धि के सामने बाधा खड़ी कर दी थी।

खाड़ी क्षेत्र का बैंकिंग उद्योग

2.31 खाड़ी क्षेत्र में निवेश बैंकों का निष्पादन जोखिम प्रबंधन में गंभीर कमियों, स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति अति एक्सपोजर और आवर्ती शुल्क आधारित राजस्व के बजाय स्वामित्व निवेश पर पेपर लाभ पर निर्भरता के कारण गंभीर रूप से समझौते की स्थिति में है। खाड़ी क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग कई बिलियन डॉलर के निवेश अवलेखन, काम बंदी और अनेक चूकों से हिल गया है जबकि इस तेल संपन्न क्षेत्र में ये बातें अपवादात्मक रूप से ही दिखती थी। अब जबकि क्षेत्रीय आर्थिक सुधार हो रहा है, खाड़ी के बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कारोबारी मॉडल को अधिक विविधतायुक्त राजस्व स्त्रोतों की ओर पुन:संरचित करें और अल्पावधि थोक निधीयन पर निर्भरता कम करें जो कि दूषित अवधिपूर्णता बेमेल बनाती है।

वित्तीय स्थिरता का नया ढांचा

2.32 स्पष्ट अनुगमन और समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से दूर जाने का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। जबकि बहुपक्षीय और मानक बनाने वाले निकाय संशोधित वैश्विक विनियमन के मानदंड स्थापित कर रहे हैं, वहीं विश्व भर के देश वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लागू कर रहे हैं (बॉक्स II.1)।

5. समापन

2.33 समापन में, 2009-10 में वैश्विक बैंकिंग उद्योग द्वारा पूंजी, चलनिधि और लाभप्रदता के संदर्भ में देखे गए सुधार के बावजूद, विभिन्न अधोमुखी जोखिमों संबंधी चिंता बनी रही। वैश्विक बैंकिंग उद्योग लगातार आस्ति गुणवत्ता तथा लाभप्रदता सुधारने की दृष्टि से अपने तुलन पत्रों को ठीक करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। विस्तारित बासेल II ढांचे के तहत नए बैंक पूंजी नियमों के अनुसार, बैंकों को उनकी जोखिम भारित आस्तियों का 6 प्रतिशत टियर I की पूंजी रखनी होगी जो कि 4 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षा से काफी अधिक है। किंतु, 2019 तक की विस्तारित अवधि में एक दीर्घ चरण इस चिंता को दूर करेगा कि उधारदाताओं को पूंजी जुटाने के लिए व्यापक प्रयास करने होंगे। बैंकों के लिए टियर-1 पूंजी अपेक्षा का पालन करना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें शेयर और अपने पास रखी गई आय शामिल होती है जो कि 2015 तक 4.5 प्रतिशत है। 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त पूंजी संरक्षण बफर 2019 तक रखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी, उच्च पूंजी प्रभार के लिए बीसीबीएस के प्रस्ताव के अनुकूल, यूरो क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग उद्योग को पुन:पूंजीकरण की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से तब जब यूरो क्षेत्र के देश भविष्य में राजकोषीय समेकन के प्रयासों में जुट जाएंगे।

बॉक्स II.1: वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचे का विकास

दीर्घावधि में वित्तीय स्थिरता के पर्यवेक्षण के लिए सतर्कतापूर्वक अभिकल्पित ऐसे ढांचे का कार्यान्वयन अपेक्षित है जो कारगर हो तथा जिसे कुछ समय में जनता का समर्थन प्राप्त हो। प्रमुख देशों में वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत ढांचे के पुनःकल्पन का प्रस्ताव किया है।

संयुक्त राज्य: 21 जुलाई 2010 को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित '2010 का अमरीकी वित्तीय स्थिरता की बहाली अधिनियम' के फलस्वरूप वर्तमान विनियामक ढांचे में परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों से जिन संस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा, उनमें वर्तमान में वित्तीय प्रणाली की निगरानी के कार्य में संलग्न अधिकांश विनियामक एजेंसियां (फेडरल डिपॉजिट इन्शुरन्स कारपोरेशन (एफडीआइसी), सिक्यूरिटीज एक्सचेंज कमीशन, कंट्रोलर ऑफ करेंसी, फेडरल रिज़र्व, सिक्यूरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कारपोरेशन, आदि) शामिल हैं, तथा ऑफिस ऑफ थ्रिफ्ट सुपरविजन (ओटीएस) का समापन भी शामिल है। विनियामक प्रतिस्पर्धा के निवारण तथा विनियामक कर्तव्यों के स्पष्टीकरण के लिए, उक्त अधिनियम द्वारा विनियामक प्रणाली को तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, तथा प्रत्येक हिस्सा एक विशेष एजेंसी का प्राथमिक उत्तरदायित्व बन गया है। एफडीआइसी 50 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्गत आस्ति वाले राज्य बैंकों/थ्रिफ्ट के लिए उत्तरदायी है जबकि, मुद्रा नियंत्रण का कार्यालय 50 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्गत आस्ति वाले राष्ट्रीय बैंकों/थ्रिफ्ट के लिए उत्तरदायी है। अन्य सभी बैंक/थ्रिफ्ट, बैंक धारक कंपनियां (तथा आवश्यक समझी गयी संस्थाएं) फेडरल रिज़र्व की जिम्मेदारी होंगी। फेडरल रिज़र्व द्वारा कुछ बैकेतर वित्तीय कंपनियों तथा उनकी सहायक संस्थाओं का भी पर्यवेक्षण उसी रूप में तथा उसी सीमा तक किया जाएगा जैसे कि वे एक बैंक धारक कंपनी हों। उक्त अधिनियम द्वारा गठित तीन नयी एजेंसियों में शामिल हैं - (i) फाइनैंशियल स्टॅबिलिटी ओवरसाइट कौंसिल (एफएसओसी), (ii) ऑफिस ऑफ फाइनैंशियल रिसर्च (ओएफआर) तथा (iii) ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनैंशियल प्रोटेक्शन (बीसीएफआर)।

एफएसओसी तथा ओएफआर राजकोष विभाग से संबद्ध होंगे तथा राजकोष सचिव एफएसओसी के अध्यक्ष होंगे, ओएफआर की अध्यक्षता के लिए सिनेट की पुष्टि के साथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। दूसरी ओर, बीसीएफआर फेडरल रिज़र्व सिस्टम के भीतर रहेगा, तथा इसे संघीय कानून के अनुपालन में उपभोक्ता वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के विनियमन का कार्य सौपा जाएगा, इससे यह अपेक्षित होगा कि यह सिनेट बैंकिंग कमिटी तथा हाउस फाइनैंशियल सर्विसेज कमिटी को रिपोर्ट करे।

उक्त विधान द्वारा फेडरल रिज़र्व को 'संयुक्त राज्य की वित्तीय स्थिरता के प्रति मौजूद जोखिमों की पहचान करने, उसकी माप करने, उस पर निगरानी रखने तथा उनका प्रशमन करने' का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। फेडरल रिज़र्व द्वारा उनके पर्यवेक्षण के तहत आने वाली संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानक तैयार किया जाना जारी रखा जाएगा, जिनमें पूंजीगत अपेक्षा, लीवरेज अनुपात, चलनिधि संबंधी अपेक्षाएं आदि शामिल हैं।

यूनाइटेड किंगडम: 1997 में यूके ने बैंकिंग क्षेत्र के पर्यवेक्षण को केंद्रीय बैंक, फाइनैंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (एफएसए) तथा ट्रेजरी के बीच विभाजित किया। तथापि, हाल के संकट के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इस मॉडल की प्रभावहीनता को देखते हुए, उक्त देश ने अब फाइनैंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (एफएसए) की जिम्मेदारियों को विभाजित करने के लिए 'ट्विन पीक्स' मॉडल के प्रस्तावित कार्यान्वयन के साथ वित्तीय विनियमन के ढांचे को सुधारने का निर्णय लिया है। एफएसए की जिम्मेदारी को बैंक ऑफ इंग्लैंड के तहत मौजूद एक नए विवेकशील विनियामक तथा एक नए उपभोक्ता संरक्षण एवं बाजार प्राधिकरण के बीच विभाजित किया जाएगा। इन परिवर्तनों में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति संबंधी भूमिका के अलावा वित्तीय प्रणाली में जोखिम के निर्माण को रोकने में उसकी भूमिका पर फोकस किया जाएगा। साथ ही, इन सुधारों में समष्टि विवेकशील पर्यवेक्षण के साथ वित्तीय नीति समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है ताकि आस्ति संबंधी बुलबुलों के निर्माण को रोका जा सके और प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। विवेकशील विनियामक प्राधिकरण तथा वित्तीय नीति समिति दोनों गवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैंड की अध्यक्षता में कार्य करेंगे जिससे वे अलग-अलग बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली दोनों के पर्यवेक्षण के केंद्र में होंगे।

यूरोपियन यूनियन: यूरो क्षेत्र में, जहां यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप तथा अंतरराष्ट्रीय एवं यूरोपीय सहयोग का प्रभारी है, वहीं वित्तीय स्थिरता की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए अलग प्रक्रियाएं मौजूद हैं। वर्तमान में, कमिटी ऑफ यूरोपीयन बैंकिंग सुपरवाइजर्स (सीईबीसी) द्वारा यूरोपियन कमीशन को बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी नीतिगत एवं विनियामक मुद्दों पर सलाह दी जाती है। 2009 से, सीईबीसी को यह कार्य सौंपा गया है कि वह बैंक क्षेत्र का नियमित विश्लेषण करे तथा बैंकिंग क्षेत्र की जोखिमों एवं उसकी असुरक्षितताओं का आकलन करे और इसके परिणामों की सूचना आवधिक तौर पर यूरोपियन यूनियन की राजनैतिक संस्थाओं को दे। तथापि, इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि समग्र ईयू वित्तीय प्रणाली का समष्टि-विवेकशील पर्यवेक्षण करने के लिए एक निकाय स्थापित करके व्यष्टि और समष्टि-विवेकशील पर्यवेक्षण के बीच अंतर-क्रिया में सुधार लाया जाए। अतः ईयू ने यूरोपियन सिस्टेमिक रिस्क बोर्ड (ईएसआरबी) की स्थापना का प्रस्ताव किया है जो ईयू में समष्टि-विवेकशील पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा। ईएसआरबी की कार्यसूची पर एक महत्वपूर्ण विषय 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं' (एसआइएफआइ) से संबंधित है।

भारत: अगस्त 2010 में प्रतिभूति तथा बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक पारित कर दिया गया जिसमें सरकार को शीर्ष वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के गठन का अधिकार दिया गया जिसके प्रमुख वित्त मंत्री होंगे। इस परिषद का प्रयोजन वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रणाली का संस्थानीकरण करना और अंतर-विनियामक विवादों का निपटान करना है। इस परिषद की एक उप-समिति होगी जो वित्तीय स्थिरता और अंतर-विनियामक समन्वय करेगी और इसके प्रमुख रिज़र्व बैंक के गवर्नर होंगे। विनियामकों के बीच की किसी भी असहमति को दूर करने के लिए यह उप-समिति पहला पड़ाव होगी।

संकट के बाद के परिदृश्य में, वित्तीय स्थिरता के लिए विनियामक व्यवस्था के पसंदीदा ढांचे के बारे में विभिन्न देशों के बीच अलग-अलग राय है।

अध्याय-III

नीतिगत वातावरण

2009-10 के दौरान वित्तीय क्षेत्र का नीतिगत ढांचा विवेकपूर्ण नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाए गए अनेक वैश्विक पहलों द्वारा मार्गदर्शित था ताकि भविष्य में संकट को टाला जा सके। पूंजी प्रभारों और चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि के निर्धारण, विनियमात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं में सुधार तथा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों के बीच सीमापार के सहयोग सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के समाधान पर जी-20 तथा अन्य मानक-निर्धारक निकायों द्वारा समंजित तौर पर फोकस किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत में नीतिगत माहौल की विशेषता थी - वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार लाने, वित्तीय समावेशन तथा स्थिरता के लक्ष्य से किए गए प्रयास। साथ ही, अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने आर्थिक रिकवरी, वित्तीय स्थिरता तथा समावेशन को प्रोत्साहित करना जारी रखते हुए मुद्रास्फीतिकारी चिंताओं का समाधान करने के लिए मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के बारे में उपाय किए। सामान्य तौर पर वित्तीय बाजारों में वर्ष के दौरान बीच-बीच में सुधार दिखाई दिए, परंतु फिर भी उनमें स्थिरता बनी रही। भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को कर्ज का प्रवाह सुगम बनाने के लिए तथा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उपाय किए। फोकस वाले सात राज्यों में वित्तीय साक्षरता और समावेशन में सुधार लाने के लिए की गयी पहलें नीतिगत कार्यसूची का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। बैंकों में धोखाधड़ी, विदेशी परिचालनों, वित्तीय संगुटों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तथा प्रौद्योगिकी जोखिम से सरोकार रखने वाली चिंताओं से संबंधित पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं का भी समाधान किया गया। साथ ही, ग्राहक सेवा तथा भुगतान और निपटान प्रणाली की दक्षता सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। महत्वपूर्ण विधिक उपायों में, अंतर-विनियामक मतभेदों का समाधान करने के लिए संयुक्त प्रक्रिया के प्रावधान के लिए संसद द्वारा पारित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक शामिल है।

1. प्रस्तावना

3.1 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान, रिज़र्व बैंक का नीतिगत फोकस संकट के प्रबंधन से हटकर रिकवरी के प्रबंधन की ओर चला गया। 2009-10 के आरंभ तक, यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रति संसर्ग की जोखिम न्यूनतम थी, हालांकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में कमजोरी बने रहने से वित्तीय प्रणाली पर कुछ तनाव आया। तीव्रतर रिकवरी के लिए, साल की पहली छमाही के दौरान वृद्धि-समर्थक राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति संबंधी रुख जारी रहा। जीडीपी के पहले वित्तीय बाजार संबंधी कार्यकलापों में सुधार आया तथा पूंजीगत अंतर्वाह वापस आने के साथ रुपए में भी मूल्यवृद्धि हुई। 2009-10 की दूसरी छमाही में वृद्धि की प्रक्रिया के पुनर्जीवित होने के संकेतों के साथ, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2009 तथा उसके बाद से निभावकारी मौद्रिक नीति और तदर्थ उपायों से सुविचारित निकासी की प्रक्रिया शुरू की।

3.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2009-10 (मार्च-अप्रैल) तथा 2010-11 में अब तक रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय बताए गए हैं। इस अवधि के दौरान किए गए मौद्रिक नीति संबंधी उपायों का संक्षिप्त उल्लेख खण्ड 2 में किया गया है, जिसके बाद कर्ज की सुपुर्दगी के क्षेत्र में शुरू किए गए पहलों की समीक्षा खण्ड 3 में की गयी है। खण्ड 4 में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में शुरू किए गए उपाय खण्ड 5 तथा 6 में दिए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) संबंधी पहलें खण्ड 7 में दी गयी हैं। सहकारी बैंक - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण कर्ज संबंधी सहकारी संस्थाओं - संबंधी नीतिगत पहलों का उल्लेख खण्ड 8 में किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं संबंधी उपाय खण्ड 9 में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय बाजारों के क्षेत्र की गतिविधियों

को खण्ड 10 में शामिल किया गया है। बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में शुरू की गई गतिविधियां खण्ड 11 में शामिल की गई हैं। इसी तरह, भुगतान और निपटान प्रणाली तथा प्रौद्योगिकीय गतिविधियों संबंधी उपायों का उल्लेख खण्ड 12 तथा खण्ड 13 में किया गया है। खण्ड 14 में विधिक गतिविधियां बतायी गयी हैं तथा खण्ड 15 में इस अध्याय के स्थूल निष्कर्ष निकाले गए हैं।

2. मौद्रिक नीति[1]

3.3 वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में सितम्बर 2008 में चलनिधि में जिस प्रकार का दबाव उत्पन्न हुआ था, उसने रिज़र्व बैंक द्वारा निभावकारी मौद्रिक नीति संबंधी रुख का मार्ग प्रशस्त किया, जो 2009-10 की पहली छमाही के दौरान जारी रहा। पहले के पूर्व-क्रयात्मक उपायों में नीतिगत दरों में, जिनमें रिपो दर, रिवर्स रिपो दर, सीआरआर, एसएलआर शामिल हैं, अधोमुखी संशोधनों की शृंखला तथा अर्थव्यवस्था के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों के निभाव के लिए विशिष्ट पुनर्वित्तीयन पटल शामिल हैं। हालांकि, 2009-10 के दौरान मौद्रिक नीति संबंधी रुख वृद्धि-मुद्रास्फीति की संभावना की बदलती गत्यात्मकता तथा देशी और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक रिकवरी के बारे में अनिश्चितता द्वारा निरूपित था।

3.4 मौद्रिक विस्तार से सुविचारित निकासी अक्तूबर 2009 में शुरू हुई तथा यह 2010-11 के दौरान बाद की तिमाही नीतिगत समीक्षाओं में जारी रही। रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों, यथा वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय स्थिरता के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बनाना था। निकासी के चरणों के दौरान नीतिगत प्राथमिकताओं को संतुलित करने के संबंध में यह महत्वपूर्ण हो गया कि 2009-10 के अंत तक बदले हुए वृद्धि-मुद्रास्फीति संबंधी विन्यास को देखते हुए सुविचारित तरीके से नीतिगत दरों को तटस्थ स्तरों तक बढ़ाया जाए।

3.5 2010-11 की पहली तिमाही की समीक्षा में मौद्रिक नीति का रुख तैयार करने में उच्च मुद्रास्फीति नामक प्रमुख चिंता की भूमिका थी। जहां खाद्य कीमत मुद्रास्फीति तथा, अधिक सामान्य तौर पर, उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति में कुछ कमी दिखायी दी, वहीं वर्तमान दायरा दुहरे अंकों में था। खाद्येतर मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तथा मांग पक्ष संबंधी दबाव स्पष्ट रूप से दिखायी दिए। अधिक व्यापक आधार वाली देशी रिकवरी को देखते हुए, पहली तिमाही की समीक्षा में 2010-11 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बारे में आधारस्तरीय पूर्वानुमान को बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। मार्च 2011 के लिए डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के लिए आधारस्तरीय पूर्वानुमान बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। इस आकलन के अनुरूप, रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गयी तथा रिवर्स रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ायी गयी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षाएं भी शुरू कीं, जिन्हें हर साल जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च में प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में घोषित किया जाना था। 16 सितम्बर 2010 को पहली मध्य-तिमाही समीक्षा की घोषणा की गयी जिसके तहत रिपो तथा रिवर्स रिपो दरों में क्रमशः 25 तथा 50 आधार अंकों की वृद्धि की गयी। 2010-11 में अब तक, मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों का उद्देश्य वृद्धि को बनाए रखने के लिए सहायक वित्तीय स्थितियां बनाए रखते हुए मांग संबंधी दबाव एवं मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को कम करना था।

3.6 इस प्रकार, अक्तूबर 2009 में निकासी शुरू किए जाने के समय से रिवर्स रिपो दर में 175 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 5.0 प्रतिशत तथा रिपो दर में 125 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंक बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। प्रणाली के भीतर चलनिधि अधिशेष के स्तर से अधिक संतुलित स्तर में चली गयी, तथा इस प्रक्रिया में रिपो दर नीतिगत दर के रूप में उभर कर सामने आया। एक दिवसीय ब्याज दरें भी रिपो दर के पास आ गयीं।

3. कर्ज की सुपुर्दगी

3.7 धारणीय तथा समावेशक आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य पूरा करने के लिए कृषि, सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यमों और निर्यात

[1] ब्योरेवार चर्चा के लिए, रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 तथा विभिन्न नीतिगत प्रलेख देंगे।

क्षेत्र को कर्ज का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने पर नीति के तहत बल दिया गया है। वैश्विक संकट के संबंध में, कर्ज की सुपुर्दगी को सुकर बनाने के लिए तथा इस प्रकार लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) तथा निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किए गए ।

3.8 1 जुलाई 2010 से आधार दर लागू कर बीपीएलआर पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती) की सिफारिशों को लागू किया गया। चूंकि आधार दर एक ऐसी न्यूनतम दर मानी गयी, जिसके नीचे उधार देना बैंकों के लिए लाभप्रद नहीं होगा, अतः बैंकों को आधार दर के नीचे किसी प्रकार का उधार देने की अनुमति नहीं दी गयी। साथ ही, 2 लाख रुपए तक के उधार के लिए बीपीएलआर की अधिकतम सीमा हटा ली गयी। उधार दरों को अविनियमित किए जाने से कर्ज के मूल्यन की पारदर्शिता में सुधार आने तथा उचित दरों पर छोटे उधारकर्ताओं को कर्ज का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

3.9 वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा प्रदान किए गए 20 लाख रुपए तक के आवास उधारों की औसत संविभाग परिपक्वता के अनुरूप एचएफसी को दिए जाने वाले उधार की अवधि को संबद्ध करें, अन्यथा इस प्रकार के उधार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का अंतिम उपयोग कड़ाईपूर्वक सुनिश्चित करें।

कृषि को कर्ज का प्रवाह

किसानों को ब्याज सहायता राहत के लिए दिशानिर्देश

3.10 2006-07 में, सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन कर्ज के संबंध में 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी, ताकि बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत पर इस प्रकार का कर्ज़ प्रदान किया जा सके। 2009-10 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गयी थी कि सरकार अनुसूची के अनुसार अल्पावधि फसल उधार चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में एक प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। 2010-11 के केंद्रीय बजट में 1.5 प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की गयी तथा अतिरिक्त ब्याज सहायता को बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

3.11 2008-09 के केंद्रीय बजट में कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 की घोषणा की गयी, जिसके तहत छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए समग्र 'पात्र राशि' माफ कर दी गयी। 'अन्य' किसान एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना के लिए पात्र थे, जिसके तहत किसान को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि वह किसान 'पात्र राशि' का शेष 75 प्रतिशत चुका दे।

3.12 भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के अनुसार 'अन्य किसान' के लिए उनका हिस्सा (75 प्रतिशत) चुकाने की अंतिम तारीख 30 जून 2009 थी। तथापि, मानसून देरी से आने के कारण, 2009-10 के केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया कि इस अवधि को छः महीना बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक कर दिया जाए। साथ ही, देश के कुछ हिस्सों में सूखा तथा अन्य हिस्सों में भारी वर्षा को देखते हुए, 2010-11 के केंद्रीय बजट में इस तारीख को और बढ़ाकर 30 जून 2010 कर दिया गया।

कृषि उधार के लिए प्रतिभूति/मार्जिन संबंधी मानदण्डों से छूट

3.13 कृषि उधार के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से छूट की सीमा 18 जून 2010 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गयी। 1 लाख रुपए तक के कृषि उधारों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से छूट संबंधी प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, काश्तकार, बटाईदार तथा मौखिक पट्टेदारों पर लागू है।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को कर्ज का प्रवाह

3.14 सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम (एमएसएमई) संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यबल (अध्यक्ष : श्री टी.के.ए.नायर) गठित किया। इस कार्यबल की सिफारिश की अनुसरण में, 29 जून 2010 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे एमएसई उधार में सूक्ष्म उद्यमों के 60 प्रतिशत हिस्से संबंधी लक्ष्य को चरणों में प्राप्त करें।

3.15 इस क्षेत्र को कर्ज का प्रवाह और सुगम बनाने के लिए, सूक्ष्म और मझौले उद्यमों के लिए गठित कर्ज़ गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) की कर्ज़ गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा करने हेतु रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री वी.के.शर्मा) गठित किया। उक्त कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें हैं - सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त उधार की सीमा वर्तमान 5 लाख रुपए से अधिदेशात्मक रूप में दुगुना करके 10 लाख रुपए करना, गारंटी कवर की मात्रा में वृद्धि, कतिपय शर्तों पर सीजीटीएमएसई द्वारा संपार्श्विक-मुक्त उधारों के लिए गारंटी शुल्क का अवशोषण, सीजीटीएमएसई के पास दावा दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कार्यदल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, 6 मई 2010 को बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के उधारों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करें।

10 लाख रुपए तक के आवास उधारों पर 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की योजना

3.16 2009-10 के केंद्रीय बजट में 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत आवास उधारों के बारे में 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की योजना की घोषणा की गई, बशर्ते इकाई की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना आरंभ में 1 अक्तूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थी। साथ ही, 2010-11 के केंद्रीय बजट में इस योजना का विस्तार 31 मार्च 2011 तक करने की घोषणा की गई।

बैंकिंग के व्यापन में सुधार लाने के उपाय

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति

3.17 रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्षा: श्रीमती उषा थोरात) ने 20 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त सिफारिशों को लागू करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश एसएलबीसी के संयोजक बैंकों तथा अग्रणी बैंकों को जारी किए गए। सभी राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों के सीएमडी को सूचित किया गया है कि वे एसएलबीसी की बैठकों को पुनःसशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई शुरू करें :

(i) राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वर्ष में एसएलबीसी की कम-से-कम एक बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः सीएमडी से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान दें तथा वर्ष के दौरान एसएलबीसी की कम-से-कम एक बैठक में मुख्यमंत्री की सहभागिता को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करें।

(ii) सीएमडी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के संदर्भ में इस विषय पर जिला प्रशासन के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करें।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ)

3.18 सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण पश्चप्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के युवकों की शक्ति का दोहन करने के लिए प्रत्येक जिले में आरएसईटीआइ गठित करने का संकल्प किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 तक देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआइ) प्रकार की एक संस्था स्थापित करने को समर्थन देने की इच्छा प्रकट की। आरएसईटीआइ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआइआरडी), हैदराबाद, को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। एनआइआरडी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में विभिन्न बैंकों द्वारा 319 आरएसईटीआइ की स्थापना की गई।

वित्तीय साक्षरता तथा कर्ज समुपदेशन केंद्र (एफएलसीसी)

3.19 वित्तीय साक्षरता तथा कर्ज समुपदेशन केंद्र (एफएलसीसी) संबंधी एक मॉडल योजना तैयार कर उसे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस सलाह के साथ भेजा गया कि वे बैंक से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए अलग संस्था के रूप में ऐसे केंद्र स्थापित करें ताकि एफएलसीसी की सेवाएं जिले में स्थित अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकें। मार्च 2010 तक बैंकों ने विभिन्न राज्यों में 135 कर्ज समुपदेशन केंद्रों के गठन की सूचना दी।

निर्यात कर्ज

3.20 वैश्विक संकट के संदर्भ में तथा निर्यातकों के सामने आनेवाली समस्याओं को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात कर्ज पर तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा घटाकर बीपीएलआर से 250 बीपीएस नीचे कर दी। यह सुविधा 30 जून 2010 तक उपलब्ध थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने कुछ रोजगार-उन्मुख निर्यात क्षेत्रों, यथा हस्तशिल्प, दरी, हथकरघा तथा छोटे और मझौले उद्यमों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात कर्ज पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर सहायता प्रदान की। 2010-11 के केंद्रीय बजट में 2 प्रतिशत ब्याज दर सहायता को चुनिंदा क्षेत्रों पर 31 मार्च 2011 तक लागू कर दिया गया। 9 अगस्त 2010 को ब्याज दर सहायता योजना का और विस्तार कर उसे चमड़ा एवं चमड़ा विनिर्माताओं, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण, इंजीनियरिंग माल तथा वस्त्र पर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए लागू किया गया। आधार दर शुरू करने के साथ, रुपया निर्यात कर्ज़ पर लगाई जानेवाली उधार दरों को 1 जुलाई 2010 से अविनियमित कर दिया गया। तथापि, रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंक ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आधार दर के अनुसार प्रभार्य ब्याज दर को उपलब्ध ब्याज सहायता की सीमा तक कम कर सकते हैं, भले ही निर्यातकों से वसूली जानेवाली ब्याज दर आधार दर से नीचे चली जाए।

4. वित्तीय समावेशन

3.21 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए हाल के वर्षों में कई पहलें की हैं। इस दिशा में उठाया गया एक उल्लेखनीय कदम यह था कि जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक ने परंपरागत 'ईंटगारा' वाले मॉडल के अलावा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा कारोबार संपर्की (बीसी) नियुक्त किए जाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किया। इस बीसी मॉडल के तहत, बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे बीसी के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ/एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों जैसी विभिन्न संस्थाओं, सेवानिवृत्त सरकारी/ बैंक कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

3.22 बीसी मॉडल के अनुभव की परख करने तथा बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों की श्रेणी का विस्तार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, विनियमात्मक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचा तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को बीसी के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई: किराना/ चिकित्सा/ उचित दर दुकानों के व्यक्तिगत मालिक/ व्यक्तिगत पीसीओ ऑपरेटर, भारत सरकार/ बीमा कंपनियों की अल्प बचत योजनाओं के एजेंट, पेट्रोल पंप के व्यक्तिगत मालिक, सेवानिवृत्त अध्यापक, बैंकों से संबद्ध भलीभांति कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह के प्राधिकृत कार्यकर्ता तथा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जिनमें सामान्य सेवा केंद्र परिचालित करनेवाले शामिल हैं।

3.23 वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बीसी के रूप में 'लाभार्थ' कंपनियों की नियुक्ति करने संबंधी चर्चापत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 2 अगस्त 2010 को डाला गया। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हुए पहले अनुमत व्यक्तियों/ संस्थाओं के अलावा 'लाभार्थ' कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को छोड़कर, की नियुक्ति बीसी के रूप में करने की अनुमति बैंकों को दी गई है।

3.24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ''नो फ्रिल्स खाता'' खोलकर, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) जारी कर और एसएचजी के निर्माण एवं उनकी कर्ज सहबद्धता के जरिए सूक्ष्म कर्ज वितरित कर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पहलें करना जारी रखा। आरआरबी द्वारा जहां तक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रश्न है, समामेलित एवं 'स्टैंडअलोन' आरआरबी के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया। सभी आरआरबी (समामेलित तथा स्टैंडअलोन दोनों) को प्रत्येक 50 शाखाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। साथ ही, 50 तक शाखाएं रखनेवाले आरआरबी किसी अन्य मध्यवर्ती टियर के बिना सीधे मुख्यालय के नियंत्रण में होंगे। साथ ही, इस संबंध में छूट संबंधी अनुरोध, यदि कोई हो, की जांच आरआरबी के बारे में गठित राज्यस्तरीय अधिकारप्राप्त समिति द्वारा की जाएगी।

3.25 नाबार्ड ने रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार दो प्रकार की निधियों का गठन किया है, यथा वित्तीय समावेशन संबंधी विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक हस्तक्षेप की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय समावेशन निधि' (एफआइएफ) तथा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि' (एफआइटीएफ)। प्रत्येक निधि की समग्र मूलराशि 500 करोड़ रुपए है जिसमें भारत सरकार, रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा निधियों के उपयोग पर निर्भर रहते हुए पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप में 40:40:20 के अनुपात में अंशदान किया जाएगा। 2010-11 के केंद्रीय बजट में, इनमें से प्रत्येक निधि की मूल राशि में 100 करोड़ रुपए की और वृद्धि की गई है।

3.26 इन दो निधियों के लिए दिशानिर्देश तैयार कर पणधारियों के बीच परिचालित किए गए। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, एफआइएफ तथा एफआइटीएफ के जरिए वित्तीय समावेशन के तहत 50,255 गांवों को कवर किया गया था।

वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड-यूएनडीपी के बीच सहयोग

3.27 एफआइएफ/ एफआइटीएफ के तहत शुरू किए गए वित्तीय समावेशन के अलावा, नाबार्ड और यूएनडीपी ने सात सघन राज्यों, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में वित्तीय समावेशन के लिए सहयोग किया। यह सहयोग भारत सरकार तथा यूएनडीपी के बीच हस्ताक्षरित कंट्री प्रोग्राम ऐक्शन प्लान (सीपीएपी) का एक हिस्सा था। यूएनडीपी के समर्थन से नाबार्ड में सहयोग के लिए 'यूएनडीपी-नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि' नामक एक निधि स्थापित की गई। इस सहयोग का समग्र उद्देश्य वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है ताकि जोखिम कम की जा सके और कम-से-कम दो राज्यों में गरीबों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों, अल्पसंख्यकों और विस्थापितों की महिलाओं और पुरुषों के लिए, आजीविका में वृद्धि की जा सके।

आधारभूत सहकारी संस्थाओं के जरिए वित्तीय समावेशन

3.28 वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि उन आधारस्तरीय ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर रूप में समझने की जरूरत है, जिनमें वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभाव्यता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के समग्र मार्गदर्शन के तहत नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश की 'सुचारु रूप से कार्य कर रही' चुनिंदा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं (लगभग 220) के बारे में अध्ययन किया जाए।

3.29 नवंबर 2009 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे मार्च 2011 तक 2000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करें। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की बैंकिंग सेवाएं ईंटगारे वाली शाखा के जरिए प्रदान की जाएं, इन्हें बीसी के माध्यम सहित आइसीटी-आधारित मॉडलों के विभिन्न प्ररूपों में से किसी भी प्ररूप के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। बजट में की गयी घोषणाओं के अनुरूप उक्त लक्ष्य प्राप्त करने की तारीख को संशोधित करके मार्च 2012 कर दिया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि मार्च 2011 को मध्यवर्ती लक्ष्य माना जाए। जून 2010 के अंत में, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान किए जाने के लिए लगभग 73,000 गांवों को विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है।

3.30 बैंकिंग का व्यापन बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन के संवर्धन की दृष्टि से, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के देशी वाणिज्य बैंकों

को जनवरी 2010 में विशेष बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआइपी) तैयार करने के लिए सूचित किया गया जिन्हें अगले तीन वर्षों में लागू किया जाना है। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी कारोबारी रणनीति से मिलती हुई एफआइपी तैयार करें तथा एफआइपी को अपनी कारपोरेट योजनाओं का अभिन्न अंग बनाएं। रिज़र्व बैंक ने कोई एकरूप मॉडल लागू नहीं किया है ताकि प्रत्येक बैंक को उनके कारोबारी मॉडल एवं तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने की अनुमति मिल सके।

3.31 आरआरबी की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने उनके प्रायोजक बैंकों को निदेश दिया कि वे सभी आरआरबी में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) तेजी से तथा पूरी तरह लागू करें और इस संबंध में सितंबर 2011 की समय-सीमा का अनुपालन करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरबी की व्यापक पहुंच को देखते हुए वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों को और बढ़ावा मिलने की आशा है।

5. विवेकपूर्ण विनियमन

बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन

3.32 जोखिम प्रबंधन संबंधी ढांचे में आवश्यक उन्नयन के संबंध में, तथा बासेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण और इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति अपनाने से बैंकों को मिलनेवाली पूंजीगत दक्षता के संबंध में, जुलाई 2009 में यह वांछनीय समझा गया कि भारत में उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए एक समय-सीमा तय की जाए। ऐसी आशा की गई थी कि इससे बैंकों को कर्ज़ जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण हेतु योजना बनाने और तैयारी करने में तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने में मदद मिलेगी। विनियामक पूंजी माप के लिए उन्नत दृष्टिकोण लागू करने हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है:

3.33 तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे बासेल II प्रलेख में परिकल्पित मानदंडों के संदर्भ में उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण की अपनी तैयारी के बारे में आंतरिक आकलन करें तथा उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण संबंधी निर्णय लें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन हमेशा प्राप्त किया करें।

3.34 परिचालनात्मक जोखिम हेतु 'मानकीकृत दृष्टिकोण' (टीएसए) तथा 'वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण' (एएसए) संबंधी दिशानिर्देश, जो मोटे तौर पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) संबंधी प्रलेख पर आधारित है, 31 मार्च 2010 को जारी किए गए। टीएसए/एएसए के प्रति अंतरण करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के समर्थन में एक लेख सहित रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

3.35 बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण संबंधी दिशानिर्देश 7 अप्रैल 2010 को जारी किए गए। बासेल II ढांचे में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बाजार जोखिमों की माप करते समय दो मोटी पद्धतियों के बीच चुनाव करने का विकल्प है: (i) मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) के अनुसार एक मानकीकृत तरीके से बाजार जोखिम मापना, जिसका उपयोग भारत स्थित बैंकों द्वारा 31 मार्च 2005 से किया जा रहा है; (ii) आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) के नाम से जानी जानेवाली वैकल्पिक पद्धति में बैंकों को अपने आंतरिक बाजार जोखिम माप मॉडलों से प्राप्त जोखिम माप का उपयोग करने की अनुमति होती है। बाजार जोखिम के लिए आइएमए के प्रति अंतरण के लिए इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपनी तैयारी का आकलन करें तथा उसे अपनाने हेतु अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

क्रम सं.	दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने की पूर्वतम तारीख	रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
1.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
2.	परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
3.	परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
4.	कर्ज जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग-आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (मूल तथा उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

3.36 चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति की हाल की गतिविधियों पर बॉक्स III.1 में चर्चा की गयी है।

टियर II पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण का निर्गम

3.37 सितंबर 2009 में बैंकों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 'काल' और 'स्टेप-अप' विकल्प सहित टियर II पूंजी के रूप में अधीनस्थ ऋण जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

3.38 चूंकि उन प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीबद्धता के बीच समय का अंतराल होता है, जिन्हें सूचीबद्ध करना प्रस्तावित है परंतु अभिदान के समय सूचीबद्ध नहीं किया गया है, अतः हो सकता है कि बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भाग न ले सकें। अतः यह निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा गैर एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में किए गए ऐसे निवेश को, जहाँ प्रतिभूति को एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर

बॉक्स III.1 : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति की हाल की गतिविधियां- चलनिधि जोखिम

वित्तीय संकट की एक प्रमुख विशेषता चलनिधि जोखिम का अपर्याप्त/अप्रभावी प्रबंधन था। चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार और उनके चलनिधि जोखिम एक्सपोज़र के नियंत्रण के लिए बैंकों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासेल समिति ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक ढांचे की आधारशिला के रूप में चलनिधि जोखिम पर्यवेक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय तौर पर सुसंगत दो विनियामक मानकों को विकसित किया है। इन दो मानकों पर बासेल समिति के कार्य को दिसंबर 2009 में समिति द्वारा जारी *''इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर लिक्विडिटी रिस्क मीजरमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड मॉनीटरिंग''* नामक परामर्शी पर्चे में दिया गया है। इन दो मानकों को संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

इस अनुपात का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बैंक ऐसी अभारग्रस्त, उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे, जिन्हें पर्यवेक्षकों के द्वारा विनिर्दिष्ट गंभीर चलनिधि तनाव के परिदृश्य में 30 दिन की अवधि के लिए अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकदी में परिवर्तित किया जा सके। कम-से-कम, तरल आस्तियों का स्टॉक प्रस्तावित तनाव परिदृश्य में बैंक को 30 दिन तक जिंदा रख सके, तब तक यह माना जाएगा कि प्रबंधन और /अथवा पर्यवेक्षकों द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

$$\text{चलनिधि कवरेज अनुपात} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक}}{\text{30 दिन की अवधि में नकदी का निवल बहिर्वाह}}$$

विनिर्दिष्ट परिदृश्य संस्था-विशिष्ट और प्रणालीगत आघात दोनों के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक वित्तीय संकट में अनुभव की गई वास्तविक परिस्थितियों पर निर्मित है। परिदृश्य के लिए अपेक्षित है: i) संस्था की सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग में काफी अधिक गिरावट; ii) जमाओं में आंशिक हानि; iii) बेजमानती थोक निधीयन की हानि; iv) सुरक्षित निधीयन हेअरकट में काफी अधिक वृद्धि; और v) प्रतिबद्ध कर्ज और चलनिधि सुविधाओं सहित डेरिवेटिव संपार्श्विक मांगों तथा संविदागत और गैर संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की काफी अधिक मांगों में वृद्धि।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

बैंकों की आस्तियों और गतिविधियों के मध्यकालिक और दीर्घकालिक निधीयन को और बढ़ावा देने के लिए, निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) को विकसित किया गया है। यह अनुपात स्थिर निधीयन की एक न्यूनतम स्वीकार्य राशि स्थापित करता है, जो किसी संस्था की आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और एक वर्ष से अधिक की सीमा अवधि में उसकी गतिविधियों पर आधारित हो। यह मानक एक न्यूनतम प्रर्वतन व्यवस्था के रूप में बनाया गया है ताकि वह चलनिधि कवरेज अनुपात मानक को संपूरित कर सके तथा यह उन संस्थाओं के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल में संरचनागत परिवर्तनों को बढ़ावा देकर अन्य पर्यवेक्षी प्रयासों पर बल दे जो अल्पकालिक निधीयन बेमेलो से दूर हों तथा आस्तियों और कारोबार गतिविधियों के और स्थिर, दीर्घकालिक निधीयन की ओर अग्रसर हों।

$$\text{निवल स्थिर निधीयन अनुपात} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)}}{\text{अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ)}}$$

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) को किसी संस्था की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है: (i) पूंजी ; (ii) एक वर्ष के समान अथवा उससे अधिक परिपक्वता वाला अधिमान्य स्टॉक; (iii) एक वर्ष अथवा अधिक प्रभावी परिपक्वता वाली देयताएं; (iv) 'स्थिर' गैर परिपक्वता वाले जमाओं के अंश और/अथवा एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली मीयादी जमाराशियां, जिनके प्रकृति-विशिष्ट तनाव की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए संस्था के पास बने रहने की आशा है।

स्थिर निधीयन की अपेक्षित राशि की गणना संस्थाओं द्वारा रखी गई और निधीकृत आस्तियों के मूल्यों के कुल जोड़ के रूप में प्रत्येक विशेष आस्ति प्रकार के लिए समनुदेशित एक विशिष्ट अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ) कारक के द्वारा गुणा करके की गई है, जिसे ओबीएस (तुलनपत्रेतर) गतिविधि (अथवा संभावित चलनिधि एक्सपोज़र) की राशि में जोड़ करके और इससे संबद्ध आरएसएफ कारक से गुणा करके निकाला जाता है। प्रत्येक आस्ति के सूचित मूल्य अथवा ओबीएस एक्सपोज़र के लिए लागू आरएसएफ कारक उस मद की राशि है जिसके बारे में पर्यवेक्षकों का विश्वास है कि उसका स्थिर निधीयन के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

एलसीआर के अंतर्गत निवल नकदी बर्हिवाह तथा एनएसएफआर के अधीन एएसएफ तथा आरएसएफ कारक तक पहुंचने के लिए इन दो मानकों अर्थात तरल आस्तियों की परिभाषा, 'रन ऑफ' और 'रोलओवर' कारक आदि से संबंधित और अधिक परिष्कृत ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है।

सूचीबद्ध कराया जाना प्रस्तावित हो, निवेश करते समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में किए गए निवेश के रूप में माना जाए। तथापि, यदि ऐसी प्रतिभूति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचीबद्ध नहीं कराया जाता, तो उसे गैर सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

बुनियादी ढांचा संबंधी कार्यकलापों में संलग्न कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों में बैंकों द्वारा निवेश

3.39 बुनियादी ढांचा के वित्तपोषण के लिए एससीबी को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाएं निष्पादित करने का कार्य करने वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि बांडों में, जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष हो, उनके द्वारा किए गए निवेश को गैर-एसएलआर बांडों में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने की अनुमति दी गयी।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोज़र को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों में आशोधन

3.40 अप्रैल 2010 में, बैंकों को सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में बनाओ-परिचालित करो-अंतरित करो (बीओटी) मॉडल के तहत प्राप्त वार्षिकी तथा शुल्क (टोल) वसूली संबंधी अधिकारों को, जहां एक स्तर तक ट्रैफिक का लक्ष्य प्राप्त न होने पर परियोजना के प्रवर्तक को मुआवजा देने का प्रावधान हो, इस शर्त पर गोचर प्रतिभूति के रूप में मानने की अनुमति दी गयी कि वार्षिकी प्राप्त करने तथा टोल वसूली संबंधी बैंकों के अधिकार विधिक रूप में प्रवर्तनीय तथा अप्रतिसंहरणीय हों। अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले बेजमानती बुनियादी ढांचा उधार खातों पर वर्तमान 20 प्रतिशत के बजाए 15 प्रतिशत का प्रावधानीकरण लागू होगा।

अनर्जक आस्ति स्तरों की गणना

3.41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बीच सकल अनर्जक आस्तियों की रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सितम्बर 2009 में यह सूचित किया गया कि किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर अनर्जक आस्ति खातों में पहले से नामे डाले गए परंतु वसूल न किए गए ब्याज को प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए तथा आगे ब्याज लगाना भी बंद कर दिया जाना चाहिए।

प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण मानदंड

3.42 वैश्विक संकट के संक्रमण से निपटने के लिए किए गए नीतिगत उपायों के अंग के रूप में, प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में नवम्बर 2008 में जोखिम भारों तथा प्रावधानीकरण संबंधी निर्धारणों को शिथिल किया गया। तथापि, पिछले एक साल में वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए कर्ज़ में हुई बड़ी वृद्धि को तथा इस क्षेत्र में पुनर्रचित अग्रिमों की मात्रा को देखते हुए, वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र में मानक आस्तियों पर अपेक्षित प्रावधान को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर नवम्बर 2009 में 1 प्रतिशत कर दिया गया ताकि आस्ति की गुणवत्ता में संभावित गिरावट के विरुद्ध कुशन का निर्माण किया जा सके। अक्तूबर 2009 में यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को अपने प्रावधानीकरण संबंधी कुशन को, जिनमें अनर्जक आस्तियों के प्रति विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा चल प्रावधान शामिल हों, बढ़ाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चल प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत से कम न हो।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों में आशोधन

3.43 'कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं' पर यथालागू आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों को मार्च 2010 में आशोधित किया गया ताकि उन मामलों में कुछ लचीलापन प्रदान किया जा सके जिनमें परियोजनाओं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं, को पूरा करने में देरी हुई हो। बुनियादी ढांचा संबंधी जिस परियोजना का परिचालन नियत तारीख को शुरू न हो सके, उसके लिए दिए गए बुनियादी ढांचा परियोजना उधार को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने की मूल तारीख से अधिकतम चार वर्ष (पहले अनुमत दो वर्ष की तुलना में) के लिए मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना अब जारी रखा जा सकता है। इसी तरह, नियत तारीख को वाणिज्यिक परिचालन शुरू न होने पर बुनियादी ढांचा से इतर परियोजना उधार को भी अधिकतम एक साल की अवधि तक (पहले अनुमत छः महीनों की तुलना में) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना भी जारी रखा जा सकता है। ये आशोधन उच्चतर प्रावधान की अपेक्षा सहित कतिपय शर्तों के अधीन हैं।

अनर्जक आस्तियों का समझौता/बातचीत से/एकबारगी निपटान

3.44 जून 2010 में बैंकों को सूचित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि समझौता निपटान एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से तथा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए किए जाएं। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि अब से समझौता/एकबारगी निपटान स्वीकृत करने वाले अधिकारी/प्राधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर यह बताना चाहिए कि समझौता निपटान रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत रखे गये निवेशों की बिक्री

3.45 अगस्त 2010 में यह निर्णय लिया गया कि यदि एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो, तो बैंकों को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य जितना अधिक हो, जिसके लिए प्रावधान न किया गया हो, उसे दर्शाना चाहिए।

तुलनपत्र में वर्गीकरण - पूंजीगत लिखतें

3.46 बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष से तुलनपत्र में निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाएं:

अनुसूची 1 - पूंजी के तहत : शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)

अनुसूची 4 - उधार के तहत (i) नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (आइपीडीआइ); (ii) बांड/डिबेंचर के रूप में जारी संकर ऋण पूंजीगत लिखतें; (iii) शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस); (iv) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस); (v) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस); (vi) अधीनस्थ ऋण।

लेखों पर टिप्पणी में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण

3.47 15 मार्च 2010 के परिपत्र में निर्धारित फार्मेट में बैंकों के तुलनपत्रों में लेखों पर टिप्पणी के तहत बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण किया जाना था। इनका संबंध जमाराशियों के संकेंद्रण, अग्रिमों, एक्सपोज़रों तथा अनर्जक आस्तियों; क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियों; अनर्जक आस्तियों की आवाजाही; बैंकों द्वारा प्रायोजित एसपीवी की विदेशी आस्तियों, अनर्जक आस्तियों तथा राजस्व एवं तुलनपत्र बाह्य मदों से है।

3.48 बैंकों से अपेक्षित है कि वे क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियों (उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत) को प्रकट करने के अलावा बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं के कुल जमा/अग्रिम/एक्सपोज़र तथा चार सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों के प्रति कुल एक्सपोज़र; विदेशी आस्तियों के बारे में अनर्जक आस्तियों की आवाजाही संबंधी जानकारी अर्थात परिवर्धन, उन्नयन, वसूली तथा बट्टे खाते डालने, अनर्जक आस्तियों और राजस्व तथा बैंकों द्वारा प्रवर्तित एसपीवी के बारे में तुलनपत्र-बाह्य मदों के बारे में जानकारी प्रकट करें।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.49 पहले चरण में, मार्च 2005-मार्च 2009 के बीच पहली बार भारत में मौजूद होने के इच्छुक विदेशी बैंक या तो शाखा के माध्यम से अथवा 100 प्रतिशत पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) गठित करके परिचालन करने के बीच चुनाव कर सकते हैं। भारत में पहले से परिचालित विदेशी बैंकों को इस बात की अनुमति भी दी गयी कि वे उपस्थिति की एक रीति संबंधी मानदंड का अनुसरण करते हुए उनकी मौजूदा शाखाओं को डब्ल्यूओएस में परिवर्तित कर सकते हैं। डब्ल्यूओएस को भारत में शाखा विस्तार के लिए विदेशी बैंकों की वर्तमान शाखाओं के समतुल्य माना जाना था। तथापि, किसी विदेशी बैंक ने स्वयं को डब्ल्यूओएस के रूप में स्थापित करने अथवा पहले चरण में डब्ल्यूओएस में परिवर्तित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

3.50 जब अप्रैल 2009 में भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी की पुनरीक्षा की जानी थी, उसी समय वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल आ गया तथा विश्व भर में बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

के बारे में अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गयीं। तदनुसार, अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य में भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति को नियंत्रित करने वाली वर्तमान नीति और प्रक्रियाएं जारी रखने का तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और रिकवरी के संबंध में अधिक स्पष्टता आने पर पणधारियों से उचित परामर्श के बाद रोडमैप की समीक्षा करने का इरादा व्यक्त किया गया।

निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम और मूल्यनिर्धारण

3.51 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2010 में दिशानिर्देश जारी कर अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) के संबंध में अनुमोदन की प्रक्रिया स्पष्ट की। अब से, निजी क्षेत्र के बैंकों को क्यूआइपी के मामले में पूर्व 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। एक बार आबंटन पूरा होने पर, बैंकों से यह भी अपेक्षा होगी कि वे निर्गम के संपूर्ण ब्यौरे कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

शून्य कूपन बांडों (जेडसीबी) में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

3.52 रिज़र्व बैंक द्वारा सितम्बर 2010 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अब से जेडसीबी में उस समय तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक निर्गमकर्ता सभी उपचित ब्याज के लिए ऋणशोधन निधि का निर्माण न कर ले तथा उसे तरल निवेशों/ प्रतिभूतियों में निवेशित न रखे।

6. पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षणात्मक नीति

3.53 वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण का महत्व विनियमन के समान माना जाता है क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रति रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियामक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया ताकि वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यान दिया जा सके। 2009-10 के दौरान बीएफएस द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी की निगरानी, बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण, वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण शामिल था।

समेकित पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संगुट (एफसी) निगरानी प्रक्रिया

3.54 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों की निगरानी के बारे में गठित कार्यदल (संयोजक: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की सिफारिशों पर भारत में जून 2004 से वित्तीय संगुट (एफसी) की निगरानी की प्रक्रिया लागू है। एफसी के निगरानी ढांचे में प्राथमिक तौर पर दो प्रमुख घटक हैं: (i) तिमाही रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के जरिए परोक्ष निगरानी, तथा (ii) अन्य प्रमुख विनियामकों के सहयोग से एफसी की प्रमुख संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ छमाही चर्चा।

वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए हाल की पर्यवेक्षणात्मक पहलें

3.55 बीएफएस के निदेशों के अनुसार, बैंक के एक आंतरिक दल ने वित्तीय संगुटों (एफसी) के लिए विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की। बीएफएस तथा अन्य विनियामकों (सेबी और आइआरडीए) के सम्यक् अनुमोदन के बाद, इन प्रस्तावों को लागू करने के बारे में कदम उठाए गए हैं। प्रस्तावों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

एफसी के रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन

3.56 रिज़र्व बैंक के अधिकार-क्षेत्र के तहत आनेवाले एफसी के लिए संशोधित तिमाही परोक्ष रिपोर्टिंग फार्मेट मार्च 2010 को समाप्त तिमाही से शुरू किया गया। अंतःसमूह लेनदेनों तथा एक्सपोजरों के अलावा, संशोधित विवरणी में सकल/निवल अनर्जक आस्ति अथवा अशोध्य ऋण, 'क्षत आस्तियों' के लिए किए गए प्रावधान, धोखाधड़ी तथा 'अन्य आस्तियों' के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

निगरानी के लिए एफसी की पहचान

3.57 अभिज्ञात एफसी की सूची में उस समूह को शामिल किया जाता है जिसकी वित्तीय बाजार के कम-से-कम दो खंडों, जिनमें बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति (म्यूच्युअल फंड), जमा लेनेवाली तथा

जमा न लेनेवाली एनबीएफसी शामिल हैं, में उल्लेखनीय तौर पर उपस्थिति हो।

3.58 अप्रैल 2010 में, रिज़र्व बैंक ने बाजार जोखिम की निगरानी के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जिनके अनुसार बैंक निवल आधार पर विदेशी शाखाओं सहित समूचे बैंक की (एकल स्तर) बाजार जोखिम स्थितियों के प्रति आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) लागू कर सकते हैं, उन अधिकार-क्षेत्रों में स्थित शाखाएं अपवाद होंगी जहां लाभ के त्वरित पुनःप्रत्यावर्तन में बाधाएं हैं अथवा जहां वैश्विक आधार पर जोखिमों के समय पर प्रबंधन में विधिक और प्रक्रियागत कठिनाइयां हैं। साथ ही, अलग-अलग बैंकों को उनके विदेशी परिचालनों की बाजार जोखिमों पर अलग से निगरानी भी रखते रहना चाहिए।

बैंकों में धोखाधड़ी की निगरानी संबंधी गतिविधि

बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली - अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भूमिका

3.59 16 सितंबर 2009 को बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी अन्वेषण कार्य की जिम्मेदारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति तथा बोर्ड की विशेष समिति की होगी, कम-से-कम उच्च मूल्यवाली धोखाधड़ी के संबंध में। तदनुसार, उन्हें नियंत्रण की प्रणालीगत विफलता अथवा मुख्य नियंत्रणों के अभाव अथवा वर्तमान नियंत्रणों में अत्यधिक कमजोरी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिनकी वजह से अपवादात्मक रूप से बड़े मूल्य की धोखाधड़ी तथा विशिष्ट कारोबार खंडों में धोखाधड़ी में तीव्र वृद्धि होती है जिसकी वजह से बैंक को बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी अन्वेषण कार्य के लिए आंतरिक नीति निर्धारित करें।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नियंत्रण, अभिशासन तथा प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन मानकों पर उच्चस्तरीय दल का गठन

3.60 धोखाधड़ी निगरानी कक्ष ने एक विशेष अध्ययन करके एटीएम/ डेबिट कार्डों में धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं तथा बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग परिचालनों को कवर किया। यह प्रकट किया गया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा रही हैं। उक्त अध्ययन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी को सुकर बनानेवाले कारक/ कमियां शामिल हैं, के निष्कर्षों के आधार पर वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में निम्नलिखित की जांच करने तथा उपयुक्त विनियामक अनुक्रिया सुझाने के लिए श्री जी.गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित करने की घोषणा की गई।

- आइटी तथा सूचना सुरक्षा अभिशासन एवं संबद्ध प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को जारी दिशानिर्देशों में वृद्धि का सुझाव;
- भारत में हाल के विधानों से उत्पन्न बैंकों के आइटी संबद्ध निहितार्थों की जांच करना;
- ई-बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा सुसंगत नियंत्रण एवं प्रक्रिया में उपयुक्त वृद्धि का सुझाव देना;
- ई-बैंकिंग के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा सुधार, यदि कोई हो, का सुझाव देना;
- ई-बैंकिंग प्रणालियों के संबंध में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के उपाय और साधन का सुझाव देना;

धनशोधन निवारण

3.61 नवंबर-दिसंबर 2009 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) तथा धनशोधन पर एशिया पैसिफिक समूह (एपीजी) के संयुक्त मूल्यांकन दल द्वारा भारत के धनशोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (एएमएल/सीएफटी) ढांचे का मूल्यांकन किया गया। उनकी रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां एएमएल/सीएफटी संबंधी ढांचे में अंतराल/ खामियां थीं, जिनके लिए सांविधिक और/अथवा विनियामक कार्रवाई जरूरी थी, और इसमें उन क्षेत्रों को भी नोट किया गया जिनमें स्पष्ट प्रगति दिखाई दी।

3.62 मूल्यांकन रिपोर्ट में वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ पाया गया तथा उसमें बैंकों द्वारा किए गए प्रणालीगत तथा लेनदेन संबंधी उल्लंघनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा की गई दांडिक कार्रवाई को स्वीकार किया गया। विदेशी शाखाओं तथा भारतीय बैंकों की सहायक संस्थाओं के संबंध में एफएटीएफ मानकों का पूरा अनुपालन किया गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, बैंकों को सूचित किया गया कि जहां धनशोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण के बारे में संदेह हो अथवा ऐसा महसूस हो कि ग्राहक कम जोखिमवाला नहीं है, वहां उन्हें पूरी तरह से ग्राहक के बारे में सम्यक् समवेक्षा (सीडीडी) करनी चाहिए। साथ ही, पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक खातों के मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को इस प्रकार के खाते खोलने अथवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां पेशेवर मध्यस्थ की यह बाध्यता हो कि वह अपने ग्राहकों की सही पहचान अथवा लेनदेनों का प्रयोजन प्रकट नहीं करेगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 'शेल' बैंकों के साथ अथवा अपने खातों का उपयोग 'शेल' बैंकों द्वारा किए जाने की अनुमति देनेवाले बैंकों के साथ संपर्की संबंध स्थापित न करें।

3.63 विनियमनों में पहचान किए गए अंतरालों का समाधान करने के लिए सरकार ने धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 में भी संशोधन किया। 'लाभेतर संगठन' (एनपीओ) को परिभाषित करने के लिए संशोधन किया गया तथा एनपीओ की 10 लाख रुपए से अधिक की सभी प्राप्तियों की सूचना देने की अपेक्षा बैंकों से की गयी। अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे गैर खाता-आधारित ग्राहक की पहचान का सत्यापन करें जो एकल लेनदेन के रूप में, अथवा ऐसे कई लेनदेन के रूप में, जो परस्पर संबद्ध प्रतीत होते हों, 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करता हो।

3.64 भारत को जून 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।

नए बैंक दिशा-निर्देश

3.65 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया कि नए बैंकों को लाइसेन्स देने के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं, भारतीय अनुभव तथा स्वामित्व एवं शासन (ओएण्डजी) संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देश के बारे में एक चर्चा पत्र तैयार कर उसे व्यापक अभिमत और प्रतिपुष्टि के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा। उक्त चर्चा पत्र 11 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अभिमत के लिए डाला गया तथा प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर ब्यौरेवार दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारतीय बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने पर फोकस किया जाता है। भारत सरकार ने एक चरणबद्ध तरीके से सितंबर 2005 में आरआरबी के समामेलन की प्रक्रिया शुरू की। समामेलन की प्रक्रिया के पहले, 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा एक राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रवर्तित 196 आरआरबी देश में कार्य कर रहे थे जिनके पास 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार 523 जिलों में 14,484 शाखाओं का नेटवर्क था। समामेलन के फलस्वरूप, आरआरबी की संख्या घटकर 26 राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश में 82 रह गयी जिनके द्वारा 619 जिलों को कवर किया गया था तथा 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार उनके पास 15,475 शाखाओं का नेटवर्क था।

आरआरबी का पुनःपूंजीकरण

3.67 भारत सरकार ने आरआरबी के जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के वर्तमान स्तर का अध्ययन करने तथा मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोडमैप सुझाने हेतु सितंबर 2009 में एक समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) का गठन किया। समिति से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह आरआरबी के कारोबार के स्तर को देखते हुए उनके लिए पूंजी की अपेक्षित संरचना का सुझाव दे ताकि उनका सीआरएआर धारणीय हो और उसमें भविष्य की वृद्धि के लिए प्रावधान हो और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए। इस समिति ने 30 अप्रैल 2010 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2: आरआरबी के पुन:पूंजीकरण पर बनी समिति की सिफारिशें

आरआरबी के पुन:पूंजीकरण पर बनी समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) समिति ने सभी 82 आरआरबी के लिए पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन किया, ताकि वे 31 मार्च 2011 को सीआरएआर को कम-से-कम 7 प्रतिशत कर सकें तथा 31 मार्च 2012 से आगे कम-से-कम 9 प्रतिशत कर सकें । 82 आरआरबी में से 40 के लिए 2,200 करोड़ रुपए के पुन:पूंजीकरण की आवश्यकता होगी। इस राशि को दो किस्तों में जारी किया जा सकता है अर्थात 2010-11 में 1,338 करोड़ रु पए और 2011-12 में 863 करोड़ रुपए। शेष 42 आरआरबी को किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी और वे 31 मार्च 2012 तथा उसके बाद अपने आप न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर को रख सकेंगे।

(ii) समिति ने पाया कि कुछ कमजोर आरआरबी, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों में, सामान्य रूप से स्वीकार्य वृद्धि प्राप्त करने के बावजूद पूर्वानुमानित कारोबार के सभी मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि रखी जा सकती है तथा एक बार ऐसे आरआरबी के तुलनपत्र का मसौदा तैयार हो जाने पर उन्हें आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त पुन:पूंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(iii) 40 आरआरबी के लिए 2,200 करोड़ रुपए का पुन:पूंजीकरण एकबारगी उपाय होना चाहिए, और इसे आरआरबी के अध्यक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के अधीन तथा एमओयू में विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन मानदंड पूरे करने पर जारी किया जाना चाहिए।

(iv) आरआरबी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए है। परिणामस्वरूप, पुन:पूंजीकरण राशि को शेयर पूंजी जमा के रूप में रखा गया है। समिति ने सिफारिश की है कि 31 मार्च 2010 को संचित हानियां उपलब्ध शेयर पूंजी जमाराशियों के विरुद्ध बट्टे खाते में डाली जा सकती हैं, और शेयर पूंजी जमाराशियों की शेष राशि को चुकता पूंजी की तरह विनियोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, आरआरबी के बढ़ते कारोबार को देखते हुए, समिति ने आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है।

(v) जनता में विश्वास को पैदा करने के लिए, यथासमय, उच्च निवल मालियत वाले आरआरबी को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाए।

(vi) आरआरबी की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, अपेक्षानुसार प्रवर्तक बैंकों के बदलाव पर विचार किया जाए।

(vii) मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक की निवल मालियत वाले आरआरबी को 1 अप्रैल 2013 से आगे लाभांश भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान चरण में पुन:पूंजीकृत किए जाने वाले आरआरबी को केवल तभी लाभांश अदा करने की अनुमति दी जा सकती है, जब वे न्यूनतम 9 प्रतिशत के धारणीय सीआरएआर को प्राप्त कर लें।

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक आरआरबी के अध्यक्षों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित कर सकता है। प्रवर्तक बैंक पदावधि आधार पर अध्यक्ष के रूप में ऐसे मानदंड को पूरा करने वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है और, जहां जरूरी हो, उनके द्वारा ऐसे अधिकारियों की भर्ती खुले बाजार से की जा सकती है तथा इसके पश्चात उन्हें आरआरबी में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष के मुआवजे को वाणिज्य बैंकों के मौजूदा वेतन ढांचे से वियुक्त किया जा सकता है तथा उसे और अधिक बाजार-अभिमुख बनाया जा सकता है तथा मुआवजा पैकेज में बोर्ड अनुमोदित कार्यनिष्पादन बेंचमार्क से संबद्ध प्रोत्साहन और हतोत्साहन करने की प्रणाली शुरू की जा सकती है।

(ix) एक निकाय के रूप में बोर्ड तथा बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों को बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है तथा बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विशिष्ट जिम्मेदारी दिए जाने की आवश्यकता है।

(x) जब भी जरूरत हो, प्रवर्तक बैंक, उनकी अपनी सेवाओं में आरआरबी के स्टाफ सहित, बाजार से उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती कर सकता है और तत्पश्चात् उनको आरआरबी में महाप्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकता है।

(xi) आरआरबी द्वारा बोर्ड की एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया जाए और आरआरबी में समवर्ती लेखा-परीक्षा और प्रबंध लेखा-परीक्षा शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाए।

(xii) आरआरबी स्टाफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई जाए।

(xiii) केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनी जमाओं को रखने के लिए आरआरबी को शामिल करें।

(xiv) आरआरबी के कार्यनिष्पादन पर छमाही आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निगरानी रखी जाए। प्रवर्तक बैंक और नाबार्ड तिमाही आधार पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें। आरआरबी का बोर्ड नियमित आधार पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगा।

आरआरबी की प्रौद्योगिकी का उन्नयन

3.68 उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने तथा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की ओर अंतरित होने के लिए आरआरबी को तैयार करने हेतु, उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी. श्रीनिवासन) का गठन किया। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सीबीएस में सभी आरआरबी को अंतरित करने के लिए सितंबर 2011 को लक्ष्य तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया कि सितंबर 2009 के बाद खोली गयी आरआरबी की सभी

शाखाएं पहले दिन से ही सीबीएस-अनुपालित हों। प्रायोजक बैंकों से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 22 आरआरबी ने सीबीएस का पूर्ण अनुपालन किया गया है तथा शेष 60 आरआरबी में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आरआरबी द्वारा निवेशों का वर्गीकरण

3.69 एसएलआर प्रतिभूतियों में आरआरबी के निवेशों के संबंध में उन्हें बाजार भाव पर दर्शाने से आरआरबी को वित्त वर्ष 2008-09 तक दी गयी छूट एक और वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2009-10 तक बढ़ा दी गयी।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा

3.70 आरआरबी के लिए, यह निर्णय लिया गया कि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दी जाए। जहां तक अन्य मानक आस्तियों का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि जहां कृषि एवं एसएमई क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 0.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रहेगी, वहीं अन्य सभी उधार एवं अग्रिमों के लिए यह 0.40 प्रतिशत होगी।

क्षमता निर्माण अपेक्षा संबंधी समिति

3.71 श्री अमरेश कुमार, ईडी, नाबार्ड की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने आरआरबी की क्षमता निर्माण अपेक्षाओं के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

i. आरआरबी के पास सुनिश्चित प्रशिक्षण नीति होनी चाहिए तथा उसे मानव पूंजी पर निवेश के रूप में माना जाना चाहिए।

ii. हर साल उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक निश्चित बजट अनुमोदित किया जाना चाहिए।

iii. सभी स्टाफ के लिए एक व्यवस्थित टीएनए (प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण) किया जाए।

iv. मोबाइल कार्य प्रशिक्षकों की सहायता से आरआरबी द्वारा अधिक स्थल कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

v. 100 से अधिक शाखाओं वाले आरआरबी के पास उनके अपने प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए।

पर्यवेक्षणात्मक तथा विनियमात्मक पहलें

i. 2009-10 के दौरान नाबार्ड ने 61 आरआरबी का सांविधिक निरीक्षण किया;

ii. आरआरबी तथा सहकारी बैंकों दोनों के लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभागों के प्रमुखों के लिए आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणालियों पर क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया;

iii. वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) के कहने पर, धनशोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रति संघर्ष (सीएफटी) संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए आरआरबी के अध्यक्षों की दो बैठकें तथा सहकारी बैंकों एवं आरआरबी की तीन राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गयीं।

iv. आरआरबी तथा सहकारी बैंकों के लेखा-परीक्षकों और अन्य कार्मिकों के लिए केवाइसी (अपने ग्राहक को जानें)/एएमएल, सीएमए (कर्ज निगरानी व्यवस्था), सांविधिक लेखा-परीक्षा, धोखाधड़ी, निवेश, आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, तथा कारपोरेट अभिशासन पर संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

3.72 हाल के वर्षों में यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत पहलों में विज़न दस्तावेज 2005 का कार्यान्वयन, वित्तीय पुनर्रचना के लिए पहल तथा आस्ति देयता प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नानुसार हैं:

नए बैंक लाइसेन्स

3.73 बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के समेकन और सुधार के फलस्वरूप, अप्रैल 2010 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें यूसीबी को नए लाइसेंस देने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए सभी पणधारियों को शामिल किया जाएगा। तदनुसार, श्री

वाइ.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ पिछले दशक में यूसीबी के निष्पादन की समीक्षा करेगी; नए यूसीबी के संगठन की आवश्यकता तथा नए यूसीबी को स्थापित करने संबंधी वर्तमान विनियामक नीति की समीक्षा करेगी; नए यूसीबी के लिए प्रवेशस्तर के मानदंड निर्धारित करेगी; इस बात की जांच करेगी कि क्या लाइसेंस देने को संपरिवर्तन मार्ग के जरिए सिर्फ वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित सहकारी ऋण समितियों तक प्रतिबंधित रखा जा सकता है; तथा सुदृढ़ यूसीबी की वृद्धि को सुकर बनाने के लिए विधिक एवं विनियामक ढांचे संबंधी सिफारिशें करेगी।

परिचालन क्षेत्र

3.74 सुदृढ़ एवं भलीभांति कार्य करने वाले एक राज्य के टियर II यूसीबी की आंगिक वृद्धि का मार्ग खोलने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि उन यूसीबी के लिए परिचालन क्षेत्र का विस्तार उनके पंजीकरण के संपूर्ण राज्य में करने के अनुरोध पर विचार किया जाए, जो ग्रेड I बैंक की वित्तीय स्थिति के अनुरूप हों। ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय, रिज़र्व बैंक उस बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्यवेक्षणात्मक सुविधा पर सम्यक् रूप में विचार करेगा।

कार्यस्थल से दूर एटीएम खोलना

3.75 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि सुप्रबंधित यूसीबी को वार्षिक कारोबार योजना के जरिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्यस्थल से दूर एटीएम स्थापित करने की अनुमति होगी। ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय, रिज़र्व बैंक निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति पर सम्यक् रूप में विचार करेगा।

सीएसजीएल खातों का रखरखाव

3.76 रिज़र्व बैंक ने 200 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक निवल मालियत वाले एवं 10 प्रतिशत तथा उससे अधिक सीआरएआर वाले यूसीबी को सीएसजीएल खाते खोलने तथा उनका रखरखाव करने की अनुमति प्रदान की।

क्रेडिट सूचना कंपनियां

3.77 चूंकि यूसीबी क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (च) में परिभाषित क्रेडिट संबंधी संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं, अतः उन्हें सूचित किया गया कि वे अधिनियम के तहत पंजीकृत कम-से-कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी का सदस्य बन जाएं।

बाजार जोखिम के लिए पूंजी

3.78 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बाजार जोखिम शामिल करने के लिए 1996 में पूंजी समझौता में संशोधन जारी किया। बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा निर्धारित करने के शुरुआती कदम के रूप में, यूसीबी को सूचित किया गया कि वे लगभग समग्र निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार लगाएं। इन अतिरिक्त जोखिम भारों को यूसीबी के निवेश संविभाग के संबंध में क्रेडिट जोखिम के लिए निर्धारित जोखिम भारों के साथ समूहित किया जाएगा। यूसीबी को यह भी सूचित किया गया कि वे विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण पर खुली स्थिति संबंधी सीमाओं पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाएं तथा अपने निवेश संविभाग में ट्रेडिंग के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में रखे गए निवेश के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक निवेश घटबढ़ रिज़र्व बनाएं।

गैर एसएलआर निवेश

3.79 गैर सूचीबद्ध गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में (न्यूनतम निर्धारित रेटिंग के अधीन) यूसीबी का निवेश किसी भी समय कुल गैर एसएलआर निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि प्रतिभूतियों के निर्गम एवं उनकी सूचीबद्धता के बीच समय का अंतराल होता है, अतः अभिदान के समय सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित परंतु सूचीबद्ध न की गयी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को 10 प्रतिशत की सीमा से मुक्त रखा गया है। इस बात पर विचार करते हुए कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संलग्न कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि बांड आम तौर पर लंबी अवधि के लिए रखे जाते हैं तथा उनमें ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसी कंपनियों द्वारा जारी किए गए गैर एसएलआर बांडों में, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष की हो, यूसीबी के निवेश को एचटीएम श्रेणी में रखने की अनुमति होगी।

कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का समाधान

3.80 ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंकों से निपटने के लिए, जहां यूसीबी क्षेत्र के भीतर से विलय के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, कमजोर बैंकों के समाधान के अतिरिक्त विकल्प के रूप में डीआइसीजीसी के समर्थन से यूसीबी की आस्तियां एवं देयताएं (शाखाओं सहित) वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की योजना परिकल्पित की गई है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 24 फरवरी 2010 को ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए।

ग्रामीण सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक)

3.81 वर्ष 2009-10 के दौरान, पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें की गईं।

3.82 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंडों के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड वर्ष 2009-10 से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) पर लागू किए गए तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए गए। साथ ही, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के संबंध में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, वर्ष के दौरान पीएसीएस के लिए जोखिम-भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात की गणना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।

3.83 भारत सरकार के पुनर्जीवन पैकेज (वैद्यनाथन समिति) तथा एडीडब्ल्यूडीआर योजना 2008 के तहत पुनःपूंजीकरण सहायता के रूप में अल्पावधि सहकारी कर्ज़ संरचना (एसटीसीसीएस) में बड़ी मात्रा में निधियों के अंतर्वाह को देखते हुए, बैंकों को न्यायोचित रूप में निधियों के उपयोग के प्रति सतर्क किया गया।

3.84 मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भूमिका की तुलना में बैंकों में 'धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली' संबंधी दिशानिर्देश सभी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।

3.85 कर्ज़ जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) तथा कारोबार सातत्य योजना (बीसीपी) संबंधी मार्गदर्शन नोट एसटीसीबी/डीसीसीबी के बीच परिचालित किए गए, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर सकें।

3.86 रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड की सिफारिश पर घोषित की गई संशोधित लाइसेंसिंग नीति के फलस्वरूप, 9 एसटीसीबी तथा 132 डीसीसीबी को पिछली तीन तिमाहियों के दौरान लाइसेंस जारी किए गए तथा इस प्रकार लाइसेंसप्राप्त एसटीसीबी तथा डीसीसीबी की कुल संख्या क्रमशः 23 तथा 207 हो गई।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

3.87 2009-10 के दौरान वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एचएफसी/एनबीएफसी/एमएफआइ को तथा निर्यातकों को आगे उधार देने के लिए 2008-09 के दौरान एआइएफआइ के लिए शुरू किए गए चलनिधि समर्थन उपायों को निम्नानुसार वापस लियाः (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सिडबी, एक्ज़िम बैंक तथा एनएचबी को दिसंबर 2008 में स्वीकृत क्रमशः 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए तथा 4,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधाओं को 31 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया गया, (ii) सिडबी, एनएचबी तथा एक्ज़िम बैंक द्वारा 'छत्र सीमा' के तहत जुटाई गई निधियों सहित जुटाए गए समस्त संसाधनों की अधिकतम सीमा एक वर्ष की अवधि के लिए 8 दिसंबर 2008 से कुछ शर्तों के अधीन बढ़ा दी गई। समीक्षा करने पर, एआइएफआइ के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों में चुनिंदा एआइएफआइ (सिडबी, एनएचबी तथा एक्ज़िम बैंक) को दिसंबर 2008 में अनुमत छूट पुनर्वित्त सुविधा के साथ समाप्त कर दी गई। तदनुसार, एआइएफआइ की बकाया उधार राशियों को 31 मार्च 2010 से सामान्य विवेकपूर्ण सीमा, अर्थात सकल संसाधनों पर एनओएस के 10 गुने की अधिकतम सीमा तथा एनओएफ के एक गुने की छत्र सीमा, के भीतर रखने की अपेक्षा की गई।

3.88 सहायता संघ व्यवस्था/बहुल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार संबंधी दिशानिर्देश, अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज, चल प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड,

'लेखा पर टिप्पणी' में अतिरिक्त प्रकटीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना तथा बैंकों को जारी कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं आवश्यक परिवर्तन सहित 1 जुलाई 2010 से चुनिंदा एआइएफआइ पर लागू कर दी गईं। साथ ही, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएलएम) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (सीएफटी) तथा परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत रखे गए निवेशों की बिक्री के बारे में बैंकों को जारी दिशानिर्देश भी चुनिंदा एआइएफआइ पर लागू किए गए।

मुद्रा फ्यूचर्स में भाग लेना

3.89 एनबीएफसी को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट मुद्रा फ्यूचर्स एक्सचेंजों में ग्राहकों के रूप में सिर्फ उनके अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के बचाव के प्रयोजन के लिए, इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन, भाग लेने की अनुमति दी गई है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण (एनबीएफ-एएलएम3) प्रस्तुत करना

3.90 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया है कि वे संबंधित छमाही की समाप्ति के 20 दिनों के भीतर ब्याज दर संवदेनशीलता संबंधी विवरणी (एनबीएफ-एएलएम3) प्रस्तुत कर दिया करें।

एनबीएफसी के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स

3.91 एनबीएफसी को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट ब्याज दर फ्यूचर्स एक्सचेंजों में ग्राहकों के रूप में, सिर्फ उनके अंतर्निहित एक्सपोजरों के बचाव के प्रयोजन के लिए, इस मामले में रिज़र्व बैंक/ सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन, भाग लेने की अनुमति दी गई है।

उपयुक्त और उचित मानदंड

3.92 किसी जमा लेनेवाली एनबीएफसी के शेयरों के अधिग्रहण/ अभिग्रहण अथवा जमा लेनेवाली एनबीएफसी के किसी अन्य संस्था के साथ विलय/समामेलन अथवा किसी संस्था के जमा लेनेवाली एनबीएफसी के साथ ऐसा विलय/समामेलन, जिससे अभिग्रहणकर्ता/ अन्य संस्था को जमा लेनेवाली एनबीएफसी का नियंत्रण प्राप्त हो जाए, के मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार का विलय/समामेलन करने पर प्रबंधन के सामान्य स्वरूप को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

चिट फंड कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार किया जाना

3.93 विविध गैर बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) के रूप में वर्गीकृत चिट फंड कंपनियां शेयरधारकों से जमा स्वीकार कर सकती हैं परंतु उन्हें जनता से जमा स्वीकार करने से मना किया गया है। उन्हें परिपक्वता पर सार्वजनिक जमाराशियों की चुकौती करने के लिए सूचित किया गया है।

एनबीएफसी की नयी श्रेणी - बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी

3.94 बुनियादी ढांचा क्षेत्र को कर्ज प्रदान करनेवाली कंपनियों द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ''बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी''(आइएफसी) नामक एनबीएफसी की चौथी श्रेणी शुरू की जाए। बुनियादी ढांचा उधार में कुल आस्तियों के कम-से-कम 75 प्रतिशत का नियोजन करनेवाली कंपनियों को, जिनके पास 300 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधियां हैं, जिनकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए' अथवा समतुल्य है; तथा जिनका सीआरएआर 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत न्यूनतम टियर I पूंजी सहित) है, इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा तथा उन्हें अपनी स्वाधिकृत निधियों के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि एकल/समूह उधारकर्ता को उधार देकर वर्तमान कर्ज संकेंद्रण मानदंडों को पार करने की अनुमति होगी।

एनबीएफसी द्वारा विदेशी निवेश

3.95 एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के विनियामक अनुमोदन के बिना विदेशी निवेश किया जाना फेमा विनियमावली 2004 का उल्लंघन है। अतः विदेश में किसी प्रकार का निवेश करने की इच्छुक सभी एनबीएफसी को इस प्रकार का निवेश करने के पहले रिज़र्व बैंक से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - सूचना का प्रकटीकरण

3.96 एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त मंजूर करते समय, उन्हें शर्तों के एक अंग के रूप में यह विनिर्दिष्ट करना चाहिए कि: (क) बिल्डर/डेवलपर/स्वामी/कंपनी पैम्फलेट/ब्रोशर/विज्ञापन आदि में उस संस्था/उन संस्थाओं का/के नाम दर्शाएंगे, जिसे संपत्ति बंधक रखी गयी है तथा यह कि वे अपेक्षित होने पर फ्लैट/संपत्ति की बिक्री के लिए बंधकग्राही संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र/उसकी अनुमति उपलब्ध कराएंगे, (ख) बिल्डर/डेवलपर/स्वामी/कंपनी द्वारा उक्त अपेक्षाएं पूरी न की जाने पर निधियां जारी नहीं की जानी चाहिए।

प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2010 द्वारा उधारकर्ता के कारोबार में परिवर्तन अथवा प्रबंधन का अधिग्रहण

3.97 इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उधारकर्ता के कारोबार का उचित प्रबंधन है ताकि प्रतिभूतिकरण कंपनियां/पुनर्रचना कंपनियां (एससी/आरसी) उधारकर्ता के कारोबार में परिवर्तन करके अथवा प्रबंधन का अधिग्रहण करके तथा संबंधित मामलों से उधारकर्ताओं से अपनी देय राशियां वसूलने में समर्थ हो सकें।

प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश तथा निदेशावली, 2003 - संशोधन

3.98 एससी/आरसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा बाजार अनुशासन लाने की दृष्टि से, अन्य बातों में, वर्ष के दौरान वसूल की गयी आस्तियों, वर्ष के अंत में समाधान न की गयी वित्तीय आस्तियों के मूल्य, मोचन के लिए लंबित प्रतिभूति प्राप्तियों के मूल्य से सम्बद्ध अतिरिक्त प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं। अब यह एससी/आरसी के लिए अधिदेशात्मक बना दिया गया है कि वे प्रत्येक योजना तथा प्रत्येक वर्ग के तहत उनके द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों की बकाया राशि के न्यूनतम पांच प्रतिशत हिस्से में निवेश करें तथा उसे तब तक बनाए रखें जब तक किसी विशेष योजना के तहत जारी सभी प्रतिभूति प्राप्तियों का मोचन न हो जाए।

एनबीएफसी द्वारा शारीरिक रूप से बाधित/दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उधार सुविधाएं

3.99 एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि विकलांगता के आधार पर शारीरिक रूप से बाधित/दृष्टिबाधित आवेदकों को उधार सुविधाओं सहित कोई सुविधा तथा उत्पाद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा बैंक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

3.100 प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उसके सांविधिक लेखा-परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि वह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में संलग्न है जिसके लिए रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आइए के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र रखना अपेक्षित है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र हर वर्ष अधिक-से-अधिक 30 जून तक गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके अधिकार-क्षेत्र के तहत वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत हो।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक

राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों (पीईपी) के खाते

3.101 राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों (पीईपी) तथा उनके परिवार के सदस्यों अथवा निकट संबंधियों पर लागू ग्राहक सम्यक समवेक्षा (सीडीडी) संबंधी उपायों के बारे में ब्यौरेवार दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान ग्राहक अथवा वर्तमान खाते के लाभार्थी स्वामी के बाद में पीईपी बन जाने की स्थिति में, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा वह खाता पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू सीडीडी उपायों, सतत आधार पर बढ़ी हुई निगरानी सहित, के अध्यधीन होना चाहिए।

प्रधान अधिकारी

3.102 एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया था कि उन्हें एक वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति प्रधान अधिकारी के रूप में करनी चाहिए तथा प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के ब्यौरे उसमें दिए गए हैं। यह सूचित किया गया कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उपयुक्त स्टाफ की समय पर पहुंच ग्राहक पहचान आंकड़ों तथा अन्य सीडीडी जानकारी, लेनदेन रिकार्डों और अन्य सुसंगत जानकारी तक होनी चाहिए। साथ ही, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके तथा वरिष्ठ प्रबंधन अथवा निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 - संशोधन

3.103 एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया था कि वे धनशोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप एवं मूल्य के रिकार्डों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया एवं विधि तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान संबंधी रिकार्डों का सत्यापन एवं रखरखाव) नियमावली, 2005 (पीएमएलए नियमावली) के अनुसार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्ड एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) और ग्राहक के बीच किए गए लेनदेन की तारीख से कम-से-कम दस वर्ष तक रखें। तथापि, ग्राहक की पहचान तथा उनके पते संबंधी रिकार्ड (अर्थात पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, यूटीलिटी बिल आदि) खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध के दौरान प्राप्त किए जाएं और कारोबारी संबंध समाप्त होने के बाद कम-से-कम दस वर्ष तक उनका परिरक्षण किया जाए।

पूंजी पर्याप्तता - संपार्श्विकीकृत उधार लेने तथा देने संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) के जरिए दिए गए उधार पर जोखिम भार

3.104 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों (सीबीएलओ) के कारण सीसीआइएल के प्रति एनबीएफसी के एक्सपोज़र से उत्पन्न प्रतिपक्षकार कर्ज जोखिम पर शून्य जोखिम भार होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी के उसके प्रतिपक्षकारों के प्रति एक्सपोज़र को दैनिक आधार पर पूर्णतः संपार्श्विकीकृत किया जाता है, इस प्रकार सीसीपी के कर्ज जोखिम एक्सपोज़रों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। सीसीआइएल के पास एनबीएफसी द्वारा रखी गयी जमाराशियों/संपार्श्विकों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (सीएफटी)

3.105 वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिन्सिप की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में मौजूद कमियों से उत्पन्न जोखिमों के बारे में 16 अक्तूबर 2009 को एक वक्तव्य जारी किया। तदनुसार सभी एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिन्सिप की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में मौजूद कमियों से उत्पन्न जोखिमों को हिसाब में लें।

एफडीआइ मानदंडों का अनुपालन - एनबीएफसी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों से छमाही प्रमाणपत्र

3.106 स्वचालित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआइ रखने वाली एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे छमाही (सितंबर तथा मार्च को समाप्त छमाही) आधार पर अपने सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर एफडीआइ की वर्तमान शर्तों का अनुपालन किया जाना प्रमाणित करें। इस प्रकार का प्रमाणपत्र उस प्रमाणपत्र से संबद्ध छमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी के मुख्यालय को पंजीकृत कराया गया हो।

गारंटी जारी करने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआइ - संकेंद्रण मानदंडों से छूट लागू करना

3.107 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ गारंटियां भी जारी करती हैं तथा इन गारंटियों के न्यागमन के लिए सार्वजनिक निधियों तक पहुंच अपेक्षित है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया

गया था कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली ऐसी कोई एनबीएफसी, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती या गारंटियां जारी नहीं करती, कर्ज के संकेंद्रण/निवेश मानदंडों के संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा में छूट/आशोधन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करे।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ विनियमावली लागू करना

3.108 100 करोड़ रुपए आस्ति आकार वाली जमा न लेने वाली एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार पा लेने पर समय-समय पर एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को जारी किए गए रिज़र्व बैंक के विनियमनों का अनुपालन करें, चाहे किसी भी तारीख को ऐसा आकार प्राप्त किया गया हो तथा आस्ति आकार में अस्थायी कटौती होने के मामले में भी वर्तमान निदेशों का अनुपालन जारी रखें।

प्राथमिक व्यापारी

3.109 वर्ष 2009-10 के दौरान, प्राथमिक व्यापारी संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की गयीं। पहला, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को पिछले वित्त वर्ष में मार्च के अंत में उनकी लेखा-परीक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की मात्रा तक सरकारी प्रतिभूति संबंधी अपने संविभाग के एक हिस्से का वर्गीकरण एचटीएम श्रेणी के तहत करने की अनुमति दी गई है। दूसरा, प्राथमिक व्यापारियों के लिए एनओएफ की न्यूनतम अपेक्षाओं को 1 अप्रैल 2010 से 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। विशाखीकृत कार्यकलाप करने के लिए अनुमत प्राथमिक व्यापारियों के लिए न्यूनतम एनओएफ अपेक्षा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गयी है। तीसरा, विनियामक द्वारा लगाए गए दंड के प्रकटीकरण की सवोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक व्यापारी से वसूले गए दंड के ब्यौरे सार्वजनिक डोमेन पर रखे जाएं। इस दंड को पीडी के तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणी' में भी प्रकट किया जाना अपेक्षित है। चौथा, 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना डीएनबीएस.193 डीजी (वीएल)-2007 में निर्धारित कर्ज़/निवेश के संकेंद्रण संबंधी मानदंड, जिन्हें 30 जून 2010 तक अद्यतन किया गया है, स्टैंडअलोन पीडी पर लागू कर दिए गए।

10. वित्तीय बाजार

3.110 2009-10 के दौरान, वित्तीय बाज़ारों में व्यवस्थित रूप में कामकाज हुआ। मुद्रा बाज़ार की ब्याज दरें सामान्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) दर कारिडोर के निचले स्तर के नजदीक रहीं क्योंकि चलनिधि की समग्र स्थिति अधिशेष की स्थिति में बनी रही। 2009-10 की पहली छमाही में चलनिधि के मुख्य वाहक थे - रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार के शेष, खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की अनवाइंडिंग । सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में बाजार से उधार लिए जाने के कारण 2009-10 में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर कुछ ऊर्ध्वमुखी दबाव आया। तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन से इसे नियंत्रित किया जा सका। निजी क्षेत्र से कर्ज की कम मांग से भी प्रतिफल पर ऊर्ध्वमुखी दबाव नियंत्रित करने में मदद मिली। वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार आम तौर पर दृढ़ बने रहे तथा बीच-बीच में वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप उसमें करेक्शन देखा गया। सार्वजनिक निर्गमों के जरिए संसाधन संग्रहण में वृद्धि हुई। 2009-10 में आवास की कीमतों में उछाल आया। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, वे मुंबई में संकट के पहले के उच्च स्तर को पार कर गईं। विनिमय दर में गुरुतर लचीलापन दिखाई दिया।

3.111 वैश्विक वित्तीय बाजार में सामान्यता आने, देशी चलनिधि की सुगम स्थिति तथा व्यापार कर्ज की स्थितियों में सुधार होने के साथ, पहले के कुछ उपायों को या तो कम कर दिया गया या वापस ले लिया गया। रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को प्रदान की गई बढ़ी हुई निर्यात पुनर्वित्त कर्ज सीमा संबंधी सुविधाओं (15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत)को कम करके 27 अक्तूबर 2009 को संकट-पूर्व स्तर पर लाया गया।

3.112 बुनियादी ढांचा के भीतर कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भंडारण के लिए क्षेत्र स्तर की प्री-कूलिंग को शामिल करके उसकी परिभाषा का विस्तार किया गया। समन्वित टाउनशिप के विकास में संलग्न कंपनियों को 31 दिसंबर 2010 तक अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी प्राप्त करने की

अनुमति दी गई है। अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी के माध्यम से अंतरण वित्तपोषण की योजना की अनुमति दी गई है ताकि नई परियोजनाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी सेक्टरों, यथा समुद्री पत्तन तथा हवाई पत्तन, पुलों सहित सड़क एवं पावर सेक्टर, के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। संकट की अवधि में शुरू की गई तथा आरंभ में जून 2010 तक उपलब्ध एफसीसीबी के पुनःक्रय की योजना को बाद में अनुमोदन मार्ग के तहत जून 2011 तक बढ़ा दिया गया। सेवा क्षेत्र अर्थात होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर के उधारकर्ताओं को अब तक विदेशी मुद्रा के लिए और /अथवा अनुमेय अंतिम उपयोगों हेतु रुपया पूंजी व्यय के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति थी। और अधिक उदारीकरण संबंधी उपाय के रूप में, अनुमोदन मार्ग के तहत इन विशिष्ट सेवा क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। तथापि, कर्ज बाजार की स्थितियों में सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कर्ज के स्प्रेड में कमी को देखते हुए, अनुमोदन मार्ग के तहत कुल लागत संबंधी अधिकतम सीमा में अनुमत छूट को 1 जनवरी 2010 से समाप्त कर दिया गया।

3.113 बाह्य लेनदेनों में प्रक्रियागत बाधाओं तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए नीतिगत पहलों को भी सुदृढ़ किया गया है ताकि पूंजी खाता के उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक सार्थक बनाया जा सके। भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम संबंधी दिशानिर्देशों को जुलाई 2009 में परिचालित कर दिया गया, इस प्रकार विदेशी कंपनियों को भारतीय पूंजी बाजार से प्रत्यक्ष तौर पर निधि जुटाने की सुविधा प्रदान की गई है। आइडीआर के परिचालन से निवासी व्यक्ति बिना किसी सीमा के तथा भारत में मुद्रा परिवर्तन के माध्यम से होकर गुजरे बिना विदेशी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) को भी आइडीआर में निवेश करने, खरीदने, रखने और उसे अंतरित करने की अनुमति है।

3.114 एफआइआइ को बाजार के नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए नकदी के अलावा एएए रेटिंग वाली देशी सरकारी प्रतिभूतियां तथा विदेशी राष्ट्रीय प्रतिभूतियां, भारत स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को संपार्श्विक के रूप में, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों की क्रॉस-मार्जिनिंग (एफआइआइ द्वारा बाजार के नकदी खंड में किए गए उनके लेनदेनों के लिए मार्जिन के रूप में रखना) की अनुमति बाजार के नकदी एवं डेरिवेटिव खंडों के बीच नहीं दी जाएगी। तरजीही आबंटन सहित शेयरों के निर्गम के संबंध में तथा निवासी से अनिवासी को और इसके विपरीत इक्विटी लिखतों के अंतरण के लिए मूल्यन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

3.115 बाजार के प्रतिभागियों की मांग का सम्मान करते हुए तथा मुद्रा, घरेलू विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार के समय के बीच समक्रमण करने की दृष्टि से, 2 अगस्त 2010 से सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले एकमुश्त लेनदेनों तथा टी+1 आधार पर निपटान करने वाले सीबीएलओ बाजारों के लिए बाजार का समय सोमवार से शुक्रवार तक 9.00 बजे तथा 17.00 बजे के बीच होगा। टी+0 आधार पर निपटान वाले इन बाजारों में तथा शनिवार के लिए लेनदेन का समय अपरिवर्तित बना रहेगा। सीडी तथा सीपी के लिए द्वितीयक बाजार लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, 1 जुलाई 2010 से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे फिम्मडा मंच पर सीडी एवं सीपी में किए गए अपने ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्ट बाजार सूचना के ऑनलाइन प्रसारण के लिए ट्रेड के 15 मिनिट के भीतर प्रस्तुत करें।

3.116 पिछले विनियामक ढांचे के अनुसार, यदि एक छमाही में तीन बार एसजीएल अंतरण बाउंस हो जाता है, तो खातेदार को 6 महीने की अवधि के लिए एसजीएल सुविधा के उपयोग से वंचित किया जा सकता है। उक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया तथा जुलाई 2010 में प्रत्येक घटना के लिए 5 लाख रुपए के अधिकतम दंड के अधीन क्रमिक मौद्रिक दंड की प्रणाली निर्धारित की गयी। साथ ही, रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को 90 दिनों से कम परिपक्वता के लिए जारी नहीं किया जा सकता तथा इसमें ऐसे काल/पुट विकल्प नहीं हो सकते जिनका प्रयोग जारी करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाना हो।

3.117 जुलाई 2010 में, रिज़र्व बैंक द्वारा जनता के अभिमत के लिए उसकी वेबसाइट पर ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) विदेशी

मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्य कीमत जोखिम एवं भाड़ा जोखिम के विदेशी बचाव से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा डाला गया।

3.118 प्रक्रियागत सरलीकरण संबंधी उपाय के रूप में, भारतीय पक्षकारों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआइ) हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली मार्च 2010 से चरणबद्ध रूप में परिचालित की गई है। नई प्रणाली से संदर्भ के प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआइएन), विप्रेषणों की पावती तथा वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की फाइलिंग ऑनलाइन करना तथा एडी स्तर पर आंकड़े आसानी से प्राप्त करना संभव होगा।

एक्सचेंज ट्रेडेट मुद्रा डेरिवेटिव

3.119 अगस्त 2008 में अमरीकी डालर-आइएनआर में मुद्रा फ्यूचर्स शुरू किए गए। 2009-10 में तीन और मुद्रा युग्म अर्थात यूरो-आइएनआर, जापानी येन-आइएनआर तथा पौंड स्टर्लिंग-आइएनआर शुरू किए गए ताकि भारतीय निवासियों को मुद्रा एक्सपोजर से बचाव के लिए और मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें। तथापि, वित्तीय स्थिरता के हित में मुद्रा फ्यूचर्स बाजारों में सहभागिता निवासियों तक सीमित रखी गई है। एक्सचेंज में जिन बचाव साधनों की ट्रेडिंग होती है उनकी वर्तमान प्रसूची का विस्तार करने के लिए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को निवासियों के लिए हाजिर यूएसडी-आइएनआर विनिमय दर पर प्लेन वनीला मुद्रा ऑप्शन शुरू करने की अनुमति दी गई है। मुद्रा ऑप्शन बाजार समय-समय पर रिज़र्व बैंक तथा सेबी द्वारा जारी किए गए निदेशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों तथा नियमों के अधीन कार्य करेगा।

11. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.120 2009-10 के दौरान, दक्ष ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को संवेदनशील बनाकर बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। रिज़र्व बैंक ने 'आम जनता के लिए' नामक विनिर्दिष्ट पेज में ग्राहकों से संबंधित सभी अधिसूचनाएं तथा प्रेस विज्ञप्तियां डालकर बहुभाषी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक सेवा संबंधी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रसार करने तथा बैंकों द्वारा परिवाद निवारण किए जाने के संबंध में कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य बैंकों के ग्राहक भी उक्त वेबसाइट के 'संपर्क करें' रीति के जरिए अपने परिवादों एवं प्रश्नों के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एक शिकायत प्ररूप को भी सक्रिय बना दिया गया है।

3.121 शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकों से कहा गया कि वे बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों के निवारण हेतु संपर्क किए जानेवाले अधिकारियों के नाम के साथ क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किए गए संबद्ध नोडल अधिकारी के नाम दर्शाएं। बैंक बीओएस के प्रावधानों के अनुसार अपनी वेबसाइटों पर भी यह जानकारी दर्शा सकते हैं।

3.122 1 जुलाई 2010 को ग्राहक सेवा पर एक व्यापक मास्टर परिपत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए, यथा, ग्राहक सेवा, जमा खातों का परिचालन, सेवा प्रभार लगाना, काउंटरों पर सेवा, सूचना प्रकटीकरण, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाएं, जमाखातों में अभिभावक बनाना, विप्रेषण, ड्रॉप बॉक्स सुविधा, लिखतों की वसूली, चेकों को नकारना, शिकायतें निपटाना, गलत और कपटपूर्ण लेनदेनों के कारण गलती से राशि नामे डालना, सुरक्षित जमा लॉकर, नामांकन सुविधा, मृत जमाकर्ता/गायब व्यक्ति के दावों का निपटान, अदावी तथा परिचालित खातों में जमाराशियां, ग्राहक के प्रति गोपनीयता संबंधी दायित्व, शाखा में आंतरिक खाते का अंतरण, बैंक बदलना, सीबीडीटी के अधिकारियों का समन्वयन, कार्यदल/समितियों की सिफारिश का कार्यान्वयन, ग्राहकों के प्रति बीसीएसबीआइ की वचनबद्धता संहिता तथा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश। परिपत्र में, निम्नलिखित से संबंधित अनुदेश जारी किए गए - एटीएम से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करना, आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए न्यास और बहुविध विकलांगता अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों के संबंध में जानकारी दर्शाना और 1 करोड़ तथा उससे अधिक मूल्य के चेकों को बार-बार नकारने की घटना।

3.123 ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी) ने बैंकों द्वारा आवास ऋण एवं चेक वसूली के संबंध में बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न प्रकाशित किए, जिसे आम आदमी की जानकारी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) को सूचित किया गया है कि वे बैंकों द्वारा सिबिल को आंकड़े सूचित किए जाने वाले फार्मेट को संशोधित करें ताकि खातों का वर्गीकरण बंद खाते, निपटाए गए खाते, पुनर्रचित खाते तथा अवलिखित खाते के रूप में किया जा सके तथा अलग से हैसियतवाले फील्ड में विशिष्ट फ्लैग तथा तारीखें दी जाएं जिससे एक व्यक्ति के क्रेडिट का इतिहास बेहतर रूप में प्रतिबिंबित हो। इससे पहले, खातों का वर्गीकरण बैंक से निपटान होने के बावजूद 'अवलिखित' के रूप में कर दिया गया था। अब सिबिल की क्रेडिट रिपोर्ट 142 रुपया अदा करने पर ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाती है।

3.124 इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी को टालने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग संबंधी लेनदेन किए जाते समय मॉनिटर पर दावात्याग (यथा बैंक पिन/पासवर्ड की मांग नहीं करता, अतः परिचित न होने पर इंटरनेट संबंधी लेनदेन करने के प्रति सचेत रहें, उससे बचें) दर्शाएं।

3.125 आइबीए ने सभी बैंकों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे सभी खुदरा उधारों के लिए मूलधन, ब्याज तथा बकाया राशि के विवरणों जैसे ब्यौरे शामिल करते हुए वार्षिक आधार पर उधार संबंधी विवरण उपलब्ध कराएं।

एटीएम संबद्ध शिकायतों के लिए जानकारी दर्शाना

3.126 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने एटीएम स्थलों पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित जानकारी दर्शाएं : (क) एक नोटिस कि शिकायतें उन शाखाओं में प्रस्तुत की जाएं, जहां ग्राहक का वह खाता हो जिससे एटीएम कार्ड संबद्ध हो, (ख) शिकायत प्रस्तुत करने/सहायता मांगने के लिए एटीएम के स्वामी बैंक के सहायता डेस्क/संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की टेलिफोन संख्या।

3.127 बैंकों को सूचित किया गया कि वे पते तथा अन्य ब्यौरों में बदलाव की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल ग्राहकों के रिकार्ड को अद्यतन करें तथा बिलिंग विभाग के साथ उचित समन्वय भी सुनिश्चित करें। श्री एम.दामोदरन की अध्यक्षता में बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में एक समिति गठित की गई है जो पेंशनभोगियों सहित खुदरा एवं छोटे ग्राहकों को दी जानेवाली बैंकिंग सेवाओं की तथा बैंकों में मौजूद परिवाद निवारण प्रक्रिया, उसके ढांचे एवं दक्षता की जांच करेगी तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उपाय सुझाएगी। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक में ग्राहक सेवा/ ग्राहकों की देखभाल संबंधी पहलुओं की समीक्षा करें तथा हर छः महीने में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष इस संबंध में ब्यौरेवार ज्ञापन प्रस्तुत करें तथा सेवा की गुणवत्ता/ कुशलता संबंधी अंतराल पाए जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करें। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए आग्रह न करें।

3.128 ग्राहकों को चेकों की वसूली में हुई देरी के लिए अथवा दस्तावेज/ प्रतिभूति लौटाने में देयराशि के निपटान से 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर मांग किए बिना मुआवजा पाने का हक है। बैंक अब निम्नलिखित के लिए भी वचनबद्ध हैं - ब्याज आय पर लागू आय कर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करना तथा मीयादी जमाखाता खोलते समय फार्म 15-जी/एच प्राप्त करना, जहां-कहीं लागू हो; किसी खाते को निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के रूप में वर्गीकृत करने के पहले खाते के पहले धारक के अलावा संयुक्त धारक/कों को सूचित करना; इस बात का आग्रह न करना कि प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के लिए बीमा कवर विशेष संस्था से प्राप्त किया जाए; टेलीफोन पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत किसी प्रकार की पूर्व-स्वीकृत कर्ज सुविधाओं का संवितरण ग्राहक से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही करना; किसी वसूली एजेंट को उधार का कार्य सौंपने के पहले जांच प्रणाली लागू करना; 30 दिनों के भीतर ग्राहक की शिकायतें निपटाना।

बैंकिंग लोकपाल योजना

3.129 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के विरुद्ध परिवादों से संबंधित आम जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतकर्ताओं को ई-मेल, ऑनलाइन अथवा डाक द्वारा शिकायत भेजने की सुविधा होती है। बीओ कार्यालय शिकायत ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन शिकायतों की ट्रैकिंग करते हैं। 2009-10 के दौरान, पिछले साल प्राप्त 69,117 शिकायतों की तुलना में 15 बीओ कार्यालयों के पास 79,266 शिकायतें प्राप्त हुईं।

12. भुगतान और निपटान प्रणालियां

3.130 अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों में प्रगति के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के एक स्पष्ट मिशन के साथ कार्य करता है कि देश में परिचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां *''निरापद, सुरक्षित, सुदृढ़, सक्षम, अभिगम्य और प्राधिकृत''* हों। उक्त मिशन के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने वर्तमान प्रणालियों की दक्षता सुधारने तथा नयी रीतियों/प्रणालियों के उपयोग का संवर्धन करने के लिए 2009-10 के दौरान कई उपाय किए तथा साथ ही भुगतान प्रणालियों पर परोक्ष एवं प्रत्यक्ष निगरानी के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए भी प्रयास किया।

3.131 भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) के मार्गदर्शन और निदेशन के तहत, रिज़र्व बैंक की नीतियां भुगतान प्रणालियों के व्यवस्थित विकास का संवर्धन करने के प्रति पारदर्शी एवं अभिमुख रहीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रणालियां दक्ष और निरापद रूप में कार्य कर सकें। इन नीतियों के तहत प्रतिभागियों को कागज आधारित/नकदी चालित भुगतान प्रणालियों से अविघटनात्मक रूप में अधिक निरापद और तीव्रतर भुगतान संबंधी इलेक्ट्रॉनिक रीति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणालियों के परिचालन के लिए संस्थाओं को प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को कठिन तथा इन उद्देश्यों के अनुरूप बना दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, पर्याप्त विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी समर्थन एवं अच्छे कारपोरेट अभिशासन वाली संस्थाओं को ऐसी प्रणालियां परिचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। क्रेडिट-डेबिट कार्ड के प्रबंधन, एटीएम नेटवर्क, सीमापार धन अंतरण सेवाओं, तथा पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के निर्गम के क्षेत्र में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियां परिचालित करने के लिए सैंतीस संस्थाओं को अब तक प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। रिज़र्व बैंक ने 2009-12 अवधि को शामिल करते हुए एक भुगतान प्रणाली परिदृष्टि संबंधी प्रलेख तैयार किया है।

कागज़ आधारित भुगतान प्रणालियां

3.132 कागज़ आधारित लेनदेन माइकर और गैर-माइकर दोनों समाशोधन गृहों के जरिए प्रोसेस किए गए कुल लेनदेनों का 60 प्रतिशत हैं। कागज़ आधारित प्रणालियों की सुरक्षितता, निरापदता और दक्षता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए (i) एक वर्ष की अवधि में एक अविघटनात्मक रूप में उच्च मूल्य वाले समाशोधन को बंद कर दिया गया; (ii) बाहरी चेकों का स्थानीय समाशोधन सुकर बनाने के लिए त्वरित समाशोधन का विस्तार 66 माइकर केंद्रों तक कर दिया गया; (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चेक छिन्नन प्रणाली (सीटीएस) को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद सभी दक्षिणी केंद्रों को शामिल करते हुए चेन्नै में उसे शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं; (iv) सीटीएस के तहत प्राप्त छबि की अक्षतता बढ़ाने के लिए सीटीएस-2010 नामक एक नया चेक मानक जारी कर सुरक्षा संबंधी न्यूनतम विशिष्टताओं को अधिदिष्ट कर दिया गया, जिसमें कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, अदृश्य स्याही में बैंक के लोगो तथा चेक के प्ररूपों पर 'वाइड पैंटोग्राफ' को शामिल किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां

3.133 भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां बड़े मूल्य वाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां अर्थात तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस और ईसीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा कार्ड भुगतान प्रणालियां हैं। कागज से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में लेनदेनों के बदलाव की प्रवृत्ति 2009-10

में जारी रही। वर्ष के दौरान कुल लेनदेनों में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का हिस्सा परिमाणवार 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तथा मूल्यवार 83.9 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया । इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए, ईसीएस/ इनईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए प्रोसेसिंग प्रभार माफ करने की अवधि और बढ़ाकर 31 मार्च 2011 तक कर दी गई।

तत्काल सकल निपटान प्रणालियां

3.134 पूरे विश्व में केंद्रीय बैंकों द्वारा आरटीजीएस प्रणाली लागू करने का उद्देश्य उच्च मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान प्रणालियों में जोखिम को न्यूनतम करना है। एक आरटीजीएस प्रणाली में, लेनदेनों का निपटान निरंतर सकल आधार पर केंद्रीय बैंक में धारित खातों के बीच किया जाता है। यह निपटान तत्काल, अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होता है तथा इस प्रकार समय में देरी की वजह से निपटान में होने वाले क्रेडिट संबंधी जोखिमों को समाप्त कर दिया जाता है। भारत ने 2004 में आरटीजीएस प्रणाली शुरू की तथा तब से हर साल इसमें किए गए लेनदेनों का परिमाण तथा मूल्य कई गुना बढ़ रहा है। प्रतिभागियों के परामर्श से रिज़र्व बैंक सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पहलें की गयी हैं :

- शनिवार को आरटीजीएस लेनदेनों को प्रॉसेस करने के लिए अंतर-बैंक लेनदेनों के समय तथा ग्राहकों के समय में 30 मिनट की वृद्धि की गयी है तथा अब ग्राहकों के लेनदेन के लिए 9.00 बजे से 13.30 बजे तक तथा अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए 9.00 बजे से 15.00 बजे तक का समय उपलब्ध है।
- सेबी द्वारा विनियमित समाशोधन संस्थाओं अर्थात भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (आइसीसीएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) को दिसम्बर 2009 से आरटीजीएस में कारपोरेट बांड लेनदेनों के ओटीसी ट्रेड के निधि संबंधी चरणों का निपटान करने की अनुमति दी गयी है।
- व्याप्ति, प्रयोग तथा प्रौद्योगिकी में बदलाव में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी वाली आरटीजीएस में प्रवेश की शुरुआती पहलें की गयी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) :

3.135 थोक भुगतानों के लिए एकल नामे/जमा के प्रति बहुल जमा/नामे की ईसीएस सुविधा का विस्तार 89 केंद्रों तक किया गया है। कई स्थानों पर कई बार फाइल करने की बजाय केंद्रीकृत रूप में एकल फाइल प्रस्तुत करने की सुविधा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सितम्बर 2008 में शुरू की गयी। वर्ष के दौरान एनईसीएस जमा के माध्यम से प्रॉसेस किए गए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य में लगभग दो गुने की तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय अधिक बैंकों (116), शाखाओं (लगभग 48,000) तथा प्रणाली में भाग ले रही कम्पनियों की बढ़ी हुई संख्या को जाता है। जुलाई 2010 में, एनईसीएस में 152.92 बिलियन रुपए के 8.10 मिलियन के सर्वाधिक लेनदेन किए गए, जबकि इसकी तुलना में 2009-10 में मासिक औसत 65.10 बिलियन रुपया (मूल्य) तथा 5.92 मिलियन (मात्रा) था।

3.136 राज्य (राजधानी वाले शहर) में एक स्थान से परिचालन करने की सुविधा राज्य सरकारों को देने के लिए, मई 2009 में बेंगलुरु में क्षेत्रीय ईसीएस (आरईसीएस जमा) की संकल्पना लागू की गयी, जिसे अब चेन्नै में भी लागू किया गया है। अन्यथा राज्य सरकारें व्यक्तियों / संस्थाओं को बार-बार किए जाने वाले भुगतानों के लिए विभिन्न शहरों / स्थानीय केंद्रों में उपलब्ध स्थानीय-ईसीएस परिवर्ती का उपयोग कर रही थीं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली :

3.137 2005 में लागू किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), जो ईएफटी का केन्द्रीकृत रूपांतर है, से निधियों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी स्थान में करने में मदद मिलती है। बड़ी मात्रा का सफलतापूर्वक निपटान करने में इस प्रणाली को सक्षम बनाने की दृष्टि से एनईएफटी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : (i) ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एनईएफटी के सदस्य बैंक के सेवा केन्द्र में ग्राहक सुविधा केंद्र (सीएफसी) का अधिदिष्ट सृजन। जनता के लाभ के लिए आरबीआइ की वेबसाइट पर सीएफसी की एक डाइरेक्टरी डाली गयी है; (ii) पहले के टी+1 के स्थान पर

एक बैच पूरा होने के दो घंटों के भीतर वापसी को अधिदिष्ट करके एनईएफटी लेनदेनों के लिए वापसी संबंधी अनुशासन को सख्त बनाया गया; (iii) लेनदेनों के लगभग तात्कालिक निपटान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सप्ताह के दिनों में निपटानों की संख्या छः से बढ़ाकर ग्यारह तथा शनिवार को तीन से बढ़ाकर पांच निपटान कर दी गयी; (iv) लाभार्थी के खाते में सफलतापूर्वक राशि जमा किए जाने के लिए एनईएफटी के माध्यम से निधियों के विप्रेषणकर्ताओं को *'सकारात्मक पुष्टि'* भेजने की प्रणाली शुरू की गयी, जो एक अनूठी पहल है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा एटीएम

3.138 2009-10 के दौरान, बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इंटरनेट पर क्रेडिट /डेबिट कार्डों के उपयोग से उत्पन्न जोखिम कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए; (i) कार्ड पर अनुपलब्ध सूचना के आधार पर इंटरनेट पर क्रेडिट कार्डों के उपयोग के बारे में अतिरिक्त अधिप्रमाणन; (ii) 5,000 रुपए तथा अधिक मूल्य के ''कार्ड की प्रस्तुति के बिना''(सीएनपी) लेनदेनों के लिए कार्डधारकों को ऑनलाइन अलर्ट भेजना; (iii) जनवरी 2011 से टेलीफोन पर किए गए लेनदेनों (आइवीआरएस) के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन तथा ऑनलाइन अलर्ट की प्रणाली लागू करना; (iv) एटीएम में लेनदेन विफल होने के कारण बैंकों द्वारा गलती से राशि नामे डाले जाने पर ग्राहकों को 12 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति तथा उन्हें इस प्रकार के संवितरण में की गई देरी के लिए प्रति दिन 100 रु. की दर से मुआवजे की स्वतः अदायगी; (v) सभी एटीएम तथा बैंकों की वेबसाइटों पर एक मानकीकृत एटीएम शिकायत टेम्पलेट रखना; तथा (vi) अनुज्ञा-प्राप्त बैंकों द्वारा पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट कार्डों का उपयोग कर प्रति दिन 1,000 रुपए तक की नकदी का आहरण करने की अनुमति दिया जाना।

पूर्व-प्रदत्त लिखतें

3.139 पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने एवं उनके लेखांकन के बारे में अप्रैल 2009 में ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए, अगस्त 2009 में बैंकेतर संस्थाओं को भी, जिन्हें पहले अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई थी, मोबाइल आधारित पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुज्ञा प्रदान की गई। रिज़र्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त लिखतें जारी करने के लिए 28 बैंकों को अनुमोदन तथा 16 बैंकेतर संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान किया।

3.140 ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान रीतियों का उपयोग कर उनके द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार का भुगतान पाने वाले मध्यस्थों द्वारा सम्यक् रूप से लेखांकित किया जाएगा, नवंबर 2009 में निदेश जारी किए गए। इन निदेशों में यह अपेक्षा की गई कि इस प्रकार के लेनदेनों के लिए ग्राहकों से प्राप्त निधियों को बैंक के आंतरिक खाते में रखे जाने की जरूरत है तथा मध्यस्थ की पहुँच उस तक नहीं होनी चाहिए।

मोबाइल बैंकिंग

3.141 अक्तूबर 2008 में मोबाइल बैंकिंग के बारे में जारी किए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई तथा ई-कॉमर्स और धन अंतरण लेनदेन दोनों के लिए मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों की सीमाएं बढ़ाकर 50,000 रुपए करके तथा बैंक खाता नहीं रखनेवाले लाभार्थी को बैंक खाते से 5,000 रुपए तक धन अंतरण सुविधा की अनुज्ञा प्रदान कर दिसंबर 2009 में उन्हें शिथिल किया गया।

विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक हस्तक्षेप

3.142 भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों की कड़ी निगरानी जारी रखी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत रिज़र्व बैंक से विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति भुगतान प्रणाली का परिचालन न करे। रिज़र्व बैंक ने ऐसे कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया तथा बाह्य चेकों की वसूली के लिए प्रभारों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए कुछ बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

अन्य गतिविधियां

3.143 भारत अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) की भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) का एक सदस्य है। सीपीएसएस के चार स्थायी/कार्यकारी दलों में भी रिज़र्व

बैंक का प्रतिनिधित्व है, यथा (i) मानकों की सामान्य समीक्षा; (ii)रिपो बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा; (iii) व्यापारोत्तर सेवाएं, और (iv) खुदरा भुगतान प्रणालियां। रिज़र्व बैंक ने सार्क संबंधी भुगतान पहलों के तहत भूटान में इलक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए रायल मॉनीटरी अथॉरिटी (आरएमए) को निःशुल्क सहायता प्रदान की। जून 2010 में, भूटान में एनईसीएस तथा एनईएफटी प्रणालियां लागू की गईं।

13. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

3.144 वित्तीय प्रणाली के अधिक दक्षतापूर्वक कार्य कर सकने में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) की भूमिका का और लाभ उठाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने आइटी संबंधी मूलभूत ढांचे और नए अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन को समाविष्ट करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2011-17 की अवधि के लिए आइटी संबंधी परिदृष्टि तैयार करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करना तथा आगे के लिए उपाय सुझाना शामिल है, उप गवर्नर (डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें आइआइटी, आइआइएम, आइडीआरबीटी, बैंकों और रिज़र्व बैंक से सदस्यों को शामिल किया गया।

हरित आइटी और बैंकिंग क्षेत्र के लिए उसकी सुसंगतता

3.145 हरित बैंकिंग शब्द लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ज्यादा-से-ज्यादा नागरिक पर्यावरण में मदद करने के तरीके खोज रहे हैं। जहां, हरित बैंकिंग में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं, वहीं कई बैंक हरित बैंकिंग के एक अंग के रूप में अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का संवर्धन कर रहे हैं। पर्यावरण तथा बैंकिंग उद्योग दोनों को लाभ होगा, यदि अधिक संख्या में बैंकों के ग्राहक उपलब्ध ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दें। ऑनलाइन बैंकिंग के फायदों में काग़जी कार्य में कमी और बैंकों के ग्राहकों द्वारा शाखा कार्यालयों की ओर भागदौड़ में कमी शामिल है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग से बैंक की दक्षता और लाभप्रदता भी बढ़ेगी। अधिक-से-अधिक ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग किए जाने पर बैंक बहुत सारी काग़जी कार्रवाई संबंधी लागत तथा थोक डाक शुल्क कम कर सकते हैं । हरित बैंकिंग से शाखा बैंकिंग संबंधी व्यय को भी कम कर सकते हैं।(बॉक्स III.3)।

14. विधिक सुधार

3.146 2009-10 के दौरान किए गए विधायी परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

सिक्का ढलाई विधेयक, 2009

3.147 इस विधेयक में (जिसे लोकसभा में 17 दिसंबर 2009 को पेश किया गया) वर्तमान विधियों अर्थात् (i) धातु टोकन अधिनियम, 1889, (ii) सिक्का ढलाई अधिनियम, 1906, (iii) कांस्य सिक्का (विधिमान्य चलार्थ) अधिनियम, 1918, और (iv) छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 को निरस्त करते हुए एक अधिनियम के भीतर सिक्का ढलाई तथा टकसाल संबंधी विधियों को समेकित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में सिक्कों को गलाने या नष्ट करने, गैर कानूनी रूप से उन्हें बनाने, और मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने वाले धातु के टुकड़ों के निर्गम या कब्जे के बारे में मनाही और दंड लगाने के बारे में भी प्रावधान किया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (निरस्त) तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) संशोधन विधेयक, 2009

3.148 इस विधेयक में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अभिग्रहण किए जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950 को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र संबंधी कुछ प्रावधानों को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में कतिपय परिणामी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो चुकी है।

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2010

3.149 इस विधेयक द्वारा 18 जून 2010 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 2010 को प्रतिस्थापित किया जाना है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ भा.रि. बैंक अधिनियम के

बॉक्स III.3: हरित आइटी

हरित कंप्यूटिंग अथवा हरित आइटी से तात्पर्य पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय कंप्यूटिंग अथवा ऐसी आइटी से है जो और अधिक पर्यावरण-अनुकूल हो। हरित कंप्यूटिंग को कंप्यूटरों, सर्वरों और संबद्ध उप प्रणालियों जैसे मॉनीटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, तथा नेटवर्किंग और संचार प्रणाली - की डिजाइनिंग, विनिर्माण, उपयोग और निस्तारण का अध्ययन एवं व्यवहार कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से करने के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम अथवा कोई प्रभाव नहीं होता हो। आधुनिक आइटी प्रणाली मनुष्यों, नेटवर्क और हार्डवेयर जैसे जटिल मिश्रणों पर निर्भर है, अतः एक हरित कंप्यूटिंग प्रयास में इन सभी क्षेत्रों को कवर किया जाना चाहिए। हरित आइटी के दूसरे पक्ष में अन्य उद्योगों के पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए आइटी सेवाओं के उपयोग को शामिल किया जाता है।

हरित कंप्यूटिंग का उद्देश्य उत्पाद के जीवन काल के दौरान ऊर्जा की बचत को अधिकतम करना और पुराने उत्पादों तथा कारखाना अपशिष्ट का पुनरु पयोग अथवा जैव अपघटन करना है। हरित आइटी से जुड़े सिद्धातों को अपनाने से मिलने वाले लाभ निम्नलिखित होंगे : (i) उपकरणों के कम उपयोग और अधिक कुशलता से परिचालन के माध्यम से ऊर्जा लागत को घटाना, (ii) लागत अकुशलता को कम करने के लिए आइटी प्रक्रिया को कारगर बनाना और पर्यावरण के प्रभाव को कम करना, (iii) लचीले और दूरस्थ स्थान में काम करने वाले अधिक सचल तथा प्रवीण कार्यदल को और समर्थ बनाना, अनावश्यक यात्रा के कारण कार्बन उत्सर्जन को और कम करना, (iv) सभी आकार के संगठन परिचालन लागत और उपस्कर लागत को कम करके लाभ उठा सकते हैं।

ऐसा सुनिश्चित करते समय ताकि इसको कार्य के सभी क्षेत्रों में अमल में लाया जा सके, निम्नलिखित सूचनाएं मददगार होंगी :

आइटी सेवाएं

- ऊर्जा बचाने वाले डेटा केंद्र और डेटा केंद्र में बिजली की खपत के लिए नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत;
- कम ऊर्जावाले संचार और नेटवर्किंग उपकरण तथा कम ऊर्जा खपत वाली कंप्यूटिंग डिवाइसें;

आइटी इंफ्रास्ट्रकचर

- इन-हाउस नए एप्लीकेशन चलाने के बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर-ऐज-ए-सर्विस सोल्यूशन (एसएएएस) का प्रयोग;
- वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क जैसी प्रौद्योगिकी और सहयोगी उपकरण विभिन्न स्थानों के कर्मचारियों को एक साथ काम करने में मदद करते हैं;
- सर्वर और स्टोरेज वर्च्युअलाइजेशन;
- एक थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी विकसित करना;

कंप्यूटर और डेस्कटॉप मॉनीटर

- कंप्यूटिंग वर्कस्टेशन, सर्वर, नेटवर्क और डेटा केंद्र के परिगणन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर प्रभावी बिजली प्रबंधन द्वारा बिजली खपत को घटाना;
- कार्य न करने के विस्तारित घंटों के दौरान सीपीयू और सभी उपकरणों को बंद करना तथा स्टैंडबाई सेटिंग को चालू करना;
- जरूरत के अनुसार लेज़र प्रिंटर जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को चालू करना और बंद करना;
- केथोड रे ट्यूब (सीआरटी) मॉनीटर के बजाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) मॉनीटर का प्रयोग करना;

कागज़

- पेपर की खपत को कम करना;
- रीसाइकल किए गए कागज अथवा बिना लकड़ी वाले कागज का प्रयोग करना, कागज, प्रिंटर और पैकेजिंग अपशिष्ट को समाप्त करना;
- कच्चे नोट के लिए कागजों का पुनरुपयोग करना;

प्रिंटर

- सुनिश्चित करें कि प्रिंटर स्टैंडबाइ मोड में हो, जिसे अल्पावधि के लिए बंद करने के पश्चात चालू किया जाना चाहिए;
- स्वचलित डुप्लैक्स प्रिंटर खरीदे जाएं, डुप्लैक्स प्रिंटिंग को डिफॉल्ट के रूप में रखा जाए अथवा दोनों तरफ प्रिंटिंग के लिए पेपर को हाथ से डाला जाए;

डिजिटल बनिए

- कागज आधारित से डिजिटल प्रोसेस की ओर संक्रमण;
- कार्यालय के दस्तावेज भेजने के लिए हार्ड कॉपी भेजने के बजाय उन्हें अटैच के रूप में संलग्न कर ई-मेल का प्रयोग;

दूरसंचार और सहयोग को बढ़ावा देना

- बैठकों के लिए यात्रा करने के बजाय वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग;
- दूरसंचार के लिए स्टाफ को समर्थ बनाना;

अपशिष्ट प्रबंधन - कम करना, पुनःप्रयोग, रिसाइकल करना

- ई-अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण;
- कागज के प्रयोग को कम करना और अपशिष्ट कागज को सही तरीके से रिसाइकल करना;
- गैर लाभार्थ संगठनों को दान करना;

अध्याय IIIङ में विनियामकों के बीच किसी प्रकार के मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव और सेबी, आइआरडीए एवं पीएफआरडीए के अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। इस विधेयक में अध्यादेश को थोड़ा आशोधित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में, संयुक्त समिति के गठन को आशोधित किया गया है कि ताकि आरबीआइ के गवर्नर को समिति का उपाध्यक्ष बनाया जा सके। इसके अलावा, उस मत विभिन्नता में, जिसे संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, ऐसी किसी मत विभिन्नता को शामिल नहीं किया जाएगा जो विनियामक और केन्द्र सरकार के बीच उत्पन्न हुई हो। विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि संयुक्त समिति में केवल विनियामकों द्वारा मामला संदर्भित किया जाए और केन्द्र सरकार द्वारा नहीं। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010

3.150 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित की व्यवस्था की गयी है (i) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करना; (ii) एसबीआइ की निर्गमित पूंजी में इक्विटी शेयर अथवा इक्विटी और अधिमान शेयर शामिल करना; (iii) एसबीआइ को अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम अथवा राइट निर्गम के द्वारा निर्गमित पूंजी को बढ़ाये जाने की अनुमति देना; (iv) मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए एसबीआइ को अनुमति देना; (v) केन्द्र सरकार की शेयरधारिता को पचपन प्रतिशत से घटाकर इक्यावन प्रतिशत करना जिसमें निर्गमित पूंजी के इक्विटी शेयर शामिल हों; (vi) व्यक्तियों अथवा संयुक्त शेयरधारकों के पास रखे शेयरों के संबंध में नामांकन की सुविधा प्रदान करना; (vii) अधिमान शेयरधारकों के मताधिकार को केवल उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले संकल्पों तक सीमित करना तथा केन्द्र सरकार के अलावा अधिमान शेयरधारकों को उनके द्वारा धारित अधिमान शेयरों के संबंध में सभी अधिमान शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित करना; (viii) एसबीआइ के शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना तथा ऐसे निदेशकों के लिए सही और उचित मानदंड अधिसूचित करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (ix) जब भी जरूरी समझा जाए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (x) रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर कुछ मामलों में एसबीआइ के केन्द्रीय बोर्ड को अधिक्रमित करने और एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान करना; (xi) वीडियो कॉनफरेंसिंग अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए स्टेट बैंक को अनुमति देना; (xii) रिज़र्व बैंक के परामर्श से चार से अनधिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमति देना; (xiii) उपाध्यक्ष के पद को समाप्त करना। यह विधेयक अगस्त 2010 में संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

15. निष्कर्ष

3.151 अर्थव्यवस्था रिकवरी के पथ पर है, जिसकी प्रक्रिया 2009-10 की दूसरी छमाही में शुरू हो गई थी। तथापि, 2009-10 की दूसरी छमाही में प्रमुख समष्टि-आर्थिक चिंता बढ़ती मुद्रास्फीति थी, जिसके लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से अनुसरित विभिन्न उद्देश्यों के भारांकों को पुनःसंतुलित करने की जरूरत थी।

3.152 आधार दर प्रणाली को शुरू करने और उसके साथ ही छोटे उधारों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को खत्म करने तथा रुपया निर्यात उधार पर ब्याज दर को मुक्त करने से आशा है कि बैंकों की वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया की आबंटनकारी क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्याज दर अविनियमन से कृषि और छोटे कारोबारों के लिए और अधिक उधार उपलब्ध होगा। विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक पारदर्शिता, ग्राहक शिक्षा/ जागरूकता तथा कारगर परिवाद निवारण प्रणालियों पर बल देता है। परिवर्तनों की गति एवं जटिलता और उसमें निहित जोखिमों को देखते हुए, एक विनियामक तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुसाध्यकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

3.153 2009-10 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आइटी संबंधी बुनियादी ढांचा सुधारने, नए अनुप्रयोगों को लागू करने तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और अधिक मात्रा में अपनाने संबंधी शुरुआती उपाय करने की दिशा में कई पहलें कीं। आइटी ने अभिनव प्रोडक्ट एवं नई सुपुर्दगी प्रणालियां शुरू करना सुकर बनाकर बैंकिंग परिचालनों की गति एवं दक्षता बढ़ाने में मदद की है। बीसी की व्याप्ति को बढ़ाकर वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया है। विधिक सुधारों से भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों के विलय एवं अभिग्रहण और समामेलन में मदद मिली है।

अध्याय-IV

वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और उनका निष्पादन

2009-10 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत निष्पादन कम रहा जिसमें आस्ति गुणवत्ता के संबंध में उभरती हुई चिंताएं तथा धीमी जमा वृद्धि सम्मिलित है। सकल एनपीए जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सकल अग्रिमों के अनुपात रूप में है, 2008-09 के 2.25 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में समग्र रूप से 2.39 प्रतिशत हो गया। कमजोर हो रही आस्ति गुणवत्ता के बावजूद भारतीय बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 14.5 प्रतिशत की मजबूती पर कायम रहा जो बासेल II फ्रेमवर्क में गमन के बाद भी विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से अधिक था और बैंकों को होनेवाली हानियों के लिए पर्याप्त कुशन उपलब्ध करता था। 2009-10 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा प्राप्त भारतीय बैंकों की लाभप्रदता पिछले वर्ष के 1.13 प्रतिशत से मामूली कम अर्थात 1.05 प्रतिशत थी। वैश्विक तुलना में वित्तीय पहुंच और समावेशन का न्यून स्तर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए चिंताजनक बना रहा। अल्पावधि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि वह आर्थिक रिकवरी की प्रक्रिया को अपना समर्थन दे जबकि मध्यम और दीर्घावधि में आवश्यक है कि वह स्वयं को बदलकर कुशल तथा सशक्त बनाए ताकि आर्थिक वृद्धि की धारणीयता तथा समावेशन स्वरूप को और अधिक सुनिश्चित किया जा सके।

1. परिचय

4.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को कर्ज देने के माध्यम तथा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने के रूप में वाणिज्य बैंक भारतीय वित्तीय परिदृश्य का सर्वाधिक प्रमुख भाग हैं। आर्थिक सुधारों के प्रारंभ से ही वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र, जिसने अपने सार्वजनिक चरित्र को प्रमुखता से बनाए रखा है, आकार, परिचालन कुशलता और वित्तीय सुदृढ़ता के अर्थ में कई तरह के परिवर्तनों से गुजरा है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रसार के पूर्व विश्व बैंक द्वारा 2005 के लिए किए गए विश्लेषण के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की परिचालनात्मक कुशलता और वित्तीय सुदृढ़ता इसके एशियन पियर समूह देशों और साथ ही विकसित ओईसीडी देशों की तुलना में अच्छी थी।[1] वैश्विक वित्तीय संकट, जिसने अधिकांश विकसित और विकासशील देशों के बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर बनाया, का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत रूप से सीमित प्रभाव पड़ा। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और विकास (आरटीपी) - 2008-09 रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि यद्यपि भारतीय बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर संकट के दबावों को सह गयी, किन्तु यह आशा नहीं थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस मंदी से अपने को अलग रख पाएगी जो संकट के बाद जन्मी थी। इस प्रकार 2009-10 में बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर संकट के मध्यावधि से दीर्घावधि प्रभाव की प्रकृति और उसके विस्तार को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

4.2 इस अध्याय में 81 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)[2] से आंकड़ों को लेते हुए तुलनपत्र, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा लाभप्रदता और बैंकिंग जगत की वित्तीय मजबूती के रुझानों को प्रकट करने के प्रयोजन से पिछले वर्ष के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकिंग जगत में हुए विकास का

[1] विश्व बैंक अध्ययन में उपयोग किए गए परिचालनात्मक कुशलता के प्रमुख संकेतक आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ हैं जबकि वित्तीय सुदृढ़ता मानदंडों में पूंजी पर्याप्तता और सकल एनपीए अनुपात सम्मिलित हैं। वैश्विक रूप में इन संकेतकों में से प्रत्येक की तुलना में भारत की स्थिति अन्य एशियन और ओईसीडी देशों से बेहतर थी सकल एनपीए अनुपात को छोड़कर। भारत के लिए सकल एनपीए अनुपात एशियन देशों की बराबरी में था परंतु ओईसीडी देशों की तुलना में काफी अच्छा था। देखें किएटचय सोफस्टिनफोंग एंड एनोमा कुलथुंगा (2009), *गेटिंग फाइनान्स इन साउथ एशिया 2009 - इंडिकेटर एण्ड एनालिसिज ऑफ दि कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर,* वर्ल्ड बैंक।

[2] इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके छः सहयोगी, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आइडीबीआइ बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के 15 पुराने बैंक और 32 विदेशी बैंक शामिल हैं।

विस्तार से अध्ययन किया गया है। इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग जगत के परिचालन से संबंधित कई पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का भी वर्णन किया गया है जैसे वित्तीय समावेशन, कर्ज का क्षेत्रवार वितरण, बैंकिंग सेवाओं का स्थानीय और क्षेत्रीय वितरण, ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी विकास तथा साथ ही अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्र के दो घटकों अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक से संबंधित रुझानों का अलग से विश्लेषण किया गया है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

4.3 पिछले वर्ष देखे गए रुझान के अनुक्रम में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र की वृद्धि में 2009-10 में कमी हुई (सारणी IV.1 और 2)। विशेषकर, विदेशी बैंकों की आस्ति की मात्रा में 2009-10 में 2.7 प्रतिशत कमी देखी गई (सारणी IV.2)। विदेशी बैंकों की आस्ति में इस कमी से पिछले कुछ समय पूर्व के उस रुझान पर रोक लगी जब विदेशी बैंकों की आस्तियों में अनवरत 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह शामिल हैं) और साथ ही निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के तुलनपत्र की वृद्धि में 2009-10 में कमी हुई। केवल निजी क्षेत्र के नए बैंक इसके अपवाद थे, जिन्होंने 2008-09 में अपने पुराने समकक्ष बैंकों की तुलना में कम बेहतर प्रदर्शन किया था और 2009-10 में इन्होंने त्वरित वृद्धि दिखाई।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2010 के अंत में					
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक**
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजी	**13,544**	**4,549**	1,273	3,276	**30,555**	**48,648**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**2,27,458**	**1,15,435**	18,898	96,537	**38,584**	**3,81,476**
3. जमा राशियां	**36,91,802**	**8,22,801**	2,29,897	5,92,904	**2,37,853**	**47,52,456**
3.1. मांग जमा	**3,68,528**	**1,34,589**	21,597	1,12,992	**67,902**	**5,71,019**
3.2. बचत बैंक जमारशियां	**8,87,267**	**1,86,220**	43,567	1,42,653	**36,427**	**11,09,915**
3.3. सावधि जमा	**24,36,006**	**5,01,992**	1,64,733	3,37,259	**1,33,524**	**30,71,522**
4. उधार	**3,13,814**	**1,48,803**	8,127	1,40,676	**62,146**	**5,24,764**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	**1,94,497**	**59,221**	10,783	48,438	**64,080**	**3,17,798**
कुल देयताएं / आस्तियां	**44,41,114**	**11,50,809**	**2,68,977**	**8,81,831**	**4,33,219**	**60,25,141**
1. आरबीआइ के पास नकदी और शेष	**2,70,858**	**75,858**	16,915	58,943	**1,19,097**	**3,65,812**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**1,24,216**	**38,681**	5,692	32,989	**20,559**	**1,83,455**
3. निवेश	**12,05,783**	**3,54,117**	83,499	2,70,618	**1,59,286**	**17,19,185**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	**10,08,371**	**2,41,192**	60,819	1,80,374	**1,17,492**	**13,67,055**
क) भारत में	**10,00,015**	**2,41,028**	60,819	1,80,209	**1,17,492**	**13,58,534**
ख) भारत के बाहर	**8,356**	**165**	-	165	**-**	**8,521**
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	**5,015**	**311**	289	21	**4**	**5,330**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	**1,92,396**	**1,12,614**	22,391	90,223	**41,790**	**3,46,800**
4. ऋण और अग्रिम	**27,01,300**	**6,32,494**	1,54,136	4,78,358	**1,63,260**	**34,97,054**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**1,40,817**	**27,462**	8,957	18,505	**21,306**	**1,89,585**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, *आदि.*	**10,74,500**	**1,58,719**	68,119	90,600	**65,923**	**12,99,141**
4.3 सावधि ऋण	**14,85,984**	**4,46,313**	77,060	3,69,252	**76,031**	**20,08,328**
5. अचल आस्तियां	**34,466**	**10,239**	2,357	7,882	**4,859**	**49,564**
6. अन्य आस्तियां	**1,04,491**	**39,421**	6,378	33,043	**66,158**	**2,10,070**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

सारणी IV.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	**3.6**	**0.1**	**-8.1**	**7.3**	8.2	8.7	-13.1	6.7	**14.5**	**19.8**	**8.3**	**12.4**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**20.5**	**16.8**	**10.0**	**21.0**	14.6	15.9	9.1	22.0	**27.3**	**12.1**	**17.8**	**17.5**
3. जमा राशियां	**26.9**	**18.6**	**9.1**	**11.7**	20.3	15.4	5.4	10.4	**12.0**	**11.1**	**22.4**	**17.0**
3.1. मांग जमा	**9.9**	**18.4**	**1.3**	**33.5**	1.8	22.5	1.1	35.9	**2.3**	**12.1**	**6.9**	**20.8**
3.2. बचत बैंक जमारशियां	**18.4**	**25.8**	**14.9**	**32.8**	15.6	26.2	14.7	34.9	**9.7**	**26.5**	**17.5**	**26.9**
3.3. सावधि जमा	**33.1**	**16.2**	**9.2**	**1.3**	24.2	12.0	3.9	-3.1	**18.0**	**7.0**	**27.3**	**13.1**
4. उधार	**65.3**	**21.4**	**56.6**	**8.1**	77.4	31.8	55.7	6.9	**32.9**	**-19.8**	**56.5**	**10.8**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	**-21.4**	**4.4**	**-37.0**	**9.7**	-7.8	15.0	-41.0	8.5	**43.4**	**-31.6**	**-13.9**	**-4.8**
कुल देयताएं / आस्तियां	**24.6**	**17.9**	**9.3**	**12.0**	**19.4**	**15.8**	**6.7**	**10.9**	**22.3**	**-2.7**	**21.1**	**15.0**
1. आरबीआइ के पास नकदी और शेष	**-2.4**	**20.8**	**-19.4**	**32.0**	-14.6	27.7	-20.7	33.3	**-28.9**	**22.1**	**-8.0**	**23.1**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**106.5**	**-5.4**	**32.7**	**13.9**	46.0	-43.3	27.8	38.0	**56.8**	**-34.2**	**80.1**	**-6.6**
3. निवेश	**26.6**	**19.1**	**10.0**	**15.5**	33.9	15.3	4.3	15.6	**31.8**	**22.2**	**23.1**	**18.6**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	**30.6**	**19.0**	**12.4**	**10.6**	27.3	13.4	8.2	9.7	**20.7**	**17.5**	**25.9**	**17.3**
क) भारत में	**30.8**	**18.8**	**12.4**	**10.6**	27.3	13.4	8.3	9.7	**20.7**	**17.5**	**26.0**	**17.2**
ख) भारत के बाहर	**4.0**	**48.3**	**-32.0**	**72.6**	-	-	-32.0	72.6	**-**	**-**	**3.1**	**48.7**
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	**-22.8**	**-36.8**	**-22.8**	**43.4**	-24.3	56.2	-12.0	-31.7	**-80.7**	**-41.7**	**-23.0**	**-34.6**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	**11.9**	**22.2**	**4.7**	**27.6**	58.8	20.5	-4.0	29.5	**89.3**	**37.7**	**14.6**	**25.6**
4. ऋण और अग्रिम	**25.7**	**19.6**	**11.0**	**9.9**	15.1	19.9	9.9	7.1	**2.6**	**-1.3**	**21.1**	**16.6**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**18.3**	**10.4**	**-23.5**	**30.7**	7.0	19.1	-33.9	37.2	**-8.0**	**46.9**	**8.0**	**16.3**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, *आदि.*	**29.3**	**20.0**	**11.5**	**9.6**	15.0	20.8	9.3	2.5	**7.0**	**-7.5**	**25.1**	**16.9**
4.3 सावधि ऋण	**24.0**	**20.2**	**13.4**	**9.0**	16.2	19.3	12.9	7.0	**1.1**	**-4.5**	**20.1**	**16.4**
5. अचल आस्तियां	**17.2**	**2.1**	**2.6**	**3.6**	8.0	8.0	1.2	2.4	**19.4**	**2.6**	**14.1**	**2.5**
6. अन्य आस्तियां	**2.0**	**-0.2**	**21.6**	**-11.5**	35.1	7.8	19.8	-14.5	**68.1**	**-32.3**	**25.1**	**-15.0**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

4.4 विदेशी बैंक समूह के तुलनपत्र में संकुचन के परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों की भागीदारी में गिरावट देखी गई (चार्ट IV.1)। बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों की भागीदारी में भी गिरावट हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों की कम वृद्धि के बावजूद, 2009-10 में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनके सापेक्षिक हिस्से में वृद्धि हुई, जबकि निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का हिस्सा पिछले वर्ष के स्तर से लगभग अपरिवर्तित रहा।

चार्ट IV. 1: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा

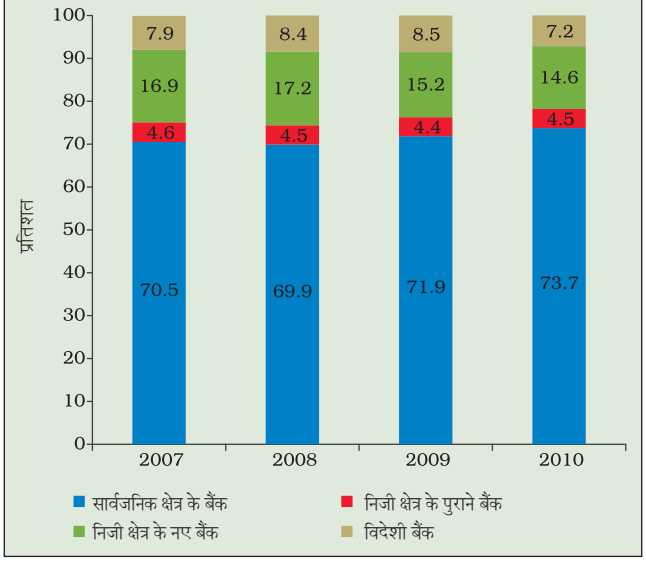

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं

जमाराशियां

4.5 2009-10 में तुलनपत्र की वृद्धि में कमी मोटे तौर पर जमाराशि की वजह से हुई, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं का प्रमुख घटक हैं, (सारणी IV.1 और IV.2)। बैंक जमाराशियों में, जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं की लगभग 78 प्रतिशत हैं, 2007-08 से लगातार तीसरे वर्ष

कम वृद्धि दर्ज हुई। 2009-10 में जमाराशि की वृद्धि में हुई गिरावट के कारकों में से एक वर्ष के दौरान अधिकांश समय कम ब्याज दर प्रचलित होना था।

4.6 तथापि, जमाराशि के घटक में 2009-10 के दौरान काफी अधिक परिवर्तन दिखे साथ ही चालू तथा बचत खाते (कासा) का प्रतिशत कुछ समय पहले हुए गिरावटी रुझान के विपरीत 2008-09 तथा 2009-10 के बीच 33.2 प्रतिशत से बढ़कर 35.4 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पहले से भिन्न, चालू एवं बचत खाते ने 2009-10 में वृद्धिशील जमाराशि के लगभग आधे भाग में अपना योगदान दिया (चार्ट IV.2)। 2009-10 में जमाराशि की कुल वृद्धि में अकेले बचत खाता जमाराशि ने लगभग 34 प्रतिशत का योगदान दिया। बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर ब्याज दर की गणना से भी बचत खाता जमाराशि में और तेजी आने की संभावना है।

चार्ट IV.2: वृद्धिशील जमाओं में सीएएसए का प्रतिशत अंशदान

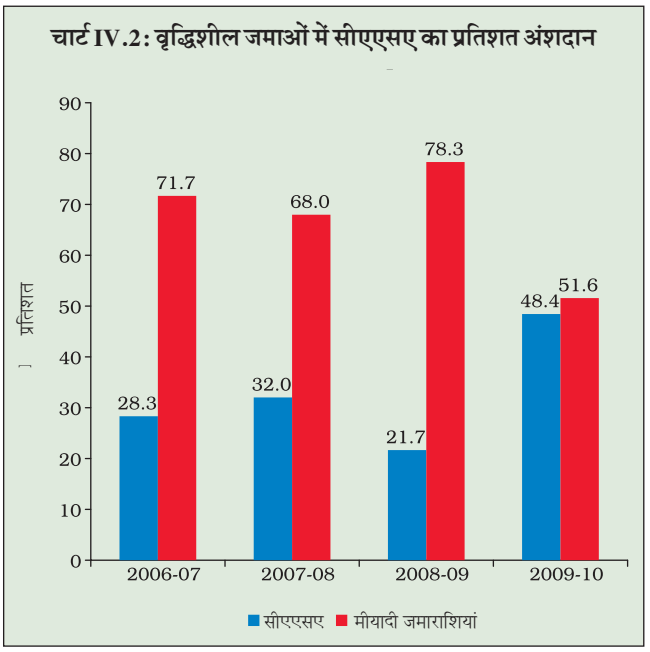

उधार

4.7 उधार, जो बैंकों में जमाराशि से इतर प्रमुख देयता है, का 2009-10 में बैंकों की कुल देयताओं में 8.7 प्रतिशत भाग था। जमाराशि की भांति ही उधार की वृद्धि में भी तेज गिरावट देखी गई और परिणामस्वरूप 2009-10 में बैंक के तुलनपत्र में समग्र गिरावट दर्ज हुई (सारणी IV.1 तथा 2)। उधार की वृद्धि में कमी सभी बैंक समूहों में देखी जा सकती है, लेकिन विदेश बैंकों में यह कमी उल्लेखनीय थी (सारणी IV.2)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां

बैंक कर्ज

4.8 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की भांति ही बैंक कर्ज की वृद्धि में कमी हुई। बैंक कर्ज, जो 2004-05 में 30 प्रतिशत से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया था, में बाद के वर्ष में अनवरत गिरावट हुई और 2009-10 में यह 16.6 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गया। चूंकि बैंकों के लिए जमाराशियां निधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए इसकी वृद्धि में कमी बैंक के कर्ज वृद्धि की कमी में परिणत होने की संभावना है। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत आने और बैंकों की निम्न ब्याज-दर व्यवस्था के बावजूद, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2009-10 में बैंक कर्ज वृद्धि में कमी देखी गई। तथापि, एक वर्ष के भीतर नवंबर 2009 के बाद आर्थिक रिकवरी के अधिक व्यापक होने के साथ ही बैंक कर्ज में तेजी के संकेत दिखे।[3]

निवेश

4.9 2009-10 में, बैंक कर्ज की भांति ही, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश की वृद्धि में कमी देखी गई। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश के घटक में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर था, जैसाकि 2009-10 में वृद्धिशील निवेश की तुलना में अनुमोदित प्रतिभूतियों मे निवेश के योगदान के प्रतिशत में कमी आई, जबकि 2008-09 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी जब बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप बाजार अनिश्चितता के मद्देनजर कम जोखिम निवेशों में प्राथमिकता दिखाई थी (चार्ट IV.3)।

[3] इस मुद्दे पर व्याख्या के लिए खंड 5 में चार्ट IV.19 देखें।

चार्ट IV.3: वृद्धिशील निवेशों से लगाकर अनुमोदित और गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का प्रतिशत अंशदान

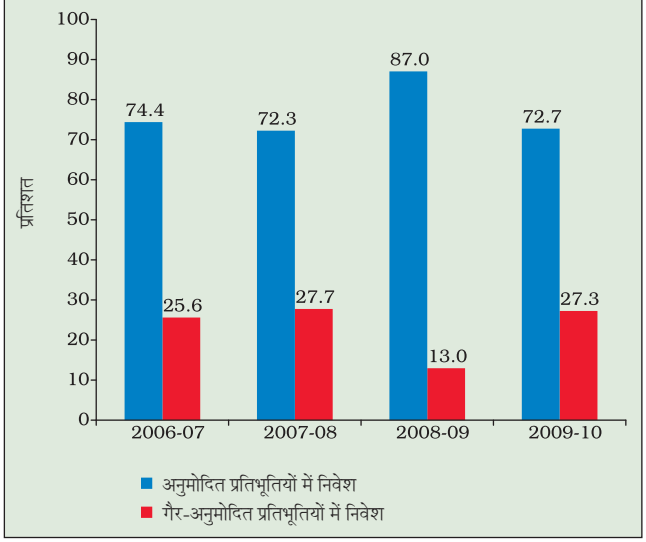

4.10 2009-10 में बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश, जिसमें म्यूच्युअल फंड, बांड/डिबेंचर, शेयर और वाणिज्यिक पत्र में निवेश शामिल है, में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। गैर-एसएलआर निवेश में यह वृद्धि मुख्यतया म्यूच्युअल फंड में निवेश की वजह से हुई जो वर्ष के दौरान 42.8 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ गए, यद्यपि इसमें एक वर्ष के भीतर अस्थिरता देखी गई (सारणी IV.3)। बांड तथा डिबेंचर, जो बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश के एक बड़े भाग हैं, के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावटी रुझान देखा गया। वित्तीय संकट के बाद पूंजी बाजार में निरुत्साही दशाओं के परिणामस्वरूप 2008-09 में शेयरों के निवेश के हिस्से में तेज गिरावट देखी गई जिसमें आगे 2009-10 में और मामूली गिरावट हुई (चार्ट IV.4)। इस प्रकार, बैंक के निवेश संविभाग में बांड/डिबेंचर तथा शेयरों में निवेश के कम होते महत्व के विपरीत, हाल के वर्षों में म्यूच्युअल फंड में निवेश के हिस्से में एक समान वृद्धि हुई।[4]

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

लिखत	26 मार्च 2010 को	कुल की तुलना में प्रतिशत	24 सितंबर 2010 को	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	**25,188**	**10.7**	**43,818**	**17.7**
	(25.9)		**(195.5)**	
2. शेयर	**30,192**	**12.9**	**37,703**	**15.2**
	(6.9)		**(39.7)**	
क) *जिसमें से,* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4,625	2.0	7,070	2.9
ख) *जिसमें से,* निजी कंपनी क्षेत्र	25,481	10.9	27,029	10.9
3. बांड / डिबेंचर	**93,679**	**39.9**	**1,05,664**	**42.7**
	(4.5)		**(13.3)**	
क) *जिसमें से,* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	22,710	9.7	20,153	8.1
ख) *जिसमें से,* निजी कंपनी क्षेत्र	40,067	17.1	50,332	20.3
4. म्यूच्युअल फंड की इकाइयां	**52,887**	**22.5**	**33,534**	**13.6**
	(42.8)		**(-46.3)**	
5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखत*	**32,597**	**13.9**	**26,725**	**10.8**
	(0.04)		**(3.2)**	
कुल निवेश (1 से 5)	**2,34,543**	**100.0**	**2,47,444**	**100.0**
	(13.0)		**(10.8)**	

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े वर्ष पूर्व की तदनुरूप अवधि में प्रतिशत भिन्नता को दर्शाते हैं।
2) *: 2008-09 के बाद वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखतों को अलग से दिखाया जा रहा है। पहले के वर्षों में, उन्हें डिबेंचरों और बांडों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था।

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत खंड 42(2) की विवरणियां।

[4] 2008-09 से, 'बांड तथा डिबेंचर' से बैंकों के निवेश का 'वित्तीय संस्थाओं' की लिखतों में निवेश से अलगाव आंशिक रूप से बांड तथा डिबेंचर के हिस्से में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। फिर भी, दो वर्गों को जोड़ने के बावजूद ताकि पूर्व आंकड़ों के साथ तुलनीय बांडों और डिबेंचरों के वर्ग में पहुंचा जा सके, 2009-10 में इस वर्ग के हिस्से में गिरावट स्पष्ट थी।

चार्ट IV. 4: बैंकों के गैर एसएलआर निवेश की संरचना

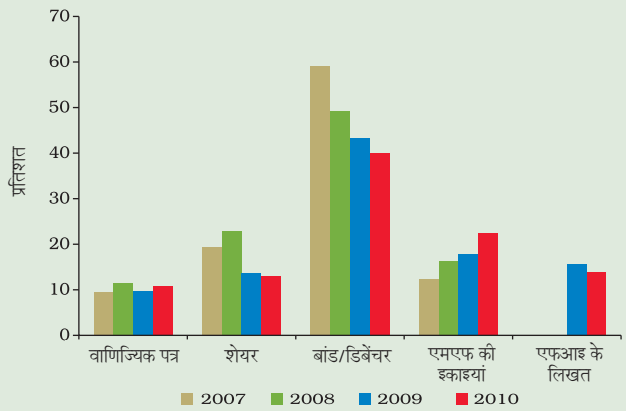

टिप्पणी: 'एफआइ की लिखतों' में बैंकों के निवेश के आंकड़े 2009 से पहले के वर्षों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं है।

4.11 विश्व भर में, पिछले दो दशकों से बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंड में निवेश में काफी अधिक वृद्धि हुई है। बैंक म्यूच्युअल फंड के वाहक के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपनी जमाराशियों का एक बड़ा भाग इन फंडों में निवेश किया है तथा वे इन फंडों से उधार लेते रहे हैं। तथापि, बैंकों के म्यूच्युअल फंड में बढ़ते निवेश से संबंधित प्रणालीगत स्थिरता को लेकर चिंताएं हैं जिसकी चर्चा बॉक्स IV.1में की जा चुकी है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

4.12 वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियों दोनों में त्वरित वृद्धि देखी गई (सारणी IV.4 तथा IV.5)। बैंकों की (भारत में स्थित) अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 2009-10 में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में 7.4

बॉक्स IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और म्यूच्युअल फंड के बीच अंतर सह-बद्धताएं

अमरीका जैसे उन्नत देशों में पिछले दो दशकों में म्यूच्युअल फंड में बैंकों की संलिप्तता बढ़ी है, ये बैंक ऐसी निधियों में निवेश के लिए परिवारों से जुटाई गयी जमाराशियों का निवेश करते हैं। म्यूच्युअल फंड में बैंकों के बढ़ते एक्सपोजर के कई प्रणालीगत निहितार्थ हैं, जो म्यूच्युअल फंड में ऐसे निवेश की मात्रा, दिशा और संकेंद्रण से उद्भूत होते हैं।

ऑस्मॉस विवरणियों के अंतर्गत मासिक आंकड़ों, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) से प्राप्त मुद्रा बाजार आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, बैंकों और ऋण-उन्मुख म्यूच्युअल फंड (डीओएमएफ) के बीच अंतर-सहबद्धताओं का भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण को ऋण-उन्मुख निधियों तक सीमित रखा गया है क्योंकि इन निधियों में म्यूच्युअल फंड में बैंकों के लगभग संपूर्ण निवेश होते हैं। इस विश्लेषण में म्यूच्युअल फंड में बैंकों के निवेश तथा मुद्रा बाजार (रिपो / सीबीएलओ) और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से बैंकों में म्यूच्युअल फंड के निवेश के आंकड़े शामिल किये गये हैं। इस विश्लेषण के लिए चुनी गयी अवधि दिसंबर 2008 से नवंबर 2009 है।

इस विश्लेषण से उभरे प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: एक, विश्लेषण की अवधि के दौरान डीओएमएफ में बैंकों के निवेशों में काफी अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान डीओएमएफ में निवेशों में वृद्धि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल निवेशों और उनके कुल गैर-एसएलआर निवेशों में पाई गयी वृद्धि की तुलना में अधिक है (सारणी नीचे)। दो, बैंक 2008 से म्यूच्युअल फंड में निवल उधारकर्ता थे न कि निवल उधारदाता। नवंबर 2009 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा म्यूच्युअल फंड से निवल उधार 1,56,317 करोड़ रुपए थे। इसकी गणना बैंकों द्वारा डीओएमएफ में निवेश और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास म्यूच्युअल फंड (जमा प्रमाणपत्रों में निवेश और बैंकों द्वारा धारित रिपो तथा सीबीएलओ में म्यूच्युअल फंडों के स्थानन सहित) के बीच अंतर को लेकर की गयी है। तीन, डीओएमएफ में निवेश करने वाले सभी बैंक देशी थे और उसमें कोई विदेशी बैंक शामिल नहीं था। जब बैंकों को म्यूच्युअल फंड से उनके निवल उधारों की राशि के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख रूप से बड़े उधारकर्ताओं के रूप में उच्च स्थान पर थे, जबकि एसबीआइ सहित निजी क्षेत्र के नये बैंकों को म्यूच्युअल फंड के प्रमुख उधारदाता के रूप में देखा जा सकता है। अंत में, संकेंद्रण के अर्थ में, नवंबर 2008 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा डीओएमएफ में कुल निवेशों के 90 प्रतिशत से अधिक 14 बैंकों द्वारा धारित था, जबकि नवंबर 2009 में यह 24 बैंकों द्वारा धारित था, जिससे संकेंद्रण की मात्रा में गिरावट का पता चलता है।

सारणी : ऋण उन्मुख म्यूच्यूअल फंड में बैंकों के निवेश और बैंकों में म्यूच्युअल फंड निवेश की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

	मद	दिसं.-08	मार्च-09	जून-09	सितं.-09	नवं.-09
1	**ऋण उन्मुख म्यूच्युअल फंड में बैंकों के निवेश ***	**17,650**	**51,348**	**91,721**	**1,12,361**	**1,25,895**
		-	(190.9)	(78.6)	(22.5)	(12.0)
2	सीडी में म्यूच्युअल फंडों का निवेश [§]	1,09,255	1,37,596	1,87,265	1,78,063	2,18,300
		-	(25.9)	(36.1)	-(4.9)	(22.6)
3	रिपो / सीबीएलओ में म्यूच्युअल फंड स्थानन	32,006	55,909	70,376	86,018	71,983
		-	(74.7)	(25.9)	(22.2)	-(16.3)
	3.क *जिसमें से,* बैंकों द्वारा धारित	25,960	48,310	63,664	78,674	63,912
		-	(86.1)	(31.8)	(23.6)	-(18.8)
4	**अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास म्यूच्युअल फंड (2+3क)**	**1,35,215**	**1,85,907**	**2,50,929**	**2,56,737**	**2,82,212**
		-	(37.5)	(35.0)	(2.3)	(9.9)
5	**म्यूच्युअल फंड से बैंकों द्वारा निवल उधार (4–1)**	**1,17,565**	**1,34,558**	**1,59,208**	**1,44,377**	**1,56,317**

टिप्पणी: 1) *- मासिक आंकड़ों को तिमाही श्रृंखला बनाने के लिए औसत किया गया क्योंकि बैंकों ने परवर्ती माह की शुरुआत में लाभ कमाने और निधियों का पुनर्निवेश करने के लिए तिमाही समाप्त महीने में अपने डीओएमएफ निवेश का शोधन किया। नवंबर 2009 के आंकड़े अक्तूबर 2009 के औसत पर आधारित हैं।

2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार से (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009	2010
1	2	3
1. जमा और उधार	**3,23,205**	**3,38,574**
	(83.6)	**(74.9)**
जिसमें से:		
विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] योजना	72,783 (18.8)	72,234 (16.0)
विदेशी मुद्रा उधार*	75,398 (19.5)	74,354 (16.4)
अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) जमा	1,24,488 (32.2)	1,22,380 (27.1)
अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया जमा	20,686 (5.4)	30,824 (6.8)
2. प्रतिभूति / बांड के अपने निर्गम	**6,864**	**5,439**
	(1.8)	**(1.2)**
3. अन्य देयताएं	**56,540**	**1,08,166**
	(14.6)	**(23.9)**
जिसमें से: एडीआर / जीडीआर	10,357 (2.7)	30,391 (6.7)
अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	18,932 (4.9)	50,313 (11.1)
भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देनदारियां	27,251 (7.0)	27,462 (6.1)
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**3,86,608**	**4,52,179**
	(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2) * भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार तथा बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

स्रोत: स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकार से (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये)

मद	2009	2010
1	2	3
1. ऋण और जमा	**2,19,547**	**2,37,181**
	(95.7)	**(96.3)**
जिसमें से:		
क) अनिवासियों को उधार*	8,341 (3.6)	10,196 (4.1)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार **	99,973 (43.6)	1,23,476 (50.1)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	44,564 (19.4)	50,496 (20.5)
घ) नोस्ट्रो शेष@	66,496 (29.0)	52,135 (21.2)
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	**76**	**39**
	(0.03)	**(0.02)**
3. अन्य आस्तियां @@	**9,733**	**9,139**
	(4.2)	**(3.7)**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**2,29,356**	**2,46,359**
	(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणी:1) * : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार को शामिल किया गया है।
2) ** : वि.मु. अनिवासी (बी) जमाराशियों से दिए गए उधार, विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा एफसी द्वारा दिए गए उधार और भारत के बैंकों में एफसी जमा राशियां आदि।
3) @ : विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ।
4) @@: भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।
5) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

प्रतिशत वृद्धि हो गई। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतया अमरीकी/वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर/ जीडीआर) के जरिए अंतर्वाह और अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी की वजह से हुई। 2009-10 में एफसीएनआर(बी)/एनआरई के जरिए अंतर्वाह में कमी हुई। 2009-10 के दौरान बैंचमार्क लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) में एक समान गिरावट के चलते एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाओं पर देय प्रभावी ब्याज दर कम हुई जो आंशिक तौर पर 2009-10 में एफसीएनआर(बी)/ एनआरई अंतर्वाह में गिरावट को दर्शाती है। यह गिरावट आंशिक रूप से इस अवधि के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर में अधिमूल्यन की वजह से भी हुई।

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

4.13 बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों की वृद्धि में (*तात्कालिक* देश-जोखिम पर आधारित) 2008-09 के 32.6 प्रतिशत से 2009-10 में 3.7 प्रतिशत की कमी हुई। 2008-09 और 2009-10 के बीच (अवशिष्ट) परिपक्वता संघटक लगभग

अपरिवर्तित रहे साथ ही अल्पावधि परिपक्वता (एक वर्ष से कम) वाले दावों में कुल अंतरराष्ट्रीय दावों का लगभग दो-तिहाई शामिल है जो भारतीय बैंकों के अल्पावधि अंतरराष्ट्रीय कर्ज और निवेश में प्राथमिकता को दर्शाता है (सारणी IV.6)।

4.14 जहां तक देश-वार संघटन की बात है, भारतीय बैंकों के कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में अमरीका का सबसे बड़ा अनुपात था जिसके बाद यू.के. का था (सारणी IV.7)। तथापि, 2009-10 में भारतीय बैंकों द्वारा यूएस पर किए गए दावों की कुल संख्या और सापेक्षिक अनुपात में गिरावट आयी। यह संकट के वित्तीय वर्ष 2008-09 के विपरीत था, जब भारतीय बैंकों के यूएस पर किए गए दावों में तीव्र वृद्धि देखी गयी जो यू.एस. बाजार में तब जारी तंग चलनिधि की स्थितियों को परिलक्षित करता है ।

सारणी IV.6 : बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	2009	2010
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,24,665**	**2,33,071**
	(100.0)	**(100.0)**
क) परिपक्वता - वार		
1) लघु अवधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,40,289	1,44,638
	(62.4)	(62.1)
2) लंबी अवधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	79,828	81,939
	(35.5)	(35.2)
3) अनाबंटित	4,548	6,494
	(2.0)	(2.7)
ख) क्षेत्रवार		
1) बैंक	1,02,223	98,191
	(45.5)	(42.1)
2) गैर बैंक सार्वजनिक	656	1,442
	(0.3)	(0.6)
3) गैर बैंक निजी	1,21,786	1,33,438
	(54.2)	(57.3)

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2) अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में लागू नहीं परिपक्वता (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।

3) बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।

4) मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य/केंद्रीय सरकारों की कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित । मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र' में केवल राज्य/केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देशगत जोखिम आधार।

सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे (मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009	2010
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,24,665**	**2,33,071**
	(100.0)	**(100.0)**
जिसमें से:		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	55,734	53,394
	(24.8)	(22.9)
ख)यूनाइटेड किंगडम	29,753	36,141
	(13.2)	(15.5)
ग) सिंगापुर	15,762	18,437
	(7.0)	(7.9)
घ) जर्मनी	9,869	12,179
	(4.4)	(5.2)
ङ) हांगकांग	19,031	18,978
	(8.5)	(8.1)
च) संयुक्त अरब अमीरात	11,309	13,536
	(5.0)	(5.8)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में प्रतिशत अंश हैं।
स्रोत: समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश जोखिम आधार।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज-जमा और निवेश-जमा अनुपात

4.15 वर्ष 2009-10 में वृद्धिशील कर्ज-जमा और निवेश-जमा अनुपात की श्रृंखला का झुकाव अक्तूबर 2009 के मध्य से एक दूसरे से अलग था जो बैंकों के निवेशों की तुलना में जमा वरीयता को परिलक्षित करता है (चार्ट IV.5)। मार्च 2010 के अंत में बकाया कर्ज-जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत के 73.8 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से कम अर्थात 73.6 प्रतिशत था । इसके विपरीत, निवेश-जमा अनुपात मार्च 2009 के अंत के 35.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में 36.2 प्रतिशत अर्थात मामूली रूप से अधिक रहा। विदेशी बैंक जिनके पास

चार्ट IV.5:अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील कर्ज और निवेश-जमा अनुपात

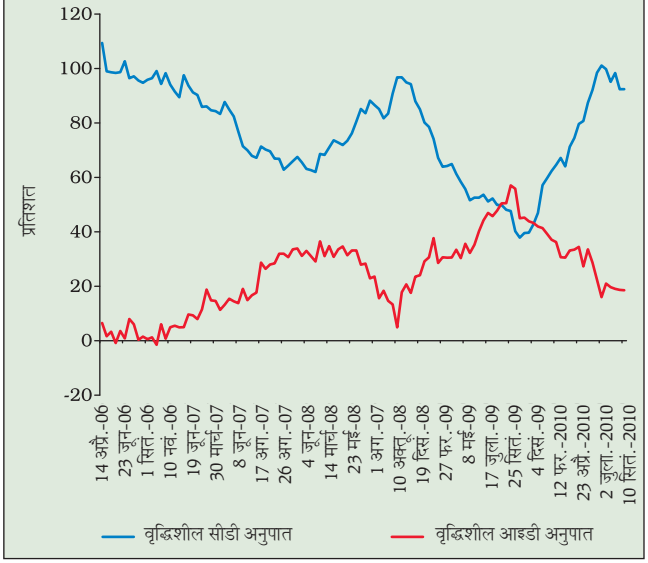

चार्ट IV.6: बैंक समूह-वार कर्ज - जमा अनुपात (बकाया)

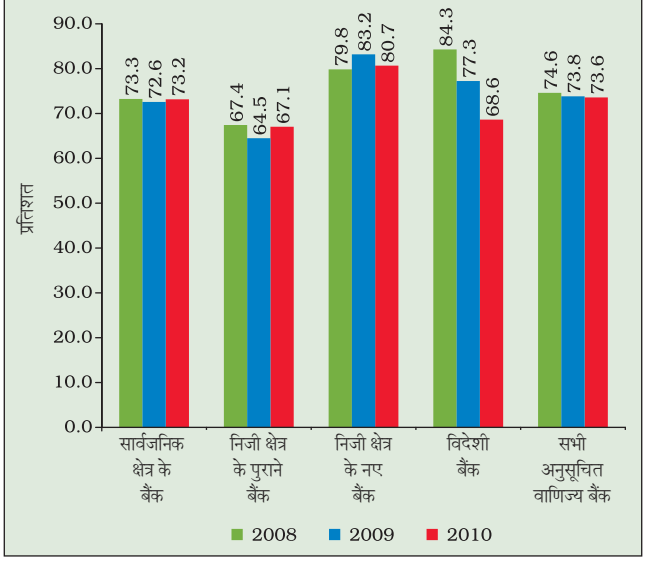

सर्वाधिक (बकाया) कर्ज-जमा अनुपात था, इस अनुपात में 2008 और 2009 के बीच और उसके पश्चात 2009 और 2010[5] में तीव्र गिरावट देखी गई। मार्च 2010 के अंत में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों सहित विदेशी बैंक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों की तुलना में कर्ज-जमा अनुपात के संबंध में, निम्नतम वर्ग में थे (चार्ट IV.6)।

बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

4.16 बैंकों का आस्ति देयता प्रबंधन उनकी आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता अवधि पर बहुत अधिक निर्भर है। चूंकि बैंक सामान्यतः लघु से दीर्घावधि के दायरे में आनेवाली वित्त आस्तियों के वित्तीयन के लिए अल्पावधि देयताओं के माध्यम से संसाधनों को जुटाते हैं, विशेष रूप से संकट के समय चलनिधि और कर्ज जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं।

4.17 भारतीय बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप सामान्यतः अल्पावधि जमाराशियों पर अधिक भरोसे को दर्शाता है जो लघु तथा मध्यम अवधि वाले उधारों और अग्रिमों तथा आस्ति पक्ष के दीर्घावधि निवेशों के अनुरूप है । वर्ष 2009-10 में बैंकों द्वारा संग्रहीत जमाराशियों की अल्पावधि (1 वर्ष तक) और मध्यावधि (एक से अधिक और तीन वर्ष तक) ओर अंतरण था (सारणी IV.8)। जैसा कि पहले कहा गया है वर्ष 2009-10 में सीएएसए के भाग में वृद्धि हुई। साथ ही, तीन वर्षों से अधिक की दीर्घावधि परिपक्वता अवधि की जमाराशियों के भाग में गिरावट आयी। जबकि उधार और अग्रिमों का परिपक्वता वितरण 2009-10 में व्यापक तौर पर अपरिवर्तित रहा, बैंकों का लम्बी अवधि के निवेशों के पक्ष में अंतरण दिखा ।

4.18 वर्ष 2009-10 के दौरान अपनी देयताओं में अंतरण के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आस्तियों और देयताओं का असंतुलन ध्यान देने योग्य था जब जमा देयताओं का अंतरण अल्पकालिक परिपक्वता की ओर था साथ ही, उनके उधारों और निवेशों का अंतरण दीर्घकालिक जमाओं की ओर था । मजे की बात यह है कि निजी क्षेत्र के नए बैंक, जो सामान्यतः अल्पावधि जमाराशियों पर बहुत अधिक भरोसा रखते थे, वर्ष 2009-10 में उनमें मध्यम और दीर्घावधि जमाराशियों के पक्ष में अंतरण दिखा जबकि उनके उधार अल्पावधि की ओर काफी करीब थे ।

[5] बैंक स्तर पर कर्ज तथा निवेश जमा अनुपातों संबंधी आंकड़ों के लिए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां देखें (एसटीबी) 2009-10 ।

सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चुनिंदा देयताओं / आस्तियों का परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	**46.6**	**48.9**	**52.5**	**47.7**	48.3	47.6	54.0	47.7	**63.8**	**64.1**	**48.6**	**49.4**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**27.1**	**27.5**	**36.1**	**38.4**	38.4	36.8	35.3	39.0	**23.1**	**26.6**	**28.5**	**29.4**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**26.2**	**23.6**	**11.4**	**13.9**	13.3	15.6	10.7	13.3	**13.1**	**9.3**	**22.9**	**21.2**
II. उधार राशियां												
क) 1 वर्ष तक	**44.9**	**42.0**	**32.4**	**34.7**	62.0	49.2	31.0	33.9	**74.7**	**73.5**	**46.3**	**43.7**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**18.8**	**11.0**	**22.2**	**23.9**	7.9	15.7	22.8	24.4	**15.1**	**14.8**	**19.2**	**15.3**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**36.3**	**46.9**	**45.4**	**41.4**	30.1	35.1	46.2	41.7	**10.2**	**11.7**	**34.5**	**41.0**
III. उधार और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	**38.8**	**38.0**	**34.2**	**37.1**	40.8	40.5	32.4	36.0	**55.8**	**61.3**	**38.9**	**38.9**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**33.4**	**33.8**	**35.5**	**34.2**	35.5	36.8	35.5	33.4	**24.1**	**20.1**	**33.3**	**33.3**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**27.8**	**28.2**	**30.2**	**28.7**	23.7	22.7	32.1	30.6	**20.1**	**18.6**	**27.8**	**27.8**
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	**22.8**	**18.1**	**44.1**	**38.1**	37.2	24.4	46.3	42.4	**69.0**	**76.4**	**31.2**	**27.7**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**14.5**	**12.3**	**20.7**	**21.6**	7.1	8.8	25.0	25.6	**18.9**	**15.6**	**16.1**	**14.5**
ग) 3 वर्ष से अधिक	**62.7**	**69.5**	**35.1**	**40.2**	55.8	66.8	28.8	32.0	**12.1**	**8.0**	**52.6**	**57.8**

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य परिचालन

4.19 बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र-बाह्य परिचालनों ने वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका अदा की और इस प्रकार यह विश्व भर के वित्तीय नियामकों के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। भारत में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2009 में बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोज़र संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को कठोर बनाया जिसके बाद, 2008-09 में इसके एक्सपोज़र में 23.1 प्रतिशत तक की गिरावट आयी जिसने पूर्व अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका । साथ ही, 2009-10 में बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोज़र में और गिरावट आयी, यद्यपि गिरावट की दर पिछले वर्ष की तुलना में सापेक्षिक रूप से 5.6 प्रतिशत पर कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.1)। पिछले वर्ष की भाँति वर्ष 2009-10 में आयी गिरावट वायदा विनिमय संविदाओं के कारण थी, ये भारत के बैंकों की तुलनपत्र-बाह्य देयताओं के सबसे बड़े हिस्सा थे।

4.20 बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों के लिए तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोज़र सामान्यतः सबसे बड़े थे। गिरावट के वाबजूद, मार्च 2010 के अंत तक विदेशी बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोज़र सर्वाधिक बने रहे जो आनुमानिक अर्थ में अपनी तुलनपत्र-बाह्य देयताओं का लगभग 1,599 प्रतिशत थे (परिशिष्ट सारणी IV.1)। मार्च 2010 के अंत में विदेशी बैंकों की कुल (तुलनपत्र-तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक)) देयताओं में तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक) देयताओं का हिस्सा 94.1 प्रतिशत था (चार्ट IV.7)। इसके विपरीत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक) देयताओं का हिस्सा अपनी कुल देयताओं में 28.4 प्रतिशत था।

चार्ट IV.7: प्रत्येक बैंक समूह की कुल देयताओं में तुलनपत्र-बाह्य (आनुमानिक) और तुलनपत्रवाली देयताओं का प्रतिशत हिस्सा, मार्च 2010 के अंत में

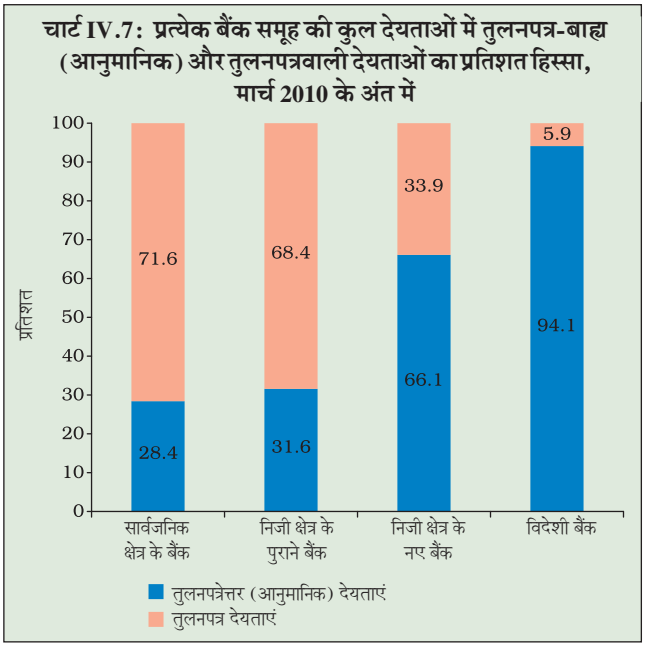

सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09		2009-10	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. घटबढ़	**4,63,702**	**25.7**	**4,94,271**	**6.6**
क) ब्याज आय	3,88,482	25.9	4,15,752	7.0
ख) अन्य आय	75,220	24.6	78,519	4.4
2. व्यय	**4,10,952**	**26.0**	**4,37,162**	**6.4**
क) खर्च किया गया ब्याज	2,63,223	26.5	2,72,084	3.4
ख) परिचालन व्यय	89,581	15.9	99,769	11.4
जिसमें से : वेतन बिल	47,974	20.1	55,164	15.0
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	58,148	42.3	65,310	12.3
3. परिचालन लाभ	**1,10,897**	**32.7**	**1,22,419**	**10.4**
4. वर्ष में निवल लाभ	**52,750**	**23.5**	**57,109**	**8.3**
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	**1,25,258**	**24.7**	**1,43,669**	**14.7**

स्रोत: संबंधित बैंकों के लाभ और हानि विवरण।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

4.21 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में मंदी की भाँति, 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय में काफी अधिक कमी के संकेत थे। कुल आय में कमी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ब्याज और ब्याज रहित आय दोनों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल व्यय की वृद्धि में कमी आयी जिसके लिए मुख्यतः ब्याज व्यय की वृद्धि में गिरावट जिम्मेदार थी (सारणी IV.9)।

4.22 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आय और व्यय दोनों में तीव्र गिरावट आयी और 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन लाभों की वृद्धि में कमी आयी। परिचालन लाभों में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में सापेक्षिक रूप से 12.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई । परिणामस्वरूप 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभों में 8.3 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 तक चार वर्षों के दौरान निवल लाभों में वृद्धि निरंतर रूप से बढ़ी। तथापि, निवल लाभों की वृद्धि में 2008-09 में गिरावट दर्ज हुई जो 2009-10 में और तीव्र हो गई (चार्ट IV.8)।

4.23 2005-06 से पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन 2008-09 की मामूली रिकवरी को छोड़कर कुल मिलाकर गिरावट की प्रवृत्ति पर था (चार्ट IV.9)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि और उधार दरें दोनों, जिसका प्रभाव बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन

चार्ट IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ की प्रवृत्तियां

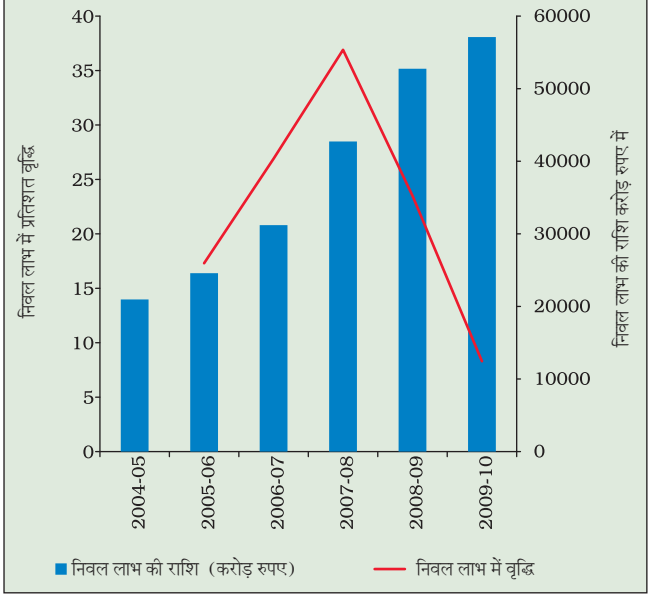

चार्ट IV.9 : निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिफल की प्रवृत्तियां

चार्ट IV.10: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा और उधार दरें

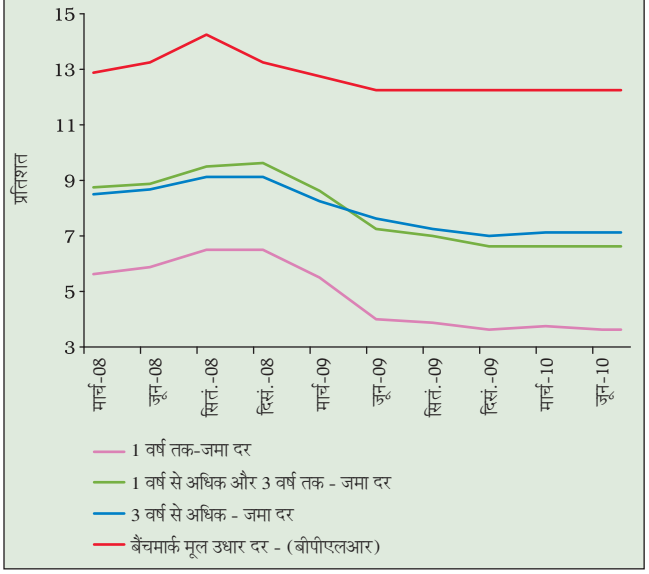

पर पड़ा, में वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही के दौरान सामान्यतः उर्ध्वगति दिखाई दी। तथापि, वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई समायोजी मौद्रिक नीति के कारण वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इन दरों में गिरावट आयी। वर्ष 2009-10 के अधिकांश भाग के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा दरों में गिरावट की प्रवृत्ति विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाराशियों पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत दरों में जारी रही जिसमें दिसंबर 2009 तक निरंतर गिरावट दिखाई दी (चार्ट IV.10)।[6] नपेतुले ढंग से बाहर निकलते हुए, रिज़र्व बैंक ने फरवरी-सितंबर 2010 के दौरान अपने रिपो दर में 125 आधार अंक (बीपीएस), रिवर्स रिपो दर में 175 आधार अंक तथा सीआरआर में 100 आधार अंक की वृद्धि की। इन परिवर्तनों से संकेत लेते हुए, बैंकों ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न परिपक्वता अवधियों में 25-125 आधार अंकों की सीमा में अपनी जमाराशि दरें बढ़ा दी। उधार दर के संबंध में 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली ने बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली को बदल दिया (बॉक्स IV.2)। आधार दर प्रणाली में अंतरण से पहले, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बीपीएलआर जुलाई 2009 और जुलाई 2010 के बीच अपरिवर्तित रहा। वर्ष के अधिकांश भाग के लिए कम कर्ज उठाव के साथ नियंत्रित ब्याज दर वातावरण वर्ष 2009-10 में आंशिक रूप से बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन में गिरावट को दर्शाता है ।

4.24 वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों की लागत और प्रतिलाभ दोनों में गिरावट दिखी विशेष रूप से, अग्रिमों पर प्रतिलाभ में गिरावट वर्ष 2008-09 के 10.50 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 9.29 प्रतिशत थी । वर्ष 2009-10 में अग्रिमों पर प्रतिफल में गिरावट विदेशी और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए काफी अधिक थी (सारणी IV.10)।

4.25 निवल ब्याज मार्जिन में गिरावट के समान, वर्ष 2009-10 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में भी गिरावट आयी, जो बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता का एक दूसरा संकेतक है तथा जिसमें लाभ की वह राशि शामिल है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र द्वारा धारित आस्तियों के एक इकाई से सृजित किया जा सकता है । आस्तियों पर प्रतिफल में (औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत

[6] 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही के साथ जारी मौद्रिक और समष्टि आर्थिक गतिविधियां देखें, ब्याज दरों के बैंक समूह-वार दायरे के ब्यौरों के लिए सारणी V.7।

बॉक्स IV.2: ब्याज दरों की आधार दर प्रणाली - विशेषताएं और मुद्दे

ऐसी आशा थी कि 2003 में शुरू की गयी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की प्रणाली बैंकों के अपने उधार संबंधी उत्पादों के मूल्यन के लिए बेंचमार्क दर के रूप में कार्य करेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे वास्तविक लागत सही अर्थों में परिलक्षित हो। लेकिन, बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य से पीछे रही। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण से था क्योंकि बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत बैंक बीपीएलआर के नीचे उधार दे सकते थे। इसी कारण से, बैंकों की उधार दरों में रिज़र्व बैंक की नीति दरों के संचारण का मूल्यांकन कठिन हो गया।

इन चिंताओं के निराकरण के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर कार्यदल (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) बनाने की घोषणा की, जिससे बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा की जा सके और मूल्यन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदलावों के बारे में सुझाव दिया जा सके। कार्यदल ने 20 अक्तूबर 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसे उसी दिन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया। इस समूह की सिफारिशों और विभिन्न पणधारियों के सुझावों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल 2009 को आधार दर प्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किये। तदनुसार, आधार दर की प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू की गयी। आधार दर में उधार दरों के उन सभी तत्वों को शामिल किया गया है जो उधारकर्ताओं के सभी वर्गों के बीच सामान्य हैं। उधारकर्ताओं से ली जाने वाली वास्तविक उधार दरें आधार दर जमा उधारकर्ता-विशिष्ट प्रभार होंगी। आधार दर सभी उधार दरों के लिए न्यूनतम दर है तथा इस प्रकार बैंकों को कुछ विशिष्ट वर्गों जैसे (क) विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) अग्रिम; (ख) बैंकों के अपने कर्मचारियों को उधार; और (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं की जमानत पर उधार, को छोड़कर आधार दर से कम कोई उधार देने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, सरकार द्वारा कृषि उधार और रुपया निर्यात कर्ज पर दी गयी ब्याज दर सहायता के मामले में, वास्तविक उधार दर आधार दर से नीचे जा सकती है। पुनःसंरचित उधारों के मामले में, यदि अर्थक्षमता के प्रयोजन के लिए कार्यशील पूंजी मीयादी उधार (डब्ल्यूसीटीएल), निधिकृत ब्याज मीयादी उधार (एफआइटीएल) को आधार दर से नीचे प्रदान करने की आवश्यकता है और उनके लिए क्षतिपूर्ति खंड हैं तो ऐसे उधारों को आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा, छोटे उधारकर्ताओं के लिए उचित दर पर कर्ज का प्रवाह बढ़ाने हेतु 2 लाख रुपए तक के छोटे उधारों पर ब्याज दर को अविनियमित किया गया है। आधार दर प्रणाली सभी नये उधारों और उन पुराने उधारों पर लागू होगी, जिनका नवीकरण कराया जा रहा हो। बीपीएलआर प्रणाली पर आधारित वर्तमान उधार उनकी परिपक्वता तक चालू रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2010 को 1 जुलाई 2010 से प्रभावी रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर को भी विनियमित किया और कहा कि रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर का मूल्यन आधार दर पर अथवा उसके ऊपर किया जाएगा। ऐसी आशा है कि आधार दर प्रणाली उधारों के बेहतर मूल्यन को सुकर बनाएगी, उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाएगी और मौद्रिक नीति के संचारण के मूल्यांकन में सुधार करेगी।

प्रणाली के लिए कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आधार दर 13 अक्तूबर 2010 को 5.50 - 9.00 प्रतिशत के दायरे में थी। सितंबर के अंत और अक्तूबर 2010 के दौरान कई बैंकों ने अपनी आधार दर को 25-50 आधार अंक बढ़ाया। बैंकों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आधार दरों का एक बढ़े स्तर पर अभिसरण हुआ है। हाल की समीक्षा में, 48 बैंकों ने, जिनका हिस्सा कुल बैंक कर्ज में 94 प्रतिशत था, अपनी आधार दरों को 7.50 - 8.50 प्रतिशत के दायरे में रखा। जुलाई 2010 में कुल बैंक कर्ज में 81 प्रतिशत हिस्से वाले 40 से अधिक बैंकों ने आधार दर को 7.25 - 8.00 प्रतिशत के दायरे में रखा है।

सारणी: बीपीएलआर का दायरा और बैंक समूह की आधार दरें

बैंक समूह	बीपीएलआर दायरा (13 अक्तूबर 2009 को)	आधार दर दायरा (13 अक्तूबर 2009 को)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11.75-13.50	7.50-8.50
निजी क्षेत्र के बैंक	12.75-17.50	7.00-9.00
विदेशी बैंक	10.50-16.00	5.50-9.00

संदर्भः

भारतीय रिज़र्व बैंक (2010), *बैंचमार्क मूल आधार दर पर बने कार्य दल की रिपोर्ट* (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती)।

मोहंती, दीपक (2010), ''भारत में उधार दरों का परिप्रेक्ष्य'' विषय पर बैंकर्स क्लब, कोलकाता में दिया गया भाषण, *आरबीआइ बुलेटिन*, जुलाई।

के अनुसार निवल लाभ के रूप में परिभाषित) गिरावट दर्ज हुई, जो 2009-10 में बड़े पैमाने पर बैंकों के लाभों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है (चार्ट IV.9)[7]। इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), जिसमें इक्विटी की प्रत्येक इकाई से लाभ सृजित करने में बैंकिंग क्षेत्र की सक्षमता परिलक्षित होती है, में भी 2009-10 में गिरावट दिखाई दी (सारणी IV.11)।

4.26 बैंक समूह स्तर पर, 2009-10 में आरओए और आरओई में आयी गिरावट आई जो विदेशी बैंकों के लिए सबसे

[7] चार्ट IV.9 में दिए गए निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिफल के आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों को लेते हुए निकाले गए हैं (वर्तमान और पूर्व वर्ष के औसत)। इसलिए, हो सकता है कि ये आंकड़े संबंधित वर्ष के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाएं। कुल और बैंक समूह/बैंक स्तर पर इन परिवर्तियों की सुसंगत समय श्रृंखला को *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों* के विभिन्न विगत मुद्दों से लिया जा सकता है।

सारणी IV.10: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

	बैंक समूह / वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधियों पर प्रतिफल	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-4)
1	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**							
	2008-09	**6.26**	**3.04**	**6.04**	**10.08**	**6.95**	**9.11**	**3.07**
	2009-10	**5.68**	**1.37**	**5.34**	**9.10**	**6.72**	**8.36**	**3.02**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*							
	2008-09	6.31	2.76	6.09	10.17	7.05	9.22	3.14
	2009-10	5.64	1.42	5.35	9.18	6.88	8.48	3.13
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2008-09	6.17	3.47	5.94	9.89	6.77	8.90	2.95
	2009-10	5.75	1.28	5.32	8.92	6.41	8.13	2.81
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**							
	2008-09	**6.60**	**3.56**	**6.18**	**11.41**	**6.93**	**9.85**	**3.67**
	2009-10	**5.36**	**1.95**	**4.83**	**9.89**	**6.25**	**8.60**	**3.77**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2008-09	6.73	4.44	6.67	11.82	6.57	10.01	3.34
	2009-10	6.27	1.94	6.13	10.95	6.18	9.25	3.12
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2008-09	6.56	3.52	6.04	11.29	7.03	9.80	3.77
	2009-10	5.01	1.96	4.42	9.56	6.28	8.40	3.99
3	**विदेशी बैंक**							
	2008-09	**4.58**	**4.07**	**4.46**	**12.61**	**7.63**	**10.55**	**6.10**
	2009-10	**3.20**	**1.58**	**2.82**	**9.99**	**6.39**	**8.30**	**5.49**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक							
	2008-09	**6.24**	**3.37**	**5.96**	**10.50**	**7.01**	**9.36**	**3.40**
	2009-10	**5.49**	**1.57**	**5.09**	**9.29**	**6.59**	**8.41**	**3.31**

टिप्पणी : 1) जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों का औसत।
2) उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के उधारों का औसत।
3) निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज +उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
4) अग्रिमों पर प्रतिफल = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों का औसत।
5) निवेशों पर प्रतिफल = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के निवेशों का औसत।
6) निधियों पर प्रतिफल = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत।
7) *- आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

	बैंक समूह / वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
	1	2	3	4	5
1	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	**1.02**	**0.97**	**17.94**	**17.47**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.03	1.00	18.05	18.30
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	1.02	0.91	17.74	15.92
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**1.13**	**1.28**	**11.38**	**11.94**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.15	0.95	14.69	12.29
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.12	1.38	10.69	11.87
3	**विदेशी बैंक**	**1.99**	**1.26**	**13.75**	**7.35**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.13**	**1.05**	**15.44**	**14.31**

टिप्पणी: 1) आस्तियों पर प्रतिफल = निवल प्रतिफल / औसत कुल आस्तियां।
2) इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ / औसत कुल इक्विटी।
3) * राष्ट्रीयकृत बैंकों में आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

अधिक थी। इसके विपरीत निजी क्षेत्र के नए बैंकों के मामले में, लाभप्रदता के इन दोनों सकेतकों ने वर्ष 2009-10 में वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.11)।

4.27 बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता का तीसरा प्रमुख संकेतक अर्थात अंतर, जिसे निधियों के प्रतिलाभ और लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया, में भी समग्र स्तर पर वर्ष 2009-10 में लगभग 0.10 प्रतिशत अंकों की गिरावट भी दिखी । बैंक समूह स्तर पर इस अंतर में गिरावट विदेशी बैंकों के लिए पुनः काफी आश्चर्यजनक थी (सारणी IV.10)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.28 बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता का कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। संकट के पश्चात,

बढ़े हुए बासेल II ढांचे[8] के अंतर्गत विभिन्न देशों में विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपाए किये गये हैं। जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), अनर्जक आस्तियों और लीवरेज अनुपात के तीन संकेतकों का प्रयोग करते हुए, इस खंड में 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता का विश्लेषण किया गया है।

जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात

4.29 जैसा कि 2008-09 की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट के दबावों का सामना किया और वह कारक, जिसने सबसे बड़े वैश्विक वित्तीय संकटों में से एक का सामना होते हुए भी बैंकिंग प्रणाली के सामान्य क्रियाकलाप को सुगम बनाये रखा, सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता थी। बासेल I ढांचे के अंतर्गत भारतीय बैंकों के सीआरएआर में, जो 2007 से निरंतर बढ़ रहा था, संकट वर्ष के दौरान मार्च 2008 के अंत के 13.0 प्रतिशत से मार्च 2009 के अंत में 13.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। मार्च 2010 के अंत में, सीआरएआर और बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.12)[9]।

सारणी IV.12: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	बासेल I		बासेल II	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**12.3**	**12.1**	**13.5**	**13.3**
राष्ट्रीयकृत बैंक *	12.1	12.1	13.2	13.2
भारतीय स्टेट बैंक समूह	12.7	12.1	14.0	13.5
निजी क्षेत्र के बैंक	**15.0**	**16.7**	**15.2**	**17.4**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	14.3	13.8	14.8	14.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.1	17.3	15.3	18.0
विदेशी बैंक	**15.0**	**18.1**	**14.3**	**17.3**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**13.2**	**13.6**	**14.0**	**14.5**

टिप्पणी: *: आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड शामिल है।
स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4.30 चूंकि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत के बाहर कार्यरत भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासेल II ढांचे की ओर अंतरण किया, यह भी आवश्यक हो गया है कि इस ढांचे अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता स्थिति पर दृष्टि डाली जाए। बासेल II के अंतर्गत, मार्च 2009 के अंत में भारतीय बैंकों का सीआरएआर 14.0 प्रतिशत था, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात से अधिक था। इसका तात्पर्य है कि भारतीय बैंकों ने बदले हुए ढांचे के अंतर्गत बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा किया। मार्च 2009 और 2010 के बीच, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर में लगभग 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जो नये ढांचे के अंतर्गत उनकी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने की बात परिलक्षित करती है।

4.31 मूल सीआरएआर, जो चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों को परिलक्षित करता है, सामान्यतया किसी बैंक की वित्तीय क्षमता का मूल माप होता है। भारतीय बैंकों के मामले में, मूल पूंजी (टीयर I पूंजी द्वारा मापित), मार्च 2010 के अंत में कुल पूंजी का लगभग 70 प्रतिशत थी। बासेल I और बासेल II ढांचे के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का मूल सीआरएआर अनुपात मार्च 2010 के अंत में क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत था, जो पुनः रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत से काफी अधिक था, इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मूल पूंजी क्षमता रेखांकित होती है (सारणी IV.13)।

सारणी IV.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2009	2010	2009	2010
क. पूंजी निधियां (i+ii)	4,88,563	5,72,582	4,87,826	5,67,381
i) टीयर I पूंजी	3,31,422	3,97,665	3,33,810	3,95,100
ii) टीयर II पूंजी	1,57,141	1,74,916	1,54,016	1,72,281
ख. जोखिम भारित आस्तियां	37,04,372	42,16,565	34,88,303	39,01,396
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	13.2	13.6	14.0	14.5
जिसमें से: टीयर I	9.0	9.4	9.6	10.1
टीयर II	4.2	4.1	4.4	4.4

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ- साइट विवरणियों पर आधारित।

[8] बढ़े हुए बासेल II ढांचे पर ब्यौरों के लिए अध्ययन I देखें ।

[9] इस खंड में सीआरएआर का विश्लेषण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियों के आंकड़ों पर आधारित है।

4.32 बैंक समूह स्तर पर, प्रत्येक बैंक समूह ने बासेल I और बासेल II दोनों ढांचों के अंतर्गत, औसतन, 12 प्रतिशत के ऊपर सीआरएआर सूचित की (सारणी IV.12)। दोनों ढांचों के अंतर्गत, विदेशी बैंकों के लिए सीआरएआर का स्तर सर्वाधिक था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित स्तर से लगभग 4-6 प्रतिशत अंक ऊपर था। विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2009-10 के बीच सीआरएआर (बासेल I और बासेल II के अंतर्गत) में वृद्धि सूचित की। इसके विपरीत, एसबीआइ समूह के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट आई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस अवधि के दौरान पूंजी पर्याप्तता के संबंध में अपनी स्थिति को बरकरार रखा।

अनर्जक आस्तियां

4.33 जबकि भारतीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता सुदृढ़ बनी रही, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बैंकों के दूसरे महत्वपूर्ण सुदृढ़ संकेतक से संबंधित कुछ चिंताएं उभरीं। भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवता में सामान्यरूप से निरंतर सुधार दिखा जैसाकि 1999 से सकल और निवल एनपीए अनुपात के गिरते स्तर से स्पष्ट है। मार्च 1999 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 14.6 प्रतिशत था जो मार्च 2008 के अंत में लगातार गिरकर 2.25 प्रतिशत हो गया। संकट वर्ष 2008-09 के दौरान, भारतीय बैंकों का सकल एनपीए अनुपात अपरिवर्तित बना रहा। फिर भी, 2009-10 के दौरान सकल एनपीए अनुपात बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.14)। प्रावधानों को घटाने के पश्चात, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल एनपीए अनुपात मार्च 2009 के अंत के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 1.12 प्रतिशत हो गया।

4.34 यह उल्लेखनीय है कि भारतीय बैंकों की एनपीए में वृद्धि व्यापक रूप से कर्ज वृद्धि के संबंध में विलंबित चक्रीय पैटर्न के पश्चात रही है (चार्ट V.11)। जून 2000 से सकल अग्रिम और

चार्ट IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों और सकल एनपीए की वृद्धि की प्रवृत्तियां

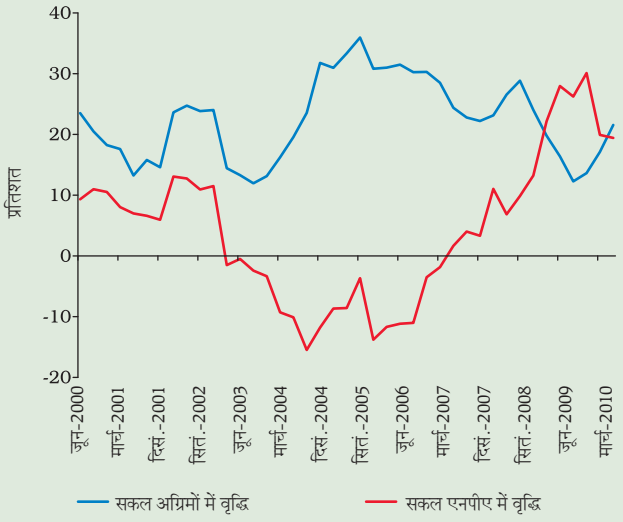

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के घरेलू परिचालनों पर आधारित।

सकल एनपीए की वृद्धि दरों को लेते हुए, आनुभविक विश्लेषण दर्शाता है कि एनपीए वृद्धि दो वर्ष [10] के अंतराल में कर्ज वृद्धि के बाद होती है। कर्ज वृद्धि के सह गुणांक धनात्मक और दूसरे चरण से आगे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे जिससे परिलक्षित होता है कि कर्ज वृद्धि एक अंतराल में एनपीए में वृद्धि में तब्दील हो गई। यह बैंकिंग प्रणाली के सहचक्रीय व्यवहार को रेखांकित करती है, जिसमें उच्च कर्ज वृद्धि अवधि के दौरान आस्ति गुणवता के साथ समझौता करना पड़ सकता है और इसका परिणाम बाद के वर्षों में बैंकों के लिए अनर्जक आस्तियों का निर्माण होता है।

4.35 बैंक समूह स्तर पर, मार्च 2010 के अंत में विदेशी बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सर्वाधिक था इसके पश्चात निजी क्षेत्र के बैंकों का था। दूसरी तरफ, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए यह सबसे कम था। 2009 और 2010 के बीच सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि निजी क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों में देखी जा सकती है। इस अवधि के दौरान सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि विदेशी बैंकों के लिए दृष्टिगोचर है (सारणी V.14)।

[10] समकालिक कर्ज वृद्धि और तीन वर्ष तक के अंतराल की कर्ज वृद्धि के लिए आकलन किया गया। महत्वपूर्ण सहगुणांक को दर्शाते हुए रिग्रेशन नीचे दिया कया है:

$$\text{एनपीए वृद्धि} = \underset{}{\alpha} + \underset{(1.9)*}{0.62}\ \text{कर्ज वृद्धि}_{-2} + \underset{(5.8)**}{1.41}\ \text{कर्ज वृद्धि}_{-3}$$

* 5 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।
** 1 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।

सारणी IV.14: अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**अनुसूचित वाणिज्य बैंक**
1	**2**	3	4	**5**	6	7	**8**	**9**
सकल एनपीए								
2008-09 के लिए अंतिम शेष	**44,957**	26,543	18,413	**16,926**	3,072	13,854	**6,444**	**68,328**
2009-10 के लिए प्रारंभिक शेष	**44,957**	26,543	18,413	**16,889**	3,072	13,817	**6,437**	**68,283**
2009-10 के दौरान जोड़	**44,818**	29,701	15,116	**11,651**	2,833	8,817	**9,205**	**65,674**
2009-10 के लिए वसूली	**26,946**	18,966	7,980	**6,498**	1,686	4,811	**5,513**	**38,957**
2009-10 के लिए बट्टा खाता डाले गए	**2,902**	884	2,017	**4,402**	597	3,805	**2,948**	**10,253**
2009-10 के लिए अंतिम शेष	**59,926**	36,395	23,532	**17,639**	3,622	14,017	**7,180**	**84,747**
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए								
2008-09	**1.97**	1.73	2.46	**2.89**	2.36	3.05	**3.80**	**2.25**
2009-10	**2.19**	1.95	2.70	**2.74**	2.32	2.87	**4.29**	**2.39**
निवल एनपीए								
2008-09 के लिए अंतिम शेष	**21,155**	10,286	10,869	**7,412**	1,159	6,252	**2,996**	**31,564**
2009-10 के लिए अंतिम शेष	**29,644**	16,813	12,831	**6,506**	1,271	5,234	**2,975**	**39,126**
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप निवल एनपीए								
2008-09	**0.94**	0.68	1.47	**1.29**	0.90	1.40	**1.81**	**1.05**
2009-10	**1.10**	0.91	1.50	**1.03**	0.83	1.09	**1.82**	**1.12**

टिप्पणी: 1) 2008-09 का अंतिम शेष निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के 2009-10 के प्रारंभिक शेष से नहीं मिलता है क्योंकि इन बैंकों में से कुछ ने आरबीआइ के परिपत्र > डीबीओडी सं.बीपी. बीसी.46/21.04.048/2009-10> दिनांकित 24 सितंबर 2009 के अनुसार पूर्व वर्ष के एनपीए के अंतिम शेष से ब्याज उचंत घटाकर एनपीए के प्रारंभिक शेष को सूचित किया है।

2) *: आइडीबीआइ बैंक लि. सहित ।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

4.36 एनपीए अनुपात में वृद्धि के अलावा, 2009 और 2010 के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए के संवितरण में भी गिरावट आई। यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की हानि वाली और संदिग्ध आस्तियों के प्रतिशत में वृद्धि से स्पष्ट है, जो एनपीए के मामले में सबसे नीचे है (सारणी IV.15: चार्ट IV.12)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में विदेशी और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में एनपीए के संवितरण का अंतरण संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के पक्ष में अधिक था।

4.37 एनपीए के सेक्टोरल संवितरण ने 2009 और 2010 के बीच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए के बढ़ते अनुपात को दर्शाया (सारणी IV.16)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए, जो 2008 तक देशी बैंकों के कुल एनपीए के आधे से थोड़ा अधिक था, में 2009 में सीधी गिरावट दिखी जिसके लिए मुख्य रूप से 2008 की कृषि कर्ज माफी और कर्ज राहत योजना उत्तरदायी थी। 2009 और 2010 के बीच, सामान्य रूप में और विशेष रूप से लघु उद्योगों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए का हिस्सा घरेलू बैंकों के मामले में बढ़ा, यह आंशिक रूप से वित्तीय संकट और उसके पश्चात हुई आर्थिक मंदी के प्रभाव को दर्शाता है। मार्च 2010 के अंत में, कुल एनपीए में प्राथमिकता प्राप्त एनपीए का प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 53.8 प्रतिशत था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 27.6 प्रतिशत था [परिशिष्ट सारणी IV.2 (अ-इ)]।

4.38 बैंकों के सेक्टोरल एनपीए अनुपात में भी 2009 और 2010 के बीच प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिखी; लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात में वृद्धि गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक थी (चार्ट IV.13)।

4.39 यह उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग, जिसमें अन्य के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति और

सारणी IV.15: उधार संबंधी आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूह-वार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अव-मानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
		राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**2009**	**22,37,556**	**97.99**	**20,603**	**0.90**	**21,019**	**0.92**	**4,296**	**0.19**
	2010	**26,73,534**	**97.81**	**28,791**	**1.05**	**25,383**	**0.93**	**5,750**	**0.21**
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक**	2009	15,08,798	98.25	11,086	0.72	13,306	0.87	2,412	0.16
	2010	18,27,061	98.05	18,520	0.99	15,034	0.81	2,841	0.15
1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2009	7,28,758	97.44	9,517	1.27	7,713	1.03	1,884	0.25
	2010	8,46,473	97.30	10,271	1.18	10,349	1.19	2,909	0.33
2 निजी क्षेत्र के बैंक	**2009**	**5,68,093**	**97.10**	**10,592**	**1.81**	**5,035**	**0.86**	**1,345**	**0.23**
	2010	**6,26,472**	**97.27**	**8,842**	**1.37**	**6,590**	**1.02**	**2,166**	**0.34**
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2009	1,27,280	97.64	1,334	1.02	1,327	1.02	411	0.32
	2010	1,52,745	97.69	1,395	0.89	1,637	1.05	580	0.37
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	2009	4,40,813	96.94	9,258	2.04	3,708	0.82	934	0.21
	2010	4,73,727	97.13	7,447	1.53	4,953	1.02	1,586	0.33
3 विदेशी बैंक	**2009**	**1,62,422**	**95.70**	**5,874**	**3.46**	**1,004**	**0.59**	**416**	**0.25**
	2010	**1,60,311**	**95.74**	**4,929**	**2.94**	**1,440**	**0.86**	**758**	**0.45**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2009**	**29,68,070**	**97.69**	**37,069**	**1.22**	**27,058**	**0.89**	**6,056**	**0.20**
	2010	**34,60,318**	**97.61**	**42,561**	**1.20**	**33,412**	**0.94**	**8,674**	**0.24**

टिप्पणी: 1) पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।
2) * : सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3) **: आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणी (बीएसए)।

जनजाति (एससी/एसटी) शामिल है, में हाल के वर्षों में एनपीए अनुपात में निरंतर गिरावट दिखी है। यह रुझान इस तर्क को सत्यापित करता है कि कमजोर वर्ग वास्तव में अन्य वर्गों की तुलना में कम उधार-पात्र नहीं हैं और यह वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तर्क को मजबूत करता है। मार्च 2010 के अंत में, कमजोर वर्ग के लिए एनपीए

चार्ट IV.12: आस्ति के प्रकार के अनुसार एनपीए का प्रतिशत संवितरण

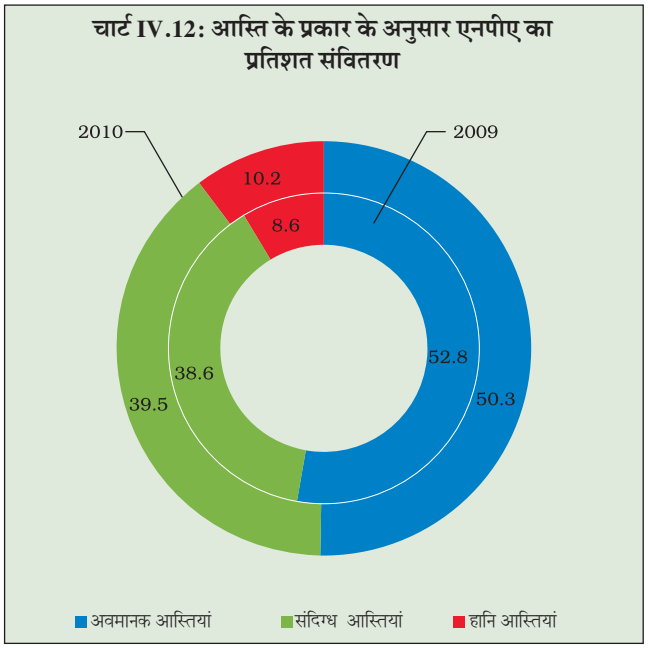

चार्ट IV.13: देशी बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एनपीए अनुपात

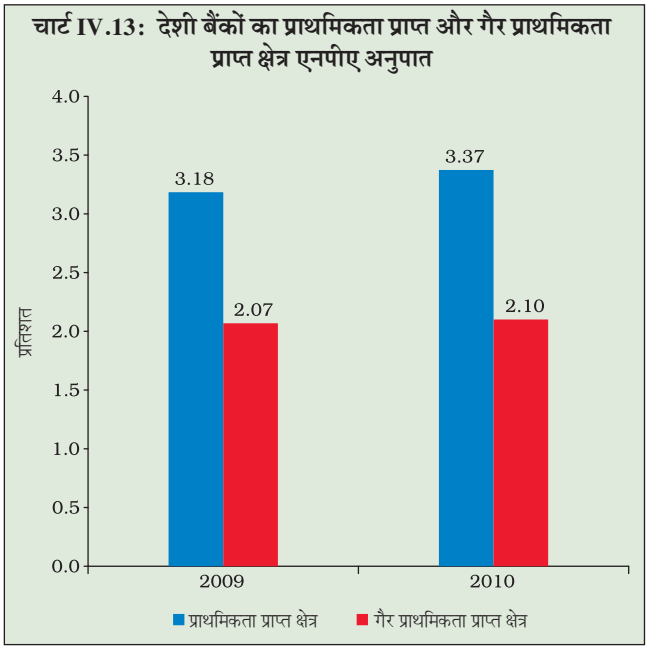

सारणी IV.16: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए*
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से*, कृषि		*जिसमें से*, लघु उद्योग		*जिसमें से*, अन्य		सार्वजनिक क्षेत्र		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक														
2009	**24,318**	**55.2**	**5,708**	**13.0**	**6,984**	**15.9**	**11,626**	**26.4**	**474**	**1.1**	**19,251**	**43.7**	**44,042**	**100.0**
2010	**30,848**	**53.8**	**8,330**	**14.5**	**11,537**	**20.1**	**10,981**	**19.2**	**524**	**0.9**	**25,929**	**45.3**	**57,301**	**100.0**
राष्ट्रीयकृत बैंक**														
2009	15,871	60.6	3,707	14.2	4,958	18.9	7,206	27.5	297	1.1	10,001	38.2	26,169	100.0
2010	19,908	56.1	5,741	16.2	8,668	24.4	5,499	15.5	280	0.8	15,283	43.1	35,470	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2009	8,447	47.3	2,001	11.2	2,026	11.3	4,420	24.7	177	1.0	9,250	51.8	17,874	100.0
2010	10,940	50.1	2,589	11.9	2,869	13.1	5,482	25.1	244	1.1	10,646	48.8	21,831	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक														
2009	**3,641**	**21.6**	**1,441**	**8.5**	**666**	**3.9**	**1,533**	**9.1**	**75**	**0.4**	**13,172**	**78.0**	**16,888**	**100.0**
2010	**4,792**	**27.6**	**2,023**	**11.6**	**1,139**	**6.6**	**1,630**	**9.4**	**-**	**-**	**12,592**	**72.4**	**17,384**	**100.0**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2009	1,234	40.2	263	8.6	303	9.9	667	21.7	-	-	1,839	59.8	3,072	100.0
2010	1,613	44.7	269	7.4	475	13.2	869	24.1	-	-	1,999	55.3	3,612	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2009	2,407	17.4	1,178	8.5	363	2.6	866	6.3	75	0.5	11,334	82.0	13,815	100.0
2010	3,179	23.1	1,754	12.7	664	4.8	760	5.5	-	-	10,594	76.9	13,772	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक														
2009	**27,958**	**45.9**	**7,149**	**11.7**	**7,650**	**12.6**	**13,159**	**21.6**	**549**	**0.9**	**32,423**	**53.2**	**60,930**	**100.0**
2010	**35,640**	**47.7**	**10,353**	**13.9**	**12,676**	**17.0**	**12,611**	**16.9**	**524**	**0.7**	**38,522**	**51.6**	**74,685**	**100.0**

टिप्पणी: 1) * : विदेश बैंक शामिल नहीं।
2) - : शून्य / नगण्य
3) राशि-राशि; प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।
4) **- आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

चार्ट IV.14: देशी बैंकों का कमजोर वर्ग के लिए अग्रिमों की तुलना में एनपीए का अनुपात

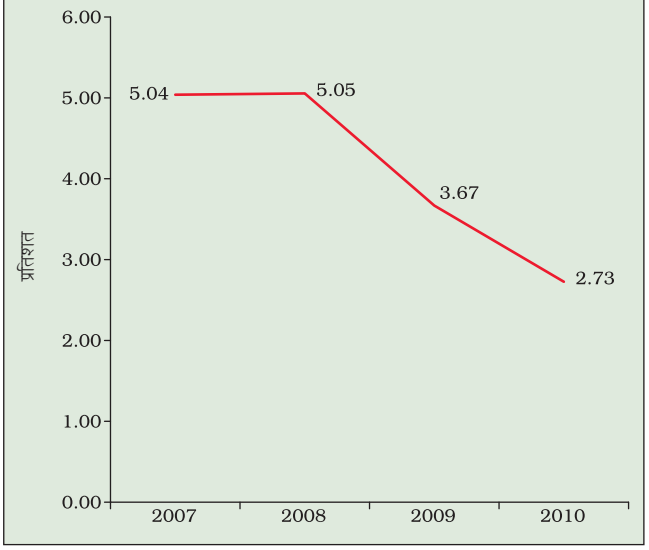

अनुपात देशी बैंकों के लिए 2.73 प्रतिशत था जो गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात की तुलना में थोडा अधिक था (चार्ट V.14)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर वर्ग के लिए एनपीए अनुपात मार्च 2010 के अंत में निजी क्षेत्र के बैंकों के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 3.0 प्रतिशत अधिक था [परिशिष्ट सारणी IV.3(अ-आ)]।

4.40 विविध चैनलों के बीच, वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन (सरफेसाई) अधिनियम 2002 के अंतर्गत वसूल की गयी एनपीए की राशि 2009-10 में वसूल की गयी एनपीए की कुल राशि की आधी थी। इस प्रकार सरफेसाई अधिनियम एनपीए की वसूली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन रहा है। हाल के वर्षों में इस चैनल के अंतर्गत संलिप्त एनपीए की कुल राशि के प्रतिशत के रूप में सरफेसाई अधिनियम के अंतर्गत वसूली गयी एनपीए की राशि में निरंतर

सारणी IV.17: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए

(राशि करोड़ रुपये में)

वसूली चैनल	2008-09				2009-10			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	5,48,308	4,023	96	2.4	7,78,833	7,235	112	1.5
ii) डीआरटी	2,004	4,130	3,348	81.1	6,019	9,797	3,133	32.0
iii) सरफे साई अधिनियम	61,760#	12,067	3,982	33.0	78,366#	14,249	4,269	30.0

टिप्पणी: 1) *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई उस राशि से तात्पर्य है जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।
2) #: भेजी गई सूचनाओं की संख्या

गिरावट हुई है, इस रुझान को 2008-09 और 2009-10 के बीच भी देखा जा सकता है (सारणी IV.17; चार्ट IV.15)।

4.41 जून 2010 के अंत में, भारत में 13 पंजीकृत प्रतिभूतिकरण / पुन:संरचना कंपनियां (एससी/आरसी) थीं। जून 2010 के अंत में, इन कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि में बैंकों द्वारा सबसे बड़ी राशि का अंशदान किया गया। हाल के वर्षों में प्रतिभूतिकृत आस्तियों के कुल मूल्यों में बैंकों के प्रतिशत हिस्से में निरंतर गिरावट आई है, जबकि एससी / आरसी और पात्र संस्थागत क्रेता (क्यूआइबी) दोनों के हिस्से में वृद्धि हुई है (सारणी IV.18; चार्ट IV.16)। इसे आंशिक तौर पर पांच वर्ष की निर्धारित अवधि (इसे 21 अप्रैल 2010 से आठ वर्ष तक

चार्ट IV.15: विभिन्न वसूली चैनलों द्वारा शामिल एनपीए के प्रतिशत के रूप में वसूल की गई एनपीए की राशि

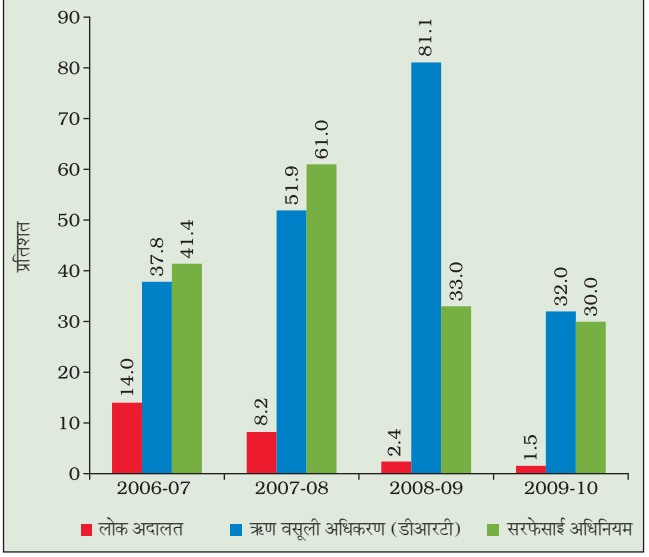

के लिए बढ़ाया गया) के अंतर्गत एससी / आरसी द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के वसूल न होने की प्रवृत्ति से समझा जा सकता है। इस प्रवृत्ति से संभवतः एससी/आरसी की प्रतिभूति प्राप्तियों में अंशदान करने में वाणिज्यिक बैंकों की रुचि कम हुई है। चूंकि वसूल न की गयी प्रतिभूति प्राप्तियां एससी / आरसी की बहियों में बनी रहीं, उनके हिस्से में वृद्धि दिखनी जारी रही, जबकि वाणिज्यिक बैंकों के हिस्से में गिरावट आई।

4.42 2009-10 में एनपीए में वृद्धि बैंकों द्वारा प्रावधानन की बढ़ी हुई राशि में परिलक्षित हुई। इस वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की एनपीए प्रावधानन की राशि 22.4 प्रतिशत बढ़ी। अनुमानित हानियों को पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करने की चिंता को देखते हुए, अक्तूबर 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने

सारणी IV.18: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009	2010
1	2	3
1 अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	51,542	62,217
2 जारी प्रतिभूति रसीदें	12,801	14,050
3 के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
(क) बैंक	9,570	10,314
(ख) एससी/आरसी	2,544	2,940
(ग) एफआइआइ	-	-
(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	687	797
4 पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	2,792	4,556

टिप्पणी: 1) शून्य / नगण्य।
2) आंकड़े जून अंत से संबंधित हैं।

स्रोत : एससी / आरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

चार्ट IV.16: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों में विभिन्न एजेंसियों का प्रतिशत हिस्सा

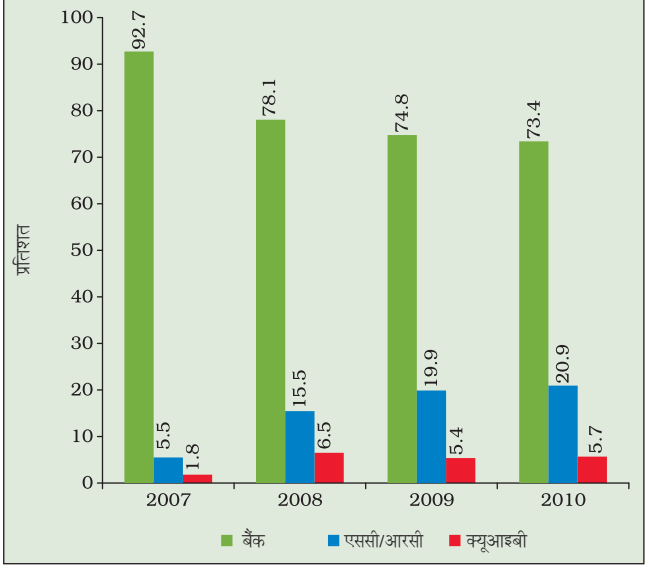

चार्ट IV. 17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कवरेज और सकल एनपीए की प्रवृत्तियां

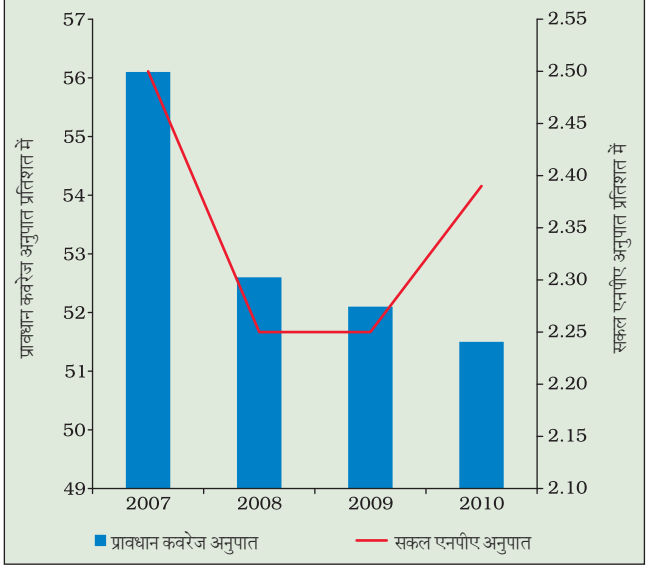

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने एनपीए की तुलना में प्रावधानन (एनपीए और चल प्रावधानों के विपरीत विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करते हुए) अनुपात को 70 प्रतिशत से कम न होने दें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से कहा गया कि वे सितंबर 2010 से पहले प्रावधानन मानदंड को पूरा कर लें। 2009 और 2010 के बीच,अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए की तुलना में प्रावधानन का कवरेज अनुपात मामूली रूप से घटकर 52.1 प्रतिशत से 51.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.17)। कवरेज अनुपात में गिरावट मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में देखी जा सकती है (सारणी IV.19)। यह अनुपात 2009 और 2010 के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए काफी अधिक अर्थात 8 प्रतिशत अंक गिरा। इस गिरावट के विपरीत, यह अनुपात निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लगभग 7 प्रतिशत अंक तथा विदेशी बैंकों के लिए लगभग 5 प्रतिशत अंक बढ़ा- मार्च 2010 के अंत में बैंक समूह एनपीए अनुपात सर्वाधिक बढ़ा।

लीवरेज अनुपात

4.43 वित्तीय संकट के फलस्वरूप,बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनीं बासेल समिति सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़े हुए बासेल II ढांचे के निर्माण पर बैंकिंग प्रणाली[11] की निगरानी के लिए एक गैर-जोखिम आधारित माप की आवश्यकता के बारे में चर्चाएं की गई हैं। यह तर्क दिया गया है कि ऐसे माप मौजूदा जोखिम आधारित मापों के संपूरक बन सकते हैं और प्रणाली में लिवरेज के निर्माण पर एक सीमा लगाकर अतिरिक्त रक्षोपाय शुरू कर सकते हैं। अमरीका जैसे देश एक साधारण माप का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुल समायोजित आस्तियों[12] की तुलना में टियर I पूंजी अनुपात का प्रयोग करके सर्वाधिक दृष्टिगोचर तुलनपत्र लीवरेज का पता लगाया जा सके। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक समान परिभाषा का प्रयोग करते हुए मार्च 2010[13] के अंत में लीवरेज अनुपात 6.6 प्रतिशत था। लिवरेज अनुपात में 2008 और 2009 के बीच एक मामूली गिरावट को

[11] हल्सटर में लिवरेज अनुपात पर विश्व बैंक द्वारा जारी संक्षिप्त नीति में भी उल्लिखित (2009), दि लिवरेज रेशियो - ए न्यू बाइडिंग लिमिट ऑन बैंक्स <rru.worldbank.org>.।

[12] टियर I पूंजी से तात्पर्य इक्विटी और आरक्षित निधियों से अमूर्त आस्तियां घटाना है, जबकि कुल समायोजित आस्तियों से तात्पर्य कुल आस्तियों से अमूर्त आस्तियां घटाना है, देखें हल्सटर (2009)।

[13] यहां पर लिवरेज अनुपात को, बैंकिंग प्रणाली की कुल तुलनपत्र आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बासेल I ढांचे के अंतर्गत, टियर I पूंजी के रूप में सूचित किया गया है।

सारणी IV.19: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	**2**	3	4	**5**	6	7	**8**	**9**
एनपीए के लिए प्रावधान								
मार्च 2009 के अंत में	**22,658**	15,171	7,487	**9,391**	1,826	7,564	**3,448**	**35,498**
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**18,037**	11,518	6,519	**10,393**	1,246	9,147	**3,576**	**32,007**
घटाएं: बट्टा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अतिरेक का प्रतिलेखन	**12,293**	8,881	3,411	**8,782**	852	7,929	**2,810**	**23,886**
मार्च 2010 के अंत में	**28,402**	17,808	10,594	**11,002**	2,220	8,782	**4,214**	**43,619**
ज्ञापन:								
सकल एनपीए	**59,926**	36,395	23,532	**17,639**	3,622	14,017	**7,180**	**84,747**
सकल एनपीए (प्रतिशत) की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात								
मार्च 2009 के अंत में	**50.5**	57.2	40.8	**55.7**	59.4	54.9	**53.8**	**52.1**
मार्च 2010 के अंत में	**47.4**	48.9	45.0	**62.4**	61.3	62.7	**58.7**	**51.5**

टिप्पणी : *: आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

छोड़कर हाल के वर्षों में वृद्धि हुई।हाल के वर्षों में गैर जोखिम आधारित लिवरेज अनुपात और जोखिम आधारित सीआरएआर दोनों तथा मूल सीआरएआर में निरंतर वृद्धि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती सुदृढ़ता की ओर संकेत करती हैं (चार्ट IV.18)।

चार्ट IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लीवरेज अनुपात और सीआरएआर की प्रवृत्तियां

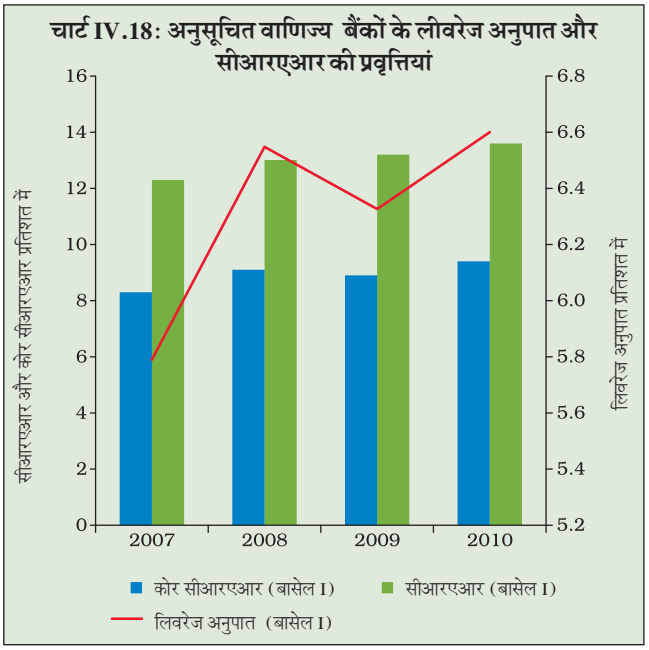

5. बैंक कर्ज का सेक्टर-वार संवितरण

4.44 बैंक कर्ज का सेक्टर-वार संवितरण आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक कर्ज के योगदान तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को समझाता है। तदनुसार, यह खंड 2009-10 में बैंक कर्ज के सेक्टर-वार संवितरण की सामान्य प्रवृत्तियों और संबद्ध मामलों पर प्रकाश डालता है इसके पश्चात प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज और खुदरा कर्ज की प्रवृत्तियों तथा कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति कर्ज पर विस्तृत चर्चा की गई है।

4.45 जैसाकि खंड 2 में चर्चा की गई है, 2009-10 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक कर्ज में मंदी दिखी जो हाल में देखी गई प्रवृत्तियों की निरंतरता को दर्शाती है। फिर भी, सामान्य रूप से बैंक कर्ज में और विशेष रूप से औद्योगिक कर्ज की वृद्धि में तेजी के चिह्न दिखे इसके पश्चात वास्तविक क्षेत्र में रिकवरी के । जैसा कि चार्ट IV.19 में दर्शाया गया है, वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिविधि के प्रतिनिधि के रूप में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में वृद्धि, जो बैंकों के कंपनी क्षेत्र उधारों को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी, में जून 2009 से रिकवरी के चिह्न दिखे, लेकिन इसमें समेकन केवल अक्तूबर

चार्ट IV.19: आइआइपी और ऋण वृद्धि की प्रवृत्तियां

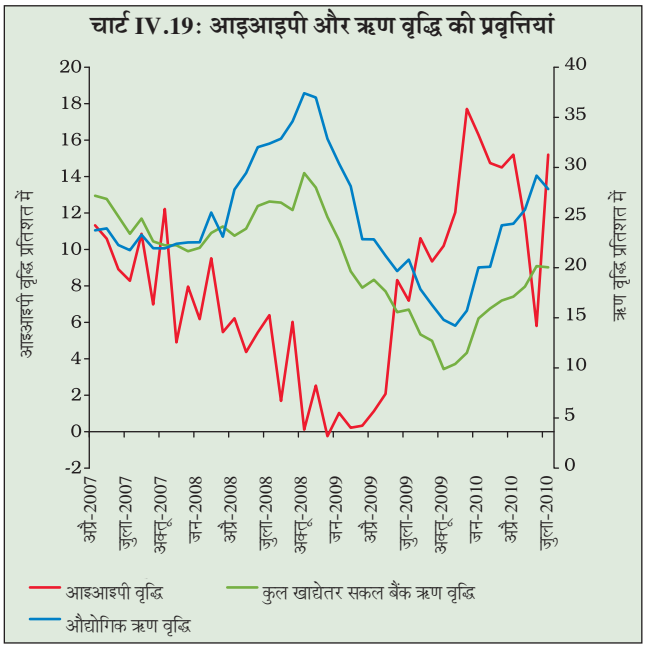

2009 के पश्चात आया जब इसने दोहरे अंक क्षेत्र में प्रवेश किया। यह वह अवधि थी जब औद्योगिक कर्ज और बैंक कर्ज में वृद्धि कुल मिलाकर बढ़नी शुरू हुई। अप्रैल 2006 से आगे के औद्योगिक कर्ज और उत्पादन के मासिक आंकड़ों को लेते हुए, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित औद्योगिक कर्ज की नमनीयता 2.08[14] थी।

4.46 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 2009-10 के दौरान खाद्येतर बैंक कर्ज के प्रमुख प्रेरक उद्योग और कृषि क्षेत्र थे। वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक क्षेत्र की कर्ज में काफी कमी आई (सारणी IV.20)[15]।

सारणी IV.20: सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन :प्रवाह
(वर्ष के दौरान घट-बढ़)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2008-09		2009-10	
	पूर्ण	प्रतिशत	पूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**63,313**	**23.0**	**76,758**	**22.7**
2. उद्योग	**1,96,046**	**22.8**	**2,55,424**	**24.2**
3. व्यक्तिगत ऋण	**40,861**	**7.8**	**23,546**	**4.8**
जिसमें से: आवास	19,242	7.4	21,620	7.7
4. सेवाएं	**96,803**	**17.6**	**76,394**	**12.3**
जिसमें से:				
(i) थोक व्यापार (खाद्य खरीद को छोड़कर)	11,676	20.9	19,506	28.9
(ii) स्थावर संपदा उधार	29,072	45.9	-363	-0.4
(iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	19,897	25.2	19,068	19.3
कुल गैर खाद्य सकल बैंक कर्ज (1 से 4)	**3,97,021**	**18.0**	**4,35,122**	**16.7**

टिप्पणी: 1) डेटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं।
2) स्थावर संपदा ऋणों में गिरावट सितंबर 2009 से प्रभावी परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण है, जैसा कि पाद टिप्पणी सं.15 में दिया गया है।

स्रोत: सेक्टरोल एंड इंडस्ट्रियल डिप्लायमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट रिटर्न (मासिक)।

4.47 हाल के वर्षों में यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि औद्योगिक कर्ज से कुल बैंक कर्ज में वृद्धि के प्रति योगदान को मजबूत किया जाए। 2006-07 और 2009-10 के बीच, कुल बैंक कर्ज में औद्योगिक कर्ज का प्रतिशत योगदान निरंतर बढ़कर 37.1 प्रतिशत से 58.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.20) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के प्रति कर्ज के योगदान की भी बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। दूसरी तरफ, वैयक्तिक कर्ज, जो 2000 के

[14] इस कार्य के लिए प्रयुक्त रिग्रेशन नीचे दिया गया है:

एलएन(औद्योगिक कर्ज) = 2.01 + 2.08 एलएन(औद्योगिक उत्पादन)
(1.40) (8.17)*

* 1 प्रतिशत संभाव्यता पर महत्वपूर्ण।

आर^2 = 0.6.50

[15] सेवा क्षेत्र कर्ज में कमी की पीछे के कारकों में से एक था सितंबर 2009 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण स्वथावर संपदा क्षेत्र के प्रति कर्ज में काफी अधिक कमी। इन गतिविधियों में, अन्यों के बीच, शामिल था: (i) अपनी कारोबार गतिविधियों को चलाने के प्रयोजन के लिए स्थावर संपदा अर्जित करने हेतु उद्यमियों के प्रति एक्सपोजर, जिसको उन कारोबार गतिविधियों द्वारा सृजित नकदी प्रवाहों के द्वारा पूरा किया जाएगा; (ii) विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंपनी को दिए गए उधार, जो स्थावर संपदा गतिविधि से संबद्ध नहीं है; (iii) भविष्य में किराया प्राप्त राशियों की जमानत पर दिए गए उधार; (iv) ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाली निर्माण कंपनियों को दी गई कर्ज सुविधा; (v) अधिगृहण का वित्तीयन / निजी स्वामित्व वाले कार्यालय / कंपनी परिसरों का पुनरोद्धार; (vi) इकाइयों को अधिगृहीत करने / एसईजेड की औद्योगिक इकाइयों के प्रति एक्सपोजर; (vii) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए अग्रिम।

चार्ट IV.20: वृद्धिशील बैंक कर्ज में विविध सेक्टरों का प्रतिशत योगदान

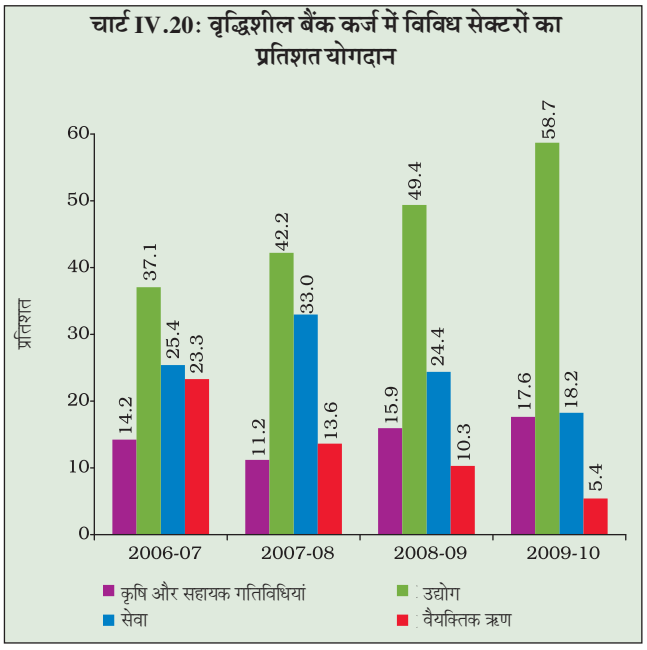

चार्ट IV.21: सेक्टर-वार जीडीपी की तुलना में सेक्टर-वार कर्ज का अनुपात

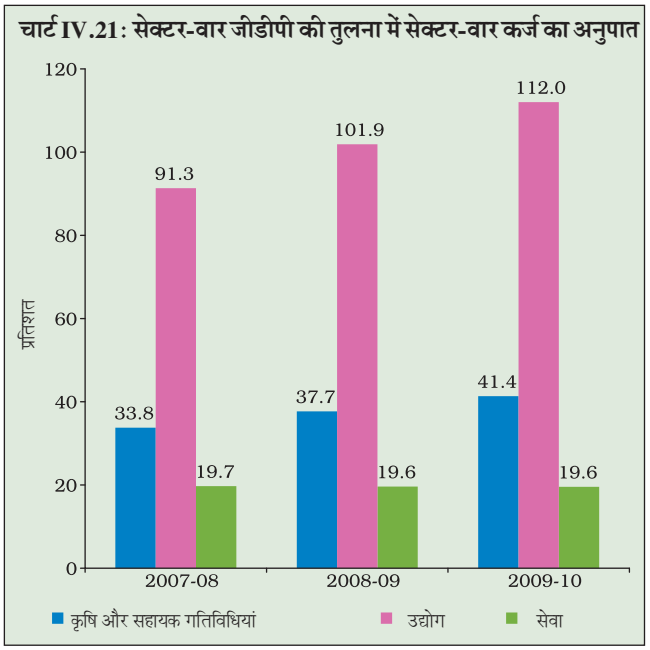

मध्य में उच्च कर्ज वृद्धि चरण के दौरान प्रमुख प्रेरक थे, में उनके प्रतिशत योगदान में गिरावट दिखी। कुल बैंक कर्ज की वृद्धि में सेवा क्षेत्र के योगदान में भी गिरावट दिखी।

4.48 2009-10 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए सेक्टोरल जीडीपी के प्रति कर्ज अनुपात सर्वाधिक (112 प्रतिशत) था इसके पश्चात कृषि (और संबद्ध गतिविधियां) (41.4 प्रतिशत) तथा इसके बाद सेवा (19.6 प्रतिशत) का था (चार्ट IV.21)। हाल के वर्षों के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए अनुपात का बढ़ता रुझान दिख रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र[16] के लिए यह लगभग स्थिर है।

4.49 आर्थिक वृद्धि के लिए आधारभूत संरचना विकास की महत्ता को देखते हुए, आधारभूत संरचनागत वित्तीयन सरकार और रिज़र्व बैंक दोनों के लिए चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। तदनुसार, बैंकों को अनेकों विनियामक उपाय और रियायतें प्रदान की गई हैं जैसे टेकआउट फाइनेंसिंग, शिथिल किए गए आस्ति वर्गीकरण मानदंड और आधारभूत संरचनागत उधार के लिए बढ़ायी गयी एक्सपोजर सीमा। आधारभूत संरचनागत वित्तीयन आंशिक रूप से ऐसे नीतिगत प्रयासों के कारण हाल के वर्षों में बैंक के कर्ज पोर्टफोलियो में एक बढ़ता घटक रहा है । कुल खाद्येतर सकल बैंक कर्ज और कुल औद्योगिक कर्ज के प्रतिशत के रूप में आधारभूत संरचनागत कर्ज में 2007-08 से निरंतर वृद्धि दिखी है। 2009-10 में आधारभूत संरचनागत वित्त की सबसे बड़ी घटक बिजली रही है जो बैंकों के कुल आधारभूत संरचनागत कर्ज की लगभग आधी है (चार्ट IV.22)।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को कर्ज

4.50 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भारत में बैंक कर्ज सुपुर्दगी के एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। 2009 और 2010 के बीच, देशी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से कृषि कर्ज में वृद्धि के कारण हुई। 2009-10 में देशी बैंकों के कृषि कर्ज में वृद्धि 22.6 प्रतिशत

[16] वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधन प्रदान करने में बैंकेतर स्रोतों के बढ़ते महत्व को देखते हुए , बैंक कर्ज किसी क्षेत्र के प्रति कुल कर्ज उपलब्धता का केवल एक आंशिक चित्र प्रस्तुत कर सकता है। देखें तिमाही समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की सारणी IV.9, वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधन प्रदान करने में बैंक और बैंकेतर स्रोत्र के प्रतिशत हिस्से के लिए पहली तिमाही- 2010-11।

चार्ट IV.22: इनफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कर्ज की प्रवृत्तियां

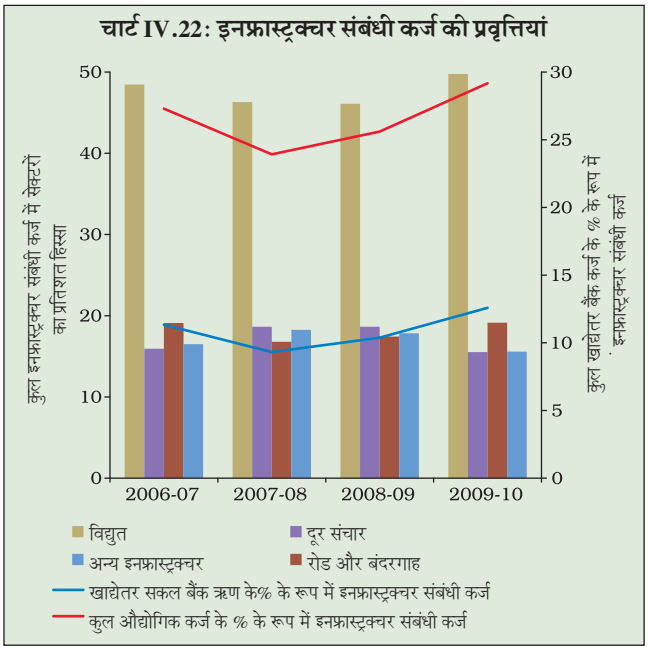

थी। लेकिन, 2009-10 में विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्ज में अपने देशी प्रतिपक्षियों की तुलना में काफी कम अर्थात 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

4.51 मार्च 2010 के अत में, देशी (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) तथा विदेशी बैंकों ने क्रमशः 40 और 32 प्रतिशत के अपने समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों से अधिक की पूर्ति की (सारणी IV.21 और IV.22)। लेकिन, 2010 में वियोजित स्तर पर, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से तीन और निजी क्षेत्र के 22 बैंकों में से 2 समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को पूरा नही कर सके। इसके अलावा, 27 विदेशी बैंकों में से तीन भी समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके (परिशिष्ट सारणी IV.4 (अ-इ) और IV.5(अ-इ))।

4.52 कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्य (18 प्रतिशत) को पूरा करने में देशी बैंकों के निष्पादन से संबंधित कुछ चिंताएं थीं। कुल स्तर पर, मार्च 2010 के अंत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों बैंक कृषि के लिए 18 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के नीचे थे। वियोजित स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के आधे से अधिक बैंक (27 में से 15) निजी क्षेत्र के ठीक आधे बैंक (22 में से 11) कृषि उप-लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। निजी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में निष्पादन

सारणी IV.21: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2009	2010अ	2009	2010अ
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम#	**7,24,150 (42.7)**	**8,64,564 (41.6)**	**1,87,849 (46.2)**	**2,15,552 (45.9)**
जिसमें से:				
कृषि	2,99,415 (17.6)	3,70,730 (17.1)	76,102 (18.7)	89,769 (15.6)
जिसमें से:				
सूक्ष्म और लघु उद्यम	1,91,408 (11.3)	2,78,398 (13.2)	46,656 (11.8)	64,534 (13.7)

टिप्पणी : 1) अ : अनंतिम
2) # : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल है।
3) ^ : अप्रत्यक्ष कृषि के प्रतिशत के आकलन के लिए एएनबीसी के 4.5 प्रतिशत को हिसाब में लिया गया है।
4) कोष्ठक के आंकड़े निवल बैंक ऋण / समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) / तुलनपत्रेत्तर एक्सपोजर के कर्ज के बराबर राशि ,जो भी अधिक हो ,की तुलना में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सापेक्षिक रूप से कमजोर था, जबकि निजी क्षेत्र के अधिकांश नए बैंक कृषि के अंतर्गत उप-लक्ष्य को पूरा कर सके। इसके

सारणी IV.22: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2009		2010अ	
	राशि	एएनबीसी/ सीईओ बीएसई की तुलना में प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/ सीईओ बीएसई की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम #	**55,415**	**34.2**	**60,290**	**35.0**
जिसमें से,				
निर्यात ऋण	31,511	19.4	35,466	20.6
जिसमें से,				
सूक्ष्म, लघु और उद्यम*	18,063	11.2	21,080	12.2

टिप्पणी: 1) अ:अनंतिम:
2) # : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रो क्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल हैं।
3) * : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर नए दिशा निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखा गया है।
4) एएनबीसी/सीईओबीएसई - समायोजित निवल बैंक ऋण / तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के बराबर कर्ज राशि, जो भी अधिक हो।

अलावा, निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंक (22 में से 15) निर्बल वर्ग के अंतर्गत 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। निर्यात और सूक्ष्म, छोटे तथा मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत उप-लक्ष्यों को पूरा करने में विदेशी बैंकों का निष्पादन काफी अधिक अच्छा था, साथ ही 2010 में अधिकांश विदेशी बैंक इन लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सके।

खुदरा कर्ज

4.53 बैंकों के वैयक्तिक कर्ज पोर्टफोलियो सहित खुदरा कर्ज में 2004-05 और 2005-06 के बीच वृद्धि में तेजी दिखी लेकिन, बाद के वर्षों में इसमें गिरावट दिखी (चार्ट IV.23)। 2009-10 में खुदरा कर्ज वृद्धि में केवल मामूली वृद्धि दिखी (सारणी IV.23)।

4.54 2008-09 और 2009-10 बीच खुदरा कर्ज वृद्धि में मामूली बढ़ोतरी के लिए आवास उधार खंड, जो भारतीय बैंकों के कुल खुदरा कर्ज का अकेले सबसे बड़ा हिस्सा था, को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया। आवास उधार वृद्धि में तेजी आंशिक रूप से 2009-10 के अधिकांश भाग के दौरान जारी कम ब्याज दरों के कारण थी, ऐसा इस तथ्य के बावजूद था कि संपत्ति के मूल्यों, जिनमें संकट के ठीक पश्चात 2008-09 में करेक्शन आया, में 2009-10 के दौरान तेजी दिखी (देखें आरबीआइ वार्षिक रिपार्ट- 2009-10 के पेज 53 का चार्ट II.43)।

सारणी IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा उधार पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रुपय में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1. आवास उधार	2,63,235	3,15,862	4.1	20.0
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5,431	3,032	13.1	-44.2
3. क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	29,941	21,565	9.1	-28.0
4. ऑटो उधार	83,915	78,346	-4.6	-6.6
5. अन्य व्यक्तिगत उधार	2,11,294	2,03,947	6.9	-3.5
कुल खुदरा उधार (1 से 5)	**5,93,816 (21.3)**	**6,22,752 (19.0)**	**4.0**	**4.9**

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिमों में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की परोक्ष विवरणियों (देशी) में दिए गए अनुसार हैं।

स्रोत: परोक्ष विवरणी पर आधारित (घरेलू)।

चार्ट IV.23: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खुदरा कर्ज की वृद्धि दर और प्रतिशत हिस्सा

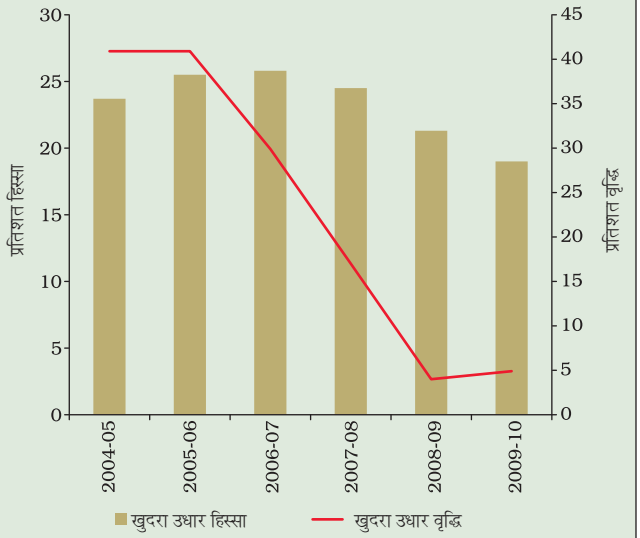

स्रोत: परोक्ष विवरणियों पर आधारित (देशी)

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, वाहन कर्ज और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों जैसे अन्य खुदरा खंड में 2009-10 में, ऋणात्मक वृद्धि दिखी। अधिकांश खुदरा क्षेत्र के दर-संवेदनशील होने के चलते, भविष्य में इन क्षेत्रों के प्रति कर्ज उभरते ब्याज दर वातावरण से प्रभावित होगा।

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कर्ज

4.55 संबंधित आस्ति/उत्पाद बाजार में कीमत उतार-चढ़ाव के कारण पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य बाजार को बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिए संवेदनशील माना गया है। मार्च 2010 के अंत में इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कर्ज कुल मिलाकर कुल बैंक कर्ज का 19.6 प्रतिशत था जबकि स्थावर संपदा क्षेत्र का हिस्सा वैयक्तिक रूप से 16.6 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

4.56 2009-10 में हल्की वृद्धि को छोड़कर हाल के वर्षों में वृद्धि दर और संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कर्ज के हिस्से दोनों में गिरावट की प्रवृति रही है (चार्ट IV.24)। तथापि, संवेदनशील क्षेत्र के प्रति कर्ज के हिस्से में गिरावट मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कारण थी (परिशिष्ट सारणी IV.6)। विदेशी जिनका अन्य बैंक समूह की तुलना में संवेदनशील क्षेत्र के प्रति काफी अधिक एक्सपोजर था, में उनके कुल कर्ज के

चार्ट IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संवेदनशील क्षेत्र कर्ज की वृद्धि दर और प्रतिशत हिस्सा

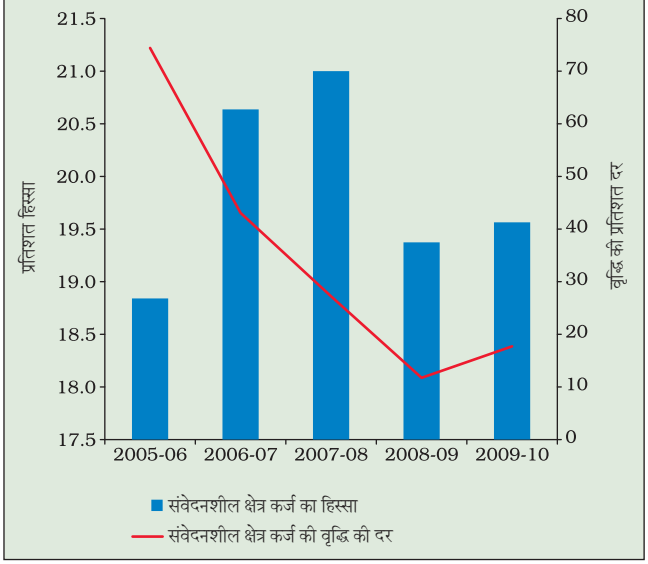

प्रतिशत के रूप में इन क्षेत्रों को दिए गए कर्ज के हिस्से में वृद्धि दिखी।

6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

4.57 पूंजी बाजार बैंकों को अपने पूंजी आधार को मजबूत करने और बैंकों के शेयरों के लिए ट्रेडिंग धरातल प्रदान करने हेतु उन्हें संसाधन जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है। इसलिए, एक उदारीकृत और प्रतियोगी वातावरण में, पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालन उनके बैंकिंग कारोबार की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं। इस खंड में प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार में बैंकों के परिचालनों पर प्रकाश डाला गया है।

सारणी IV.24: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		**कुल योग**
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8=**(6+7)**
2008-09	-	-	-	-	-	-	-
2009-10	325	-	313	-	638	-	638

-: शून्य / नगण्य।

प्राथमिक बाजार में बैंकों के परिचालन

4.58 2008-09 के दौरान परहेज के पश्चात, 2009-10 में बैंकों ने संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार का सहारा लेना शुरू किया। प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण में आया यह पुनर्जीवन पिछले वर्ष के दौरान दिखी चलनिधि तंगियों को आसान करने, द्वितीयक बाजार में अच्छे कारोबार और कंपनियों द्वारा बेहतर निवेश की मांग का परिणाम था (सारणी IV.24)।

4.59 औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक रिकवरी की धीमी गति से संबंधित चिंताओं और यूरोपीय सरकारी कर्ज संकट के अभ्युदय को देखते हुए, वैश्विक पूंजी बाजार से देशी बैंकों द्वारा संसाधन के संग्रहण में पिछले वर्ष की तरह 2009-10 में पुनर्वापसी के कोई बड़े चिह्न नहीं दिखे (सारणी IV.25)। 2009-10 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जीडीआर के माध्यम से केवल 843 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गये।

4.60 संसाधनों को जुटाने में व्यापक रूप से एक दूसरे के स्थानापन्न के रूप में कार्य करने वाले निजी स्थानन और सार्वजनिक निर्गमों को देखते हुए, 2008-09 में, जब देशी पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से संसाधनों का कोई संग्रहण नहीं

सारणी IV.25: यूरो निर्गम के माध्यम से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09	2009-10
1	2	3
यूरो निर्गम	**4,788**	**15,967**
(i) एडीआर	-	**7,763**
जिसमें से, वित्तीय संस्थाएं	-	-
जिसमें से, बैंक	-	-
क) निजी	-	-
ख सार्वजनिक	-	-
(ii) जीडीआर	**4,788**	**8,204**
जिसमें से, वित्तीय संस्थाएं	-	-
जिसमें से, बैंक	-	843
क) निजी	-	843
ख सार्वजनिक	-	-
(iii) एफसीसीबी	**उ.न.**	**उ.न.**

टिप्पणी : 1) उ.न.: उपलब्ध नहीं.
2) -: शून्य / नगण्य
3) एफसीसीबी - विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
4) एडीआर/जीडीआर: अमरीकी / वैश्विक निक्षेपगार रसीदें ।

चार्ट IV.25: सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थानन के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा जुटाए गए संसाधन

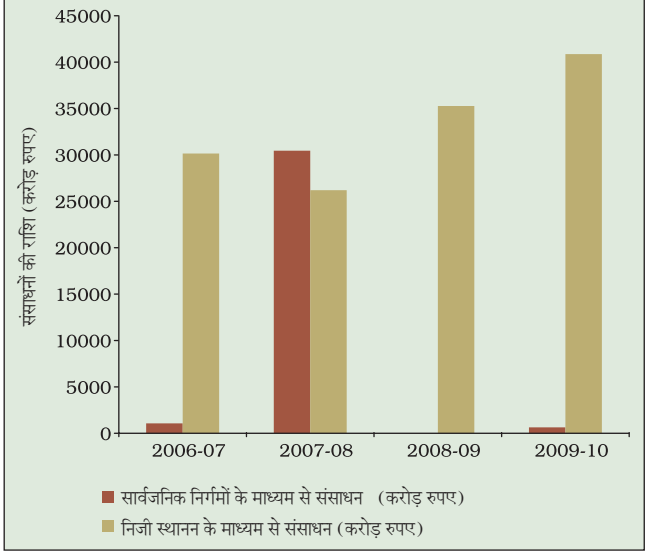

हुआ था, निजी स्थानन के माध्यम से बैंकों के संसाधन संग्रहण में 34.6 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दिखी (चार्ट IV.25)। बैंकों ने 2009-10 में निजी स्थानन के माध्यम से निधियां जुटाना जारी रखा लेकिन वृद्धि घटकर 15.8 प्रतिशत हो गई। 2009-10 से निजी स्थानन के माध्यम से संसाधनों के संग्रहण में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों को उत्तरदायी माना गया (सारणी IV.26)।

द्वितीयक बाजार में बैंकिंग शेयरों का निष्पादन

4.61 देशी शेयर बाजार, जिसमें वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव के कारण 2008-09 में काफी अधिक हानियां हुई थीं, में 2009-10

सारणी IV.26: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2008-09		2009-10	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	13	6,967	18	17,101
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	52	28,304	63	23,762
कुल	**65**	**35,271**	**81**	**40,863**

स्रोत: मर्चेंट बैंकर और वित्तीय संस्था।

में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 80.5 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो व्यापक रूप से देशी आर्थिक रिकवरी और एफआइआइ प्रवाह की शुरुआत को दर्शाती है। यद्यपि दुबई कर्ज संकट और संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र के देशों की स्थिति संबंधी अनिश्चितता ने 2010 की शुरुआत में शेयर बाजार भाव को प्रभावित किया, पूरे वर्ष के दौरान शेयर मूल्यों में सामान्य उर्ध्वगामी चढ़ाव दिखा जब बीएसई सेंसेक्स मध्य सितंबर 2010 में संकट के पूर्व स्तर पर पहुंच गया।

4.62 2009-10 के दौरान बीएसई बैंकेक्स (बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाला) ने बीएसई सेंसेक्स की तुलना में काफी अधिक मुनाफा अर्जित किया जो बैंक शेयरों में अच्छे कारोबार को परिलक्षित करता है (सारणी IV.27)। जबकि प्रतिफल काफी अधिक थे, बीएसई बैंकेक्स की स्थिरता भी, जो इन शेयरों में ट्रेडिंग के जोखिम को दर्शाती है, 2009-10 में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी।

4.63 समग्र रुझान के अनुरूप, 2009-10 में सभी 39 सूचीबद्ध बैंकों ने मुनाफा दर्ज किया। बैंक शेयरों के मूल्य में उर्ध्वगामी चढ़ाव सभी बैंक शेयरों के मूल्य / अर्जन (पी/ई) अनुपात की वृद्धि में भी दिखा। लेकिन, निजी क्षेत्र के उनके

सारणी IV.27: जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, कारोबार और बैंकों के स्टॉकों का पूंजीकरण

मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	18.0	-41.8	137.2	31.9
बीएसई सेंसेक्स	19.7	-37.9	80.5	14.8
2. अस्थिरता@				
बीएसई बैंकेक्स	13.8	23.8	16.5	6.0
बीएसई सेंसेक्स	12.0	24.2	11.9	10.6
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा	**6.6**	**12.3**	**10.0**	**9.8**
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा **	**7.2**	**7.7**	**8.7**	**12.7**

टिप्पणी : 1) * :अंक दर अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ।
2) @ : घटबढ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।
3) ** : अवधि के अंत में।
4) # : अप्रैल - अक्तूबर 15, 2010.

स्रोत: ब्लूमबर्ग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।

प्रतिपक्षियों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के मामले में पीई अनुपात में वृद्धि काफी तीव्रतर थी (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.64 2007-08 और 2008-09 के बीच कुल पूंजी बाजार कारोबार में उनका हिस्सा लगभग दो गुना होने के पश्चात, बैंक के शेयरों में 2009-10 और 2010-11 में भी (अप्रैल और 15 अक्तूबर के बीच) कुल कारोबार में उनके हिस्से में गिरावट दिखी (सारणी IV.27)। दूसरी तरफ, कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों के हिस्से में 2007-08 से वृद्धि दर्ज हुई।

7.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप

4.65 यद्यपि, 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से ऊपर बनी रही, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक (21 में से 11) सीमा के काफी निकट थे (सारणी IV.28; परिशिष्ट सारणी IV.8)। इसने पुनर्पूंजीकरण के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निरंतर कर्ज सृजन सुनिश्चित किया जा सके यदि सरकारी शेयरधारिता के 51 प्रतिशत की वैधानिक सीमा को बनाए[17] रखना है।

सारणी IV.28: निजी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

शेयर धारिता की श्रेणी	कुल निजी-शेयर धारिता	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	1	2	10
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	3	4	11
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	2	7	-
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	4	7	-
40 से अधिक और 49 प्रतिशत तक	11	1	-

टिप्पणी: 1) – शून्य /नगण्य
2) 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड ।

सारणी IV.29: विदेशी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक

शेयर होल्डिंग की श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्रके नए बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
1	2	3	4
शून्य	1		2
10 प्रतिशत तक	9	-	3
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	11	-	1
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	-	1	4
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	-	1	3
40 से अधिक और 50 प्रतिशत तक	-	2	1
50 से अधिक और 60 प्रतिशत तक	-	1	-
60 से अधिक और 70 प्रतिशत तक	-	2	1

टिप्पणी: 1) – शून्य/नगण्य।
2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

4.66 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, विदेशी शेयरधारिता का प्रतिशत केवल 20 प्रतिशत था। फिर भी, निजी क्षेत्र के नये बैंकों में विदेशी शेयरधारिता की सीमा काफी अधिक थी; इस बैंक समूह के सात में से तीन बैंकों की विदेशी शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी IV.29)।

8.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

4.67 सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के क्षेत्र की गतिविधियां बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि और समावेशिता को सुदृढ़ता से समर्थन करती हैं इस प्रकार ये समावेशी आर्थिक वृद्धि को सुगम बनाती हैं। आइटी न केवल बैक-एंड प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत करके बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी कार्यक्षमता को बढ़ाती है, यह फ्रंट-एंड परिचालनों में सुधार करती है और ग्राहकों के लिए

[17] 2009-10 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और संबद्ध मुद्दों पर चर्चा के लिए अध्याय I देखें।

लेन-देन की लागत कम करने में मदद करती है। यह बैंकिंग क्षेत्र और छोटे ग्राहकों के लिए सस्ते, आसान और तीव्र छोटे-छोटे खुदरा लेन-देन करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। इस प्रकार रिज़र्व बैंक वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को लाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

4.68 सर्वाधिक मौलिक तरीका जिसमें प्रौद्योगिकी ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के चेहरे को बदल दिया है कम्प्यूटरीकरण रहा है। जबकि निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक इस मामले में आगे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से अपने परिचालनों को अद्यतन करने के लिए निवेश कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या में से, मार्च 2010 के अंत में 97.8 प्रतिशत पूरी तरह से कम्प्यूटराज्ड थीं (सारणी IV.30; परिशिष्ट IV.9)। एसबीआइ समूह की सभी शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत थीं।

4.69 सितंबर 1999 से मार्च 2010 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 'कम्प्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास' पर संचित व्यय 22,052 करोड़ रुपए था (परिशिष्ट सारणी IV.10)। वार्षिक आधार पर, 2009-10 में, 'कम्प्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास' पर व्यय में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.70 बैंक शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण से करीबी से जुड़ी प्रौद्योगिकीय गतिविधि में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को लागू किया जाना है। खुदरा तथा कारपोरेट बैंकिंग कार्यकलापों का समर्थन करके सीबीएस बैंकों को एक ही स्थान से निरंतर आधार पर ग्राहक-केंद्रित कई सारी सेवाएं प्रदान करने में सहायता पहुंचाता है और इस प्रकार वित्तीय सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सब कुछ मिलने वाली ''एक दुकान'' की धारणा को वास्तविक रूप दे दिया है। 2009-10 की महत्वपूर्ण गतिविधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीबीएस को लागू करने के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होना है। मार्च 2009 के अंत में ऐसी शाखाओं का प्रतिशत 79.4 था जो मार्च 2010 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.30)। इन सब के बीच में भी भारतीय स्टेट बैंक समूह की सीबीएस शाखाओं का प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में काफी अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

सारणी IV.30: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च के अंत में)

(कुल बैंक शाखाओं का प्रतिशत)

श्रेणी	2009	2010
1	2	3
पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	**95.0**	**97.8**
i) कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत शाखाएं	79.4	90.0
ii) पहले से कम्प्यूटरीकृत शाखाएं #	15.6	7.8
आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत शाखाएं	**5.0**	**2.2**

: कोर बैंकिंग समाधान के तहत आने वाली शाखाओं के अलावा।

4.71 जबकि सामान्य रूप से कम्प्यूटरीकरण तथा विशेष रूप से सीबीएस के कार्यान्वयन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, सीबीएस से आगे के उन क्षेत्रों की ओर देखना महत्वपूर्ण होगा जिन्हें इस प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर ग्राहकों को न केवल बेहतर तथा दक्षतापूर्ण सेवाएं दी जा सकती है बल्कि सूचनाओं का प्रभावी ढंग से सृजन तथा प्रबंधन किया जा सकता है। कार्मिकों द्वारा बिना हस्तक्षेप के सूचना प्रबंधन के दूसरे पक्ष के संबंध में बैंकों से रिज़र्व बैंक में स्वचलित तरीके से आंकड़ों की प्राप्ति की एक प्रणाली के बारे में विचार किया जा रहा है; इस प्रणाली से मिलनेवाले लाभ के बारे में बॉक्स IV.3 में चर्चा की गयी है।

4.72 तीसरा प्रौद्योगिकीय विकास जिसने बैंकिंग सेवाओं के वितरण की प्रणाली में क्रांति ला दी है वह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)। एटीएम, विशेष रूप से शाखा से भिन्न स्थानों पर स्थित एटीएम, ग्राहकों को कभी भी नकदी के आहरण की सुविधा उपलब्ध कराकर बैंक शाखाओं के स्थानापन्न स्थल के रूप में कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में एटीएम की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 2009-10 में इनकी संख्याओं में 37.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। महत्वपूर्ण रूप से, वर्ष के दौरान 44.6 प्रतिशत पर ऑफ-साइट एटीएम की संख्याओं में वृद्धि अपेक्षाकृत ऊंची रही है। मार्च 2010 के अंत में, कुल एटीएम की तुलना में ऑफ साइट एटीएम का प्रतिशत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 45.7 प्रतिशत था (सारणी IV.31; चार्ट IV.26; परिशिष्ट सारणी IV.11) ।

बॉक्स IV.3: बैंकिंग क्षेत्र में स्वचलित डेटा प्रवाह: प्रभावी डेटा संचारण और प्रबंधन का भविष्य

संसार भर में केन्द्रीय बैंक और विभिन्न विनियामक निकाय विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर होते हैं, ये सूचनाएं उनको कुशल तरीके से अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को करने में मदद करती हैं। इससे उन्हें समुचित नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। सूचनाओं में वे डेटा शामिल होने चाहिए जिन्हें अखंडता, विश्वसनीयता और सटीकता के सिद्धांतों के आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए। ये सूचनाएं व्यवस्थित रूप से और सार्थक रूप से डेटा से निकाली गयी होती हैं। इसलिए यह सुसंगत है कि डेटा और सूचनाएं विनियामकों तक न केवल समय पर पहुंचे बल्कि वे त्रुटियों और गड़बड़ियों से भी मुक्त हों। इसलिए आवश्यकता है कि प्रोसेसिंग के साथ गुणवत्ता डेटा का मिलान सुनिश्चित किया जाए और समयबद्ध रूप से उचित स्तर तक उनका प्रवाह हो।

स्वचलित डेटा प्रवाह (एडीएफ) की अवधारणा इस अपेक्षा को पूरा करती है जिसमें डेटा का अंतरण अबाध रूप से होस्ट प्रणाली से प्राप्तकर्ता प्रणाली तक होता है, इससे पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल, सुसंगत और भरोसेमंद बन जाती है। साथ ही, एक बड़े 'स्पिन-ऑफ' लाभ के लिए, स्वचलित डेटा प्रवाह की प्रणाली 'होस्ट' स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी सुचारु बनाती है इस प्रकार यह सक्षम एमआइएस उपकरण के रूप में कार्य करती है और उत्तम डेटा प्रबंधन व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है। आइटी बैंकों को न केवल अपने ग्राहकों को कम मूल्य पर सुदृढ़ और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है बल्कि सूचनाओं को प्रभावी तरीके से सृजित करने और उनके प्रबंधन का भी कार्य करती है।

बैंकों द्वारा समय पर सुसंगत आंकड़ों को प्रस्तुत करना रिज़र्व बैंक के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों से रिज़र्व बैंक को स्वचलित तरीके से डेटा प्रवाह न केवल समय उनकी पर उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा बल्कि प्रभावी निर्णय समर्थनकारी प्रणाली बनाने के लिए एक बेहतर सूचना वातावरण भी प्रदान करेगा। ग्राहकों और लेन-देनों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा अब बैंकों के पास उपलब्ध हैं, जिनका समुचित विश्लेषण के माध्यम से लाभपूर्वक उपयोग, कारोबार नीति को अनुकूल बनाने, विविधीकृत आंतरिक और बाह्य एमआइएस अपेक्षाओं को पूरा करने तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के उद्देश्य के साथ, किया जा सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों का कम्प्यूटरीकरण काफी ऊंचाई तक पहुंच जाने के साथ (सीबीएस को अपनाने के बाद भी), यह संभव हो गया है कि आइटी संसाधनों के लाभों का उपयोग करके डेटा प्रवाह और सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जाए। एडीएफ की प्रणाली से इन लाभों का फायदा उठाने और अगले उच्चतर स्तर तक बैंकों और रिज़र्व बैंक के बीच सूचना के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4.73 सकल देशी उत्पाद की तुलना में सकल इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के मूल्य के अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है जो हाल की वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अपनाने के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है (चार्ट IV.27)। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के विभिन्न प्रकारों के बीच ईएफटी-एनईएफटी - का केंद्रीकृत वर्सन खुदरा भुगतानों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है जबकि बड़ी राशि के भुगतानों को निपटारे के माध्यम के रूप में आरटीजीएस में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि

सारणी IV.31: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या
(मार्च 2010 को समाप्त)

	बैंक समूह	ऑन - साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या	कुल एटीएम के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट एटीएम
1		2	3	4	5
1	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	**23,797**	**16,883**	**40,680**	**41.5**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक	12,655	7,047	19,702	35.8
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	11,142	9,836	20,978	46.9
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**8,603**	**9,844**	**18,447**	**53.4**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2,266	1,124	3,390	33.2
	2.1 निजी क्षेत्र के नए बैंक	6,337	8,720	15,057	57.9
3	**विदेशी बैंक**	**279**	**747**	**1,026**	**72.8**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**32,679**	**27,474**	**60,153**	**45.7**

चार्ट IV.26: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या में वृद्धि

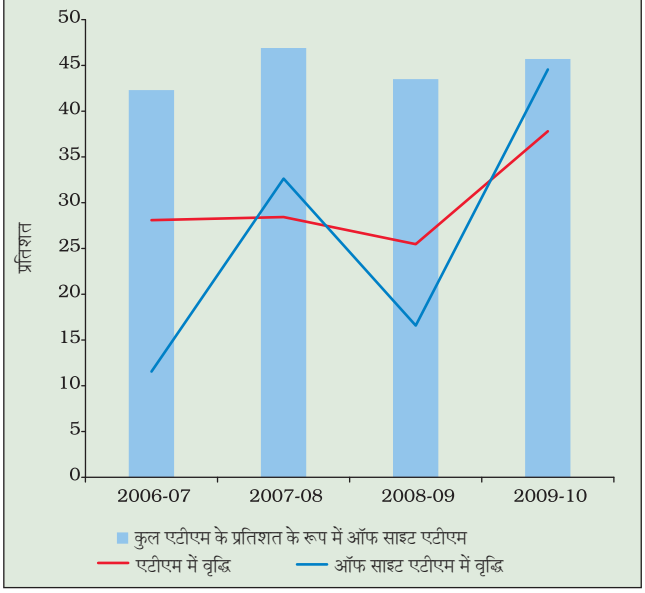

चार्ट IV.27: जीडीपी की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के टर्नओवर का अनुपात

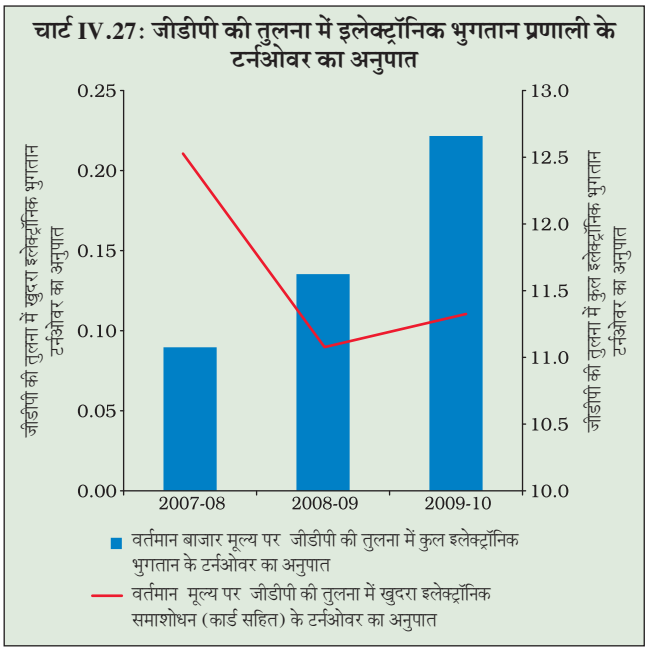

हुई है। एनईएफटी तथा आटीजीएस दोनों की गतिविधियों में समानता तथा अंतर के बारे में बॉक्स IV.4 में जानकारी दी गयी है।

4.74 आगे चलकर बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनका समाधान किया जाना है। ये मुद्दे एमआइएस को व्यवस्थित करने के उपाय के रूप में बैक ऑफिस में और सुधार लाने, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग को सुदृढ़ करने, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तथा आइटी अभिशासन से जुड़े हैं। बैक ऑफिस में प्रौद्योगिकीय विकास होने से बैंकों के संसाधनों को अधिक मात्रा में बैक ऑफिस से निकालकर फ्रंट ऑफिस में लगाने में सुविधा होगी जिससे उनकी सेवाओं को ग्राहक केंद्रित बनाने तथा वित्तीय विस्तार तथा वित्तीय समावेशन को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

बॉक्स IV.4: आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली : परिचालनों के पैमाने का एक तुलनात्मक विश्लेषण

रिज़र्व बैंक ने विभिन्न खुदरा और उच्च मूल्य लेन-देनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को सुकर बनाने हेतु कई उपाय किये हैं। आरटीजीएस एक उच्च मूल्य भुगतान प्रणाली है जो 1,00,000 रु पए और अधिक के ग्राहक और अंतर-बैंक लेन-देनों दोनों को प्रोसेस करती है जबकि एनईएफटी अनिवार्य रूप से एक खुदरा प्रणाली है। जबकि आरटीजीएस एक तत्काल सकल निपटान व्यवस्था है, एनईएफटी एक निकट-तत्काल प्रणाली है जिसमें निपटान घंटों के अंतराल पर किये जाते हैं।

आरटीजीएस और एनईएफटी में 70,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध है जिसमें संबंधित प्रणाली में 119 सदस्य और 99 बैंक भाग ले रहे हैं।

दोनों प्रणालियों के माध्यम से किये गये लेन-देनों की संख्या में वर्षों के दौरान भारी वृद्धि हुई है (चार्ट 1 और चार्ट 2)। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आरटीजीएस एनएफटी की तुलना में बड़े मूल्य के भुगतान वाली प्रणाली है, आरटीजीएस में किये गये लेन-देनों का मूल्य बहुत अधिक होता है। तथापि, दोनों प्रणालियों के लेन-देनों के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति से पता चलता है कि एनईएफटी में किये गये लेन-देनों में राशि 2007-08 से कई गुना बढ़ी है, जबकि आरटीजीएस में सापेक्षिक रूप से स्थिर वृद्धि हुई है।

चार्ट 1: आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के अंतर्गत लेन-देनों की संख्या

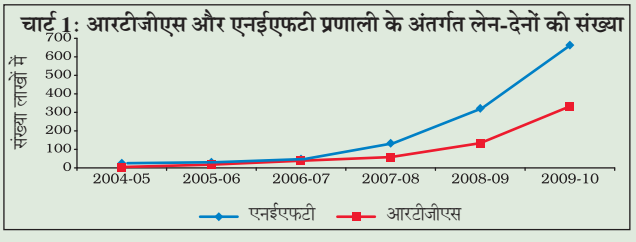

चार्ट 2:आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के अंतर्गत लेन-देनों का मूल्य

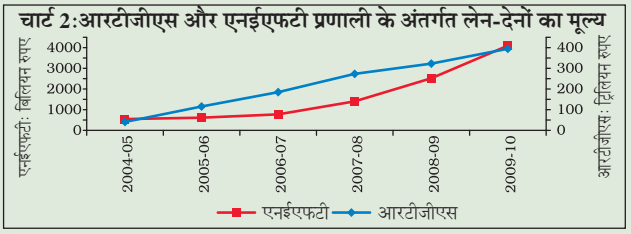

बैंक समूह-वार विश्लेषण

आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों के 2008-09 और 2009-10 के बैंक समूह-वार डेटा दर्शाते हैं कि प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंक प्रमुख सहभागी हैं और उनका हिस्सा कुल लेन-देनों के एक-तिहाई से अधिक है। एसबीआइ समूह का हिस्सा आरटीजीएस प्रणाली में कुल लेन-देनों का 22 प्रतिशत है लेकिन, एनईएफटी में उनकी उपस्थित केवल 10 प्रतिशत है (सारणी नीचे)। इसके अलावा, आरटीजीएस प्रणाली में लेन-देनों की संख्या और मूल्य कुछ सहभागियों के बीच संकेंद्रित हैं। दस बड़े खिलाड़ी अर्थात एसबीआइ, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक और सिटी बैंक का हिस्सा मार्च 2010 के अंत में लेन-देनों की कुल संख्या और उनकी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक था।

सारणी: आरटीजीएस और एनईएफटी में लेन-देनों की बैंक समूह-वार संख्या

(लेन-देनों की संख्या मिलियन में)

	आरटीजीएस		एनईएफटी	
बैंक समूह	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
एसबीआइ समूह	3.3	7.4	2.7	6.7
राष्ट्रीयकृत बैंक	3.5	9.0	2.2	7.7
विदेशी बैंक	2.2	5.3	12.4	21.6
निजी क्षेत्र के बैंक	4.2	11.3	14.4	29.3
अन्य	0.1	0.3	0.03	0.2

टिप्पणी: अन्य में एनईएफटी के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, आरबीआइ और शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं तथा आरटीजीएस के अंतर्गत इन तीन संस्थाओं के अलावा सेबी नियंत्रित संस्थाएं और डीआइसीजीसी शामिल है।

9. ग्राहक सेवाएं

4.75 बैंकों को ग्राहक-अनुकूल बनाना रिज़र्व बैंक के कार्यों में उच्च प्राथमिकता रखता है। तदनुसार, वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने तथा ग्राहकों से जुड़ी बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के संबंध में कई उपाय किए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण का एक फोरम उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्राहक सेवाओं की गति तथा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 2006 में एक संपूर्ण ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की।

4.76 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के 15 कार्यालयों में, जो कि बैंकिंग से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण का एक फोरम है, 2009-10 में 79,266 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से अधिकांश तीन प्रमुख महानगरों-मुंबई, नयी दिल्ली तथा चेन्नै से प्राप्त हुई थीं। 2009-10 में प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग आधी शिकायतें (34,830 शिकायतें जो कुल शिकायतों का 43.9 प्रतिशत है) इन तीन महानगरों की थीं। यह उल्लेखनीय है कि भारत के लगभग सभी कार्यालयों में शिकायतों की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है जो शिकायत निवारण संबंधी उपायों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता को दर्शाती है, परंतु इन तीन महानगरों के कार्यालयों में शिकायतों की संख्या में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.32)।

4.77 विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के हिस्से में हाल के वर्षों में जो वृद्धि हुई थी उसमें 2009-10 में गिरावट आयी है। 2009-10 में, विदेशी बैंकों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल को प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी आयी है। इसके विपरीत, 2009-10 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या में 26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी IV.33)। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या में गिरावट आने से 2009 तथा 2010 के बीच इन बैंक समूहों के विरुद्ध शिकायतों में गिरावट आयी जबकि सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, विशेष रूप से स्टेट बैंक समूह के विरुद्ध शिकायतों के हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट IV.28)। 2009-10 में, स्टेट बैंक समूह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त कुल शिकायतों की एक-तिहाई से थोड़ी कम थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रति शाखा शिकायतों की संख्या 0.71 (एसबीआइ समूह के लिए 1.3) थी, जो

सारणी IV.32: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या	
	2008-09	2009-10
अहमदाबाद	3,732	4,149
बंगलुरू	3,255	3,854
भोपाल	3,375	3,873
भुवनेश्वर	1,159	1,219
चंडीगढ़	2,634	3,234
चेन्नै	10,381	12,727
गुवाहाटी	455	528
हैदराबाद	3,961	5,622
जयपुर	3,688	4,560
कानपुर	7,776	7,832
कोलकाता	3,671	5,326
मुंबई	9,631	10,058
नई दिल्ली	10,473	12,045
पटना	2,110	1,707
तिरु वनंतपुरम	2,816	2,532
कुल	**69,117**	**79,266**

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय ।

चार्ट IV.28: शिकायतों की कुल संख्या में बैंक समूहों का प्रतिशत हिस्सा

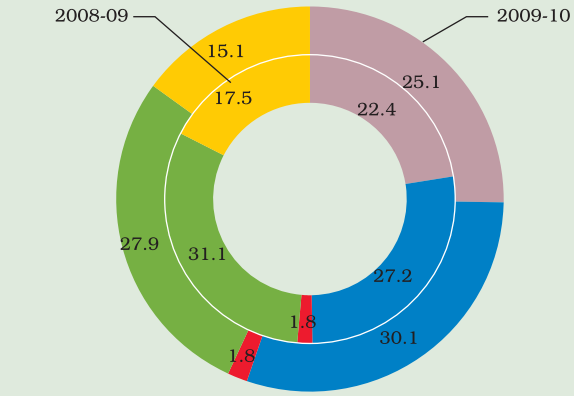

सारणी IV.33: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली बैंक समूह-वार शिकायतें - 2009-10

शिकायत की प्रकृति	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	राष्ट्रीय कृत बैंक	एसबीआइ समूह	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	**शहरी सहकारी बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/अन्य**	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11= (9+10)**
जमा खाते	**1,946**	988	958	**1,165**	68	1,097	454	**3,565**	**116**	**3,681**
प्रेषण	**3,358**	1,639	1,719	**1,873**	76	1,797	268	**5,499**	**209**	**5,708**
क्रेडिट/डेबिट एटीएम कार्ड	**9,550**	3,250	6,300	**4,725**	126	4,599	4,258	**18,533**	**277**	**18,810**
उधार / अग्रिम	**4,109**	2,322	1,787	**1,652**	319	1,333	395	**6,156**	**456**	**6,612**
बिना पूर्व नोटिस के प्रभार	**1,939**	1,027	912	**2,009**	130	1,879	729	**4,677**	**87**	**4,764**
पेंशन	**4,577**	1,294	3,283	**67**	2	65	65	**4,709**	**122**	**4,831**
प्रतिबद्धताओं संबंधी विफलता	**6,407**	3,582	2,825	**3,369**	286	3,083	1,134	**10,910**	**659**	**11,569**
प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	**657**	351	306	**669**	59	610	228	**1,554**	**55**	**1,609**
नोट और सिक्के	**92**	48	44	**41**	4	37	20	**153**	**5**	**158**
अन्य	**7,838**	3,747	4,091	**6,582**	289	6,293	3,808	**18,228**	**612**	**18,840**
विषय के बाहर	**1,451**	844	607	**401**	35	366	91	**1,943**	**741**	**2,684**
कुल शिकायतें	**41,924 (26.5)**	**19,092 (27.5)**	**22,832 (25.7)**	**22,553 (2.6)**	**1,394 (18.4)**	**21,159 (1.7)**	**11,450 (-2.1)**	**75,927 (13.6)**	**3,339 (45.6)**	**79,266 (14.7)**

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

2009-10 में क्रमशः निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के लिए 2.3 तथा 37.8 की तदनुरूपी संख्या से काफी कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

4.78 यद्यपि, बैंकिंग लोकपाल को प्राप्त होने वाली शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें क्रेडिट/डेबिट/एटीएम काडों से संबंधित हुआ करती थीं लेकिन 2009-10 में ऐसी शिकायतों की संख्या में गिरावट आयी। इसी प्रकार, बैंकों के कोर बैंकिंग कारोबार विशेष रूप से जमाराशि तथा उधार से संबंधित शिकायतों में वर्ष के दौरान गिरावट आयी (चार्ट IV.29)। 2009-10 में कार्ड संबंधी शिकायतों में आयी गिरावट को विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों के विरुद्ध शिकायतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इन बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में कार्ड संबंधी शिकायतें अधिक होती थीं।

चार्ट IV.29: प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत हिस्सा

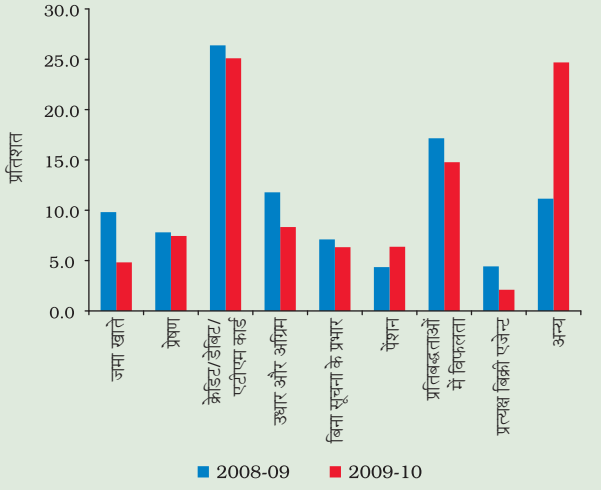

टिप्पणी: हिस्से को 'नोट और सिक्के' और 'विषय से बाहर' शिकायतों को छोड़कर शिकायतों की कुल संख्या से निकाला गया है।

10. वित्तीय समावेशन

4.79 समावेशी वृद्धि संबंधी चिंताओं को प्रभावी रूप से दूर करने में वित्तीय समावेशन की भूमिका को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को एक मिशन के रूप में लिया है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में वित्तीय विस्तार तथा वित्तीय सघनता के कम स्तर को देखते हुए वित्तीय समावेशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व बैंक के हाल

के आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय विस्तार के क्षेत्र में ओईसीडी के देशों की तुलना में भारत का स्थान नीचे है (सारणी IV.34)। एशिया के चुनिंदा समकक्ष देश समूहों की तुलना में बैंक शाखाओं तक पहुंच की दृष्टि से यह अंतर उतना नहीं है, परंतु एटीएम तक पहुंच की दृष्टि से यह अंतर काफी है। इसके अलावा, जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज अनुपात के अनुसार तुलना करने पर भारत के बैंकिंग क्षेत्र का आकार तथा विस्तार भी एशिया के अन्य समकक्ष देशों की तुलना में काफी कम है[18]। ये प्रवृत्तियां आने वाले वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत को रेखांकित करती हैं।

4.80 भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन को किफायती वित्तीय सेवाओं के प्रावधानों अर्थात औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक भुगतान तथा प्रेषण सुविधाओं, बचतों, उधार तथा बीमा सेवाओं तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। 2000 के दशक के प्रारंभ से वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारतीय नीतिगत दृष्टिकोण का फोकस व्यक्ति तथा परिवार के स्तर पर समावेशन सुनिश्चित करना रहा है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 2005 में ऐसी एक नो-फ्रिल खाता योजना (पूर्वशर्त रहित, न्यूनतम शेषराशि का कम स्तर) की शुरुआत की जो जन-साधारण को सरल वित्तीय बचत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उनके प्रवेश का माध्यम बन सकती है। मार्च 2010 के अंत में बैंकिंग प्रणाली द्वारा 5.06 करोड़ नो-फ्रिल खाते खोले गए। जहां नो-फ्रिल खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई वहीं बैंकिंग प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी सामने आयी कि इन खातों को किस प्रकार परिचालनरत रखा जाए क्योंकि गरीब लोगों द्वारा बचत न कर पाने एवं इन खातों में राशि जमा न कर पाने के कारण काफी ऐसे खाते अपरिचालित रूप में पाए गए। इन खातों को परिचालनरत रखने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे खातों पर छोटी राशि का ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराएं; मार्च 2010 तक बैंकों द्वारा 27.54 करोड़ रुपए की राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

सारणी IV.34: वित्तीय पहुँच और गहनता के संकेतक, भारत की एशिया के चुनिंदा समकक्ष समूह देशों और ओइसीडी देशों के साथ तुलना

देश / समूह	वित्तीय पहुंच		वित्तीय बाजार आकार और गहनता
	प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर शाखाओं की संख्या	प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर एटीएम की संख्या	जीडीपी की तुलना में निजी ऋण अनुपात (प्रतिशत)*
भारत	**6.33** ^^	**1.63** ^^	**33.30** ^^
एशियाई समकक्ष समूह देश (दायरा)#	**1.33-20**	**3.80-17.05**	**23.00-126.60**
जिसमें से,			
चीन	1.33 ^	3.80 ^	111.80
इंडोनेशिया	3.73	4.84 @	23.00
मलेशिया	8.26	16.44 ^	126.60
थाईलैंड	7.37	17.05 **	90.50
ओईसीडी देश (दायरा)#	**23-45**	**57-158**	**47.80-160.48**
जिसमें से,			
ऑस्ट्रेलिया	24	115	109.73
कनाडा	28	158	75.65
जापान	45	136	97.90
ब्रिटेन	23	97	160.48
अमरीका	26	134	47.84

टिप्पणी : 1) डाटा 2005 से संबंधित हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

2) * : इस संकेतक को कियाटचाइ सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009) द्वारा बाजार संकेंद्रण को मापने के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि, पारंपरिक रूप से, जीडीपी की तुलना में निजी ऋण वित्तीय बाजारों के आकार और गहराई को दर्शाता है; देखें ''मीजरिंग बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट'', नोट 1, विश्व बैंक। जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र पर बैंकिंग क्षेत्र के दावों के रूप में परिभाषित किया गया है।

3) ^ : 2003 डेटा

4) @ : 2000 डेटा

5) ** : 2004 डेटा

6) # : कियाटचाइ सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009) द्वारा विश्व बैंक अध्ययन में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत उच्चतम और न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार एशियन पियर ग्रुप और ओईसीडी देश को दायरा दिया गया है। केवल चयनित देशों से संबंधित आंकड़े उपर्यक्त सारणी में अलग से दर्शाए गए हैं।

7) ^^ : भारत के लिए प्रति 1,00,000 व्यक्तियों के लिए शाखाओं और एटीएम की संख्या वर्षों के दौरान बढ़ी है; संबंधित संख्या 2010 में 7.13 और 5.07 थी। इसके अलावा, भारत के लिए जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज का अनुपात भी बढ़ा और वह मार्च 2010 के अंत में 56.1 प्रतिशत रहा।

स्रोत: कियाटचाइ सोफास्टीनफॉग और एनोमा कुलाथुंगा (2009), *गॉटिंग फाइनेंस इन साउथ एशिया 2009-इंडिकेटर्स एंड एनेलिसिस ऑफ दि कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर*, विश्व बैंक।

[18] किआटचई सोपास्टीनफोंग और अनोमा कुलाथुंगा (2009), *गेटिंग फाइनान्स इन साउथ एशिया 2009 - इंडीकेटर्स एंड एनालिसिस ऑफ दि कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर, विश्व बैंक।*

4.81 सूक्ष्म वित्त भारत में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। सूक्ष्म वित्त को ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बचत, कर्ज तथा कम राशि की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराने के एक ऐसे माध्यम के रूप में किया गया है जो उन्हें अपनी आय एवं जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम (एसबीएलपी) ने, जिसे 1992 में एक प्रयोगिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, वर्षों के दौरान काफी प्रगति की है। 2009-10 में 1.59 मिलियन नए स्वयं सहायता समूहों को बैंक कर्ज से जोड़ा गया तथा इन्हें 14,453 करोड़ रुपए का कर्ज (पुनर्बार दिए गए कर्ज सहित) दिया गया। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत में 6.95 मिलियन स्वयं सहायता समूहों के पास बैंकों में बचत बैंक खाते थे (सारणी IV.35)। 2009-10 में औसतन प्रति स्वयं सहायता समूह की बचत राशि 8,915 रुपए थी जबकि उनके कर्ज की राशि 57,795 रुपए थी। हाल के वर्षों में जहां प्रति स्वयं सहायता समूह की बकाया कर्ज की राशि में लगातार वृद्धि हुई वहीं प्रति स्वयं सहायता समूह की जमाराशि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही (सारणी IV.30)।

सारणी IV.35: सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रगति (मार्च को समाप्त)

मद	स्वयं-सहायता समूह			
	संख्या (मिलियन में)		राशि (करोड़ रुपए)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.61 (0.26)	1.59 (0.27)	12,254 (2,015)	14,453 (2,198)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.22 (0.98)	4.85 (1.25)	22,680 (5,862)	28,038 (6,251)
बैंकों के पास बचतें	6.12 (1.51)	6.95 (1.69)	5,546 (1,563)	6,199 (1,293)
	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं*			
	संख्या		राशि करोड़ (रुपए)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	581	691	3,732	8,063
बैंकों के पास बकाया उधार	1,915	1,513	5,009	10,148
बैंकों के पास बचतें	-	-	-	-

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाय) के अंतर्गत आनेवाले एसएचजी संबंधी ब्योरे दर्शाते हैं।
2) * : बैंक ऋण लेने वाली सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की वास्तविक संख्या एक से अधिक बैंकों से ऋण का लाभ उठानेवाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कारण कम होगी।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट IV.30 : बकाया कर्ज की राशि और प्रति एसएचजी बचत

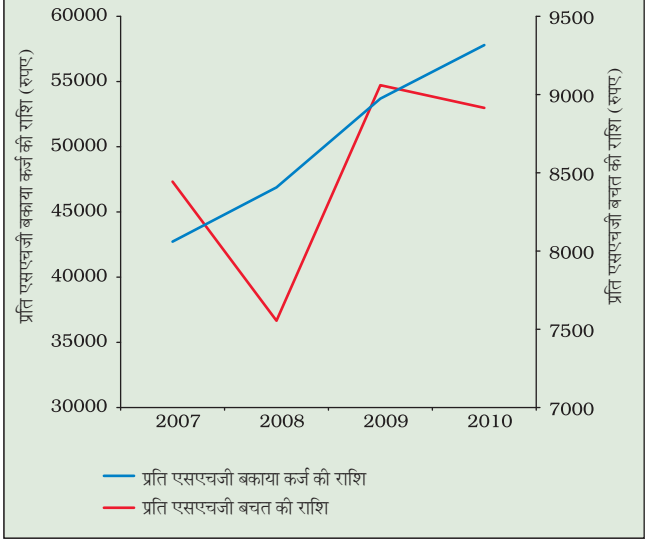

4.82 एसबीएलपी के साथ-साथ, अन्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), एनबीएफसी जैसी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआइ) भारत में सूक्ष्म वित्त के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में उभरकर आईं। 2009-10 में बैंकों ने 691 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को कर्ज दिए जिसकी राशि 8,063 करोड़ रुपए थी। 2009-10 में एमएफआइ-संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हुई वृद्धि संख्या तथा राशि दोनों की दृष्टि से एसएचजी-बैंक संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हुई तदनुरूपी वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

11. बैंकिंग सेवाओं का स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण

4.83 बैंकिंग के स्थानिक और क्षेत्रीय वितरण से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार एवं इन सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी मिलती है जो वित्तीय विस्तार और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस खण्ड में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों एवं राज्यों/क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के वितरण की जानकारी दी गयी है। इसके अलावा, इसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एटीएम वितरण के बारे में भी जानकारी दी गयी है जो बैंकिंग सेवाओं का एक अन्य माध्यम है। अन्त में, इसमें भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन और विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन के बारे में चर्चा की गयी है।

बैंक शाखाओं का वितरण

4.84 प्रति बैंक शाखा के पीछे औसत जनसंख्या का आंकड़ा बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का एक सामान्य संकेतक होता है। इस संकेतक के आधार पर हाल के वर्षों में भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार निरंतर आधार पर हुआ है(चार्ट IV.31)। तथापि, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दर काफी कम रही है।[19] यह बात ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा के पीछे औसत जनसंख्या की दर में हुई गिरावट की तुलना से स्पष्ट होती है।

4.85 क्षेत्रीय स्तर पर, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के स्तर में उल्लेखनीय अंतर था। एक तरफ, मार्च 2010 के अंत में जहां उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या 10,000 से 14,000 के बीच थी। वहीं मध्य, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का स्तर काफी उच्चतर अर्थात 18,000 से 19,000 के दायरे में था। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में प्रति बैक शाखा के पीछे जनसंख्या के आंकड़ों में गिरावट हुई है जो सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के बढ़ते विस्तार को दर्शाता है (चार्ट IV.32)[20]।

4.86 दिसम्बर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाया गया जिसके जरिए रिपोर्टिंग के अधीन प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना देशी अनुसूचित वाणिज्य देशी बैंकों को टियर 3 से 6 के केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की जनसंख्या वाले केंद्र) में शाखाएं खोलने की छूट दी गयी। टियर 3 से 6 तक के केंद्रों में जुलाई 2009 तथा जून 2010 के बीच खोली गयी नयी बैंक शाखाओं की संख्या की पिछले वर्ष की संख्या के साथ तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस नीतिगत परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। 2009-10 के दौरान टियर 3 से 6 तक के केंद्रों में 1,513 बैंक शाखाएं खोली गयीं जो 2008-09 में खोली गयी 1,481 बैंक शाखाओं से अधिक है जो नयी बैंक शाखाओं में हुई 2.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है (सारणी IV.36)।

चार्ट IV.31: प्रति बैंक शाखा जनसंख्या

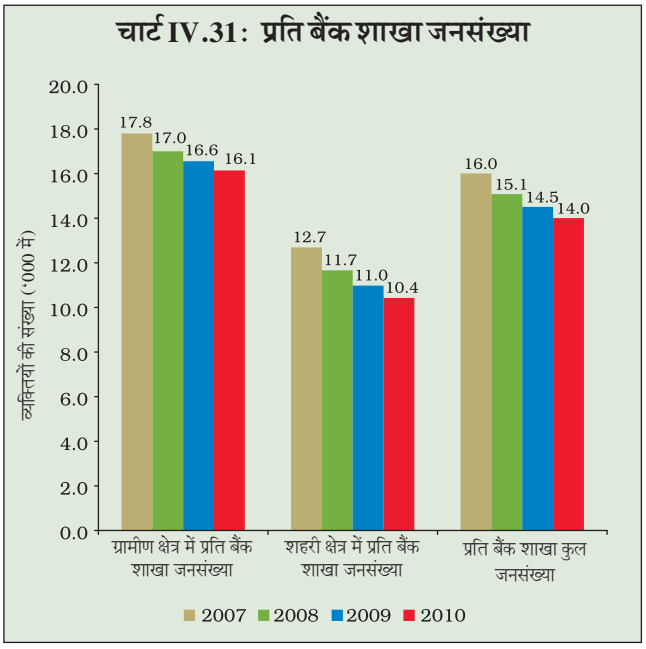

चार्ट IV.32: क्षेत्र के अनुसार प्रति बैंक शाखा जनसंख्या

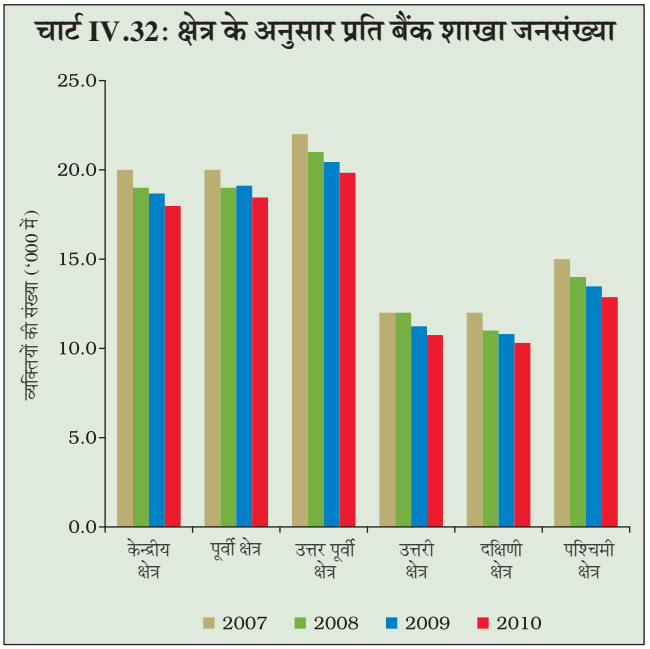

[19] यहां 'गामीण' क्षेत्र से तात्पर्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों से है जबकि 'शहरी और महानगरीय केन्द्र' दोनों से हैं।

[20] राज्य स्तरीय आंकड़ों के लिए *भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी* देखें।

सारणी IV.36: टियर 3-6 केन्द्रों में खोली गई नई शाखाओं की संख्या

मद	2008-09	2009-10अ
टियर 3-6 केन्द्रों में खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या	1,481 (-)	1,513 (2.2)

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।
2) डाटा प्रत्येक वर्ष के लिए जुलाई-जून से संबंधित हैं।
3) अ – अनंतिम।

स्रोत: बैंकों की मास्टर ऑफिस फ़ाइल।

एटीएम का वितरण

4.87 बैंक शाखाओं की तरह हाल की वर्षों में एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई जो कि प्रति एटीएम के पीछे जनसंख्या के आंकड़ों में हुई गिरावट से स्पष्ट है (चार्ट IV.33)। जहां ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में एटीएम की सघनता अधिक है वहीं हाल की वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है (सारणी IV.34; सारणी IV.37)।[21] मार्च 2009 के अंत में देश के एटीएम की कुल संख्या का 28.4 प्रतिशत एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में था जो मार्च 2010 के अंत में बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.34)।

चार्ट IV.33: प्रति एटीएम जनसंख्या

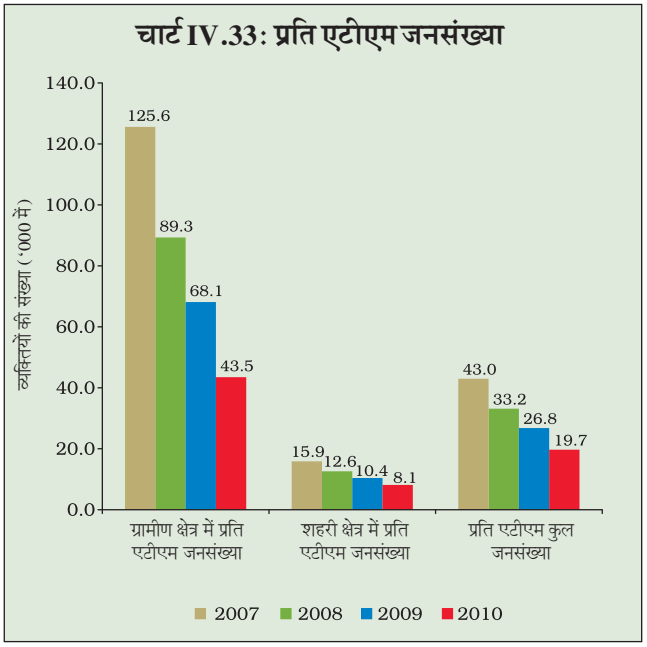

चार्ट IV.34: विभिन्न केंद्रों में स्थित एटीएम का प्रतिशत हिस्सा

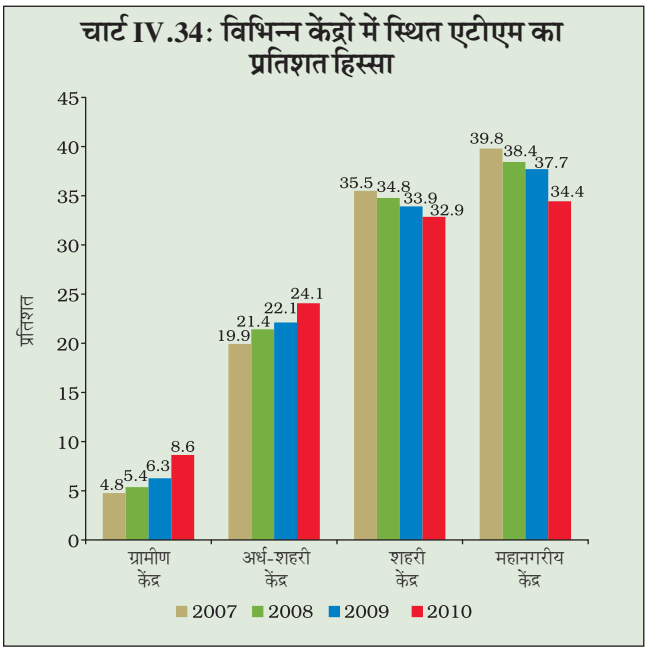

ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या में हुई वृद्धि में एक प्रमुख हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की बढ़ती संख्या को एक एटीएम के पीछे जनसंख्या के आंकड़े में आयी निरंतर गिरावट से भी देखा जा सकता है (चार्ट IV.33)।

सारणी IV.37: विभिन्न केन्द्रों में स्थित एटीएम की संख्या

बैंक समूह	(मार्च 2010 के अंत में)				
	ग्रामीण केन्द्र	अर्ध - शहरी केंद्र	शहरी केन्द्र	महा-नगरीय केंद्र	सभी केन्द्र
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**4,289** **(10.5)**	**10,968** **(27.0)**	**13,451** **(33.1)**	**11,972** **(29.4)**	**40,680** **(100.0)**
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,669 (8.5)	4,325 (22.0)	6,726 (34.1)	6,982 (35.4)	19,702 (100.0)
स्टेट बैंक समूह	2,620 (12.5)	6,643 (31.7)	6,725 (32.1)	4,990 (23.8)	20,978 (100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	**901** **(4.9)**	**3,499** **(19.0)**	**6,124** **(33.2)**	**7,923** **(43.0)**	**18,447** **(100.0)**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	265 (7.8)	1,019 (30.1)	1,215 (35.8)	891 (26.3)	3,390 (100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	636 (4.2)	2,480 (16.5)	4,909 (32.6)	7,032 (46.7)	15,057 (100.0)
विदेशी बैंक	**6** **(0.6)**	**11** **(1.1)**	**188** **(18.3)**	**821** **(80.0)**	**1,026** **(100.0)**
कुल	**5,196** **(8.6)**	**14,478** **(24.1)**	**19,763** **(32.9)**	**20,716** **(34.4)**	**60,153** **(100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

[21] यहां ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य ग्रामीण और अर्ध शहरी दोनों क्षेत्रों से है जबकि शहरी क्षेत्रसे तात्पर्य शहरी और महानगरीय केन्द्र दोनों से है।

बैंक कर्ज तथा जमाराशियों का वितरण

4.88 बैंक कर्ज का स्थानिक वितरण शीर्ष के 100 केंद्रों में कर्ज के भारी संकेंद्रण को दर्शाता है। मार्च 2010 के अंत में, शीर्ष के 100 केंद्रों में भारत में कुल बैंक कर्ज का 78.0 प्रतिशत संकेंद्रित था जो मार्च 2009 के अंत के प्रतिशत से मामूली कम है (सारणी IV.35)। तथापि, शीर्ष के 100 केंद्रों के पास मार्च 2010 के अंत में जुटाई गयी कुल जमाराशि का 69.4 प्रतिशत जमाराशि थी[22]।

4.89 क्षेत्रीय स्तर पर भी बैंक कर्ज देश के पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में संकेंद्रित था (चार्ट IV.36)। मार्च 2010 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की तुलना में लगभग 11 गुने तथा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में लगभग छह से आठ गुने अधिक थी। प्रति व्यक्ति जमाराशि के मामले में यह अंतर कम था; पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जमाराशि उत्तर-पूर्वी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में लगभग चार से पांच गुने अधिक थी। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत में दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में कर्ज-जमा अनुपात पूर्वी, मध्य तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

चार्ट IV.35: जमाराशियों और बैंक कर्ज की कुल राशियों में शीर्ष 100 केंद्रों का हिस्सा

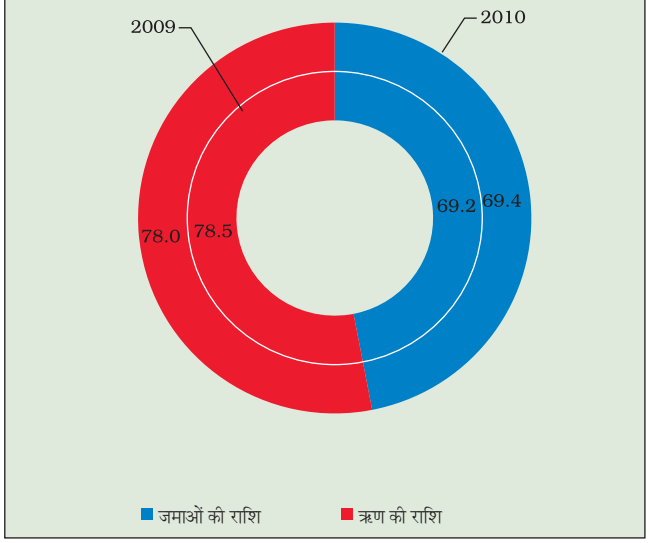

चार्ट IV.36: प्रति व्यक्ति कर्ज और जमाओं की क्षेत्र-वार राशि, मार्च 2010 के अंत में

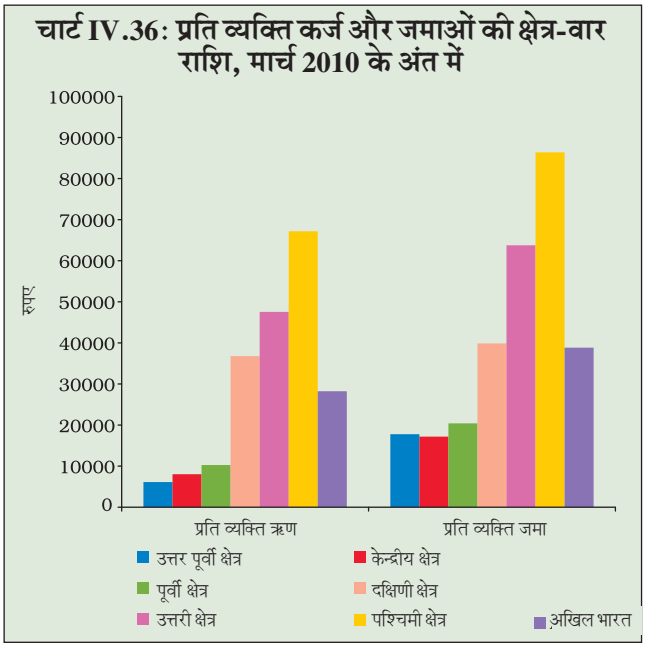

विदेशी बैंकों का भारत में परिचालन तथा भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

4.90 भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा उनकी शाखाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। जून 2009 के अंत के 32 बैंक की तुलना में भारत में सितम्बर 2010 के अंत में 34 विदेशी बैंक (24 देशों के) कार्यरत थे। शाखाओं की कुल संख्या भी 2009 के 293 से बढ़कर 2010 में 315 हो गयी। इसके अलावा, 2010 में 45 विदेशी बैंकों ने प्रतिनिधि कार्यालय के जरिए भारत में परिचालन किया जबकि 2009 में यह संख्या 43 थी। विदेशी बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास बैंक शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिसके बाद एचएसबीसी लिमिटेड, सिटीबैंक तथा रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. का स्थान था।

4.91 जुलाई 2009 और सितंबर 2010 के बीच चार विद्यमान विदेशी बैंकों को सात बैंक शाखाएं तथा तीन नए विदेशी बैंक अर्थात स्वेरबैंक(रूस), एएनजेड बैंक(आस्ट्रेलिया) तथा क्रेडिट स्विस एजी(स्विटजरलैंड) प्रत्येक को भारत में एक-एक बैंक

[22] राज्य स्तरीय विस्तृत आंकड़ों के लिए *अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशि और कर्ज संबंधी तिमाही सांख्यिकी* देखें।

खोलने की अनुमति दी गई। भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए दो विदेशी बैंकों अर्थात सीआरएमबी बैंक (मलेशिया) और एलए कैसिया (स्पेन) प्रत्येक को भी अनुमति दी गई।

4.92 2009-10 के दौरान भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी उपस्थिति में विस्तार करना जारी रखा। जुलाई 2009 तथा सितम्बर 2010 के बीच भारतीय बैंकों ने सात शाखाएं, एक अनुषंगी कार्यालय तथा पांच प्रतिनिधि कार्यालय खोले। सितम्बर 2010 के अंत में 22 भारतीय बैंकों ने (सरकारी क्षेत्र के 16 तथा निजी क्षेत्र के 6 बैंक) 233 विदेशी कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से परिचालन किए (सारणी IV.38)। बैंक ऑफ बड़ौदा की जहां विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं थीं, वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने 2009-10 के दौरान चार नयी बैंक शाखाएं खोलकर अपने शाखा नेटवर्क में विस्तार करके विदेशी बैंकिंग प्रणाली में अपनी उपस्थिति में निरंतर वृद्धि की।

4.93 भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की तुलना में सामान्यतः अधिक रही क्योंकि हाल के वर्षों में पूर्व में वृद्धि बाद वाले की तुलना में अधिक रही है (चार्ट IV.37)।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.94 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का गठन सहकारी तथा वाणिज्य बैंकों की अच्छी विशेषताओं को जोड़कर एक ऐसी क्षेत्रीय दृष्टिकोण वाली संस्था के रूप में किया गया था जो ग्रामीण

सारणी IV.38: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन

(वास्तविक रूप से परिचालन)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखा		सहायक बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	**130**	**137**	**18**	**20**	**34**	**39**	**7**	**7**	**189**	**203**
1	इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	1	1	-	-	**2**	**2**
2	आंध्रा बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	**2**	**2**
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	46	46	8	9	3	3	1	1	**58**	**59**
4	बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	3	5	5	1	1	**33**	**33**
5	केनरा बैंक	3	4	-	-	-	1	-	-	**3**	**5**
6	कॉर्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	**2**	**2**
7	इंडियन बैंक	3	3	-	-	-	-	-	-	**3**	**3**
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	3	4	-	-	**10**	**11**
9	आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड	-	1	-	-	-	-	-	-	**-**	**1**
10	पंजाब नेशनल बैंक	3	4	1	2	4	4	1	1	**9**	**11**
11	भारतीय स्टेट बैंक	38	42	5	5	8	8	4	4	**55**	**59**
12	सिंडिकेट बैंक	1	1	-	-	-	-	-	-	**1**	**1**
13	यूको बैंक	4	4	-	-	2	2	-	-	**6**	**6**
14	यूनियन बैंक	1	1	-	-	3	5	-	-	**4**	**6**
15	युनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	-	-	1	-	-	**-**	**1**
16	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	-	-	1	1	-	-	**1**	**1**
II.	**निजी क्षेत्र के नए बैंक**	**11**	**11**	**3**	**3**	**16**	**16**	**-**	**-**	**30**	**30**
17	ऐक्सिस बैंक	3	3	-	-	2	2	-	-	**5**	**5**
18	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1	1	-	-	2	2	-	-	**3**	**3**
19	आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड	7	7	3	3	8	8	-	-	**18**	**18**
20	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	2	2	-	-	**2**	**2**
21	फेडरल बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	**1**	**1**
22	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	**1**	**1**
	कुल	**141**	**148**	**21**	**23**	**50**	**55**	**7**	**7**	**219**	**233**

टिप्पणी: 1) - शून्य
2) डाटा सितंबर समाप्ति से संबंधित है।

चार्ट IV.37: भारत में विदेशी बैंकों और विदेश में भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या

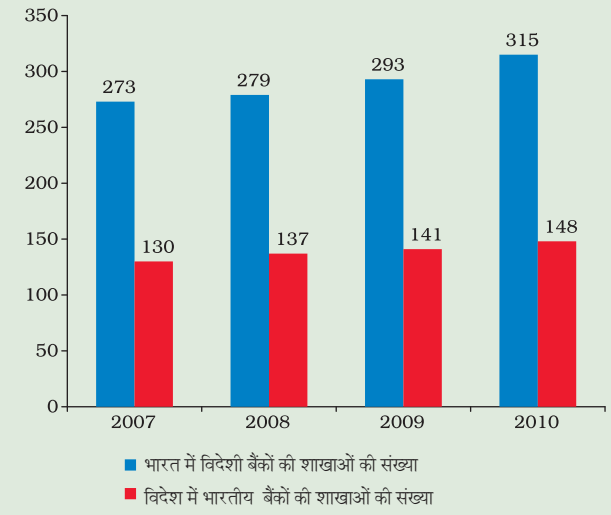

टिप्पणी: संख्या में प्रतिनिधि कार्यालय शामिल नहीं हैं।

जन के उपेक्षित लोगों तक कर्ज सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। इस प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श संस्था के रूप में देखा जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र सुधारों को लागू करने के बाद इन संस्थाओं को परिचालनगत स्वतंत्रता देने तथा उनकी कमजोर होती वित्तीय हालत में सुधार करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित नीतिगत ढांचे में कई परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन मुख्यतः इन संस्थाओं पर विवेकपूर्ण विनियामक ढांचे को लागू करने के साथ-साथ इनके पुनर्गठन तथा समामेलन, इनके पुनःपूंजीकरण के रूप में दिखायी दिए।

4.95 2009-10 में, आरआरबी के समेकित तुलनपत्र में पिछले वर्ष के 16.5 प्रतिशत की तुलना में 22.2 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दिखी। देयता पक्ष में, जमाओं ने आरआरबी के तुलनपत्र में वृद्धि को आगे बढ़ाया जबकि आस्ति पक्ष में, वृद्धि मुख्य रूप से निवेश के कारण थी। यह उल्लेखनीय है कि 2009-10 में आरआरबी का कर्ज जमा अनुपात 57.6 प्रतिशत था जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में कम था।

4.96 82 आरआरबी में से, 79 आरआरबी 2009-10 में लाभ में थे, यह लाभ पिछले वर्ष के 93.0 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष के दौरान बढ़कर 96.3 प्रतिशत हो गया जो लाभ कमाने वाले आरआरबी के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है। कुल मिलाकर, सभी आरआरबी ने एक साथ 1,884 करोड़ रुपए का निवल लाभ सूचित किया जो 2009-10 में 41.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। परिणाम के रूप में, आरआरबी के आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में 2008-09 के 1.0 प्रतिशत से 2009-10 में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (सारणी IV.40)। इस प्रकार, 2009-10 में आरआरबी का आरओए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में सापेक्षिक रूप से अधिक था।

4.97 वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने की उनकी भूमिका के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जो सामान्यतया आरआरबी के कुल अग्रिमों का एक बड़ा हिस्सा होता है, का 2009-10 में उनके कुल अग्रिमों का लगभग 82 प्रतिशत का हिस्सा था। मार्च 2010 के अंत में उनके कुल कर्ज में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 82

सारणी IV.39: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
	2009	2010अ	
शेयर पूंजी	**197**	**197**	**-**
आरक्षित निधियां	**6,754**	**8,065**	**19.4**
शेयर पूंजी जमा	**3,959**	**3,985**	**0.7**
जमाराशियां	**1,20,189**	**1,45,035**	**20.7**
चालू	6,432	8,065	25.4
बचत	63,675	75,906	19.2
अवधि	50,082	61,064	21.9
से उधार	**12,735**	**18,770**	**47.4**
नाबार्ड	8,690	12,521	44.1
प्रायोजक बैंक	3,931	6,165	56.8
अन्य	114	84	-26.3
अन्य देयताएं	**6,820**	**8,041**	**17.9**
कुल देनदारियां / आस्तियां	**1,50,654**	**1,84,093**	**22.2**
नकदी	**1,587**	**1,784**	**12.4**
आरबीआइ के पास शेष	**5,882**	**8,145**	**38.5**
अन्य बैंक शेष	**31,865**	**39,102**	**22.7**
निवेश	**37,984**	**47,289**	**24.5**
ऋण और अग्रिम (निवल)	**65,609**	**79,157**	**20.6**
अचल आस्तियां	**278**	**379**	**36.3**
अन्य आस्तियां#	**7,449**	**8,237**	**10.6**
ऋण -जमा अनुपात	54.6	54.6	-
निवेश -जमा अनुपात	58.1	59.5	-
(ऋण + निवेश) जमा अनुपात	112.7	114.1	-

टिप्पणी: 1) अ : अनंतिम ।
2) # : इसमें संचित घाटा शामिल है।

स्रोत: नाबार्ड

सारणी IV.40 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09 (86)	2009-10अ (82)	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
क.	**आय (i+ ii)**	**11,388**	**13,835**	**21.5**
	i ब्याज आय	10,579	12,945	22.4
	ii अन्य आय	810	890	9.9
ख.	**खर्च (i+ii+iii)**	**10,053**	**11,951**	**18.9**
	i खर्च किया गया ब्याज	6,100	7,375	20.9
	ii परिचालन व्यय	3,165	3,547	12.1
	जिसमें से: वेतन बिल	2,291	2,676	16.8
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	788	1,029	30.6
ग.	**लाभ**			
	i परिचालन लाभ	2,123	2,913	37.2
	ii निवल लाभ	1,335	1,884	-41.1
ङ.	**कुल आस्तियां**	**1,50,654**	**1,84,093**	**22.2**
च.	**वित्तीय अनुपात #**			
	i परिचालन लाभ	1.5	1.7	-
	ii निवल लाभ	1.0	1.1	-
	iii आय (क+ख)	8.3	8.3	-
	(क) ब्याज आय	7.7	7.7	-
	(ख) अन्य आय	0.6	0.5	-
	iv व्यय (क+ख+ग)	7.3	7.1	-
	(क) खर्च किया गया ब्याज	4.4	4.4	-
	(ख) परिचालन व्यय	2.3	2.1	-
	जिसमें से: वेतन बिल	1.7	1.6	-
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.6	-

टिप्पणी: 1. अ : अनंतिम
2. वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों से संबंधित है।
3. कोष्ठक के आंकड़े आरआरबी की कुल संख्या दर्शाते है।

स्रोत: नाबार्ड।

प्रतिशत था (सारणी IV.41)। तथापि, यह महत्वूपर्ण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए कर्ज के हिस्से में हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी।

13. स्थानीय क्षेत्र बैंक

4.98 स्थानीय क्षेत्र बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना की शुरुआत 1996 में की गयी थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषीकृत स्थानीय फोकस के साथ दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थन हेतु कर्ज उपलब्धता की खाई को पाटना तथा

सारणी IV.41: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कर्ज का प्रयोजन-वार वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रयोजन	मार्च को समाप्त	
	2009	2010अ
I. कृषि (i से ii)	**37,367**	**45,829**
	(55.1)	(54.8)
i अल्पकालिक कर्ज (फसल कर्ज)	26,652	33,208
ii मीयादी कर्ज (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	10,715	12,621
II. कृषि से इतर (i से iv)	**30,435**	**37,733**
	(44.8)	(45.1)
i ग्रामीण कारीगर	772	857
ii अन्य उद्योग	1,656	1,694
iii खुदरा व्यापार	4,690	5,285
iv अन्य प्रयोजन	23,317	29,897
कुल (I+II)	**67,802**	**83,562**
ज्ञापन मदें:		
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	56,555	68,660
(ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	11,247	14,902
(ग) कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत शेयर	83.4	82.2

टिप्पणी: 1) अ : अनंतिम
2) कोष्ठक के आंकड़े कुल ऋण में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

संस्थागत कर्ज ढांचे को बढ़ाना था। यद्यपि, छह स्थानीय क्षेत्र बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, परंतु इस समय केवल चार स्थानीय क्षेत्र बैंक कार्यरत हैं। इस खण्ड में 2009-10 के दौरान स्थानीय क्षेत्र बैंकों के निष्पादन तथा इन संस्थाओं के परिचालन संबंधी प्रमुख मुद्दों की चर्चा की गयी है।

4.99 आरओए तथा एनआइएम द्वारा समग्र स्तर पर मापी जानेवाली स्थानीय क्षेत्र बैंकों की दक्षता एवं लाभप्रदता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में काफी ऊंची रही है (चार्ट IV.38)। 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तरह इनके आरओए तथा एनआइएम में गिरावट हुई जो इस वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान कम ब्याज दर के वातावरण को परिलक्षित करती है (सारणी IV.42)।

4.100 उच्च दक्षता के बावजूद, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के परिचालन के संबंध में चिंता के कई मुद्दे थे। पहला, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के बैंक-स्तरीय आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि एक स्थानीय क्षेत्र बैंक नामतः कैपिटल लोकल एरिया बैंक में मार्च 2010 के अंत में कारोबार का उल्लेखनीय संकेन्द्रण था, जिसके पास स्थानीय क्षेत्र बैंकों की कुल आस्तियों का 68.8 प्रतिशत समग्र बैंकिंग

चार्ट IV.38: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल और निवल ब्याज मार्जिन

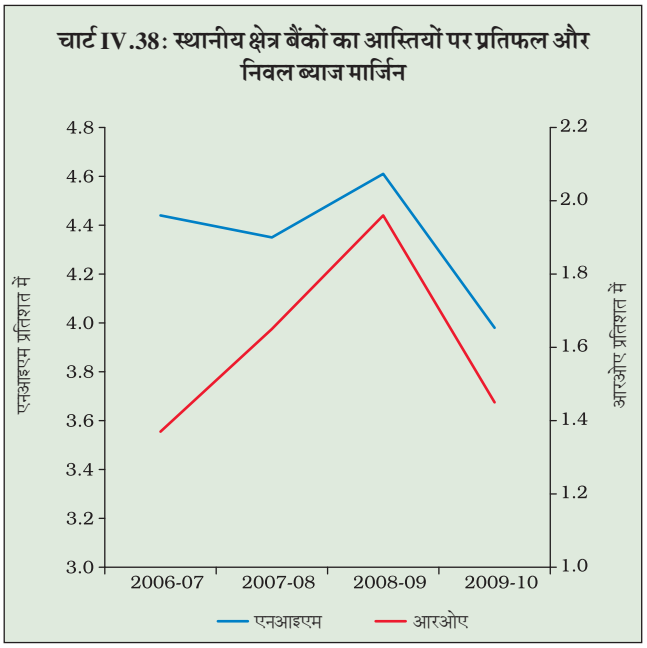

कारोबार का 69.1 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी IV.43)। दूसरा, जैसा कि स्थानीय क्षेत्र बैंकों के कार्यकलापों की समीक्षा करने वाले 2002 के समूह द्वारा उल्लेख किया गया है, इन संस्थाओं का पूंजी आधार सीमित था, अतः ये अप्रत्याशित हानियों को सहन कर पाने की स्थिति में नहीं थे। अतः, समूह ने उनकी 25 करोड़ रुपए निवल मालियत में वृद्धि करने की सिफारिश की थी। तथापि, कैपिटल लोकल एरिया बैंक को छोड़कर अन्य स्थानीय क्षेत्र बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मार्च 2010 के अंत में जहां कैपिटल लोकल एरिया बैंक की निवल मालियत 45.9 करोड़ रुपए थी वहीं कोस्टल लोकल एरिया बैंक की निवल मालियत 18.7 करोड़ रुपए थी तथा उसके बाद सुभद्रा लोकल एरिया बैंक

सारणी IV.42: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

ब्यौरे	2008-09	2009-10	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4
क आय (i+ii)	**91**	**104**	14.3
i) ब्याज आय	75	86	14.3
ii) अन्य आय	16	18	14.2
ख व्यय (i+ii+iii)	**76**	**91**	19.1
i) खर्च किया गया ब्याज	42	51	22.8
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8	8	1.1
iii) परिचालन व्यय	27	32	18.6
जिसमें से: वेतन बिल	12	14	14.9
ग लाभ			
i) परिचालन लाभ/हानि	**22**	**20**	**-7.1**
ii) निवल लाभ/हानि	**14**	**13**	-11.5
घ अंतर (निवल ब्याज आय)	**33**	**34**	**3.7**
ङ कुल आस्तियां	**787**	**946**	**20.2**
च वित्तीय अनुपात			
i) परिचालन लागत	3.0	2.4	-
ii) निवल लाभ	2.0	1.4	-
iii) आय	12.6	12.0	-
iv) ब्याज आय	10.4	9.9	-
v) अन्य आय	2.2	2.1	-
vi) व्यय	10.6	10.5	-
vii) खर्च किया गया ब्याज	5.8	5.9	-
viii) परिचालन व्यय	3.8	3.7	-
ix) वेतन बिल	1.7	1.6	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.1	0.9	-
xi) अंतर (निवल ब्याज आय)	4.6	4.0	-

टिप्पणी: 'च' के अंतर्गत सभी अनुपात कुल औसत आस्तियों से संबंधित हैं।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (घरेलू)।

सारणी IV.43: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफाइल

(मार्च को समाप्त)

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक	आस्ति		जमाराशि		सफल अग्रिम	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	549 (69.8)	651 (68.8)	461 (74.8)	532 (72.2)	296 (67.4)	347 (65.0)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	100 (12.7)	127 (13.4)	73 (11.9)	101 (13.7)	57 (13.0)	84 (15.7)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	99 (12.6)	120 (12.7)	56 (9.1)	75 (10.2)	64 (14.6)	78 (14.6)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	39 (5.0)	48 (5.1)	27 (4.4)	29 (3.9)	23 (5.2)	25 (4.7)
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक	**787 (100.0)**	**946 (100.0)**	**616 (100.0)**	**737 (100.0)**	**439 (100.0)**	**534 (100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
स्रोत: परोक्ष विवरणियों पर आधारित (देशी)।

(17.4 करोड़ रुपए) तथा कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक (12.9 करोड़ रुपए) का क्रम था।

14. निष्कर्ष

4.101 2009-10 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलन-पत्र की वृद्धि में गिरावट के संकेत दिखने लगे जो वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत होने के वर्ष 2008-09 के दौरान जमाराशियों तथा बैंक कर्ज की वृद्धि दर में गिरावट आने की वजह से थी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक कर्ज की वृद्धि दर में गिरावट आई जो संकट के बाद की आर्थिक गिरावट को दर्शाती है। तथापि, अंतर-वर्षीय आधार पर नवंबर 2009 से बैंक कर्ज में बेहतरी के संकेत दिखने लगे क्योंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गतिशीलता में तेजी आने लगी थी।

4.102 2009-10 में बैंक जमाराशियों से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक सीएएसए के प्रतिशत में वृद्धि होना है। जहां तक निवेश का संबंध है, 2009-10 में गैर एसएलआर निवेशों में बेहतरी आई जिसमें वित्तीय संकट के बाद धीमापन आ गया था। 2009-10 में गैर-एसएलआर निवेशों की वृद्धि में मुख्यतः म्यूच्युअल फंडों ने योगदान दिया।

4.103 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय तथा व्यय दोनों की वृद्धि दर में गिरावट आने की वजह से बैंकों की लाभप्रदता की वृद्धि दर में भी गिरावट देखी गई। 2009-10 में आरओए, आरओई, निवल ब्याज मार्जिन तथा स्प्रेड (निधियों के प्रतिलाभ तथा लागत का अंतर) सहित लाभप्रदता के प्रत्येक संकेतक में समेकित स्तर पर गिरावट देखी गई।

4.104 लाभप्रदता में गिरावट आने के अलावा, 2009-10 की उभरती चिंता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता के संबंध में थी। सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में समग्र स्तर पर लगभग 0.14 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई जिसमें प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दोनों की अनर्जक आस्तियों का योगदान था। इसके अलावा, अनर्जक आस्तियों में वृद्धि संदिग्ध तथा हानि वाली आस्तियों की वजह से हुई थी जो बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता के गिरते स्तर को दर्शाती है।

4.105 जहां सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई, वहीं समग्र स्तर पर प्रावधानों के कवरेज अनुपात में गिरावट दर्ज हुई जो अनर्जक आस्ति से जुड़ी हानियों को पूरा करने के लिए जरूरी कुशन की मात्रा में आई गिरावट को दर्शाती है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआएआर बासेल II ढांचे की ओर अग्रसर होने के बाद भी 2008-09 में निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत से काफी अधिक था, जिसमें 2009-10 में और वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लीवरेज अनुपात में भी निरंतर वृद्धि देखी गई जो बैंकिंग प्रणाली के आस्ति आधार की तुलना में मूल (टियर I) पूंजी में आई सुदृढ़ता को दर्शाती है।

4.106 जहां तक वित्तीय समावेशन का संबंध है, ओईसीडी तथा एशिया के कई अन्य समकक्ष देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तथापि, हाल के वर्षों में जो स्वागतयोग्य गतिविधियां हुई हैं उनमें एक बैंक शाखाओं और एटीएम(जैसा कि प्रति बैंक शाखा/एटीएम के पीछे जनसंख्या में आई गिरावट से स्पष्ट होता है) की संख्याओं में निरंतर वृद्धि होना है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखाओं तथा एटीएम की संख्या में वृद्धि की दर ग्रामीण भारत में अधिक रही है। सूक्ष्म वित्त, जो भारत में वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरकर आया है, में 2009-10 में और वृद्धि हुई विशेष रूप से एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की तुलना में एमएफआइ लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत। देशी बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल रहे हैं परंतु 2009-10 में कृषि तथा कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत रूप से पीछे रहे हैं।

4.107 जहां तक बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास का संबंध है, 2009-10 की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा किया जाना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान का लग जाना रहा है।

4.108 अंत में, निकट भविष्य में उभरते जोखिम तथा प्रतिलाभ में सामंजस्य बनाये रखने के लिए बैंकों को आस्ति की गुणवत्ता तथा विवेकपूर्ण प्रावधान पर उचित ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को समर्थन देना होगा। इसके अलावा, बैंकों को स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट निरपेक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इससे जनसंख्या के बृहद हिस्से को औपचारिक वित्त के दायरे में लाने तथा समता के साथ भावी आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अध्याय-V

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

इस अध्याय में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का प्रसार करने में सहकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका के संदर्भ में उनके वित्तीय निष्पादन और वित्तीय मजबूती का विश्लेषण किया गया है। शहरी सहकारी क्षेत्र ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ मार्च 2010 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के समग्र वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है, हालांकि उनकी आस्ति गुणवत्ता में क्षरण हुआ है। तथापि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में मूलभूत स्तर की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय रही है क्योंकि इन संस्थाओं ने उच्च अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात के साथ हानि सूचित की है। पुनश्च, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में सहकारी क्षेत्र की भूमिका में जारी किए गए कार्डों की संख्या और स्वीकृत किए गए कर्ज़ की राशि के संदर्भ में, हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

1. परिचय

5.1 सहकारी बैंकों का विस्तृत नेटवर्क, शहरी और ग्रामीण दोनों, बड़ी संख्या में छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं को औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के साथ जोड़कर वित्तीय मध्यस्थता में गंभीरता लाकर वाणिज्य बैंक के नेटवर्क की अनुपूर्ति करता है। तथापि उनके प्रोद्भव, उद्देश्यों और विनियामक पर्यावरण, जिनके अधीन वे काम करते हैं, के कारणों से बैंकों के इन दोनों सेटों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रोद्भव सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 से जुड़ा है। सहकारी बैंकों का विस्तृत भूभागीय विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उधारकर्ताओं को साहूकारों द्वारा वसूले जानेवाले कुसीदात्मक ब्याज दरों से बचाने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना से ही यह वहनीय लागत पर संस्थागत कर्ज़ उपलब्ध कराकर,देश में सामाजिक आर्थिक विकास में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। इस प्रकार भारत में सहकारिता आंदोलन ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुकर बनाया है। तथापि अधिकांश सहकारी कर्ज़ संस्थाओं की दुर्बल वित्तीय स्थिति चिंता का विषय रही है।

5.2 भारत में सहकारी क्षेत्र को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है अर्थात शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाएं। जैसाकि नामों से पता चलता है, यूसीबी शहरी क्षेत्रों में कर्ज़ की सुपुर्दगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना नीचे चार्ट V.1 में दर्शायी गयी है।

5.3 यूसीबी क्षेत्र में बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों का विनियमन रिज़र्व बैंक के क्षेत्र में आता है, जबकि उनके निगमन/पंजीयन और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों का विनियमन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है। शहरी सहकारी क्षेत्र के विनियामक ढांचे के अंतर्गत द्वैध नियंत्रण के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और सभी 28 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन किए जा चुके हैं।शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टीएएफसीयूबी) का गठन भी इन सभी राज्यों में किया जा चुका है और बहु-राज्यीय यूसीबी के लिए एक केंद्रीय टीएएफसीयूबी का गठन किया गया है। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र (राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) एक त्रिकोणीय संरचना के साथ बहुत अधिक जटिल है, जहां सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार, रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए, बहुसंख्यक राज्य सरकारों ने नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

5.4 इस संदर्भ में, इस अध्याय में अद्यतन उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए भारत में शहरी और ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं के परिचालनों और निष्पादन की अद्यतन प्रवृत्तियों का विश्लेषण

चार्ट V.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

(मार्च 2010 के अंत में)

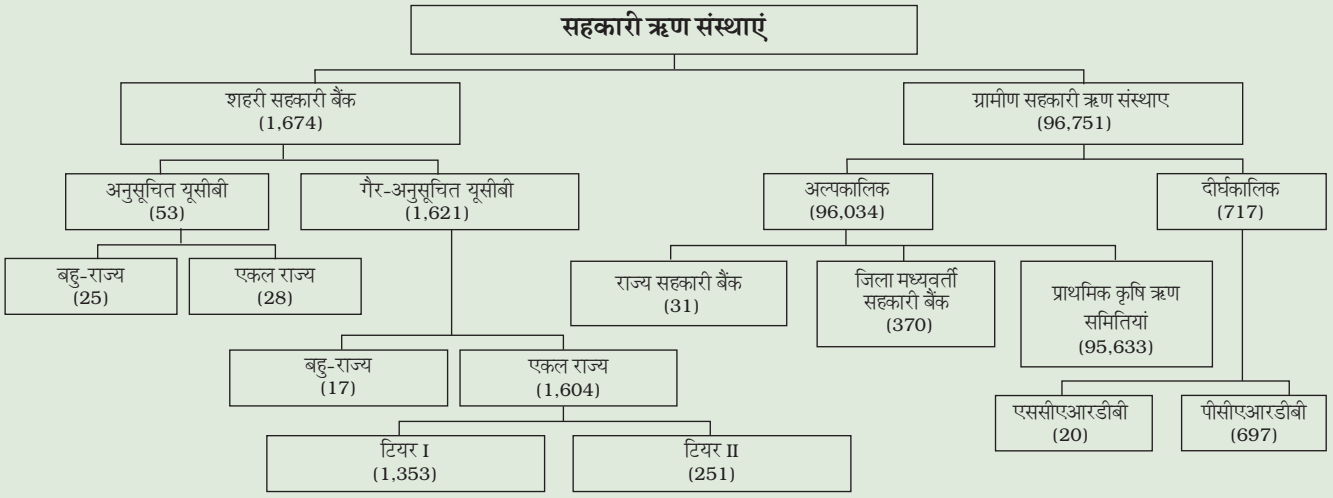

एससीएआरडीबीः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

पीएससीएआरडीबीः प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े यूसीबी के लिए मार्च 2010 के अंत में और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए मार्च 2009 के अंत में संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए बैंकों की संख्या से तात्पर्य रिपोर्टिंग बैंकों से है।

किया गया है। यह अध्याय 5 खंडों में संगठित है। खंड 2 में 2009-10 के दौरान यूसीबी के कारोबार परिचालनों और निष्पादन पर चर्चा की गई है, जबकि खंड 3 में 2008-09 के दौरान ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 4 में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया गया है तथा अंत में खंड 5 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

2. शहरी सहकारी बैंक[1]

यूसीबी की रूपरेखा

5.5 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं आती हैं, जो कारोबार के आकार, उसकी प्रकृति और भूभागीय विस्तार के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हैं और शहरी क्षेत्रों में कर्ज़ की सुपुर्दगी के प्रति संकेंद्रित हैं। क्षेत्र में निरंतर चल रहे समेकन के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के 1,721 से घटकर यूसीबी की संख्या मार्च 2010 के अंत में 1,674 रह गयी थी।[2] यूसीबी क्षेत्र के समेकन की अब तक की प्रगति को बॉक्स V.1 में दर्शाया गया है।

यूसीबी का ग्रेडवार प्रोफाइल[3]

5.6 यूसीबी क्षेत्र में निरंतर जारी समेकन प्रक्रिया के कारण ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले बैंकों के प्रतिशत में हाल के वर्षों में कमी की प्रवृत्ति पाई गई। इसके अलावा, ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले यूसीबी के पास मौजूद जमाराशियों तथा अग्रिमों की पूर्ण राशि में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में गिरावट परिलक्षित हुई। तदनुसार ग्रेड I और ग्रेड II में आनेवाले बैंकों का प्रतिशत और क्षेत्र की कुल जमाराशियों और अग्रिम राशियों में

[1] इस खंड में प्रस्तुत विश्लेषण रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग द्वारा यूसीबी के पर्यवेक्षी विवरणी से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

[2] चूंकि वर्ष-दर-वर्ष यूसीबी की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, यूसीबी के सभी संकेतकों संबंधी समय शृंखलाएं पिछले वर्षों के साथ पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

[3] विनियामक प्रयोजनों के लिए पिछले वर्षों के सीआरएआर, निवल एनपीए तथा लाभप्रदता तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के अनुपालन के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को ग्रेड I,II,III तथा IV में श्रेणीबद्ध किया जाता है। जिन बैंकों के लिए पर्यवेक्षी चिंता का कोई कारण नहीं है उन्हें ग्रेड I बैंक में रखा गया है। ग्रेड II में वर्गीकृत बैंक भी अपेक्षाकृत रू प से अच्छी हालत में होते हैं जबकि ग्रेड III और ग्रेड IV में आनेवाले बैंक वित्तीय रू प से कमजोर बैंक होते हैं। 31 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से संशोधित ज्कैमेलट रेटिंग मॉडल यूसीबी के लिए लागू किया गया है, परंतु सभी यूसीबी के लिए रेटिंग अभी पूरी की जानी है।

बॉक्स V.1: यूसीबी क्षेत्र का समेकन और उनका सुदृढ़ीकरण

बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति दशकों से यूसीबी क्षेत्र में चिंता का प्रमुख कारण रही है। इस क्षेत्र में दुहरे विनियामक नियंत्रण ने भी कमजोर वित्तीय स्थिति में बड़ा योगदान किया है। इस मसले को हल करने के लिए, मार्च 2005 में रिज़र्व बैंक ने एक विज़न दस्तावेज तैयार किया और इस पर आधारित एक मध्यावधि ढांचा (एमटीएफ), जिसमें शहरी सहकारी क्षेत्र के दो प्रमुख विनियामक प्राधिकारियों अर्थात रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों (बहुराज्यीय यूसीबी के लिए केंद्र सरकार) के बीच विद्यमान विधिक ढांचे में प्रत्येक राज्य में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके विनियामकीय समन्वय की व्यवस्था की गई है ।

अब तक केंद्र सरकार और सभी 28 राज्यों, जहां यूसीबी की मौजूदगी है, के बीच एमओयू किए गए हैं, जो संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र को अपनी व्याप्ति में लेते हैं। इन सभी राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबलों (टीएएफसीयूबी) का गठन किया गया है तथा बहु-राज्यीय यूसीबी के लिए केंद्रीय टीएएफसीयूबी का गठन किया गया है। टीएएफसीयूबी की संस्तुतियों के आधार पर की गई पर्यवेक्षी कार्रवाइयों में सम्मिलित हैं- गैर-अर्थक्षम यूसीबी के लाइसेंसों को रद्द करना अथवा उनके लाइसेंस के आवेदनों को अस्वीकृत करना, दोषी निदेशक मंडलों का अधिक्रमण करना, और बैंकों पर परिचालनगत प्रतिबंध/ निदेश लगाना/ आशोधित करना। टीएएफसीयूबी में सहमति के आधार पर जो अन्य मुख्य नीतिगत उपाय किए गए, वे हैं - 'उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता' पर दिशानिर्देश तथा यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 'उचित और उपयुक्त मानदंड' पर दिशानिर्देश जारी करना। इसके अलावा, टीएएफसीयूबी संभावित अर्थक्षम यूसीबी की पहचान करता है और उनके पुनर्जीवन के लिए उपाय सुझाता है और साथ ही जो बैंक अर्थक्षम नहीं है उनके लिए अविघटनात्मक निकासी संबंधी रणनीतियां तैयार करता है। गैर अर्थक्षम बैंकों की निकासी का मार्ग है - मजबूत बैंकों के साथ उनका विलयन/ समामेलन, सोसाइटी के रूप में उनका संपरिवर्तन अथवा अंतिम उपाय के रूप में उनका परिसमापन।

यूसीबी क्षेत्र में कमजोर/गैर अर्थक्षम संस्थाओं के समेकन, तथा हानिरहित और व्यवस्थित समाधान को सुकर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में यूसीबी के विलयन/समामेलन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अभिग्रहणकर्ता बैंक को स्वयं ही अथवा सीधे राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लेकर अभिगृहीत बैंक की जमाराशियों की सुरक्षा करनी होगी। क्षेत्र में विलयन/समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा 31 मार्च 2007 को ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी के रिक्थ (लीगैसी) संबंधी मामलों के समाधान के लिए, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के विलयन/समामेलन के लिए जनवरी 2009 में अतिरिक्त दिशानिदेश जारी किए, जिनमें डीआइसीजीसी अधिनियम,1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार डीआइसीजीसी समर्थन, अभिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा वित्तीय अंशदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा उनकी जमाराशियों के एक भाग को त्यागने हेतु प्रावधान है।

रिज़र्व बैंक द्वारा विलयन के लिए जारी किए गए कुल 103 एनओसी में से 91कमजोर बैंकों के संबंध में थे। इन 91 में से 71 विलयनों को अब तक संबंधित राज्यों के आरसीएफ द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है (सारणी)।

ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंकों के रिक्थ (लीगैसी) वाले मामलों में कमज़ोर यूसीबी के समाधान के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में ,जहाँ यूसीबी क्षेत्र से विलयन प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, यूसीबी की आस्ति और देयताएं (शाखाओं सहित) डीआइसीजीसी के समर्थन से वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की योजना की स्वीकृति के लिए रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2010 में दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश सभी जमाकर्ताओं को 100 प्रतिशत सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं और डीआइसीजीसी की सहायता डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत प्रावधानित राशि तक सीमित है। यूसीबी, जिनकी निवल मालियत 31 मार्च 2007 को अथवा उससे पूर्व ऋणात्मक थी और जिनकी निवल मालियत अंतरण की तारीख तक ऋणात्मक रहती आई है, को योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।

प्रोत्साहन के रूप में रिज़र्व बैंक अंतरिती (वाणिज्य) बैंक को शाखाओं का अभिग्रहण करने करने तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अंतरणकर्ता बैंक (यूसीबी) की हानि उठानेवाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति देगा। अंतरणकर्ता बैंक की शाखाओं को अन्यत्र ले जाने की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाएगी बशर्ते अंतरणकर्ता/अंतरिती बैंक की विद्यमान/अन्यत्र ले जाई गई शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

सारणी : मजबूत बैंकों द्वारा कमजोर बैंकों के विलयन/अभिग्रहण में वर्षवार हुई प्रगति (जारी एनओसी)

(जून 30, 2010 को)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	महाराष्ट्र	-	5	6	11	6	10	-	**38**
2	गुजरात	1	5	5	6	3	4	-	**24**
3	आंध्र प्रदेश	-	2	1	3	1	3	-	**10**
4	कर्नाटक	-	-	3	2	1	1	-	**7**
5	गोवा	-	1	-	-	-	-	-	**1**
6	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	**-**
7	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8	पंजाब	-	-	1	-	-	-	-	**1**
9	मध्यप्रदेश	-	-	1	2	1	2	-	**6**
10	उत्तराखंड	-	-	-	2	-	-	-	**2**
11	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	1	-	-	**1**
12	बहु-राज्य	-	1	-	-	-	-	-	**1**
कुल (1 से 12)		**1**	**14**	**17**	**26**	**13**	**20**	**-**	**91**

'-': शून्य

उनकी हिस्सेदारी में हाल के वर्षों में बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गयी। इससे पता चलता है कि बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में बदलाव वित्तीय रूप से मजबूत यूसीबी के पक्ष में रहा है। हरफिनडल-हिर्स्चमैन सूचकांक[4] का सामान्यीकृत मूल्य पिछले वर्ष के 0.30 से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 0.38 हो गया, जो क्षेत्र में ग्रेड I बैंकों के बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में वृद्धि को दर्शाता है (सारणी V.1)।

यूसीबी के आस्तिवार और कारोबारवार प्रोफाइल का आकार

5.7 यूसीबी क्षेत्र में संकेंद्रण की सीमा को और अच्छी तरह समझने के लिए, इस खंड में यूसीबी के आस्ति आकार के अनुसार और उनके जमा एवं अग्रिमवार प्रोफाइल के आकार के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है और साथ ही बैंकों की बड़े आस्ति आकार की श्रेणी तथा बड़े कारोबार आकार की श्रेणी में बैंकिंग कारोबार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

5.8 यूसीबी के आस्तिवार वितरण के आकार से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में '100 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार' की श्रेणी में बैंकों की संख्या में कमी आई है, जबकि '100 करोड़ रुपए से अधिक' श्रेणी के बैंकों की

चार्ट V.2 : शहरी सहकारी बैंकों का आस्ति आकार वार वितरण

(मार्च 2010 के अंत में) (राशि करोड़ रुपए में)

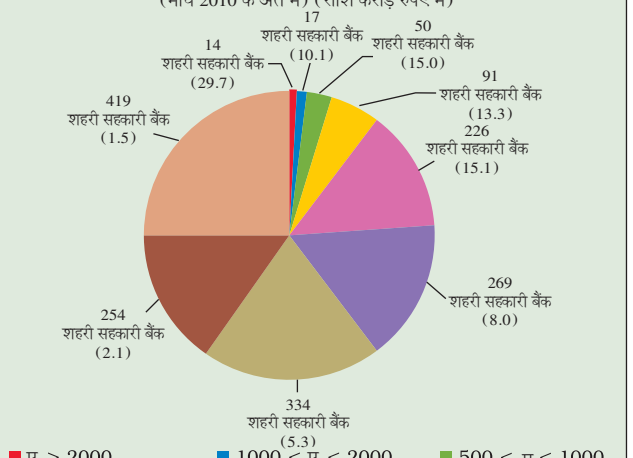

टिप्पणी : 1. 'ए' आस्तियों के लिए
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आस्तियों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

संख्या में तदनुरूपी वृद्धि हुई है। यूसीबी क्षेत्र की कुल आस्तियों में पहले वाली श्रेणी की हिस्सेदारी में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी दिखाई दी। परिणामस्वरूप मार्च 2010 के अंत में लगभग तीन-चौथाई यूसीबी की आस्तियां 100 करोड़ रुपए से कम थीं, तथापि इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी संपूर्ण क्षेत्र की कुल आस्तियों के लगभग छठवें हिस्से तक थी (चार्ट V.2)।

सारणी V.1:शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों और अग्रिम राशियों का ग्रेडवार वितरण
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

ग्रेड	यूसीबी की संख्या		कुल का प्रतिशत रूप में यूसीबी		जमाराशियां		कुल के प्रतिशत रूप में जमाराशियां		अग्रिमों की राशि		कुल के प्रतिशत रूप में अग्रिम राशियां	
वर्ष	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	845	879	49.1	52.5	1,02,330	1,28,770	65.1	70.4	61,761	77,265	64.2	70.0
II	484	465	28.1	27.8	30,626	34,756	19.5	19.0	18,920	21,245	19.7	19.3
III	219	179	12.7	10.7	7,954	7,494	5.1	4.1	5,405	4,731	5.6	4.3
IV	173	151	10.1	9.0	16,131	11,842	10.3	6.5	10,148	7,062	10.5	6.4
कुल	**1,721**	**1,674**	**100.0**	**100.0**	**1,57,041**	**1,82,862**	**100.0**	**100.0**	**96,234**	**1,10,303**	**100.0**	**100.0**
ज्ञापन मदें												
I+II	1,329	1,344	77.2	80.3	1,32,956	1,63,526	84.6	89.4	80,681	98,510	83.9	89.3
III+IV	392	330	22.8	19.7	24,085	19,336	15.4	10.6	15,553	11,793	16.1	10.7

टिप्पणी : 2010 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

[4] सामान्यीकृत हरफिनडल-हिर्सचमैन इंडेक्स = [H – (1/N)] / [1 – (1/N)], जहां H हरफिनडल-हिर्सचमैन इंडेक्स है तथा N बैंकों /फर्मों/ समूहों, जैसा भी मामला हो, की संख्या है
$H = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$, S_i i$^{वां}$ बैंक का हिस्सा है।

5.9 यूसीबी के बैंकिंग कारोबारवार वर्गीकरण के आकार से पता चलता है कि मार्च 2010 के अंत में कुल यूसीबी के एक बटा पांच से कम के पास जमाराशियों के तीन बटा चार से अधिक हिस्सा था। इसी प्रकार मार्च 2010 के अंत में कुल यूसीबी के एक बटा दस से थोड़े अधिक के पास कुल अग्रिम राशियों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा था। पुनश्च, मार्च 2010 के अंत में कुल जमाराशियों और अग्रिम राशियों में 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशियों अथवा अग्रिम राशियों वाले यूसीबी के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (सारणी V.2)।

यूसीबी का टियरवार और अनुसूचित हैसियतवार प्रोफाइल

5.10 यूसीबी को अनुसूचित तथा गैरअनुसूचित और साथ ही टियर I[5] और टियर II श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया जाता है। बैंकों की संख्या के संदर्भ में, इस क्षेत्र में गैरअनुसूचित टियर I बैंकों का आधिपत्य था तथापि बैंकिंग कारोबार के आकार के संदर्भ में इस क्षेत्र में अनुसूचित टियर II बैंकों का आधिपत्य था। प्रति यूसीबी बैंकिंग कारोबार अनुसूचित टियर II बैंकों में सर्वोच्च था जिसके बाद गैरअनुसूचित टियर II और गैरअनुसूचित टियर I बैंक आते थे। टियर II बैंकों, अनुसूचित तथा गैरअनुसूचित दोनों ही बैंकों को मिलाकर, की हिस्सेदारी मार्च 2010 के अंत में इस क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 80 प्रतिशत थी (सारणी V.3)।

5.11 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत गैर-अनुसूचित यूसीबी की संख्या में कमी आई जबकि इसी अवधि के दौरान अनुसूचित यूसीबी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तथापि, अनुसूचित क्षेत्र में टियर II यूसीबी की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में वृद्धि हुई। अत: यूसीबी की कुल संख्या में कमी

सारणी V.2: जमाराशियों और अग्रिम राशियों के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि आधार	जमाराशियों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण				अग्रिम राशियां आधार	अग्रिम राशियों के आकार के अनुसार यूसीबी का वितरण			
	यूसीबी की संख्या		जमाराशियां			यूसीबी की संख्या		जमाराशियां	
	संख्या	कुल में प्रतिशत हिस्सा	राशि	कुल में प्रतिशत हिस्सा		संख्या	कुल में प्रतिशत हिस्सा	राशि	कुल में प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ज = 1000	25	1.5	66,401	36.3	अग्रि = 1000	13	0.8	31,875	28.9
500 ≤ ज < 1000	37	2.2	24,825	13.6	500 ≤ अग्रि < 1000	18	1.1	12,768	11.6
250 ≤ ज < 500	67	4.0	23,178	12.7	250 ≤ अग्रि < 500	44	2.6	15,281	13.9
100 ≤ ज < 250	196	11.7	31,108	17.0	100 ≤ अग्रि < 250	136	8.1	20,501	18.6
50 ≤ ज < 100	244	14.6	17,023	9.3	50 ≤ अग्रि < 100	149	8.9	10,439	9.5
25 ≤ ज < 50	301	18.0	11,037	6.0	25 ≤ अग्रि < 50	251	15.0	9,092	8.2
10 ≤ ज < 25	435	26.0	7,247	4.0	10 ≤ अग्रि < 25	446	26.6	7,264	6.6
ज < 10	369	22.0	2,043	1.1	अग्रि < 10	617	36.9	3,083	2.8
कुल	**1,674**	**100.0**	**1,82,862**	**100.0**	**कुल**	**1,674**	**100.0**	**1,10,303**	**100.0**
ज्ञापन मदें									
100 ≤ ज	325	19.4	1,45,512	79.6	100 ≤ अग्रि	211	12.6	80,425	72.9
100 > ज	1,349	80.6	37,350	20.4	100 > अग्रि	1,463	87.4	29,878	27.1

ज: जमाराशियाँ, अग्रि: अग्रिम

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

[5] टियर I बैंक: i) एक ही जिले में कार्यरत बैंक जिसकी जमाराशि 100 करोड़ रु पए से कम है, ii) 100 करोड़ रु पए से कम जमाराशि वाले उन बैंकों को टियर I के रू प में माना जाएगा यदि उनकी शाखाएं पास-पास के जिलों में हों तथा एक जिले की शाखाओं की जमाराशि तथा अग्रिम अलग से बैंक की कुल जमाराशियों तथा अग्रिमों का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो, तथा iii) 100 करोड़ रु पए से कम जमाराशि वाले उन बैंकों को टियर I के रू प में माना जाएगा जिनकी शाखाएं मुलत: एक ही जिले में थीं परंतु जिले के पुनर्गठन के कारण वे कई जिलों में आ गयीं।

टियर II बैंक: उन सभी बैंकों को टियर II के रू प में माना जाएगा जो टियर I में शामिल नहीं है।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का प्रोफाइल
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

	यूसीबी की संख्या			जमाराशियां			उधार और अग्रिम			आस्तियां		
श्रेणी	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**	**टियर I**	**टियर II**	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनुसूचित	-	53	53	-	80,207	80,207	-	48,951	48,951	-	1,04,228	1,04,228
गैर अनुसूचित	1,353	268	1,621	37,350	65,305	1,02,655	22,630	38,722	61,352	50,674	81,156	1,31,830
कुल	**1,353**	**321**	**1,674**	**37,350**	**1,45,512**	**1,82,862**	**22,630**	**87,673**	**1,10,303**	**50,674**	**1,85,384**	**2,36,058**
सभी यूसीबी के प्रतिशत रूप में												
अनुसूचित	-	3.2	3.2	-	43.9	43.9	-	44.4	44.4	-	44.2	44.2
गैर अनुसूचित	80.8	16.0	96.8	20.4	35.7	56.1	20.5	35.1	55.6	21.5	34.4	55.8
कुल	**80.8**	**19.2**	**100.0**	**20.4**	**79.6**	**100.0**	**20.5**	**79.5**	**100.0**	**21.5**	**78.5**	**100.0**

'-': शून्य
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

ग्रेड III और ग्रेड IV में अनुसूचित टियर I में आई कमी के कारण थी। चूंकि इन बैंकों को वित्तीय रूप से कमज़ोर माना जाता है, अत: इन बैंकों की संख्या में कमी का निहितार्थ है *अन्य बातें अपरिवर्तित रहते हुए*, क्षेत्र की वित्तीय मज़बूती में समग्र सुधार। इसका कारण रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई समेकन की प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख बॉक्स V.1 में किया गया है ।

यूसीबी के तुलनपत्र का परिचालन

5.12 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के तुलन पत्रों में उच्च दर से विस्तार हुआ, जिसके लिए देयता पक्ष की जमाराशियां और आस्ति पक्ष में निवेश तथा उधार एवं अग्रिम का संवितरण जिम्मेदार थे। यद्यपि मार्च 2010 के अंत में पूंजी की वृद्धि में तेजी आई तथापि इसी अवधि में आरक्षित निधियों में भी लागभग 20 प्रतिशत उच्च दर पर, हालांकि अवमंदित गति से, वृद्धि हुई। यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख देयता जमाराशियां थीं, जिसका निहितार्थ है कि यह क्षेत्र संसाधनों के लिए जमाराशियों पर बुरी तरह निर्भर है। आस्ति पक्ष में, एक ओर उधार और अग्रिम कुल आस्तियों का लगभग आधा है, वहीं निवेश में उच्चतर दर से वृद्धि हुई तथा वे कुल आस्तियों के एक-तिहाई से मामूली अधिक हैं (सारणी V.4)।

5.13 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में, अनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्रों में गैरअनुसूचित यूसीबी के तुलनपत्रों की तुलना में उच्चतर विस्तार परिलक्षित हुआ। अनुसूचित और गैरअनुसूचित दोनों खण्डों में तुलनपत्रों में हुए विस्तार में देयता पक्ष की जमाराशियों का अंशदान था। तथापि आस्ति पक्ष में, जहां अनुसूचित यूसीबी ने अपनी निधियों का उपयोग उधार और अग्रिमों के संवितरण एवं निवेश के लिए किया, वहीं गैरअनुसूचित यूसीबी ने अपनी निधियों का उपयोग मूल रूप से निवेश के लिए किया।

शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

5.14 यूसीबी के निवेश प्रोफाइल से पता चलता है कि यूसीबी का अधिकांश निवेश एसएलआर लिखतों में हुआ था, जो मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के कुल निवेशों के 80 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश मार्च 2010 के अंत में कुल एसएलआर निवेशों का लगभग आधा था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूसीबी का दूसरा प्रमुख निवेश डीसीसीबी की सावधि जमा में था। राज्य सहकारी बैंकों की मीयादी जमाराशियों में यूसीबी ने काफी राशि जमा की थी। यह शहरी और ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों की अंतर-संबद्धता को उजागर करता है (सारणी V.5)।

5.15 तथापि, पिछले साल की तुलना में मार्च 2010 के अंत में अनुसूचित यूसीबी का गैर एसएलआर निवेश गैरअनुसूचित यूसीबी के मुकाबले उच्च दर से बढ़ा । इसके विपरीत, ''गैर-अनुसूचित'' यूसीबी का एसएलआर निवेश, अनुसूचित यूसीबी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ा (सारणी V.6)।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. पूंजी	1,417	1,672	3,720	3,975	5,137	5,647
	(1.6)	(1.6)	(3.3)	(3.0)	(2.6)	(2.4)
2. आरक्षित निधियां	9,286	10,576	11,706	14,520	20,992	25,096
	(10.7)	(10.1)	(10.3)	(11.0)	(10.4)	(10.6)
3. जमाराशियां	66,713	80,207	90,329	1,02,655	1,57,042	1,82,862
	(76.9)	(77.0)	(79.1)	(77.9)	(78.2)	(77.5)
4. उधार राशियाँ	1,141	1,093	566	454	1,707	1,547
	(1.3)	(1.0)	(0.5)	(0.3)	(0.8)	(0.7)
5. अन्य देयताएं	8,205	10,680	7,861	10,225	16,066	20,905
	(9.5)	(10.2)	(6.9)	(7.8)	(8.0)	(8.9)
आस्तियां						
1. हाथ में नकदी	543	586	1,529	1,632	2,072	2,218
	(0.6)	(0.6)	(1.3)	(1.2)	(1.0)	(0.9)
2. बैंकों में शेष	5,953	6,278	10,267	6,287	16,220	12,565
	(6.9)	(6.0)	(9.0)	(4.8)	(8.1)	(5.3)
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,203	406	727	1,060	1,930	1,466
	(1.4)	(0.4)	(0.6)	(0.8)	(1.0)	(0.6)
4. निवेश	26,629	33,427	38,475	51,920	65,104	85,347
	(30.7)	(32.1)	(33.7)	(39.4)	(32.4)	(36.2)
5. ऋण और अग्रिम	40,504	48,951	55,730	61,353	96,234	1,10,304
	(46.7)	(47.0)	(48.8)	(46.5)	(47.9)	(46.7)
6. अन्य आस्तियां	11,930	14,580	7,454	9,577	19,384	24,157
	(13.8)	(14.0)	(6.5)	(7.3)	(9.6)	(10.2)
कुल देयताएं /आस्तियां	**86,762**	**1,04,228**	**1,14,182**	**1,31,829**	**2,00,944**	**2,36,057**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी : 1. मार्च 2010 के अंत के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताएं / आस्ति का प्रतिशत हैं।

यूसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.16 क्षेत्र में किए गए उपायों के फलस्वरूप, यूसीबी के वित्तीय निष्पादन में पिछले एक दशक की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार आया है। अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र, जो पहले हानि में था, 2003-04 से समग्र रूप से निवल लाभ की रिपोर्टिंग करने लगा। तदनुसार पिछले एक दशक के दौरान अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्णन प्रभाव के कारण 2008-09 और 2009-10 में निवल लाभों में कमी आई। परिणामस्वरूप क्षेत्र में 2007-08 की तुलना में पिछले दो वर्षों में आरओए में कमी रिपोर्ट की है। आरओए में गिरावट मुख्य रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) और गैर ब्याज मार्जिन (गैर-आइएम) में गिरावट के कारण थी। पिछले एक दशक के लिए अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) का विश्लेषण बॉक्स V.2 में दिया गया है।[6]

[6] बॉक्स V.2 में किया गया विश्लेषण केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है क्योंकि गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के समय श्रृंखला आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घटबढ़ प्रतिशत
	2009	2010अ	2010अ
1	2	3	4
कुल निवेश (क+ख)	**65,104**	**85,347**	31.1
	(100.0)	**(100.0)**	
क.एसएलआर निवेश (i से vi)	**54,871**	**69,338**	26.4
	(84.3)	**(81.2)**	
i) केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	34,187	40,656	18.9
	(52.5)	(47.6)	
ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	4,342	6,833	57.4
	(6.7)	(8.0)	
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	410	393	-4.1
	(0.6)	(0.5)	
iv) राज्य सहकारी बैंकों में सावधि जमा	5,281	6,189	17.2
	(8.1)	(7.3)	
v) डीसीसीबी में सावधि जमा	9,116	13,850	51.9
	(14.0)	(16.2)	
vi) अन्य, यदि कोई हो	1,535	1,417	-7.7
	(2.4)	(1.7)	
ख. गैर एसएलआर निवेश	**10,233**	**16,009**	56.4
	(15.7)	**(18.8)**	

अ: अनंतिम.

टिप्पणी: 1. गैर एसएलआर निवेशों में ऋण और मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड के वाणिज्य पत्र, डिबेंचर्स, बांड और यूनिटें सम्मिलित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

5.17 यूसीबी क्षेत्र के लाभ और हानि लेखा की सभी प्रमुख मदों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में कमी आई। तथापि यह कमी व्यय पक्ष की तुलना में आय पक्ष में अधिक थी, जिसके चलते पिछले वर्ष की तुलना में समग्र परिचालन लाभों में कमी आ गई। यद्यपि प्रावधानों और आकस्मिकताओं में कमी थी, तथापि यह कमी परिचालन लाभों में आई गिरावट को पूरा न कर सकी। अतः पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में निवल लाभों में गिरावट परिलक्षित हुई। तदनुसार, मार्च 2009 के अंत की तुलना में मार्च 2010 के अंत में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में गिरावट हुई। गैर ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष के अनुरूप मार्च 2010 के अंत में ऋणात्मक बना रहा। गैर ब्याज आय में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में समग्र रूप में गिरावट दर्ज हुई।

5.18 अनुसूचित यूसीबी की ब्याज आय पिछले साल की तुलना में मार्च 2010 के अंत में गैर-अनुसूचित यूसीबी की ब्याज आय की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। इसके बावजूद गैर-अनुसूचित यूसीबी उक्त अवधि के दौरान अपने परिचालनात्मक व्ययों, विशेष रूप से स्टाफ व्यय, में कमी के कारण उच्च लाभ दर्ज करने में सफल रहे। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों ही क्षेत्रों में ब्याजेतर आय में कमी दर्ज हुई (सारणी V.7)।

5.19 तदनुसार, जहाँ एक ओर अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के आरओए में कमी दर्ज हुई, वहीं गैर-अनुसूचित क्षेत्र के आरओए में वृद्धि हुई है। अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के बैंकवार आरओए से पता चलता है कि कुछ बैंक भारी हानि उठा रहे थे, जबकि कुछ मार्जिन पर हैं, अर्थात उनकी स्थिति न तो लाभ की है और न ही हानि की, तथा अधिकांश बैंक 0 से

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवेश का संयोजन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7
एसएलआर निवेश	31,587	41,293	23,284	28,045	54,871	69,338
	(82.1)	(79.5)	(87.4)	(83.9)	(84.3)	(81.2)
गैर एसएलआर निवेश	6,888	10,627	3,345	5,382	10,233	16,009
	(17.9)	(20.5)	(12.6)	(16.1)	(15.7)	(18.8)
कुल निवेश	**38,475**	**51,920**	**26,629**	**33,427**	**65,104**	**85,347**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

अ: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

बॉक्स V.2: संभावित आरओए की तुलना में वास्तविक आरओए - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का विश्लेषण

अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ में पिछले एक दशक में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी। आरओए जो वर्ष 2002-03 तक नकारात्मक था, वर्ष 2003-04 में सकारात्मक हो गया और इसके बाद सकारात्मक बना रहा। तथापि, पिछले दो वर्ष में आरओए में गिरावट की प्रवृत्ति रही।

पिछले एक दशक में वास्तविक आरओए में उसकी संभावित क्षमता से हुए विचलन को समझने का प्रयास किया गया है। संभावित क्षमता आरओए की गणना के लिए पिछले एक दशक के दौरान सर्वोच्च निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) तथा गैर ब्याज मार्जिन (नॉन आइएम) तथा प्राप्त न्यूनतम प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को हिसाब में लिया जाता है (सारणी)।

चार्ट से पता चलता है कि वास्तविक आरओए दशक के दौरान अपने संभावित से विचलित हुआ है। विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तविक आरओए का विचलन अपने संभावित से मुख्यतया दशक के प्रथम अर्धांश में उच्च प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं के कारण हुआ था। तथापि बाद के वर्षों में क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और इस प्रकार प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में कमी आई। इस प्रकार, दशक के उत्तर अर्धांश में आरओए अपने संभावित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका जो मुख्यतया न्यून एनआइएम और गैर आइएम के कारण था। तथापि, न्यून गैर आइएम के कारण आरओए का अप्राप्त भाग

चार्ट : अनुसूचित यूसीबी के अप्राप्त आरओए का वियोजन

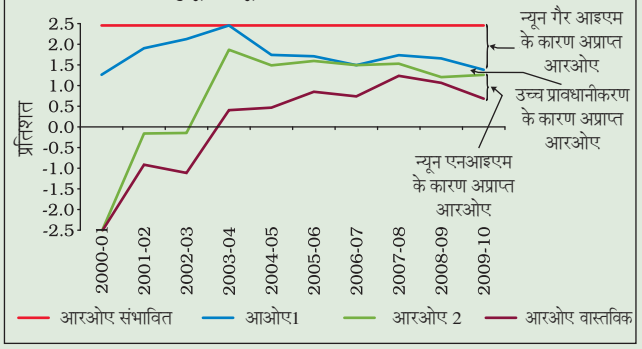

दशक के उत्तर अर्धांश में न्यून एनआइएम के कारण होने वाले उसके अप्राप्त भाग से उच्च था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नकारात्मक और गिरावटोन्मुख गैर आइएम ही वह मुख्य कारक है जिसका गिरावटोन्मुखी दबाव अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के वास्तविक आरओए पर रहा है, तथा उसके बाद एनआइएम का स्थान है। पिछले दो वर्षों के दौरान यूसीबी के एनआइएम और गैर आइएम में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

सारणी : अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1. एनआइएम	**3.1**	2.3	2.1	1.6	2.0	2.3	2.3	2.8	2.9	2.5
2. गैर आइएम	-1.4	-0.7	-0.5	**-0.2**	-0.9	-0.9	-1.1	-0.9	-1.0	-1.2
3. प्राव/आस्तियां	4.2	2.5	2.7	1.0	0.7	0.5	**0.4**	0.6	0.9	0.6
4. आरओए $_{\text{संभावित}}$	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5. आरओए 1	1.3	1.9	2.1	2.5	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.4
6. आरओए 2	-2.5	-0.2	-0.1	1.9	1.5	1.6	1.5	1.5	1.2	1.3
7. आरओए $_{\text{वास्तविक}}$	-2.5	-0.9	-1.1	0.4	0.5	0.9	0.7	1.2	1.1	0.7

आरओए $_{\text{संभावित}}$: सर्वोच्च एनआइएम और गैर आइएम, तथा न्यूनतम प्रावधानीकरण को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
आरओए 1 : सर्वोच्च एनआइएम और न्यूनतम प्रावधानीकरण तथा वास्तविक गैर आइएम को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
आरओए 2 : सर्वोच्च एनआइएम और वास्तविक प्रावधानीकरण तथा गैर आइएम को उपयोग में लाते हुए गणना की गई।
टिप्पणी : 1) बोल्ड में दिए गए आंकड़े अधिकतम एनआइएम और गैर आइएम, तथा पिछले एक दशक के दौरान अनुसूचित यूसीबी द्वारा आस्तियों के लिए किए गए न्यूनतम प्रावधानीकरण हैं।
2) 2009-10 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

1 प्रतिशत बैंड के भीतर हैं। हानि देनेवाले बैंकों की उपस्थिति चिंता का विषय है, विशेष रूप से अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र में, क्योंकि अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र के बैंक बृहदाकार बैंक हैं जो बड़ा बैंकिंग कारोबार करते हैं (चार्ट V.3, और परिशिष्ट सारणी V.1 और V.2)।

यूसीबी की वित्तीय मजबूती

आस्ति गुणवत्ता

5.20 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में समग्रतया तथा प्रतिशत दोनों ही अर्थों में सुधार परिलक्षित हुआ। तथापि यूसीबी क्षेत्र के सकल और निवल अनर्जक उधार, दोनों ही उच्चतर स्तर पर बने रहे (चार्ट V.4)।

5.21 अनर्जक उधारों में कमी के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के कवरेज अनुपात में भी वृद्धि हुई, जो क्षेत्र की वित्तीय मजबूती में सुधार की ओर इंगित करती है (सारणी V.8)।

पूंजी पर्याप्तता

5.22 मार्च 2010 के अंत में अधिकांश यूसीबी 9 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर मानदंड का पालन कर रहे थे। तथापि लगभग 13.7 प्रतिशत यूसीबी पूंजी पर्याप्तता संबंधी विनियामक मानदंड को पूरा

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी यूसीबी	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7
क. कुल आय (i+ii)	**7,714**	**8,341**	**10,695**	**11,688**	**18,409**	**20,029**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
i. ब्याज आय	6,803	7,593	9,828	10,865	16,631	18,458
	(88.2)	(91.0)	(91.9)	(93.0)	(90.3)	(92.2)
ii गैर ब्याज आय	911	748	867	823	1,778	1,571
	(11.8)	(9.0)	(8.1)	(7.0)	(9.7)	(7.8)
ख. कुल व्यय (i+ii)	**6,133**	**7,156**	**8,814**	**9,756**	**14,947**	**16,912**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
i. ब्याज व्यय	4,444	5,226	6,241	7,013	10,685	12,239
	(72.5)	(73.0)	(70.8)	(71.9)	(71.5)	(72.4)
ii. गैर ब्याज व्यय	1,689	1,930	2,573	2,743	4,262	4,673
	(27.5)	(27.0)	(29.2)	(28.1)	(28.5)	(27.6)
जिसमें से : वेतन बिल	815	1,192	1,548	1,670	2,363	2,862
ग. लाभ						
i. परिचालन लाभ की राशि	1,581	1,185	1,881	1,931	3,461	3,116
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	719	533	1,180	1,099	1,899	1,632
iii. निवल लाभ की राशि	862	652	701	832	1,562	1,484
ज्ञापन मद						
i. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7
ii. इक्विटी पर प्रतिलाभ	9.2	5.7	5.1	4.9	6.8	5.2
iii. निवल ब्याज मार्जिन	2.9	2.5	3.3	3.1	3.1	2.8
iv. ब्याजेतर मार्जिन	-1.0	-1.2	-1.6	-1.6	-1.3	-1.4

अः अनंतिम

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
2. ज्ञापन मदों के रूप में दिए गए अनुपात औसत आस्ति अथवा ईक्विटी के डिनोमिनेटर के रूप में रखकर प्राप्त किया गया है।

चार्ट V.3 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

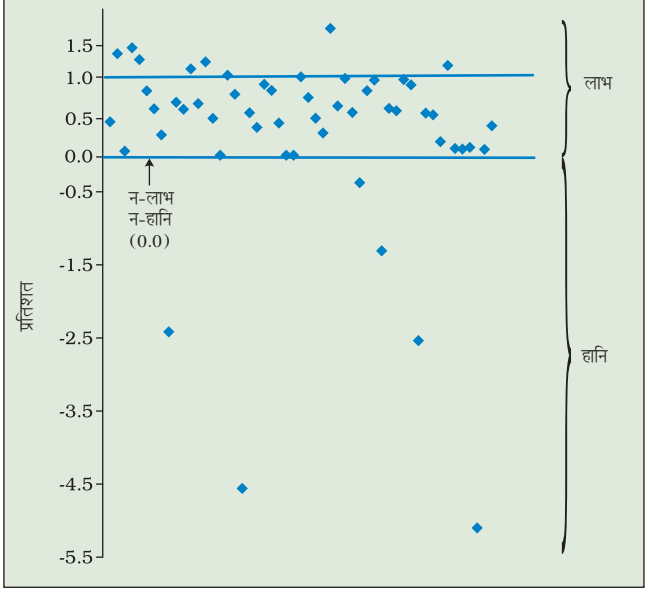

करने में असफल रहे। गैर-अनुसूचित श्रेणी की तुलना में अनुसूचित यूसीबी के मामले में लीवरेज उच्चतर था (सारणी V.9)।

5.23 अनुसूचित यूसीबी के सीआरएआर संबंधी बैंकवार आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि उनमें से अधिकांश 9 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर से कहीं अधिक का अनुरक्षण कर रहे थे, वहीं कुछ अनुसूचित यूसीबी न्यूनतम स्तर को पूरा नहीं कर पाये, तथा सर्वाधिक चेतावनी वाली बात यह थी कि उनमें से ही नौ यूसीबी ने मार्च 2010 के अंत में नकारात्मक सीआरएआर रिपोर्ट किया (चार्ट V.5 तथा परिशिष्ट सारणी V.1)।

चलनिधि

5.24 यूसीबी के तुलनपत्रों पर आधारित कच्चे विश्लेषण से पता चलता है कि भले ही यूसीबी अपने निवेशों का 100 प्रतिशत चलनिधि

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का अनुपात

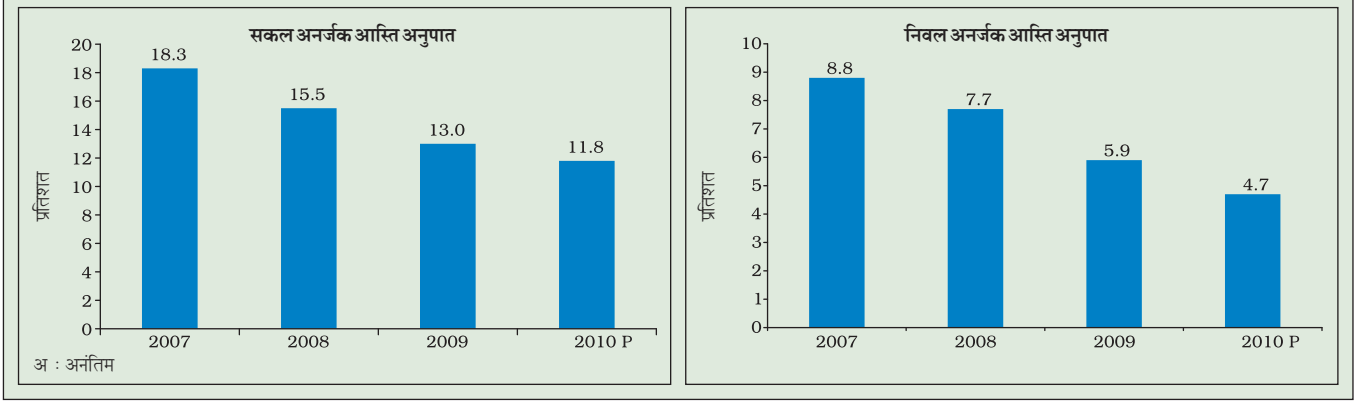

अ : अनंतिम

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां	प्रावधान	व्याप्ति अनुपात
1	2	3	4	5
2009	12,862	5,161	7,701	59.9
2010P	12,727	4,724	8,003	62.9

अः अनंतिम

टिप्पणी: व्याप्ति अनुपात की गणना सकल एनपीए के प्रति प्रावधान के रूप में किया है।

आस्तियों, अर्थात जिनकी बिक्री एक से पांच दिनों के भीतर की जा सकती हो, में रखते हों, तथापि ये बैंक जमाराशिं निकालने के लिए भगदड़ होने पर बिना किसी बाह्य सहायता के मात्र 50.9 प्रतिशत का ही प्रबंधन कर पाने के योग्य रहेंगे। इस विश्लेषण के लिए प्रयोग में लायी गयी कार्यविधि और पूर्वधारणाएं बॉक्स V.3 में दी गई हैं।

सारणी V.9 : सीआरएआर के अनुसार लीवरेज अनुपात (एलआर) और यूसीबी का वितरण
(मार्च 2010 के अंत में)

सीआरएआर का दायरा (प्रतिशत)	एल आर	सीआर एआर<3	3≤सीआर एआर<6	6≤सीआर एआर≥9	सीआर एआर≥9
1	2	3	4	5	6
गैर-अनुसूचित	14.0	135	25	58	1,403
		(8.3)	(1.5)	(3.6)	(86.6)
अनुसूचित	11.8	9	2	1	41
		(17.0)	(3.8)	(1.9)	(77.4)
सभी यूसीबी	**13.0**	**144**	**27**	**59**	**1,444**
		(8.6)	**(1.6)**	**(3.5)**	**(86.3)**

टिप्पणी: 1. यूसीबी क्षेत्र के लिए समग्र रूप में समेकित सीआरएआर और लीवरेज अनुपात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि अलग-अलग बैंकों में हुई घट बढ़ बड़े पैमाने पर है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं?
3. लीवरेज अनुपात की गणना कुल औसत आस्तियों के प्रति 'पूंजी और आरक्षित निधि' के रूप में ली गई है।
4. आंकड़े अनंतिम है।

चार्ट V.5 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर

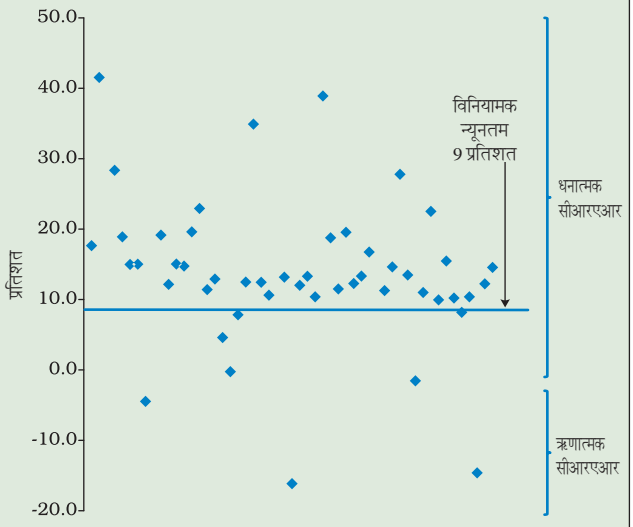

टिप्पणी : मार्च 2010 के अंत में अत्यधिक ऋणात्मक मूल्य के कारण चार शहरी सहकारी बैंकों को इस चार्ट से निकाल दिया गया है (कृपया परिशिष्ट सारणी V.1 देखें)।

वित्तीय समावेशन और यूसीबी

5.25 वाणिज्य बैंकों के साथ-साथ यूसीबी भी जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं को अधिक-से-अधिक संख्या में बैंकिंग के औपचारिक नेटवर्क में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत हैं।

नो फ्रिल्स खाते

5.26 अब तक की गई पहलों में बैंकिंग नेटवर्क को विस्तृत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था 'नो फ्रिल्स खाते' प्रारंभ करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीबी ने भी अब तक बड़ी संख्या में नो फ्रिल्स खाते खोले हैं। चूंकि गैर-अनुसूचित यूसीबी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में अधिक बैंकिंग कारोबार करते हैं, अतः

बॉक्स V.3: शहरी सहकारी बैंकों का तरलता विश्लेषण

यूसीबी संसाधनों के लिए जमाराशियों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इस संदर्भ में बाह्य कारकों, जैसे इन बैंकों से जनता का भरोसा उठ जाना, के कारण जमाराशियाँ आहरित करने के लिए भगदड़ होने पर इस क्षेत्र का सशक्तता परीक्षण करने के लिए चलनिधि तनाव (स्ट्रेस) परीक्षण करना आवश्यक है। तथापि, तनाव परीक्षण संचालित करके, अर्थात जमाराशियां निकालने की होड़ जैसी स्थिति उत्पन्न करके कम स्तर का झटका देकर यूसीबी की चलनिधि स्थिति का विश्लेषण करना यूसीबी के निवेशों की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल उपलब्ध न होने के कारण संभव नहीं था। बैंकवार विश्लेषण भी डेटा उपलब्ध न होने के कारण संभव नहीं था। इस प्रकार, यूसीबी क्षेत्र के समेकित तुलनपत्रों के आधार पर यूसीबी की आस्ति प्रोफाइल के बारे में कतिपय पूर्वधारणाएं बनाते हुए उनका कच्चा विश्लेषण किया गया है। ये पूर्वधारणाएं मोटे तौर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के चलनिधि तनाव परीक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में की गई पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं।

पूर्वधारणाएं

1. ऐसा माना जाता है कि जमाराशियों का तनावपूर्ण आहरण पांच दिनों की अवधि में होता है।
2. ऐसा माना जाता है कि यूसीबी जमाराशियां आहरण के लिए भगदड़ होने पर उसकी पूर्ति बाहरी मदद का सहारा लिए बिना पहले अपने पास उपलब्ध तरल संसाधनों से कर सकती हैं।
3. यूसीबी की आस्तियों के अंतर्गत उधार और अग्रिम तथा अन्य आस्तियों को, जिनमें अन्य के साथ-साथ अतिदेय प्राप्य ब्याज, परिसर, फर्नीचर, जुड़नार, बिल्स तथा क्रीत और बट्टा किए गए बिल शामिल हैं, अतरल आस्तियों के रूप में माना जाता है।
4. इसके अलावा बैंकों में नकदी, शेषराशियां तथा मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा को तरल आस्ति माना जाता है।
5. इन तरल आस्तियों के अलावा चलनिधि निवेश, अर्थात एक दिन से पांच दिन के भीतर विक्रेय निवेश, भी जमाराशि आहरण की भगदड़ को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगे।

चार्ट : तरल निवेशों की तुलना में जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधनयोग्य स्तर

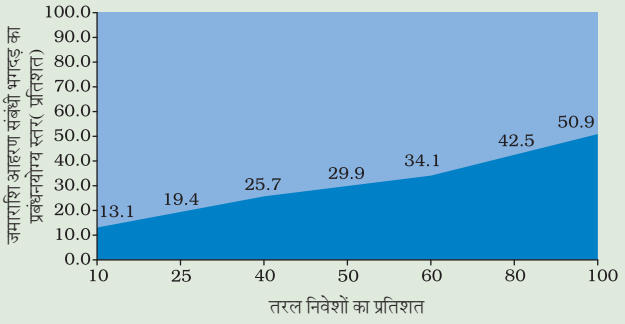

6. ऐसा माना जाता है कि तरल निवेशों की बिक्री दस प्रतिशत हेअरकट पर होती है।
7. कुल निवेशों के विभिन्न प्रतिशतों को तरल मानकर सात परिदृश्य निर्मित किए गए हैं।

निर्मित किए गए परिदृश्य कड़ी पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं जो आत्यंतिक हैं। वर्ष 2009-10 के लिए तरल निवेशों के विभिन्न प्रतिशतों पर जमाराशियों के आहरण के लिए भगदड़ के प्रबंधन योग्य स्तर की विस्तृत गणना सारणी में प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण में प्रयुक्त आंकड़े अनंतिम है।

तरल निवेशों के विभिन्न स्तरों के लिए कुल जमाराशियों के प्रति कुल तरल निधियों के रूप में परिकल्पित जमा आहरण की भगदड़ का प्रबंधनीय स्तर चार्ट में प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि, यूसीबी अपने निवेश का 100 प्रतिशत तरल आस्तियों में रखते हैं तो, वे बिना किसी बाहरी मदद के 50.9 प्रतिशत मात्र के जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि यूसीबी के कुल निवेशों का 80 प्रतिशत निवेश एसएलआर में है। यदि हम यह मान लें कि समस्त एसएलआर निवेश पांच दिनों के भीतर बेचे जा सकते हैं, तो यूसीबी 42.5 प्रतिशत मात्र के जमाराशि आहरण संबंधी भगदड़ का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे।

सारणी : यूसीबी का तरलता विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	परिदृश्य						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	2	3	4	5	6	7	8
1. नकदी	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218	2,218
2. बैंकों में शेष राशियां	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565	12,565
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466
4. कुल निवेश	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347	85,347
5. तरल निवेशों का प्रतिशत	**10**	**25**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
6. वास्तविक तरल निवेश	8,535	21,337	34,139	42,674	51,208	68,278	85,347
7. बिक्री पर दस प्रतिशत हेअरकट	853	2,134	3,414	4,267	5,121	6,828	8,535
8. तरल निवेशों की बिक्री (6-7)	7,681	19,203	30,725	38,406	46,087	61,450	76,812
9. कुल तरल निधियां (1+2+3+8)	23,930	35,452	46,974	54,655	62,336	77,699	93,061
जमा आहरण के भगदड़ का प्रबंध योग्य स्तर	**13.1**	**19.4**	**25.7**	**29.9**	**34.1**	**42.5**	**50.9**

अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में गैर-अनुसूचित क्षेत्र में जमा खाते, नो फ्रिल्स खाते तथा उधार खाते भी अधिक संख्या में थे। तथापि, अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में गैर-अनुसूचित क्षेत्र के उधार खातों का हिस्सा चौंकाने वाला था क्योंकि संपूर्ण यूसीबी क्षेत्र के कुल उधार खातों का सिर्फ आठ प्रतिशत हिस्सा ही अनुसूचित क्षेत्र के पास था (सारणी V.10)।

सारणी V.10 : यूसीबी की जमाराशियां और उधारियों के खातों संबंधी ब्यौरे
(मार्च 2010 के अंत में)

मद	अनुसूचित	गैर-अनुसूचित	सभी यूसीबी
1	2	3	4
जमा खातों की संख्या	2,19,15,317 (35.5)	3,98,45,850 (64.5)	6,17,61,167
जिसमें से : नो फ्रिल खाते	3,41,434 (27.5)	8,98,007 (72.5)	12,39,441
उधार खातों की संख्या	12,51,546 (8.0)	1,43,03,228 (92.0)	1,55,54,774
ज्ञापन मद			
कर्ज-जमाराशि अनुपात	61.0	59.8	60.3
प्रति खाता औसत जमाराशियां रुपये में	36,599	25,763	29,608
प्रति खाता औसत उधार रुपये में	3,91,124	42,895	70,913

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हैं।

2. प्रति खाता औसत जमाराशि तथा प्रति खाता औसत उधार में यह तथ्य भी सम्मिलित हो सकतै है कि एक ही व्यक्ति के नाम कई जमा खाते और उधार खाते हो सकते हैं।

3. आकड़े अनंतिम हैं।

सारणी V.11: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से* कमजोर वर्ग	
	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश	राशि	कुल अग्रिम में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
कृषि और संबंधित कार्य-कलाप	6,383	5.8	2,225	2.0
1. प्रत्यक्ष वित्त	1,882	1.7	611	0.6
2. अप्रत्यक्ष वित्त	4,501	4.1	1,614	1.5
खुदरा व्यापार	10,429	9.5	3,005	2.7
छोटे उद्यम	29,279	26.5	4,400	4.0
1. प्रत्यक्ष वित्त	20,622	18.7	3,207	2.9
2. अप्रत्यक्ष वित्त	8,657	7.8	1,193	1.1
शैक्षिक उधार	1,838	1.7	591	0.5
आवास उधार	17,923	16.2	5,213	4.7
सूक्ष्म कर्ज	4,779	4.3	2,077	1.9
अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन	754	0.7	387	0.4
कुल	**71,385**	**64.7**	**17,898**	**16.2**

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम

5.27 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार का लक्ष्य[7], जो 1983 में लागू किया गया था, मुख्य रूप से कुल कर्ज़ के एक भाग को अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को दिए जाने के लिए था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कमज़ोर वर्ग, छोटे उद्यम, और आवास सम्मिलित हैं। 7 मार्च 2010 के अंत में, यूसीबी के कुल अग्रिमों का लगभग 65 प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया, जिसमें से कुल अग्रिमों के 16 प्रतिशत से अधिक कमज़ोर वर्गों को दिया गया (सारणी V.11)।

5.28 मार्च 2010 के अंत में यूसीबी के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार का संयोजन देखने से पता चलता है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा छोटे उद्यम क्षेत्र को गया और उसके बाद आवास तथा खुदरा व्यापार को। इसके अलावा, कमजोर वर्गों को दिए गए उधार के संयोजन को देखने से पता चलता है कि लगभग इसका एक-तिहाई हिस्सा आवास क्षेत्र को तथा एक-चौथाई हिस्सा छोटे उद्यमों को मिला (चार्ट V.6)।

भारत के सभी राज्यों में यूसीबी की आउटरीच (पहुँच)

5.29 राज्यों में यूसीबी के वितरण से पता चलता है कि मार्च 2010 के अंत में सभी यूसीबी का एक-तिहाई,यूसीबी की सभी शाखाओं का लगभग आधा, यूसीबी के कुल विस्तार काउंटरों का लगभग 60 प्रतिशत तथा यूसीबी के एटीएम के 85 प्रतिशत से अधिक महाराष्ट्र में अवस्थित है। तदनुसार, यूसीबी क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 60 प्रतिशत महाराष्ट्र में संकेंद्रित है, जिसके बाद शेष राज्यों में परिचालन का बहुत ही छोटा भाग शेष रहता है (चार्ट V.7)।

[7] पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके समायोजित निवल बैंक (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की कर्ज समतुल्य राशि, इनमें से जो भी अधिक हो का मानदंड जो देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए लागू है वह शहरी सहकारी बैंकों के लिए लिए भी लागू है।

चार्ट V.6: प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को यूसीबी के अग्रिमों का संयोजन
(मार्च 2010 के अंत में)

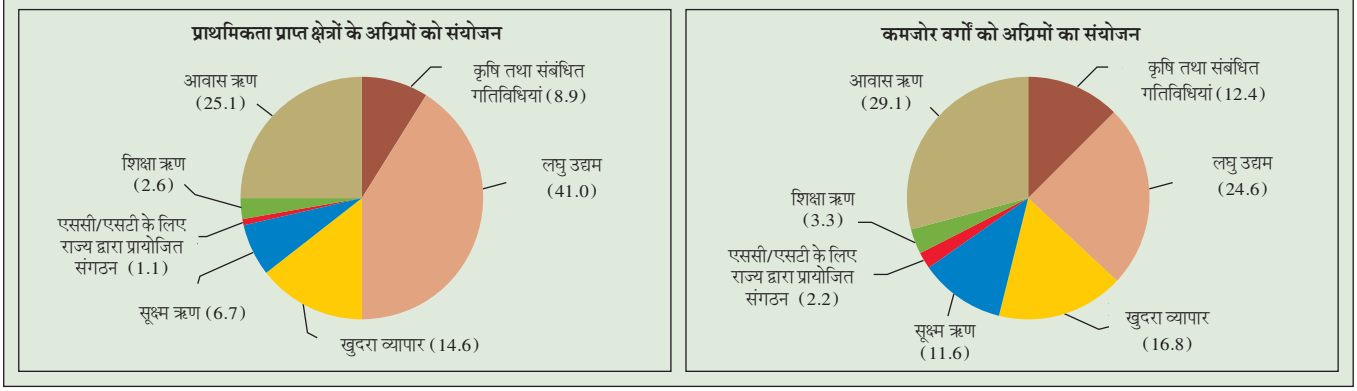

5.30 सामान्यीकृत हरफिन्डल-हिर्स्चमैन सूचकांक से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में यूसीबी का राज्यवार संकेंद्रण बढ़ा था। इसके अतिरिक्त, इससे यह भी पता चलता है कि राज्यवार संकेंद्रण एटीएम के मामले में अधिक था, जिसके बाद विस्तार काउंटरों, शाखाओं और यूसीबी की संख्या आती है। इसी प्रकार, बैंकिंग केंद्रों में यूसीबी के ग्रेडवार वितरण के लिए सामान्यीकृत हरफिन्डल-हिर्स्चमैन सूचकांक से पता चलता है कि ग्रेड I और ग्रेड II के यूसीबी की तुलना में संपूर्ण बैंकिंग केंद्रों में ग्रेड III और IV यूसीबी का संकेंद्रण अधिक था (सारणी V.12)।

चार्ट V.7: शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का वितरण

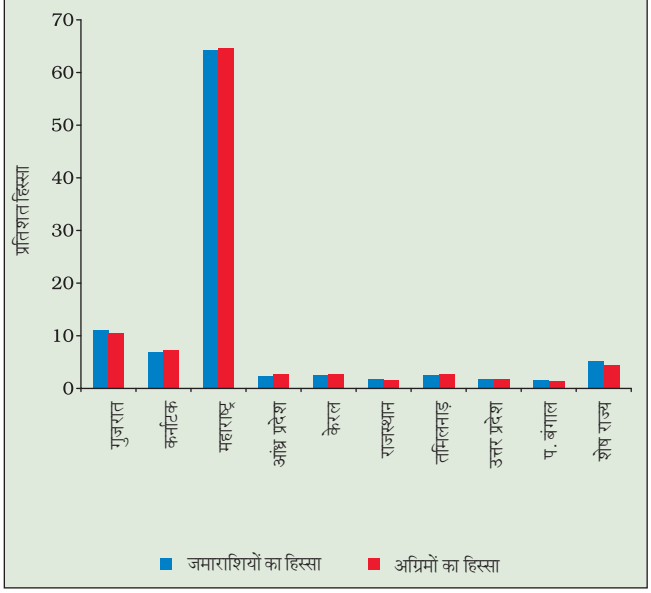

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

5.31 इस खंड में अद्यतन उपलब्ध आंकड़ा[8] का उपयोग करते हुए ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन, उनकी मजबूती और तुलनपत्र संकेतकों का विश्लेषण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों संदर्भों में, प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति

5.32 पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों की वित्तीय स्थिति में समग्र रूप से सुधार हुआ। मार्च 2009 के अंत में कुल ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के आधे ने लाभ रिपोर्ट किया। इस क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ मुख्यतया डीसीसीबी ने रिपोर्ट किए थे। मार्च 2009 के अंत में एसटीसीबी, डीसीसीबी और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) ने समग्र निवल लाभ की रिपोर्टिंग की, वहीं आधारभूत संस्थाओं यथा - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) ने समग्र निवल हानि रिपोर्ट की। वित्तीय निष्पादन में बढ़त के बावजूद इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र की

[8] ग्रामीण सहकारी कर्ज संस्थाओं (एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीएसीएस, एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर प्राप्त होते है, इस खंड में किया गया विश्लेषण वर्ष 2008-09 से संबंधित है।

सारणी V.12 : शहरी सहकारी बैंकों के राज्य-वार और केंद्र-वार ब्यौरे
(मार्च 2010 के अंत में)

राज्य	केंद्र	श्रेणी				संख्या			
		I	II	III	IV	सभी शहरी सहकारी बैंक	शाखाएं	विस्तार काउंटर	एटीएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	अहमदाबाद	118	98	12	21	249	874	10	69
कर्नाटक	बंगलूर	126	90	38	16	270	848	9	19
मध्य प्रदेश	भोपाल	13	24	11	5	53	91	1	-
उड़ीसा	भुवनेश्वर	2	5	2	3	12	45	4	-
पीबी/एचआर/एचपी	चंडीगढ़	7	5	1	3	16	40	3	2
तमिलनाडु	चेन्नै	98	27	1	4	130	313	-	4
उत्तराखंड	देहरादून	4	1	-	-	5	54	2	3
असम / पूर्वोत्तर	गुवाहाटी	9	6	1	1	17	40	1	-
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	65	34	4	8	111	245	5	2
राजस्थान	जयपुर	26	10	1	2	39	189	3	-
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3	-	-	1	4	16	4	-
पश्चिम बंगाल / सिक्किम	कोलकाता	30	4	3	11	48	101	2	1
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	48	6	9	7	70	190	28	8
महाराष्ट्र	मुंबई	216	91	51	45	557	3,407	122	731
	नागपुर	59	38	37	20				
नई दिल्ली	नई दिल्ली	11	2	1	1	15	65	1	-
बिहार / झारखंड	पटना	5	-	-	-	5	6	1	-
छत्तीसगढ़	रायपुर	7	3	2	1	13	21	2	1
केरल	टीवीएम	32	21	5	2	60	339	2	-
कुल		**879**	**465**	**179**	**151**	**1,674**	**6,884**	**200**	**840**

टीवीएम: तिरुअनंतपुरम पीबी:.पंजाब एचआर एचआर : हरियाणा एचपीः हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. शाखाएं प्रधान कार्यालय सह शाखा के रूप में हैं।

3. 840 एटीएम में से 26 ऑफ साइट एटीएम और बाकी ऑन साइट एटीएम हैं। ऑफ साइट एटीएम चार राज्यों में अर्थात 16 महाराष्ट्र में, 6 उत्तर प्रदेश में, 3 गुजरात में और एक कर्नाटक में हैं।

आस्ति गुणवत्ता में क्षरण परिलक्षित हुआ । मार्च 2009 के अंत में संपूर्ण ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के अनर्जक ऋणों का सबसे बड़ा भाग अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के हिस्से में था। बड़ी बात यह है कि आधारभूत संस्थाओं यथा - पीएसीएस और पीसीएआरडीबी ने अपने से ऊपर टियर वाले संस्थानों की तुलना में उच्च एनपीए (अनर्जक आस्ति) अनुपात दर्ज किया। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में दूसरी बड़ी बातयह थी कि भले ही अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं की निर्भरता उधारियों पर बहुत कम रहती आई (पीएसीएस को छोड़कर), दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं की निर्भरता उधारियों पर अत्यधिक रही (सारणी V.13)।

सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन

5.33 मार्च 2009 के अंत में लगभग एक-तिहाई ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (पीएसीएस को छोड़कर) के बोर्ड अधिक्रमण की प्रक्रिया में थे। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में अधिक्रमित बोर्डों की संख्या में कमी आई। मार्च 2009 के अंत में एससीएआरडीबी में अधिक्रमित बोर्डों की संख्या सर्वाधिक थी (सारणी V.14)।

सहकारी संस्थाओं की अल्पकालिक संरचना

5.34 अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं ने पिछले वर्ष की समग्र हानि की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र लाभ

सारणी V.13 ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरूप

(मार्च 2009 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अल्पकालिक			दीर्घकालिक		कुल
	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	370	95,633	20	697	96,751
ख. तुलनपत्र संकेतक						
i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित निधियाँ)	11,726	29,792	11,806	4,003	5,007	62,334
ii) जमाराशियां	68,659	1,27,623	26,245	711	400	2,23,638
iii) उधार राशियाँ	20,874	27,664	48,938	15,849	12,365	1,25,690
iv) जारी उधार और अग्रिम*	93,883	90,105	58,787	2,585	1,195	2,46,555
v) बकाया उधार और अग्रिम	48,079	99,429	64,044	16,421	11,268	2,39,241
vi) निवेश	45,230	64,709	-	2,941	1,122	1,14,002
vii) कुल देयताएं/आस्तियां	1,06,321	1,95,684	94,585+	25,386	24,846	4,46,822
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन						
i) लाभ वाली संस्थाएं						
क) संख्या	26	320	37,291	11	303	37,951
ख) लाभ की राशि	385	1,603	843	398	177	3,406
ii) हानि वाली संस्थाएं						
क) संख्या	5	50	45,869	8	309	46,241
ख) हानि की राशि	-71	-287	-1,915	-349	-375	-2,997
iii) समग्र लाभ (+)/हानि (-)	314	1,316	-1,072	49	-198	408
iv) संचित हानि	459	5,213	-	1,108	3,678	10,458
घ. अनर्जक आस्तियां						
i) राशि	5,764	17,929	37,937++	4,938	4,393	70,961
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	12.0	18.0	59.2	30.1	39.0	29.7
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	92	72	-	49	39	-

डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

*: अप्रैल - मार्च '-' : उपलब्ध नहीं +: कार्यशील पूंजी ++: कुल अतिदेय।

टिप्पणी: 1) आंकड़े अनंतिम हैं।

2) बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के वर्ष 2009-09 के आंकड़े दोहराए गए हैं।

3) बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के वर्ष 2008-09 के आंकड़े दोहराए गए हैं।

4) 2008-09 के दौरान 12,473 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां न लाभ न हानि की स्थिति में हैं।

5) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के महाराष्ट्र राज्य के आंकड़े वर्ष 2007-08 से 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।

6) मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।

स्रोत : नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफएससीओबी)।

रिपोर्ट किया। इन संस्थाओं की समग्र वित्तीय स्थिति के पलटने का मुख्य कारण डीसीसीबी द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और पिछले वर्ष की तुलना में पीएसीएस द्वारा रिपोर्ट की गई कम हानियां रही हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होने के अलावा इन संस्थाओं के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में प्रसार देखा गया। राज्य सहकारी बैंकों ने तुलनपत्रों में सर्वाधिक प्रसार दर्ज किया, जिसके बाद डीसीसीबी और पीएसीएस का स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया परंतु इसी अवधि के दौरान पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में क्षरण हुआ। ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं में बकाया ऋण के प्रति अनर्जक ऋण अनुपात का सर्वाधिक स्तर पीएसीएस द्वारा रिपोर्ट किया गया।

सारणी V.14: अधिक्रमण के अधीन निर्वाचित बोर्ड
(31 मार्च 2009 की स्थिति)

मद	राज्य सहकारी बैंक	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	**कुल**
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	370	20	697	**1,118**
(ii) उन संस्थाओं की कुल संख्या जहाँ बोर्ड अधिक्रमण केअधीन थे।	9	127	9	265	**410**
अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत [(ii) के प्रतिशत के रूप में (i)	**29.0**	**34.3**	**45.0**	**38.0**	**36.7**

एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक,डीसीसीबी:जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एससीएआरडीबी:राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक,पीसीएआरडीबी:प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

टिप्पणी: 1) बिहार के एससीएआरडीबी और बिहार और झारखंड के डीसीसीबी से संबंधित आकड़ों की 2008-09 के लिए पुनरावृत्ति की गई है।
2) मणिपुर में एससीएआरडीबी अप्रचलित है।
3) आकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

5.35 2008-09 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज हुई है जिसका श्रेय देयता पक्ष में जमाराशियों को और आस्ति पक्ष में निवेशों को जाता है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कर्ज तथा अग्रिमों में गिरावट आई। यद्यपि देयता पक्ष में जमाराशियों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़त हुई है, तथापि उधार राशियों के हिस्से में कमी आई है। तथापि, जमाराशियों में हुई वृद्धि का उपयोग ऋण प्रदान करने के बजाय निवेश निर्मित करने में किया गया जिसका प्रमुख कारण वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में इन बैंकों में बढ़े हुए जोखिम विमुखता की प्रवृत्ति और दूसरी ओर राजकोषीय लाभ उठाने की प्रवृत्ति हो सकता है (सारणी V.15)।

5.36 धारा 42(2) की विवरणियों से उपलब्ध 16 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रमुख तुलनपत्र संकेतकों की अद्यतन सूचना दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्रमुख संकेतकों में और सुधार हुआ। एसएलआर निवेशों की वृद्धि में 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान बढ़ोतरी दिखी। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा संवितरित बैंक ऋण में भी सुधार हुआ, जिसमें 2009-10 के दौरान सकारात्मक वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसमें कमी आई थी (सारणी V.16)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां
(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,534 (1.6)	1,569 (1.5)	23.2	2.3
2. आरक्षित निधि	9,905 (10.4)	10,157 (9.6)	6.5	2.5
3. जमाराशियां	56,325 (59.3)	68,659 (64.6)	16.0	21.9
4. उधार	22,577 (23.8)	20,874 (19.6)	1.4	-7.5
5. अन्य देयताएं	4,637 (4.9)	5,062 (4.8)	5.6	9.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	8,312 (8.8)	7,921 (7.4)	-10.5	-4.7
2. निवेश	31,541 (33.2)	45,230 (42.5)	30.7	43.4
3. ऋण और अग्रिम	50,028 (52.7)	48,079 (45.2)	5.6	-3.9
4. अन्य आस्तियां	5,095 (5.4)	5,092 (4.8)	2.5	-0.1
कुल देयताएं /आस्तियां	**94,977 (100.0)**	**1,06,321 (100.0)**	**10.8**	**11.9**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्ति / देयताों के प्रतिशत हैं।
2) बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े वर्ष 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।
3) 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल हैं जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी V 16 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार		
	2008	2009	2010
1	2	3	4
कुल जमाराशियां	42,396 (16.0)	52,568 (24.0)	65,175 (24.0)
बैंक कर्ज	46,886 (5.0)	42,372 -(9.6)	43,350 (2.3)
एसएलआर निवेश	15,773 (17.6)	17,179 (8.9)	23,905 (39.2)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत : धारा 42(2) के आंकड़ों की फार्म 'बी' विवरणी।

राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

5.37 राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में उच्च निवल लाभ, उच्च आरओए और उच्च आरओई के कारण पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार आया। राज्य सहकारी बैंकों के न केवल लाभप्रदता संकेतकों में सुधार हुआ बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में मुनाफा वाली संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सहकारी बैंकों के परिचालन लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई जो मुख्य रूप से आय में वृद्धि की तुलना में ब्याज व्ययों में और परिचालन व्ययों में अधिक वृद्धि के कारण थी। फिर भी, राज्य सहकारी बैंकों ने प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में कमी के कारण उच्च निवल लाभ दर्ज किए (सारणी V.17)।

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**6,194** (100.0)	**7,372** (100.0)	**18.1**	**19.0**
i. ब्याज आय	5,980 (96.5)	7,065 (95.8)	20.2	18.1
ii. अन्य आय	214 (3.5)	307 (4.2)	-20.2	43.3
ख. कुल व्यय (i+ii+iii)	**5,973** (100.0)	**7,058** (100.0)	**20.2**	**18.2**
i. ब्याज व्यय	4,586 (76.8)	5,563 (78.8)	23.7	21.3
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	543 (9.1)	419 (5.9)	8.1	-22.8
iii. परिचालन व्यय	844 (14.1)	1,076 (15.2)	11.5	27.4
जिसमें से :				
वेतन बिल :	458 (7.7)	498 (7.1)	15.1	8.7
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	764	733	-1.8	-4.0
ii. निवल लाभ राशि	221	314	-19.7	42.0
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.2	0.3		
iv. इक्विटी पर प्रतिलाभ	2.0	2.7		
v. निवल ब्याज मार्जिन	1.5	1.5		

अः अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं?

2. बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंकों के आंकड़े वर्ष 2008-09 के लिए दोहराए गए हैं।

स्रोत : नाबार्ड

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.38 राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में समग्र और प्रतिशत दोनों ही अर्थ में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। अनर्जक उधारों के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाते हैं कि हानि श्रेणी में सर्वाधिक गिरावट रही। इस प्रकार, कुल अनर्जक उधारों में हानि आस्तियों के हिस्से में 2007-08 की तुलना में 2008-09 में गिरावट आई। इसी प्रकार, अवमानकआस्तियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान गिरावट दिखी जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल अनर्जक उधारों में इसके हिस्से में कमी आई। अवमानक आस्तियों में गिरावट दर्शाती है कि अनर्जक उधारों में नई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में तुलनात्मक रूप से कम थी (चार्ट 8 तथा सारणी V.18)।

पूंजी पर्याप्तता

5.39 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कमी आई। चूंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे 'निवेश और अग्रिम' की तुलना में 'पूंजी और आरक्षित निधियों' के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया था। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत

चार्ट V.8 : राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन

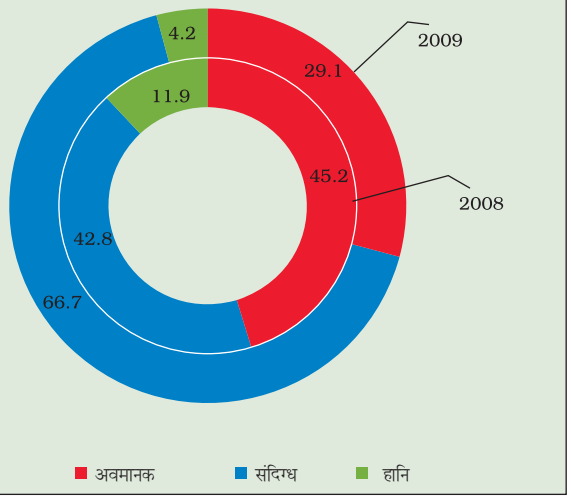

में कम हो गया। पूंजी पर्याप्तता में यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी और आरक्षित निधियों में मामूली वृद्धि की तुलना में निवेश में उच्च वृद्धि के कारण थी (सारणी V.18)।

सारणी V.18 : राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,191**	**5,764**	-7.7	-6.9
i) अवमानक	2,801	1,678	-5.3	-40.1
ii) संदिग्ध	2,653	3,843	1.1	44.9
iii) हानि	737	242	-34.3	-67.2
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**12.4**	**12.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	84.6	91.8		
ii) अपेक्षित प्रावधान	2,657	2,883	-5.8	8.5
iii) किया गया प्रावधान	3,000	3,309	-6.2	10.3
ग. सीआरएआर*	**14.0**	**12.6**		
घ.लीवरेज अनुपात	**12.0**	**11.0**		

अ: अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

स्रोत: नाबार्ड

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का तुलनपत्र परिचालन

5.40 डीसीसीबी ग्रामीण अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे के दूसरे टियर हैं[9]। 2008-09 के दौरान डीसीसीबी के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दिखी। डीसीसीबी के तुलनपत्र में वृद्धि देयता पक्ष की जमाराशियों और आस्ति पक्ष के निवेशों के कारण थी। देयता पक्ष में, डीसीसीबी के उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में गिरावट दिखी जो डीसीसीबी के द्वारा संसाधनों के लिए उधारों पर कम निर्भरता को दर्शाती है। इसके विपरीत, वर्ष के दौरान जमा संग्रहण में तेजी आई जिससे डीसीसीबी की कुल देयताओं के हिस्से में वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सहकारी बैंकों के मामले में, बढ़ा हुआ जमाराशि संग्रहण बढ़े हुए निवेशों में परिलक्षित हुआ बजाय ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि के। ऐसा या तो इन बैंकों के जोखिम से विमुख होने के कारण था अथवा खजाना अनुलाभों से फायदा उठाने के उद्देश्य से था (सारणी V.19)।

डीसीसीबी का वित्तीय निष्पादन

5.41 पिछले वर्ष की तुलना में डीसीसीबी के वित्तीय निष्पादन में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीसीसीबी ने पिछले वर्ष के दौरान सूचित निवल हानियों की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किये। इस प्रकार, इनकी वित्तीय स्थिति में भारी परिवर्तन दिखा। इस अवधि के दौरान लाभ कमाने वाले डीसीसीबी की संख्या में भी वृद्धि हुई। तदनुसार, आरओए और आरओई जैसे लाभप्रदता संकेतकों में भी पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान सुधार दिखा। राज्य सहकारी बैंकों के मामले में पाये गये रुझान के विपरीत, डीसीसीबी ने मार्च 2009 के अंत में मुख्य रूप से उच्च निवल ब्याज आय के कारण उच्चतर परिचालन लाभ सूचित किये। हालांकि, वृद्धि प्रावधानों

[9] उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इकहरा अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा है, इसलिए इन राज्यों में कोई डीसीसीबी नहीं है।

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,939 (3.3)	6,578 (3.4)	8.8	10.8
2. आरक्षित निधि	22,467 (12.6)	23,214 (11.9)	8.4	3.3
3. जमाराशियां	1,09,597 (61.3)	1,27,623 (65.2)	15.9	16.4
4. उधार	32,130 (18.0)	27,664 (14.1)	7.4	-13.9
5. अन्य देयताएं	8,749 (4.9)	10,605 (5.4)	5.8	21.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	10,609 (5.9)	12,918 (6.6)	-5.9	21.8
2. निवेश	48,228 (27.0)	64,709 (33.1)	17.6	34.2
3. ऋण और अग्रिम	1,01,221 (56.6)	99,429 (50.8)	13.7	-1.8
4. अन्य आस्तियां	18,823 (10.5)	18,629 (9.5)	7.1	-1.0
कुल देयताएं / आस्तियां	**1,78,881 (100.0)**	**1,95,684 (100.0)**	**12.6**	**9.4**

अ : अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधि' में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के 2008-09 के दोहराए गए हैं, क्योंकि अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**13,135 (100.0)**	**16,107 (100.0)**	**12.7**	**22.6**
i. ब्याज आय	11,980 (91.2)	14,619 (90.8)	13.0	22.0
ii. अन्य आय	1,155 (8.8)	1,488 (9.2)	9.5	28.9
ख. व्यय (i+ii+iii)	**13,274 (100.0)**	**14,792 (100.0)**	**14.2**	**11.4**
i. व्यय किया गया ब्याज	7,872 (59.3)	9,239 (62.5)	18.0	17.4
ii. प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,423 (18.3)	2,140 (14.5)	6.1	-11.7
iii. परिचालन खर्च	2,980 (22.4)	3,413 (23.1)	11.6	14.5
जिसमें से : वेतन बिल	1,980 (14.9)	2,243 (15.2)	7.8	13.3
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	2,284	3,456	-1.3	51.3
ii. निवल लाभ	-139	1,315	-	-
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	-0.1	0.7		
iv. इक्विटी पर प्रतिलाभ	-0.5	4.5		
v. निवल ब्याज मार्जिन	2.4	2.9		

अ : अनंतिम।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2) बिहार, झारखंड, प. बंगाल और केरल के डी सी सी बी के आंकड़ों की पुनरावृत्ति वर्ष 2008-09 के लिए हुई है। (अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण)

स्रोत : नाबार्ड।

और आकस्मिक व्ययों में कमी के कारण परिचालन लाभों की तुलना में निवल लाभ में वृद्धि अधिक रही (सारणी V.20)।

डीसीसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.42 डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में, समग्र और प्रतिशत दोनों अर्थों में, सुधार हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल अनर्जक उधारों में समग्र गिरावट संदिग्ध ऋणों में समग्र गिरावट के कारण थी। तथापि, अवमानक उधारों और हानि उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान अवमानक उधार कुल अनर्जक उधारों में प्रमुख श्रेणी में थे इसके पश्चात संदिग्ध उधार और हानि उधार थे (चार्ट 9 और सारणी V.21)।

पूंजी पर्याप्तता

5.43 डीसीसीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कमी आई। चूंकि डीसीसीबी की जोखिम भारित आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधियों के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के

चार्ट V.9: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों का संयोजन

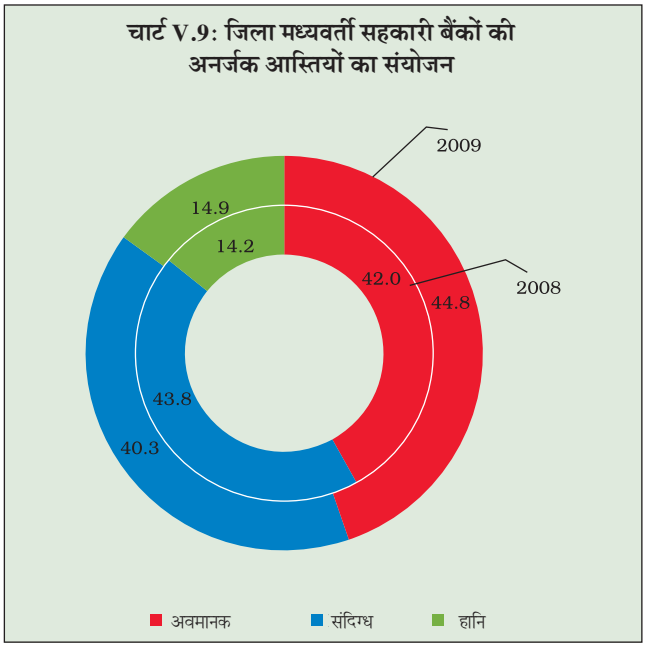

एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में कम हो गया। पूंजी पर्याप्तता में यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी और आरक्षित निधियों में मामूली वृद्धि की तुलना में डीसीसीबी निवेश में उच्च वृद्धि के कारण थी। जैसाकि पहले कहा गया है कि डीसीसीबी के ऋण और अग्रिम इस अवधि के दौरान कम हुए (सारणी V.21)।

सारणी V.21 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**18,754**	**17,929**	**14.5**	**-4.4**
i) अवमानक	7,880	8,030	14.6	1.9
ii) संदिग्ध	8,214	7,221	16.1	-12.1
iii) हानि	2,660	2,678	9.7	0.7
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**18.5**	**17.9**		
i) मांग की तुलना में वसुली (%)	55.6	72.2		
ii) अपेक्षित प्रावधान	10,394	10,225	1.7	-1.6
iii) किया गया प्रावधान	12,079	11,463	-0.7	-5.1
ग. सीआरएआर*	**19.0**	**18.2**		
घ.लीवरेज अनुपात	**15.9**	**15.2**		

अः अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

स्रोत: नाबार्ड

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

5.44 पीएसीएस सहकारी क्षेत्र के बुनियादी स्तर पर अल्पकालिक ग्रामीण ऋण खंड के रूप में कार्य करती हैं।

पीएसीएस के चुनिंदा तुलनपत्र संकेतक

5.45 पीएसीएस के तुलनपत्र परिचालनों में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में विस्तार हुआ। मार्च 2009 के अंत में पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से उधारों में वृद्धि और इसके पश्चात स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि के कारण थी। यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि पीएसीएस संसाधनों के लिए उधारों पर बहुत अधिक निर्भर थे। पीएसीएस के द्वारा जारी कुल उधारों में भी 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई। उसी वर्ष के दौरान मध्यकालिक उधारों में अल्पकालिक उधारों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। हालांकि, मार्च 2009 के अंत में जारी कुल उधारों में से, अल्पकालिक उधारों का एक बड़ा हिस्सा था (सारणी V.22)।

सारणी V.22: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - तुलनपत्र के चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2008	2009 अ	2009
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	84,281	86,990	3.2
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	10,984	11,806	7.5
क. प्रदत्त पूंजी	6,597	7,007	6.2
जिसमें से, सरकार का अंशदान	629	603	-4.1
ख. कुल आरक्षित निधियां	4,387	4,889	11.4
3. जमाराशियां	25,449	26,245	3.1
4. उधार राशियाँ	47,848	48,938	2.3
5. कार्यशील पूंजी	88,107	94,585	7.4
ख. आस्तियां			
1. कुल जारी उधार (क+ख)*	57,643	58,787	2.0
क) अल्पावधि	47,390	48,022	1.3
ख) मध्यावधि	10,253	10,765	5.0
2. कुल बकाया उधार (क+ख)	65,666	64,044	-2.5
क) अल्पावधि	43,696	45,686	4.6
ख) मध्यावधि	21,970	18,359	-16.4
ज्ञापन मद			
सीआरएआर**	16.7	18.6	
कुल बकाया उधार की तुलना में अतिदेयों का प्रतिशत	36.6	59.2	

अ : अनंतिम।

* : वर्ष के दौरान।

** : कुल बकाया उधार के प्रति ''पूंजी और आरक्षित निधियों'' के अनुपात के रूप में गणना।

स्रोत: नाफस्कोब।

लाभप्रदता

5.46 पीएसीएस के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण ने दर्शाया कि अधिकांश पीएसीएस हानि उठानेवाली संस्थाएं थीं। मार्च 2009 के अंत में देश में कार्यरत कुल पीएसीएस में से आधे से कुछ कम ने हानियां सूचित कीं। तथापि 2009 के अंत में कुल पीएसीएस में से लगभग दो तिहाई को अर्थक्षम के रूप में वर्गीकृत किया गया और अन्य एक चौथाई को संभावित रूप से अर्थक्षम के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पूंजी पर्याप्तता

5.47 पीएसीएस की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार दिखा। चूंकि जोखिम भारित आस्ति संबंधी आंकड़े पीएसीएस के लिए उपलब्ध नहीं थे, अतः कुल बकाया उधार की तुलना में कुल अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के एक मोटे संकेतक के रूप में लिया गया है। इस अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ, जो मुख्यतया कुल बकाया ऋणों में गिरावट के कारण था (सारणी V.22)।

आस्ति गुणवत्ता

5.48 पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में गिरावट आई। जैसा कि पूंजी पर्याप्तता के मामले में है, पीएसीएस के अनर्जक उधारों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः, कुल बकाया उधार की तुलना में कुल अतिदेयों के अनुपात को आस्ति गुणवत्ता के मोटे संकेतक के रूप में लिया गया है। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ गया (सारणी V.22)।

ग्रामीण सहकारी समितियों का दीर्घकालिक ढांचा

5.49 जैसा कि अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के मामले में हुआ है, दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के तुलनपत्र में भी पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में विस्तार हुआ। इसके अलावा, दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार हुआ। जबकि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) ने मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) ने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल हानियां सूचित कीं।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एससीएआरडीबी का तुलनपत्र परिचालन

5.50 एससीएआरडीबी के तुलनपत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान अधिक विस्तार हुआ। तुलनपत्र में विस्तार देयता पक्ष की अन्य देयताओं और आस्ति पक्ष[10] की 'अन्य' आस्तियों के कारण था। मार्च 2009 के अंत में जमाराशियां एससीएआरडीबी की कुल देयताओं का केवल एक लघु प्रतिशत थीं। एससीएआरडीबी के तुलनपत्र की एक दूसरी गतिविधि 2008-09 में पूंजी में गिरावट थी। फिर भी, आरक्षित निधियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दिखी। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में उधार और अग्रिमों में गिरावट आई जबकि निवेश में वृद्धि दिखी। ऐसा सामान्य आर्थिक मंदी के कारण इन बैंकों द्वारा जोखिम न लेने के कारण हो सकता है (सारणी V.23)।

एससीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन

5.51 एससीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार दिखा। एससीएआरडीबी ने मार्च 2009 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किए जबकि पिछले वर्ष में इसमें समग्र निवल हानियां हुई थीं। मुनाफा कमानेवाले एससीएआरडीबी की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ी। तदनुसार,

[10] एससीएआरडीबी की ञअन्य देयताओंट में ञपट्टा निधिट, शेयर चुकौती निधि, देय लेखा-परीक्षा शुल्क, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1991 की अदावी राशि तथा भवनों की बिक्री के प्रति अग्रिम शामिल हैं। ञअन्य आस्तियोंट में प्राप्य डिबेंचर अभिदान, दावा की गई आयकर वापसी, संस्था खाता तथा पीसीएआरडीबी से प्राप्य मीयादी जमाराशि शामिल हैं।

सारणी V.23: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,223 (4.9)	812 (3.2)	54.0	-33.5
2. आरक्षित निधियां	2,764 (11.2)	3,191 (12.6)	29.4	15.4
3. जमाराशियां	655 (2.6)	711 (2.8)	8.2	8.6
4. उधार	16,114 (65.1)	15,849 (62.4)	-3.3	-1.6
5. अन्य देयताएं	4,013 (16.2)	4,823 (19.0)	-3.0	20.2
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	244 (1.0)	189 (0.7)	-12.6	-22.5
2. निवेश	2,545 (10.3)	2,941 (11.6)	32.8	15.6
3. उधार और अग्रिम	18,492 (74.7)	16,421 (64.7)	-0.8	-11.2
4. अन्य आस्तियां	3,487 (14.1)	5,836 (23.0)	-0.3	67.3
कुल देयताएं /आस्तियां	**24,768 (100.0)**	**25,386 (100.0)**	**1.8**	**2.5**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2) महाराष्ट्र राज्य के एससीएआरडीबी के आंकड़े 2007-08 से 2008-09 के लिए दोहराए गए है।
3) मणिपुर के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का काम बंद हो गया है।

स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी V.24: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2007-08	2008-09अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
क. देयताएं (i+ii)	**1,824 (100.0)**	**3,009 (100.0)**	**-20.4**	**65.0**
i. ब्याज आय	1,685 (92.4)	2,774 (92.2)	-6.9	64.6
ii. अन्य आय	139 (7.6)	235 (7.8)	-71.3	69.1
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,067 (100.0)**	**2,961 (100.0)**	**-6.2**	**43.3**
i. व्यय किया गया ब्याज	1,283 (62.1)	1,330 (44.9)	0.2	3.7
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	561 (27.1)	1,391 (47.0)	-15.9	148.0
iii. परिचालन व्यय	223 (10.8)	240 (8.1)	-12.8	7.6
जिनमें से : वेतन बिल	164 (7.9)	194 (6.6)	-11.5	18.3
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	318	1,439	-58.9	362.7
ii. निवल लाभ	-243	48	-	-
iii. आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.0	0.2		
iv. ईक्विटी पर प्रतिलाभ	-7.0	1.2		
v. निवल ब्याज मार्जिन	1.6	5.8		

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2) महाराष्ट्र राज्य के एससीए आरडीबी के आंकड़े दुहराए गए हैं।
3) मणिपुर में एससीएआरडीबी का काम बंद हो गया हैं।

स्रोत : नाबार्ड ।

उन्होंने इस अवधि के दौरान उच्च आरओए और आरओई सूचित किया। 2008-09 के दौरान एससीएआरडीबी की ब्याज आय उच्चगति से बढ़ी, जिससे निवल ब्याज मार्जिन में वृद्धि हुई। उच्च निवल ब्याज मार्जिन के कारण, एससीएआरडीबी ने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में उच्च परिचालन लाभ सूचित किए। हालांकि, प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ में बढ़ोत्तरी की तुलना में निवल लाभों में वृद्धि कम हुई (सारणी V.24)।

एससीएआरडीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.52 एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में अनर्जक उधारों की कम राशियां सूचित कीं। एससीएआरडीबी के कुल उधार की तुलना में अनर्जक उधार अनुपात में भी इसी अवधि में गिरावट आई। कुल अनर्जक उधारों में अनर्जक उधारों की सभी श्रेणियों अर्थात अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। अनर्जक उधारों में से, पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान हानि आस्तियों में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई इसके पश्चात संदिग्ध आस्तियों और अवमानक आस्तियों का क्रम था (सारणी V.25)।

पूंजी पर्याप्तता

5.53 एससीएआरडीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में सुधार हुआ। जोखिम भारित

सारणी V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**6,435**	**4,938**	**14.0**	**-23.3**
i) अवमानक	3,465 (53.8)	2,938 (59.5)	-19.7	-15.2
ii) संदिग्ध	2,761 (42.9)	1,965 (39.8)	110.8	-28.8
iii) हानि	209 (3.2)	35 (0.7)	1,093.7	-83.2
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**34.8**	**30.1**		
i) मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	49.9	40.0		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,465	1,217	13.9	-16.9
iii) किया गया प्रावधान	1,493	1,536	16.0	2.9
ग. सीआरएआर*	**19.0**	**20.7**		
घ.लिवरेज अनुपात	**16.1**	**15.8**		

अः अनंतिम

* : इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत: नाबार्ड

आस्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधियों के अनुपात को पूंजी पर्याप्तता के मोटे संकेतक के रूप में लिया गया। यह अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2009 के अंत में बढ़ गया। यह सुधार मुख्य रूप से उधार और अग्रिमों में गिरावट के कारण था (सारणी V.25)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पीसीएआरडीबी का तुलनपत्र परिचालन

5.54 2008-09 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) के तुलनपत्र में विस्तार हुआ जबकि 2007-08 के दौरान इसमें कमी आई थी। देयता पक्ष में, तुलनपत्र में वृद्धि मुख्य रूप से उधारों और ''अन्य देयताओं'' में वृद्धि के कारण थी, जबकि आस्ति पक्ष में इसमें ''अन्य'' आस्तियों और उधार तथा अग्रिमों में वृद्धि के कारण थी[11]। एससीएआरडीबी की तरह पीसीएआरडीबी अपने संसाधनों के लिए उधारों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं क्योंकि इन बैंकों का जमा संग्रहण बहुत कम होता है। तदनुसार, जमाराशियां पीसीएआरडीबी की कुल देयताओं का एक केवल छोटा प्रतिशत थी जबकि उधार मार्च 2009 के अंत में कुल देयताओं के लगभग आधा था (सारणी V.26)।

पीसीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन

5.55 पूर्व वर्ष की तरह, 2008-09 के दौरान पीसीएआरडीबी ने समग्र निवल हानियां सूचित कीं। हालांकि, निवल हानियां पिछले वर्ष

सारणी V.26 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	894 (4.4)	1,515 (6.1)	-2.6	69.4
2. आरक्षित निधियाँ	3,036 (15.0)	3,493 (14.1)	13.4	15.0
3. जमा राशियाँ	340 (1.7)	400 (1.6)	-0.4	17.8
4. उधार राशियाँ	10,626 (52.5)	12,365 (49.8)	-16.7	16.4
5. अन्य देयताएँ	5,327 (26.4)	7,073 (28.5)	4.8	32.8
आस्तियां				
1. नकदी और शेष राशियाँ	127 (0.7)	236 (1.0)	-43.4	86.2
2. निवेश	879 (4.1)	1,122 (4.5)	6.8	27.6
3. ऋण और अग्रिम	9,914 (52.3)	11,269 (45.4)	18.2	13.7
4. अन्य आस्तियां	9,304 (42.9)	12,219 (49.2)	8.0	31.3
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**20,224 (100.0)**	**24,846 (100.0)**	**-7.1**	**22.9**

अ : अनंतिम।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

2. वर्ष 2007-08 के लिए बिहार और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

स्रोत : नाबार्ड।

[11] पीसीएआरडीबी की 'अन्य देयताओं' में 'पट्टा निधि', शेयर चुकौती निधि, देय लेखा-परीक्षा शुल्क, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1991 की अदावी राशि तथा भवनों की बिक्री के प्रति अग्रिम शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' में प्राप्य डिबेंचर अभिदान, दावा की गई आयकर वापसी, संस्था खाता शामिल हैं।

सारणी V.27: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2008	2009अ
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**1,566** (100.0)	**2,022** (100.0)	**-36.0**	**29.2**
i. ब्याज आय	1,366 (87.2)	1,431 (70.8)	-29.0	4.8
ii. अन्य आय	200 (12.8)	591 (29.2)	-61.8	195.8
ख. व्यय (i+ii+iii)	**1,926** (100.0)	**2,221** (100.0)	**-25.8**	**15.3**
i. व्यय किया गया ब्याज	990 (51.4)	1,217 (54.8)	21.3	22.9
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	622 (32.3)	545 (24.6)	-38.7	-12.3
iii. परिचालन व्यय	314 (16.3)	458 (20.6)	-2.2	46.0
जिसमें से, वेतन बिल	211 (10.9)	191 (8.6)	-4.7	-9.4
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	262	347	-69.8	32.5
ii) निवल लाभ	-360	-199	144.2	-44.8

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : 1. वर्ष 2007-08 के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
2. प. बंगाल और उड़ीसा में पीसीएआरडीसी के लिए आंकड़ों को दुहराया गया है।
स्रोत : नाबार्ड।

की तुलना में मार्च 2009 के अंत में घट गईं। यह उल्लेखनीय है कि पीसीएआरडीबी ने मार्च 2009 के अंत में समग्र परिचालन लाभ सूचित किए, लेकिन, प्रावधान अपेक्षा के कारण उन्होंने समग्र निवल हानियां सूचित कीं (सारणी V.27)।

पीसीएआरडीबी की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति गुणवत्ता

5.56 मार्च 2009 के अंत में पीसीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में, तथा प्रतिशत दोनों रूपों में, पिछले साल की तुलना में सुधार हुआ। सभी श्रेणियों में अनर्जक उधारों की गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। उल्लेखनीय तौर पर, संख्यात्मक रूप में सबसे अधिक गिरावट अवमानक उधारों के मामले में देखी गयी (सारणी V.28)।

सारणी V.28 : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास की सुदृढ़ता के संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2008	2009अ	2007-08	2008-09अ
1	2	3	4	5
देयताएं				
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**5,117**	**4,393**	18.5	-14.1
i) अवमानक	2,983 (58.3)	2,574 (58.6)	18.8	-13.7
ii) संदिग्ध	2,106 (41.2)	1,793 (40.8)	18.1	-14.8
iii) हानि	28 (0.5)	26 (0.6)	30.0	-7.8
ख. उधार के प्रति एनपीए का अनुपात	**51.6**	**39.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	42.2	40.3		
ii) अपेक्षित प्रावधान	902	790	12.9	-12.4
iii) किया गया प्रावधान	948	892	18.6	-5.9
ग. सीआरएआर*	**36.4**	**40.4**		
घ.लीवरेज अनुपात	**19.4**	**20.2**		

अः अनंतिम
*: इसकी गणना 'निवेश और अग्रिम' के प्रति 'पूंजी और आरक्षित' के अनुपात के रूप में की गई है।
टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

पूंजी पर्याप्तता

5.57 मार्च 2009 के अंत में पीसीएआरडीबी की पूंजी पर्याप्तता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। पूंजी पर्याप्तता के मोटे संकेतक अर्थात निवेश एवं अग्रिम की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधियों के अनुपात में मार्च 2008 के अंत की तुलना में मार्च 2009 के अंत में वृद्धि हुई (सारणी V.28)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन

5.58 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में चल रही जीर्णोद्धार योजना को अधिक गति से आगे बढ़ाने का सर्वाधिक उचित कारण औपचारिक वित्तीय नेटवर्क का, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मौजूदा मूलभूत सुविधाओं की सहायता से विस्तार करने में इस क्षेत्र की अपार संभावना में छुपा है क्योंकि पीएसीएस की भू-भौगोलिक व्याप्ति बहुत दूर-दूर तक है। मार्च 2009 के अंत में देश में कार्यरत पीएसीएस की व्याप्ति लगभग छह लाख गांवों तक थी तथा इसके कुल सदस्यों की संख्या लगभग 13.2 मिलियन थी। सभी गांवों के बीच तथा छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं के बीच पीएसीएस की व्यापक पहुंच वित्तीय समावेशन के 100 प्रतिशत के उद्देश्य का अनुसरण करने में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगी।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का कर्ज़-जमा अनुपात

5.59 राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती बैंकों का कर्ज़-जमा अनुपात शहरी सहकारी बैंकों एवं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में बहुत अधिक था, हालांकि पिछले साल की तुलना में 2009 में इसमें गिरावट आयी। ऊपरी स्तर की इन संस्थाओं के उच्चतर कर्ज़-जमा अनुपात का निहितार्थ है पीएसीएस[12] के लिए निधियों की व्यापक उपलब्धता (सारणी V.29)।

5.60 एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी जैसी दीर्घावधि कर्ज सहकारी संस्थाओं की जमाराशियां उनके उधार की तुलना में बहुत कम थीं। यह इस बात का संकेत है कि दीर्घावधि सहकारी कर्ज़ संबंधी संस्थाओं को उनके जमा संग्रहण संबंधी प्रयासों को सुधारने की जरूरत है। इससे एक ओर इन संस्थाओं को अपना संसाधन आधार विशाखीकृत करने में मदद मिलेगी तथा दूसरी ओर अधिक संख्या में जमाकर्ता औपचारिक वित्तीय नेटवर्क के तहत आएंगे।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की पहुंच

5.61 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अल्पावधि ढांचे में राज्य सहकारी बैंकों जैसा शीर्ष संगठन ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के निचले स्तर की ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को निधियां प्रदान कर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के निचले स्तर की संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होता है। भले ही राज्य सहकारी बैंकों ने अधिकांश राज्यों में समग्र लाभ सूचित किया है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य सहकारी बैंकों की खराब आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ाने संबंधी ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र के समग्र प्रयास पर असर पड़ सकता है (परिशिष्ट सारणी V.3)।

सारणी V.29 : एसटीसीबी और डीसीसीबी का कर्ज-जमाराशि अनुपात

(प्रतिशत)

	एसटीसीबी	डीसीसीबी
1	2	3
2008	88.8	92.4
2009 अ	70.0	77.9

अ : अनंतिम

5.62 ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र का दूसरा स्तर अर्थात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की मौजूदगी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, देश के सभी क्षेत्रों में है। ये बैंक मार्च 2009 के अंत की स्थिति में देश के मध्यवर्ती क्षेत्र में संकेंद्रित थे। उल्लेखनीय तौर पर इनमें से अधिकांश ने मार्च 2009 के अंत में समग्र लाभ सूचित किया। इसके विपरीत, आधार स्तर की संस्थाएं अर्थात पीएसीएस पश्चिमी क्षेत्र में संकेंद्रित थीं। मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रति पीएसीएस गांवों की औसत संख्या 6 थी। तथापि, कुछ क्षेत्रों अर्थात मध्यवर्ती, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में यह संख्या बहुत अधिक थी। मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रति पीएसीएस गांवों की औसत संख्या 12 थी, जो राष्ट्रीय औसत का दुगुना है (परिशिष्ट सारणी V.4 तथा V.5)।

5.63 एससीएआरडीबी की शाखाएं भी मध्यवर्ती क्षेत्र में संकेंद्रित थीं। यद्यपि, अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने समग्र निवल लाभ सूचित किया, तथापि कई राज्यों में ये बैंक हानि उठा रहे थे। इसके विपरीत, दीर्घावधि ढांचे में निचले स्तर की संस्थाएं अर्थात पीसीएआरडीबी दक्षिणी क्षेत्र में संकेंद्रित थीं, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र का स्थान था (परिशिष्ट सारणी V.6 तथा V.7)।

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का प्रति शाखा कारोबार

5.64 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के बीच (पीएसीएस को छोड़कर), पूरे देश में शाखाओं की अधिकतम संख्या डीसीसीबी की थी। तथापि, प्रति शाखा कारोबार राज्य सहकारी बैंकों में सर्वाधिक था। पीसीएआरडीबी द्वारा किया गया प्रति शाखा कारोबार अन्य ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की तुलना में बहुत कम था। इस प्रकार शाखाओं की संख्या तथा प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार की मात्रा के रूप में अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाएं उनके दीर्घावधि प्रतिपक्षकारों

[12] पीएसी अपने संसाधनों के लिए जमाराशियों की अपेक्षा उधारियों पर अधिक निर्भर थे।

सारणी V.30 : ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्रति शाखा कारोबार
(मार्च 2009 के अंत में)

(करोड़ रु.)

श्रेणी	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति शाखा कारोबार
1	2	3	4
राज्य सहकारी बैंक	31	943	123.8
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	370	12,939	17.5
राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	20	844	20.3
प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	697	1,227	9.5

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड

की तुलना में काफी आगे थीं जो वित्तीय समावेशन में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की उच्चतर भूमिका को इंगित करता है (सारणी V.30)।

वित्तीय समावेशन में पीएसीएस की भूमिका - कुछ उभरते हुए मुद्दे

5.65 वर्षों दौरान यद्यपि देश के भौगोलिक क्षेत्र में पीएसीएस का नेटवर्क बढ़ गया, परंतु कुछ रह गई कमजोरियां इस क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थता के रूप में कम प्रभावी बना रही हैं (बॉक्स V.4)।

4. ग्रामीण कर्ज़ में नाबार्ड की भूमिका

5.66 ग्रामीण कर्ज़ के क्षेत्र में नाबार्ड शीर्ष संस्था है तथा इस तरह यह 1982 में अपनी शुरुआत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज़ का प्रवाह बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण उधार संस्थाओं यथा आरआरबी एवं सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के पुनर्वित्तीयन में और इन संस्थाओं के पुनःपूंजीकरण में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। साथ ही, नाबार्ड को ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज के प्रवाह में सुधार लाने की विशेष योजनाएं अर्थात ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआइडीएफ) तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी नाबार्ड को सौंपी गयी हैं।

नाबार्ड द्वारा दिया गया अल्पावधि कर्ज़

5.67 नाबार्ड विभिन्न संगठनों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों, आरआरबी तथा राज्य सरकारों को अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि कर्ज़ संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है[13]। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार, विभिन्न संगठनों को नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए कुल कर्ज़ में मार्च 2009 के अंत की तुलना में काफी वृद्धि देखी गयी। जहां नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और आरआरबी को प्रदान किए गए कर्ज़ में पिछले साल की तुलना में 2009-10 में समग्र वृद्धि हुई, वहीं राज्य सरकारों को दिए गए कर्ज़ में इस अवधि के दौरान समग्र गिरावट दर्ज की गयी। मार्च 2010 के अंत में नाबार्ड से कुल बकाया कर्ज़ में से, राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा अधिकतम था, जिसके बाद आरआरबी और राज्य सरकारों का स्थान था (सारणी V.31)।

ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नाबार्ड की भूमिका

अल्पावधि ढांचे को पुनर्जीवित करना - अद्यतन स्थिति

5.68 वैद्यनाथन समिति (ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए गठित कार्यबल) की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संस्थाओं के लिए तैयार किए गए अनुमोदित पुनर्जीवन पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य स्तर पर पुनर्जीवन पैकेज कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू (क्रेडिटन्स्टाल्ट फर वीडरौफबउ) के साथ करार किया है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (एनआइएमसी) का गठन राष्ट्र स्तर पर उक्त पैकेज के कार्यान्वयन

[13] अल्पावधि कर्ज़ की आपूर्ति मुख्य रू प से मौसमी कृषि कार्यों, फसल के विपणन, सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन, खरीद एवं विपणन संबंधी कार्यकलापों के लिए की जाती है। जहां मध्यावधि कर्ज़ की आपूर्ति अन्य अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए एवं अल्पावधि उधार को मध्यावधि उधार में परिवर्तित करने के लिए की जाती है, वहीं दीर्घावधि कर्ज़ की आपूर्ति राज्य सरकारों को सहकारी कर्ज़ संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए की जाती है।

बॉक्स V.4: भारत में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (पीएसीएस) के कार्यकलाप- कुछ कमजोरियां

देश भर में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का व्यापक नेटवर्क होने के बावजूद इस क्षेत्र की अपनी कुछ कमजोरियां हैं जिनके कारण यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय माध्यम के रू प में कम प्रभावी रहा है। पहली दृष्टि में, प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करने की जरू रत है क्योंकि केवल सदस्य ही इससे उधार ले सकते हैं। मार्च 2009 के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति प्राथमिक कृषि कर्ज समिति सदस्यों की संख्या 1,384 थी। इसके अलावा, दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या कम थी। उसी प्रकार, केवल 34.9 प्रतिशत सदस्यों ने समिति से उधार लिया था। दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में, अन्य क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि कर्ज समिति के केवल 19.1 प्रतिशत उधारकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे किसान तथा ग्रामीण कारीगर थे।

प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों द्वारा किया गया बैंकिंग का कारोबार दक्षिण क्षेत्र तक सीमित था। उगाही गई कुल जमाराशियों में दक्षिणी क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का हिस्सा अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अधिक था। इसी प्रकार, मार्च 2009 के अंत में, दक्षिणी क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिमों का हिस्सा सबसे अधिक था। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि पश्चिमी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की संख्या तथा प्रति समिति गांवों की संख्या सबसे कम थी वहीं दक्षिणी क्षेत्र की समितियों के पास बैंकिंग कारोबार की राशि सबसे अधिक थी। इसके विपरीत, मार्च 2009 के अंत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समितियों द्वारा किए गए बैंकिंग कारोबार की मात्रा अत्यधिक कम थी। इस क्षेत्र में संग्रह की गई प्रति समिति जमाराशि 2 लाख रुपए थी तथा दिए गए औसत ऋण की राशि प्रति समिति एक लाख रुपए थी (चार्ट देखें)।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि हानि वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों में से 37.4 प्रतिशत समितियां पश्चिमी क्षेत्र की थीं उसके बाद पूर्वी क्षेत्र (23.4 प्रतिशत) का क्रम था। दूसरी ओर, लाभ कमाने वाली समितियां विभिन्न क्षेत्रों में थीं अर्थात् पश्चिमी क्षेत्र में 29.8 प्रतिशत, उत्तरी क्षेत्र में 22.2 प्रतिशत तथा केंद्रीय क्षेत्र में 19.9 प्रतिशत समितियां लाभ कमाने वाली थीं। इसके अलावा, पीएसीएस की कुल अतिदेय राशियों में से, 61.2 प्रतिशत पश्चिमी खेल का था। तथापि, मार्च 2009 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र की 68.0 प्रतिशत समितियों तथा पूर्वी क्षेत्र की 76.3 प्रतिशत समितियों को अर्थक्षम समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया (सारणी देखें)।

इसमें संदेह नहीं है कि प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। तथापि, इस क्षेत्र के निष्पादन में सुधार लाने हेतु प्रयास किए जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए कि इनकी उपस्थिति देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो। इस संदर्भ में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों का विस्तार करना जरूरी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रति समिति बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। भारी संख्या में पश्चिमी क्षेत्र की हानि वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र की प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के जमाराशि संग्रहण का स्तर अत्यधिक कम है जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की सदस्यता संख्या में उल्लेखनीय रू प से वृद्धि की जानी चाहिए। तथापि, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की अतिदेय राशि में कमी लाने का है क्योंकि इससे इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार, विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने के साथ-साथ प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों की वित्तीय हालत में बेहतरी हेतु पर्याप्त सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं की भारी संख्या को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकेगा और इस प्रकार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बेहतरी आएगी।

सारणी: प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (प्रा.कृ.क.स.) का क्षेत्रीय विस्तार

(मार्च 2009 के अंत में)

क्षेत्र	प्रा.कृ.क.स. की कुल संख्या	प्रति प्रा.कृ.क.स. गांवों की संख्या	लाभ कमाने वाली प्रा.कृ.क.स. की संख्या	हानि वाली प्रा.कृ.क.स. की संख्या
1	2	3	4	5
मध्य	15,938	12	7,412	5,338
पूर्वी	20,308	9	4,933	10,749
उत्तर-पूर्वी	3,579	9	564	1,075
उत्तरी	12,738	8	8,267	3,515
दक्षिणी	13,744	6	4,989	8,040
पश्चिमी	29,326	1	11,126	17,152
कुल	**95,633**	**6**	**37,291**	**45,869**

टिप्पणी: 1) 12,473 प्रा.कृ.क.समितियां न लाभ कमाने वाली न हानि वाली समितियों के रू प में वर्गीकृत हैं।
2) आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

चार्ट: मार्च 2009 के अंत में प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (प्रा.कृ.क.स.) का क्षेत्रवार विवरण

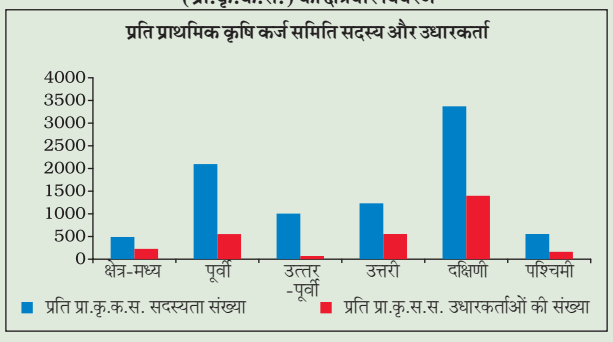

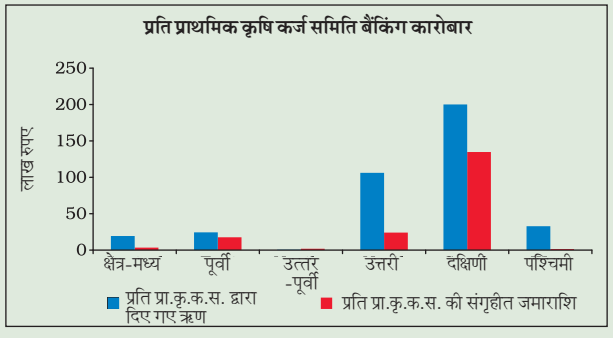

सारणी V.31: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का कर्ज

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09				2009-10			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	**20,133**	**17,778**	**17,858**	**15,704**	**18,287**	**18,680**	**17,215**	**17,169**
क. अल्पावधि	20,053	17,778	16,636	15,638	18,287	18,680	17,149	17,169
ख. मध्यावधि	80	-	1,222	66	66*	-	66	-
2. राज्य सरकारें								
क. दीर्घावधि	-	18	56	252	-	-	53	199
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	**4,829**	**4,061**	**3,914**	**3,803**	**7,374**	**7,091**	**3,969**	**6,924**
क. अल्पावधि	4,829	4,061	3,291	3,656	7,374	7,091	3,842	6,904
ख. मध्यावधि	-	-	623	147	-	-	127	20
कुल जोड़ (1+2+3)	**24,962**	**21,858**	**21,828**	**19,759**	**25,661**	**25,771**	**21,238**	**24,292**

* यह स्वीकृति बाद में वापस ले ली गयी है। '-': शून्य

टिप्पणी: 1) अल्पावधि में मौसमी कृषि कार्य (एसएओ) और मौसमी कृषि कार्यों से इतर अन्य कार्य (ओएसएओ) शामिल हैं। 2008-09 के लिए अल्पावधि में खरीफ और रबी के लिए चलनिधि सहायता योजना भी शामिल है।

2) राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सरकारों के लिए ऋण की अवधि अप्रैल से मार्च है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जुलाई से जून है।

3) मध्यावधि में एमटी कनर्वशन और एमटी (एनएस) और एमटी चलनिधि सहयता योजना शामिल है।

4) 2009-10 के दौरान की गई चुकौतियों में एसटी (एसएओ) खाता III और रबी के लिए चलनिधि सहायता के अंतर्गत चुकौती शामिल है।

स्रोत : नाबार्ड।

को मार्गदर्शन देने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए किया गया है। राज्य स्तर पर, राज्यस्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति तथा जिला स्तर पर डीसीसीबी स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियां इस दिशा में हुई प्रगति पर निगरानी रख रही हैं। नाबार्ड के स्तर पर इसके लिए समय-समय पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5.69 अब तक, 25 राज्य सरकारों (गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा केरल को छोड़कर) ने भारत सरकार तथा नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें देश में स्थित अल्पावधि ग्रामीण सहकारी कर्ज़ इकाइयों के 96 प्रतिशत को कवर किया गया है। इसके अलावा, 14 राज्यों में 49,764 पीएसीएस के पुनःपूंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में नाबार्ड द्वारा 7,972 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी है, जबकि राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के रूप में 756 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधायी प्रक्रिया के माध्यम से 15 राज्यों में राज्य सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया गया है।

5.70 साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा करने के लिए नाबार्ड ने हाल के वर्षों में 13 राज्यों को सनदी लेखाकारों का एक पैनल उपलब्ध कराया है। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया 12 राज्यों में पूरी हो चुकी है। शेष राज्यों में लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है। साथ ही, सभी राज्यों में कई बैंकों में उपयुक्त एवं उचित मानदण्डों के अनुसार पेशेवर निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की तैनाती की गई है। 11 राज्यों में लगभग सभी पीएसीएस में 1 अप्रैल 2009 से सामान्य लेखांकन प्रणाली (सीएएस) लागू की गयी। दो अलग-अलग मोड्यूल में पीएसीएस के लिए सीएएस तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआइएस के कम्प्यूटरीकरण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसका कार्यान्वयन 3 राज्यों में किया जा रहा है। एनआइएमसी के निर्णय के अनुसार पीएसएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोर सॉफ्टवेयर का विकास करने का निर्णय लिया गया है।

मानव संसाधन विकास - प्रशिक्षण

5.71 नाबार्ड द्वारा एसटीसीसीएस के पदाधिकारियों तथा पीएसीएस/सीसीबी/ एसटीसीबी के बोर्ड के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण के आठ मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु नोडल प्रशिक्षण पार्टनरों की नियुक्ति की गई है तथा प्रमुख प्रशिक्षणदाता की पहचान करके उन्हें नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों में

प्रशिक्षित किया गया है। 31 मार्च 2010 को 1896 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा 14 राज्यों के 72,127 पीएसीएस सचिवों तथा 11 राज्यों के पीएसीएस के 99,219 निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, 17 राज्यों के 3,471 विभागीय लेखा-परीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों को आगे सही ढंग से सहायता पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सीएएस/एमआइएस को जमीनी स्तर पर सुस्थिर किया जा सके। इसके अलावा, 15 राज्यों के 61,619 पदाधिकारियों को सीएएस/एमआइएस का प्रशिक्षण दिया गया है।

दीर्घावधि ढांचे का पुनर्जीवन - अद्यतन स्थिति

5.72 भारत सरकार ने एलटीसीसी के लिए पुनर्जीवन पैकेज की आवश्यकता की समीक्षा हेतु दीर्घावधि सहकारी कर्ज़ संस्थाओं (एलटीसीसी) पर एक कार्यदल का गठन किया। एलटीसीसी के लिए पुनर्जीवन पैकेज की जरूरत के बारे में कार्यदल ने कई राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। उक्त कार्यदल ने 25 फरवरी 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जो विचाराधीन है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज़ का प्रवाह सुधारने के लिए नाबार्ड को सौंपी गयी योजनाएं

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआइडीएफ)

5.73 आरआइडीएफ ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के लिए कर्ज़ का प्रवाह बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को सौंपी गयी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है। उक्त निधि की स्थापना 2,000 करोड़ रुपए की मूल राशि के साथ 1995 में की गयी। भारत सरकार के अंशदान के अलावा, आरआइडीएफ को वाणिज्य बैंकों से भी उनके कृषि उधार में पायी गयी कमी की मात्रा तक जमाराशियां प्राप्त होती हैं। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार तथा जमाराशि दोनों के जरिए आरंभ से आरआइडीएफ द्वारा प्राप्त कुल निधियों में, आधे से अधिक भारत सरकार से अंशदान के रूप में प्राप्त हुआ। अब तक प्राप्त कुल निधियों में से, आरआइडीएफ ने अब तक कुल राशि का दो तिहाई ऋण के रूप में स्वीकृत किया है। तथापि, स्वीकृत उधार की तुलना में संवितरित उधार के प्रतिशत में शृंखला XI से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है। आरआइडीएफ से निधियों के संवितरण में आयी गिरावट का मुख्य कारण भूमि के अभिग्रहण, सांविधिक अनुमोदन तथा निविदा संबंधी प्रक्रिया में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन में की गयी प्रक्रियागत देरी था। इन क्रियाविधियों को युक्तियुक्त बनाने के प्रयास राज्य सरकारों द्वारा पहले से शुरू कर दिए गए हैं (सारणी V.32 तथा चार्ट V.10)।

5.74 भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की मूल राशि से *भारत निर्माण कार्यक्रम* के लिए 2006 में आरआइडीएफ के तहत एक अलग पटल खोल दिया। अब तक प्राप्त कुल निधियों में से, आरआइडीएफ के उक्त पटल से आधे से अधिक राशि स्वीकृत एवं संवितरित की गयी। उल्लेखनीय तौर पर, उधार की स्वीकृत राशि को संवितरित करने में इस पटल के तहत कोई देरी नहीं देखी गयी है (सारणी V.32)।

5.75 आरआइडीएफ के तहत अब तक स्वीकृत कुल उधार में से, प्रमुख हिस्सा सड़क एवं पुल निर्माण के लिए खर्च किया गया, जिसके बाद ग्रामीण सिंचाई कार्यक्रमों का स्थान था। उल्लेखनीय तौर पर, 10 प्रतिशत से अधिक उधार राशि सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में अर्थात पीने के पानी, प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के विकास में लगायी गयी।

5.76 अब तक आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत एवं संवितरित कुल राशि में से, आधे से अधिक उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए थी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कुल स्वीकृत उधार का मात्र 5.1 प्रतिशत तथा कुल संवितरित उधार का 4.0 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने सभी क्षेत्रों के बीच स्वीकृत उधार के प्रति संवितरित उधार का न्यूनतम अनुपात भी सूचित किया। राज्यवार रूपरेखा से यह पता चलता है कि स्वीकृत एवं वितरित उधार का अधिकतक हिस्सा आंध्रप्रदेश को मिला, जिसके बाद गुजरात एवं मध्यप्रदेश का स्थान था (परिशिष्ट सारणी V.8)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

5.77 वित्तीय समावेशन को अधिक वितस्तार देने के लिए नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में केसीसी योजना कार्यान्वित की गई जिसके

सारणी V.32: आरआइडीएफ का श्रृंखला-वार विवरण

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

ट्रांस	श्रृंखला का प्रारंभ	परियोजनाओं की संख्या	कोष* (करोड़ रुपए)	प्राप्त जमाराशियाँ (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए)	वितरित ऋण (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण पर वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	7	8	9
I	1995	4,168	2,000	1,587	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,193	2,500	2,225	2,636	2,398	91.0
III	1997	14,345	2,500	2,308	2,733	2,454	89.8
IV	1998	6,171	3,000	1,413	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,106	3,500	3,052	3,435	3,055	88.9
VI	2000	43,168	4,500	4,081	4,489	4,071	90.7
VII	2001	24,598	5,000	4,074	4,582	4,053	88.5
VIII	2002	20,887	5,500	5,188	5,950	5,149	86.5
IX	2003	19,548	5,500	4,873	5,638	4,916	87.2
X	2004	16,530	8,000	6,420	7,672	6,489	84.6
XI	2005	29,771	8,000	6,421	8,320	6,605	79.4
XII	2006	41,955	10,000	7,775	10,411	7,280	69.9
XIII	2007	36,890	12,000	7,835	12,706	7,601	59.8
XIV	2008	85,465	14,000	6,442	14,708	6,653	45.2
XV	2009	39,015	14,000	4,228	15,630	3,474	22.2
Total		**4,02,810**	**1,00,000**	**67,921**	**1,03,718**	**68,440**	**66.0**
			भारत निर्माण कार्यक्रम का अलग गवाक्ष				
XII	2006	-	4,000	3,946	4,000	4,000	100.0
XIII	2007	-	4,000	3,416	4,000	4,000	100.0
XIV	2008	-	4,000	3,817	4,000	4,000	100.0
XV	2009	-	6,500	3,626	6,500	6,500	100.0
कुल		**-**	**18,500**	**14,805**	**18,500**	**18,500**	**100.0**
सकल कुल		**4,02,810**	**1,18,500**	**82,725**	**1,22,218**	**86,940**	**71.1**

'-': शून्य / अनुपलब्ध *: भारत सरकार से प्राप्त
स्रोत : नाबार्ड

चार्ट V.10: आरआइडीएफ की कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत तथा संवितरित उधार

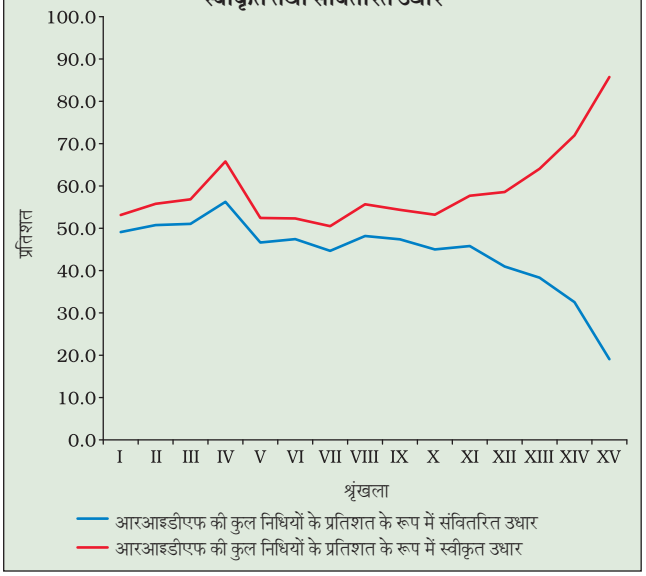

लिए किसानों की पहुंच को आसान बनाया गया। मार्च 2010 के अंत में, इस योजना के तहत जारी कार्डों की कुल संख्या तथा उधार की स्वीकृत राशि में पिछले साल की तुलना में वृद्धि देखी गयी। प्रति कार्ड धारक स्वीकृत उधार की औसत राशि में पिछले दो सालों को छोड़कर इसकी शुरुआत में ही निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी (सारणी V.33)।

5.78 योजना के अंतर्गत उसके आरंभ के समय से जारी किए गए कुल केसीसी तथा कुल स्वीकृत राशि में से अधिकतम हिस्सा वाणिज्य बैंकों का था, जिसके बाद सहकारी बैंकों का स्थान था। तथापि, सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों की संख्या में 2001-02 से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी, जबकि वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए केसीसी की संख्या में में कमोबेश वृद्धि की प्रवृत्ति

सारणी V.33: जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या : एजेंसीवार और वर्षवार
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक		कुल	
	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि	कार्डों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1998-99	1,55,353	826	6,421	11	6,22,391	1,473	7,84,165	2,310
1999-00	35,94,869	3,606	1,73,301	405	13,65,911	3,537	51,34,081	7,548
2000-01	56,14,445	9,412	6,48,324	1,400	23,89,588	5,615	86,52,357	16,427
2001-02	54,35,859	15,952	8,33,629	2,382	30,71,046	7,524	93,40,534	25,858
2002-03	45,78,923	15,841	9,63,950	2,955	26,99,883	7,481	82,42,756	26,277
2003-04	48,78,236	9,855	12,74,289	2,599	30,94,108	9,331	92,46,633	21,785
2004-05	35,55,783	15,597	17,29,027	3,833	43,95,564	14,756	96,80,374	34,186
2005-06	25,98,226	20,339	12,49,474	8,483	41,64,551	18,779	80,12,251	47,601
2006-07	22,97,640	13,141	14,05,874	7,373	48,07,964	26,215	85,11,478	46,729
2007-08	20,91,329	19,991	17,72,498	8,743	46,05,775	59,530	84,69,602	88,264
2008-09	13,43,845	8,428	14,14,647	5,648	58,33,981	39,009	85,92,473	53,085
2009-10	17,43,253	7,606	19,49,785	10,132	53,13,085	38,684	90,06,123	56,422
कुल	3,78,87,761	1,40,594	1,34,21,219	53,964	4,23,63,847	2,31,934	9,36,72,827	4,26,492
कुल में प्रतिशत	40.4	33.0	14.4	12.7	45.3	54.4	100.0	100.0

स्रोत : नाबार्ड

थी। फलस्वरूप, केसीसी योजना के तहत कुल स्वीकृत राशि में सहकारी बैंकों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट V.11)।

5.79 मार्च 2010 के अंत में जारी किए गए केसीसी की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में थी, जिसके बाद आंध्रप्रदेश का स्थान था। इस प्रकार, अब तक जारी किए गए कुल केसीसी का एक तिहाई हिस्सा इन दो राज्यों का था। इसी तरह मार्च 2010 के अंत में केसीसी योजना के तहत स्वीकृत उधार का अधिकतम हिस्सा उत्तर प्रदेश का था जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान था। तथापि, मार्च 2010 के अंत में, प्रति केसीसी स्वीकृत उधार की औसत राशि गुजरात में सर्वाधिक थी, जिसके बाद पंजाब का स्थान था। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में, जारी केसीसी की संख्या

चार्ट V.11 : जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या में बैंक समूहों का हिस्सा और किसान क्रेडिट कार्डों के अंतर्गत स्वीकृत राशि

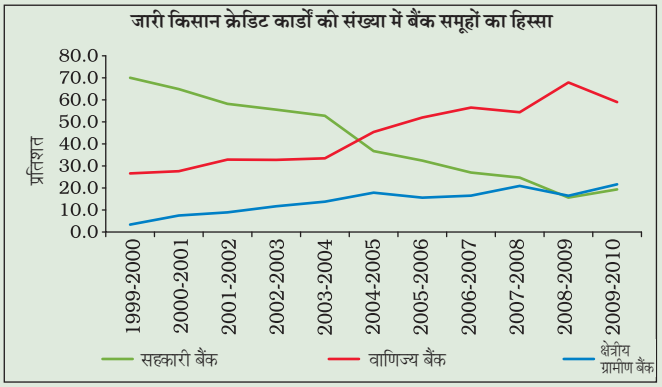

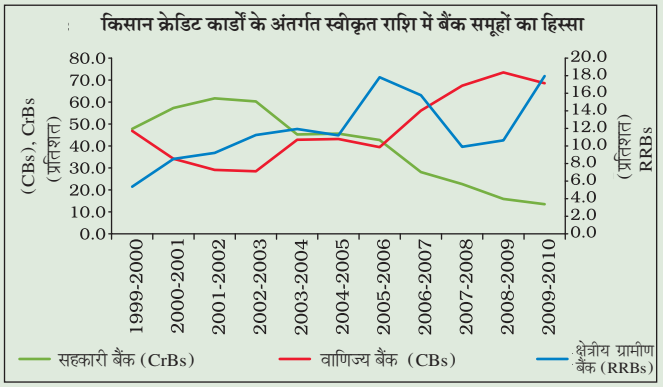

तथा स्वीकृत उधार राशि मार्च 2010 के अंत में शेष राज्यों की तुलना में बहुत कम थी (परिशिष्ट सारणी V.9)।

5. निष्कर्ष

5.80 यद्यपि, भारत में बैंकिंग प्रणाली द्वारा किए गए कुल कारोबार में सहकारी बैंकों का एक छोटा अनुपात है, तथापि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उनकी संभाव्य भूमिका तथा शेष वित्तीय प्रणाली के साथ इन संस्थाओं की वित्तीय अंतर-संबद्धता के कारण भारतीय वित्तीय जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

5.81 यूसीबी क्षेत्र में समेकन संबंधी चल रहे पहलों के फलस्वरूप यूसीबी की रूपरेखा में वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंकों के पक्ष में बदलाव देखा गया। यूसीबी क्षेत्र ने मार्च 2010 के अंत में समग्र निवल लाभ सूचित किया। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्णन प्रभावों के कारण पिछले दो वर्षों में लाभप्रदता में गिरावट आई। यूसीबी क्षेत्र में जिन उभरते मुद्दों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है उनमें से कुछ नकारात्मक ब्याजेतर मार्जिन, अनर्जक कर्ज का उच्च स्तर हानि उठाने वाले बैंकों, नकारात्मक सीआरएआर वाले बैंकों की मौजूदगी तथा बैंकिंग कारोबार का विषम संकेंद्रण है।

5.82 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन में पिछले साल की तुलना में मार्च 2009 के अंत में समग्र सुधार आया। तथापि, उस अवधि के दौरान आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई। इन संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन संस्थाओं के, विशेष रूप से पीएसीएस के, वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में पीएसीएस असंतुलित भौगोलिक विस्तार तथा बैंकिंग कारोबार के असंतुलित वितरण का समाधान करना जरूरी है। साथ ही, संसाधनों के विशाखीकरण एवं वित्तीय समावेशन दोनों की दृष्टि से दीर्घावधि सहकारी कर्ज संस्थाओं द्वारा जमा संग्रहण में सुधार लाने की भी तत्काल आवश्यकता है। आरआइडीएफ से उधार के संवितरण तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए केसीसी की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति एक चिंता का विषय है जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है।

अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआइ) ऋण प्रदान करने तथा वित्तीय मध्यस्थन के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों में सहायता पहुंचाती हैं। बैंकिंग क्षेत्र के साथ इनकी बढ़ती अंतर-संबद्धता को देखते हुए, समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता का महत्व काफी बढ़ जाता है। 2009-10 में जमाराशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समेकित तुलनपत्र में वृद्धि हुई, परंतु उनकी आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में गिरावट आई। वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) के मामले में, निवल लाभ में वृद्धि के साथ-साथ उनके समेकित तुलनपत्र में वृद्धि हुई। तथापि 2009-10 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में मामूली गिरावट हुई। इसके विपरीत, 2009-10 में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की लभप्रदता में, मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ में बढ़ोतरी के चलते तेज गिरावट आई।

1. भूमिका

6.1 वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी कर्ज संस्थाओं (शहरी और ग्रामीण) के अतिरिक्त भारत की वित्तीय प्रणाली में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), वित्तीय संस्थाएं तथा प्राथमिक व्यापारी जैसे एनबीएफआइ के व्यापक प्रकार शामिल हैं। एनबीएफसी एक ऐसा विविध समूह है जिसमें न केवल आकार तथा निगमन की प्रकृति, बल्कि उनके कार्यकलापों की दृष्टि से भी भिन्नताएं हैं। वित्तीय प्रणाली में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के अतिरिक्त ये संस्थाएं जनसाधारण को उपलब्ध वित्तीय सेवाओं को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वित्तीय विस्तार तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के बढ़ते महत्व को देखते हुए एनबीएफआइ को, विशेष रूप से लघु तथा खुदरा क्षेत्रों के लिए, महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों के रूप में देखा जा रहा है।

6.2 एनबीएफसी को, जो कि एनबीएफआइ का सबसे बड़ा हिस्सा है, विनियामक तथा पर्यवेक्षी नियंत्रणों के स्तर तथा प्रकृति के आधार पर बैंकों से अंतर किया जा सकता है। पहला, बैंकों की तुलना में इन संस्थाओं पर लागू विनियमन अपेक्षाकृत सरल हैं। दूसरा, उन पर विनियमन संबंधी कतिपय निर्धारण लागू नहीं होते जो बैंकों पर लागू हैं। उदाहरण के लिए, बैंकों की तरह एनबीएफसी पर आरक्षित नकदी निधि अपेक्षा (सीआरआर) लागू नहीं होती। तथापि, अपनी सार्वजनिक जमाराशि देयताओं का 15 प्रतिशत हिस्सा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रूप में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखना उनके लिए अनिवार्य है। तीसरा, उन्हें जमाराशि बीमा सुविधा तथा रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा का लाभ नहीं मिलता। चौथा, एनबीएफसी के पास चेक जारी करने की सुविधा नहीं है और वे भुगतान तथा निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं।

6.3 जनता से जमाराशि लेने अथवा अन्यथा के आधार पर एनबीएफसी की दो प्रमुख श्रेणियां हैं, नामतः जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) तथा जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी)। 2006 से एनबीएफसी को उनके उत्पादक आस्तियों के सृजन से जुड़ने अथवा अन्यथा के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया। नये वर्गीकरण के अनुसार, उत्पादक आस्तियों का सृजन करने वाली एनबीएफसी को तीन प्रमुख श्रेणियों, नामतः आस्ति वित्त कंपनियों, उधार कंपनियों तथा निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। बुनियादी ढांचागत वित्त के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़ी एनबीएफसी की एक चौथी श्रेणी अर्थात बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी की शुरुआत फरवरी 2010 से की गयी (बॉक्स VI.1)।

6.4 हाल तक एनबीएफसी-एनडी पर न्यूनतम विनियमन लागू थे क्योंकि वे जमाराशि न लेने वाली संस्थाएं थीं तथा उन्हें एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जा रहा था जिससे वित्तीय स्थिरता के लिए कम खतरा हो। तथापि, इस खंड के बढ़ते महत्व तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इनकी आपसी संबद्धता

बॉक्स VI.1: बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां (आइएफसी) - आइएफसी के लिए भिन्न वर्गीकरण और मानदंड की आवश्यकता

देश की बुनियादी ढांचा संबंधी बढ़ती जरूरत के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी की जरूरत महसूस की गयी। बुनियादी ढांचा संबंधी वित्त के मुद्दे पर विचार करने के लिए दीपक पारीख समिति सहित कई समितियां गठित की गयीं। यह सुविदित है कि एनबीएफसी इस क्षेत्र के विकास हेतु उल्लेखनीय योगदान दे सकती है। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के महत्व को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि इस क्षेत्र में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों पर वे विनियामक अथवा निधीयन संबंधी सीमाएं नहीं लगाई जानी चाहिए जो उपभोक्ता वस्तुओं का वित्तपोषण करने वाली अथवा इक्विटी में निवेश करने वाली कंपनियों पर लगाई जाती हैं। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में बड़ी राशि के परिव्यय की जरूरत पड़ती है, इसकी परियोजना अवधि लंबी होती है तथा इसमें एक्सपोजर की राशि बड़ी होती है। ऋण के आकार की दृष्टि से प्रत्येक उधारदाता की प्रतिबद्धता राशि बड़ी होती है तथा एनबीएफसी के ऋण संकेद्रण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए बाधक हो सकते हैं। अतः 12 फरवरी 2010 से एनबीएफसी की एक पृथक श्रेणी अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (आइएफसी) की शुरुआत की गयी।

एनबीएफसी को आइएफसी के रूप में पात्रता हेतु आवश्यक मानदंड निम्नानुसार हैं:

1. वे कंपनियां जो कुल आस्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत बुनियादी ढांचा ऋण में लगाती हैं, जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकार न करनेवाली या होल्डिंग) विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2007 के पैरा 2 (viii) में परिभाषित किया गया है।
2. निवल स्वाधिकृत निधियां 300 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक हों,
3. क्रिसिल, एफआइटीसीएच, केअर, आइसीआरए की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए' अथवा समतुल्य या किसी अन्य प्रमाणित रेटिंग एजेंसी की समतुल्य रेटिंग,
4. सीआरएआर 15 प्रतिशत हो (टियर I पूंजी न्यूनतम 10 प्रतिशत सहित)।

बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां (आइएफसी) - रियायतें

1. आस्ति वित्त कंपनियां एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए लागू कर्ज संकेद्रण संबंधी मानदंड का निम्नानुसार अतिक्रमण कर सकती हैं:

(i) उधार देने के संबंध में

(क) किसी एकल उधारकर्ता के संबंध में अपनी निधि का 10 प्रतिशत तक; तथा

(ख) उधारकर्ताओं के किसी एक समूह के संबंध में अपनी निधि का 15 प्रतिशत तक

(अन्य एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए उच्चतम सीमाएं क्रमशः 15 तथा 25 प्रतिशत हैं)

(ii) निवेश तथा अग्रिमों के संबंध में (कर्ज / निवेश को एक साथ लेकर)

(क) किसी एक पार्टी को अपनी निधि का पांच प्रतिशत तक; तथा

(ख) पार्टियों के एक समूह को अपनी निधि का दस प्रतिशत तक

(अन्य एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए उच्चतम सीमाएं क्रमशः 25 तथा 40 प्रतिशत हैं)

2. बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां अनुमोदन मार्ग के जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आगे उधार देने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकती हैं। पांच एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी के रूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।

को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2007 से बड़ी तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी पर पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोजर संबंधी मानदंड लागू किए गए; ऐसी संस्था को जमाराशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के रूप में अभिहित किया गया।

6.5 एनबीएफआइ के दूसरे बड़े घटक में वित्तीय संस्थाएं (एफआइ) आती हैं। एफआइ को मोटे तौर पर उनके प्रमुख उधार / निवेश संबंधी कार्यकलापों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, यथा (i) मीयादी ऋण देने वाली संस्थाएं जैसे कि एक्जिम बैंक, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निर्यात तथा विदेशी निवेश हेतु वित्त प्रदान करता है, (ii) पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं, जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी जो कृषि, लघु उद्योगों (एसएसआइ) तथा आवास क्षेत्रों में आगे उधार देने हेतु बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों को पुनर्वित्त प्रदान करते हैं, (iii) भारतीय जीवन बीमा तथा भारतीय साधारण बीमा जैसी निवेश संस्थाएं जो अपनी आस्तियां मुख्यतः विपणनीय प्रतिभूतियों में लगाती हैं।

6.6 प्राथमिक व्यापारियों का गठन, जो कि एनबीएफआइ का तीसरा प्रमुख घटक है, 1995 में देश में सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। द्वितीयक बाजार में चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन प्रतिभूतियों की मांग के निर्भरयोग्य स्रोत के सृजन के जरिए यह लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी थी।

6.7 इस अध्याय में 2009-10 के दौरान एनबीएफआइ के इन प्रत्येक खंड के वित्तीय निष्पादन तथा सुदृढ़ता संकेतक का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय को चार खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है जबकि खंड 3 में एनबीएफसी-

सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप

(31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(प्रतिशत)

शेअरहोल्डिंग संस्थाएं	एक्जिम बैंक	नाबार्ड	एनएचबी	सिडबी
1	2	3	4	5
भारत सरकार	100.0	27.5 #	–	–
भारतीय रिज़र्व बैंक	–	72.5 #	100.0	–
आईडीबीआइ	–	–	–	21.8
एसबीआइ	–	–	–	17.2
एलआइसी	–	–	–	16.4
अन्य	–	–	–	44.7 @

भारत सरकार के दिनांक 16.09.2010 की अधिसूचना के अनुसार 16.09.2010 से नाबार्ड के ईक्वटी में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी क्रमश: 99% और 1% हैं।

@ अन्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक्जिम बैंक एलआइसी, जीआइसी आदि शामिल हैं।

डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गयी है। खंड 4 में प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक व्यापारियों के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है तथा खंड 5 में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.8 मार्च 2010 के अंत में, रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत पांच वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी तथा आइआइबीआइ थीं। इनमें से चार संस्थाएं (अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्णतः विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। आइआइबीआइ 31 मार्च 2010 की स्थिति पर स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है।

6.9 मार्च 2010 के अंत में, एक्जिम बैंक और एनएचबी पूरी तरह क्रमशः भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसकी नाबार्ड में एक बड़ी हिस्सेदारी थी, ने सितंबर 2010 में अपनी होल्डिंग 72.5 प्रतिशत से कम करते हुए 1.0 प्रतिशत किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार का स्वामित्व 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 99.0 प्रतिशत हो गया। मार्च 2010 के अंत में, सिडबी के स्वामित्व का ढांचा दर्शाता है कि इसमें अन्य संस्थाओं के पास कुल इक्विटी का 44.7 प्रतिशत है जिसके बाद आइडीबीआइ, एसबीआइ और एलआइसी का क्रम आता है (सारणीVI.1)।

वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलाप

6.10 यद्यपि, 2009-10 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में मामूली वृद्धि हुई, फिर भी इन संस्थाओं द्वारा वर्ष के दौरान किये गये संवितरण में गिरावट आई। यह निवेश संस्थाओं, मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा के संवितरण में आई गिरावट की वजह से थी (सारणी VI.2 तथा परिशिष्ट सारणी VI.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

6.11 2009-10 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के समेकित तुलनपत्रों में विस्तार हुआ। देयता पक्ष में, बांडों तथा डिबेंचरों के

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

श्रेणी	राशि				घटबढ़ प्रतिशत	
	2008-09		2009-10		2009-10	
	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.	स्वी	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	33,232	31,629	42,118	37,824	26.7	19.6
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	597	283	591	320	-0.9	13.1
(iii) निवेश संस्थाएं@	71,400	62,357	66,077	55,271	-7.5	-11.4
एफआइ द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**1,05,229**	**94,269**	**1,08,786**	**93,415**	**3.4**	**-0.9**

स्वी : स्वीकृति संवि.: संवितरण *: आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ के संबंध में। # : आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ के संबंध में।
@: एलआइसी और जीआइसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरी (एनआइए, यूआइआइसी और ओआइसी) के संबंध में।
टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		घटबढ़ प्रतिशत
	2009	2010	2009-10
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	4,300 (2.0)	4,600 (1.9)	7.0
2. आरक्षित निधि	41,962 (19.3)	39,489 (16.0)	-5.9
3. बांड और डिबेंचर	59,602 (27.4)	69,943 (28.3)	17.4
4. जमाराशियां	63,515 (29.2)	79,473 (32.2)	25.1
5. उधार राशियां	35,307 (16.2)	34,413 (13.9)	- 2.5
6. अन्य देयताएं	12,609 (5.8)	18,959 (7.7)	50.4
कुल देयताएं/आस्तियां	**217,296 (100.0)**	**246,878 (100.00)**	**13.6**
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	5,244 (2.4)	3,703 (1.5)	-29.4
2. निवेश	8,080 (3.7)	9187 (3.7)	13.7
3. ऋण और अग्रिम	180,140 (82.9)	211,879 (85.8)	17.6
4. भुनाए/पुनर्भुनाए गए बिल	2,145 (1.0)	2,668 (1.1)	24.4
5. अचल आस्तियां	570 (0.3)	553 (0.2)	-3.0
6. अन्य आस्तियां	21,117 (9.7)	18,888 (7.7)	-10.6

टिप्पणियां: 1. ये आंकड़े 4 एफआइ यथा - नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक के हैं। आइआइबीआइ लि. 31 मार्च 2010 को स्वैच्छिक समापन के अंतर्गत था।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : i) संबंधित एफआइ के तुलनपत्र । ii) 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर लेखापरीक्षित ऑफ-साइट विवरणियां ।

साथ जमाराशियां उधार की प्रमुख स्रोत रहीं (सारणी VI.3)। तथापि, 2009-10 के दौरान उधार के जरिए जुटाए गए संसाधन में गिरावट देखी गई।

6.12 आस्ति पक्ष में, उधार तथा अग्रिम एकल बड़े घटक बने रहे जिनका वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों में हिस्सा चार बटा पाच था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी)के मामलों में देखी गयी प्रवृत्ति के अनुरूप 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं के ऋण तथा अग्रिमों की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन

6.13 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं ने रुपए तथा विदेशी मुद्राओं दोनों में संसाधन जुटाए। 2009-10 में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गये कुल संसाधन में 25.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः इन संस्थाओं द्वारा बांडों / डिबेंचरों सहित जुटाये गये दीर्घावधि संसाधनों की वजह से थी (सारणी VI.4)। चार वित्तीय संस्थाओं में, 2009-10 में सिडबी ने सबसे अधिक संसाधन जुटाये और उसके बाद नाबार्ड का क्रम था।

6.14 वित्तीय संस्थाओं ने विभिन्न लिखतों जैसे, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा मीयादी जमाराशियों के माध्यम से मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाये। 2009-10 में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीपी के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी VI.5)। इसके परिणामस्वरूप,

सारणी VI.4 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		योग			
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	3,197	8,150	8,905	5,052	3,800	5,193	15,902	18,395	37,202	40,509
नाबार्ड	4,252	16	3,494	12,330	–	–	7,746	12,346	26,867	24,922
एनएचबी	3,124	7,518	16,881	10,306	–	–	20,005	17,824	16,503	10,598
सिडबी	5,625	13,253	8,811	11,500	1,361	987	15,797	25,740	24,487	30,186
योग	**16,198**	**28,937**	**38,091**	**39,188**	**5,161**	**6,180**	**59,450**	**74,305**	**1,05,059**	**1,06,215**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणियां: दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; और अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमा राशियां, आइसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।

स्रोत : संबंधित एफआइ।

सारणी VI.5: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. योग	**3,293**	**4,458**	**15,247**	**31,743**
i) सावधि जमाराशियां	89	508	2,222	3,510
ii) सावधि मुद्रा	–	250	1,184	922
iii) अंतर कारपोरेट जमाराशियां	–	–	–	0
iv) जमा प्रमाणपत्र	663	2,286	5,633	1,555
v) वाणिज्यिक पत्र	2,540	1,414	6,207	25,456
vi) बैंकों से अल्पावधि ऋण	–	–	–	300
ज्ञापन :				
ख. अंब्रेला सीमा	**19,001**	**19,500**	**26,292**	**24,650**
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग ('ख' के प्रतिशत के रूप में 'क')	**17.3**	**22.9**	**58.0**	**129.0**

- : शून्य/नगण्य

स्रोत : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन संबंधी पाक्षिक विवरणी।

वाणिज्यिक पत्र 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गये कुल संसाधनों के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से के साथ संसाधनों का एकल सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरकर आया। वित्तीय संस्थाओं को अधिदेश है कि वे स्वीकृत समग्र सीमा के अंतर्गत मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाये। 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधनों में हुई वृद्धि को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं ने पिछले वर्ष देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत, समग्र सीमा से अधिक की राशि जुटाई। तथापि, यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि सीपी मुद्रा बाजार की एक अल्पावधि लिखत है तथा वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाएं इसके जरिए संसाधन जुटाती रहीं जिसके कारण सीपी के माध्यम से जुटाई गयी संचयी राशि का स्तर उच्चतर था। उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस लिखत के जरिए प्रत्येक बार संसाधन जुटाते समय समग्र सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

6.15 यद्यपि 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतरिक स्रोतों से संग्रह किये गये संसाधनों में गिरावट आई, फिर भी वर्ष के दौरान ये वित्तीय संस्थाओं की निधियों के सबसे बड़े स्रोत बने रहे। वित्तीय संस्थाओं की निधि के आंतरिक स्रोतों में इस गिरावट की मुख्य वजह सिडबी और एनएचबी के निधि के आंतरिक संसाधनों में गिरावट थी। सिडबी के मामले में, संवितरण के ऊंचे स्तर और दैनंदिन चलनिधि प्रबंधन के लिए आपाती कर्ज की व्यवस्था से अल्पावधि लिखतों में औसत निवेश में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 में निधि के आंतरिक संसाधनों में गिरावट हुई। एनएचबी के मामले में, इसकी निधि के आंतरिक स्रोतों में गिरावट प्राथमिक उधारदात्री संस्थाओं (पीएलआइ) से चुकौती के रूप में कम राशि प्राप्त होने की वजह से हुई। मुख्य रूप से वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने के कारण वर्ष के दौरान बाह्य स्रोतों से जुटाई गयी निधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस वृद्धि के कारण 2009-10 में बाहरी स्रोतों से जुटाये गये संसाधनों का हिस्सा बढ़कर कुल संसाधनों का दो बटा पांच हो गया जबकि पिछले वर्ष यह हिस्सा कुल का एक तिहाई था।

6.16 वर्ष के दौरान जुटाई गई निधियों में से आधे से भी अधिक हिस्सा वित्तीय संस्थाओं द्वारा नये नियोजन के लिए लगाया गया। तथापि, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछली उधारियों की चुकौती हेतु उपयोग की गयी निधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी VI.6)।

उधार लेने और देने की लागत और परिपक्वता

6.17 2009-10 में चारों वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गये रुपया संसाधनों की औसत लागत में गिरावट आई (सारणी VI.7)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनएचबी को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं के रुपया संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता में भी गिरावट आई।

6.18 एनएचबी तथा सिडबी ने 2009-10 में अपनी मूल उधार दर में कमी की जबकि एक्जिम बैंक ने उसे अपरिवर्तित रखा (सारणी VI.8)। मूल उधार दर में कमी किये जाने अथवा उसे अपरिवर्तित रखे जाने के बावजूद 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये उधार तथा अग्रिमों की वृद्धि दर में गिरावट आई जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है (सारणी VI.3 देखें)।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

6.19 2009-10 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन में 2008-09 की तुलना में सुधार हुआ। वित्तीय

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09	2009-10	घटबढ़ प्रतिशत 2009-10
1	2	3	4
क. निधियों का स्रोत (i+ii+iii)	**2,97,296** (100.0)	**3,02,610** (100.0)	**1.8**
(i) आंतरिक	1,93,294 (65.0)	1,56,733 (51.8)	-18.9
(ii) बाह्य	91,314 (30.7)	1,26,813 (41.9)	38.8
(iii) अन्य@	12,688 (4.3)	19,065 (6.3)	50.3
ख. निधियों का नियोजन (i+ii+iii)	**2,97,296** (100.0)	**3,02,610** (100.0)	**1.8**
(i) नए नियोजन	1,94,711 (65.5)	1,71,922 (56.8)	-11.7
(ii) भूतकाल की उधार राशियों की चुकौती	56,592 (19.0)	1,15,015 (38.0)	103.2
(iii) अन्य नियोजन	45,993 (15.5)	15,673 (5.2)	-65.9
जिनमें से :			
ब्याज का भुगतान	8,809 (3.0)	16,561 (5.5)	88.0

* : एक्जिम बैंक, नाबार्ड,एनएचबी और सिडबी

@: बैंकों में नकदी और शेष, रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में शेष राशियां सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

संस्थाओं के गैर-ब्याज आय में गिरावट के बावजूद ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण उनके निवल लाभ में वृद्धि हुई। तथापि सकल औसत आस्तियों (आरओए) की तुलना में उनके निवल लाभ के अनुपात में मामूली गिरावट हुई (सारणी VI.9)। चार वित्तीय संस्थाओं में से सिडबी का आस्तियों पर प्रतिलाभ सबसे अधिक बना रहा जिसके बाद

सारणी VI.7: चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रूपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
एक्जिम बैंक	9.0	7.1	2.5	1.9
सिडबी	6.4	5.2	5.3	3.2
नाबार्ड	9.5	4.4	4.3	0.3
एनएचबी	7.4	6.2	2.8	4.7

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.8: चयनित वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एनएचबी	एक्जिम बैंक	सिडबी
1	2	3	4
मार्च 2009	10.75	14.00	12.50
मार्च 2010	10.25	14.00	11.00

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

नाबार्ड का स्थान था। एक्ज़िम बैंक का आस्तियों पर प्रतिलाभ सबसे कम था (सारणी VI.10)।

सारणी VI.9: चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09	2009-10	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (अ+आ)	**14,274**	**15,331**	**1,057**	**7.4**
अ) ब्याज आय	12,169 (85.2)	14,755 (96.2)	2,587	21.3
आ) गैर ब्याज आय	2,106 (14.8)	575 (3.8)	-1,530	-72.7
ख. व्यय (अ+आ)	**10,492**	**11,095**	**603**	**5.7**
अ) ब्याज व्यय	8,977 (85.6)	9,328 (84.1)	351	3.9
आ) परिचालन व्यय	1,516 (14.4)	1,767 (15.9)	252	16.6
जिनमें से: वेतन बिल	362	464	102	28.1
ग. आय कर के लिए प्रावधान	**1,190**	**1417**	**227**	**19.0**
घ. लाभ				
Operating Profit (PBT)	3,782	4,236	454	12.0
Net Profit (PAT)	2,592	2,819	227	8.8
ङ. वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.9	1.8		
निवल लाभ (पीएटी)	1.3	1.2		
आय	7.2	6.6		
ब्याज आय	6.1	6.4		
अन्य आय	1.1	0.2		
व्यय	5.3	4.8		
ब्याज व्यय	4.5	4.0		
अन्य परिचालन व्यय	0.8	0.8		
वेतन बिल	0.2	0.2		
प्रावधान	0.6	0.6		
स्प्रेड (विशुद्ध ब्याज आय)	1.6	2.3		

-: शून्य / नगण्य @: औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. गैर-ब्याज आय में अन्य गैर-परिचालनात्मक आय शामिल हैं।
3. परिचालन व्यय में अन्य प्रावधान भी शामिल हैं।
4. अन्य प्रावधानों में जोखिम प्रावधान, अन्य हानि के लिए प्रावधान, राइट ऑफ, यदि कोई हो, अचल आस्तियों में मूल्यह्रास शामिल हैं।
5. नाबार्ड के मामले में, गैर परिचालन आय में पूंजीगत लाभ शामिल हैं।

स्रोत : 1. संबंधित एफआइ के वार्षिक लेखा विवरण 2. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा परीक्षित / गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां 3. 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

सारणी VI.10: वित्तीय संस्थाओं के चयनित वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/ औसत कार्यकारी निधि		गैर ब्याज आय/ औसत कार्यकारी निधि		परिचालनात्मक लाभ/औसत कार्यकारी निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रु. में)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्जिम बैंक	7.75	8.37	0.80	0.80	2.36	1.75	1.18	1.13	2.06	2.21
नाबार्ड	6.47	6.19	0.13	0.10	1.86	1.80	1.30	1.23	0.28	0.33
एनएचबी*	7.96	6.63	0.33	0.15	1.74	1.86	1.20	1.20	..	..
सिडबी	8.84	8.35	1.11	0.41	5.25	4.19	3.11	2.36	0.31	0.41

.. : उपलब्ध नहीं ।
* : ऑसमोस विवरणियों के अनुसार जून 2010 अंत में स्थिति। एनएचबी के मामले में औसत कार्यकारी निधियों के बदले में कुल आस्तियां ली गई हैं।
स्रोत: i. संबंधित एफआइ के वार्षिक लेखा विवरण। ii. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा परीक्षित / गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।
iii. 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार एनएचबी का गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

सुदृढ़ता के संकेतक : आस्ति गुणवत्ता

6.20 2009-10 में समग्र स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों की राशि में वृद्धि हुई। अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि केवल सिडबी के कारण थी, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं में 2009-10 में निवल अनर्जक आस्तियों में वस्तुतः गिरावट आयी थी (सारणी VI.11 तथा चार्ट 1)।

6.21 यदि चार वित्तीय संस्थाओं को नीचे से ऊपर उनकी निवल अनर्जक आस्तियों के क्रम में रखा जाए तो मार्च 2010 के अंत में एक्जिम बैंक सबसे अधिक निवल अनर्जक आस्तियों के साथ शीर्ष पर होगा जबकि शून्य एनपीए के साथ एनएचबी सबसे नीचे होगा। इसके अलावा एक्जिम बैंक का अनर्जक आस्ति अनुपात (निवल उधारों के प्रतिशत के रूप में एनपीए) सबसे अधिक था । तथापि,

सारणी VI.11: निवल अनर्जक आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्तियां	
	2009	2010
1	2	3
एक्जिम बैंक	79	78
नाबार्ड	30	29
एनएचबी*	-	-
सिडबी	26	73
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	135	180

-: शून्य/नगण्य
*: ऑसमोस विवरणियों के अनुसार मार्च के अंत में स्थिति।
स्रोत: i) संबंधित एफआइ के तुलन पत्र
ii) 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित / गैर लेखा-परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

चार्ट VI.1 : निवल अनर्जक आस्तियां / निवल ऋण (मार्च के अंत में)

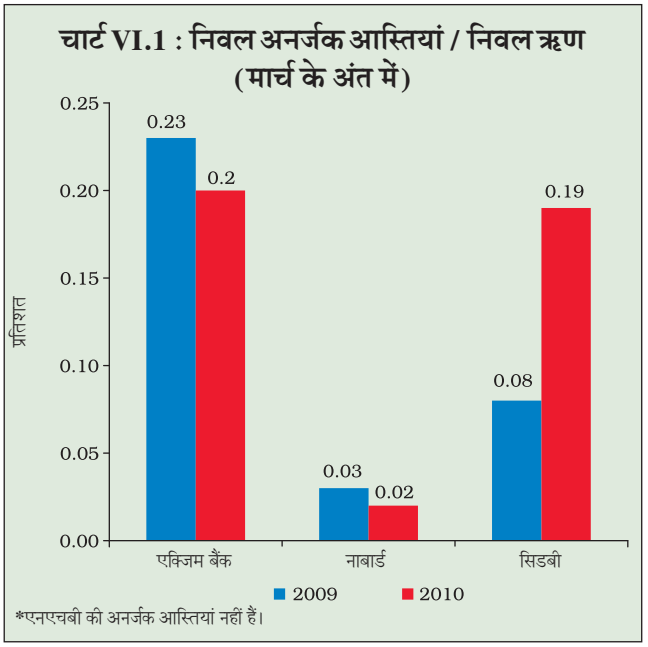

*एनएचबी की अनर्जक आस्तियां नहीं हैं।

2010 में एक्जिम बैंक के निवल एनपीए अनुपात में गिरावट आयी। इसके विपरीत, 2009-10 में सिडबी का निवल एनपीए अनुपात 2008-09 के 0.08 प्रतिशत से बढ़कर 0.19 हो गया (चार्ट VI.1)। सिडबी के एनपीए के स्तर में हुई वृद्धि मुख्यतः इस अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में आयी गिरावट के प्रतिकूल असर की वजह से थी।

6.22 निवल एनपीए की राशि में वृद्धि के बावजूद, वित्तीय संस्थाओं के एनपीए संयोजन में सुधार के लक्षण थे। यह बात सभी वित्तीय संस्थाओं के एनपीए पोर्टफोलियो में अवमानक आस्तियों के प्रतिशत में हुई वृद्धि से स्पष्ट होती है, जबकि 2009-10 में संदिग्ध आस्तियों के प्रतिशत में पिछले वर्ष की

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		घाटा	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	34,077	38,957	21	49	58	29	–	–
नाबार्ड	98,822	119,896	7	3	23	25	–	–
एनएचबी*	16,851	19,837	–	–	–	–	–	–
सिडबी	30,854	37,892	23	68	3	2	–	–
सभी वित्तीय संस्थाएं (एफआइ)	**180,605**	**216,583**	**51**	**120**	**85**	**56**	–	–

- : शून्य/नगण्य *: जून अंत की स्थिति।
स्रोत: i) संबंधित एफआइ के तुलनपत्र। ii) 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित / गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां। iii) 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

तुलना में तदनुरूप गिरावट आयी (सारणी VI.12)। यहां तक कि सिडबी के मामले में, जिसका 2009-10 में सबसे अधिक निवल एनपीए था, अवमानक आस्तियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई तथा संदिग्ध आस्तियों के प्रतिशत में गिरावट आयी जो एनपीए के संयोजन में सुधार को दर्शाती है।

पूंजी पर्याप्तता

6.23 2009-10 में सिडबी को छोड़कर सभी वित्तीय संस्थाओं के सीआरएआर द्वारा मापे जानेवाले पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि हुई। तथापि, उल्लेखनीय है कि सभी वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मानदण्ड से काफी अधिक था। विशेष रूप से, नाबार्ड का सीआरएआर काफी अधिक था, जिसकी पूंजी उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का लगभग आधा थी, जो इस बात को दर्शाती है कि वह इस पूंजी का उपयोग ऋण के और विस्तार हेतु कर सकती है (सारणी VI.13)।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

6.24 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ और साथ ही जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप बताता है कि ये कंपनियां मुख्य रू प से गैर-सरकारी कंपनियां (प्रकृति के अनुसार मुख्यतया सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी)थीं। मार्च 2010 के अंत में एनबीएफसी-एनडी-एसआइ और जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कंपनियों में गैर-सरकारी कंपनियों का प्रतिशत क्रमशः 96.6 प्रतिशत और 97.1 प्रतिशत था, जबकि

सारणी VI.13: चयनित वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2009	2010
1	2	3
एक्जिम बैंक	16.8	19.0
नाबार्ड	25.9	48.8
एनएचबी*	17.7	19.6
सिडबी	34.2	31.7

* : ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार मार्च अंत की स्थिति ।
स्रोत: i) संबंधित एफआइ के तुलनपत्र।
ii) 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की लेखा-परीक्षित / गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।
iii) 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार एनएचबी की गैर-लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी केवल क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत थी। (सारणी VI.14)

सारणी VI.14: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप

(मार्च 2010 को कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	एनबीएफसी एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी
1	2	3
क. सरकारी कंपनियां	**9**	**9**
	(3.4)	(2.9)
ख. गैर-सरकारी कंपनियां	**258**	**302**
	(96.6)	(97.1)
1. पब्लिक लिमिटेड कंपनियां	161	293
	(60.3)	(94.2)
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	97	9
	(36.3)	(2.9)
कंपनियों की कुल संख्या (क+ख)	**267**	**311**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कंपनियों की कुल संख्या के प्रतिशत हिस्से हैं।

चार्ट VI.2 : भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

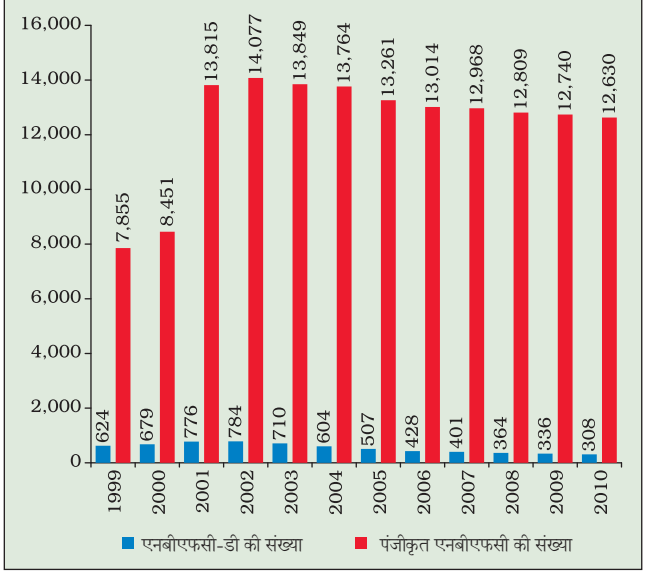

एनबीएफसी की प्रोफाइल

6.25 रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या जून 2009 के अंत के 12,740 से घटकर जून 2010 के अंत में 12,630 हो गयी (चार्ट VI.2)। 2009-10 में जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी(एनबीएफसी-डी) की संख्या में भी गिरावट आयी। यह कमी मुख्यतः एनबीएफसी के पंजीकरण को रद्द किए जाने, एनबीएफसी के जमाराशि लेने के कार्य से अलग होने तथा जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी के जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी में बदल जाने की वजह से आयी।

6.26 एनबीएफसी की संख्या में गिरावट आने के बावजूद, 2009-10 के दौरान उनकी कुल आस्तियों तथा निवल स्वाधिकृत निधि में वृद्धि दर्ज हुई जबकि उनकी जमाराशियों में गिरावट आयी। कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के हिस्से तथा एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशियों में 2009-10 में गिरावट आयी जबकि निवल स्वाधिकृत निधियों में आरएनबीसी के हिस्से मे वृद्धि हुई (सारणी VI.15)।

6.27 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की सकल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी की जमाराशियों के अनुपात में गिरावट दर्ज हुई। इस अवधि के दौरान एल3 के व्यापक चलनिधि समुच्चय की तुलना में एनबीएफसी की जमाराशि के अनुपात में भी गिरावट दर्ज हुई (चार्ट VI.3)।

सारणी VI.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2008-09		2009-10 अ	
	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	97,408	20,280 (20.8)	109,324	15,615 (14.3)
सार्वजनिक जमाराशियां	21,566	19,595 (90.9)	17,247	14,520 (84.2)
निवल स्वाधिकृत निधियां	13,617	1,870 (13.7)	16,178	2,921 (18.1)

अ : अनंतिम

टिप्पणी : 1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।
3. जमाराशि स्वीकार करने वाली 311 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 227 गै. बैं. वि. कंपनियों ने 20 सितंबर 2010 की कट-ऑफ तारीख को मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणियां फाइल की हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

एनबीएफसी-डी का परिचालन (आरएनबीसी को छोड़कर)

6.28 2009-10 के दौरान एनबीएफसी-डी के तुलनपत्र के आकार में 21.5 प्रतिशत की दर पर विस्तार हुआ जबकि पिछले वर्ष यह विस्तार 3.4 प्रतिशत था। यह विस्तार एनबीएफसी-डी की उधारियों में वृद्धि की वजह से हुआ (सारणी VI.16)। उल्लेखनीय है कि एनबीएफसी-डी की सकल देयताओं में उधारियों

चार्ट VI.3: व्यापक चलनिधि (एल 3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात

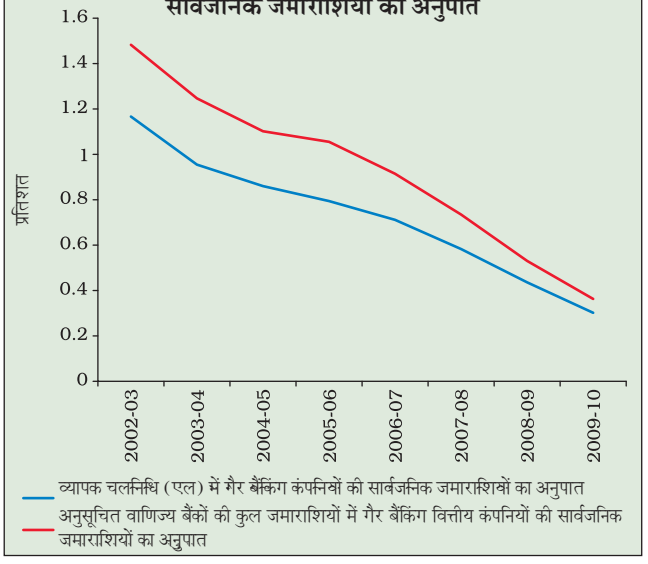

सारणी VI.16: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2008-09		2009-10	
	2008-09	2009-10 अ	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. प्रदत्त पूंजी	3,817	3,361	551	16.9	-456	-11.9
	(4.9)	(3.6)				
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	9,412	12,237	717	8.2	2,825	30.0
	(12.2)	(13.1)				
3. सार्वजनिक जमाराशि	1,971	2,727	-71	-3.5	756	38.4
	(2.6)	(2.9)				
4. उधार राशियां	55,897	69,070	5,320	10.5	13,173	23.6
	(72.5)	(73.7)				
5. अन्य देयताएं	6,031	6,314	-3,951	-39.6	283	4.7
	(7.8)	(6.7)				
देयताएं/आस्तियाँ	**77,128**	**93,709**	**2,566**	**3.4**	**16,581**	**21.5**
आस्तियाँ						
1. निवेश	15,686	19,335	4,476	39.9	3,649	23.3
	(20.3)	(20.6)				
i) एसएलआर प्रतिभूतियां @	9,412	10,773	2,266	31.7	1,361	14.5
	(12.2)	(11.5)				
ii) अन्य निवेश	6,274	8,562	2,210	54.4	2,288	36.5
	(8.1)	(9.1)				
2. ऋण और अग्रिम	21,583	30,802	2,760	14.7	9,219	42.7
	(28.0)	(32.9)				
3. किराया खरीद आस्तियां	35,815	38,549	2,290	6.8	2,734	7.6
	(46.4)	(41.1)				
4. उपस्कर पट्टा-दायी आस्तियां	613	241	-435	-41.5	-372	-60.7
	(0.8)	(0.3)				
5. बिल संबंधी कारोबार	24	44	12	98.2	20	83.3
	(0.0)	(0.0)				
6. अन्य आस्तियां	3,407	4,739	-6,537	-65.7	1,332	39.1
	(4.4)	(5.1)				

अ : अनंतिम @ : एसएलआर आस्ति में अनुमोदित प्रतिभूतियां और अनुसूचित वाणिज्य बैंको की 'भार-रहित मीयादी जमाराशियाँ' शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

का हिस्सा लगभग तीन बटा चार था। इसके अलावा, तीन एनबीएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों में वृद्धि के कारण एनबीएफसी-डी क्षेत्र की जमाराशियों में पिछले वर्ष हुई गिरावट के मुकाबले 2009-10 में काफी वृद्धि हुई। आस्तियों के पक्ष में, किराया तथा खरीद आस्तियां एनबीएफसी-डी की सबसे महत्वपूर्ण आस्ति श्रेणी बनी रहीं जो उनकी कुल आस्तियों के दो बटा पांच हिस्से से भी अधिक है। उधार तथा अग्रिम उनकी दूसरी महत्वपूर्ण आस्ति श्रेणी थी जिसमें 2009-10 के दौरान भारी विस्तार हुआ। 2009-10 के दौरान एनबीएफसी-डी के सकल निवेश में भी तेज वृद्धि हुई जो मुख्यतः गैर-एसएलआर निवेशों में वृद्धि की वजह से थी।

6.29 मार्च 2010 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में आस्ति वित्त कंपनियों का हिस्सा सबसे अधिक था जिसके बाद उधार कंपनियों का स्थान था (सारणी VI.17)।

एनबीएफसी-डी की जमाराशियों का आकारवार वर्गीकरण

6.30 2009-10 में 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि आकार वाली बड़ी एनबीएफसी-डी की जमाराशियों में उल्लेखनीय तेज वृद्धि हुई जिनका मार्च 2010 के अंत में कुल जमाराशियों में हिस्सा 86.7 प्रतिशत था। तथापि, इस आकार की श्रेणी में आनेवाली केवल आठ एनबीएफसी-डी कंपनियां थीं जो एनबीएफसी की कुल संख्या के लगभग 3.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस प्रकार, अपेक्षाकृत बड़ी एनबीएफसी-डी कंपनियां जमाराशियों के जरिए संसाधन जुटाने में समर्थ थीं (चार्ट VI.4 तथा सारणी VI.18)।

सारणी VI.17: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरणवार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक

राशि करोड़ रुपए में)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विवरण	गै.बै.वि.कंपनियों की संख्या		जमाराशियां		उधार राशियां		देयताएं	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त कंपनियां	231	184	1,553	2,268	40,689	54,202	56,496	69,801
			(78.8)	(83.2)	(72.8)	(78.5)	(73.2)	(74.5)
निवेश कंपनियां	1	1	-	-	-	-	2	-
			(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
ऋण कंपनियां	56	43	418	458	15,208	14,867	20,631	23,908
			(21.2)	(16.8)	(27.2)	(21.5)	(26.7)	(25.5)
कुल	**288**	**228**	**1,971**	**2,727**	**55,897**	**69,070**	**77,128**	**93,709**

– : शून्य / नगण्य अ:अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबधित कुल के प्रतिशत हिस्से हैं ।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशियों का क्षेत्रवार संयोजन

6.31 देश के उत्तरी क्षेत्र में एनबीएफसी-डी की संख्या सबसे अधिक थी जो मार्च 2010 के अंत में एनबीएफसी-डी की कुल संख्या के 63.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र की एनबीएफसी-डी का जमाराशि आकार, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एनबीएफसी-डी की तुलना में, जिसका जमाराशि में मार्च 2010 के अंत में 67.5 प्रतिशत हिस्सा था, काफी छोटा था। तथापि, 2009-10 में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आयी (सारणी VI.19 तथा चार्ट VI.5)।

6.32 महानगरों के बीच, उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली में एनबीएफसी-डी की संख्या सबसे अधिक थी जबकि दक्षिणी क्षेत्र के चेन्नै का एनबीएफसी-डी की कुल जमाराशियों में सबसे बड़ा हिस्सा था।

चार्ट VI.4 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - जमाराशियों का दायरा

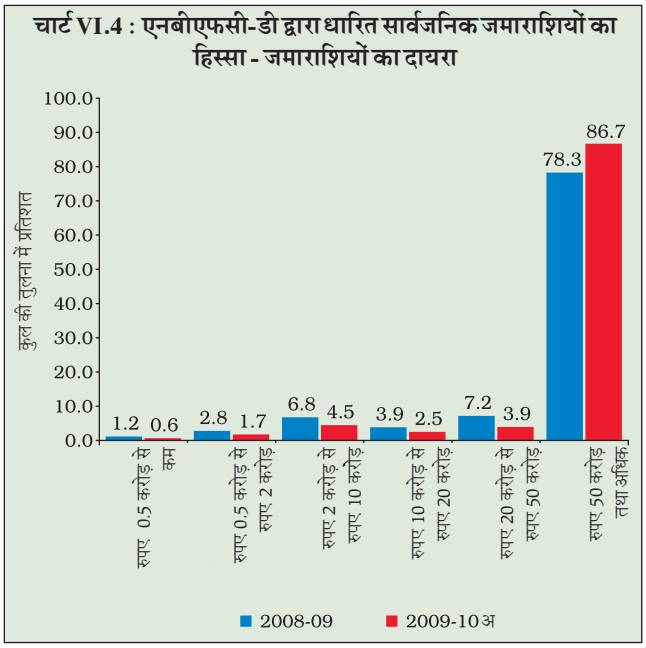

सारणी VI.18: जमा स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशियों का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	185	141	23	17
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	57	45	55	47
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	30	26	133	122
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	6	5	76	69
5. 20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	4	3	142	107
6. 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	6	8	1,543	2,364
कुल	**288**	**228**	**1,971**	**2,727**

अ : अनंतिम

स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.19: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि- क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2008-09		2009-10 अ	
	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	गै.बैं.वि.कं-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
उत्तरी	187	295	145	316
पूर्व	7	9	9	9
पश्चिमी	27	164	26	562
दक्षिणी	67	1,503	48	1,840
कुल	**288**	**1,971**	**228**	**2,727**
महानगरीय क्षेत्र :				
कोलकाता	4	8	6	9
चेन्नै	33	1,436	24	1,776
मुंबई	11	148	11	542
नई दिल्ली	53	208	50	204
कुल	**101**	**1,800**	**91**	**2,531**

अ : अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

एनबीएफसी के पास रखी सार्वजनिक जमाराशियों की ब्याज-दर

6.33 एनबीएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों में सबसे अधिक राशि 10 प्रतिशत तक की ब्याज दर के दायरे में संग्रह की गयी और इसका हिस्सा मार्च 2010 के अंत में जमाराशियों के आधे से भी अधिक था (सारणी VI.20 तथा चार्ट VI.6)।

सारणी VI.20: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियाँ-जमाराशि पर ब्याज दर-दायरा-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की ब्याज-दर दायरा	मार्च के अंत में	
	2008-09	2009-10 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	591	1,457
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	1,267	1,197
12 प्रतिशत और उससे अधिक	113	73
कुल	**1,971**	**2,727**

अ: अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

चार्ट VI.5: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा - क्षेत्र-वार

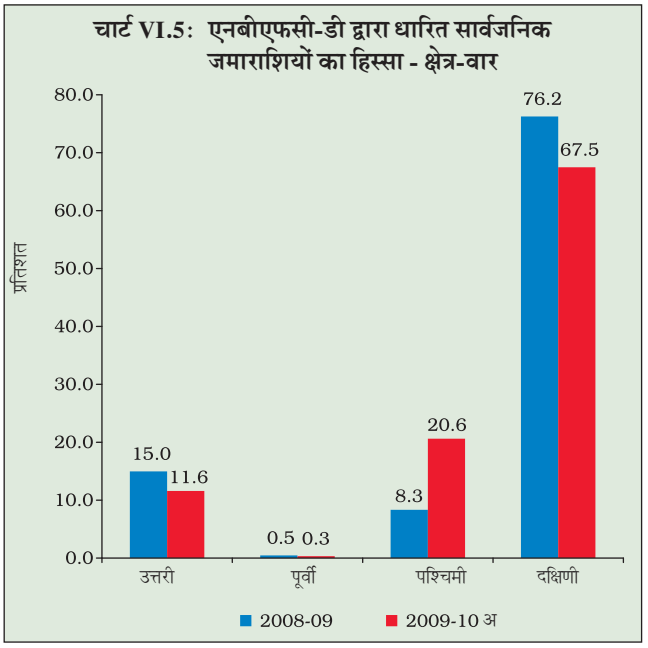

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता प्रोफाइल

6.34 परिपक्वता अवधि के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा संग्रह की गयी सार्वजनिक जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा अल्पावधि से मध्यावधि का था। मार्च 2010 के अंत में, जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा एक वर्ष से कम अवधि का था जिसके बाद दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष तक की परिपक्वता का क्रम था। 2009-10 में, इन दो परिपक्वता अवधियों की जमाराशियों के

चार्ट VI.6 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि पर ब्याज-दर - दायरा-वार

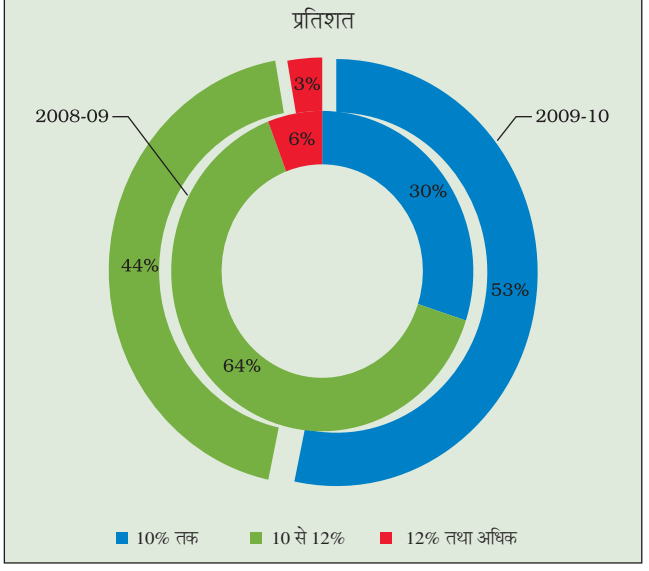

सारणी VI.21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2008-09	2009-10 अ
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	700	1,022
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	509	534
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	601	1,020
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	74	77
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	88	73
कुल	**1,971**	**2,727**

अ: अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

चार्ट VI.7 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

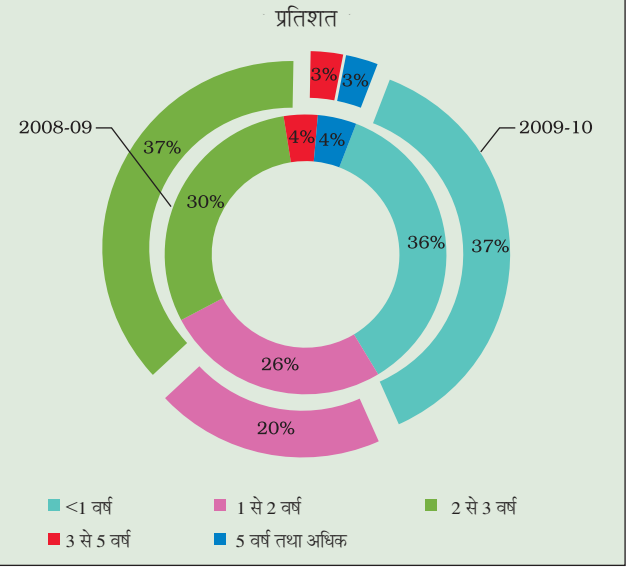

हिस्से में वृद्धि हुई जबकि पांच वर्ष से अधिक अवधि की परिपक्वता वाली दीर्घावधि की परिपक्वता श्रेणियों की जमाराशियों के हिस्से में गिरावट आयी (सारणी VI.21 तथा चार्ट VI.7)।

6.35 एनबीएफसी-डी के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं उधार के प्रमुख स्रोत थे और इनका हिस्सा मार्च 2010 के अंत में 45 प्रतिशत से भी अधिक था। सरकार से लिए गए उधारों (उधार केवल उधार कंपनियों को दिया गया था) के हिस्से में तेज वृद्धि हुई जबकि बाह्य स्रोतों के हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आयी। 2009-10 में अन्य जमाराशियों (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कंपनियों से उधार ली गयी राशि, वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंडों तथा अन्य प्रकार की निधियों उधार ली गयी राशियां, जिनको सार्वजनिक जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता है, शामिल हैं) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जिसके चलते एनबीएफसी-डी के कुल उधार में इसके हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.22)।

एनबीएफसी की आस्तियां

6.36 2009-10 के दौरान जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जो मुख्यतः

सारणी VI.22: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधार राशियों के स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में									
	सरकारी		बाह्य स्रोत @		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य	
	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ति वित्त	3	–	832	757	21,974	25,488	11,627	13,267	6,253	14,690
	(0.0)	(0.0)	(56.9)	(100.0)	(88.4)	(80.9)	(88.3)	(92.6)	(42.9)	(82.5)
निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
ऋण	1,824	4,673	631	–	2,872	6,018	1,546	1,057	8,335	3,121
	(99.8)	(100.0)	(43.1)	(0.0)	(11.6)	(19.1)	(11.6)	(7.4)	(57.1)	(17.5)
कुल	**1,827**	**4,673**	**1,464**	**757**	**24,846**	**31,505**	**13,173**	**14,324**	**14,588**	**17,811**

अ : अनंतिम @ : इसमें (i) विदेशी सरकार, (ii) विदेशी प्राधिकरण, और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल हैं।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.23: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरणवार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त	56,496	69,801	39,913	46,224	10,791	14,562
	(73.2)	(74.5)	(68.8)	(66.4)	(68.8)	(75.3)
निवेश	2	–	–	–	–	–
	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(0.1)
ऋण	20,631	23,908	18,098	23,368	4,895	4,773
	(26.7)	(25.5)	(31.2)	(33.6)	(31.2)	(24.7)
कुल	**77,129**	**93,709**	**58,011**	**69,592**	**15,686**	**19,335**

अ: अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

आस्ति वित्त कंपनियों की आस्तियों में हुई वृद्धि की वजह से थी (सारणी VI.23)। मार्च 2010 के अंत में, एनबीएफसी-डी क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था। घटक-वार रूप में, कुल आस्तियों में अग्रिमों का हिस्सा प्रमुख था उसके बाद निवेश का स्थान था।

आस्ति के आकार के अनुसार एनबीएफसी-डी का वितरण

6.37 जमाराशि संग्रह करने की क्षमता के कारण केवल बड़ी एनबीएफसी-डी के पास बड़ा आस्ति आधार था। मार्च 2010 के अंत में, केवल 7 प्रतिशत एनबीएफसी-डी का आस्ति आकार 500 करोड़ रुपए से अधिक था और सभी एनबीएफसी-डी की कुल आस्तियों में इनका हिस्सा 97.5 प्रतिशत था (सारणी VI.24)।

एनबीएफसी की आस्तियों का वितरण - कार्यकलापों के प्रकार

6.38 2009-10 के दौरान उधार तथा अंतर-कंपनी जमाराशियों के रूप में स्थित आस्तियों में एवं एनबीएफसी-डी के निवेशों में सुदृढ़ वृद्धि हुई। 2009-10 में किराया खरीद कंपनियों द्वारा धारित आस्तियों के हिस्से में गिरावट आने के बावजूद एनबीएफसी-डी क्षेत्र की आस्तियों में इस कार्यकलाप का हिस्सा सबसे बड़ा बना हुआ है (सारणी VI.25)।

एनबीएफसी-डी का वित्तीय निष्पादन

6.39 एनबीएफसी-डी के वित्तीय निष्पादन में कुछ गिरावट दर्ज हुई जैसा कि 2009-10 के परिचालन लाभ में आई गिरावट से ज्ञात होता है। यह गिरावट मुख्यतः इन संस्थाओं की आय की तुलना में व्यय में (विशेष रूप से वित्तीय व्यय) उच्चतर वृद्धि होने की वजह से थी। कर के संबंध में किये गये प्रावधान में थोड़ी वृद्धि के साथ-साथ परिचालन लाभ में गिरावट आने के कारण 2009-10 में निवल लाभ में गिरावट आई (सारणी VI.26)।

सारणी VI.24: आस्ति आकार के दायरे के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

आस्ति आकार (रु.)	कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5
0.25 करोड़ रुपए से कम	3	2	0	0
			(0.0)	(0.0)
0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 0.50 करोड़ रुपए तक	19	12	7	5
			(0.0)	(0.0)
0.50 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	113	84	124	99
			(0.2)	(0.1)
2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	87	69	395	321
			(0.5)	(0.3)
10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	37	32	828	713
			(1.1)	(0.8)
50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	11	10	747	702
			(1.0)	(0.7)
100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	5	4	1,471	510
			(1.9)	(0.5)
500 करोड़ रुपए से अधिक	13	15	73,555	91,358
			(95.4)	(97.5)
कुल	**288**	**228**	**77,128**	**93,709**

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.25: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां - कार्यकलापवार

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़
	2008-09	2009-10	2010
1	2	3	4
ऋण और अंतर-कंपनी जमाराशियां	21,583 (28.0)	30,802 (32.9)	42.7
निवेश	15,686 (20.3)	19,335 (20.6)	23.3
किराया खरीद	35,815 (46.4)	38,549 (41.1)	7.6
उपस्कर और पट्टा	613 (0.8)	241 (0.3)	-60.7
बिल	24 (0.0)	44 (0.0)	85.0
अन्य आस्तियाँ	3,407 (4.4)	4,739 (5.1)	39.1
कुल	**77,128**	**93,710**	**21.5**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

6.40 2009-10 के दौरान औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई जबकि औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आय में कम दर पर वृद्धि हुई जिसके कारण एनबीएफसी-डी की कुल औसत आस्ति (आस्तियों पर प्रतिलाभ) की तुलना में निवल लाभ अनुपात में गिरावट आई (चार्ट VI.8)।

चार्ट VI.8 : एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

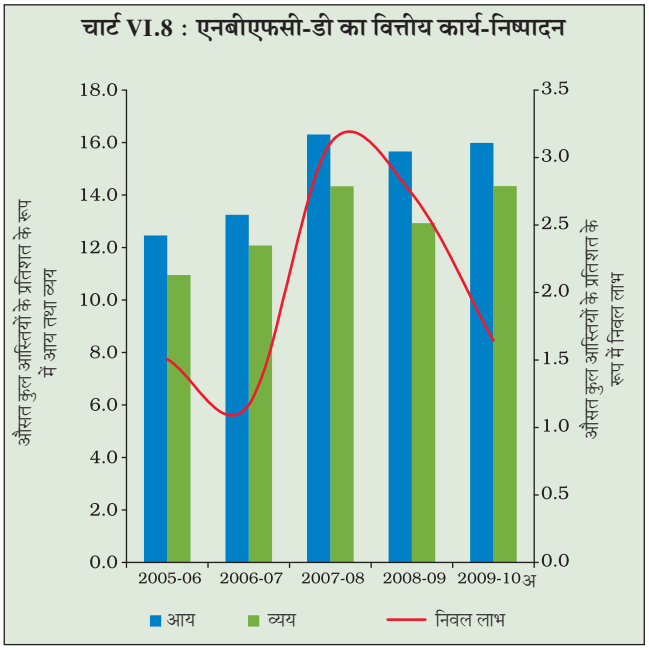

सारणी VI.26: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद		मार्च के अंत में	
		2008-09	2009-10अ
1		2	3
क. आय (i+ii)		**11,879**	**13,656**
(i)	निधि आधारित	11,572 (97.4)	13,489 (98.8)
(ii)	शुल्क आधारित	307 (2.6)	167 (1.2)
ख. व्यय (i+ii+iii)		**8,789**	**11,166**
(i)	वित्तीय	5,663 (64.4)	6,742 (60.4)
	जिसमें से :		
	ब्याज भुगतान	211 (2.4)	289 (2.6)
(ii)	परिचालन	2,392 (27.2)	2,587 (23.2)
(iii)	अन्य	734 (8.3)	1,837 (16.4)
ग. कर प्रावधान		**1,017**	**1,085**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)		**3,090**	**2,490**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)		**2,073**	**1,405**
च. कुल आस्तियाँ		**77,128**	**93,709**
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@			
i)	आय	15.4	14.6
ii)	निधि आय	15.0	14.4
iii)	शुल्क आय	0.4	0.2
iv)	व्यय	11.4	11.9
v)	वित्तीय व्यय	7.3	7.2
vi)	परिचालन व्यय	3.1	2.8
vii)	कर प्रावधान	1.3	1.2
viii)	निवल लाभ	2.7	1.5
ज. आय की तुलना में लागत अनुपात		**74.0**	**81.8**

अ : अनंतिम @: कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सुदृढ़ता संकेतक: एनबीएफसी-डी की आस्ति गुणवत्ता

6.41 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुरूप 2009-10 में एनबीएफसी-डी के उधार एक्सपोजर की तुलना में सकल एनपीए अनुपात में गिरावट आई। एनपीए के संबंध में किए गए प्रावधान मार्च 2010 के अंत तक पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान के एनपीए की राशि से अधिक होने के कारण निवल एनपीए ऋणात्मक रहा (सारणी VI.27)।

सारणी VI.27: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के अनर्जक आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	क्रेडिट एक्सपोजर के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	क्रेडिट एक्सपोजर के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2.0	#
2010 अ	1.3	#

अ: अनंतिम #: अर्नजक आस्तियों से अधिक प्रावधान ।
स्रोत : छमाही विवरणियां ।

6.42 2009-10 में आस्ति वित्त तथा ऋण कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जैसा कि सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए अनुपात में आई गिरावट से स्पष्ट होता है (सारणी VI.28)।

6.43 2009-10 में, आस्ति वित्त कंपनियों के एनपीए की सभी तीन श्रेणियों अर्थात अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के हिस्से में गिरावट आई जो इन संस्थाओं की आस्तियों की गुणवत्ता में हुए सुधार को रेखांकित करता है। तथापि, ऋण कंपनियों के मामले में मार्च 2010 के अंत में मानक आस्तियों का हिस्सा सुधरकर 97.3 प्रतिशत हो गया, परंतु हानि वाली आस्तियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई (सारणी VI.29)।

सारणी VI.28: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण @ मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां		निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां	
		राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशत		राशि	निवल अग्रिमों की तुलना मेंप्रतिशत
1	2	3	4	6	7	8
आस्ति वित्त						
2008-09	39,038	507	1.3	38,136	-394	-1.0
2009-10 अ	45,264	337	0.7	44,166	-760	-1.7
ऋण						
2008-09	9,365	472	5.0	8,940	47	0.5
2009-10 अ	18,926	516	2.7	18,397	-12	-0.1

अ: अनंतिम ।
@ एनबीएफसी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिनांक 6-12-2006 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 189 तथा 190 / सीजीएम (पीके) - 2006 द्वारा प्रभावी हो गया है। उत्पादक / आर्थिक गतिविधियों के लिये स्थावर / भौतिक आस्तियों को वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार, उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाली गै.बैं.वि.कंपनियों को सूचित किया गया कि वे एएफसी के रूप में वर्गीकरण के लिए भा.रि.बैंक से संपर्क करें। एनबीएफसी की प्रस्तावित संरचना में अंततः एनबीएफसी की तीन श्रेणियां (i) एएफसी, (ii) निवेश कंपनी तथा (iii) ऋण कंपनी उभरकर सामने आई हैं।
स्रोत : छमाही विवरणियां ।

सारणी VI.29: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए)

वर्गीकरण / मार्च के अंत में	मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	क्रेडिट एक्सपोजर
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां						
2008-09	38,531	429	55	23	507	39,038
	(98.7)	(1.1)	(0.1)	(0.1)	(1.3)	(100.0)
2009-10 अ	44,926	280	43	14	337	45,263
	(99.3)	(0.6)	(0.1)	(0.0)	(0.7)	(100.0)
ऋण कंपनियां						
2008-09	8,893	331	125	18	386	9,367
	(94.9)	(3.5)	(1.3)	(0.2)	(4.1)	(100.0)
2009-10 अ	18,409	296	159	61	34	18,925
	(97.3)	(1.6)	(0.8)	(0.3)	(0.2)	(100.0)

अ:अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े क्रेडिट एक्सप्रोजर का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : छमाही विवरणियां ।

सारणी VI.30: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	मार्च के अंत में							
	2008-09				2009-10 अ			
	आ.वि.कं.	नि.कं.	ऋ.कं.	कुल	आ.वि.कं	नि.कं.	ऋ.कं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) 12 प्रतिशत से कम (क+ख)	2	0	2	4	1	0	3	4
क.) 9 प्रतिशत से कम	2	0	2	4	1	0	2	3
ख.) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0	1	1
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	2	0	0	2	1	0	0	1
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	3	0	1	4	5	1	1	7
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	22	1	3	26	19	0	8	27
5) 50 प्रतिशत से अधिक	138	3	48	189	140	2	35	177
जोड़	**167**	**4**	**54**	**225**	**166**	**3**	**47**	**216**

अ : अनंतिम
आ.वि.कं. : आस्ति वित्त कंपनी; ऋण कं.: ऋण कंपनियां; नि.कं.: निवेश कंपनियां
स्रोत : छमाही विवरणियां।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

6.44 मार्च 2010 के अंत में, 216 एनबीएफसी में से 212 का सीआरएआर 12 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था जबकि मार्च 2009 के अंत में 225 में से 221 एनबीएफसी का सीआरएआर उपर्युक्तानुसार था (सारणी VI.30)। यह उल्लेखनीय है कि एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से समेकन की प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमें कमजोर एनबीएफसी धीरे-धीरे कारोबार से अलग हो रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में सुदृढ़ता आ रही है।

6.45 मार्च 2010 के अंत में, एनबीएफसी की सभी श्रेणियों का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की तुलना में सार्वजनिक जमाराशि अनुपात 0.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा (सारणी VI.31)।

6.46 2009-10 में एनबीएफसी-डी के एनओएफ तथा सार्वजनिक जमाराशियों में वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः उन एनबीएफसी-डी तक सीमित थी जिनकी एनओएफ आकार श्रेणी 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक की थी (सारणी VI.32)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

6.47 मार्च 2010 के अंत में, आरएनबीसी की आस्तियों में 23.0 प्रतिशत की गिरावट आई। आस्तियों में मुख्य रूप से भार-

सारणी VI.31 : एनबीएफसी के वर्गीकरणवार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशि की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत मे			
	निवल स्वाधिकृत निधियां		सार्वजनिक जमाराशियां	
	2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10 अ
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त	7,652	9,863	1,553 (0.2)	2,268 (0.2)
निवेश	-	-	- (0.0)	- (0.0)
ऋण	4095	3394	418 (0.1)	458 (0.2)
जोड़	11,747	13,257	1,971 (0.2)	2,727 (0.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकडे निवल स्वाधिकृत निधि के प्रति सार्वजनिक जमाराशि के अनुपात हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांडों/डिबेंचरों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों/ जमा प्रमाणपत्रों में निवेश शामिल था। तथापि, 2009-10 में आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि में 56.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई(सारणी VI.33)।

6.48 2009-10 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई गिरावट उनके व्यय में हुई गिरावट से कम थी जिसके कारण

सारणी VI.32 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में					
	2008-09			2009-10 अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 करोड़ रुपए तक	4	-424	179 -(0.4)	3	-202	148 -(0.7)
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	178	128	49 (0.4)	129	96	34 (0.4)
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	69	261	136 (0.5)	56	210	117 (0.6)
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	22	417	159 (0.4)	24	432	189 (0.4)
5. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	2	127	45 (0.4)	2	117	52 (0.4)
6. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	5	959	389 (0.4)	4	824	482 (0.6)
7. 500 करोड़ रुपए से अधिक	8	10,280	1,015 (0.1)	10	11,780	1,704 (0.1)
जोड़	**288**	**11,747**	**1,971** **(0.2)**	**228**	**13,257**	**2,727** **(0.2)**

अ: अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सार्वजनिक जमाराशियां हैं जो संबधित निवल स्वाधिकृत निधि के अनुपात के रूप में हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

वर्ष के दौरान उनके परिचालन लाभ में वृद्धि हुई। कराधान के लिए प्रावधान में वृद्धि के बावजूद 2009-10 में आरएनबीसी के निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष गिरावट हुई थी।

सारणी VI.33: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत में	
	2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10 अ
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (i से v)	**20,280**	**15,616**	**-17.1**	**-23.0**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	5,247	2,467	67.3	-53.0
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशि / जमा प्रमाणपत्र में निवेश	5,999	4,860	-8.6	-19.0
(iii) सरकारी कंपनी / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्त संस्था / निगम के बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	6,993	5,290	-43.2	-24.4
(iv) अन्य निवेश	299	1,280	-47.8	328.1
(v) अन्य आस्तियाँ	1,742	1,719	-6.3	-1.3
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	**1,870**	**2,921**	**8.8**	**56.2**
ग. कुल आय (i+ii)	**2,416**	**1,946**	**3.9**	**-19.5**
(i) निधि आय	2,315	1,920	0.5	-17.1
(ii) शुल्क आय	101	26	339.1	-74.3
घ. कुल व्यय (i+ii+iii)	**2,069**	**1,400**	**19.9**	**-32.3**
(i) वित्तीय लागत	1,604	974	21.3	-39.3
(ii) परिचालन लागत	379	343	15.2	-9.5
(iii) अन्य लागत	86	83	16.2	-3.5
ङ. कराधान	**149**	**164**	**-33.5**	**10.1**
च. परिचालन लाभ (पीबीटी)	**347**	**547**	**-42.3**	**57.6**
छ. निवल लाभ (पीएटी)	**198**	**383**	**-47.5**	**93.4**

अ : अनंतिम पीबीटी : कर पूर्व लाभ पीएटी : करोत्तर लाभ
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

आरएनबीसी की जमाराशियों का क्षेत्रीय पैटर्न

6.49 मार्च 2010 के अंत में, दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां(आरएनबीसी) थीं जिनमें से एक पूर्वी क्षेत्र में तथा दूसरी मध्य क्षेत्र में थी। आरएनबीसी अन्य कारोबारी मॉडलों की ओर अग्रसर हो रही हैं और ये 2015 तक अपनी जमाराशि देयताओं को घटाकर 'शून्य' कर लेंगी। 2009-10 में दो आरएनबीसी की सार्वजनिक जमाराशियों में उल्लेखनीय गिरावट आई जो मुख्यतः मध्य क्षेत्र में स्थित आरएनबीसी द्वारा धारित जमाराशियों में उल्लेखनीय गिरावट आने की वजह से थी (सारणी VI.34)।

आरएनबीसी के निवेश का पैटर्न

6.50 2009-10 में जमाराशियों में गिरावट की वजह से आरएनबीसी के निवेश में गिरावट आई। यह गिरावट भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के मामले में उल्लेखनीय थी (सारणी VI.35)।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ

6.51 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक आस्ति आकार वाली) से प्राप्त विवरणियों पर आधारित सूचना से मार्च 2009 को समाप्त वर्ष की तुलना में उनकी देयताओं/आस्तियों में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी दी। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की कुल उधार राशियों (जमानती तथा बेजमानती) में मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कुल देयताओं का लगभग दो-तिहाई था (सारणी VI.36)। बेजमानती उधार एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए निधियों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, जिसके बाद जमानती उधार, आरक्षित निधि तथा अधिशेष का स्थान था।

सारणी VI.34: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2008-09		2009-10 अ	
	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	राशि	अ.गै.बैं.कं. की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
मध्य	1	15,672 (80.0)	1	11,235 (77.4)
पूर्वी	1	3,924 (20.0)	1	3,285 (22.6)
कुल	**2**	**19,596**	**2**	**14,520**
महानगरीय क्षेत्र:				
कोलकाता	1	3,924	1	3,285
नई दिल्ली	-	-	-	-
कुल	**1**	**3,924**	**1**	**3,285**

- : शून्य / नगण्य अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणी।

सारणी VI.35: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कपंनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

	मार्च के अंत में	
	2008-09	2009-10 अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**19,595**	**14,520**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,247 (26.8)	2,467 (17.0)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	5,999 (30.6)	4,860 (33.5)
(iii) सरकारी कं./सरकारी क्षेत्र के बैंक / सरकारी वित्तीय संस्था / निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	6,993 (35.7)	5,290 (36.4)
(iv) अन्य निवेश	299 (1.5)	1,280 (8.8)

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएलडी का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणी ।

6.52 एनडी-एसआइ क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है तथा बेजमानती उधार उनकी निधियों का अकेला सबसे बड़ा स्रोत है, जो अधिकांशतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार, उनमें एक प्रणालीगत सहबद्धता होती है तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली को उनसे कोई जोखिम नहीं है। जहां तक वे बैंक वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं, जमाकर्ताओं के लिए अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र रहता है। जहां निधीयन के संकेंद्रण में जोखिम रहती है, वहीं एनबीएफसी को दिए गए बैंक उधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उनकी वृद्धि बाधित हो सकती है। एक सक्रिय कारपोरेट बांड बाजार विकसित होने से एनबीएफसी की निधीयन संबंधी अपेक्षाओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। समूचे एनडी-एसआइ क्षेत्र का लीवरेज अनुपात 2009-10 में बढ़ गया। तथापि, संवेदनशील क्षेत्र, जो पूंजी बाजार जैसे संभाव्य उछाल-गिरावट के चक्र के प्रति प्रणत रहता है, के प्रति एनडी-एसआइ क्षेत्र के एक्सपोज़र में भी वृद्धि दिखायी देती है।

सारणी VI 36: एनबीएफसी-एनडी-एसआइ का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2009	मार्च 2010	जून 2010	प्रतिशत घट बढ़
1. शेयर पूंजी	31,756	33,576	33,734	5.7
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	99,011	1,11,967	1,15,091	13.1
3. कुल उधार (अ + आ)	**3,19,175**	**3,81,850**	**4,13,476**	19.6
अ. जमानती उधार	**1,49,569**	**1,74,803**	**1,87,112**	**16.9**
अ.1. डिबेंचर	48,833	56,913	63,009	16.5
अ.2. बैंकों से उधार	36,263	47,404	48,995	30.7
अ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	5,749	7,844	7,313	36.4
अ.4. उपचित ब्याज	2,897	3,506	3,686	21.0
अ.5. अन्य	55,828	59,136	64,109	5.9
आ. बेजमानती उधार	**1,69,606**	**2,07,047**	**2,26,364**	**22.1**
आ.1. डिबेंचर	64,570	82,529	92,469	27.8
आ.2. बैंकों से उधार	42,430	42,364	40,702	-0.2
आ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	2,687	3,064	3,378	14.0
आ.4. रिश्तेदारों से उधार	2,230	1,784	2,041	-20.0
आ. 5. इंटर-कारपोरेट उधार	13,829	19,136	21,660	38.4
आ.6. वाणिज्यिक पत्र	22,337	33,580	34,262	50.3
आ.7. उपचित ब्याज	3,198	3,729	7,844	16.6
आ.8. अन्य	18,326	20,860	24,007	13.8
4. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	32,966	36,082	37,087	9.5
कुल देयताएं / कुल अस्तियां	**4,82,907**	**5,63,476**	**5,99,388**	**16.7**
आस्तियां				
1. ऋण तथा अग्रिम	2,86,555	3,50,470	3,75,052	22.3
1.1. जमानती	1,95,335	2,49,895	2,76,326	27.9
1.2. असंरक्षित/बेजमानती	91,221	1,00,575	98,727	10.3
2. किराया खरीद आस्तियां	35,682	41,746	43,568	17.0
3. निवेश	90,242	98,170	1,11,488	8.8
3.1. दीर्घावधि निवेश	60,569	65,999	67,001	9.0
3.2. वर्तमान निवेश	29,673	32,171	44,488	8.4
4. नकद और बैंक शेष	28,934	25,407	20,748	-12.2
5. अन्य चालू आस्तियां	32,119	36,270	35,834	12.9
6. अन्य आस्तियां	9,376	11,413	12,697	21.7
ज्ञापन मदें				
1. पूंजी बाजार जोखिम	81,865	1,05,514	1,10,761	28.9
जिसमें से				
इक्विटी शेयर	34,952	38,670	38,945	10.6
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएमइ	17.0	18.7	18.5	
3. लीवरेज अनुपात	2.69	2.87	3.03	

टिप्पणी : 1. प्रस्तुत उक्त आंकड़े एनडी-एसआइ से संबंधित हैं जिन्हें मार्च 2009 से जून 2009 तक सुसंगत रूप से रिपोर्ट किया गया है।
2. इन एनडी-एसआइ में सभी एनडी-एसआइ की कुल आस्तियों के 98% से अधिक आस्तियां शामिल हैं।

स्रोत : एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ और अधिक)

एनबीएफसी-एनबी-एसआइ का क्षेत्रवार उधार

6.53 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के कुल उधार के क्षेत्रवार विश्लेषण से प्रकट होता है कि पश्चिमी क्षेत्र के साथ उत्तरी क्षेत्र ने मार्च 2010 तथा मार्च 2009 के दौरान कुल उधार के तीन-चौथाई से अधिक का हिस्सा बनाए रखा; यह प्रवृत्ति जून 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान भी बनी रही। मार्च 2009 की तुलना में मार्च 2010 के दौरान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। जून 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में उधार में वृद्धि दर्ज की गयी (सारणी VI.37)।

सारणी VI.37: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियां क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च 2009	मार्च 2010	जून 2010
1	2	3	4
उत्तरी	1,71,438	2,06,073	2,19,788
पूर्व	10,079	13,074	12,891
पश्चिमी	89,290	1,03,408	1,14,283
दक्षिणी	48,368	59,296	66,513
कुल उधार राशियां	**3,19,175**	**3,81,850**	**4,13,476**

स्रोत :एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ रुपए और अधिक) ।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

6.54 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में थोड़ा सुधार हुआ जैसा कि पिछले साल की तुलना में 2009-2010 के दौरान निवल लाभ की वृद्धि में दिखायी देता है। तथापि, कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में उस अवधि के दौरान गिरावट आयी (सारणी VI.38)।

6.55 समग्र एनबीएफसी-एनडी-एसआइ क्षेत्र की कुल आस्तियों की तुलना में सकल एवं निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान थोड़ी गिरावट आयी। जून 2010 को समाप्त तिमाही के संबंध में प्राप्त नवीनतम जानकारी से कुछ सुधार दिखायी देता है (सारणी VI.39)।

6.56 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 188 एनडी-एसआइ कंपनियों में से 78 कंपनियों ने अपनी कुल आस्तियों के वित्तपोषण के लिए उनकी अपनी निधि पर निर्भरता दिखायी। तथापि, कुछ कंपनियों ने उनकी आस्तियों के बड़े हिस्से के वित्तपोषण के लिए

सारणी VI.38: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2009	मार्च 2010	जून 2010
1	2	3	4
1. कुल आय	60,091	58,628	16,366
2. कुल व्यय	43,885	43,227	10,959
3. निवल लाभ	10,800	10,897	3,792
4. कुल अस्तियां	4,82,907	5,63,476	5,99,388
वित्तीय अनुपात			
(i) कुल अस्तियों के प्रतिशत की तुलना में आय	12.4	10.4	2.7
(ii) कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय	9.1	7.7	1.8
(iii) कुल आय की तुलना में निवल लाभ	18.0	18.6	23.2
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	2.2	1.9	0.6

स्रोत : एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ और अधिक) ।

सारणी VI.39: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनडी-एसआइ के अनर्जक आस्ति अनुपात

(करोड़ रुपए)

मद	मार्च 2009	मार्च 2010	जून 2010
1	2	3	4
1. सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	2.9	3.0	2.6
2. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए	1.0	1.2	1.1
3. कुल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए	2.2	2.3	2.0
4. कुल आस्तियों की तुलना में निवल एनपीए	0.7	0.9	0.8

स्रोत : एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ रुपए और अधिक) ।

आइसीडी/वाणिज्यिक पत्र/बैंकों पर अपनी निर्भरता दिखायी (सारणी VI.40)।

6.57 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, एनडी-एसआइ कंपनियां अपने मीयादी उधार, कार्यशील पूंजीगत उधार, तथा डिबेंचर/वाणिज्यिक पत्र के लिए मुख्य रू प से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निर्भर थीं। निजी क्षेत्र के नए बैंक दूसरे बड़े बैंक समूह बनकर उभरे हैं, जिनसे एनडी-एसआइ कंपनियां मीयादी उधार तथा कार्यशील पूंजीगत उधार जुटा सकती हैं। तथापि, डिबेंचर के मामले में, एनडी-एसआइ के संबंध में विदेशी बैंकों का अंशदान भी महत्वपूर्ण है (सारणी VI.41)।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.58 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार, बीस प्राथमिक व्यापारी (पीडी) थे जिनमें से बारह बैंक थे जो विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी संबंधी कारोबार कर रहे थे (बैंक-पीडी) तथा शेष आठ बैंकेतर संस्थाएं थीं, जिन्हें स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी के रूप में जाना जाता है, जो आरबीआइ अधिनियम, 1934 की धारा 45आइए के अंतर्गत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हैं।

सारणी VI.40: सार्वजनिक निधियों पर निर्भरता

(मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

कंपनियों की संख्या

निर्भरता (कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत)	स्वाधिकृत निधि	बैंक	डिबेंचर	आइसीडी	वाणिज्यिक पत्र	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
0%	-	129	129	139	153	92
0 से 20 %	37	26	32	40	20	71
20 से 40 %	31	17	15	1	9	12
40 से 60 %	22	11	10	4	5	8
60 से 80 %	20	4	2	2	-	3
80 से 100 %	78	1	-	2	1	2
कुल	188	188	188	188	188	188

- शून्य

स्रोत : एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ रुपए और अधिक)

सारणी VI.41:एनबीएफसी - एनडी - एसआइ का बैंक एक्सपोजर (मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रूपए में)

बैंक समूह	मीयादी ऋण	कार्यकारी पूंजी ऋण	डिबेंचर / वाणिज्यक पत्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6
क. राष्ट्रीयकृत बैंक	37,863	5,666	3,773	2,001	49,303
	(59.1)	(37.1)	(32.9)	(37.0)	(51.3)
ख. स्टेट बैंक समूह	5,866	3,756	1,160	19	10,802
	(9.2)	(24.6)	(10.1)	(0.4)	(11.2)
ग. पुराने प्राइवेट बैंक	4,995	794	516	342	6,647
	(7.8)	(5.2)	(4.5)	(6.3)	(6.9)
घ. नए प्राइवेट बैंक	10,823	4,388	2,479	1,530	19,219
	(16.9)	(28.7)	(21.6)	(28.3)	(20.0)
ङ विदेशी बैंक	4,483	674	3,552	1,510	10,218
	(7.0)	(4.4)	(30.9)	(28.0)	(10.6)
सभी बैंक	64,029	15,279	11,480	5,402	96,190
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

स्रोत : एनडी-एसआइ की मासिक विवरणी (100 करोड़ और अधिक)

वर्ष 2009-10 के दौरान, डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड, बैंक ऑफ अमरीका कारपोरेशन जो बैंक ऑफ अमरीका, एन.ए. की मूल कंपनी है, तथा मेरिल लिंच एण्ड कंपनी के बीच विलय के लिए हुए करार के अनुसरण में, प्राथमिक व्यापारी नहीं रहा, जिसके अनुसार डीएसपी मेरिल लिंच सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड के प्राथमिक व्यापारी संबंधी कारोबार का अधिग्रहण बैंक ऑफ अमरीका ने कर लिया। साथ ही, मार्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड तथा नोमुरा फिक्स्ड इन्कम सिक्यूरिटीज लिमिटेड को क्रमशः 20 जुलाई 2009 तथा 7 सितम्बर 2009 से प्राथमिक व्यापारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया। ऐक्सिस बैंक को 5 अप्रैल 2010 से विभागीय तौर पर पीडी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

पीडी का परिचालन तथा कार्यनिष्पादन

6.59 वर्ष 2009-10 के दौरान, खजाना बिलों (टी-बिल) में प्राथमिक व्यापारियों ने 4,17,060 करोड़ रुपए की बोली संबंधी वचनबद्धता की तुलना में सामूहिक तौर पर (बैंक-पीडी सहित) 7,54,041 करोड़ रुपए की वास्तविक बोली लगायी तथा इस प्रकार बोली-कवर अनुपात 1.98 था। खजाना बिलों और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों दोनों के संबंध में, 2009-10 के दौरान, सफलता अनुपात अर्थात् प्राथमिक व्यापारियों की कुल वचनबद्धता में उनकी बोलियों की राशि के अनुपात में गिरावट हुई। साल की दोनों छमाहियों में सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 40.0 प्रतिशत का न्यूनतम निर्धारित सफलता अनुपात संबंधी लक्ष्य प्राप्त किया। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में, प्राथमिक बाजार में पीडी द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांकित प्रतिभूतियों की वास्तविक बोलियां 2008-09 के 1.34 गुने की तुलना में अधिसूचित राशि (4,18,000 करोड़ रुपए) का 1.28 गुना थीं (सारणी VI.42)।

6.60 वर्ष 2009-10 के दौरान, द्वितीयक बाजार में पीडी का टर्नओवर (एकमुश्त तथा रिपो दोनों) 26,02,475 करोड़ रुपए था। बाजार के कुल टर्नओवर में पीडी के कुल टर्नओवर का अनुपात 2008-09 के 12.8 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 8.7 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.43)।

निधियों का स्रोत तथा उपयोग

6.61 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान पीडी के तुलनपत्र का आकार पिछले साल के स्तर पर बना रहा। तथापि, पिछले

सारणी VI.42: प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2009	2010
1	2	3
खजाना बिल		
बोली वचनब्द्धता	2,84,985	4,17,060
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	5,09,794	7,54,041
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	1.8	1.9
स्वीकृत बोली	1,72,474	2,33,648
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	59.1	56.0
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	2,61,000	4,18,000
वास्तविक प्रस्तुत बोलियां	3,49,393	5,35,722
कवर की तुलना में बोलियों का अनुपात	1.34	1.28
स्वीकृत बोली	1,11,094	1,75,609
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	42.6	42.0

सारणी VI.43: द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अप्रैल-जून 2009	जुलाई-सितंबर 2009	अक्तू.-दिसं. 2009	जन.-मार्च 2010	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
एकमुश्त						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	2,29,437	2,26,437	2,66,662	1,79,557	9,02,093	7,96,187
बाजार पण्यावर्त	15,67,998	14,72,717	15,22,511	11,21,613	56,84,838	42,55,352
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	14.6	15.4	17.5	16.0	15.9	18.7
रिपो						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	3,77,966	4,13,077	5,26,858	3,82,480	17,00,382	18,21,096
बाजार पण्यावर्त	60,37,454	68,90,178	62,41,326	50,14,271	2,41,83,229	1,62,34,732
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	6.3	6.0	8.4	7.6	7.0	11.2
कुल						
प्रा.व्या.पण्यावर्त	6,07,403	6,39,515	7,93,520	5,62,037	26,02,475	26,17,283
बाजार पण्यावर्त	76,05,452	83,62,896	77,63,837	61,35,883	2,98,68,067	2,04,90,084
प्रा.व्या. का हिस्सा (प्रतिशत)	8.0	7.7	10.2	9.2	8.7	12.8

स्रोत : सीसीआइएल

साल की तुलना में 2009-10 में स्टैंडअलोन पीडी की पूंजी में इस कारण से वृद्धि हुई कि पीडी की संख्या मार्च 2009 के अंत के सात से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में आठ हो गयी तथा न्यूनतम एनओएफ की संशोधित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कुछ पीडी द्वारा नयी पूंजी डाली गयी। स्टैंडअलोन पीडी की आरक्षित निधि तथा अधिशेष में पिछले साल की तुलना में गिरावट आयी। पीडी के जमानती उधारों में 14 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि बेजमानती उधारों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां तक निधियों के उपयोग का संबंध है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत घट गया, जबकि सरकारी प्रतिभूति से इतर लिखतों में, जिनमें सीपी तथा कारपोरेट बांड शामिल हैं, निवेश 2009-10 के दौरान बढ़ गया (सारणी VI.44)।

स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

6.62 वर्ष 2009-10 के दौरान, ब्याज संबंधी व्यय में गिरावट के बावजूद ब्याज एवं बट्टा से होने वाली आय तथा ट्रेडिंग संबंधी

सारणी VI.44: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
मद	2008	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	10,882	10,307	10,308	-5.3	0.01
1 पूंजी	1,508	1,121	1,541	-25.7	37.47
2 आरक्षित निधि और अधिशेष	1,944	2,213	1,925	13.8	-13.01
3 ऋण (क+ख)	7,430	6,973	6,842	-6.2	-1.88
क) जमानती	4,580	2,945	2,522	-35.7	-14.36
ख) बेजमानती	2,850	4,028	4,320	41.3	7.25
निधियों का उपयोग	10,882	10,307	10,308	-5.3	0.01
1 अचल आस्तियां	14	13	14	-7.1	7.69
2 निवेश (क से ग)	8,291	7,891	7,280	-4.8	-7.74
क) सरकारी प्रतिभूतियां	7,584	7,305	6,258	-3.7	-14.33
ख) वाणिज्यिक पत्र	86	88	142	2.3	61.36
ग) कंपनी बांड	621	498	880	-19.8	76.71
3 ऋण और अग्रिम	429	959	741	123.5	-22.73
4 गैर चालू आस्तियां	0	0	0		
5 इक्विटी, म्युच्युअल फंड आदि	150	22	68	-85.3	209.09
6 अन्य*	1,998	1,422	2,205	-28.8	55.07

*: अन्य में नकदी + बैंक शेष + उपचित ब्याज + आस्थिगत कर अस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।
स्रोत: संबंधित प्राथमिक व्यापारियों के वार्षिक रिपोर्ट।

सारणी VI.45: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2008-09	2009-10	प्रतिशत घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	1,825	804	-1,021	-55.9
i) ब्याज और बट्टा	878	690	-188	-21.4
ii) कारोबारी लाभ	843	-30	-873	-103.6
iii) अन्य आय	104	144	40	38.5
ख. व्यय (i+ii)	692	461	-231	-33.4
i) ब्याज	546	303	-243	-44.5
ii) अन्य व्यय	146	158	12	8.2
कर पूर्व लाभ	1,133	343	-790	-69.7
करोत्तर लाभ	749	227	-522	-69.7
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	7	8		

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी की वार्षिक रिपोर्ट

लाभ में गिरावट के परिणास्वरूप पीडी के निवल लाभ में पिछले साल की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट आयी। वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में आयी तेजी ने स्टैंडअलोन पीडी के ट्रेजरी संबंधी लाभ को प्रभावित किया (सारणी VI.45 तथा परिशिष्ट सारणी VI.2)।

6.63 प्राथमिक व्यापारियों के आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) में 2009-10 के दौरान तेज गिरावट हुई जिसके बाद उनके निवल लाभ में तीव्र गिरावट आयी (सारणी VI.46)।

6.64 स्टैंडअलोन पीडी अच्छी तरह से पूंजीकृत बने रहे। अलग-अलग स्टैंडअलोन पीडी का सीआरएआर मार्च 2010 के अंत में न्यूनतम निर्धारित 15 प्रतिशत सीआरएआर के ऊपर बना रहा। एक समूह के रूप में स्टैंडअलोन पीडी का सीआरएआर मार्च 2010 के अंत में 43.5 प्रतिशत था (सारणी VI.47 तथा परिशिष्ट सारणी VI.3)।

सारणी VI.46: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2008-09	2009-10
1	2	3
i) निवल लाभ	749	227
ii) औसत आस्तियां	11,348	12,815
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	6.6	1.8
iv) प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	7	8

स्रोत : प्राथमिक व्यापारी की विवरणी (पिडीआर)।

सारणी VI.47 : प्राथमिक व्यापरियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009	2010
1	2	3
कुल आस्तियां	10,307	10,308
इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	7,305	6,258
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां	70.9	60.7
सकल पूंजी निधि	3,464	3,610
सीआरएआर (प्रतिशत में)	34.8	43.5
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000
प्राथमिक व्यापरियों की संख्या	7	8

स्रोत: प्राथमिक व्यापारी विवरणी (पीडीआर)।

5. निष्कर्ष

6.65 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं के समेकित तुलनपत्र का विस्तार हुआ, जिसका कारण इन संस्थाओं द्वारा बांड एवं डिबेंचर जारी करने में हुई उल्लेखनीय वृद्धि था। 2009-10 में वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ के कुल स्तर में वृद्धि हुई। वित्तीय संस्थाओं के निवल एनपीए में 2009-10 में औसत स्तर पर कुछ वृद्धि हुई। वित्तीय संस्थाओं की पूंजी पर्याप्तता भी उनके सीआरएआर के सांविधिक न्यूनतम अनुपात से अधिक होने के साथ काफी सुदृढ़ थी जो यह दर्शाता है कि उनके कर्ज वितरण के विस्तार में काफी संभावनाएं हैं।

6.66 खजाना बिलों और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों दोनों के संबंध में, 2009-10 में पिछले वर्ष के मुकाबले प्राथमिक व्यापारियों के सफलता अनुपात में गिरावट हुई। प्राथमिक व्यापारियों के आरओए में भी तीव्र गिरावट दिखायी दी क्योंकि वर्ष के दौरान उनका निवल लाभ काफी कम हो गया।

6.67 2009-10 में एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के तुलनपत्रों में विस्तार देखा गया। तथापि, उनके आरओए में 2009-10 में गिरावट आयी। साथ ही, 2009-10 में सकल तथा निवल अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि के साथ उनकी आस्ति की गुणवत्ता में भी थोड़ी गिरावट देखी गयी।

6.68 यह उल्लेखनीय है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी एनबीएफसी हैं जो रिज़र्व बैंक के सीधे पर्यवेक्षण और विनियमन की परिधि में नहीं आती हैं। एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि के संवर्धन के लिए, सक्रिय कारपोरेट बांड बाजार के रूप में निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना वांछनीय होगा।

परिशिष्ट सारणी IV.1: भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक*			स्टेट बैंक समूह			निजी क्षेत्र के बैंक		
	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा	10,34,367 (27.5)	9,59,314 (21.6)	-7.3	6,43,349 (25.9)	6,00,770 (19.8)	-6.6	3,91,018 (30.6)	3,58,544 (25.4)	-8.3	10,17,240 (99.0)	9,69,704 (84.3)	-4.7
2. दी गई गारंटियां	2,55,918 (6.8)	3,30,555 (7.4)	29.2	1,66,939 (6.7)	2,12,317 (7.0)	27.2	88,979 (7.0)	1,18,238 (8.4)	32.9	1,03,379 (10.1)	1,32,673 (11.5)	28.3
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	6,13,497 (16.3)	4,72,329 (10.6)	-23.0	2,33,751 (9.4)	2,46,368 (8.1)	5.4	3,79,746 (29.7)	2,25,960 (16.0)	-40.5	6,20,126 (60.3)	7,40,222 (64.3)	19.4
आकस्मिक देयताएं	**19,03,781 (50.6)**	**17,62,197 (39.7)**	**-7.4**	**10,44,039 (42.0)**	**10,59,455 (35.0)**	**1.5**	**8,59,742 (67.2)**	**7,02,742 (49.8)**	**-18.3**	**17,40,746 (169.4)**	**18,42,598 (160.1)**	**5.9**

मद	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			निजी क्षेत्र के नए बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा	96,661 (41.6)	98,608 (36.7)	2.0	9,20,579 (115.7)	8,71,096 (98.8)	-5.4	62,94,435 (1414.1)	52,26,956 (1206.5)	-17.0	83,46,043 (159.3)	71,55,974 (118.8)	-14.3
2. दी गई गारंटियां	10,303 (4.4)	12,276 (4.6)	19.2	93,076 (11.7)	1,20,397 (13.7)	29.4	57,241 (12.9)	59,949 (13.8)	4.7	4,16,537 (8.0)	5,23,177 (8.7)	25.6
3. स्वीकृतियाँ, समर्थन आदि.	9,860 (4.2)	13,246 (4.9)	34.4	6,10,266 (76.7)	7,26,975 (82.4)	19.1	11,56,284 (259.8)	16,38,258 (378.2)	41.7	23,89,907 (45.6)	28,50,808 (47.3)	19.3
आकस्मिक देयताएं	**1,16,824 (50.3)**	**1,24,131 (46.2)**	**6.3**	**16,23,922 (204.2)**	**17,18,467 (194.9)**	**5.8**	**75,07,960 (1686.7)**	**69,25,163 (1598.5)**	**-7.8**	**1,11,52,487 (212.9)**	**1,05,29,958 (174.8)**	**-5.6**

* : आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.2 (अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		जिसमें से, कृषि		जिसमें से, लघु उद्योग		जिसमें से, अन्य		सरकारी क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**30,848**	**53.8**	**8,330**	**14.5**	**11,537**	**20.1**	**10,981**	**19.2**	**524**	**0.9**	**25,929**	**45.3**	**57,301**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**19,908**	**56.1**	**5,741**	**16.2**	**8,668**	**24.4**	**5,499**	**15.5**	**280**	**0.8**	**15,283**	**43.1**	**35,470**
1.	इलाहाबाद बैंक	**713**	**58.4**	215	17.6	311	25.4	187	15.3	**119**	**9.8**	**389**	**31.9**	**1,221**
2.	आंध्रा बैंक	**218**	**44.7**	26	5.4	66	13.5	126	25.9	-	-	**270**	**55.3**	**488**
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	**1,444**	**65.8**	636	29.0	530	24.1	279	12.7	**85**	**3.9**	**667**	**30.4**	**2,196**
4.	बैंक ऑफ इंडिया	**2,147**	**47.9**	490	10.9	1,360	30.4	297	6.6	**18**	**0.4**	**2,317**	**51.7**	**4,481**
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**795**	**65.7**	232	19.2	363	30.0	200	16.6	-	-	**415**	**34.3**	**1,210**
6.	केनरा बैंक	**1,423**	**56.8**	462	18.4	394	15.7	568	22.7	-	-	**1,081**	**43.2**	**2,505**
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**1,658**	**67.5**	421	17.1	922	37.5	315	12.8	**8**	**0.3**	**792**	**32.2**	**2,458**
8.	कार्पोरेशन बैंक	**398**	**61.1**	122	18.7	79	12.1	197	30.3	-	-	**253**	**38.9**	**651**
9.	देना बैंक	**379**	**59.0**	83	13.0	74	11.5	222	34.6	-	-	**263**	**41.0**	**642**
10.	इंडियन बैंक	**249**	**54.2**	55	12.0	163	35.5	31	6.7	-	-	**210**	**45.8**	**459**
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	**1,192**	**34.6**	276	8.0	606	17.6	310	9.0	**2**	-	**2,248**	**65.3**	**3,442**
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	**911**	**62.0**	276	18.8	385	26.2	250	17.0	-	-	**558**	**38.0**	**1,469**
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	**138**	**67.1**	42	20.4	85	41.2	11	5.5	-	-	**68**	**32.9**	**206**
14.	पंजाब नेशनल बैंक	**2,471**	**76.9**	977	30.4	1,165	36.3	328	10.2	**4**	**0.1**	**739**	**23.0**	**3,214**
15.	सिंडिकेट बैंक	**1,091**	**54.4**	176	8.8	238	11.9	677	33.8	**12**	**0.6**	**902**	**45.0**	**2,005**
16.	यूको बैंक	**976**	**58.6**	289	17.4	339	20.4	348	20.9	**15**	**0.9**	**674**	**40.5**	**1,665**
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**1,632**	**61.3**	369	13.9	895	33.6	367	13.8	-	-	**1,032**	**38.7**	**2,664**
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**894**	**65.1**	204	14.9	283	20.6	407	29.6	-	-	**478**	**34.9**	**1,372**
19.	विजया बैंक	**394**	**39.6**	93	9.4	190	19.1	110	11.1	**17**	**1.7**	**583**	**58.7**	**994**
20.	आइडीबीआइ बैंक लि.	**785**	**36.9**	297	13.9	221	10.4	267	12.6	-	-	**1,344**	**63.1**	**2,129**
	स्टेट बैंक समूह	**10,940**	**50.1**	**2,589**	**11.9**	**2,869**	**13.1**	**5,482**	**25.1**	**244**	**1.1**	**10,646**	**48.8**	**21,831**
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	**269**	**43.9**	7	1.1	124	20.2	139	22.6	-	-	**343**	**56.1**	**612**
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**290**	**44.9**	55	8.4	102	15.8	134	20.7	-	-	**356**	**55.1**	**646**
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**9,073**	**50.9**	2,322	13.0	2,168	12.2	4,583	25.7	**235**	**1.3**	**8,529**	**47.8**	**17,836**
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	**210**	**42.6**	19	3.8	57	11.6	134	27.1	-	-	**283**	**57.4**	**493**
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	**291**	**49.0**	43	7.2	120	20.1	129	21.6	**3**	**0.5**	**301**	**50.5**	**595**
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**543**	**54.0**	119	11.8	212	21.1	212	21.1	-	-	**463**	**46.0**	**1,007**
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	**264**	**41.1**	25	3.8	87	13.6	152.00	23.7	**6**	**1.0**	**372**	**57.9**	**642**

-: शून्य / नगण्य

स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.2(आ) : निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		जिसमें से, कृषि		जिसमें से, लघु उद्योग		जिसमें से, अन्य		सरकारी क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	निजी क्षेत्र के बैंक	**4,792**	**27.6**	**2,023**	**11.6**	**1,139**	**6.6**	**1,630**	**9.4**	**-**	**-**	**12,592**	**72.4**	**17,384**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1,613**	**44.7**	**269**	**7.4**	**475**	**13.2**	**869**	**24.1**	**-**	**-**	**1,999**	**55.3**	**3,612**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	**61**	**20.9**	7	2.5	42	14.4	12	4.1	**-**	**-**	**232**	**79.1**	**294**
2.	कैथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड	**62**	**41.7**	7	4.6	32	21.4	23	15.7	**-**	**-**	**87**	**58.3**	**149**
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	**41**	**44.2**	16	17.1	9	9.7	16	17.3	**-**	**-**	**52**	**55.8**	**94**
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	**35**	**45.6**	4	5.3	6	7.3	26	33.0	**-**	**-**	**42**	**54.4**	**78**
5.	फेडरल बैंक लि.	**440**	**53.6**	65	8.0	18	2.2	356	43.4	**-**	**-**	**381**	**46.4**	**821**
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	**65**	**29.2**	36	16.1	23	10.3	6	2.8	**-**	**-**	**159**	**70.8**	**224**
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	**286**	**61.8**	32	7.0	54	11.7	199	43.2	**-**	**-**	**176**	**38.2**	**462**
8.	कर्नाटक बैंक लि.	**324**	**59.0**	51	9.2	172	31.2	102	18.6	**-**	**-**	**225**	**41.0**	**550**
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	**68**	**29.0**	7	2.9	53	22.7	8	3.4	**-**	**-**	**167**	**71.0**	**235**
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	**58**	**17.8**	10	3.1	15	4.5	33	10.1	**-**	**-**	**267**	**82.2**	**325**
11.	नैनीताल बैंक लि.	**17**	**73.4**	8	34.9	2	9.2	7	29.4	**-**	**-**	**6**	**26.6**	**23**
12.	रत्नाकर बैंक लि.	**18**	**65.0**	2	8.6	10	35.6	6	20.8	**-**	**-**	**10**	**35.0**	**28**
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	**2**	**62.4**	-	-	-	-	2	62.4	**-**	**-**	**1**	**37.6**	**3**
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	**88**	**41.7**	12	5.7	27	12.9	49	23.0	**-**	**-**	**123**	**58.3**	**211**
15.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	**46**	**40.2**	10	9.0	12	10.6	24	20.6	**-**	**-**	**69**	**59.8**	**115**
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**3,179**	**23.1**	**1,754**	**12.7**	**664**	**4.8**	**760**	**5.5**	**-**	**-**	**10,594**	**76.9**	**13,772**
16.	एक्सिस बैंक लि.	**528**	**40.8**	248	19.1	140	10.8	141	10.9	**-**	**-**	**767**	**59.2**	**1,295**
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	**68**	**21.2**	14	4.3	52	16.2	3	0.8	**-**	**-**	**251**	**78.8**	**319**
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	**400**	**22.1**	110	6.1	276	15.3	14	0.8	**-**	**-**	**1,407**	**77.9**	**1,807**
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लिमि.	**1,946**	**21.0**	1303	14.1	50	0.5	593	6.4	**-**	**-**	**7,321**	**79.0**	**9,267**
20.	इंडसइंड बैंक लि.	**84**	**33.0**	31	12.0	46	18.1	8	3.0	**-**	**-**	**171**	**67.0**	**255**
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	**152**	**-**	49	6.5	100	13.0	2	0.3	**-**	**-**	**616**	**80.2**	**767**
22.	यस बैंक लि.	**-**		-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**60**	**100.0**	**60**

-: शून्य / नगण्य

स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.2(इ): विदेशी बैंकों की अनर्जक आस्तियां - क्षेत्रवार

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		जिसमें से, कृषि		जिसमें से, लघु उद्योग		जिसमें से, अन्य		सरकारी क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक अस्तियां		कुल अनर्जक अस्तियां
		राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि 15 = (3+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	विदेशी बैंक	**1170**	**16.4**	**-**	**-**	**299**	**4.2**	**871**	**12.2**	**-**	**-**	**5956**	**83.6**	**7,125**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	**5**	**35.6**	-	-	5	35.6	-	-	-	-	**9**	**64.4**	**14**
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17**	**100.0**	**17**
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक लि.	**100**	**100.0**	-	-	49	49.6	50	50.4	-	-	-	-	**100**
5.	बीएनपी परिबास	**1**	**0.7**	-	-	-	-	1	0.7	-	-	**68**	**99.3**	**68**
6.	बैंक ऑफ अमेरिका एनटी तथा एसए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**100.0**	**1**
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**13**	**100.0**	**13**
8.	बैंक ऑफ सिलोन	**1**	**46.4**	-	-	1	31.9	0	14.4	-	-	**1**	**53.6**	**2**
9.	बैंक औफ नोवा स्कॉटिया	**10**	**100.0**	-	-	10	100.0	0	0	-	-	-	-	**10**
10.	बरकलेज बैंक पीएलसी	**124**	**8.7**	-	-	103	7.3	20	1.4	-	-	**1,298**	**91.3**	**1,422**
11.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	**100.0**	**3**
12.	सिटी बैंक एनए	**46**	**3.6**	-	-	-	-	46	3.6	-	-	**1,230**	**96.4**	**1,275**
13.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	क्रेडिट एग्रिकोल कॉरपोरेट एण्ड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**277**	**100.0**	**277**
15.	ड्यूश बैंक (एशिया)	**14**	**5.4**	-	-	8	2.9	7	2.5	-	-	**247**	**94.6**	**261**
16.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76**	**100.0**	**76**
17.	फर्स्ट रैण्ड बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
18.	एचएसबीसी लि.	**484**	**28.7**	-	-	122	7.3	361	21.5	-	-	**1,200**	**71.3**	**1,683**
19.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**95**	**100.0**	**95**
20.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
22.	मशरेक बैंक पीएससी	**0.0**	**87.5**	-	-	-	12.5	0	75.0	-	-	**0**	**12.5**	**0**
23.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	**6**	**100.0**	-	-	-	-	6	100.0	-	-	**0**	**0.0**	**6**
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
25.	सिनहान बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
26.	सोसाइटे जनरेल	**1**	**100.0**	-	-	-	-	1	100.0	-	-	**0**	**0.0**	**1**
27.	सोनाली बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**100.0**	**1**
28.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	**351**	**32.0**	-	-	1	0.1	350	32.0	-	-	**745**	**68.0**	**1,096**
29.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19**	**100.0**	**19**
30.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**0.0**	**0**
31.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी.	**28**	**4.1**	-	-	-	-	28	4.1	-	-	**657**	**95.9**	**685**
32.	यूबीएस एजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-: शून्य / नगण्य ।

टिप्पणी : विदेशी बैंको की क्षेत्रवार सकल अनर्जक आस्तियों के मामले में निर्यात व्यापार को अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों में जोड़ा गया है और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों को तदनुसार समायोजित किया गया है।

स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (देशी)

परिशिष्ट सारणी IV.3(अ) : कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां	
		राशि	कुल में से कमजोर वर्गों को अग्रिमों का प्रतिशत
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**5,053**	**3.0**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**3,368**	**2.8**
1.	इलाहाबाद बैंक	196	3.2
2.	आंध्रा बैंक	39	0.7
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	476	7.3
4.	बैंक ऑफ इंडिया	536	3.6
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	200	9.1
6.	केनरा बैंक	303	2.1
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	333	3.8
8.	कार्पोरेशन बैंक	52	1.8
9.	देना बैंक	93	6.5
10.	इंडियन बैंक	9	0.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-	-
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	126	3.1
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	31	1.3
14.	पंजाब नेशनल बैंक	487	3.1
15.	सिंडीकेट बैंक	127	1.7
16.	यूको बैंक	277	4.2
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3	8.2
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-
19.	विजया बैंक	73	2.2
20.	आइडीबीआइ बैंक लिमि.	8	0.4
	स्टेट बैंक समूह	**1,685**	**3.7**
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	42	1.2
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	131	2.3
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,317	4.9
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	45	2.0
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	30	1.2
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	41	7.0
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	78	2.0

- : शून्य / नगण्य ।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.3(आ): कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिमों में अनर्जक आस्तियाँ - सरकारी क्षेत्र के बैंक

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कमजोर वर्गों को अग्रिमों में अनर्जक आस्तियां	
		राशि	कुल में से कमजोर वर्गों को अग्रिमों का प्रतिशत
1	2	3	4
	निजी क्षेत्र के बैंक	**130**	**0.5**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**98**	**1.0**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10	6.4
2.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	5	34.2
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	-	-
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	-
5.	फेडरल बैंक लि.	-	-
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	2	0.6
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	17	0.7
8.	कर्नाटक बैंक लि.	11	3.8
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	40	4.0
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	0.1
11.	नैनीताल बैंक लि.	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	1	4.7
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	-	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	8	0.4
15.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	2	0.3
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**32**	**0.2**
16.	एक्सिस बैंक लि.	-	-
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1	0.4
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	17	1.5
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	-	-
20.	इंडसइंड बैंक लि.	-	-
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	14	1.2
22.	यस बैंक लि.	-	-

- : शून्य/नगण्य।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.4 (अ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सरकारी क्षेत्र के बैंक										
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
1.	इलाहाबाद बैंक	**24,279**	**41.3**	10,986	18.7	8,340	14.2	2,646	4.5	6,150	10.5
2.	आंध्रा बैंक	**18,323**	**41.2**	8,825	19.9	7,579	17.1	1,245	2.8	5,990	13.5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	**48,552**	**44.4**	21,617	16.7	13,329	12.2	8,288	7.6	10,945	10.0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	**52,125**	**46.4**	18,256	16.3	13,958	12.4	4,298	3.8	12,987	11.6
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**14,017**	**40.3**	6,107	14.5	3,490	10.0	2,617	7.5	2,154	6.2
6.	केनरा बैंक	**59,310**	**43.9**	25,052	18.6	19,069	14.1	5,983	4.4	14,631	10.8
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**35,161**	**40.9**	18,306	17.9	11,468	13.4	6,838	8.0	8,697	10.1
8.	कार्पोरेशन बैंक	**19,805**	**40.8**	6,586	12.3	3,763	7.8	2,823	5.8	2,878	5.9
9.	देना बैंक	**11,718**	**40.2**	4,826	15.8	3,308	11.3	1,519	5.2	2,050	7.0
10.	इंडियन बैंक	**21,433**	**43.9**	9,091	18.6	7,598	15.6	1,493	3.1	5,206	10.7
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	**26,566**	**39.6**	12,008	17.9	9,171	13.7	2,837	4.2	6,855	10.2
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	**28,511**	**41.6**	11,032	13.9	6,457	9.4	4,575	6.7	4,110	6.0
13.	पंजाब नेशनल बैंक	**61,907**	**40.6**	29,821	19.5	23,171	15.2	6,650	4.4	15,779	10.3
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	**10,754**	**43.5**	5,063	18.2	3,390	13.7	1,673	6.8	2,141	8.7
15.	सिंडीकेट बैंक	**32,713**	**45.9**	13,135	18.4	9,927	13.9	3,208	4.5	7,497	10.5
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**43,064**	**44.4**	17,701	15.5	10,705	11.0	6,996	7.2	9,320	9.6
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	**14,396**	**40.3**	4,758	12.0	2,664	7.5	2,094	5.9	3,750	10.5
18.	यूको बैंक	**26,880**	**54.0**	13,629	20.9	8,185	16.4	5,444	10.9	6,350	12.8
19.	विजया बैंक	**14,553**	**40.6**	5,222	14.6	3,608	10.1	1,614	4.5	3,462	9.7
20.	आइडीबीआइ बैंक लिमि.	**29,548**	**28.4**	12,129	11.1	6867	6.6	5262	5.1	1936	1.9
	स्टेट बैंक समूह										
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	**1,88,164**	**40.7**	83,239	18.0	62,452	13.5	20,787	4.5	56,085	12.1
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	**13,277**	**44.1**	6,039	20.1	5,284	17.6	755	2.5	5,077	16.9
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**18,333**	**41.6**	8,160	18.5	6,202	14.1	1,958	4.4	5,368	12.2
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	**10,183**	**46.8**	4,120	17.8	2,887	13.3	1,233	5.7	2,224	10.2
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	**8,927**	**34.5**	3,833	14.8	3,135	12.1	698	2.7	2,580	10.0
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**17,931**	**40.8**	8,058	18.3	6,079	13.8	1,979	4.5	4,545	10.3
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	**14,132**	**42.8**	3,130	9.5	2,985	9.0	145	0.4	3,447	10.4

टिप्पणी: 1.आंकड़े अनंतिम हैं।

2.स.नि.बैंक क.- 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो।

3.कृषि के प्रतिशत की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक कर्ज के 4.5 प्रतिशत तक के अप्रत्यक्ष कृषि की गणना की गई है।

4.आइडीबीआइ बैंक लि. के लिए सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का लक्ष्य और कृषि ऋण का लक्ष्य क्रमश: 34 प्रतिशत और 14 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े ।

परिशिष्ट सारणी IV.4 (आ): निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		*जिसमें से,* अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक										
1.	एक्सिस बैंक लि.	**29,772**	**41.4**	10,537	14.6	7,299	10.1	3,238	4.5	4,764	6.6
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	**2,714**	**34.9**	1,454	8.4	301	3.9	1,153	14.8	137	1.8
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	**1,535**	**41.3**	669	18.0	502	13.5	167	4.5	453	12.2
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	**2,451**	**43.1**	673	11.8	556	9.8	116	2.1	385	6.8
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	**1,603**	**46.1**	917	18.0	470	13.5	446	12.8	291	8.4
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	**1,411**	**43.7**	759	18.3	446	13.8	313	9.7	478	14.8
7.	फेडरल बैंक लि.	**10,891**	**48.6**	3,333	14.9	2,362	10.6	972	4.3	894	4.0
8.	यस बैंक लि.	**5,687**	**45.7**	3,969	23.9	2,411	19.4	1,558	12.5	616	5.0
9.	एचडीएफसी बैंक लि.	**45,818**	**46.3**	17,132	10.9	6,377	6.4	10,755	10.9	1,191	1.2
10.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	**62,698**	**51.3**	30,665	18.7	17,329	14.2	13,336	10.9	5,630	4.6
11.	इंडसइंड बैंक लि.	**6,805**	**43.7**	3,201	18.2	2,132	13.7	1,070	6.9	1,630	10.5
12.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	**7,105**	**42.4**	1,954	11.7	1,263	7.5	690	4.1	449	2.7
13.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	**8,317**	**45.2**	2,292	12.5	1,485	8.1	807	4.4	2,547	13.8
14.	कर्नाटक बैंक लि.	**5,389**	**44.5**	1,590	11.6	856	7.1	735	6.1	285	2.4
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	**4,439**	**42.0**	1,592	15.1	1,179	11.2	413	3.9	1,020	9.7
16.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	**6,990**	**41.2**	3,586	19.5	2,550	15.0	1,037	6.1	1,395	8.2
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	**2,142**	**40.3**	980	18.1	724	13.6	257	4.8	569	10.7
18.	नैनीताल बैंक लि.	**676**	**59.7**	227	19.3	167	14.8	60	5.3	91	8.0
19.	रत्नाकर बैंक लि.	**333**	**47.7**	110	14.6	70	10.1	40	5.7	26	3.7
20.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	**114**	**36.2**	33	5.6	4	1.1	30	9.4	0	0.0
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	**5,089**	**41.9**	2,647	21.8	2,475	20.4	173	1.4	2,134	17.6
22.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	**3,572**	**53.6**	1,448	21.0	1,154	17.3	245	3.7	706	10.6

टिप्पणी: 1) आंकड़े अनंतिम हैं।

2) स.नि.बैं.क. - 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो ।

3) कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में सफलता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि समायोजित निवल बैंक कर्ज के 4.5 प्रतिशत तक या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो, को लिया गया है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.4 (इ): विदेशी बैंकों द्वारा माइक्रो तथा लघु उद्योग (एमएसई) और निर्यात क्षेत्र के लिए अग्रिम

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का कुल अग्रिम		एमएसई अग्रिम		निर्यात कर्ज	
		राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो	राशि	स.नि.बैं.क. का प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8
	विदेशी बैंक						
1	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	**56**	**37.2**	38	25.1	18	12.1
2	एंटवेर्प डायमंड बैंक	**481**	**68.3**	162	23.0	477	67.8
3	एबी बैंक	**8**	**46.1**	4	21.5	3	19.3
4	बैंक ऑफ अमरीका	**1,317**	**40.1**	330	10.1	987	30.1
5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	**124**	**41.4**	73	24.6	37	12.4
6	बैंक ऑफ सिलोन	**24**	**47.3**	11	21.3	13	25.9
7	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	**1,508**	**31.4**	416	8.7	1,334	27.8
8	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी	**1,290**	**43.1**	306	10.2	984	32.9
9	बरकलेज बैंक पीलसी	**3,477**	**33.0**	2,168	20.6	1,364	12.9
10	बी.एन.पी. परिबास	**1,632**	**33.5**	935	19.2	697	14.3
11	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	**69**	**46.8**	52	35.0	18	11.8
12	सिटी बैंक	**13,298**	**33.3**	4,428	11.1	6,855	17.2
13	क्रेडिट एग्रीकोल	**1,152**	**37.2**	315	10.2	837	27.0
14	ड्यूश बैंक	**3,325**	**37.1**	954	10.7	2,319	25.9
15	डेवलमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	**1,824**	**67.0**	625	23.0	1,131	41.6
16	एचएसबीसी बैंक लि.	**9,722**	**33.8**	3,430	11.9	5,361	18.7
17	जेपी मोर्गन चेस बैंक	**1,170**	**33.4**	356	10.1	815	23.2
18	क्रुंग थाई बैंक	**2**	**17.8**	2	17.8	-	-
19	मशरेक बैंक	**53**	**547.2**	-	-	53	547.2
20	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक	**362**	**32.4**	191	17.1	178	15.9
21	ओमान इंटरनेशनल बैंक	**-**	**-**	-	-	-	-
22	सिनहन बैंक	**162**	**35.5**	58	12.7	55	12.1
23	सोसाइटे जनरेल	**138**	**37.6**	52	14.3	85	23.3
24	सोनाली बैंक	**5**	**42.5**	-	-	5	42.5
25	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	**12,868**	**34.3**	4,163	11.1	6,927	18.5
26	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	**112**	**37.1**	46	15.4	37	12.2
27	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड	**6,111**	**35.5**	1,965	11.4	4,876	28.3

- : शून्य/नगण्य।

टिपण्णी: 1.आंकड़े अनंतिम हैं।

2.स.नि.बैं.क.- 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक कर्ज या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर का समतुल्य कर्ज, जो भी अधिक हो।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.5 (अ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम.सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
	राष्ट्रीयकृत बैंक			
1.	इलाहाबाद बैंक	√	√	√
2.	आंध्रा बैंक	√	√	√
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	√	X	√
4.	बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	√	X	X
6.	केनरा बैंक	√	√	√
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
8.	कार्पोरेशन बैंक	√	X	X
9.	देना बैंक	√	X	X
10.	इंडियन बैंक	√	√	√
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	X	X	√
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	√	X	X
13.	पंजाब नेशनल बैंक	√	√	√
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	√	√	X
15.	सिंडीकेट बैंक	√	√	√
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	√	X	X
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	√	X	√
18.	यूको बैंक	√	√	√
19.	विजया बैंक	√	X	X
20.	आइडीबीआइ लिमि.	X	X	लागू नहीं
	स्टेट बैंक समूह			
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	√	√	√
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	√	√	√
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	√	√	√
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	√	X	√
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	X	X	X
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	√	√	√
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	√	X	√

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।

X : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पालन न किए जाने को सूचित करता है।

टिप्पणी: आइडीबीआइ लिमि. के लिए सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को रियायती प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण तथा कृषि ऋण का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक कर्ज का क्रमश: 34.0 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.5 (आ): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	समग्र	कृषि	कमजोर क्षेत्र
1	2	3	4	5
	निजी क्षेत्र के बैंक			
1.	एक्सिस बैंक लि.	√	X	X
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	X	X	X
3.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	√	√	√
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	√	X	X
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	√	√	X
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	√	√	√
7.	फेडरल बैंक लि.	√	X	X
8.	एचडीएफसी बैंक लि.	√	X	X
9.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	√	√	X
10.	इंडसइंड बैंक लि.	√	√	√
11.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	√	X	X
12.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	√	X	√
13.	कर्नाटक बैंक लि.	√	X	X
14.	करूर वैश्य बैंक लि.	√	X	X
15.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	√	√	X
16.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	√	√	√
17.	नैनीताल बैंक लि.	√	√	X
18.	रत्नाकर बैंक लि.	√	X	X
19.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	X	X	X
20.	साउथ इंडियन बैंक लि.	√	√	√
21.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	√	√	√
22.	यस बैंक लि.	√	√	X

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।

X : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पालन न किए जाने को सूचित करता है।

परिशिष्ट सारणी IV.5 (इ): विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य

(सूचना प्रस्तुत करने के लिए नियत मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार को)

क्रम सं.	बैंक का नाम	समग्र	माइक्रो और लघु उद्योग अग्रिम	निर्यात ऋण
1	2	3	4	5
	विदेशी बैंक			
1	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	√	√	√
2	एंटवेर्प डायमंड बैंक	√	√	√
3	एबी बैंक	√	√	√
4	बैंक ऑफ अमरीका	√	√	√
5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	√	√	√
6	बैंक ऑफ सिलोन	√	√	√
7	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	X	X	√
8	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे	√	√	√
9	बरकलेज बैंक पीलसी	√	√	√
10	बी.एन.पी. परिबास	√	√	√
11	चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	√	√	X
12	सिटी बैंक	√	√	√
13	क्रेडिट एग्रीकोल	√	√	√
14	ड्यूश बैंक	√	√	√
15	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	√	√	√
16	एचएसबीसी बैंक	√	√	√
17	जेपी मोर्गन चेस बैंक	√	√	√
18	क्रुंग थाई बैंक	X	√	X
19	मशरेक बैंक	√	X	√
20	मिजुओ कार्पोरेट बैंक	√	√	√
21	ओमान इंटरनेशनल बैंक	X	X	X
22	सिनहन बैंक	√	√	√
23	सोसाइटे जनरेल	√	√	√
24	सोनाली बैंक	√	X	√
25	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	√	√	√
26	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस	√	√	√
27	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड	√	√	√

√ : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का अनुपालन किए जाने को सूचित करता है।

X : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए संबंधित मानदंड का पालन न किए जाने को सूचित करता है।

परिशिष्ट सारणी IV.6: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक			राष्ट्रीयकृत बैंक*			स्टेट बैंक समूह			निजी क्षेत्र के बैंक		
	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाज़ार #	**33,119**	**37,315**	**12.7**	24,446	27,339	11.8	8,674	9,975	15.0	**16,051**	**23,569**	**46.8**
	(1.5)	**(1.4)**		(1.6)	(1.5)		(1.2)	(1.2)		**(2.8)**	**(3.7)**	
2. भू-संपदा क्षेत्र @	**3,34,311**	**3,85,873**	**15.4**	2,41,366	2,67,247	10.7	92,945	1,18,625	27.6	**1,45,547**	**1,47,584**	**1.4**
	(14.8)	**(14.3)**		(15.9)	(14.5)		(12.6)	(13.8)		**(25.3)**	**(23.3)**	
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**897**	**911**	**1.5**
										(0.2)	**(0.1)**	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**3,67,430**	**4,23,187**	**15.2**	**2,65,812**	**2,94,587**	**10.8**	**1,01,619**	**1,28,601**	**26.6**	**1,62,496**	**1,72,064**	**5.9**
	(16.3)	**(15.7)**		**(16.3)**	**(15.7)**		**(13.7)**	**(15.0)**		**(28.2)**	**(27.2)**	

क्षेत्र	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			निजी क्षेत्र के नए बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर	2008-09	2009-10	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाज़ार #	2,271	2,087	-8.1	13,779	21,481	55.9	**6,028**	**6,519**	**8.1**	**55,198**	**67,402**	**22.1**
	(1.8)	(1.4)		(3.1)	(4.5)		**(3.6)**	**(4.0)**		**(1.8)**	**(1.9)**	
2. भू-संपदा क्षेत्र @	22,240	22,728	2.2	1,23,308	1,24,857	1.3	**45,220**	**46,357**	**2.5**	**5,25,079**	**5,79,814**	**10.4**
	(17.3)	(14.8)		(27.6)	(26.1)		**(27.3)**	**(28.4)**		**(17.5)**	**(16.6)**	
3. पण्य	897	911	1.5	-	-	-	-	-	-	**897**	**911**	**1.5**
	(0.7)	(0.6)								**(0.0)**	**(0.0)**	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**25,408**	**25,725**	**1.3**	**1,37,087**	**1,46,338**	**6.8**	**51,248**	**52,875**	**3.2**	**5,81,174**	**6,84,126**	**17.7**

- : शून्य / नगण्य।

: पूंजी बाजार एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : वास्तविक क्षेत्र एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।

* : आइडीबीआइ बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण तथा अग्रिम से संबंधित बैंक समूह का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

परिशिष्ट सारणी IV.7: बीएसई में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य / अर्जन अनुपात

क्र. सं.	बैंक का नाम	अंतिम मूल्य (रु.) (मार्च के अंत में)			अंतिम मूल्य में प्रतिशत घट-बढ़ (2008-09 की तुलना में 2009-10)	मूल्य / अर्जन अनुपात (मार्च के अंत में)		
		2007-08	2008-09	2009-10		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1	इलाहाबाद बैंक	77	39	143	266.8	3.4	2.2	5.2
2	आंध्रा बैंक	74	45	108	139.2	6.1	3.3	5.0
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	284	235	639	172.5	6.7	3.6	7.3
4	बैंक ऑफ इंडिया	253	220	341	55.0	6.4	3.7	10.0
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50	21	50	139.9	6.6	2.4	4.9
6	केनरा बैंक	225	166	410	147.4	5.1	3.3	5.6
7	सेंट्रल बैंक इंडिया	87	34	147	331.7	6.2	2.4	5.3
8	कार्पोरेशन बैंक	282	181	481	166.3	5.4	2.9	5.8
9	देना बैंक	51	32	78	142.1	4.0	2.2	4.4
10	इंडियन बैंक	163	83	176	112.7	7.0	2.8	4.9
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	135	46	92	102.1	6.1	1.9	7.1
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	177	110	321	192.0	5.3	3.0	7.1
13	पंजाब नेशनल बैंक	508	411	1013	146.6	7.3	4.1	8.0
14	सिंडीकेट बैंक	75	48	86	78.9	4.6	2.7	5.9
15	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	141	147	293	99.0	5.1	4.3	7.1
16	विजया बैंक	49	23	47	103.2	-	-	5.4
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1599	1067	2079	94.9	10.1	6.2	11.2
18	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	500	196	454	131.2	7.9	2.4	4.9
19	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	750	331	637	92.4	8.5	3.5	5.1
20	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	478	212	613	188.5	6.2	1.7	4.6
21	यूको बैंक	37	24	57	134.9	7.1	3.2	3.1
22	आइडीबीआइ बैंक लिमि.	89	45	115	153.3	8.6	4.3	8.2
	निजी क्षेत्र के बैंक							
23	एक्सिस बैंक	781	415	1169	182.1	24.7	8.2	19.7
24	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	83	37	55	47.6	11.6	5.2	-
25	सिटी यूनियन बैंक लि.	28	12	29	134.0	8.9	3.2	7.1
26	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	85	19	32	70.4	36.7	8.0	-
27	धनलक्ष्मी बैंक	63	50	133	164.7	7.1	5.6	36.6
28	फेडरल बैंक लि.	217	138	267	93.6	6.8	4.9	10.4
29	आइएनजी वैश्य बैंक	335	128	279	117.6	17.9	6.9	12.7
30	इंडसइंड बैंक लि.	79	32	171	428.3	33.5	7.6	18.9
31	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	679	315	679	115.7	9.1	3.7	6.4
32	कर्नाटक बैंक लि.	200	65	120	83.7	10.1.	2.9	8.9
33	करूर वैश्य बैंक लि.	334	200	458	129.0	8.7	4.6	7.4
34	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	629	283	749	164.8	21.2	14.9	19.9
35	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	99	63	78	23.2	18.9	5.3	15.7
36	साउथ इंडियन बैंक लि.	112	51	178	248.2	9.3	2.9	8.6
37	एचडीएफसी बैंक लि.	1320	968	1933	99.7	28.5	18.3	28.1
38	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	770	333	953	186.4	23.9	10.4	22.1
39	यस बैंक	169	50	255	410.7	24.0	4.9	-

– : उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2010 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक निवासी	वित्तीय संस्थाएं-निवासी	वित्तीय संस्थाएं-अनिवासी	अन्य कंपनियां-निवासी	अन्य कंपनियां-अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	55.2	15.6	13.0	4.0	-	12.1	0.1	86.9	13.1
2.	आंध्रा बैंक	51.6	18.7	12.9	3.1	-	13.6	0.2	86.9	13.1
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	53.8	18.2	16.5	4.9	-	6.1	0.6	82.9	17.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	64.5	12.3	15.1	1.5	-	6.2	0.5	84.5	15.6
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.8	9.4	2.0	1.4	-	10.2	0.2	97.8	2.2
6.	केनरा बैंक	73.2	9.7	11.6	0.6	-	5.0	0.1	88.3	11.7
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.2	9.1	5.2	0.7	-	4.8	0.1	94.8	5.2
8.	कार्पोरेशन बैंक	57.2	33.7	4.2	2.0	-	2.7	0.2	95.6	4.5
9.	देना बैंक	51.2	8.0	-	5.0	-	19.8	16.1	83.9	16.1
10.	आइडीबीआइ बैंक लि.	52.7	20.2	-	4.0	7.3	15.1	0.7	92.0	8.0
11.	इंडियन बैंक	80.0	3.3	12.8	0.9	-	3.0	0.1	87.1	12.9
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	61.2	13.5	8.5	2.1	-	13.9	0.8	90.7	9.3
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.1	26.2	15.0	1.9	-	5.7	0.2	84.8	15.2
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-
15.	पंजाब नेशनल बैंक	57.8	18.3	19.1	0.8	-	4.0	-	80.9	19.1
16.	सिंडीकेट बैंक	66.5	11.9	4.1	5.2	-	12.3	-	95.9	4.1
17.	यूको बैंक	63.6	10.7	2.7	3.9	-	18.8	0.4	96.9	3.1
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.4	12.7	17.4	4.6	-	9.8	-	82.5	17.5
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	84.2	7.0	1.2	3.1	-	4.5	-	98.8	1.2
20.	विजया बैंक	53.9	14.0	4.5	3.8	-	23.2	0.7	94.9	5.2
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	-	77.4	-	4.1	5.2	13.1	0.2	94.6	5.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	59.4	17.3	13.7	3.4	-	6.1	0.1	86.2	13.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	-	98.1	-	0.7	-	1.2	-	100.0	-
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	-	94.1	-	0.4	-	5.4	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	76.2	2.8	3.2	-	13.4	3.3	93.9	6.1

परिशिष्ट सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2010 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक निवासी	वित्तीय संस्थाएं-निवासी	वित्तीय संस्थाएं-अनिवासी	अन्य कंपनियां-निवासी	अन्य कंपनियां-अनिवासी	कुल व्यक्ति निवासी	कुल व्यक्ति अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-	3.4	2.3	75.0	-	18.9	0.4	97.2	2.8
2.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	-	-	-	12.1	12.4	49.9	25.6	62.0	38.0
3.	सिटी युनियन बैंक लि.	-	8.3	12.0	18.3	8.6	52.2	0.5	78.9	21.1
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	-	1.6	24.9	23.0	-	44.8	5.8	69.4	30.6
5.	फेडरल बैंक लि.	-	24.6	35.1	12.1	5.0	19.7	3.5	56.5	43.5
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	-	14.8	19.4	5.9	43.7	12.0	4.2	32.7	67.3
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	3.0	29.3	2.2	-	11.7	0.6	70.1	29.9
8.	कर्नाटक बैंक लि.	-	34.9	-	17.9	-	46.8	0.4	99.6	0.4
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	-	4.3	22.4	16.7	-	54.8	1.8	75.8	24.2
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	-	15.0	-	20.8	2.8	60.8	0.6	96.6	3.4
11.	नैनीताल बैंक लि.	-	98.4	-	-	-	1.6	-	100.0	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	-	2.1	-	15.4	19.9	55.2	7.4	72.7	27.3
13.	एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	-	13.6	36.8	14.4	-	32.2	3.1	60.1	39.9
15.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	-	-	-	9.7	16.5	73.7	0.2	83.4	16.6
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
16.	एक्सिस बैंक	-	45.6	41.5	7.9	0.4	4.4	0.1	58.0	42.1
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	-	8.1	-	19.6	32.4	38.7	1.2	66.4	33.6
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	-	12.0	-	32.8	45.1	9.6	0.5	54.5	45.6
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	-	20.6	65.9	7.1	-	6.0	0.5	33.7	66.3
20.	इंडसइंड बैंक लि.	-	6.9	43.6	11.3	22.6	13.3	2.3	31.5	68.5
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	-	4.6	28.6	7.3	0.6	58.3	0.6	70.2	29.8
22.	यस बैंक लि.	-	4.1	45.8	13.2	11.8	24.6	0.5	42.0	58.1

- : शून्य / नगण्य।

स्रोत : ऑफ साइट विवरणियां (अलेखापरीक्षित और अनंतिम)।

परिशिष्ट सारणी IV.9: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण

(31 मार्च 2010 को)

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक का नाम	कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत शाखाएं	पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाएं (2+3)	अंशत : कंप्यूटरीकृत शाखाएं
	1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**90.0**	**7.7**	**97.8**	**2.2**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**85.9**	**10.9**	**96.9**	**3.1**
1.	इलाहाबाद बैंक	39.9	59.9	99.8	0.2
2.	आंध्रा बैंक	100.0	-	100.0	-
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	100.0	-	100.0	-
4.	बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	100.0	-	100.0	-
6.	केनरा बैंक	59.4	40.6	100.0	-
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	34.2	51.6	85.7	14.3
8.	कार्पोरेशन बैंक	100.0	-	100.0	-
9.	देना बैंक	100.0	-	100.0	-
10.	इंडियन बैंक	100.0	-	100.0	-
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	100.0	-	100.0	-
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	100.0	-	100.0	-
13.	पंजाब नेशनल बैंक	100.0	100.0	100.0	-
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-	13.3	13.3	86.7
15.	सिंडीकेट बैंक	100.0	-	100.0	-
16.	यूको बैंक	100.0	-	100.0	-
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
19.	विजया बैंक	100.0	-	100.0	-
	स्टेट बैंक समूह	**100.0**	**-**	**100.0**	**-**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	100.0	-	100.0	-
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	100.0	-	100.0	-
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.0	-	100.0	-
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	100.0	-	100.0	-
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	100.0	-	100.0	-
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.0	-	100.0	-
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	100.0	-	100.0	-

- : शून्य / नगण्य।

#: कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत शाखाओं से इतर शाखाएं।

टिप्पणी: आइडीबीआइ बैंक लि. के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: संबधित बैंको द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.10: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकरण और संचार नेटवर्क के विकास पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मार्च 2010 को समाप्त छमाही में किया गया व्यय	सितंबर 1999 तथा मार्च 2010 के दौरान किया गया व्यय
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**1,370**	**22,052**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**800**	**15,286**
1.	इलाहाबाद बैंक	18	265 *
2.	आंध्रा बैंक	12	863
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	118	1,565
4.	बैंक ऑफ इंडिया	15	1,497
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	42	394
6.	केनरा बैंक	102	1,151
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3	473 *
8.	कार्पोरेशन बैंक	11	491
9.	देना बैंक	5	193
10.	इंडियन बैंक	60	633
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	50	2,672
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	44	528
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3	76
14.	पंजाब नेशनल बैंक	90	1,535
15.	सिंडीकेट बैंक	10	523
16.	यूको बैंक	44	630
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	34	823
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	65	476
19.	विजया बैंक	74	500
	स्टेट बैंक समूह	**571**	**6,766**
20.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	429	5,037
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	62	500
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	19	314 *
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	9	163
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	20	220 $
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5	259 $
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	26	274

* मार्च 2009 को

$ 30 सितंबर 2009 को

टिप्पणी: आइडीबीआइ बैंक लि. के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: संबधित बैंको द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2010 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**20,773**	**17,638**	**16,007**	**14,742**	**69,160**	**32,679**	**27,474**	**60,153**	**45.7**	**87.0**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**19,567**	**14,595**	**12,920**	**11,743**	**58,825**	**23,797**	**16,883**	**40,680**	**41.5**	**69.2**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**13,652**	**9,376**	**9,607**	**8,961**	**41,596**	**12,655**	**7,047**	**19,702**	**35.8**	**47.4**
1.	इलाहाबाद बैंक	956	403	469	403	2,231	126	85	211	40.3	9.5
2.	आंध्रा बैंक	399	408	429	313	1,549	370	489	859	56.9	55.5
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,126	724	574	664	3,088	494	821	1,315	62.4	42.6
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,236	634	566	588	3,024	500	320	820	39.0	27.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	523	266	280	366	1,435	259	86	345	24.9	24.0
6.	केनरा बैंक	758	786	747	754	3,045	1,270	745	2,015	37.0	66.2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,361	910	690	624	3,585	304	98	402	24.4	11.2
8.	कार्पोरेशन बैंक	190	236	320	333	1,079	585	494	1,079	45.8	100.0
9.	देना बैंक	358	233	231	301	1,123	297	99	396	25.0	35.3
10.	इंडियन बैंक	487	435	435	346	1,703	716	289	1,005	28.8	59.0
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	549	479	514	473	2,015	590	181	771	23.5	38.3
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	296	346	478	390	1,510	704	276	980	28.2	64.9
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	283	127	228	226	864	59	-	59	-	6.8
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1,947	1,005	968	793	4,713	2,404	1,140	3,544	32.2	75.2
15.	सिंडीकेट बैंक	657	565	583	521	2,326	992	195	1,187	16.4	51.0
16.	यूको बैंक	779	420	468	438	2,105	330	148	478	31.0	22.7
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	796	743	672	621	2,832	1,548	778	2,326	33.4	82.1
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	625	271	339	289	1,524	192	82	274	29.9	18.0
19.	विजया बैंक	258	244	351	301	1,154	348	87	435	20.0	37.7
20.	आइडीबीआइ बैंक लि.	68	141	265	217	691	567	634	1,201	52.8	173.8
	स्टेट बैंक समूह	**5,915**	**5,219**	**3,313**	**2,782**	**17,229**	**11,142**	**9,836**	**20,978**	**46.9**	**121.8**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,678	3,636	2,236	1,887	12,437	7,913	8,381	16,294	51.4	131.0
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	299	241	157	169	866	571	379	950	39.9	109.7
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	284	355	282	204	1,125	823	243	1,066	22.8	94.8
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	120	140	89	122	471	308	299	607	49.3	128.9
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	211	140	149	187	687	474	134	608	22.0	88.5
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	274	239	237	140	890	548	179	727	24.6	81.7
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	49	468	163	73	753	505	221	726	30.4	96.4

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2010 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1,201**	**3,037**	**3,027**	**2,762**	**10,027**	**8,603**	**9,844**	**18,447**	**53.4**	**184.0**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**861**	**1,626**	**1,435**	**1,030**	**4,952**	**2,266**	**1,124**	**3,390**	**33.2**	**68.5**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	99	92	142	125	458	101	26	127	20.5	27.7
2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	18	193	100	49	360	95	52	147	35.4	40.8
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	38	63	78	45	224	142	10	152	6.6	67.9
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	26	92	70	55	243	128	152	280	54.3	115.2
5.	फेडरल बैंक लि.	47	340	172	111	670	413	319	732	43.6	109.3
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	83	83	154	154	474	180	177	357	49.6	75.3
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	220	83	124	64	491	200	92	292	31.5	59.5
8.	कर्नाटक बैंक लि.	88	95	148	138	469	170	47	217	21.7	46.3
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	34	106	120	75	335	307	69	376	18.4	112.2
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	39	95	85	46	265	129	46	175	26.3	66.0
11.	नैनीताल बैंक लि.	25	29	25	22	101	-	-	-	-	-
12.	रत्नाकर बैंक लि.	24	26	18	19	87	19	-	19	-	21.8
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	-	-	-	2	2	2	-	2	-	100.0
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	69	250	145	92	556	288	85	373	22.8	67.1
15.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	51	79	54	33	217	92	49	141	34.8	65.0
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**340**	**1,411**	**1,592**	**1,732**	**5,075**	**6,337**	**8,720**	**15,057**	**57.9**	**296.7**
16.	एक्सिस बैंक लि.	44	252	378	292	966	1,245	3,048	4,293	71.0	444.4
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	4	13	13	52	82	76	34	110	30.9	134.1
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	95	456	520	644	1,715	2,311	1,924	4,235	45.4	246.9
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	151	566	481	500	1,698	2,149	3,070	5,219	58.8	307.4
20.	इंडसइंड बैंक लि.	10	43	96	64	213	199	298	497	60.0	233.3
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	16	44	58	132	250	240	252	492	51.2	196.8
22.	यस बैंक लि.	20	37	46	48	151	117	94	211	44.5	139.7

परिशिष्ट सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2010 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम			कुल एटीएम की तुलना में ऑफ-साइट एटीएम का प्रतिशत	शाखाओं की तुलना में एटीएम का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	विदेशी बैंक	**5**	**6**	**60**	**237**	**308**	**279**	**747**	**1,026**	72.8	333.1
1.	एबी बैंक लि..	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
5.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
8.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-
10.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
11.	बरकलेज बैंक पीएलसी	-	1	3	3	7	7	10	17	58.8	242.9
12.	बी.एन.पी. परिबास	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-
13.	काल्योन बैंक	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-
14.	चायइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
15.	सिटी बैंक एन. ए.	-	2	12	29	43	56	401	457	87.7	1062.8
16.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17.	डीबीएस बैंक	2	2	-	6	10	-	-	-	-	-
18.	ड्यूश बैंक एजी	-	-	6	7	13	12	18	30	60.0	230.8
19.	फर्स्ट रैण्ड बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
20.	एचएसबीसी लि.	1	1	10	38	50	73	82	155	52.9	310.0
21.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
22.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
23.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
24.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
25.	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
26.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	1	1	2	1	0	1	0.0	50.0
27.	सिनहान बैंक	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
28.	सोसाइटे जनरेल	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
29.	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
30.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	16	78	94	94	149	243	61.3	258.5
31.	स्टेट बैंक ऑफ मारिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
32.	दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलंड	2	-	10	19	31	36	87	123	70.7	396.8
33.	यूबीएस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
34.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

टिप्पणी : – : शून्य / नगण्य।

स्रोत : वाणिज्यिक बैंकों की (नवीनतम अद्यतन संस्करण) मास्टर ऑफिस फाइल।

परिशिष्ट सारणी IV.12: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2009-10 की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/ 1000 खाते*	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या/ 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या#	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण										
						जमा खाता	प्रेषण	क्रेडिट/ डेबिट/ एटीएम कार्ड	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट/ वसूली एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य	विषय से हटकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**75927**	**0.09**	**0.09**	**1.10**	**3565**	**5499**	**18533**	**6156**	**4677**	**4709**	**10910**	**1554**	**153**	**18228**	**1943**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**41924**	**0.06**	**0.07**	**0.71**	**1946**	**3358**	**9550**	**4109**	**1939**	**4577**	**6407**	**657**	**92**	**7838**	**1451**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**19092**	**0.04**	**0.05**	**0.46**	**988**	**1639**	**3250**	**2322**	**1027**	**1294**	**3582**	**351**	**48**	**3747**	**844**
1.	इलाहाबाद बैंक	797	0.03	0.09	0.36	41	95	63	108	38	53	114	8	2	203	72
2.	आंध्रा बैंक	822	0.03	0.06	0.53	54	54	238	74	33	98	180	10	1	76	4
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1782	0.05	0.05	0.58	82	171	236	200	137	125	254	29	5	431	112
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1452	0.04	0.06	0.48	75	116	309	114	37	105	308	21	6	317	44
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	296	0.02	0.01	0.21	17	42	18	28	14	14	43	9	0	95	16
6.	केनरा बैंक	2153	0.05	0.11	0.71	105	171	575	272	54	124	471	46	5	285	45
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1272	0.04	0.12	0.35	63	111	142	171	47	126	272	16	4	255	65
8.	कार्पोरेशन बैंक	441	0.04	0.02	0.41	21	36	87	46	48	4	67	12	0	111	9
9.	देना बैंक	502	0.05	0.03	0.45	12	22	26	75	56	55	44	10	0	181	21
10.	इंडियन बैंक	758	0.03	0.02	0.45	42	36	76	210	24	60	150	18	0	102	40
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	833	0.04	0.06	0.41	51	47	127	183	13	52	196	17	2	106	39
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	638	0.05	0.06	0.42	38	74	122	57	41	10	126	15	0	120	35
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	215	0.03	0.10	0.25	17	15	3	28	10	16	58	4	0	48	16
14.	पंजाब नेशनल बैंक	2800	0.05	0.06	0.59	139	303	620	276	134	239	452	37	9	472	119
15.	सिंडीकेट बैंक	933	0.03	0.04	0.40	37	66	161	110	47	57	213	20	2	175	45
16.	यूको बैंक	811	0.05	0.09	0.39	43	67	66	98	84	47	159	17	2	183	45
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1237	0.04	0.05	0.44	65	117	240	161	58	70	185	22	4	246	69
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	309	0.02	0.02	0.20	22	30	21	20	9	25	86	6	2	77	11
19.	विजया बैंक	322	0.04	0.05	0.28	19	18	67	26	12	9	67	9	0	75	20
20.	आइडीबीआइ बैंक लि.	719	0.19	0.02	1.04	45	48	53	65	131	5	137	25	4	189	17
	स्टेट बैंक समूह	**22832**	**0.09**	**0.08**	**1.33**	**958**	**1719**	**6300**	**1787**	**912**	**3283**	**2825**	**306**	**44**	**4091**	**607**
21.	भारतीय स्टेट बैंक	18939	0.11	0.08	1.52	798	1386	5219	1295	663	2939	2339	242	38	3500	520
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1328	0.11	0.11	1.53	35	141	334	222	107	132	92	26	4	214	21
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	696	0.03	0.09	0.62	25	49	345	47	21	55	90	7	0	57	0
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	473	0.11	0.03	1.00	30	48	43	34	31	52	73	7	1	146	8
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	350	0.04	0.08	0.51	13	27	131	30	6	46	18	0	0	60	19
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	468	0.05	0.05	0.53	24	43	101	44	29	35	96	12	0	51	33
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	578	0.07	0.03	0.77	33	25	127	115	55	24	117	12	1	63	6

परिशिष्ट सारणी IV.12: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2009-10 की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/ 1000 खाते*	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या/ 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या #	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण										
						जमा खाता	प्रेषण	क्रेडिट/ डेबिट/ एटीएम कार्ड	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट/ वसूली एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य	विषय से हटकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	निजी क्षेत्र के बैंक	**22553**	**0.18**	**0.08**	**2.25**	**1165**	**1873**	**4725**	**1652**	**2009**	**67**	**3369**	**669**	**41**	**6582**	**401**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**1394**	**0.04**	**0.01**	**0.28**	**68**	**76**	**126**	**319**	**130**	**2**	**286**	**59**	**4**	**289**	**35**
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	200	0.06	0.06	0.44	3	22	22	24	39	1	24	7	2	52	4
2.	कैथालिक सिरियन बैंक लिमिटेड	72	0.03	0.01	0.20	3	0	3	31	11	0	9	2	0	12	1
3.	सिटी यूनियन बैंक लि.	40	0.03	0.02	0.18	1	3	5	8	0	0	17	2	0	4	0
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	44	0.03	0.01	0.18	2	0	5	14	1	0	12	1	0	8	1
5.	फेडरल बैंक लि.	194	0.04	0.00	0.29	6	0	8	68	20	0	42	10	0	31	9
6.	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	323	0.11	0.03	0.68	24	22	31	29	33	1	54	15	0	107	7
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	38	0.01	0.01	0.08	6	7	8	0	4	0	4	1	0	6	2
8.	कर्नाटक बैंक लि.	66	0.01	0.01	0.14	5	3	13	5	2	0	14	1	2	19	2
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	132	0.04	0.01	0.39	3	8	12	41	9	0	44	4	0	9	2
10.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	50	0.03	0.01	0.19	2	1	3	17	1	0	15	4	0	7	0
11.	नैनीताल बैंक लि.	9	0.02	0.00	0.09	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	3
12.	रत्नाकर बैंक लि.	2	0.005	0.000	0.02	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
13.	एसबीआइ कमर्शियल एंड इंट. बैंक लि.	1	0.08	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	123	0.04	0.01	0.22	8	6	12	48	5	0	21	3	0	20	0
15.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	100	0.04	0.01	0.46	5	3	4	33	5	0	25	9	0	12	4
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**21159**	**0.25**	**0.09**	**4.17**	**1097**	**1797**	**4599**	**1333**	**1879**	**65**	**3083**	**610**	**37**	**6293**	**366**
16.	एक्सिस बैंक लि.	2045	0.19	0.04	2.12	101	107	387	86	395	6	312	30	8	579	34
17.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	84	0.11	0.00	1.02	5	8	8	9	3	0	13	5	0	27	6
18.	एचडीएफसी बैंक लि.	7542	0.28	0.11	4.40	384	301	1716	648	620	33	1141	166	17	2354	162
19.	आइसीआइसीआइ बैंक लि.	10328	0.25	0.12	6.08	523	1341	2371	516	671	24	1447	381	8	2897	149
20.	इंडसइंड बैंक लि.	295	0.17	0.02	1.38	26	19	9	26	55	0	68	6	3	79	4
21.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	826	0.55	0.10	3.30	54	17	105	47	128	2	97	22	1	342	11
22.	यस बैंक लि.	39	0.19	0.02	0.26	4	4	3	1	7	0	5	0	0	15	0

परिशिष्ट सारणी IV.12: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(2009-10 की अवधि के लिए)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों से भिन्न शिकायतों की संख्या/ 1000 खाते*	क्रेडिट/डेबिट कार्ड शिकायतों की संख्या/ 1000 क्रेडिट/ डेबिट कार्ड खाते@	प्रति शाखा शिकायतों की संख्या#	शिकायतों का श्रेणीवार विश्लेषण										
						जमा खाता	प्रेषण	क्रेडिट/ डेबिट/ एटीएम कार्ड	उधार/ अग्रिम सामान्य और आवास	पूर्व सूचना के बिना प्रभार	पेन्शन	वादे पूरा न करना	सीधा बिक्री एजेंट/ वसूली एजेंट	नोट तथा सिक्के	अन्य	विषय से हटकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	विदेशी बैंक	**11450**	**0.51**	**0.40**	**37.79**	**454**	**268**	**4258**	**395**	**729**	**65**	**1134**	**228**	**20**	**3808**	**91**
1.	एबी बैंक लि.	4	4.60	0.00	4.00	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
2.	एबीएन एमरों बैंक लि. **	2143	0.79	0.71	69.13	75	46	829	67	140	13	263	41	5	654	10
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	83	4.38	0.07	83.00	4	1	35	3	2	1	9	0	0	27	1
5.	एंटवेर्प डायमंड बैंक.	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	बैंक ऑफ अमरीका एनए	1	0.18	0.00	0.20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस. सी.	1	0.06	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9.	बैंक ऑफ सिलोन	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	बरकलेज बैंक पीएलसी	1106	1.45	0.71	158.00	42	30	327	58	46	5	60	18	5	510	5
13.	बी.एन.पी. परिबास	1	0.02	0.00	0.11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	काल्योन बैंक	1	0.21	0.00	0.17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15.	चायझनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	सिटी बैंक एन. ए.	2005	0.28	0.14	46.63	69	53	618	65	60	12	185	47	0	871	25
17.	डीबीएस बैंक लिमि.	4	0.19	0.00	0.40	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	ड्यूश बैंक एजी	444	0.63	0.34	34.15	13	6	121	13	33	3	51	16	1	184	3
19.	एचएसबीसी बैंक लि.	3388	0.64	0.84	67.76	146	62	1469	91	248	23	311	47	6	958	27
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक	1	0.02	0.00	1.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लिमि.	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मशरेक बैंक पीएससी	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मॉरिशस बैंक	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	सिनहान बैंक	0	0.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	सोसाईटे जनरेल	2	0.16	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28.	सोनाली बैंक	1	0.44	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमि.	2263	0.46	0.42	24.07	100	67	857	98	200	8	252	59	3	600	19
30.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	2	0.13	0.00	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

टिप्पणी:

* : 31 मार्च 2009 को खातों की संख्या।

@ : 30 जून 2010 को क्रेडिट / डेबिट कार्ड खातों की संख्या।

\# : 31 मार्च 2010 को शाखाओं की संख्या।

** : वर्तमान में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड।

परिशिष्ट सारणी IV.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कर्ज -जमाराशि अनुपात और निवेश जमा कर्ज -जमाराशि अनुपात - क्षेत्र/राज्यवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कर्ज-जमाराशि अनुपात					निवेश जमा कर्ज -जमाराशि अनुपात@				निवेश जमा कर्ज जमा आरआइडीएफ - जमाराशि अनुपात@	
		मार्च 2008		मार्च 2009		मार्च 2010	मार्च 2008		मार्च 2009		मार्च 2008	
		स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आखिल भारतीय	**74.4**	**74.4**	**72.6**	**72.6**	**72.7**	**79.2**	**79.2**	**78.7**	**78.7**	**80.2**	**80.2**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**67.7**	**70.1**	**68.9**	**71.1**	**74.6**	**71.4**	**73.8**	**73.3**	**75.5**	**72.7**	**75.1**
	हरियाणा	60.1	67.2	61.4	74.0	63.0	63.6	70.7	67.3	80.0	64.7	71.8
	हिमाचल प्रदेश	43.4	51.3	38.6	47.1	41.4	62.7	70.6	60.6	69.1	65.9	73.8
	जम्मू और कश्मीर	56.4	56.3	47.2	47.3	46.9	68.3	68.3	59.8	60.0	71.6	71.5
	पंजाब	67.2	76.1	65.7	65.5	71.1	75.4	84.3	75.0	74.8	76.6	85.6
	राजस्थान	82.4	100.0	80.6	87.5	88.2	95.9	113.6	96.2	103.0	97.8	115.5
	चंडीगढ़	96.2	95.8	115.0	119.9	131.7	96.2	95.8	115.0	119.9	96.2	95.8
	दिल्ली	66.9	64.4	68.9	68.8	75.1	66.9	64.4	69.0	68.8	68.0	65.4
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**40.7**	**48.3**	**36.0**	**39.2**	**34.4**	**50.3**	**58.0**	**46.9**	**50.1**	**52.5**	**60.1**
	अरुणाचल प्रदेश	31.7	57.7	25.5	33.9	25.1	40.3	66.3	32.0	40.3	48.2	74.2
	असम	42.4	49.8	38.5	41.5	37.0	50.3	57.8	48.4	51.4	51.9	59.4
	मणिपुर	48.4	50.3	36.0	37.1	40.6	65.0	66.8	56.5	57.5	65.8	67.6
	मेघालय	33.2	41.1	28.3	34.6	25.0	42.9	50.8	37.2	43.5	44.8	52.7
	मिजोरम	62.9	65.5	57.9	60.2	47.5	83.2	85.9	80.5	82.8	87.3	90.0
	नगालैंड	34.0	43.9	30.8	31.6	29.8	56.4	66.3	54.5	55.3	60.6	70.5
	त्रपुरा	36.1	36.8	30.7	31.5	29.2	44.2	45.0	37.8	38.6	46.2	47.0
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**51.5**	**58.2**	**48.8**	**50.8**	**50.3**	**59.1**	**65.7**	**57.7**	**59.7**	**60.1**	**66.7**
	बिहार	28.2	45.0	26.8	26.6	28.6	36.0	52.8	35.0	34.8	37.0	53.8
	झारखंड	35.3	40.2	32.0	35.7	34.4	38.8	43.6	37.5	41.2	40.2	45.0
	उड़ीसा	56.3	62.4	50.8	55.7	53.2	62.4	68.5	55.3	60.2	63.8	69.9
	सिक्किम	46.8	53.7	41.6	53.7	37.1	56.7	63.7	142.7	154.7	58.4	65.4
	पश्चिम बंगाल	62.4	65.8	60.7	62.2	61.3	71.1	74.5	71.1	72.6	71.9	75.3
	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	30.7	75.0	31.7	38.1	36.0	30.7	75.0	31.7	38.1	30.7	75.0
4	**मध्य क्षेत्र**	**46.1**	**54.6**	**44.3**	**48.7**	**46.7**	**53.8**	**62.2**	**52.8**	**57.2**	**55.1**	**63.6**
	छत्तीसगढ़	49.8	66.0	46.3	52.3	52.8	53.1	69.3	48.9	54.9	55.0	71.2
	मध्य प्रदेश	60.1	65.9	57.4	61.9	59.8	67.5	73.3	66.7	71.2	69.9	75.7
	उत्तर प्रदेश	43.7	52.6	42.2	46.5	42.6	52.1	61.0	51.5	55.8	53.0	61.9
	उत्तरांचल	26.2	31.6	25.3	28.6	33.8	33.6	38.9	32.9	36.3	35.2	40.6
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**88.6**	**76.0**	**85.6**	**77.0**	**77.8**	**91.4**	**78.8**	**89.5**	**81.0**	**91.9**	**79.3**
	गोवा	29.4	33.6	26.7	26.6	25.5	34.3	38.4	31.8	31.7	34.3	38.5
	गुजरात	66.5	97.8	63.7	74.6	65.3	74.3	105.6	73.4	84.3	76.4	107.7
	महाराष्ट्र	93.9	73.1	91.2	78.7	81.3	95.8	75.0	94.1	81.6	95.9	75.2
	दादरा और नगर हवेली	23.9	121.9	18.1	87.7	59.7	23.9	122.0	18.1	87.7	23.9	122.0
	दमण और दीव	15.0	58.2	19.3	49.1	19.8	15.0	58.2	19.3	49.1	15.0	58.2
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**89.1**	**96.8**	**87.9**	**94.1**	**92.2**	**95.1**	**102.8**	**95.5**	**101.7**	**96.1**	**103.8**
	आंध्र प्रदेश	90.4	97.2	96.4	104.9	105.1	99.0	105.7	106.2	114.8	100.8	107.6
	कर्नाटक	78.1	94.3	77.3	82.8	76.9	81.2	97.3	82.2	87.7	81.7	97.9
	केरल	63.4	66.4	59.7	61.7	63.6	71.4	74.4	68.8	70.8	72.1	75.0
	तमिलनाडु	114.7	117.0	108.1	115.2	112.6	120.4	122.8	115.5	122.7	121.5	123.9
	लक्षद्वीप	7.5	14.9	5.4	7.5	7.5	7.5	14.9	5.4	7.5	7.5	14.9
	पुदुचेरी	49.7	50.1	51.4	55.8	56.9	57.1	57.5	64.0	68.4	57.1	57.5

@: बैंकों के राज्यवार निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका निगम, नगरपालिका और बंदरगाह, राज्य वित्त निगम, आवास बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सड़क परिवहन निगम तथा अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों के राज्य सरकारी उधार तथा शेयर, बांड, डिबेंचर आदि की अपनी राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों की धारिता दर्शाता है।
अखिल भारतीय निवेश + कर्ज-जमा अनुपात केंद्रीय सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को छोड़कर है, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है।

टिप्पणी: 1. 2008 और 2009 के जमा व कर्ज के आंकड़े (स्वीकृति और उपयोग के अनुसार) 2008 तथा 2009 के बीएसआर-1 तथा 2 के 31 मार्च के सर्वेक्षणों पर आधारित हैं।

2. 2010 के जमा व कर्ज के आंकड़े (स्वीकृति के अनुसार) 31 मार्च 2010 के बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

3. निवेश के आंकड़े 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2009 के बीएसआर - 5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

4. आरआइडीएफ के बकाया आंकड़े नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी V.1: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2010 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सीआरएआर (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में निवल ब्याज आय (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में ब्याजेतर आय (प्रतिशत)	कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन लाभ (प्रतिशत)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	जमाराशियों की औसत लागत	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपए)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	17.65	2.39	2.0	0.9	0.5	6.4	1.3	340.38
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	41.54	3.90	0.3	2.3	1.4	7.7	4.2	201.33
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	-66.54	1.36	1.1	0.1	0.1	7.4	0.1	176.94
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	28.35	4.20	0.2	2.1	1.5	8.8	3.1	255.78
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	18.90	3.31	0.3	2.5	1.3	7.5	7.8	652.68
6	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	14.98	2.66	1.2	1.9	0.9	8.2	3.7	535.93
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	15.02	3.03	0.4	1.4	0.6	7.0	1.4	250.32
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-4.47	2.94	2.8	3.2	0.3	7.6	0.5	195.54
9	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-311.89	-	-	-	-2.4	6.7	-	790.04
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	19.15	2.32	0.5	1.4	0.7	6.9	2.8	477.14
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	12.15	2.24	0.6	1.5	0.6	8.4	2.8	563.85
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	15.04	3.34	1.3	2.6	1.2	7.2	4.8	401.64
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.75	3.57	0.2	1.9	0.7	7.4	1.9	277.55
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	19.61	4.14	0.2	2.4	1.3	5.7	4.4	342.80
15	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	22.93	1.76	1.2	1.0	0.5	8.6	1.6	345.20
16	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	11.41	-	-	-	-	-	-	276.58
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.91	17.92	15.4	15.8	1.1	5.9	2.0	254.68
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.60	1.90	0.5	0.2	0.8	8.3	2.9	442.31
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	-0.25	0.89	0.2	0.2	-4.6	3.5	-6.9	149.31
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	7.83	2.30	0.9	1.6	0.6	8.2	2.2	399.35
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.48	3.14	0.4	0.9	0.4	7.7	0.7	229.52
22	कालूपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	34.91	2.42	0.4	1.8	1.0	7.4	4.9	434.45
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	12.45	3.21	0.6	1.9	0.9	7.1	2.9	360.67
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	10.62	2.60	0.5	1.1	0.4	8.3	0.9	237.01
25	माधवपुरा मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-2,474.45	-	-	-	-	-	-	7,134.93
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.18	-	-	-	-	-	-	405.89
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-16.15	2.07	0.6	0.1	1.1	8.8	1.8	153.23
28	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	12.02	2.59	0.3	1.8	0.8	7.5	3.9	479.51
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	13.30	3.57	0.4	1.6	0.5	8.2	1.3	246.04
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	10.38	2.23	1.4	0.8	0.3	8.2	0.5	185.98
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	38.91	5.45	0.5	3.1	1.7	6.9	2.7	129.12
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	18.76	3.72	0.5	0.8	0.7	8.0	3.2	388.74
33	एनकेजीएसबी. को. ऑप. बैंक लिमिटेड. मुंबई	11.50	2.22	0.6	1.4	1.1	8.1	4.3	515.99
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	19.55	2.49	0.7	0.8	0.6	8.1	1.8	290.38
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	12.28	2.09	0.3	0.4	-0.4	8.0	-0.7	190.66
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.33	3.18	0.9	2.0	0.9	6.9	4.0	430.04
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	16.74	2.43	0.6	1.5	1.0	7.9	3.9	370.45
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-75.69	0.14	0.5	-1.8	-1.3	8.3	-3.6	246.63
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	11.27	2.82	1.1	1.4	0.6	8.4	0.5	86.45
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	14.63	1.58	0.5	1.2	0.6	7.7	4.0	703.86
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	27.79	4.75	0.2	2.7	1.0	6.7	3.2	247.00
42	शामराव विठ्ठल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.48	3.09	1.0	2.4	1.0	7.8	4.7	606.87
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	-1.55	-	-	-	-2.5	6.5	-	531.91
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.00	3.30	0.4	1.2	0.6	8.8	1.3	254.94
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	22.52	3.28	0.4	1.6	0.6	8.0	2.1	433.73
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	9.95	1.99	0.7	0.3	0.2	8.5	0.5	407.30
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	15.47	3.31	0.9	2.3	1.2	7.6	6.3	552.76
48	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	10.21	1.87	0.4	0.7	0.1	8.9	0.2	215.76
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	8.18	1.44	0.4	0.8	0.1	9.0	0.2	335.09
50	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	10.38	2.22	1.2	0.4	0.1	8.7	0.3	248.46
51	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	-14.62	0.07	0.3	-1.8	-5.1	10.5	-8.6	232.26
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	12.23	4.79	0.3	0.5	0.1	15.0	0.1	108.23
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	14.56	2.38	0.4	0.7	0.4	7.7	2.0	565.97

'-': उपलब्ध नहीं/शून्य/नगण्य

टिप्पणी: आंकडे अनंतिम हैं।

स्रोत: ओएसएस विवरणियाँ ।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		करोत्तर निवल लाभ		ब्याज आय	
		2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.5	0.9	2.4	0.5	6.7	4.5
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.7	2.2	2.7	1.4	7.5	7.0
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	0.6	0.1	0.6	0.1	4.4	3.5
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.9	2.1	1.3	1.5	9.9	10.1
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.8	2.4	2.8	1.3	8.2	8.5
6	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	1.7	1.8	1.1	0.9	9.1	8.3
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.3	1.3	1.3	0.6	8.7	7.8
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.8	2.2	2.8	0.3	4.5	5.0
9	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-2.3	-2.4	-2.3	-2.4	2.0	1.4
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	2.1	1.4	1.5	0.7	6.4	7.0
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.5	1.4	1.1	0.6	8.0	8.3
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	1.3	2.2	1.2	1.2	7.7	7.8
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.4	1.9	0.4	0.7	8.1	8.3
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.4	2.3	1.5	1.3	7.9	7.5
15	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.8	0.9	0.8	0.5	8.1	7.5
16	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-	1.0	-	1.0	-	8.6
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	-0.3	1.4	-0.4	1.1	7.4	5.5
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.5	0.2	0.5	0.8	7.9	7.8
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	3.0	0.2	3.0	-4.6	3.1	2.7
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	0.8	1.5	0.8	0.6	8.3	8.2
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.3	0.8	0.3	0.4	7.9	8.2
22	कालूपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.2	1.7	2.2	1.0	5.5	6.8
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	1.3	1.9	1.0	0.9	8.2	7.5
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	0.4	1.0	0.3	0.4	8.5	8.5
25	माधवपुरा मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.6	0.4	1.6	0.4	1.3	0.4
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	-2.2	1.3	-	0.7	-	7.9
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	1.5	-	1.5	1.1	1.6	7.0
28	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	1.8	0.9	0.8	8.7	8.3
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	0.8	1.5	0.5	0.5	7.9	8.4
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	0.4	0.8	0.3	0.3	7.9	7.5
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.0	2.8	2.0	1.7	7.8	8.6
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.3	0.8	0.9	0.7	8.7	8.6
33	एनकेजीएसबी. को. ऑप. बैंक लिमिटेड. मुंबई	1.8	1.4	1.3	1.1	8.9	8.4
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	1.0	0.8	0.8	0.6	7.7	7.5
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	-0.8	0.4	-0.8	-0.4	3.1	7.9
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.6	2.0	1.4	0.9	8.6	8.0
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.0	1.5	0.8	1.0	5.7	7.6
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.7	-1.0	-0.7	-1.3	3.9	3.7
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	0.8	1.2	0.8	0.6	2.5	7.5
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.7	1.0	1.2	0.6	6.7	6.4
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	2.4	0.7	1.0	7.0	7.2
42	शामराव विठ्ठल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	2.1	0.9	1.0	8.8	8.6
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	0.2	-0.2	0.2	-2.5	6.1	4.3
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.9	1.1	0.6	0.6	9.0	8.8
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	1.5	0.9	0.6	8.6	8.1
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	0.7	0.3	0.5	0.2	8.3	7.7
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.4	2.2	0.9	1.2	8.5	8.4
48	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	0.6	0.7	0.4	0.1	8.1	8.4
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	0.7	0.7	0.3	0.1	8.1	8.4
50	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.8	0.4	0.8	0.1	7.6	8.0
51	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	0.1	-1.8	0.1	-5.1	8.1	6.9
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	7.1	0.3	7.1	0.1	5.5	4.4
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.7	0.7	1.7	0.4	8.4	8.3

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान तथा आकस्मितताएं		परिचालनगत कुल व्यय		स्प्रेड	
		2008-09	2009-10 अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ	2008-09	2009-10अ
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.3	3.5	1.1	0.3	4.9	5.6	3.4	1.0
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.0	3.3	-	0.2	5.2	5.1	4.5	3.8
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलूरू	2.7	2.6	-	-	4.4	4.2	1.7	0.9
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.4	5.9	0.6	0.1	7.9	8.2	4.6	4.2
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.6	5.3	-	0.5	5.8	6.4	3.6	3.3
6	भारत को. ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड	5.4	5.7	0.6	0.3	7.9	8.0	3.7	2.6
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	4.8	5.0	-	0.7	6.9	7.0	3.9	2.9
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.9	3.0	-	0.7	4.8	4.8	1.5	2.0
9	चारमीनार को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.1	3.0	-	-	4.3	3.9	-1.1	-1.5
10	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	3.7	4.7	0.6	0.4	4.9	6.2	2.7	2.2
11	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.5	6.1	0.4	0.6	6.8	7.7	2.5	2.1
12	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.5	5.0	0.2	0.7	6.2	6.7	3.2	2.8
13	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.4	4.8	-	0.7	7.9	6.7	2.7	3.5
14	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	3.2	3.4	0.9	0.3	5.2	5.4	4.7	4.1
15	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.9	5.8	-	0.4	8.3	8.1	2.1	1.7
16	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-	6.7	-	-	-	8.4	-	1.9
17	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	3.9	-	0.3	7.5	5.3	1.8	1.6
18	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.6	5.9	-	-	8.0	8.2	2.3	1.9
19	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	1.1	1.9	-	4.8	1.6	2.6	2.0	0.7
20	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	5.9	6.0	-	0.6	7.7	7.6	2.4	2.2
21	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	5.5	-	0.2	7.6	7.7	2.4	2.6
22	कालूपुर कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.6	4.5	-	0.2	3.7	5.7	2.8	2.3
23	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.5	4.4	0.4	0.5	6.6	6.5	3.7	3.1
24	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.8	6.0	0.2	0.3	7.8	8.2	2.7	2.5
25	माधवपुरा मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	0.2	-	-	1.8	0.3	-0.2	0.2
26	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	-	4.5	-	0.6	-	7.1	-	3.4
27	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	7.2	5.4	-	0.1	10.3	7.6	0.4	1.7
28	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.7	5.7	0.6	0.4	7.0	6.9	3.1	2.6
29	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	4.7	5.1	0.3	0.7	7.1	7.3	3.3	3.3
30	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	5.5	5.3	0.1	0.4	8.7	8.1	2.4	2.2
31	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.4	3.6	-	0.4	6.2	6.2	4.4	4.9
32	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.0	4.9	0.3	-	8.1	7.8	3.6	3.7
33	एनकेजीएसबी. को. ऑप. बैंक लिमिटेड. मुंबई	5.9	6.2	0.5	-	7.8	7.8	2.9	2.2
34	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	5.2	5.0	0.2	-	8.0	7.7	2.5	2.5
35	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	3.1	5.8	0.0	0.8	4.0	7.8	-	2.1
36	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.1	4.9	0.2	0.2	7.8	7.1	3.5	3.1
37	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	3.7	5.2	0.2	0.4	4.7	6.7	2.0	2.4
38	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.8	3.6	-	0.2	4.9	5.1	0.2	0.1
39	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	1.3	5.0	-	0.6	2.0	7.3	1.2	2.5
40	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.2	5.0	0.4	0.2	6.8	6.6	1.5	1.4
41	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.0	3.0	0.6	0.7	5.1	5.0	4.0	4.2
42	शामराव विठ्ठल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.8	5.8	0.4	0.4	7.8	7.5	3.0	2.7
43	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर	4.5	3.3	0.0	2.4	6.5	4.7	1.6	1.0
44	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.9	5.7	0.3	0.2	8.4	8.1	3.1	3.1
45	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.8	4.8	0.4	0.5	6.9	6.9	3.8	3.2
46	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.7	5.8	0.3	0.1	8.1	8.2	2.6	1.9
47	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.1	5.2	0.5	0.2	6.7	7.1	3.4	3.2
48	अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	6.3	6.6	0.2	0.6	7.9	8.2	1.8	1.8
49	अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	6.5	7.1	0.4	0.5	8.0	8.1	1.6	1.4
50	कपोल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.9	5.8	-	0.1	7.8	8.8	2.7	2.2
51	खामगांव अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	5.6	6.9	-	3.2	7.5	9.2	2.5	0.1
52	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.8	2.0	-	-	4.3	4.3	3.7	2.4
53	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.6	5.9	-	0.1	7.0	8.1	2.8	2.4

अ: अनंतिम '-' : शून्य/नगण्य

स्रोत : ओएसएस विवरणियां

परिशिष्ट सारणी V.3: राज्य सहकारी बैंकों के कार्यकारी परिणाम - क्षेत्रवार और राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	क्षेत्र/राज्य	लाभ / हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		मांग की तुलना में वसूली (जून अंत के अनुसार प्रतिशत)	
		2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ	2008	2009 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**101**	**107**	**322**	**347**	**2.9**	**2.9**	**97.8**	**97.8**
1.	चंडीगढ़	9	7	6	6	11.5	11.9	63.7	61.9
2.	दिल्ली	31	32	48	35	14.7	10.9	88.5	92.4
3.	हरियाणा	5	11	3	2	0.1	0.1	99.8	97.7
4.	हिमाचल प्रदेश	29	29	124	197	11.5	14.1	77.8	85.5
5.	जम्मू और कश्मीर	-	-	20	19	23.2	21.4	43.4	56.7
6.	पंजाब	10	12	53	55	1.3	1.2	99.0	99.2
7.	राजस्थान	17	16	68	33	3.0	1.9	96.1	96.5
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**-19**	**14**	**445**	**435**	**40.4**	**40.4**	**42.6**	**42.6**
8.	अरुणाचल प्रदेश	-13	3	128	96	97.5	79.7	10.6	11.8
9.	असम	-12	-1	121	119	41.8	38.3	55.1	68.7
10.	मणिपुर	-	9	53	84	32.4	58.0	30.9	43.7
11.	मेघालय	2	15	34	37	17.5	17.7	41.3	21.0
12.	मिजोरम	4	2	22	22	17.9	46.0	69.9	75.3
13.	नगालैंड	-	-13	27	29	45.3	17.0	64.8	70.4
14.	सिक्किम	2	1	1	2	5.7	7.0	55.3	62.2
15.	त्रिपुरा	-3	-3	59	46	43.2	29.7	52.6	64.6
	पूर्वी क्षेत्र	**32**	**33**	**534**	**506**	**10.8**	**10.8**	**82.2**	**82.2**
16.	अंडमान और निकोबार	2	2	14	15	12.9	12.7	73.8	74.8
17.	बिहार	6	6	267	267	42.5	42.5	36.1	36.1
18.	उड़ीसा	10	10	123	136	6.1	6.9	92.6	95.6
19.	पश्चिम बंगाल	15	15	130	88	5.9	4.0	85.2	91.1
	मध्य क्षेत्र	**65**	**69**	**820**	**607**	**12.5**	**12.5**	**82.9**	**82.9**
20.	छत्तीसगढ़	5	2	50	62	14.2	16.7	77.4	59.2
21.	मध्य प्रदेश	26	30	161	92	6.6	4.0	96.3	96.2
22.	उत्तर प्रदेश	32	35	577	444	15.9	13.6	71.8	92.9
23.	उत्तराखंड	2	1	32	9	23.5	6.3	93.7	93.7
	पश्चिमी क्षेत्र	**32**	**-34**	**2,352**	**2,269**	**19.8**	**19.8**	**67.5**	**67.5**
24.	गोवा	1	1	61	61	15.4	12.3	76.5	80.4
25.	गुजरात	6	-53	105	301	4.8	16.9	97.9	86.8
26.	महाराष्ट्र	24	18	2,187	1,907	23.4	21.6	57.2	82.2
	महाराष्ट्र	**10**	**126**	**1,718**	**1,600**	**11.9**	**11.9**	**87.7**	**87.7**
27.	आंध्र प्रदेश	6	61	931	949	15.6	20.2	72.2	93.3
28.	कर्नाटक	10	13	209	192	7.4	5.5	91.1	96.3
29.	केरल	-18	20	480	338	22.0	14.0	89.4	88.8
30.	पुदुचेरी	-3	-1	18	19	9.4	8.9	72.8	90.8
31.	तमिलनाडु	15	34	80	103	2.4	3.1	99.8	99.8
	अखिल भारतीय	**221**	**314**	**6,191**	**5,764**	**12.4**	**12.0**	**84.6**	**91.8**

— : शून्य/नगण्य

अ : अनंतिम

टिप्पणी: 1. बिहार की अनर्जक आस्तियों तथा वसूली के 2009 के आंकड़े दोहराये गये हैं। झारखंड में राज्य सहकारी बैंक ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है अतः इसे शामिल नहीं किया गया है ।

2. बिहार, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के लाभ / हानि के आंकड़े 2008-09 के लिए दोहराये गये हैं।

स्त्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.4: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	2008					2009					2007-08			2008-09		
		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		रिपोर्ट करने वाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		कुल अनर्जक आस्तियां	उधार की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)	कुल अनर्जक आस्तियां	उधार की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	जून के अंत में मांग की तुलना में वसूली (प्रतिशत)
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**57**	**121**	**16**	**58**	**73**	**69**	**148**	**4**	**28**	**1,383**	**7.2**	**7.2**	**1,807**	**7.2**	**65.0**
1	हरियाणा	19	14	11	5	18	19	18	31	1	9	287	5.1	54.4	534	9.6	61.4
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	52	-	-	2	2	50	-	-	106	8.3	85.9	112	7.7	84.4
3	जम्मू तथा कश्मीर	3	-	-	3	16	3	2	1	1	7	99	22.2	59.8	83	17.9	61.6
4	पंजाब	20	17	35	3	15	20	19	38	1	2	483	6.7	81.2	540	7.3	91.2
5	राजस्थान	29	24	23	5	9	29	28	28	1	10	408	9.5	57.6	537	13.6	79.0
	पूर्वी क्षेत्र	**64**	**45**	**52**	**19**	**106**	**64**	**49**	**76**	**15**	**93**	**1,465**	**22.3**	**22.3**	**1,136**	**22.3**	**53.0**
6	बिहार	22	13	12	9	23	22	13	12	9	23	340	54.5	55.8	340	54.5	50.7
7	झारखंड	8	5	6	3	6	8	7	8	1	2	101	75.9	17.2	101	75.9	17.2
8	उड़ीसा	17	13	5	4	46	17	15	28	2	38	618	18.6	49.0	289	7.5	59.6
9	पश्चिम बंगाल	17	14	28	3	31	17	14	28	3	31	407	16.2	66.0	407	16.0	75.6
	मध्य क्षेत्र	**104**	**77**	**180**	**27**	**188**	**104**	**90**	**295**	**14**	**44**	**3,482**	**28.9**	**28.9**	**3,357**	**28.9**	**46.9**
10	छत्तीसगढ़	6	6	18	-	-	6	6	40	-	-	296	31.9	48.1	236	24.7	69.5
11	मध्य प्रदेश	38	37	81	1	2	38	37	122	1	5	1,382	26.3	47.1	1,582	29.2	65.2
12	उत्तर प्रदेश	50	24	49	26	187	50	37	91	13	39	1,610	33.4	44.2	1,388	30.0	57.8
13	उत्तराखंड	10	10	31	-	-	10	10	41	-	-	194	18.3	66.8	151	13.7	83.4
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**29**	**181**	**19**	**338**	**49**	**41**	**573**	**8**	**55**	**6,940**	**22.3**	**22.3**	**6,502**	**22.3**	**44.3**
14	गुजरात	18	10	50	7	62	18	14	101	4	18	1,247	19.2	60.5	1,116	18.1	74.7
15	महाराष्ट्र	31	19	131	12	276	31	27	472	4	38	5,693	23.2	38.7	5,385	23.5	63.8
	महाराष्ट्र	**80**	**53**	**320**	**27**	**302**	**80**	**71**	**510**	**9**	**67**	**5,484**	**16.7**	**16.7**	**5,127**	**16.7**	**63.8**
16	आंध्र प्रदेश	22	11	28	11	144	22	19	212	3	11	1,601	19.6	26.7	1,237	20.4	74.2
17	कर्नाटक	21	20	67	1	14	21	21	70	-	-	855	16.5	74.9	773	12.9	81.6
18	केरल	14	10	39	4	46	14	10	39	4	46	1,224	14.4	78.8	1,224	14.4	78.8
19	तमिलनाडु	23	12	186	11	99	23	21	189	2	11	1,804	16.4	86.5	1,893	15.3	82.2
	अखिल भारतीय	**370**	**261**	**853**	**108**	**992**	**370**	**320**	**1,603**	**50**	**288**	**18,754**	**18.5**	**55.6**	**17,929**	**17.9**	**72.2**

'-': शून्य/नगण्य

टिप्पणी: 1. 2009 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2007-08 में गुजरात का एक तथा मध्य प्रदेश का एक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक न लाभ न हानि की स्थिति में था ।

3. वर्ष 2007-08 के लिए बिहार तथा हिमाचल प्रदेश के अनर्जक आस्तियों तथा मांग की तुलना में वसूली के आंकड़े अखिल भारतीय औसत के लिए दोहराए गए हैं।

4. आंध्र प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के लाभ तथा हानि के वर्ष 2008 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2009 को)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	प्रा.कृ.स.स. की संख्या	जमा राशियां (करोड़ रुपए)	उधारियां (करोड़ रुपए)	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपए)	जारी उधार तथा अग्रिम (करोड़ रुपए)		जारी उधार तथा अग्रिम (करोड़ रुपए)		लाभवाली समितियां	
						अल्पावधि	मध्यावधि	कृषि	कृषितर	संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	उत्तरी क्षेत्र	**12,738**	**2,520**	**11,133**	**18,106**	**11,998**	**477**	**7,210**	**497**	**8,267**	**149**
1.	चंडीगढ़	16	0.03	0.09	0.23	0.04	0.10	-	0.06	15	0.03
2	हरियाणा	620	311.14	4,340.08	6,363.45	2,943.11	68.00	3,982.25	344.71	145	0.27
3	हिमाचल प्रदेश	2,092	839.15	83.99	1,204.59	10.19	189.99	338.24	-	1,672	11.74
4	जम्मू और कश्मीर	765	1.19	37.19	78.72	9.82	3.06	22.27	0.89	335	0.84
5	पंजाब	3,990	908.06	4,020.07	5,901.07	6,199.18	53.92	128.13	-	2,504	92.40
6	राजस्थान	5,255	460.06	2,651.48	4,557.88	2,835.98	161.56	2,739.30	151.65	3,596	43.98
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,579**	**67**	**54**	**365**	**17**	**3**	**39**	**6**	**564**	**78**
7	अरुणाचल प्रदेश	31	-	4.11	16.36	-	0.77	0.87	-	20	0.25
8	असम	766	-	-	111.23	7.13	0.81	5.65	0.30	309	76.39
9	मणिपुर	204	0.65	1.36	4.32	3.10	-	4.70	-	-	-
10	मेघालय	179	1.15	6.92	17.67	2.29	0.22	4.46	0.74	51	0.1
11	मिजोरम	245	-	-	6.32	0.53	0.12	0.85	-	83	0.74
12	नगालैंड	1,719	64.19	9.04	112.46	1.57	-	1.97	3.57	-	-
13	सिक्किम	166	-	-	2.07	2.15	0.24	0.54	-	84	0.2
14	त्रिपुरा	269	0.70	32.61	95.06	0.15	0.43	20.31	1.19	0.4	0.78
	पूर्वी क्षेत्र	**20,308**	**3,582**	**4,291**	**10,302**	**4,139**	**801**	**4,519**	**325**	**4,933**	**40**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप	45	0.82	2.09	2.95	0.86	0.38	2.11	-	33	-
16	बिहार	8,463	66.72	501.15	493.37	316.54	-	432.48	-	1,180	6
17	झारखंड	208	12.68	3.49	15.23	1.00	-	2.64	7.23	60	1
18	उड़ीसा	3,564	2,376.87	2,255.52	6,100.37	2,680.60	554.21	2,977.96	55.62	1,223	11
19	पश्चिम बंगाल	8,028	1,124.92	1,528.82	3,690.49	1,139.59	246.39	1,103.67	262.16	2,437	23
	मध्य क्षेत्र	**15,938**	**1,074**	**4,550**	**7,472**	**3,869**	**258**	**3,549**	**244**	**7,412**	**122**
20	छत्तीसगढ़	1,213	217.72	418.43	931.10	412.83	51.78	396.93	56.20	745	17
21	मध्य प्रदेश	4,633	462.72	2,643.69	4,202.84	2,166.97	116.77	1,810.50	154.59	1,777	77
22	उत्तराखंड	1,163	325.30	517.61	1,078.43	502.91	77.53	541.62	32.76	354	10
23	उत्तर प्रदेश	8,929	68.20	970.76	1,259.27	785.80	11.67	800.31	-	4,536	18
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,326**	**412**	**14,424**	**21,473**	**8,278**	**1,339**	**9,848**	**609**	**11,126**	**217**
24	गोवा	75	30.97	4.70	55.18	1.39	6.34	4.55	16.57	48	0.7
25	गुजरात	8,044	252.17	3,568.17	7,381.96	3,179.71	385.61	3,579.27	141.18	4,885	80
26	महाराष्ट्र	21,199	128.90	10,851.37	14,036.11	5,096.54	947.16	6,263.92	451.64	6,187	136
27	दादरा और नगर हवेली	8	-	-	0.64	0.01	-	-	-	6	-
	दक्षिणी क्षेत्र	**13,744**	**18,591**	**14,486**	**36,866**	**19,722**	**7,888**	**12,786**	**11,450**	**4,989**	**235**
28	आंध्र प्रदेश	2,748	1,105.77	4,900.21	5,910.78	2,235.92	339.50	3,624.53	187.34	828	21
29	कर्नाटक	4,806	1,465.23	3,145.24	5,494.16	3,174.26	953.82	3,140.99	639.49	2,205	57
30	केरल	1,608	13,087.59	2,004.69	17,459.94	9,802.67	5,562.39	3,580.80	8,438.51	855	81
31	पुदुचेरी	52	66.01	25.57	106.21	95.14	13.26	15.82	58.72	23	1
32	तमिलनाडु	4,530	2,866.47	4,409.99	7,894.42	4,413.95	1,018.75	2,423.75	2,126.02	1,078	76
	अखिल भारतीय	**95,633**	**26,245.38**	**48,938.44**	**94,584.88**	**48,021.93**	**10,764.80**	**37,951.40**	**13,131.10**	**37,291**	**842.6**

परिशिष्ट सारणी V.5: प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2009 को)

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम समितियां	संभाव्य रूप से अर्थक्षम समितियां	निष्क्रिय समितियां	अप्रचलित समितियां	अन्य
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19
	उत्तरी क्षेत्र	**3,515**	**66**	**8,926**	**2,844**	**676**	**249**	**43**
1	चंडीगढ़	1	-	15	-	1	-	-
2	हरियाणा	475	3	620	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	367	4	433	1,626	33	-	-
4	जम्मू और कश्मीर	356	15	275	173	96	219	2
5	पंजाब	970	13	3,206	290	490	4	-
6	राजस्थान	1,346	31	4,377	755	56	26	41
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,075**	**134**	**2,071**	**407**	**665**	**434**	**2**
7	अरुणाचल प्रदेश	6	-	31	-	-	-	-
8	असम	419	99	709	57	-	-	-
9	मणिपुर	108	-	195	-	8	1	-
10	मेघालय	125	0.29	160	18	1	-	-
11	मिजोरम	116	2	93	96	-	54	2
12	नगालैंड	-	-	457	228	655	379	-
13	सिक्किम	49	-	166	-	-	-	-
14	त्रिपुरा	252	33	260	8	1	-	-
	पूर्वी क्षेत्र	**10,749**	**75**	**15,491**	**2,969**	**797**	**539**	**512**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप	7	-	38	-	5	2	-
16	बिहार	3,962	1	8,463	-	-	-	-
17	झारखंड	-	-	60	85	29	-	34
18	उड़ीसा	2,285	58	2,970	443	27	5	119
19	पश्चिम बंगाल	4,495	17	3,960	2,441	736	532	359
	मध्य क्षेत्र	**5,338**	**248**	**12,092**	**3,126**	**444**	**185**	**91**
20	छत्तीसगढ़	468	25	1,117	96	-	-	-
21	मध्य प्रदेश	2,465	212	3,371	1,185	6	-	71
22	उत्तराखंड	437	10	489	576	56	22	20
23	उत्तर प्रदेश	1,968	2	7,115	1,269	382	163	-
	पश्चिमी क्षेत्र	**17,152**	**677**	**17,913**	**9,911**	**745**	**374**	**383**
24	गोवा	27	2	55	12	8	-	-
25	गुजरात	2,605	274	4,667	2,142	706	325	204
26	महाराष्ट्र	14,520	401	13,184	7,757	31	49	178
27	दादरा और नगर हवेली	-	-	7	-	-	-	1
	दक्षिणी क्षेत्र	**8,040**	**715**	**8,379**	**3,789**	**657**	**189**	**730**
28	आंध्र प्रदेश	1,782	226	2,221	525	2	-	-
29	कर्नाटक	2,342	98	3,371	1,003	165	50	217
30	केरल	661	145	1,320	217	36	1	34
31	पुदुचेरी	29	7	23	29	-	-	-
32	तमिलनाडु	3,226	239	1,444	2,015	454	138	479
	अखिल भारतीय	**45,869.0**	**1,915.2**	**64,872**	**23,046**	**3,984**	**1,970**	**1,761**

'-' : शून्य/नगण्य

स्रोत : राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफएससीओबी)

परिशिष्ट सारणी V.6: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य	शाखाओं की संख्या	लाभ /हानि की राशि		कुल अनर्जक आस्तियां		बकाया उधारों के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत)	
		2008	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी क्षेत्र	**85**	**72**	**61**	**724**	**760**	**13.0**	**13.9**	**58.5**	**64.9**
1.	हरियाणा @	-	28	13	162	232	9.5	13.3	74.8	63.1
2.	हिमाचल प्रदेश #	33	4	4	122	102	44.1	39.0	59.8	49.3
3.	जम्मू और कश्मीर*	45	-5	-5	12	7	100.0	80.1	37.6	20.9
4.	पंजाब @	-	29	25	1	1	0.04	0.04	79.8	80.8
5.	राजस्थान @	7	16	24	427	419	27.6	28.9	30.0	59.2
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**35**	**-**	**-3**	**18**	**16**	**58.6**	**52.0**	**71.0**	**53.4**
6.	असम*	30	1	-3	9	8	79.6	78.7	87.9	30.9
7.	मणिपुर*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	त्रिपुरा*	5	-1	-	9	8	46.8	39.0	66.1	61.2
	पूर्वी क्षेत्र	**138**	**-3**	**-**	**445**	**359**	**45.7**	**39.2**	**33.7**	**28.3**
9.	बिहार*	131	-	-1	79	59	91.8	85.3	16.9	1.9
10.	उड़ीसा @	5	-3	-1	176	110	98.3	99.9	59.9	48.9
11.	पश्चिम बंगाल #	2	-	2	190	190	26.8	25.7	33.1	36.4
	मध्य क्षेत्र	**349**	**-171**	**208**	**2,755**	**1,725**	**47.9**	**39.2**	**69.5**	**35.3**
12.	छत्तीसगढ़ @	-	-11	-	84	89	39.7	44.5	25.1	42.2
13.	मध्य प्रदेश @	7	-	-75	252	391	16.9	31.6	70.4	27.4
14.	उत्तर प्रदेश*	342	-161	283	2,419	1,244	59.7	42.0	70.7	38.3
	दक्षिणी क्षेत्र	**181**	**-184**	**-177**	**1,569**	**1,382**	**80.1**	**77.6**	**10.0**	**20.1**
15.	गुजरात*	181	19	26	437	264	65.8	43.1	30.3	38.1
16.	महाराष्ट्र @	-	-203	-203	1,132	1,117	87.4	95.7	2.7	13.3
	महाराष्ट्र	**56**	**42**	**-41**	**924**	**696**	**22.5**	**19.0**	**47.6**	**51.3**
17.	कर्नाटक @	23	-15	-62	341	382	26.3	28.7	33.6	30.6
18.	केरल @	14	16	17	161	92	9.1	5.1	77.1	88.4
19.	पुदुचेरी*	1	-	2	3	1	26.9	10.0	83.9	91.5
20.	तमिलनाडु @	18	41	2	419	221	40.9	41.3	18.9	4.9
	अखिल भारतीय	**844**	**-243**	**49**	**6,435**	**4,938**	**34.8**	**30.1**	**49.9**	**40.0**

'-': शून्य/नगण्य @ संघीय संरचना # संमिश्र संरचना * एकल संरचना

टिप्पणी: 1. 2009 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. मणिपुर के 2008 और 2009 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.7 : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राज्यवार कार्य परिणाम

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2007-08				2008-09				अनर्जक आस्तियां		बकाया उधार के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		वसूली (प्रतिशत) (जून के अंत में)	
		लाभ		हानि		लाभ		हानि							
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**95**	**132**	**50**	**60**	**98**	**72**	**47**	**76**	**2,164**	**1,850**	**40.2**	**34.7**	**41.2**	**39.1**
1.	हरियाणा	17	100	2	1	4	25	15	45	762	661	46.8	38.2	36.9	22.3
2.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	3	-	-	1	3	28	26	36.4	35.5	56.8	59.2
3.	पंजाब	53	21	36	32	64	25	25	16	797	795	37.6	37.3	44.6	57.6
4.	राजस्थान	24	12	12	24	30	22	6	12	578	368	37.0	26.4	41.4	40.1
	मध्य क्षेत्र	**17**	**1**	**33**	**120**	**23**	**24**	**27**	**69**	**744**	**561**	**53.4**	**47.5**	**56.8**	**37.6**
5.	छत्तीसगढ़	8	-	4	1	6	-	6	3	71	72	38.2	42.1	47.5	49.5
6.	मध्य प्रदेश	9	1	29	118	17	24	21	66	674	489	55.7	48.5	57.9	36.0
	पूर्वी क्षेत्र	**8**	**3**	**60**	**38**	**11**	**3**	**54**	**38**	**201**	**130**	**27.0**	**19.7**	**75.2**	**73.7**
7.	उड़ीसा	1	1	45	18	4	1	39	18	101	30	86.9	97.5	88.4	48.5
8.	पश्चिम बंगाल	7	1	15	19	7	1	15	19	100	100	15.9	16.0	69.6	97.7
	पश्चिमी क्षेत्र	**1**	**2**	**28**	**270**	**4**	**7**	**25**	**132**	**768**	**614**	**84.9**	**95.9**	**4.1**	**8.0**
9.	महाराष्ट्र	1	2	28	270	4	7	25	132	768	614	84.9	95.9	4.1	8.0
	महाराष्ट्र	**162**	**75**	**222**	**86**	**167**	**71**	**236**	**61**	**1,239**	**1,238**	**37.1**	**36.2**	**46.8**	**50.1**
10.	कर्नाटक	80	32	97	32	79	26	98	39	366	394	29.8	31.9	22.7	49.0
11.	केरल	27	-	-	-	39	36	7	1	705	690	39.0	37.9	66.4	61.1
12.	तमिलनाडु	55	43	125	54	49	9	131	21	169	154	54.1	42.2	30.4	12.1
	अखिल भारतीय	**283**	**213**	**393**	**573**	**303**	**177**	**389**	**376**	**5,117**	**4,393**	**42.2**	**39.0**	**42.2**	**40.3**

'-': शून्य/नगण्य

टिप्पणी : 2009 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.8: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (ग्राबुसुविनि) के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(जारी)*

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम/क्षेत्र	ग्राबुसुविनि I		ग्राबुसुविनि II		ग्राबुसुविनि III		ग्राबुसुविनि IV		ग्राबुसुविनि V	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अखिल भारतीय	**1,906**	**1,761**	**2,636**	**2,398**	**2,733**	**2,454**	**2,903**	**2,482**	**3,435**	**3,055**
दक्षिणी क्षेत्र	**499**	**460**	**865**	**780**	**752**	**673**	**702**	**640**	**925**	**856**
आंध्र प्रदेश	227	215	337	308	282	252	287	273	379	359
कर्नाटक	176	159	195	180	171	162	172	167	173	165
केरल	96	86	87	73	89	74	64	57	127	117
तमिलनाडु	-	-	246	219	209	186	179	143	246	216
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिमी क्षेत्र	**345**	**322**	**359**	**319**	**408**	**381**	**426**	**380**	**572**	**511**
गोवा	7	7					9	9		
गुजरात	151	145	127	114	154	135	115	91	222	179
महाराष्ट्र	187	170	232	204	254	246	302	280	350	332
उत्तरी क्षेत्र	**527**	**499**	**792**	**713**	**838**	**753**	**935**	**749**	**868**	**810**
हरियाणा	27	19	64	62	67	62	53	48	90	80
हिमाचल प्रदेश	14	14	53	53	51	49	88	79	110	108
जम्मू और कश्मीर	6	6	-	-	36	24	107	103	111	109
पंजाब	61	61	63	62	89	85	96	75	103	91
राजस्थान	124	117	152	129	158	140	64	49	132	120
उत्तर प्रदेश	296	282	461	407	414	389	475	389	317	300
उत्तराखंड	-	-	-	-	22	2	51	6	5	-
मध्य क्षेत्र	**241**	**215**	**250**	**239**	**280**	**262**	**242**	**218**	**263**	**245**
छत्तीसगढ़	82	78	10	6	57	58	69	65	34	32
मध्य प्रदेश	159	137	241	233	223	204	173	153	229	213
पूर्वी क्षेत्र	**286**	**257**	**307**	**286**	**432**	**363**	**481**	**392**	**442**	**363**
बिहार	22	13	-	-	58	27	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	4	2	119	82	91	82
उड़ीसा	170	162	151	141	199	172	149	117	128	100
पश्चिम बंगाल	95	82	156	145	171	161	214	193	222	181
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**9**	**8**	**63**	**61**	**23**	**23**	**117**	**103**	**364**	**270**
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	25	23
असम	-	-	63	61	16	16	65	52	186	117
मणिपुर	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	3	3	-	-	7	7	9	9	31	31
मिजोरम	2	2	-	-	-	-	-	-	54	54
नगालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	16	14
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	21	21	9	9
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	22	21	44	22

परिशिष्ट सारणी V.8: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (ग्राबुसुविनि) के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(जारी)*

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम/क्षेत्र	ग्राबुसुविनि VI		ग्राबुसुविनि VII		ग्राबुसुविनि VIII		ग्राबुसुविनि IX		ग्राबुसुविनि X	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अखिल भारतीय	**4,489**	**4,071**	**4,582**	**4,053**	**5,950**	**5,149**	**5,638**	**4,916**	**7,672**	**6,489**
दक्षिणी क्षेत्र	**1,279**	**1,174**	**1,388**	**1,256**	**1,706**	**1,480**	**1,783**	**1,481**	**2,817**	**2,311**
आंध्र प्रदेश	559	511	609	558	904	752	856	651	1,533	1,208
कर्नाटक	292	275	235	212	220	202	290	261	407	368
केरल	175	159	192	159	194	168	90	74	219	172
तमिलनाडु	253	229	353	327	388	358	548	494	658	563
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिमी क्षेत्र	**964**	**881**	**586**	**471**	**743**	**690**	**966**	**954**	**1,407**	**1,350**
गोवा	19	9	16	10	16	10	-	-	-	-
गुजरात	506	462	41	22	284	284	899	899	1,312	1,275
महाराष्ट्र	439	410	530	439	443	396	67	55	95	75
उत्तरी क्षेत्र	**1,070**	**1,006**	**1,439**	**1,360**	**1,558**	**1,407**	**1,386**	**1,264**	**1,720**	**1,509**
हरियाणा	65	62	150	140	267	239	153	125	166	153
हिमाचल प्रदेश	127	128	168	175	169	154	142	112	92	77
जम्मू और कश्मीर	162	155	217	207	176	158	154	147	49	43
पंजाब	229	200	232	206	206	198	287	254	311	281
राजस्थान	254	245	375	347	347	281	140	125	313	235
उत्तर प्रदेश	233	218	298	269	323	311	218	212	481	428
उत्तराखंड	-	-	-	16	70	65	292	289	308	291
मध्य क्षेत्र	**372**	**310**	**396**	**322**	**823**	**736**	**708**	**570**	**593**	**497**
छत्तीसगढ़	51	43	85	70	282	242	433	351	63	39
मध्य प्रदेश	321	267	311	253	540	494	275	219	531	458
पूर्वी क्षेत्र	**512**	**442**	**672**	**544**	**964**	**704**	**538**	**445**	**1,051**	**742**
बिहार	-	-	58	38	199	161	97	62	75	52
झारखंड	-	-	-	-	-	-	49	39	174	113
उड़ीसा	104	86	149	137	247	211	185	156	376	281
पश्चिम बंगाल	408	356	464	369	519	332	207	189	426	295
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**291**	**258**	**101**	**99**	**156**	**131**	**257**	**203**	**84**	**80**
अरुणाचल प्रदेश	103	92	69	69	-	-	15	12	26	23
असम	50	45	-	-	76	62	190	141	14	13
मणिपुर	8	8	-	-	-	-	-	-	1	-
मेघालय	30	29	18	17	16	15	16	14	-	-
मिजोरम	4	4	7	7	2	2	14	14	7	7
नगालैंड	56	48	1	1	7	7	17	17	29	28
सिक्किम	5	5	5	5	5	5	3	3	8	8
त्रिपुरा	35	28	-	-	50	41	3	3	-	-

परिशिष्ट सारणी V.8: ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (ग्राबुसुविनि) के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण - राज्यवार *(समाप्त)*

(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम/क्षेत्र	ग्राबुसुविनि XI		ग्राबुसुविनि XII		ग्राबुसुविनि XIII		ग्राबुसुविनि XIV		ग्राबुसुविनि XV		राज्य का कुल	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
अखिल भारतीय	**8,320**	**6,605**	**10,411**	**7,280**	**12,706**	**7,601**	**14,708**	**6,653**	**15,630**	**3,474**	**1,03,718**	**68,440**
दक्षिणी क्षेत्र	**2,525**	**2,018**	**2,301**	**1,845**	**3,482**	**2,067**	**3,436**	**1,410**	**3,124**	**650**	**27,583**	**19,101**
आंध्र प्रदेश	1,267	1,011	744	562	1,266	687	1,315	505	1,185	239	11,750	8,090
कर्नाटक	449	391	497	399	961	433	661	110	657	8	5,555	3,491
केरल	205	125	261	167	298	171	501	233	353	76	2,951	1,911
तमिलनाडु	604	491	799	717	957	776	905	538	850	328	7,194	5,585
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	55	23	79	-	133	23
पश्चिमी क्षेत्र	**992**	**789**	**1,317**	**751**	**1,760**	**1,290**	**2,293**	**1,386**	**2,034**	**648**	**15,172**	**11,125**
गोवा	-	-	-	-	27	9	86	86	149	61	328	200
गुजरात	891	755	803	331	649	475	1,085	747	972	365	8,210	6,281
महाराष्ट्र	101	34	513	420	1,084	806	1,123	553	914	222	6,634	4,643
उत्तरी क्षेत्र	**2,202**	**1,833**	**3,348**	**2,573**	**3,550**	**2,303**	**3,933**	**2,029**	**5,010**	**1,216**	**29,176**	**20,024**
हरियाणा	178	164	252	228	258	182	288	124	543	129	2,621	1,816
हिमाचल प्रदेश	225	177	273	168	299	117	425	163	454	140	2,691	1,715
जम्मू और कश्मीर	80	79	461	414	602	352	342	150	654	134	3,156	2,082
पंजाब	283	243	553	454	336	269	525	303	553	132	3,925	2,915
राजस्थान	592	479	742	507	825	563	1,100	611	1,015	249	6,332	4,197
उत्तर प्रदेश	788	641	1,035	771	1,092	725	952	525	1,364	356	8,747	6,223
उत्तराखंड	57	50	32	31	138	95	300	152	426	76	1,703	1,076
मध्य क्षेत्र	**507**	**384**	**782**	**601**	**1,337**	**582**	**1,047**	**379**	**1,261**	**370**	**9,101**	**5,930**
छत्तीसगढ़	118	78	53	27	76	38	72	43	86	26	1,569	1,195
मध्य प्रदेश	389	306	729	574	1,261	544	975	336	1,176	345	7,532	4,734
पूर्वी क्षेत्र	**1,423**	**1,090**	**1,991**	**1,115**	**2,169**	**1,169**	**3,052**	**1,159**	**3,125**	**441**	**17,446**	**9,510**
बिहार	459	377	649	186	589	418	752	284	877	167	3,835	1,784
झारखंड	107	89	331	239	407	251	631	317	567	69	2,480	1,283
उड़ीसा	397	275	498	358	509	184	849	208	760	28	4,871	2,617
पश्चिम बंगाल	459	349	513	331	665	316	820	350	922	177	6,260	3,826
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**671**	**490**	**673**	**396**	**407**	**190**	**947**	**289**	**1,076**	**148**	**5,240**	**2,751**
अरुणाचल प्रदेश	149	70	140	93	29	12	122	48	56	16	735	458
असम	402	339	283	178	88	41	113	43	300	57	1,846	1,164
मणिपुर	28	-	16	16	-	-	-	-	4	-	58	25
मेघालय	32	22	24	18	57	46	66	25	135	27	445	262
मिजोरम	19	19	8	8	22	22	1	1	75	20	216	161
नगालैंड	34	34	25	21	15	15	240	41	187	28	627	256
सिक्किम	6	6	16	16	42	36	99	40	177	1	397	155
त्रिपुरा	-	-	161	46	154	19	305	91	142	-	917	271

'-' : शून्य / नगण्य

स्रोत : नाबार्ड।

प्परिशिष्ट सारणी V.9: किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति
(मार्च 2010 के अंत में)

(राशि करोड़ रु. में और जारी किए गए कार्ड हजार में)

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक		कुल	
		जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	3,594	6,751	2,068	4,405	9,919	32,880	15,582	44,036
2	असम	14	18	154	513	399	795	568	1,326
3	अरुणाचल प्रदेश #	1	1	3	5	19	42	23	48
4	बिहार	833	1,008	1,110	4,067	1,862	8,181	3,805	13,256
5	गुजरात	1,206	18,457	248	2,644	1,543	22,622	2,997	43,723
6	गोवा $	4	19	-	-	12	139	17	158
7	हरियाणा	1,259	7,833	372	3,363	861	9,319	2,492	20,516
8	हिमाचल प्रदेश	192	513	55	273	256	1,461	503	2,247
9	जम्मू और कश्मीर	53	78	24	173	15	101	93	353
10	कर्नाटक	1,867	7,197	1,255	6,135	2,543	15,476	5,665	28,808
11	केरल	1,482	4,087	473	1,687	1,512	5,468	3,466	11,241
12	मध्य प्रदेश	3,389	14,262	575	3,041	1,813	14,906	5,777	32,209
13	महाराष्ट्र	5,395	32,157	330	1,180	2,972	13,859	8,697	47,197
14	मेघालय #	11	15	22	40	46	120	79	174
15	मिजोरम #	2	1	9	56	15	34	26	92
16	मणिपुर #	14	34	2	3	28	76	44	113
17	नगालैंड #	3	2	2	4	23	44	28	49
18	उड़ीसा	3,592	10,323	705	1,523	1,257	3,804	5,553	15,649
19	पंजाब	904	6,370	140	1,719	1,353	16,979	2,398	25,068
20	राजस्थान	2,960	8,915	499	4,735	1,762	20,647	5,220	34,298
21	सिक्किम #$	3	8	-	-	8	32	11	40
22	तमिलनाडु ##	1,638	5,481	294	675	4,224	14,592	6,156	20,748
23	त्रिपुरा #	4	6	53	94	64	147	121	248
24	उत्तर प्रदेश**	6,280	7,578	3,916	14,320	6,917	39,731	17,113	61,629
25	पश्चिम बंगाल	1,535	5,782	375	1,814	1,535	4,756	3,445	12,352
26	अंडमान व निकोबार द्विप समूह #$	4	10	-	-	3	10	7	20
27	चंडीगढ़ $	-	-	-	-	3	20	3	20
28	दमन और दीव @$	-	-	-	-	2	14	2	14
29	नई दिल्ली #$	2	9	-	-	22	295	24	304
30	दादरा और नगर हवेली@$	-	-	-	-	3	29	3	29
31	लक्षद्वीप @$	-	-	-	-	1	3	1	3
32	पुदुचेरी #	7	34	-	-	60	232	67	267
33	झारखंड**	279	544	387	496	503	1,555	1,168	2,596
34	छत्तीसगढ़	1,046	2,413	301	779	317	1,718	1,663	4,910
35	उत्तराखंड	314	689	50	220	304	2,835	668	3,744
36	अन्य राज्य					-	-	-	-
37	वाणिज्य बैंको के संबंध में राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं (1998-99)					188	267	188	267
38	**कुल**	**37,888**	**1,40,594**	**13,421**	**53,964**	**42,364**	**2,33,190**	**93,673**	**4,27,748**

'-': शून्य/नगण्य।

\# राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय वित्तीय एजेंसी जैसा कार्य करता है।

@ इन संघशासित प्रदेशों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

** आंकड़े समाधान के अंतर्गत

$ इन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है।

वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी कार्डों की संख्या 950,89 है और स्वीकृत राशि 25,174 लाख रुपए है। तथापि, वर्ष के दौरान तिरूचिरापल्ली, डीसीसीबी द्वारा जारी 237,432 कार्डों के घटाने को परिलक्षित करने के लिए उसका अभिशून्यन किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्थाएं	उधार*				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान				अन्य #				कुल				प्रतिशत घट-बढ़ 2008-2009 की तुलना में	
	2008-09		2009-10		2008-09		2009-10		2008-09		2009-10		2008-09		2009-10			
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अ. अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाए बैंक (1 तथा 2)	**29,188.0**	**28,297.8**	**35,084.6**	**31,755.1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.7**	**20.0**	**26.6**	**23.9**	**29,216.7**	**28,317.8**	**35,111.2**	**31,778.1**	**20.2**	**12.2**
1. सिडबी	29,188.0	28,297.8	35,084.6	31,755.1	-	-	-	-	28.7	20.0	26.6	23.9	29,216.7	28,317.8	35,111.2	31,778.1	20.2	12.2
2. आइआइबीआइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ.विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (3 तथा 4)	**16.3**	**7.3**	**20.0**	**26.8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.3**	**7.3**	**20.0**	**26.8**	**23.1**	**269.0**
3.आइवीसीएफ	16.3	7.3	20.0	26.8	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	7.3	20.0	26.8	23.1	269.0
4. आइसीआइसीआइ वेंचर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
इ. निवेश संस्थाएं (5 तथा 6)	**9,241.2**	**5,696.4**	**13,936.5**	**3,559.0**	**61,703.7**	**56,538.8**	**51,318.8**	**51,613.5**	**455.0**	**122.1**	**821.4**	**98.7**	**71,399.9**	**62,357.3**	**66,076.6**	**55,271.1**	**(7.5)**	**(11.4)**
5. एलआइसी	9,201.2	5,656.2	13,896.5	3,519.0	61,198.7	56,033.8	50,748.2	51,042.9	455.0	122.1	821.4	98.7	70,854.9	61,812.2	65,466.0	54,660.5	(7.6)	(11.6)
6. जीआइसी @	40.0	40.1	40.0	40.0	505.0	505.0	570.6	570.6	-	-	-	-	545.0	545.1	610.6	610.6	12.0	12.0
ई. वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)	**38,445.4**	**34,001.4**	**49,041.0**	**35,340.9**	**61,703.7**	**56,538.8**	**51,318.8**	**51,613.5**	**483.7**	**142.1**	**848.0**	**122.6**	**100,632.8**	**90,682.4**	**101,207.8**	**87,076.0**	**0.6**	**(4.0)**
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (7 तथा 8)	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
7.एसएफसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8. एसआइडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई + उ)	**38,445**	**34,001**	**49,041**	**35,341**	**61,704**	**56,539**	**51,319**	**51,613**	**484**	**142**	**848**	**123**	**100,633**	**90,682**	**101,208**	**87,076**	**0.6**	**(4.0)**

स्वी : स्वीकृत संवि. : संवितरित – : शून्य .. : उपलब्ध नहीं * : उधार में रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार शामिल है। # : अन्य में गारंटी शामिल है। @ : आंकड़ों में साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं।

टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएँ।

परिशिष्ट सारणी VI.2: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			बट्टा आय सहित ब्याज आय	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2008-09	84	90	9	183	62	13	75	107	107	44.2
		2009-10	100	-31	11	80	44	16	60	20	13	4.7
2	एसबीआइ डीएफएचआइ लि.	2008-09	162	22	13	197	56	10	66	102	67	6.2
		2009-10	127	50	15	192	40	14	54	135	89	7.9
3	आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज लि.	2008-09	309	388	32	729	229	81	310	418	272	53.3
		2009-10	245	24	52	321	134	72	206	116	85	15.0
4	पीएनबी गिल्ट ली.	2008-09	112	-29	29	112	67	7	74	38	25	4.7
		2009-10	101	-30	31	102	35	11	46	56	37	6.5
5	मार्गन स्टैनली - पीडी*	2008-09										
		2009-10	29	3	7	39	13	17	30	10	5	1.9
6	नामूरा फाइ. सि. लि.#	2008-09										
		2009-10	18	-10	15	23	7	14	21	1	1	0.4
7	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.·	2008-09	50	15	12	77	30	6	36	41	27	13.3
		2009-10	47	-10	7	44	17	4	21	23	15	6.7
8	आइडीबीआइ गिल्ट लि.	2008-09	45	-30	6	21	33	7	40	-20	-20	-21.4
		2009-10	23	-26	6.0	3	13	9	22	-18.0	-18	-17.0
	जोड़	**2008-09**	**878**	**843**	**104**	**1825**	**546**	**146**	**692**	**1133**	**749**	**22.8**
		2009-10	**690**	**-30**	**144**	**804**	**303**	**158**	**461**	**343**	**227**	**6.9**

* : पीडी का परिचालन 20 जुलाई 2009 से शुरू किया। #: पीडी का परिचालन 7 सितंबर 2009 से शुरू किया।

सभी राशि निकटतम करोड़ रुपए में पूर्णांकित की गई है।

– : लागू नहीं।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां ।

परिशिष्ट सारणी VI.3: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खज़ाना बिल (बही मूल्य / एमटीएम) का स्टॉक		कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भारतीय सिक्युरिटीज व्यापार निगम लि.	253	258	38	33	1,067	960	1,176	1,240
2	एसबीआई डीएफएचआइ लि.	1,084	1,109	49	149	1,188	1,225	2088	1,917
3	आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज लि.	641	807	36	29	1,421	639	2,799	3,046
4	पी एन बी गिल्ट लि.	546	553	26	42	1,824	1,007	2,098	1,308
5	मार्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्रा. लि.*	-	267	-	17	-	1,311	-	1,275
6	नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्यू. प्रा. लि.**	-	246	-	50	-	707	-	793
7	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा. लि.	221	228	25	53	615	235	663	279
8	आइडीबीआइ गिस्ट लि.	81	142	36	72	420	175	467	449
	कुल	**3,464**	**3,610**	**35**	**43**	**7,305**	**6,258**	**10,307**	**10,308**

* : मॉर्गन स्टैनली इंडिया पीडी ने पीडी का परिचालन 20 जुलाई 2009 से शुरू किया।

** : नोमुरा एफआइएस ने पीडी का परिचालन 7 सितंबर 2009 से शुरू किया।

– : लागू नहीं।

राशि निकटतम करोड़ रुपए में पूर्णांकित की गई है।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों की विवरणियां ।